

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

CALL No. 5a3A Kau - Pra

D.G.A. 79.

MAGY

TEXTILE



BUDHA



* कौटिल्य अर्थशास्त्र *

का

सरल और सारगर्भित हिन्दीभाषानुवाद

16336

अनुवादक—

श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालङ्कार प्रोफ़ेसर
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

58/2/1A

* प्रकाशक *

मोती लाल बनारसी दास,
अध्यक्ष "पञ्चाव संस्कृत पुस्तकालय"
सैदमिहवा बाजार, लाहौर।

संवत् १९८०

सर्वाधिकार सुरक्षित

[मन् १९८३]

प्रकाशक—

मोती लाल बनारसी दास,

अध्यक्ष पञ्चाय संस्कृत पुस्तकालय,

सैद मिट्टा बाजार लाहौर।

Kautilya Arthaśāstra

Pramath Vidyashankar

All Rights Reserved.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 16336

Date. 23/2/59

Call No. *Sa 3 A / Kautilya*

मुद्रकः—

सरदारी लाल जैन,

मैनेजर "मुम्बई संस्कृत प्रेस"

सैदमि बाजार लाहौर

निवेदन ।

कुछ ही वर्ष हुए कि कौटिल्य-अर्थशास्त्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ मैसूर से उपलब्ध हुआ। डाक्टर शाम शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया। महत्व को देखकर इसका आंग्लभाषा में भाषान्तर भी उन्होंने कर दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र इतना कठिन ग्रंथ है और उसमें इतने अधिक अप्रचलित पारिभाषिक शब्द हैं कि इसके भाषान्तर में भूल तो अपवाद न होकर नियम बन गई है। मोती लाल बनारसी रास ने आवश्यकता को देखकर इसके हिन्दी भाषान्तर के लिये प्रयोग किया। कुछ समय हुआ कि उन्होंने इस काम को हाथों में लेने के लिये लिखा। मैं कई वर्षों से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था और इसके पारिभाषिक शब्दों को चुनकर एक कोश तैयार कर रहा था। कोश में इस समय तक चार हजार पाँच हजार शब्द चुने जा चुके हैं। हिन्दी भाषान्तर में इस कोश के सहारे मैं कई भूलों से बच गया जिनसे डाक्टर शाम शास्त्री स्थान स्थान पर फँस गये। दृष्टान्तस्वरूप मौल तथा पाल शब्दही लीजिये। स्मृतियों में मौल तथा पाल शब्द प्रवासी, भुकेदार तथा गोपाल के लिये आया है। कौटिल्य ने भी इन शब्दों की इसी अर्थ में व्यवहार किया। परन्तु डाक्टर शाम शास्त्री ने मौल का यौगिक अर्थ सामने रख कर पुराना या वंशागत अर्थ कर दिया है। इसी प्रकार भृत्य भरणीय प्रकरण में उन्होंने पाल का गोपाल अर्थ न कर अंग रक्षक अर्थ कर दिया है। त्रय, व्यय, आसार, प्रसार, वीवध, सत्र, परिध, चक्रचर, रात्रिचरण, उदकचरण, प्रकृति पार्थिव आदि हजारों पारिभाषिक शब्द हैं जिनके कारण ग्रंथ का भाषान्तर करना कठिन काम हो गया है।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र का हिन्दी भाषान्तर मूल ग्रंथ का शब्दानुवाद है। डाक्टर शाम शास्त्री के आंग्लभाषा के भाषान्तर को प्रामुख्य रखकर यह अनुवाद नहीं किया गया। प्राचीन ग्रंथ के

दुर्गम स्थानों तथा परिभाषिक शब्दों को पूर्णरूप से सुरक्षित रख-
ने के लिये ग्रंथ में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है और साथ
ही कोष्ठ में उनका भाषान्तर दे दिया गया है ।

इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व अर्थशास्त्र तथा इतिहास पर लग
भग बारह ग्रंथ लेखक लिख चुका है जिनकी पृष्ठ संख्या लग भग
सात हजार पृष्ठों तक पहुंचती है । इतना काम कर चुकने पर भी
चिरकाल से चित्त में उद्वेग था कि कौटिल्य-अर्थशास्त्र का हिन्दी
भाषान्तर प्रकाशित होना चाहिये । परन्तु साथ ही वह भाषान्तर
ऐसा होना चाहिये कि अन्वेषण तथा संशोधन के काम में लगे
लोगों को पूर्णरूप से सहायता मिल सके । मोतीलाल बनारसी दास
की फर्म के सच्चे तथा उदारता पूर्ण व्यवहार ने लेखक को इस
आवश्यक काम के समाप्त करने में पूर्ण सहायता पहुंचायी और
गुरुकुल कांगड़ी में पन्द्रह वर्ष तक संस्कृत पढ़ने के कारण लेखक
इस काम को हाथ में लेने के लिये योग्य हो सका । दोनों ही संस्थाओं
के लिये लेखक कृतज्ञ है ।

अर्थशास्त्र संबंधी महत्त्व पूर्ण बारह ग्रंथों के लिखने के बाद
लेखक ने जर्मनी इंग्लैंड आदि देशों में जाकर विशेष अध्ययन
करने के लिये उद्योग किया । इस उद्योग में श्री पूज्य डॉक्टर
प्राण जीवन महता तथा घनश्याम दास जी विरला की उदारता
ने बड़ी भारी सहायता पहुंचायी । इधर मोतीलाल बनारसी दास
के सत्य पूर्ण व्यवहार ने कौटिल्य अर्थशास्त्र की हिन्दी भाषान्तर
रूपी मेरी अभिलाषा को पूर्ण कर दिया । हिन्दी पाठकों की अब
तक मैंने जो सेवा की है, वह इतनी अपर्याप्त तथा तुच्छ है कि
मैंने योरुप प्रस्थान के लिये तैयारी की और इसी लिये मातृभाषा
के अर्थशास्त्र संबंधी साहित्य को किसी तरह पूरा कर सकूं ।
इसी ग्रंथ की समाप्ति के साथ ही मैं मातृभूमि तथा हिन्दी
पाठकों से पांच साल के लिये विदाई मांगता हूं ।

१०३. टेढ़ीनीम बनारस }
१. ३. २३—

प्राणनाथ—

प्रस्तावना !

कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन लेखक है ? उसका क्या जीवन वृत्तान्त है ? उसने क्या काम किया ? कहां का रहने वाला था ? इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमको ज्ञान नहीं। ग्रंथ में लेखक अपना नाम कौटिल्य देता है। ग्रंथ के अंत में उसने लिखा है कि :—

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगताच भूः ।

अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

अर्थात् इस ग्रंथ को उसने लिखा है जिसने कि शास्त्र, शस्त्र तथा नन्दराजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। नन्दराजा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि :—

महापदत्रः । तत्पुत्राश्चैकं वर्षशतमवनतीपतयो भविष्यन्ति । नवैव । तान्नन्दान्कौटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौर्य्याश्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति । तस्याप्यशोकवर्धनः ॥

अर्थात् । महापदत्र तथा उसके नौ लड़के १०० साल तक राज्य करेंगे उन नन्दों का कौटिल्य नामक ब्राह्मण नाश करेगा । उनके न रहने पर मौर्य्य पृथ्वी का उपभोग करेंगे । कौटिल्य ही चन्द्रगुप्त को राज्य पर बैठावेगा । उसका पुत्र बिन्दुसार होगा । बिन्दुसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा ।

शिलालेख संबंधी प्रमाणों से मालूम पड़ा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य्य ३२१ वी. सी. और अशोकवर्धन २६६ वी. सी. में राज्य पर बैठा । इसी से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ को ३२१ वी. सी. से ३०० वी. सी. के बीच में लिखा ।

अर्थशास्त्र का लेखक वही कौटिल्य है जिसने चन्द्रगुप्त को राज्य पर बैठाया इसको कामन्दकनीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट किया है। दृष्टान्त स्वरूप वह लिखता है कि:—

यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः ।

पपात मूलतः श्रीमान् सुपर्वानन्दपर्वतः ॥ ४ ॥

एकाकी मंत्रशक्त्या यः शक्त्या शक्तिधरोपमः ।

आजहार नृचंद्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम् ॥ ५ ॥

नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोदधेः ।

समुद्घ्रेनमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ ६ ॥

दर्शनात्तस्य सुदृशो विद्यानां पारदृश्वनः ।

यत्किंचिदुपदेक्ष्यामः राजविद्याविदंमतम् ॥ ७ ॥

अर्थात् “कामन्दकनीति उसी विद्वान् के ग्रंथ का आधार पर लिखी गई है जिसके वज्र से पर्वत की तरह स्थिर नन्द जड़ से उखड़ गया। जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया। जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र में से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को निकाला। उसी विष्णुगुप्त को नमस्कार है”।

चौथी सदी में जो हिन्दू लोग जावा में जाकर बसे अपने साथ कामन्दक नीति को लेते गये। महाभारत के बाद इसी ग्रंथ को वह सब से अधिक महत्व देते हैं। कामन्दक सदृश ही दंडी ने भी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णु गुप्त दिया है। वह लिखता है कि:—

अर्धाण्व तावदण्डनीतिम् । इयमिदानीमाचार्याविष्णु-
गुप्तन मौर्व्यार्थे षड्भिः श्लोकसहस्रैः संचिप्ता । सैवेयमधीत्य
सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्तकार्यक्षमेति ।

अर्थात् “दंडनीति को पढ़ो। आचार्य विष्णु गुप्तने मौर्व्य के लिये ६००० श्लोकों में संक्षेप से इस ग्रंथ को लिखा है। यदि वह उत्तम विधिपर पढ़ी जाय तो उससे यथेष्ट फल मिले”। इसप्रमाण के अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि दंडीने जिन जिन

बातों पर चाणक्य का हास्य किया है वह सब के सब वाक्य ज्यों के त्यों अर्थशास्त्र में मिलते हैं *

दंडी के सदृश ही वाणने भी लिखी है कि:—

किं वा तेषां सांप्रतं येषामतिनृशंसं प्रयोपदेशे निर्घृणं कौटिल्य शास्त्रं प्रमाणं । अभिचाराक्रिया कूरकप्रकृतयः । पुरोधसो गुरवः । परातिसंधान परा मंत्रिणः उपदंष्ट्राः । नरपतिसहस्रो जिह्मतायां लक्ष्यमासक्तिः । मरणात्मकेषु शास्त्रेष्वभि योगः । सहजेप्रमाद्रे हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्याः ॥

अर्थात्—उन लोगों के लिये क्या कहा जाय । जो कि घृणित घृणित कार्य का ठोक बताने वाले कौटिल्य अर्थशास्त्र को प्रमाण मानते हैं । जिनकी प्रकृतियां माया तथा योग वामन संबंधी कामों के करने के कारण कूर हैं । जिनके गुरु पुरोहित और

* १. “श्यत ओदनस्यपाकायैतावदिन्धनम्” ।

२. “कुत्सनायव्यवजातमहः प्रथमेऽष्टमे भागे श्रोतव्यम्” ।

३. “चत्वारिंशच्चाणक्योपदिष्टानां हरणोपायान् महस्रथाऽऽमबुद्धयैव विकल्पयितारः” ।

४. द्वितीयेऽन्योन्यं विवदमानानां तृतीये स्नातुं भोक्तुं चतुर्थे हिरण्यं प्रतिग्रहाय” ।

५. “युक्तस्य यावदन्धःपरिणाप्तस्तद्वदस्य विपन्नं न शाम्यत्येव” ।

दश कुमारचरितम् ॥

१. काण्ड पञ्चविंशति पत्र तद्वहलप्रस्थ साधनम्” ।

अधि. २ अध्या. १६

२. “दिवसस्यष्ट मे भागे रक्षाविधानमायव्ययौ च शृणुयात्”

अधि. १ अध्या. १६

३. “तेषां हरणोपायाश्चत्वारिंशत्...—”

अधि. २ अध्याय, ८

४. द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि परयेत् तृतीये स्नानं भोजनं सेवेत, स्वाध्यायं च कुर्वीत चतुर्थे हिरण्यं प्रतिग्रहमध्वक्षांश्च कुर्वीत”

अधि. १ अध्याय १६

५. अग्नेर्ज्वालाधूम नीलताः इति विप युक्त लिङ्गानि”

अधि. १ अध्या. २०

रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्यामें मल्लिनाथ ने कौटिल्य अर्थ शास्त्र का सहारा लिया *कालीदास ने शिकार के पक्ष में उन्हीं युक्तियों को दिया है जो कि कौटिल्यने अर्थने अर्थ शास्त्र में दी हैं †

† १. भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं परदेश
प्रवाहेन स्वदेशाभिप्यन्दवमनेन वा-
निवेशयेत्

रघु. १५; २६ कुमाङ्ग. ६, ७३.

२. कार्योणां नियोगविकल्पसमुच्चया
भवन्ति । अनेनैवोपायेन नान्येनेति
नियोगः । अनेन वान्येन वेतिविकल्पः
अनेन चेति समुच्चयः

रघु. १७-४६

३. क्षीणाः प्रकृतयो क्षोभं लुब्धयान्ति
विरागताम् । विरक्ता यानपमित्रं वा
भर्तारं प्रतिवाक्यम्

रघु. १२. ५५

४. समज्यायोन्वां संदधीतहीन विरुद्धीयातं
रघु. १७, ५६

५. मन्त्रप्रभावोत्साह शक्तिभिः परान्सन्-
ध्यात् १७-७६

६. दुर्बलबलवत्सेवी विरुद्धाच्छक्तितादि-
भिः । वर्तेत दण्डोपनतो भर्तयेवम-
वस्थितः १७-८६

७. धर्माधर्मौ त्रय्यां मर्धानर्थौ वार्तायानं
यानयो दण्डनीत्या मीति

रघु. १८; ५०

†. मेदश्छेद कृशोदरं लघु भवत्युत्थान
योग्यं वपुः । सत्त्वानामपि लक्ष्यते
विकृतिमधिसंभयकोपयोः । उत्कर्ष
स्स च धन्विना यदि लवस्मिद्धवन्ति
लक्ष्ये चले मिथ्याहि व्यसनं
वदन्ति मृगयामीरविनोदः कुतः ।

अभि. शाकु. २; ५

१. भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं परदेशा
प्रवाहेन स्वदेशाभिप्यन्द वस नेन वा
निवेशयेत्

अर्थ. २; १

२. आपदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति ।
अनेनैवोपायेन नान्येनेति नियोगः ।
अनेन वान्येन वेति विकल्पः । अनेना
न्येन चेति समुच्चयः

अर्थ शास्त्र १०; ७

३. क्षीणाः प्रकृतयो लोभं लुब्धा यान्ति
पिरागताम् । विरक्तापान्त मित्रं वा
भर्तारं प्रति वास्वयम्

अर्थ शास्त्र १७; ५५

४. समज्यायोन्वां संदधीत हीनेन विरु-
द्धीयात्

अर्थ. ७; ३

५. उत्साहप्रभाव मन्त्र शक्तीनामुत्तरो-
त्तराधिकोऽसि संधत्ते

६; १

६. संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्धः शक्तितादिभिः
वर्तेत दण्डोपनतो भर्तयेव मवस्थितः ।

७-१५

७. धर्माधर्मौ त्रय्यां मर्धानर्थौ वार्तायानं
नयानयो दण्डनीत्याम्

अर्थ. १; २

मृगयायांतुल्येभ्यः पित्तमेदसूचेदनी-
शक्षले स्थिरे च काये लक्ष्मपरिचयः
कोपस्थाने हिलेषु च मृगाणां चित्त
ज्ञानं अनित्ययानं चेति

अर्थ ८; ३

इसप्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मल्लिनाथ के समय तक प्रचलित था। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और यह वही मनुष्य है जिसने नन्दों को नष्ट कर चन्द्र गुप्तको राज्य पर बैठाया। हेमचन्द्र १ यादव प्रकाश कृत वैजयंती २ तथा भोजराज कृत नाम मालिका ३ से यह मालूम पड़ता है कि कौटिल्य तथा विष्णु गुप्त का तीसरा नाम चाणक्य है।

नन्दिसूत्र में भी यही लिखा है कि चाणक्य ने कौटिल्य नामक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैगस्थनीज ने भारत की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। इसपर नन्दलालडे ने अपनी "एशियन इंडियन हिन्दू-पालिटी" नामक पुस्तक में उत्तम विधि पर प्रकाश डाला है।

कौटिल्य की लेखशैली आपस्तम्ब बौधायन आदि धर्मसूत्र लेखकों से मिलती है। कौटिल्य के सैकड़ों शब्द हैं जिनका संस्कृत के ग्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता है। दृष्टान्त स्वरूपः—

| | |
|----------|--------------|
| युक्त | उद्यानपदी |
| उपयुक्त | कर्काटकशृंगी |
| तत्पुरुष | काकपदी |
| परिव | प्रदर |

१. वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकामनः ।
द्रामिलः पक्षिलः स्वामी विष्णुगुप्तो ऽगुलक्षसः ॥
हेम चन्द्र ।
२. वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ।
द्रामिलः पक्षिलस्त्वामी मल्लनागो ऽङ्गलोपिव ।
यादवप्रकाश—वैजयंती ।
३. वात्स्यायनो वरहचि मयजिच्च पुनर्वसुः
वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः
द्रामिलः पक्षिलः स्वामी मल्लनागो ऽङ्गलोपिव ।
भोजराज - नाम मालिका

| | |
|-------------------|------------------|
| व्याजि | दृढ़क |
| रूपिक | असहा |
| पारीलिक | पारिपतन्तक |
| परोक्त | स्थूलकर्ण |
| निवेशकाल | अभिस्त |
| उच्छुल्क | परिस्त |
| औपनिषदिक | अतिस्त |
| सर्वज्ञस्थापन | अपस्त |
| रोचन्ते | उन्मन्त्री |
| चानुष्यञ्चभागिकाः | अवधान |
| नस्यकमं | बालि |
| चातुराश्रिकः | गोमूत्रिकामंडल |
| दैवतसंयोगस्थापन | प्रकीर्णिका |
| शकट | व्यावृत्तपृष्ठ |
| सत्र | अनुवंश |
| स्तम्भवाट | अग्रभग्नरक्षा |
| उदकचरण | पार्श्वभग्नरक्षा |
| रात्रिचरण | पृष्ठभग्नरक्षा |
| आयुक्त | भग्नानुयात |
| सत्री | प्रभंजन |
| परित्राजिका | अनुपात |
| चक्रचर | |
| चक्रान्त | |
| अर्धचर | |

कौटिल्य का अर्थशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राचीन है कौटिल्य ने ऐसी बहुत सी बातें दी हैं जोकि पौराणिक काल के हिन्दुओं के विचारों के प्रतिकूल हैं। कौटिल्य के समय के—अत्याचारपूर्ण राज्यकर, अन्तःपुर के दोष, अमीरों को मरवाकर धन लूटना, मनुष्यों की गणना, धार्मिककर, सांयात्रिककर, मन्दिरों की संपत्ति को लूटना, पशुओं को मारना, बेईमानी से भरी संधियां, कृत्युद्ध, खतरनाक धृष्टों का प्रयोग, चुपे चुपे लोगों को जहर

देना—आदि कार्य बौद्धों के समय में पसन्द नहीं किये गए। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इन बातों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, स्त्रियों का किसी दूसरे पुरुष से पूर्वपति के रहते हुए भी विवाह कर लेना, शूद्रा लड़कियों के साथ ब्राह्मणों का विवाह करना, मांस खाना, शराब पीना तथा युद्ध करना भी ईस्वीसदी के प्रारम्भ में भारत के अन्दर प्रचलित नहीं रहा। जादूगरी टोना टुटका आदि भी किसी अंश तक कम हो गया।

कौटिल्य के समय की जो जो बातें चिरकाल तक चलती रहीं उनको उन्हीं शब्दों में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया।
दृष्टान्त स्वरूप :—

कौटिल्य अर्थ शास्त्र ।
भ्रातृभार्या हस्तेन लंघयतो ।
संदिष्टमर्थमप्रयच्छतो ।
समुद्रगृह मुद्गिन्दतः ॥
[कौ. पृ. १६८.]

पुरुषं बन्धनीयं बध्नतो ।
बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतो ।
बालमप्राप्तव्यवहारं बध्नतो ।
बन्धयतो वा साहसदंडः ।
[कौ. पृ. १६६]

द्विनेत्रभेदिनः राजद्विष्टमादेशतो
शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो अष्टशतो
दंडः ।

[कौ. पृ. २२७.]
रूपाजीवायाः प्रसहोपभोगे
द्वादशपणो दंडः । बहूनामेकाम-
धिचरतां पृथक् चतुर्विंशति
पणो दंडः ॥

[कौटि. द्वितीय सं. । पृ. २३६.]

याज्ञवल्क्यस्मृति ।
भ्रातृभार्याप्रहारदः ।
संदिष्टाप्रदाता च ।
समुद्रगृहभेदकृत् ॥
[या. २. २३२.]

अबन्ध्यं यश्च बध्नाति ।
बद्धयश्च प्रमुञ्चति ।
अप्राप्तव्यवहारं च ॥
सदाप्या दममुत्तमम् ॥
[या. २. श्लो. २४३.]

द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृत्
स्तथा । विप्रत्वेनच शूद्रस्य
जीवतोष्ट गुणतोदमः ॥
[याज्ञ. २. ३०४.]

प्रसह्य दास्यभिगमे दंडो दश
पणः स्मृतः । बहूनां यद्यकामासौ
चतुर्विंशतिकः पृथक् ।

[याज्ञ. २. २९१.]

स्वदेशग्रामयोः पूर्वमध्यमंजाति
संघयोः । आक्रोशाद्देव चैत्या-
नां उत्तमं दंडमर्हति ।

[कौ. पृ. १६४.]

त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तम
साहसः । मध्यमो जातिपूगानां
प्रथमो ग्राम-देशयोः ॥

[या. स्मृ. २। २६१]

याज्ञवल्क्य के सदृश सोमदेव सूरी ने कौटिलीय अर्थशास्त्र
को सामने रखकर नीतिवाक्यामृत लिखा । सोमदेव सूरी राजा
यशोधर के समय में विद्यमान था । उसने लिखा है कि—

श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगेणैकं नन्दंजघानेति ।

[नीति. १३. पृ. ५२.]

अर्थात् सुना जाता है कि चाणक्य ने तीक्ष्णों तथा दूतों के
सहारे नन्द को मार डाला । चाणक्य के अर्थ शास्त्र तथा सोमदेव
के नीतिवाक्यामृत के निम्नलिखित वाक्य आपस में मिलते हैं—

नीति वाक्यामृत

उद्धतेष्वपि शस्त्रेषु दूतमुखावै
राजानः । तेषामल्पावसायिनो-
ऽप्यवध्याः किमंगपुनर्ग्राहणाः ।

ज्ञानबलं मंत्रशक्तिः । शशकेनेव
सिंहव्यापादनमत्र दृष्टान्तः
कोशदंड बलं प्रभुशक्तिः । शूद्रक
शक्तिं कुमारा दृष्टान्तः । विक्रम-
बलमुत्साहशक्तिः । अन्नरामो-
दृष्टान्तः । २६: ११४ ११५

यावत्परेषोपहतं न चेतोऽधिक
मपकृत्य सन्धिमुपेयात् । नतप्त
लोहमतप्तं लोहेनसन्धत्ते तेजो-
हि सन्धानकारणम् ।

समस्य समेनसह विग्रहोऽनिश्चि-
तं मरणं जयेसन्देहः । अमंहि पात्र
मामेनाभिहतमुभयतः क्षयमेव
करोति । ज्यायसा सह विग्रहो
हस्तिना पाद युद्धमिव ॥

कौटिल्य

दूतमुखा वै राजान स्वं चान्ये
च । तस्मादुद्धतेष्वपि शस्त्रेषु
यथोक्तं वक्रारस्तेषामन्तावसा-
यिनोऽप्यवध्याः किमंगपुनर्ग्राहणाः

ज्ञानबलं मंत्रशक्तिः । कोशदंड
बलं प्रभुशक्तिः । विक्रमबल-
मुत्साह शक्तिः ।

यावन्मात्रमपकुर्यात्तावन्मात्र
मस्य प्रत्यपकुर्यात् तेजोहि सन्धा-
न कारणम् । ना तप्तं लोहं लोहे
न सन्धत्ते ।

विगृहीतो हिज्यायसा हस्तिना
पाद युद्धमिवाभ्युपैति । समेन
चामपात्र मामेनाभिहतीमिवा
भयतः क्षयं करोति ॥

“कौटिल्य का मत है” “कौटिल्य के विचार में तो” इत्यादि वाक्यों से बहुत से योरूपीय विद्वान् समझते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र किसी दूसरे का बनाया हुआ ग्रंथ है। असली में बात यह है कि संस्कृत के प्राचीन लेखक अपनी संमति इसी ढंगपर दिया करते हैं दृष्टान्तस्वरूप चात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि :—

सा चोपाय प्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति चात्स्यायनः।

उपायपरिज्ञानं च कामसूत्रात्। तेनोपदिश्यमानत्वात्।

चात्स्यायन इति स्वगोत्रनिमित्ता समाख्या। मल्लनाग इति सांस्कारिकी।

अर्थात् “चात्स्यायन का मत है” कि उपायों का ज्ञान कामसूत्र से होता है। क्योंकि उसकी व्याख्या उसी में है। चात्स्यायन गोत्र का और मल्लनाग असली नाम है।

सारांश यह है कि यह ग्रंथ चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य का लिखा हुआ है। उसी का नाम विष्णु गुप्त तथा कौटिल्य है। इस ग्रंथ का महत्व इसीसे जाना जा सकता है कि “भारत के प्राचीन इतिहास” की बहुत सी उलझने इससे सुलझगयीं। संस्कृत साहित्य में यह एक ही ग्रंथ है जो कि प्राचीन भारत की आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूपसे प्रगट करता है विद्वान् लोगों का ज्यों २ ध्यान इस ओर दिन परदिन बढ़ता जाता है त्यों २ इसका महत्व दिन परदिन बढ़ता जाता है। भारतमें समय आने वाला है जब कि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारी संस्था ऐसी न होगी जिसमें यह ग्रंथ पाठ्य पुस्तक न हो शरीर के लिये जैसे भोजन आवश्यक है वैसेही प्राचीन आर्यों के रहन सहन को समझने के लिये यह ग्रंथ आवश्यक है लेखक ने ग्रंथ का शब्दानुवाद भी इसी लिये किया है कि इसका ऐतिहासिक महत्व ज्यों त्यों बनारहे। यदि यह कठिन है तो हिन्दी पाठक भी इसकी कठिनाइयों से पूर्ण रूप से परिचित रहें। आशा है कि पाठक गण लेखक के यत्न से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

विषय सूची ।

पृथ्वी के लाभ तथा पालन के सम्बन्ध में पूर्व आचार्यों ने जितने अर्थ शास्त्र लिखे प्रायः उनका संग्रह कर यह एक, अर्थ शास्त्र बनाया गया । उसकी विषय सूची निम्नलिखित है ।

| | |
|---|----------------|
| विषय सूची | पृष्ठ संख्या । |
| १ अधिकरण विनयाधिकार | १-३६ |
| विद्या—विषयक विचार | १ |
| बुद्ध संयोग | ५ |
| इन्द्रिय जय | ६ |
| अमात्योत्पत्ति | ८ |
| मंत्रि तथा पुरोहित की नियुक्ति | १० |
| मित्र २ उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई | |
| तथा खोटकी परीक्षा | ११ |
| खुफिया पुलिस की नियुक्ति | १३ |
| खुफिया पुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध | १४ |
| अपने देश में शत्रुओं के वश में आनेवाले तथा न आने वाले | |
| लोगों के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण | १७ |
| परदेश में कृत्य तथा अकृत्य पक्षके लोगों को वशमें करना | १८ |
| गुप्त विचार तथा मंत्रणा | २२ |
| दूत का प्रयोग तथा प्रबंध | २५ |
| राज कुमार की रक्षा | २७ |
| बंधन में पड़े राज कुमार का कर्त्तव्य | ३० |
| राजा का प्रबंध तथा कर्त्तव्य | ३१ |
| अन्तः पुर का प्रबंध | ३४ |
| आत्म रक्षा | ३६ |
| २ अधिकरण अध्यक्ष प्रचार | ३६-१३४ |
| जनपद—निवेश | ३६ |

| | |
|--|-----|
| भूमि का विभाग | ४२ |
| दुर्ग विधान | ४४ |
| दुर्ग निवेश | ४७ |
| सन्निधाता के कर्त्तव्य | ४० |
| समाहर्ता द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना | ४२ |
| गाणनिष्पत्ति का अक्षपटल में काम | ४४ |
| गृहण किये गये धनका प्राप्त करना | ४८ |
| उपयुक्त परीक्षा | ६१ |
| शासनाधिकार | ६३ |
| कोश में ग्रहण करने योग्य रत्नों की परीक्षा | ६८ |
| खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन | ७१ |
| सुवर्णाध्यक्ष का कार्य | ७६ |
| बिशिखा में सुनारों का काम | ८० |
| कोष्ठागाराध्यक्ष | ८४ |
| परयाध्यक्ष | ८८ |
| कुप्याध्यक्ष | ९० |
| आयुधागाराध्यक्ष | ९१ |
| तोल माप | ९३ |
| देश तथा काल का मापना | ९६ |
| शुल्काध्यक्ष | ९९ |
| शुल्क व्यवहार | १०१ |
| सूत्राध्यक्ष | १०२ |
| सीताध्यक्ष | १०४ |
| सुराध्यक्ष | १०६ |
| सूनाध्यक्ष | १०८ |
| गणिकाध्यक्ष | ११० |
| नावध्यक्ष | ११२ |
| गोअध्यक्ष | ११४ |
| अश्वाध्यक्ष | ११६ |
| हस्त्यध्यक्ष | १२३ |

| | |
|--|---------|
| हस्तिप्रचार | १२४ |
| रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष तथा सेनापति का काम | १२७ |
| मुद्राध्यक्ष तथा विवाताध्यक्ष | १२८ |
| समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग | १२६ |
| नागरक का कार्य | १३१ |
| ३ अधिकरण धर्मस्थाय | १३५-१८५ |
| व्यवहार का स्थापन तथा विवाद का निर्णय | १३५ |
| विवाह | १३६ |
| विवाहितों के संबंध में नियम | १४१ |
| विवाह विषयक नियम | १४४ |
| दाय-विभाग | १४७ |
| हिस्सों का बांटना | १४६ |
| पुत्र-विभाग | १५० |
| गृह-वास्तुक | १५२ |
| वास्तु विक्रय | १५४ |
| चारागाह खेत तथा काम का नुकसान | १५७ |
| ऋण दान | १६० |
| अपनिधिक | १६४ |
| दास-कल्प | १६८ |
| श्रम तथा पूंजी का विनियोग | १७१ |
| विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध | १७३ |
| दिये हुए धन का ग्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय तथा पदार्थों पर स्वत्व | १७५ |
| साहस | १७८ |
| वाक् पारुष्य | १७६ |
| दंड-पारुष्य | १८० |
| दूत समाह्वय तथा प्रकीर्णक | १८३ |
| ४ अधिकरण कंटक शोधन | १८५-२१७ |
| कारीगरों की रक्षा | १८५ |
| व्यापारियों की रक्षा | १८६ |

| | |
|--|---------|
| द्वैवा विपत्तियों का उपाय | १९१ |
| गूढ़ा जीवियों की रक्षा | १९३ |
| सिद्ध के भेस में बदमाशों का पकड़ना | १९४ |
| शंका-रूप तथा कर्म के अनुसार | १९७ |
| आशु मृतक परीक्षा | २०० |
| बाह्य कर्मानुयोग | २०२ |
| राजकीय विभागों का संरक्षण | २०४ |
| एक अंग काटने का निष्कय | २०७ |
| शुद्ध तथा चित्र दंड | २०८ |
| कन्या प्रकर्म | २११ |
| अतिचार दंड | २१४ |
| ५ अधिकरण योग वृत्त | २१७-२३६ |
| दंड विधान | २१७ |
| कोश संग्रह | २२१ |
| भृत्य भरणीय | २२६ |
| राज्य सेवकों का कर्तव्य | २२६ |
| समय का ख्याल रखना | २३१ |
| राज्य का प्रबंध तथा एकैश्वर्य | २३३ |
| ६ अधिकरण मंडलयोनि | २३६-२४२ |
| प्रकृति के गुण | २३६ |
| शान्ति तथा उद्योग | २३६ |
| ७ अधिकरण पाद्गुण्य | २४२-२६४ |
| पाद्गुण्य का उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि | २४२ |
| संश्रय वृत्ति | २४४ |
| सम हीन तथा ज्याय के गुण और हीन की संधि | २४७ |
| आसन तथा प्रयान | २४६ |
| युद्ध विषयक विचार | २५२ |
| साथ मिल कर खड़ाई तथा संधियां | २५६ |
| द्वैधीभाव से संबंध संधि तथा विक्रम | २६० |
| यातव्य तथा अनुग्राह्य मित्र का कर्तव्य | २६३ |

| | |
|--|---------|
| मित्र संधि तथा हिरण्य संधि | २६५ |
| भूमि संधि | २६६ |
| अपानिवेशक संधि | २७१ |
| कर्म संधि | २७४ |
| पार्ष्णिग्राह चिन्ता | २७६ |
| हीन शक्ति-पूरण | २८० |
| प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु का चरित्र | २८३ |
| पराजित राजा का व्यवहार | २८६ |
| संधिका करना तथा तोड़ना | २८८ |
| मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य | २९२ |
| ८ अधिकरण व्यसनाधिकारिक | २९६-३१५ |
| प्रकृति-व्यसन-वर्ग | २९६ |
| राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिन्ता | ३०० |
| पुरुष व्यसन वर्ग | ३०१ |
| पीडनवर्ग, स्तम्भवर्ग तथा कोशसंगवर्ग | ३०५ |
| बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग | ३११ |
| ९ अधिकरण अभियास्यत्कर्म | ३१६-३४२ |
| शक्ति देश काल तथा यात्रा काल | ३१६ |
| सेनाका इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे सेनाके काम | ३२० |
| पश्चात्कोप चिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति कोपका प्रतिकार | ३२४ |
| क्षय व्यय तथा लाभ का विमर्श | ३२७ |
| बाह्य तथा आभ्यन्तर आपत्तियाँ | ३३० |
| राज्य द्रोहियों तथा शत्रुओं के साथी | ३३२ |
| अर्थान्यसंशय विवेचन तथा उनकी उपाय विकल्पज सिद्धि | ३३६ |
| १० अधिकरण सांग्रामिक | ३४२-३५७ |
| सकंधाधार-निवेश | ३४२ |
| सकंधाधार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कन्दकाल तथा सैनिक संरक्षण | ३४३ |
| कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन तथा स्वबल तथा अन्यबल का प्रयोग | ३४५ |

| | |
|--|---------|
| युद्ध भूमि, पदाति अश्व रथ हस्ति आदि के काम | ३४६ |
| व्यूहविभाग, बलविभाग तथा चतुरंग सेना द्वारा युद्ध | ३५१ |
| दंडभाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह और प्रतिव्यूह का स्थापन | ३५४ |
| ११ अधिकरण संध वृत्त | ३५७-३६१ |
| भेदोपादान तथा उपांशु दंड | ३५७ |
| १२ अधिकरण आवलीयस | ३६१-३७३ |
| दूत के काम | ३६१ |
| मंत्र युद्ध | ३६३ |
| सेनापतियों का घात तथा राष्ट्र मंडल का प्रोत्साहन | ३६६ |
| शस्त्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग । धीवध आसार तथा प्रसार का बध | ३६८ |
| योगाति संधान दंडातिसंधान तथा एक विजय | ३७० |
| १३ अधिकरण दुर्ग लंभोपाय | ३७३-३८६ |
| उपजाप | ३७३ |
| योग वामन | ३७४ |
| खुफिया पुलिस का प्रयोग | ३७६ |
| किले का घेरना तथा शत्रु का नाश | ३८२ |
| विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना | ३८७ |
| १४ अधिकरण औपनिषदिक | ३८६-४०२ |
| पर घात प्रयोग | ३८६ |
| अद्भुतोत्पादन | ३८२ |
| दवाई तथा मन्त्र का प्रयोग | ३८५ |
| शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण | ४०१ |
| १५ अधिकरण तन्त्र युक्ति | ४०२-४०७ |
| शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति | ४०२ |
| आणक्य के सूत्र | ४०८ |



कौटिल्य अर्थशास्त्र ।

१. प्रकरण ।

विद्या-विषयक विचार ।

(क)


दर्शन शास्त्र (आन्वीक्षिकी), तीनों वेद (त्रयी), संपत्ति शास्त्र (वार्ता) तथा राजनीति शास्त्र (दंडनीति) यह चार विद्याएँ हैं। मनु संप्रदाय के विद्वान् अंतिम तीन को ही विद्या समझते हैं और आन्वीक्षिकी या दर्शन शास्त्र को तीनों वेद का एक भाग प्रगट करते हैं। बृहस्पति मतानुयायी केवल अन्तिम दो ही को विद्या मानते हैं और कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगों (लोकयात्रा-दत्त) के लिये आजीविका का सहारा (संवरण मात्र=संरक्षण का साधन) है। शुक्राचार्य के पक्षपातियों के लिये तो राजनीति शास्त्र (दंडनीति ही एक मात्र विद्या है। शेष संपूर्ण विद्याओं का आरंभ

(१) कौटिल्य ने दुनियादार लोगों के लिये 'लोक यात्रा विद्' शब्द लिखा है। लोक यात्रा का तात्पर्य 'किसी तरीके से रुपया पैसा कमाकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों से' है। इसी वाक्य में कौटिल्य ने 'संवरण' शब्द का प्रयोग किया है। डाक्टर शाम शास्त्री ने संवरण का अर्थ 'संक्षेप' (abridgement) किया है परन्तु इस शब्द का दूसरा अर्थ 'आच्छादन' अर्थात् 'अपने आपको बचाना' 'किसी तरीके से अपनी रक्षा करना' है। यहाँ पर दूसरा अर्थ ही ठीक मालूम पड़ता है।

तथा विकास उसीके साथ बंधा हुआ है। कौटिल्य के विचार में उपरिलिखित चारों ही विद्यायें हैं। क्योंकि विद्या वही है जिससे धर्म तथा अर्थ की सिद्धि हो । सांख्य, योग तथा लोकायत (नास्तिक दर्शन) दर्शन शास्त्र के ही अन्तर्गत हैं। तीनों वेदों से धर्म तथा अधर्म का, संपत्ति शास्त्र से अर्थ तथा अनर्थ का तथा राजनीति शास्त्र से शासन तथा कुशासन का ज्ञान प्राप्त होता है । उपरि लिखित चारों विद्याओं की प्रधानता तथा अप्रधानता (बलाबले) पर भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाला—

दर्शन शास्त्र, सदा से ही सब विद्याओं का प्रकाशक (दीपक), सब कामों का साधक तथा सब धर्मों का आश्रय है ।

और यही संसार का उपकार करता है, सुख दुःख में बुद्धि को स्थिर रखता है, दूरदर्शिता, स्पष्ट वादिता तथा कर्मण्यता को बढ़ाता है ।



(ख)

साम ऋक् तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही त्रयी (तीनों वेद) है । अथर्ववेद तथा इतिहासवेद का नाम ही वेद है । शीक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दोविवेक, तथा ज्योतिष ही इनके अंग हैं । त्रयी में निर्दिष्टधर्म (प्रगट किया हुआ धर्म) चारों घरों तथा आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण

(१) कौटिल्य के “बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा” में जो बलाबले यह शब्द पड़ा है इसको डाक्टर शाम शास्त्री ने मूल से “दंडनीलां नयानयी” के साथ समन कर संपूर्ण वाक्य का अर्थ बिगाड़ दिया है । आगे चलकर “एतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा” इनकी.....भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी इस वाक्य में “इनकी” क्या ? यह पता नहीं चलता । पास ही पड़े हुए ‘बलाबले’ को यदि ‘इनकी’ के साथ लगा दिया जाय तो “इनकी प्रधानता तथा अप्रधानता” का भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी ऐसा अर्थ होता है और “एतासां” में पड़ी पट्टी की भूल मिट जाती है । कौटिल्य ने बड़ी सफाई के साथ ‘आन्वीक्षकी’ का ‘बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा’ यह वाक्य लिखकर लक्षण कर दिया है और उसकी विशेषता को उसी शब्द से जोल दिया है ।

बहुत ही उपकारी हैं । ब्राह्मणोंका धर्म है कि वह पढ़ें, पढ़ावें, हवन करें करावें और दान दें तथा लेवें । क्षत्रियों का धर्म है कि वह पढ़ें, हवन करें, दान दें, शस्त्र तथा सैनिक कार्य्य से जीवन निर्वाह करें तथा प्राणिमात्र की रक्षा करें । इसी प्रकार वैश्य भी पढ़ें तथा हवन करें, और साथ ही कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करें । शूद्र द्विजों की सेवा, वार्ता, कापीगरी तथा चारण-चादक का काम करें । गृहस्थी अपनी मेहनत पर निर्वाह करें, असगोत्र वाले सजात में व्याह करें, ऋतुगामी हों, देवपितृ, अतिथि तथा भृत्यों के लिये त्याग करते हुए सब के अंत में भोजन करें । ब्रह्म-चारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा स्नान प्रतिदिन करें, भीख मांगें और जान को हथेली में लिये आचार्य्य की सेवा करें । यदि वह न हों तो उनके लड़के की या उसके सार्थी की शुश्रूषा करें । वानप्रस्थी लोग ब्रह्मचर्य्य से रहें, जमीन पर सोवें, जटा रखें, मृग चर्म धारण करें, अग्निहोत्र तथा स्नान करें और देवपितृ अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलों पर ही निर्वाह करें । सन्यासी तथा परिव्राजक इन्द्रियों को वशमें रखते हुए किसी भी सांसारिक कामको न करें, धन तथा रुपये पैसे को न रखें, समाज में न रहें, एक स्थान में जंगल में न बसैं, भिक्षा से निर्वाह करते हुए अन्दर तथा बाहर से पवित्र रहें, किसी की भी हिंसा न करें, सत्यबोलें, निन्दा तथा क्रूरता से दूर रहते हुए अपराधी को क्षमा करें ।

अपने धर्म पर स्थिर रहने से ही स्वर्ग तथा मुक्ति मिलती है । इससे विपरीत चलने पर लोग वर्णसंकर तथा अधर्म से ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं—

इसलिये राजा किसी को भी अपने धर्म से व्युत्त न होने दे । जो लोग, आर्यों की मर्यादा का पालन करते हुए, वेदों से रक्षा प्राप्तकर वर्णाश्रम धर्म पर चलते हैं तथा उसी

(१) डाक्टर शामशास्त्री ने “अनारंगः” का अर्थ “संपूर्णकामों से वृद्ध रहना” किया है । हमारा ख्याल है कि यहां “सांसारिक कामों” से ही तात्पर्य्य है अतः उपरिलिखित भाषान्तर में “सांसारिक” शब्द जोड़ दिया गया है ।

पर स्थिर रहते हैं वह इस लोक तथा परलोक में सुखी रहते हैं और दिनपर दिन उन्नति करते हैं । उनको अवनति का सामना नहीं करना पड़ता ।

(ग)

कृषि पशुपालन तथा व्यापार वार्ताशास्त्र का विषय है । इसके द्वारा धान्य, पशु, हिरण्य, जांगलिकद्रव्य तथा स्वतंत्र ध्रम के मिलने से यह बहुत ही उपकारी विषय है । इसी से कोश दंड के द्वारा राजा स्व-पक्ष तथा परपक्ष को वश में करता है । आन्वीक्षिकी, त्रयी तथा वार्ताशास्त्र का योगक्षेम दंड पर निर्भर है । दंड की नीति प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम ही दंड नीति है । इससे अनुपलब्ध वस्तु प्राप्त होती है, उपलब्ध वस्तु की रक्षा की जाती है, रक्षित वस्तु बढ़ायी जाती है और बढ़ी हुई वस्तु योग्य योग्य व्यक्तियों में बांटी जाती है । इसी पर संसार में सफलता (लोक यात्रा) प्राप्त करना निर्भर है, इसलिये संसार में सफलता चाहने वालों (लोक यात्रार्थी) को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिये । पुराने आचार्यों का विचार है कि लोगों को काबू में रखने का दंड से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है । परन्तु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है । कठोर-शासक (तीक्ष्ण दंड) से लोग तंग होते हैं, मृदुशासक (मृदुदंड) की अचहेलना करते हैं और उचितशासक (यथाह दंड) की पूजा करते हैं । सोच समझकर दंड का प्रयोग करने पर प्रजा धर्म, अर्थ तथा काम की ओर मुकती है । काम क्रोध या

(१) "इसीसे कोशदंडके द्वारा" इसका तात्पर्य है कि राजा वार्ताशास्त्र या संपत्तिशास्त्र में बताये हुए तरीकों से धान्य पशु हिरण्य आदि अनेक वस्तुओं प्राप्त करता है । इससे 'कोश' अर्थात् खजाना बढ़ता है और राजा "दंड" शासन कार्य उचित विधिपर चलाने में समर्थ हो जाता है और अपने पक्षके लोगों को तथा दुश्मन के साथ मिले हुए लोगों को अपने वश में करने में समर्थ हो जाता है ।

(२) "योग क्षेम" का तात्पर्य सुख समृद्धि तथा वृष्णाण की वृद्धि ।

(३) दंड शास्त्र का तात्पर्य 'शासन' से है । आगे आए हुए 'उद्यतदंड' का मतलब 'शासनमें सज्जद' है ।


अज्ञान से ऐसा करने पर वानप्रस्थी तथा सन्यासी भी कुपित हो जाते हैं, गृहस्थ लोगों का तो कहना ही क्या है? यदि दंड का सर्वथा ही प्रयोग न किया जाय तो अराजकता तथा मात्स्य न्याय फैल जाय। शासक के अभाव में बली दुर्बलों को सताने लगे। ऐसे ही समय में 'गुप्त' प्रभुत्व प्राप्त करता है।

जब राजा चारों वरों के लोगों का शासन करता है, लोग अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए अपने अपने मार्गों पर चलते रहते हैं।



२. प्रकरण

वृद्ध संयोग



यही कारण है कि आन्वीक्षिकी, त्रयो तथा वार्ता दंडनीति पर निर्भर हैं। प्राणिमात्र के योगक्षेम का साधक दंड स्वयं विनय पर आश्रित है। विनय कृतक तथा स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार है। शिक्षा पात्र को ही योग्य बना सकती है न कि अपात्रको।

(१) ऐसे ही समय में "गुप्त" प्रभुत्व को प्राप्त करता है, इस वाक्य में 'गुप्त' का तात्पर्य "चंद्रगुप्त" से है। कौटिल्य अपने शास्त्र भाष्य का बनाया हुआ है इसके पुष्ट करने में यह वाक्य भी उद्धृत किया जाता है।

(२) वृद्धसंयोग का तात्पर्य बुद्धिमान विद्वान् सदाचारी वृद्ध लोगों के संग से है।

(३) विनय। विनय शब्द शिक्षण, अर्थ में प्रायः आता है। प्रकरण वश इसका अर्थ दंगल तथा दुर्ना मंड हो जाता है। शिक्षण की अपेक्षा विनय शब्द बहुत विस्तृत अर्थ में आता है। गदका फटी पटा तलवार चलाना छुरामारना सीखना झिलकारना, आदि सभी प्रकार का ज्ञान विनय शब्द द्वारा प्रगट किया जा सकता है।

(४) कृतक अर्थ कृत्रिम या बनावटी है। जो स्वाभाविक न हो और परिश्रम से बनाया गया हो वा प्राप्त किया गया हो उसको "कृतक" कहते हैं।

विद्या से वही योग्य होते हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह (तर्क वितर्क) में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं। आचार्यों के अनुसार हाँ विद्याओंका नियम तथा विनय है।

मुंडन के बाद लिखना तथा गिनना सीखे। जनेऊ के बाद शिष्ट लोगों से त्रयी तथा आन्वीक्षिकी, अध्यक्षा से वार्ता और वक्ता तथा प्रवक्ता लोगों से दंडनीति की शिक्षा ग्रहण करे। सोलह सालतक ब्रह्मचर्य्य धारण करे। इसके बाद गोदान तथा विवाह करे। विनय की वृद्धि के लिये प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग करे क्योंकि विनय उर्ध्वपर निर्भर है। हाथी घोड़ा, रथ तथा हथियार चलाना सबेरे सीखे। दुपहरके बाद इतिहास सुने। इतिहासका तात्पर्य्य पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्रसे है। शेष दिनमें नया पाठ पढ़े, पढ़ा हुआ समझे और न समझा हुआ पुनः सुने। सुनने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धिसे पढ़े हुए को काममें लाना आता है और इससे सामर्थ्य्य युक्त होता है। यही विद्याका लाभ है।

जो राजा पढ़लिखकर प्राणिमात्र के हित में तत्पर होता है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता है वह चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है।



३. प्रकरण ।

इन्द्रिय जय^१ ।

(क)

काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हर्ष को त्यागकर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कीजाय। इसीसे विद्या तथा विनय उपलब्ध होता है। शास्त्र में कहे गये नियमों के अनुसार चलना अथवा पाँचों इन्द्रियोंका अपने अपने विषयों की ओर न भुक्ने देनेका नाम ही

^१ इन्द्रियजय का तात्पर्य्य इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ।

इन्द्रिय जय है। संपूर्ण शास्त्र यही प्रति पादन करते हैं। सारे संसार का कोई राजा क्यों न हो यदि वह इसके विरुद्ध आचरण करता है और इन्द्रियों के वशमें है तो वह शीघ्र ही नष्ट होजायगा। दृष्टान्त स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामवश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त होकर राष्ट्र तथा बन्धु के सहित नाश को प्राप्त हुआ। वैदेह कराल की भी यही दशा हुई। जनमेजय गुस्से में आकर ब्राह्मणों पर विगड़ा और ताल जङ्घ भृगुओं पर। ऐल लोभ में आकर चारों वनों को सताने लगा और यही बात सौवीर अजबिन्दु न की। रावण अभिमान में आकर दूसरेकी औरत को और दुर्माधन राज्य के कुछ भागको देनेपर तैयार न हुआ। डम्भ का पुत्र तथा हैहय वंशी अर्जुन सबलोगों का अपमान करता था। खुशी में आकर वातापि अगस्त्य पर और वृष्णिसंध द्वैपायन पर दूटपड़ा।

यह तथा अन्य बहुत से राजा छुओं शत्रुओं के वशमें होकर राष्ट्र तथा बन्धुके सहित नष्ट हुए। जितेन्द्रिय परशुराम तथा नाभाग अंबरीष छुओं शत्रुओं को वशमें कर चिरकाल तक राज्य करते रहे।

(ग)

काम क्रोध आदि छुओं शत्रुओं का परित्याग कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे। वृद्ध लोगों के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ावे और खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर दृष्टि (चजु) रखे। कार्य शील होकर जनता का कल्याण करे। नये नये कामों के करनेकी आज्ञा देकर अपने कर्तव्य का पालन करे। विद्या तथा उपदेश के द्वारा शिक्षा (विनय) ग्रहण करे। देशकी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लोकप्रिय बने। दूसरों का हित करने में ही अपनी वृत्ति रखे।

इस ढंग पर इन्द्रियों को वशमें रखता हुआ परायी स्त्री तथा संपत्तिपर नजर तक न डाले। और न किसी को तंग ही करे। स्वप्न में भी भोगविलास का न सोचे। झूठ बोलने और भड़कीले कपड़ों के पहिनेसे अलग रहे और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि ऐसे बहुतसे सांसारिक व्यवहार हैं। जिनका परिणाम पाप तथा हानि है। इस लिये इन्हीं इच्छाओं को पूराकरे जो कि धर्म तथा अर्थ के अनुकूल हों। दुःख तथा

कष्ट में जीवन न व्यतीत करे। या धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से सेवन करे। इनमेंसे किसी का भी यदि अधिक सेवन किया जाय तो अपने तथा दूसरे को कष्ट पहुंचता है। कौटिल्य का मत है कि इनमें अर्थ ही प्रधान है। धर्म तथा काम उसीपर निर्भर हैं। आचार्य तथा अमात्य उसको मर्यादा-भंग करने से रोकते रहें। बुरी बातों में न फँसने दें। यदि वह एकान्त में प्रमाद करे तो उसको धँटे बजाकर (छायानालिका प्रतोदेन) काम पर संनद्ध करें।

एकपहिये की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता बिना नहीं चलता। इसलिये राजाको चाहिये कि वह बहुत से मंत्री नियत करे और उनकी सम्मति सुना करे।



४. प्रकरण अमात्योत्पत्तिः



भारद्वाज का मत है कि सहाध्यायियों को ही अमात्य बनाया जाय। क्योंकि उनकी विश्वासपात्रता (शौच) तथा सामर्थ्य का राजा को पहिले से ही अनुभव होता है। वह उनपर विश्वास भी कर सकता है। विशालाक्ष इसको ठीक नहीं समझते। उनका ख्याल है कि एक साथ खेले होने से यह लोग उसका अपमान करते हैं। इसलिये उनको अमात्य बनाया जाय जो कि गुप्त कामों में उसका साथ देते रहे हों। समान शील व्यसन होने के कारण वह लोग गुप्त बातों के खुलने के भयसे राजा का अपमान नहीं करते। पराशर के विचार में तो यह दोनों ओर एक जैसा साधारण दोष है। यह भी तो संभव है कि राजा अपनी गुप्त बातों के खुलने के भय से उन की कठ पुतली बनजाय। जैसा वह कहें वैसा करना शुरू करे। क्योंकि:-

राजा जिन जिन लोगों पर अपनी जितनी गुप्त बातें खोलता है, उतना ही शक्ति से हीन होकर उनके वशमें आजाता है।

जो लोग उसको ऐसी विपत्तियों में बचावें जिनमें मौत का खतरा हो, उन्हीं को अमात्य नियुक्त किया जाय। क्यों कि उनके अनुराग की परीक्षा वह पहिले से ही कर चुकता है। पिशुन का ब्याल है कि यह तो भक्ति हुई। इस में बुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी संबंध नहीं। अमात्य पद पर उन्हींको नियुक्त किया जाय जो कि खास खास राजकीय कामों पर नियुक्त होकर अपने काम को विशेष योग्यता के साथ करें। क्योंकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा तो होही जाती है। कौणपदंत का कहना है कि अमात्याँ में और जो गुण चाहियें वह इनमें नहीं होते। जिनके बाप दाद अमात्यपद पर रह चुके हों उन्हीं को अमात्य बनाया जाय। अनुभव प्राप्त होने से और चिर कालतक साथ रहने से राजा को कुमार्ग में जाता हुआ देखकर भी यह लोग उसका साथ नहीं छोड़ते। पशुओं में भी यह बात देखी गयी है। गउएं दूसरी गउओं के झुंड में न रहकर अपनेही झुंड में बैठती हैं। वातव्याधि इस विचार के विरुद्ध हैं। वह कहते हैं कि क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण शक्तिशः अपने हाथ में कर राजा की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिये राजनीति को समझने वाले राजा को चाहिये कि सदा नये नये व्यक्तियों को अमात्य बनावे। नये लोग राजा को यम का दूसरा अवतार समझते हुए कभी भी उसकी आज्ञा का अवहेलन नहीं करते। बाहुदंतीपुत्र को यह भी पसंद नहीं है। क्योंकि कोई कितना ही शास्त्र क्यों न पढ़ा हो, जिसने काम नहीं किया कठिन काम पढ़ने पर घबड़ा सकता है। इसलिये जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर तथा राजभक्त हों उनको अमात्यपद पर नियुक्त करे क्योंकि उनमें गुणों की प्रधानता होती है।

कौटिल्य की संमति में सब बातों में यही ठीक है। कार्य से ही पुरुष की शक्ति प्रतीत होती है। सामर्थ्य को आंखों के सामने रखते हुए:—

प्रत्येक अमात्य की प्रभुत्वशक्ति नियत कर समय स्थान तथा काम के अनुसार उनको भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों

पर नियुक्त किया जाय । उनको अपना मन्त्री कभी भी न बनाया जाय ।

५. प्रकरण मन्त्री तथा पुरोहित की नियुक्ति ।

एक अमात्य के लिये आवश्यक है कि वह स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान्, चतुर, वाक्पटु, गंभीर, प्रगल्भ, समझदार, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़भक्ति, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, गौरवयुक्त, अप्रमादी, अचापल, सर्वप्रिय तथा किसी को भी अपना शत्रु बनाने वाला न हो । जिनमें इसके एक चाँधाई या आधे गुण हों उनको मध्यम या निकृष्ट समझना चाहिये । राजा को चाहिये कि वह प्रामाणिक सत्यवादी आत लोگوँ से उनके निवासस्थान तथा आर्थिक स्थिति का, समान विद्यावालों से उनकी योग्यता तथा शास्त्र प्रवेश का, नये नये कामों से उनकी बुद्धि स्मृति तथा चतुरता का, व्याख्यान से उनकी वाक्पटुता, बुद्धि तथा प्रतिभा का, आपत्तियों से उनके उत्साह, प्रभाव तथा क्लेश सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता तथा दृढ़भक्ति का, पड़ोसियों से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा अचापल्य का, और स्वयं उनकी मीठी वाणी तथा प्रीति (अवैरित्व) का ज्ञान प्राप्त करे । राजा के कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद से दो प्रकार के हैं । प्रत्यक्ष वह हैं जो कि स्वयं देखे जाय और परोक्ष वह हैं जो कि दूसरों से पूछे जाय । किये हुए काम से न किये हुए काम का अनुमान करना ही अनुमेय है । एक समय में एक ही काम किया जा सकता है । कामों के अनेक तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से परोक्ष कामों को अमात्यों से करवाये ।

ऐसे मनुष्य को पुरोहित नियुक्त किया जाय जो क्रमशः उन्नति करते हुए परिवार में पैदा हुआ हो, सांग वेद, ज्योतिष (दैवशास्त्र, मुहूर्त शास्त्र) तथा दंडनीति में पारंगत हो और अथर्ववेद में बताये हुए तरीकों से विघ्नों को शांत करने में समर्थ हो । जैसे आचार्य

के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे भृत्य चलता है वैसे ही पुरोहित के कहने के पीछे राजा चले।

जो राजा, शास्त्रों की आज्ञा रूपी हथियारों से सुसज्जित होकर तथा ब्राह्मणों से उत्तेजना प्राप्त कर मन्त्रियों की सलाह के अनुसार चलता है वह अजेय से अजेय वस्तु को जीत लेता है।

६. प्रकरण।

भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई तथा खोट की परीक्षा।

अमात्यों को भिन्न भिन्न राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के बाद मंत्री तथा पुरोहित से दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों से उनके हृदय की सफाई की परीक्षा ले। बनावटी तौर पर पुरोहित को अछूतों के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिये कहे। जब वह निषेध करे तो उसको पुरोहिताई से जुदा कर दे। इसके बाद पुरोहित सत्री लोगों के द्वारा एक एक अमात्य को छिपेरूप से कसम के साथ कहवाये कि "यह राजा अधार्मिक है। इसके स्थानपर ऐसे ही कुलीन, अकेले ही शासन में समर्थ, कैदमें पड़े, अमुक सामन्त, जंगल स्वामी या समर्थ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाय तो तुमको पसन्द होगा वा नहीं। अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है"। यदि वह इस प्रस्ताव का समर्थन न करे तो उनको धर्म-कसौटी पर खरा उतरा समझा जाय।

सेनापति दिखावे में पदच्युत किया जाकर सत्री लोगों के द्वारा अमात्यों को राजा के नाश करने में धन का प्रलोभन दे और कहे कि "सब को तो यह पसंद है तुम्हारी क्या संमति है"। यदि वह निषेध करे तो उनको "अर्थ परीक्षा" में उत्तीर्ण माना जाय।

अंतःपुर में लब्धविश्वास तथा लब्धप्रतिष्ठ परिव्राजिका (खुफियापुलिस का एक भेद) या संन्यासिन महामात्र लोगों के पास पहुंचे और कहे कि "पटरानी तुमको चाहती है। समागम का संपूर्ण

प्रबन्ध है । धन भी अधिक मिलेगा" । यदि उन्होंने निषेध कर दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समझा जाय ।

जब कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सैर करने के लिये बुलावे तो राजा घबड़ाहट तथा उद्वेग दिखाकर उनको कैद करदे । पहिले से ही कैद में रख छोड़ा कापटिक छात्र (खुफिया पुलिस का एक भेद) संपत्ति तथा इज्जत से रहित किये गये उन लोगों को एक एक करके भड़कावे कि "यह राजा बहुत ही बुरा है । इसको मारकर अन्य किसी को राजा क्यों न बनाइये ? सबको मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है ?," यदि वह राजी न हों तो उनको भय-कसौटी में भी कसा माना जाय ।

जो लोग धर्म परीक्षा में खरे उतरें उनको धर्मस्थाय (दीवानी कचहरी) तथा कंटक शोधन (फौजदारी कचहरी) संबंधी कामों में नियुक्त किया जाय, अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों को समाहर्ता (टैक्स कलक्टर) तथा सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर रखा जाय । काम-परीक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तथा अन्तरीय उद्यानों तथा विलास स्थानों (विहार) का प्रबंध कर्त्ता चुना जाय । इसी प्रकार भय-परीक्षा में जो अच्छे निकलें उनको राजा का शरीर रक्षक तथा समीप वर्त्ती बनाया जाय । जो सभी परीक्षाओं में खरे उतरें और किसी में भी तनिक सी भी आंच न खाये हों उनको मन्त्री और जो सभी परीक्षाओं में कच्चे निकल हों उनको खान, जंगल, हाथी वन तथा तत्संबंधी व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाय ।

पुराने आचार्यों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा भय की कसौटी पर खरे उतरे लोगों को भिन्न भिन्न कामों का आमात्य नियत किया जाय । कौटिल्य की संमति है कि अमात्यों की परीक्षा करने के लिये राजा अपना तथा पटरानी का प्रयोग कभी भी न करे । स्वच्छ निर्मल पानी में जहर न मिलावे । क्यों कि बहुत संभव है कि बिगड़े का फिर इलाज न हो सके । भिन्न २ उपायों से एक बार चित्त वृत्ति बिगड़ी बहुधा फिर नहीं सुधरती । इसलिये किसी बाहरी बातको साधन तथा बहाना बनाकर राजा सभी लोगों के द्वारा अमात्यों की सफाई तथा खोट की परीक्षा करे ।

७. प्रकरण ।

खुफिया पुलिस की नियुक्ति ।

भिन्न भिन्न तरीकों से अमात्याँ, कौी परीक्षा लेने के बाद, खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जाया। खुफिया पुलिस के १ कापटिक, २ उदास्थित, ३ गृहपतिक, ४ वैदेहक, ५ तापस, ६ सर्वा, ७ तीक्ष्ण, ८ रसद तथा ९ भिक्षुकी आदि अनेक विभाग हैं।

१. दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुरजे विद्यार्थी के भेस में रहने वाले खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र है। मन्त्री उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि "तुमको राजाकी और मेरी कसम है। तुम जिस किसी का नुकसान होता देखो, शीघ्रही मुझको बताओ"।

२. बुद्धिमान् सदाचारी उदासी संन्यासी के भेस में रहने वाले खुफिया का नाम उदास्थित है। वह बहुत से विद्यार्थियों तथा रुपयों को अपने साथ लेकर कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। जो कुछ पैदा हो उससे सबके सब उदासी संन्यासियों के खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का प्रबंध करे। नौकरी पर जाने वालों को यह कहकर इधर उधर भेजदे कि "इसी भेस में रहो और राजाका काम करो। तनखाह के समय उपस्थित हो जाना"। सभी उदासी अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग की आशा दें।

३. बुद्धिमान् सदाचारी गरीब तथा बेकार गृहस्थ किसान के भेस में रहने वाले खुफिया का नाम गृहपतिक है। वह खेती तथा उद्योग धंधों के कामों को करते हुए शेष काम पूर्ववत् करें।


४. बुद्धिमान् सदाचारी तथा गरीब बनिये के भेस में खुफिया का काम करने वाले लोग वैदेह (व्यापारी) नाम से पुकारे जाते हैं। वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्ववत् करें।

५. सिर मुंडे या जटाधारी के भेस में सरकारी काम करने वाले तापस (तपस्वी) कहाते हैं। वह बहुत से सिर मुंडे तथा जटाधारी

शिष्यों को लेकर शहर के पास बस जावें और महीने या दो महीने बाद प्रकाशरूपसे थोड़ा सा शाक तथा एक मुट्ठी जौ खावें । परंतु अप्रकाश रूप से भरोपेट खालिया करें । वैदेहक तथा उनके अनुचर उनपर भारी चढ़ावा चढ़ावें । शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी सिद्ध और अलौकिक शक्ति वंपन्न हैं । हाथ देकर तथा शिष्य लोगों को इशारा देकर आये हुए कुलीन लोगों को बतावे कि "कौन कौन सा काम किसके हाथ में है ? कहां घाटा है ? तथा कहां अन्न लगने की संभावना है । घोरका खतरा है और कौन सा राजा का विरोधी मारा जायगा तथा राजा किन २ आदमियों को पुरस्कार देगा, विदेशमें क्या होगा । यह आज और यह कल होगा और राजा यह करेगा" । इत्यादि इत्यादि । सबी लोग तपस्वी के कहने को प्रमाणों से ठीक प्रकट करें ।

उपरि लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकटकरे कि कौन सा मन्त्री किस कामपर बदला जायगा और किस दूरदर्शी बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्तिको राजा की ओर से पुरस्कार मिलेगा । मन्त्री लोग, उसकी भविष्यद्वाणी के अनुसार ही लोगों को तनखाह तथा काम दें । जो लोग किसी कारण से नाराज हैं उनको धन तथा इज्जत से शान्त करें और वे कारण नाराज तथा राजा के अहित करने वाले लोगों को छिपा दंड (तूर्ण्णी दण्ड) दें ।

धन तथा इज्जत से पूजे गये उपरिलिखित पांचों प्रकार के खुफिया लोग राजकर्मचारियों की सफाई तथा खोट को जानने की कोशिश करते रहें ।



८. प्रकरण

खुफियापुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध



राज्य से खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जो अनाथ (६) साधारण विज्ञान (लक्षण ?), हाथ देखना (अंग विद्या), मुंह में से गोला तथा आग निकालना (जंभक विद्या), जादूगरी, भिन्न भिन्न आश्रमों


के धर्म बताने के खातिर फलितज्योतिष (अन्तरचक्र), तथा दूसरों के साथ मिलने जुलने संबंधी काम (संस्मर्ग विद्या) को सीखें वह सूत्री नाम से पुकारे जाय। (७) जो शूर निडर (त्यक्तात्मा), तथा रुपये के खातिर हाथी शेर लड़ाई वाले हों उनको तीक्ष्ण तथा (८) जो बन्धु बान्धवों से निःस्नेह (प्रेम रहित), क्रूर तथा आलसी हों उनको रसद (जहर देने वाला) नियत किया जाय। (९) अन्तःपुर में आदर सत्कार पाने वाली, बातूनी, नौकरी तलाश करने वाली दरिद्र विधवा ब्राह्मणी को परिव्राजिका (संन्यासिन के वेपमें खुफिया का काम करने वाली), बनाया जाय और वह महामात्र (राजमन्त्री अमात्य आदि) लोगों के घरों में आया जाया करे। मुंडा (सिर मुंडी औरत) तथा वृषली (दासी के वेपमें खुफिया) के का भी इसी प्रकार समझने चाहिये। भिन्न भिन्न देशों के फैशन, बोली, कारीगरी, कुलीनों का रहन सहन तथा रीतिरिवाज को पूर्णरूप से जानने वाले, राजभक्त तथा कार्यपटु शक्ति शाली लोगों को राजा अपने ही देश में, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ड्यौदीदार, अन्तःपुर-रक्षक, कलकटर, कोषाध्यक्ष, कमिश्नर, हवालदार, नगराध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, व्यवसायाध्यक्ष, मन्त्री सभा, अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमारक्षक तथा जंगल रक्षक आदि आदि राज्य कर्मचारियों के देखरेख के लिये खुफिया रूप से नियुक्त करे। यह लोग बाहर कहां आते जाते हैं और किनसे मिलते जुलते हैं इस बात का छाता, अंतरदान तथा गुलाब पाश (भृंगार), पंखा, खडाऊ आसन, गाड़ी घोड़ा पकड़ने वाले तीक्ष्ण लोग जांच पड़ताल करते रहें। इन लोगों से जो कुछ समाचार मिले उसको सूत्री लोग (खुफिया पुलिस) अपने अपने विभागों (संस्था) में पहुंचा दें। सूद (दाल बताने वाला) पांचक (अराळिक), स्नापक (नहवाने वाला), कहार, आस्तरक (बिछौना बिछौने वाला), नाई, प्रसाधक (गुलाब पाश छिड़कने वाला या इतर लगाने वाला), उदक परिचारक (पानी भरने वाला) के रूप में रसद लोग, तथा कुबड़े, बौने किरात (बदसूरत जंगली या काले लोग), गुंगे, बहरे, बेवकुफ, तथा अंधे के भेस में नट, नर्तक, गवैश्ये बजैश्ये, भांड तथा चारण (प्रशंसा में कविता करने वाले) लोग और खुफिया औरतें उपरि

लिखित राज्याधिकारियों के अन्दरूनी हाल तथा समाचार को जाने और खुफिया भिखमंगियों (भिचुका) के द्वारा अपने विभाग को असली हाल पहुंचा दें ।

भिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकर्त्ता (अन्तःवासी) गुप्त लिपि तथा इशारों से ही खुफिया को इधर उधर भेजें । खुफिया तथा उनके विभाग एक दूसरे को न जानने पावें । जहां खुफिया भिखमंगी की पहुंच न हो वहां भिन्न २ झौड़ीदार आरस में माता पिता का ढोंग रचकर या करीगरिन, गवईन तथा दासी गीत, वाद्य (बाजा) बर्त्तन (भांड) गुप्तलिख तथा इशारों से अन्दरूनी समाचार बाहर पहुंचादे या सख्त बीमारी दर्द या पागलपन का बहाना बनाकर या आग लगाकर, जहर देकर चुपे से बाहर निकल जाय । तीन विभागों का समाचार यदि एक सदृश हो तो उसको सत्य समझा जाय । परन्तु यदि समाचार बारंबार भिन्न भिन्न मिले तो उससे संबंध रखने वाले खुफिया को तृष्णी दण्ड (छिपे छिपे पिटवाना मरवाना आदि दंड) दिया जाय या नौकरी से बरखास्त कर दिया जाय । कंटक शोधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगों का जिक्र है उनको अपनी ओर से तनखाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बसाया जाय । यदि इस में चोरों से बचाने का मामला हो तो उनको दोनों ओर से तनखाह मिले ।

वह लोग, जिनकी स्त्री तथा बाल बच्चों को राजाने अपने आश्रय रखा है, दोनों रियासतों से तनखाह पावें । उनको दुश्मन का भेजा हुआ मानकर, उसीके सदृश काम करने वाले लोगों के द्वारा उनके दिलकी सफाई की परीक्षा की जाय । इस प्रकार शत्रु, मित्र तथा साधारण लोगों के पीछे खुफिया पुलिस लगायी जाय । उदासीन लोगों को तथा अद्वारहवों राजकीय विभागों को (तीर्थ) भी इनसे मुक्त न किया जाय । घर में तथा अन्तःपुरमें, कुबड़े बाने, पाखंडी, नाचरंग आदि जानने वाली औरतें, गूंगे तथा भिन्न भिन्न सुरत शकल वाले मलेच्छू लोग, किलों के अन्दर बनिये व्यापारी किलों के बाहर सिद्ध तथा तपस्वी, गवईगांव में किसान सीमा प्रान्त में ग्वाले गड़रिये, जंगल में बनैले, जंगली तथा भ्रमण लोग

शत्रु की गति तथा कार्य को जानने के लिये खुफिया का काम करें। शत्रु के भेजे गुप्तचरों को स्वराष्ट्र के गुप्त चर पता लगावें। गुप्तचरों तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने वाला विभाग प्रकाश्य (अगूढ़) तथा अप्रकाश्य (गूढ़) दो भेदका है। भिन्न भिन्न तरीकों तथा युक्तियों से जिनकी राजभक्ति की परीक्षा की जाचुकी है ऐसे लोगों को शत्रुके गुप्तचरों तथा खुफिया लोगों का पता लगाने के लिये राष्ट्रके अंतमें बसाया जाय।*



९. प्रकरण

अपने देशमें शत्रुओं के वशमें आने वाले तथा न आने वाले लोगों के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण।



गुप्तचर विभाग का प्रबंध तथा महामात्यों के पीछे खुफिया का प्रयोग कर चुकने के बाद राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों के पीछे


* पिछले वाक्य का भाषान्तर करते हुए डाक्टर शामशास्त्री ने “अकृत्य” का अर्थ “राजद्रोही या दुश्मनी का काम करने वाला” (those chiefs whose inimical design has been found out) यह अर्थ दिया है। वस्तुतः इस शब्द का अर्थ “राजभक्त” है। कौटिल्य ने “हृत्य” शब्द देशद्रोहियों के लिये और अकृत्य शब्द राजभक्तों के लिये प्रयोग किया है। दृष्टान्त स्वरूप “कृत्य” का तात्पर्य वह आगे चलकर “कदलुब्धभीतायमानिनस्तुपरेषां कृत्याः” इस वाक्य से स्पष्ट करता है। कृत्य का अर्थ दुश्मन के काबू में आजाने वाला या जिसपर दुश्मन क पड़यंत्र चल सके और फँके जासक। इसी प्रकार “तेषां मुगडजटिलव्यवज्जनैर्यो यद्भक्तिः कृत्यपक्षीय” इस में कृत्यपक्षीय का तात्पर्य उन लोगों से है जो कि शत्रु के पड़यंत्र में फँस सकते हों। यही कारण है कि पिछले वाक्य का अर्थ सर्वथा बदलना पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि डाक्टर शाम शास्त्रीने “लभेत सामद्रानाभ्यां कृत्यान् च परमुमिषु, अकृत्यान् भेददंडाभ्यां परदोषांश्च दर्शयेत्” इसमें भी कृत्य तथा अकृत्य शब्दों के अर्थ को न समझकर गड़बड़ कर दी है। आपने कृत्य का अर्थ शत्रु राजा के प्रति राजभक्त (Friends of a Foreign King) और अकृत्य का अर्थ भी “शत्रु राजा के प्रति दृढ़ रूप से राजभक्त” [implacable enemies] कर दिया है इस से श्लोक का अर्थ बहुत ही भरा हो गया है।

भी उनको लगावे । तीर्थ, सभा, शाला, व्यापारीय व्यावसायिकसंघ (पूग) तथा भीड़ में पहुंचकर खुफिया पुलिस के दो आदमी आपस में झगड़ने लगें और कहें कि—सुनते तो यह हैं कि यह राजा सर्व गुण युक्त है । परंतु हमको तो इसका कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता है । यह नागरिकों तथा ग्रामोणों को राज्य दंड तथा टैक्स (कर) से बहुत ही अधिक सर्ताता है । वहां पर जो लोग राजाकी प्रशंसा करें, उनके विरुद्ध दूसरा बोले और उसका भी यह कहकर विरोध किया जाय कि—आपसमें मात्स्य न्याय, या बली दुर्बलन्याय (एक दूसरेको सताना । बली का दुर्बलों को तंग करना) के प्रचलित होने पर लोगों ने वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया । उसको हिस्सेमें धान्य का छुटाभाग व्यापारीय द्रव्यका दसवां भाग और सोना देना स्वीकृत किया । उसी को लेकर राजा प्रजा का कल्याण (योगक्षेम) करते हैं । जो लोग टैक्स नहीं देते हैं और राज्यदंड से बचते हैं उनपर प्रजाके अहितकरने का पाप चढ़ता है । यही कारण है कि जंगल में रहने वाले तपस्वी लोगभी अवशिष्ट तथा बचे खुचे अन्न (उच्छ्र) का छुटा भाग यह सोचकर राजाको देते हैं कि यह उसीका भाग है जो कि हमारी रक्षा करता है । राजा इन्द्र तथा यम के दूसरेरूप हैं । इनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है । जो लोग राजाका अपमान करते हैं उनको ईश्वरभी दंड देता है । इसलिये राजाओंका अपमान न करना चाहिये । इसदंगपर खुफिया पुलिस के लोग छोटे मोटे लोगों को राज-विद्रोह से रोकें तथा राष्ट्रमें जो किंवदन्तियां प्रचलित हों उनको जानें ।

जो लोग राजा के धान्य पशु तथा संपत्ति की रक्षा करते हैं, या उसको इन चीजों के द्वारा सहायता पहुंचाते हैं, सुख दुःखमें कुपित राष्ट्र तथा बंधुको दूर रखते हैं तथा दुश्मनों या जांगलिकों का देश पर आक्रमण करने से रोकते हैं उनकी खुशी तथा नाखुशीको सिर-घुटे या जटा धारी वैरागीके भेसमें खुफिया पुलिस के लोग पता लगावें । जो लोग खुश हों उनपर विशेष रूपा की जाय । नाराज लोगों को पुरस्कार देकर या समझा बुझाकर प्रसन्न किया जाय ।

यदि इसपर भी वह नाराज़ रहें तो उनको सामन्त, आटविक या देश-बहिष्कृत राजकुमार या कुलीन से लड़ा दिया जाय । इसपर भी यदि वह शान्त न हों तो उनको राज्यकर इकट्ठा करने वाला या राज्यदंड देनेवाला बनाकर लोगों को उनसे कष्ट कर दिया जाय । इसके बाद उनको गदर पर उतारू लोगों के द्वारा या चुपे से दंड दिया जाय । शत्रुओं का वह सहारा न ले सकें इस उद्देश्य से खनिज पदार्थ संबंधी कारखानों के प्रबंध करने के लिये उनको जंगलों तथा पहाड़ों में भेज दिया जाय और उनकी स्त्री तथा बाल बच्चों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया जाय ।

शत्रु, नाराज़ लोभी भयभीत तथा बेइज्जत लोगों से ही अपना काम निकालते हैं । इसलिये ज्योतिषी, शगुन बताने वाले तथा मुहूर्त निकालने वाले व्यक्ति के भेसमें खुफिया पुलिस के लोग उन का दुश्मन के साथ तथा एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जानते रहें । राजा संतुष्ट लोगों को धन तथा इज्जत से खुश रखे और असंतुष्ट लोगों को साम दान भेद तथा दंड से अपने काबू में रखे । इस ढंगपर वह अपने देशमें छोटे बड़े कृत्य (जो शत्रु के काबू में आ सकें) तथा अकृत्य लोगों को दुश्मनों की गुप्तमंत्रणा से सुरक्षित रखे ।



१०. प्रकरण ।

परदेश में कृत्य तथा अकृत्य पक्ष के लोगों को वशमें करना ।

कृत्य तथा अकृत्य पक्ष के लोगों को अपने देशमें कैसे वशमें किया जाय इसपर प्रकाश डाला जा चुका । अब शत्रु के देश विषय में ही कहा जायगा ।

वह सब लोग क्रुद्ध वर्ग में संमिलित हैं जिनको किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा या वचन देकर धोखा दिया हो, कारीगरी में या पुरस्कार में एक सदृश काम करनेपर भी बेइज्जत किया गया हो, राज

दर्बारियों ने तंग कर रखा हो, जो कि बुलाकर धुत्कारे गये हों, चिरकाल तक विदेश में रहने के कारण तकलीफ उठा चुके हों, बहुत अधिक धन खर्च करने पर भी नुकसान में हों, अपने अधिकार तथा दायित्व से वंचित हों, इज्जत तथा राज्याधिकार से च्युत किये गये हों, समान पद के लोगों तथा संबंधियों के कारण ऊपर उठने से रोके गये हों, जिन की स्त्री का अनादर किया गया हो, जिन को कैद में डाला गया हो, छिपे छिपे पिटाया या दंड दिया गया हो, पापकर्म से रोका गया हो, जिनका सर्वस्व कुड़क कर लिया गया हो, जिनको कैद में देर तक रहने के कारण कष्ट हो तथा जिनके बन्धु बान्धवों में से किसी को देश निकाला दे दिया गया हो । भीत वर्ग में उन सब लोगों को रखना चाहिये जो कि अपनी गलती से नुकसान उठा चुके हों, दूसरों के द्वारा बे इज्जत किये गये हों, जिन के पाप कर्म सबके सामने खुल गये हों, जो कि समान दोष करने वाले को दंड पाता हुआ देखकर घबड़ा गये हों, जिनकी ज़िम्मेदारी छिन गई हो, जिनको राजकीय दंड से सीधा किया गया हो, जिन्होंने भिन्न भिन्न राजकीय पदों पर पहुँचकर एकदम से बहुतसा धन बटोर लिया हो, जो कि अपने सम्बन्धी अमीर की संपत्तिको प्राप्त करने की इच्छा रखते हों, राजा के साथ द्वेष करते हों तथा जिससे राजा स्वयं नाराज हो । लुब्धवर्ग (लोभी लोग) वह लोग समझे जाने चाहिये जो कि अमीर से गरीब हो गये हों, बहुतसा धन खो चुके हों, कंजूस हों, दुर्व्यसनों में फंसे हों तथा जिन्होंने बहुत बड़े काम में हाथ डाला हो, । इसी प्रकार मानि वर्ग (इज्जत चाहने वाले लोग) में उन सब लोगों को रखना चाहिये जो कि स्वावलंबी हों, मान के इच्छुक हों, प्रतिद्वन्द्वी के आदर से चिढ़े हुए हों, जिनका नीच लोग आदर सत्कार करते हों, जो कि तीक्ष्णस्वभाव के हों, साहस के कामों में हाथ डालते हों तथा अत्यंत भोगविलास से तृप्त न हुए हों ।

मुंड (सिर मुंडे हुए) तथा जटाधारी के भेस में खुफिया जो जिस ढंग का कृत्यपद्धति (वह व्यक्ति जिसको राजा के विरुद्ध फाड़ा जा सके) हो उसको उसी ढंग की बात सुभावे । दृष्टान्त स्वरूप कदु

वर्ग को कहे कि "भदवाला हाथी जिस प्रकार जो जो रास्ते में पाता है मीज डालता है इसी प्रकार शास्त्र से विपरीत काम करने वाला यह अंधा राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों के बध करने पर उतारु होगया है, दूसरे शक्ति शाली राजा का सहारा लेकर इसके अपकार को दूर किया जासकता है। धैर्य से काम करो"। भीत वर्ग को कहा जाता सकता है कि "जिस प्रकार छिपा हुआ सांप जिससे डरता है उसी को काटता है। इसी प्रकार यह राजा तुमपर सन्देह रखता है और इसीलिये तुमपर क्रोधरूपी विष छोड़ता है, दूसरे देशमें चले जाओ"। लुब्ध वर्ग के लोगों को समझाया जाय कि "जैसे कुत्ते पालने वाले चांडालों की गउएं कुत्तों के लिये ही दूध देती हैं न कि ब्राह्मणों के लिये वैसे ही यह राजा आत्मसंमान, बुद्धि तथा वाक्य शक्ति रहित पुरुषों पर ही क्रुपा रखता है, अच्छा है कि तुम किसी दूसरे का नौकरी करलो"। इसी प्रकार मानि वर्ग को यह कहकर भड़काया जाय कि "जैसे चांडालका तालाब तथा कुआं चांडाल कोही पानीदेने के लायक है न कि औरों को। वैसे ही यह नीच राजा नीचों के लिये ही उपयोगी है न कि तुम्हारे जैसे आर्य्यों के लिये। अमुक राजा पुरुषों की विशेषताओं तथा गुणों का आदर करने वाला है। वहां ही चले जाओ"।

जो लोग खुफिया पुलिस की बातों में आ जायं उनको इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये खुफिया लोगों के साथ एक दृढ़ संघ में संगठित करे। कृत्य लोगों को दूसरे देशके अन्दर अपने साम तथा दान से वशमें करे और अकृत्य लोगों को दूसरे के दोषों को दिखाते हुए भेद तथा दंड द्वारा अपने काबू में करले।

१ 'कृत्य तथा अकृत्य' शब्द के अर्थ को ठीक ढंगपर न समझकर डा. शामशास्त्री ने इसका अर्थ गड़बड़ करदिया है। उनके अनुसार दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। वस्तुतः 'कृत्य' का अर्थ (दुरमन के फदे में शीघ्रता से फंस जाने वाला) और अकृत्य का अर्थ (दृढ़ राजभक्त) है। यही कारण है कि कौटिल्य ने अकृत्य लोगों को काबू करने का तरीका "भेद तथा दंड" दिया है। दृढ़ से दृढ़ राजभक्त, गुप्त बातों के खुलने, आपसमें लड़ाई हो जाने तथा छिपी हुई धमकियों तथा दंडों से कुछ कुछ डीले पड़जाते हैं तथा राजभक्ति परपूर्वक दृढ़ नहीं रहते। जो लोग 'कृत्य' तथा आसानी से काबू में आजाने वाले हों उनको शान्ति देना तथा धनधान्य से सहायता पहुंचाते रहना ही अभीष्ट होता है परंतु 'कृत्य तथा अकृत्य' का एकही अर्थ माननेसे श्लोक का भाव कुछ भी खुलता नहीं है। = वे प्रकरण की टिप्पणीमें इसपर विशेष रूपसे काश डाला जा चुका है।

११. प्रकरण

गुप्तविचार तथा मंत्रणा।

स्वपन्न तथा परपन्न (परराष्ट्र के निवासी) के लोगों में प्रिय होकर राजा शासन विषयक कार्यों की चिन्ता करे। गुप्तविचार तथा मंत्रणा के बाद संपूर्ण कार्य प्रारंभ किये जाय। मंत्र भवन (वह स्थान जहाँकि सलाह मशवरा किया जाय) सब ओर से सुरक्षित तथा गुप्त होना चाहिये। वहाँ से कोई भी खबर बाहर न पहुँच सके। पक्षीतक उस स्थान को न देख सकें। किंवदन्ती है कि तोता मैना कुत्ता तथा अन्य जीव जंतुओं ने मंत्र (गुप्तविचार) को दूसरों पर प्रगट कर दिया। यही कारण है कि संरक्षण तथा प्रबंध किये बिना मंत्र भवन में प्रवेश न करे। मंत्रभेदी (जो मंत्र या गुप्तविचार खोलदे) को मृत्युदंड दिया जाय। दूत, अमात्य, स्वामी लोगों के आकार तथा इशारों से मंत्रभेद (गुप्तविचार का खुलना) का अनुमान करे। दूसरी ओर ध्यान बंटने से इशारे का और चेहरे में फरक अनेपर आकार का ज्ञान होता है। जबतक काम न होजाय तबतक मंत्रमें संमिलित लोगों पर कड़ी नजर रखे। इसीसे मंत्रकी रक्षा होती है। प्रमाद (बेपरवाही), शराब, स्वप्न में बोलना तथा प्रलाप करना, काम के वश में होकर किसी स्त्रीमें फंस जाना आदि अनेक कारणों से मन्त्र खुल जाता है। बहुधा छिपे हुए स्वभाव वाले (प्रच्छन्न) दुश्मन तथा राजा द्वारा वेदजत किये गये लोग मन्त्र खोल देते हैं। अतः राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे। राजा या राज्य कर्मचारियों के द्वारा मंत्र के खुलन पर दुश्मनों को ही लाभ पहुँचता है।

यही कारण है कि भारद्वाज का मत है कि राजा आवश्यक कार्यों पर अकेला स्वयं ही विचार करे और किसी से भी सलाह न ले। क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं और उनके भी अपने। इस प्रकार मंत्रियों की लड़ी मंत्र को गुप्त नहीं रहने देती। इसलिये राजा क्या करना चाहता है यह किसी को भी न मालूम पड़े। काम

शुरू होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम होने पर ही राजा का दिलो हाल दूसरों पर खुले । विशालाक्ष का ख्याल है कि कहीं अकेले भी विचार या मंत्रसिद्धि हुई है । राजा के काम ही ऐसे हैं कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरों के देखने पर निर्भर करना पड़ता है । यह मन्त्रियों का ही काम है कि जो बात मालूम नहीं है उसका पता लगावें, जिसका ज्ञान है उसका निश्चय करें, जहां संदेह है वहां संदेह मिटावें तथा जिस बात की पूरी खबर न हो उसको पता लगावें । इसलिये राजा अपने से बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर सलाह भ्रश्वरा करे । सब की सलाह सुने । किसी की भी बात न काटे । बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की भी उपयोगी बात को काम में ले आते हैं । पराशर कहते हैं कि इस ढंगपर मन्त्र का ज्ञान तो हो सकता है परंतु उसकी रक्षा संभव नहीं है । इस लिये राजा को जो काम करना हो उसी ढंगपर मंत्रियों से पूछे । “यह कार्य है, ऐसी हालत है, यदि इसको इस प्रकार किया जाय तो क्या फल हो ?” । वह लोग जैसी सलाह दें वैसा ही करे । इस ढंगपर मन्त्र का ज्ञान तथा रक्षण दोनों ही हो जाता है । पिशुन के मत में यह भी ठीक नहीं है । मंत्री लोगों से जब ऐसे पूर्ण या अपूर्ण काम के विषय में सलाह ली जाती है जिससे उनका कोई सीधा संबंध न हो तो बड़ी बेपरवाही के साथ सलाह देते हैं और बहुधा प्रकाशित भी कर देते हैं । इसलिये जिन लोगों के साथ जिन कामों का संबंध हो उन कामों के विषय में उन्हीं से सलाह लीजाय । ऐसा करने से उचित सलाह भी मिलती है और मन्त्रकी रक्षा भी हो जाती है, कौटिल्य इससे भी सहमत नहीं है । क्योंकि वह इसमें भी गड़बड़ तथा अनवस्था की आशंका करता है । उसका विचार है कि तीन चार मन्त्रियों के साथ ही एक समय में विचार कियाजाय । एक के साथ विचार करनेपर कठिन प्रश्न हल नहीं होता । और वह भी बेलगाम होकर कामकरने लगता है । दो के साथ संमिलित रूप में विचार करने पर यदि वह दोनों आपस में मिल कर कामकरें तब तो भला है । यदि यह न हुआ तो दोनों ही आपस में झगड़कर काम बिगाड़देते हैं । तीन चार के साथ मिलकर सलाह करने में अकेलापन नहीं होता । नुकसान भी आ-

सर्ना से नहीं पहुँचता। सब काम सिद्ध होजाता है यदि चार से भी संख्या अधिक करदी जाय तो किसी एक निर्णय पर पहुँचना कठिन होता है। मंत्र रत्ना भी सुगम नहीं रहती। असली बात तो यह है कि देश समय तथा कार्य को सामने रखते हुए आवश्यकतानुसार, चाहे एक से और चाहे दोसे सलाह ले।

मंत्र या सलाह मश्वरी के पांच अंग हैं। १. कार्य कैसे प्रारंभ किया जाय? २. उसमें कितने आदमी द्रव्य तथा संपत्ति की जरूरत पड़ेगी? ३. कौन से स्थानमें किया जाय और उसमें कितना समय लगेगा? ४. जो खतरे तथा विघ्न पड़ें उनको कैसे हटाया जाय? ५. कार्य का पूर्ण होना।

राजा पृथक् पृथक् कर या एक साथ संमिलित रूप में सलाह लेसकता है। भिन्न भिन्न हेतुओं के द्वारा वह मंत्रियों की बुद्धि तथा विवेक को जानता रहे। एकनिर्णयपर पहुँचते ही कार्य के शुरू या खतम करने में तनिकसा भी विलम्ब न करे। जिनके स्वार्थ को नुकसान पहुँचता हो उनके साथ देरतक सलाह मश्वरा न करे।


मनुसंप्रदाय के विद्वानों का मत है कि मन्त्रिपरिषद् के सभ्य बारह अमात्य होने चाहियें। बृहस्पति के पक्षपाती सोलह और उशना के अनुयायी बीस अमात्य का होना आवश्यक समझते हैं। कौटिल्य का विचार है कि सामर्थ्य तथा जरूरत के अनुसार संख्या होनी चाहिये।

अमात्य लोग अपने पक्ष तथा पर-पक्ष के विषयमें विचार करें, जो काम शुरू नहीं हुआ उसको शुरू करें, जो खतम होगया उसको विशेषरूप दें, तथा भिन्न भिन्न कामों के करने की आज्ञा दें राजा समीपवर्ती राज्य कर्मचारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण करे। जो दूरदेशमें रहते हों उनसे चिट्ठी पत्री के द्वारा सलाह मश्वरा करे। इन्द्रकी मन्त्रिपरिषद्में हजार ऋषि थे। यही उसकी आंखें थे। यही कारण है कि दो आंखों वाले इन्द्रको हजार आंखों वालों के नाम से (सहस्राक्ष) पुकारते हैं। आवश्यक कार्य के आपड़ने पर मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रियों को बुलावे इसमें जो बहुसंमतिसे पासहो या कार्य सिद्ध कर(कामखतम करने वाली सलाह)सलाहदे उसीके अनु-

सार काम करे। काम करते समय राजा की गुप्त बातें दूसरा न जानने पावे जब कि वह स्वयं दूसरों के छिद्रों से जानकारी होता रहे। कछुप की तरह अपने बाहर फैले हुए अंगों को अन्दर करले। जिस प्रकार अश्रोत्रिय लोगों का श्राद्ध सज्जन लोग नहीं खाते उसी प्रकार शास्त्र तथा उसके अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति राजा के सलाह मन्त्रियों के लायक नहीं हैं।

१२. प्रकरण।

दूत का प्रयोग तथा प्रबंध।



सलाह देने में चतुर व्यक्ति ही दूत होता है। जो अमात्य के गुणों से युक्त हो उसको राज्य कार्य्य सुपुर्द किया जाय (निसृष्टार्थ)। जो एक चौथाई गुण हीन हो उसको (परिमितार्थ) सहायक मन्त्री या प्राइवेड सैक्रेटरी बनाया जाय। आधे गुणों से रहित व्यक्ति को आज्ञा पत्र (शासन हर) ले जाने वाला नियुक्त किया जाय।

घोड़े गाड़ी तथा चबरासी का समुचित प्रबंध कर दूत राजा के काम पर जावे और मार्ग में सोचता जावे कि "राजा की आज्ञा को इस ढंगपर सुनाना है, यदि वह इसका उत्तर यह देवे तो इस का प्रत्युत्तर यह देना है और इस प्रकार संपूर्ण मामला सुलझा देना है"। साथ ही शत्रु के जंगल रक्षक (अटवी), सीमा रक्षक (अन्त-पाल), शहर तथा गांव के मुखिया से मिलता जुलता जावे। अपनी तथा दुश्मन की सेना, छावनी, लड़ाई का मैदान, किले आदि पर भी दृष्टि डालता जावे। किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा है? कितनी अधिक शक्ति है? रक्षा का कैसा प्रबंध है? कमजोरी कहां पर है? इत्यादि संपूर्ण बातों का पता लगा लेवे। आज्ञा लेकर दुश्मन की राजधानी में प्रवेश करे। राजा ने जो बात कही हो वही कहे। चाहे जान जाने का खतरा क्यों न हो?। मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीठी वाणी, कुशल क्षेम पूछना, बड़ाई तथा प्रशंसा में भाग लेना, समीप में आसन देना, सत्कार करना, इष्ट लोगों का स्मरण करना, विश्वास करना आदि चिन्हों से दुश्मन राजा की प्रसन्नता तथा संतोष का

और विपरीत चिन्हों से विपरीत दशाका अनुमान करे । असंतुष्ट देखकर उसको कहे कि “चाहे आप हों और चाहे दूसरा हो, राजाओं का एक दूसरे के साथ बात चीत करना इनके ही सहारे ही है । तलवार खींच चुकने पर भी यदि कोई पास का रहने वाला यथोक्त बात कहे तो उसको न मारना चाहिये ब्राह्मण की तो बात क्या कहनी है । दूसरे ने यह बात कही है । यह तो दूत का धर्म है” । जबतक बिदा न किया जाय तबतक दुश्मन के यहां ही रहे । बहुत आदर सत्कार पाकर फूल न जाय । शत्रु राजा को कभी भी शक्तिशाली न समझे । बुरी बात भी यदि कही जाय तो सहले । स्त्री तथा शराब के फंदे में न फंसे । अकेला सोवे । क्यों कि सोये हुए तथा शराब में मस्त लोग अन्दरूनी बात खोल देते हैं, तपस्वी तथा दुकानदार के भेस में गये हुए खुफिया लोगों से, या उनके पास रहने वालों तथा दोनों ओर से तनखाह पाने वाले वैद्य तथा वैरागी के भेस में मौजूद अपने आदमियों से अपने पक्ष के लोगों का, विपक्ष के लोगों को फाड़ने के तरीकों का, राजा से प्रजा का अनुराग तथा प्रकोप का और प्रजा की कमजोरियों का हाल पूछें । यदि इस बात का माँका न मिले तो भिखमंगों, शराबियों, सोये हुए लोगों के प्रलापों से तथा तीर्थ, मन्दिर, घर के चित्र, गुप्त लेख आदिसे खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान प्राप्त कर और इनके द्वारा शत्रु के षड्यन्त्रों को समझ लेवे । शत्रु राजा के कहने पर भी अपनी शक्ति का उसको भाँफ न दे और यही कहे कि “आप तो सब जानते ही हैं” । उसके अपने राजाने काम सिद्ध करने के लिये जो जो तराँके किये हों उसका उसको तनिकसा भी पता न देवे जिस काम के लिये वह भेजा गया हो यदि वह काम पूरा न हुआ हो और इसपर भी उसको लाँटने के लिये आशा न मिली हो तो इस बात का पता लेकर—क्या यह मेरे मालिक पर आने वाली तकलीफ की प्रतीक्षा कर रहा है ? या अपनी कमजोरी तथा विपत्ति को दूर कर रहा है ? क्या यह अड़ोस पड़ोस की रियासतों को या प्रजा को मेरे मालिक के विरुद्ध भड़काना चाहता है ? कहीं हमारे मित्र राष्ट्र को साथ की दुश्मन रियासतों से नष्ट तो नहीं करना चाहता है ? अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के आक्रमण, प्रजा का

विद्रोह, तथा जंगलियों की गड़बड़ को तो दूर नहीं कर रहा है? कहीं हमारे मालिक के सफल हुए हुए आक्रमण को तो निरर्थक नहीं करना चाहता है? कहीं अनाज, जांगलिकपदार्थ तथा व्यापारीय द्रव्यों का संग्रह, किले बन्दी तथा सेना का संग्रह तो नहीं कर रहा है? कहीं अपनी सेना के शिक्षित होने का समय तथा मौका तो नहीं देख रहा है? कहीं अपने प्रगल्भ तथा पराजय के कारण जो यह घृणित तथा संमान रहित संधि कानी पड़ रही है उससे बचने के लिये तो नहीं रोकरहा है?—वहाँपर रहे या चुपे से भाग आवे। या उसको कहे कि शीघ्र ही मामला तय करदीजिये। दुश्मन को अपने मालिक की सख्त तथा अप्रिय आज्ञा सुनाकर और यह कहकर कि मुझको कैद तथा मृत्यु दंड का भय है शीघ्र ही लौट आवे नहीं तो उसको दंड मिले।

समाचार तथा पत्र का भेजना, संधि का पालन करवाना, मित्रोंका संग्रह करना पड़्यत्र रचना, मित्रों को फाड़ना, कैदियों का भगाना या गुप्तरूप से सेना एकत्रित करना, हीरे तथा संबंधियों को चुरालेना, खुफिया पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, संधिभंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना इत्यादि इन के काम हैं। इनकामों को राजा अपने दूतों के द्वारा करवाये और प्रकट तथा अप्रकट पहरेदारों और प्रतिदूत तथा खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दूतों से अपने आपको बचावे।

१३ प्रकरण ।

राजकुमार की रक्षा ।

स्त्रियों तथा बच्चों से अपनी रक्षा करने के बाद ही राजा निकट वर्त्ती लोगों तथा बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। 'स्त्रियों से रक्षा' पर, 'अंतःपुर का प्रबंध' नामक प्रकरणमें प्रकाश डाला जायगा। राजकुमारों की रक्षा उनके पैदा होने के बाद से ही शुरू की जाय। राजकुमार केकड़ों की तरह अपनेही पैदा करने वालों को खाजाते हैं। यही कारण है कि भारद्वाज का मत है कि जो राजकुमार पिता के साथ प्रेम न रखे उसको गुप्तरूप से दंड

दिया जाय या मरवा दिया जाय । विशालाक्ष इसकाम को क्रूर तथा नृशंस समझते हैं । उनका ख्याल है कि इससे भविष्य का नाश तथा क्षत्रिय वंश का लोप होना संभव है । इसलिये उनको किसी एक स्थान में पहिरे के अन्दर रखा जाय । पराशर संप्रदाय के विद्वान् इसमें 'सांप का भय' देखते हैं । क्योंकि बहुत संभव है कि राजकुमार यह समझकर कि पिता मेरी शक्ति तथा पराक्रम के डरसे मुझको पहिरे में रखता है, मौका पाते ही उसको काटले तथा मारदे । इसलिये उचित यह है कि राजकुमार को अन्तःपाल (सीमाप्रान्त का रक्षक) के पहिरे में या दुर्ग में रखे । पिशुन इसमें भेड़िये का भय' समझते हैं । क्योंकि राजकुमार बंदिश में रखे जाने के कारणों को जानकर अन्तपाल को ही अपना दोस्त बना सकता है । इसलिये उसका अपने देश से दूर रहने वाले आधीन राजा के किले में रखा जाय । कौणपदंत इसको गइया के बछड़े के तुल्य मानते हैं । जिसप्रकार बछड़ा दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता है उसीप्रकार आधीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुहेंगे । इसलिये उस का मामा के घर रहना ही ठीक है । वातव्याधि के ख्यालमें यह तो "भंडी वाला मामला" है । अदिति तथा कौशिक के मामा के घर के लोग राजकुमार के नाम पर भंडा फहराते इधर उधर से भीख मांगकर धन इकट्ठा करते थे । इसलिये उसको ग्राम्य काममें लगावे । तकलीफ में पले बच्चे पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखते । कौटिल्य के विचार में यह तो जीते जी मरना है । क्योंकि जिस राजकुल में लड़के उचित शिक्षा नहीं पाते वह घुनी लकड़ी की तरह भार पड़ते ही चूर चूर हो जाता है और नाशको प्राप्त होता है । इसलिये राज-महिषी के अनुधर्म होते ही पुरोहित तथा याज्ञिक इन्द्र बृहस्पति संबंधी चरु (यज्ञमें एक खास प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है) से हवन करें । उसके गर्भवता होने पर दाई तथा वैद्य के अनुसार उसको भोजन दें तथा बच्चा पैदा करवायें । बच्चा पैदा होने पर, पुत्रका संस्कार पुरोहित करें । जब वह बड़ा होतो विद्वान् लोग उसको पढ़ावें लिखावें ।

आंभीय नामक रत्ननीतिज्ञों का मत है कि खुफिया पुलिस के लोग इसको शिकार, जुआ शराब तथा स्त्रियों का प्रलोभन दें । "पिता

पर आक्रमण कर राज्य लेलेओ" जब एक यह कहे तो दूसरा उस को इस काम से रोके । कौटिल्य इस ढंग से राजकुमार को शिक्षा देना बहुत ही हानिकर समझते हैं । क्योंकि छोटे बच्चे को जो जो बात सिखाओ वही सीखता है । उसीको शास्त्रोपदेश समझता है । इसलिये उसको धर्म तथा अर्थ संबंधी शिक्षा दी जाय । अधर्म तथा अनर्थ का पाठ न पढ़ाया जाय । खुफिया पुलिस के लोग उस को "हम तुमारे ही हैं" यह कहकर ही उसका पालन पोषण करें । जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरों की औरतों पर मन चलावे तो आर्य्य औरतों के भेसमें बदमाश अपवित्र औरतें रातको उसको तंगकरें । यदि वह शराब पीने की और भुकेतो उसको बहुत ही तेज नशा (योगपान) पिलाकर सदाके लिये उसओर से घबडायें । इसी प्रकार यदि वह जुए की ओर भुके तो बेईमान बदमाश के भेसमें और यदि शिकार की ओर भुके तो डाकू लुटेरे के भेसमें खुफिया पुलिस के लोग उसको परेशान करें । यदि वह पिता के विरुद्ध आचरण करे तो यह लोग उसके पेटमें घुस कर तथा उस के दोस्त बनकर उसको ऐसा करने से रोक दें । उसको समझावें कि "राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती । यदि तुम पकड़े गये तो तुमको फांसी चढ़ना पड़ेगा । यदि तुम पिता के मारने में सफल होगये तो तुमको नरक मिलेगा । प्रजा भी पुराने राजा के लिये रोवेगी । संभव है कि तुमको कोई इकल्ला दुकल्ला पाकर मार भी देवे" । इकलौते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन में रखे । यदि बहुत लड़के होंतो विरक्त लड़के को राष्ट्रके अंत में या ऐसे दूसरे राष्ट्र के राजा के पास भेजदे जिसके लड़का न हो और न इसकी संभावना ही हो । जो लड़का समझदार तथा योग्य हो उसको सेनापति या युवराज बनाया जाय । कुछ लड़के बचपन से ही बुद्धिमान कुछ दुर्बुद्धि, तथा कुछ आहार्यबुद्धि होते हैं । बुद्धिमान वही हैं जो कि पढ़ाने पर धर्मार्थ समझ लें और उसके अनुसार काम भी करना शुरू कर दें । जो समझलें परन्तु उस के अनुसार काम न करें उनको आहार्यबुद्धि समझना चाहिये । दुर्बुद्धि वह हैं जो कि बुरे काम करें तथा धर्मार्थ से द्वेष रखें । यदि इकलौता लड़का ही दुर्बुद्धि होतो दूसरे लड़के की उत्पत्तिमें यत्नकिया

जाय। यदि यह संभव नहो तो लड़की के लड़कों पर भरोसा रखा जाय। राजा बीमार हो या बुढ़ा हो तो मामा, गुणवान् सामंत (आधीन राजा) तथा कुलीन इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्री का नियोग करवाये तथा पुत्र उत्पन्न करे। परंतु अशिक्षित बदमाश इकलौते लड़के को राज्यपर कभी भी न बैठावे।

पिता बहुतां का ख्याल रखते हुए पुत्र का ही हित करे। यदि कोई खतरा न हो तो बड़े लड़के को ही राज गद्दी पर बैठावे। कुल का भी संमिलित राज्य हो सकता है। इसमें अराजकता का भय नहीं रहता तथा स्थिरता रहती है और शत्रु इसपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।

१४ तथा १५. प्रकरण।

बंधन में पड़े राजकुमार का कर्तव्य



तकलीफ में तथा अपने से भारी काम में पड़कर राजकुमार पिता की आज्ञा के अनुसार तबतक काम करता जाय जबतक कि जान जाने का, जनता के कुपित होने का तथा भयंकर विपत्ति आ पड़ने का खतरा न हो। पुण्य काम में यदि उसको लगाया गया हो तो वह अपने से ऊपर काम करने वाले अध्यक्ष की कृपा तथा अनुग्रह की याचना करता रहे। जो बात वह करने के लिये कहें उसको विशेष रूपसे करे। कर्म के अनुसार फल लेते हुए विशेष लाभ पिता के पास पहुंचावे। यदि इसपर भी पिता असंतुष्ट रहे तथा अन्य लड़कों तथा स्त्रियों में विशेषरूप से स्नेह रखे तो जंगल में जानेके लिये आज्ञा मांगे। यदि उसको कैद में पड़ने या जानका भय हो तो जो सामन्त उसको न्यायवृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, सीधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणियों का आश्रयदाता मालूम पड़े उसके यहां चला जावे। वहां पर रहकर धन शस्त्रास्त्र से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शादी करले, जंगल के अध्यक्षा से दोस्ती बना लेवे और अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा करे। यदि अकेला ही हो तो सोना, हीरा पन्ना, चांदी,

व्यापारीय द्रव्य आदि के खानों तथा कारखानों में काम करना शुरू करे और उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे। पाखंडियों तथा कंपनियों के धन को, या अश्रोत्रिय लोगों के अयोग्य मंदिरों की संपत्तिको या किसी अच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके रुपये पैसे को या समुद्रके व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको अपने हाथ में करले या ऐसे तरीके काम में लावे जिससे सुगमता से ही दुश्मन के गांवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाय। पिता के विरुद्ध मामा के घर के नौकरों से भी सहारा लिया जासकता है। कारीगर, शिल्पी, चारण, वैद्य, भांड, वैरागी के भेस में और ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से अंतःपुर में जहर तथा हथियार लेकर घुस जाय और राजा से कहे कि “हम वही राजकुमार हैं। अकेले अकेले ही राज्य का भोग करना उचित नहीं है। दुग्ने अलाउंस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता” इस ढंग के उपाय बंधन में जकड़े राजकुमार को काम में लाने चाहियें।

राजा को चाहिये कि ऐसे सब से बड़े राज कुमार को उसकी मां या खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा पकड़वा मंगवाये। घर से निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शस्त्र से या जहर से उसको मार डाले। यदि उसको घरसे न निकालना हो तो समान गुणवाली औरतों, शराब या शिकार में फंसे हुए को रात में पकड़वाये और दरबार में उपस्थित करे और कहे कि अपने मरने के बाद आधा राज्य मैं तुम्ही को दूंगा। यदि वह इकलौता लड़का हो तो उसको किसी एक स्थान में पहरा सुपुर्द रखे और यदि उसके बहुत से भाई हों तो उसको देश से बाहर निकाल दे।

१६ प्रकरण ।

राजा का प्रबंध तथा कर्त्तव्य ।



राजा के कर्मण्य होने पर राजकर्मचारी भी कर्मण्य रहते हैं। उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी होजाते हैं। उसका काम बिगाड़ देते हैं। और दुश्मन से मिलजाते हैं। इसलिये उसको सदा

ही सावधान रहना चाहिये । वह धूप घड़ी की छाया या नालिका (११ घंटा) के अनुसार दिनरात को आठ आठ भागों में विभक्त करे । धूपघड़ी में ३६, १२, ४, तथा ०६३ के अनुसार छाया का विभाग करे और शून्य पर मध्यान्ह समझे । दिन तथा रात को आठ आठ भागों में बांटकर:—

- (१) दिनके पहिले भाग में राष्ट्र-रक्षा का प्रबंध तथा आय व्यय विषयक बातें सुने ।
- (२) दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के कार्यों का निरीक्षण करे ।
- (३) तीसरे भाग में नहाये तथा खाना खाये । और स्वाध्याय भी करे ।
- (४) चौथे भाग में उपहार डाली लेने के साथ २ अध्यक्षा की नियुक्ति करे ।
- (५) पांचवें भाग में पत्रभेजकर मन्त्रिपरिषद् को बुलावे । खुफिया लोगों से गुप्त बातें सुने ।
- (६) छठे भाग में स्वच्छन्द विहार करे या सलाह मश्वरा करे ।
- (७) सातवें भाग में हाथी घोड़ा रथ तथा पदातियों की देख रेख करे ।
- (८) आठवें भाग में सेनापति के साथ सैनिक कार्य तथा आक्रमण संबंधी विचार करे । दिन के खतम होने पर संध्या करे ।
- (१) रात के पहिले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से बात चीत करे ।
- (२) दूसरे भाग में स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय करे ।
- (३) तीसरे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही सोने के लिये कमरे में जाय और
- (४, ५) चौथे तथा पांचवें भाग तक सोवे ।
- (६) छठे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही उठे, शास्त्रका विचार करे और आवश्यक कामों के करने की विचार करे ।
- (७) सातवें भाग में सलाह मश्वरा करे और खुफिया लोगों को इधर उधर भेजे ।

(८) आठवें भागमें ऋत्विग् आचार्य्य तथा पुरोहित लोगों के साथ स्वस्त्ययन (वेदमंत्र-विशेष) पाठ करे । वैद्य, पाचक तथा ज्योतिषियों के साथ बात चीत करे । बछड़े सहित गौ बैल की प्रदक्षिणा कर राज दरबार में जावे ।

अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार रात दिनका विभाग कर काम करे । राजदरबार में पहुंच कर प्रार्थी लोगों को बहुतदेर तक ड्यौदीपर न खड़ा रखे । जो स्वयं काम नहीं देखते उनके काम में निचले लोग गड़बड़ कर देते हैं । इससे प्रजा में असंतोष फैल जाता है और शत्रुके आक्रमण की संभावना हो जाती है । इसलिये मन्दिर, आश्रम, संन्यासी तथा पाषण्ड, श्रोत्रिय तथा याज्ञिक, पशु, तीर्थ, तथा बालक, वृद्ध, बीमार, दुःखित, अनाथ तथा स्त्री आदिकों का हाल चाल स्वयं जाकर पता लगावे । जो काम आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो उसका सबसे पहिले ब्याल रखे ।

सपूर्ण आवश्यक कामों को स्वयं ही देखे तथा सुने परंतु टालने की कभी भी कोशिश न करे । क्योंकि टालने से काम कृच्छ्रसाध्य (बड़ी तकलीफ के बाद जो काम पूरा किया जा सके) आतेकाल साध्या तथा असाध्य (जो कि पूर्ण न किये जा सकें) हो जाते हैं । पुरोहित तथा आचार्य्य लोगों के साथ यज्ञशाला में पहुंचकर वैद्य तथा तपस्वी लोगों को उचित रूपसे आदर सत्कार तथा अभिवादन कर उनकी जरूरतों को जाने । त्रैविद्य लोगों (तीनों शास्त्रों में पंडित) की सलाह से तपस्वियों की जरूरतों को पूरा करे । योग तथा जादू के कामों को करने वाले लोगों की नाराजगी का कारण न बने । कार्य्य में तत्पर होना, यज्ञ करना, कार्य्य संबंधी आज्ञा तथा हुकुम देना, दानदेना, सबके साथ समान व्यवहार करना, दीक्षाप्राप्त लोगों का अभिषेक करना आदि ही राजा के काम हैं । प्रजा के सुख तथा हित में ही राजा का सुख तथा हित है । राजा का अपने स्वार्थों को पूर्ण करने में हित नहीं है । उसका हित तो प्रजा के स्वार्थों तथा प्रिय वस्तुओं को पूरा करने में ही है । इसलिये राजा को चाहिये कि सावधान तथा कर्मण्य होकर आवश्यक कामों के करने का हुकुम दे । क्योंकि कर्मण्यता ही सुख तथा समृद्धि का मूल है ।

सुस्ती तथा प्रमाद से सब कुछ नष्ट हो जाता है । जो कुछ पास है और जिसके मिलने की आशा है यह सब कुछ प्रमाद से पानी में मिल जाता है । कर्मण्यता से संपत्ति तथा आवश्यक वस्तु प्राप्त होती है और संपूर्ण प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं ।

१७ प्रकरण ।

अन्तः पुर का प्रबंध ।

गृहनिर्माण के लिये जो स्थान उत्तम हो उसमें अन्तः पुर बनाया जाय । उसमें अनेक कमरें हों और उसके चारों ओर दीवार द्वार तथा खार्ई हों । राजा के रहने का मकान कोश गृह के नकल पर निर्माण किया जाय । एक मोहन गृह बनाया जाय जिसके दीवारों में से आने जाने के लिये गुप्त मार्ग हों । राजा का वास गृह इसके मध्य में भी हो सकता है । इसी प्रकार एक महल खड़ा किया जाय और भूमि गृह तैयार किया जाय जिनके दरवाजों पर मूर्तियाँ बनी हों, दीवारों में सीढ़ियाँ लगी हों, अन्दर बाहर जाने के लिये अनेकों सुरंगें हों, सब के सब खंभे पोलें हों और उनमें आने जाने का मार्ग हो और उनकी छत कलयन्त्र से इस प्रकार रची गई हो कि आवश्यकता पड़ने पर क्षण में नीचे बैठायी जासके । इस महल में भी राजा अपना निवास गृह बना सकता है । सहाध्यायी तथा बचपन के साथी लोगों से बचने के लिये और एक दम आ पड़ने वाली विपत्ति से आत्म रक्षा करने के लिये ही उपरि लिखित उपाय आवश्यक हैं ।

दहिने से बाँये ओर तीन बार मानुष-अग्नि यदि अन्तःपुर के चारों ओर घुमायी जाय तो उसमें आग लगने का डर नहीं रहता । वहां कोई दूसरी आग नहीं जलती यदि विजली की राख को ओले के पानी तथा मिट्टी से सानकर दीवारों को लीपा जाय । *

* यह तान्त्रिक प्रयोग है । उस समय यह विश्वास प्रचलित था कि मानुष अग्नि के चारों ओर घुमाने से किसी भी आग की आशंका नहीं रहती । मानुष-अग्नि क्या चीज है इस पर डाक्टर रामशास्त्री के भाषान्तर से प्रकाश नहीं पड़ता उन्होंने मनुष्य-निर्मित अग्नि (A fire of human make) के रूप में जो भाषान्तर किया है वह ठीक कहीं जचता है । हमारी समझ में "प्रलंभने अद्भुतोत्पादनम्" नामक प्रकरण में "शस्त्रवतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपार्श्व-पशुकास्थिषु कल्माषेषुना निर्मधितोऽग्निः.....यत्र क्षिपस्यं गच्छति न चाशान्योऽग्निर्ज्वलति" से हुए बादमी की बड़ी तथा कल्माष नामक बांस रगड़ने से जो आग पैदा होती है उस आग को यहां (मानुष-अग्नि) शब्द से सूचित किया है ।

जीवन्ती, श्वेता, मुष्क, कसीस, बांदा के समीप पैदा हुए पीपल के तने से मकान में छिपे हुए साँपों का विष नष्ट हो जाता है † विल्ली, मोर, न्येवला तथा विन्दुमृग साँपों को खा जाते हैं । तोता मैना तथा भिंगराज साँप के विष की आशंका में शोर मचाने लगते हैं । कराकुल या घेंटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाता है, यूनानी तीर सुस्त पड़ जाता है, मत्तकोकिल मर जाता है और चकोर की आंखें लाल पड़ जाती हैं । इस प्रकार अग्नि, विष तथा साँप से बचने का उपाय करें ।

अन्तःपुर के पिछले भागमें स्त्रियों के रहने का स्थान, गर्भोप-योगी जड़ी वृद्धी तथा तालाब बनाया जाय । बाहरकी ओर लड़के लड़कियों के रहने का, तथा आगेकी ओर शृंगार गृह, दर्बार, तथा राजकुमार और अश्वत्थ लोगों के रहने का स्थान हो । कमरों के बीचमें अन्तःपुर के रक्षकों तथा पहरियों का पहरा हो ।

घरके अन्दर पहुँचकर वृद्धी औरत के द्वारा पटरानी को कहला दे और जब उसके पाल कोई भी न रहे तब जावे । क्योंकि भाई ने रानी के कमरे में छिपकर ही भद्रसेन को, माता की चारपाईमें छिपकर लड़के ने कारुश को, खीलोंमें शहत के स्थान पर जहर लगाकर रानी ने काशिराज को, विषमें बुझे पायजेब (नृपुंर) से वैरत्य को, हीरे की कर्धनी से सौवीर को, मुंह देखने के शीशे से जालूथ को और वालों के जुड़े में हाथियार छिपाकर विदूरथ को मारा था । इसलिये इन विपत्तियों से बचता रहे । सिरमुंडे, जटाधारी, संन्यासियों भांडों तथा मस्खरी वालोंको और बाहरी लौंडियों को अन्दर न आने देवे । दाइयों तथा गर्भ व्याधि के इलाज में चतुर औरतों को छोड़कर और कोई भी कुलीन घरकी औरत उसको न देखे । नहाने तथा सुगंधित चीजों के लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना पहिन कर रंडियां (रुपाजीवा) उससे मिलें । बाप मां के भेष में अस्सी मर्द और पच्चास औरतें बुढ़े तथा बड़ी उमर के नौकर बन

† डाक्टर रामशास्त्री ने भाषान्तर किया है कि "साँप अन्दर नहीं घुसते" परन्तु "सर्प विषाणि वान प्रसहंते" इसका अर्थ "विष नष्ट हो जाता है" यही ठीक है ।

कर अन्तःपुर के लॉंडे लॉंडियों की वफादारी की परीक्षा करते रहें और इस प्रकार राजा का कल्याण करें।

अपने अपने स्थानपर सब लोग काम करें। कोई भी दूसरे के स्थानपर न जाय। अन्दर का कोई भी आदमी बाहरी आदमी से न मिले। अन्दर तथा बाहर जाने वाले माल पर कड़ी नजर रखी जाय। कोई भी राजमुद्रा से राहत माल न अन्दर जाने पावे और न अन्दर से बाहर ही जावे।

१८. प्रकरण।

आत्म रक्षा।



सोंकर उठते ही राजा का आदर सत्कार धनुषबाणधारी औरतें करें। दूसरे कमरे में चोगा पगड़ी आदि वरदी पहिने बुढ़े अंत पुर के नौकर, तीसरे कमरे में कुवड़े बौने किरात लोग, और चौथे कमरे में मन्त्री, संबंधी तथा नंगी तलवार लिये खोदीदार उसका स्वागत करें।

विदेशी लोगों तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर से वंचित स्वदेशी लोगों को छोड़ कर, नीचे से ऊंचे पद पर पहुंचाये गये लोग ही शरीर-रक्षक (अन्तर्वेशिक सैन्य) नियत किये जाय तथा राजा और अंतःपुर की रक्षा करें। संरक्षित स्थान में रसोईदार (महानसिक) पाचकों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करावे। अग्नि तथा पत्नियों को बलि देकर राजा ताजा ताजा खाना खावे।

जहरीले भोजन को आग में डालते ही आग चट चटाने लगती है और नीला धुआं देने लगती है, पत्नी उसको खाते ही मर जाते हैं अन्न की भाफ मयूर पंखी रंग की हो जाती है। देखने में वह ठंडा मालूम पड़ता है। ताजी तरकारी का रंग जहर होने पर बदल जाता है। वह पानी छोड़ने लगती है या बिल्कुल पेंट जाती है। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी जहर पड़ने पर पेंट तथा सूख जाते हैं, उबाल आते ही उन में कभी कभी नीला फेना उठने लगता है और नीली भाफ निकलने लगती है। खुशबू, खूबसूरती तथा स्वाद उन

का नष्ट हो जाता है। गरम गरम रसे में से नीली, दूध में से लाल, शराब तथा पानी में से काली, दही में से हरे रंग की, और शहत में से सफेद रंगकी भाफ निकलने लगती है। जहरीली कच्ची तरकारी आदि मुरझा जाती है और उबली सी मालूम पड़ती है और उनका उबाल नीला हरा रंगलिये रहता है। सूखी चीजें भटपट कट जाती हैं और उनका रंग बदरंग हो जाता है। कठिन पदार्थ मृदु और मृदु पदार्थ कठिन हो जाते हैं। छोटे २ कीड़े मकौड़े उसके पास आते ही मर जाते हैं। गलीचों तथा परदों पर जहर छिड़कने से उनके रोमें भड़ जाते हैं या कभी कभी वह हरे नीले रंग के हो जाते हैं। हीरे जवाहर जड़े वर्त्तन जब मैले मालूम पड़ें, और जब उनकी चिकनाई, खूब सूरती, चमक, आब, रंग तथा सफाई नष्ट होजाय तो समझ लना चाहिये कि उनमें जहर लगा है।

जहर दिये गये आदमी का मुँह सूख जाता है और नीला पड़ जाता है। जबान लड़खड़ाने लगती है और वह पसीने से तरबतर हो जाता है। जंभाई से शरीर फँडने लगता है। बहुत ही अधिक कंप कंपी आने लगती है। शरीर लड़खड़ाने लगता है और जबान बंद हो जाती है। वह बंद हवास हो जाता है और अपने काम पर स्थिर नहीं रहता है। यही कारण है कि जड़ी बूटी जानने वाले डाक्टर हर समय उसके पास रहें। यह लोग दवाई खाने से कंपा-उंडरों के हाथ से दोष रहित स्वादिष्ट दवाई लेकर और अपने आप चाखकर राजा को दें। शराब तथा पानी में भी दवाई वाला ही नियम काम में लाया जाय।

स्नान तथा शुद्ध वस्त्र पहिने शरीररक्षक के हाथ से राजा के कपड़ों की सील लगी बंद पेटी लेकर कल्पक तथा प्रसाधक (राजा को नहाते समय कपडा तथा अन्य सामान देने वाले) लोग राजा की परिचर्या (सेवा-शुश्रूषा) करें। नहवाना (स्नापक), पानी लाना (संवाहक), विस्तर बिछाना, कपड़ा धोना तथा माला बनाना आदि काम लौंडियां (दासी) (१) करें। अथवा कपड़ों

(१) डाक्टर शामशास्त्री ने 'दासी' का अर्थ बैश्या या रंडी (Prostitutes) किया है। 'लौंडी' अर्थ ही उचित जचता है। देशी रियास्तों में अबतक इसकी प्रथा है।


तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रखकर, तथा बंटना, सुगन्धित चूर्ण, वस्त्र तथा नहाने के पानी को अपनी बाहु तथा छाती पर डालकर कारीगर लांग लौडियों के साथ जावे और राजा को स्वयं देदेवे । बाहर से तथा दूसरे के हाथ से जो चीज अन्दर आवे उस सबमें यही नियम काम में लाया जावे । गाने बजाने वाले लोग राजा के चित्त को उन्ही बातों से खुश करें जिनमें हथियार आग तथा जहर का कुछभी संबंध न हो । उनके बाजे, और हाथी घोड़े तथा रथ के गहने तथा आभूषण अन्दर ही रखे जाय । द्वारी तथा ताल्लुकेदार जिस घोड़े गाड़ी को काममें लाचुके हों और देख चुके हों उसीपर चढ़े । ऐसी नावपर ही सैर करे जिसके साथ दूसरी नाव बंधी हो और जिसके चलाने वाला अच्छे से अच्छा मल्लाह (आप्त नाविक) हो । जो नाव कभी आंधी में टूट फूट गई हो या वह चुकी हो उसपर पैर न धरे । पानी या नदी के पास छावनी बनावे तथा सेना रखे । मछली तथा नाके से रहित पानीमें तैरे । सांप तथा हिंसक जन्तुओं से रहित बागों में भ्रमण करे । दौड़ते हुए तथा चलते हुए लक्ष्य पर निशाना ठीक बंटे इस उद्देश्य से कुत्ते पालने वाले शिकारी लोगों के द्वारा चोर सांप तथा शत्रु से सुरक्षित बन्द जंगलों में शिकार खेलन के लिए जावे । हथियारों से सुसज्जित शरीर रत्नों को साथ लेकर सिद्ध तथा तपस्वी लोगों का दर्शन करे । मन्त्रिपरिषद् में बैठकर सामन्त के दूत का स्वागत करे । वर्दी तथा राजकाय वस्त्र पहिनकर घोड़े हाथी या रथ पर चढ़े और सुसज्जित तथा सन्नद्ध सेना को देखे । हथियार लिये लोगों, बैरागी तथा लूले लंगड़ों से राज मार्ग को रहितकर तथा दोनों ओर डंडा लिये सिपाहियों को खड़ा कर राजधानी से बाहर

(१) मौल पुरुष का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने पुराना मईस या घुड़सवार किया है । स्मृतिषों में मौल पुरुष का तात्पर्य उन ताल्लुकेदारों से लिया गया है जोकि अपनी जमींदारी से बहुत दूर पर किसी दूसरे स्थान में बस गये हों ।

(२) डाक्टर शामशास्त्री ने उद्यान का अर्थ जंगल किया है । हमारे विचार में वाग अर्थ होना चाहिये ।

जावे और अन्दर आवे । भीड़ को चीरकर कभी भी न निकले । सैर (यात्रा) सत्संग (समाज) जलसा तथा नाचमें तब तक मजलिस का साथ न दे जब तक उनमें दशवर्गिक (दस ढंगके या दस जात या संघ के) लोगों का पहरा न हो ।

जिस प्रकार राजा खुफिया लोगों के द्वारा अन्य लोगों की रक्षा करता है उसी प्रकार अन्य विघ्न बाधाओं से उसको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये ।



द्वितीय-अधिकरण ।

अध्यक्ष-प्रचार

१९ प्रकरण ।

जनपद-निवेश ।

परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जनपद को बसाया जाय । प्रत्येक ग्राम सौ परिवार से पांच सौ परिवार तक का हो । उसमें शूद्र रूपकों की संख्या अधिक हो और उनकी सीमा एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो । वह इस प्रकार स्थापित किये जाय कि एक दूसरे की रक्षा कर सकें । नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, नहरें तालाब सींभल, पीपल तथा बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाय । आठ सौ ग्रामों के मध्य में स्था-

(१) डाक्टर शामशास्त्री ने 'न पुरुषसंवाधमवगाहेत' इस वाक्य का अर्थ छोड़ दिया है ।

२ सेतुबन्ध शब्द का तात्पर्य डाक्टर शामशास्त्री ने कृत्रिम गृह (artificial building) से लिया है । वस्तुतः यह शब्द नहर नदी तथा प्रपात या झरनों से बनी कुल्या या तालाब के लिये प्रायः आता है । यही कारण है कि हमने नहर तथा तालाब ही अर्थ रखा है ।

नीय, चार सौ ग्रामों के मध्य में द्रोण मुख, दो सौ ग्रामों के मध्य में खार्वटिक तथा दस ग्रामों के मध्य में संगहण नामक दुर्ग बनाये जाय, राष्ट्र सीमाओं पर अन्तपाल के दुर्ग खड़े किये जाय और प्रत्येक जनपद-द्वारा उसके द्वारा सुरक्षित रखा जाय। वागुरिक, शबर, पुलिन्द, चंडाल तथा जंगली लोग शेष संपूर्ण सीमा की देख रेख करें।

ऋत्विक्, आचार्य्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को अभिरूप-फल-दायक ब्रह्मदेय दिया जाय और उनको राज्यदंड तथा राज्यकर से मुक्त किया जाय। अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानोक, अनांकस्थ, चिकित्सक, अश्वदमक, जंघारिक आदि राजसेवकों को भूमि दी जाय परंतु उनको यह अधिकार न हो कि वह उसको बेच सके या थातो(गिरवी) रख सकें। राज्यस्व देने वालों को ऐसे खेत दिये जाय जो कि एक पुरुष के लिये पर्याप्त हों। खेतीहरों को नई भूमि न दी जाय। जो खेती न करें, उनसे खेत छीनकर अन्यो के सुपुर्द किये जाय। ग्राम भृतक या बनिये ही उन पर खेती करें। जो खेत न जोतें वह सरकारी हर्जाना (अपहर्जन) भरें। जो सुगमता से राज्यस्व दें उनको धान्य पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुंचायी जाय। साथ ही ब्याल रखा जाय कि अनुग्रह तथा परिहार से कोश की वृद्धि हो और जिससे कोश के नुकसान की संभावना हो उस को न किया जाय। क्योंकि अल्प कोश वाला राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही सताता है। नये बन्दोबस्त या अन्य आकस्मिक समय में ही विशेष विशेष व्यक्तियों को राज्यस्व से मुक्त किया जाय

१. ब्रह्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्मणों को स्थावरूप से सदा के लिये दे दिया जाय। ताम्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिले हैं जिन में पुराने राजाओं ने भिन्न २ भूमिभागों को ब्रह्मदेय के रूप में ब्राह्मणों को दिया था।

२. अनुग्रह—उत्तम काम करने के बदले में कारीगरों किसानों को राजा जो धन आदि इनाम में दे उसको कौटिलीय में अनुग्रह शब्द से सूचित किया है।

३. परिहार—राज्यकर से मुक्तकरना। पुत्रोपत्ति, वर्षगांठ आदि समय में राजा लोग ऐसा करते थे, कौटिलीय ने इन सब समयों को "यथागतक" शब्द से सूचित

और जिनका राज्यकर-मुक्ति या परिहार का समय समाप्त हो गया हो उन पर पिता के तुल्य अनुग्रह रखा जाय ।

खान खोदने, कारखाने चलाने, जंगलों से लकड़ी तथा हाथी प्राप्त करने, पशु पालने और व्यापारीय मार्ग बनाने का प्रबंध किया जाय तथा स्थलमार्ग, जलमार्ग और मंडियों (पर्यपत्तन) का निर्माण किया जाय । झरनों से या दूर से पानी इकट्ठा कर तालाब या नहर बनायी जाय और जो लोग अपनी ओर से बनावें उनको भूमि, मार्ग, वृक्ष तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के द्वारा सहायता पहुंचायी जाय । तीर्थ तथा बागों को बनवाने वालों के संबंध में भी इसी नीति को काम में लाया जाय । सांभ में नहर या तालाब बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके वैलों तथा नौकरों से काम लिया जाय, खर्च में जो धन उसके भाग में पड़े उससे ग्रहण किया जाय और लाभ में उसको भाग न मिले । राजा उन नदियों, तालाबों तथा नहरों पर अपनी मलकीयत स्थापित करे जिनमें मच्छियां तथा तरकारी बहुतायत से पैदा होती हो और नावें चलती हों । जो लोग दासों, थाती में रखे मनुष्यों तथा बंधु लोगों का कुछ भी ख्याल न करें उनको राजा कर्त्तव्य के लिये प्रेरित करे, और बालक, वृद्ध, बीमार, विपत्तिग्रस्त तथा अनाथों के आभरण पोषण का प्रबंध करे और गर्भिणी औरतों तथा नवजात बालकों की रक्षा करे । ग्राम वृद्ध मन्दिर की तथा नाबालिग बालक की संपत्ति का उसके युवावस्था को पहुंचने तक प्रबंध करे ।

जाति से बहिष्कृत पतित व्यक्ति तथा माता से भिन्न यदि कोई समर्थ व्यक्ति स्त्री, बच्चों, मां बाप, भाई, नाबालिग बहिन, तथा विधवा लड़की के आभरण पोषण का प्रबंध न करे तो उस पर बारह पण जुर्माना किया जाय । जो कोई स्त्री पुत्र का प्रबंध किये बिना ही संन्यासी बने या अपनी स्त्री को जवरन संन्यासी बनावे उसको 'साहसदंड' दिया जाय । वृद्धावस्था में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति लड़कों में अपनी संपत्ति बांट कर संन्यासी बन सकता है, बिना संपत्ति बांटे जो संन्यासी बने उसको दंड दिया जाय । वान-प्रास्थियों को छोड़कर कोई भी संन्यासी, जान विरादरी को छोड़

कर कोई भी संघ तथा सामुत्थायक को छोड़कर कोई भी कंपनी ग्राम में न बसे और न ग्राम में कोई भोग बिलास के लिये मकान ही बना सके । नट, नर्तक, गायक, वादक तथा भांड ग्रामीणों के काम का हर्जा न करने पावें । क्योंकि ग्रामीणों का खेतों के सिवाय और कोई दूसरा सहारा नहीं । इससे कोश, स्वतन्त्र श्रम, लकड़ी धान्य तथा अनाज की भी विशेषरूप से वृद्धि होती है ।

शत्रु के पङ्क्यंत्र तथा जंगल से घिरे हुए, व्याधि तथा दुर्भिक्ष से पीडित देश को राजा ग्रहण न करे और खर्चीला खेलों को रोके दंड, स्वतन्त्र श्रम और राज्यकर संबंधी विघ्नों से हाथ की रक्षा करे । चोर शेर तथा जहरीले घातक जीव जन्तुओं से चरागाहों तथा गोचर भूमियों को सुरक्षित रखे । दुर्बारी, मेहनती मजदूर, चोर, सीमारक्षक (अंतपाल) आदियों से तथा जानवरों के झुंडों से क्रमशः, ई. न दशा को प्राप्त होते हुए व्यापारीय मार्ग (वणिक्पथ) को बचावे । इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, हाथी वन, तालाब तथा नहर, खान आदि की रक्षा करे और नये नये कामों को शुरू करे ।

२० प्रकरण ।

भूमि का विभाग

जो भूमि जाती बोई नहीं जाती उसपर पशुओं के लिये चरागाहें बनाई जां । सोमलता, धर्म कर्म तथा तपस्या के लिये ब्राह्मणों को ऐसे जंगल दिये जाय जिनमें जंगली जानवरों तथा अन्य बातों का भय न हो और उनका नाम उसी गोत्र पर रखा जाय जिस गोत्र का ब्राह्मण उनमें तपस्या करता हो । राजा के शिकार खेलने के लिये सरकारी बन्द जंगल बनाये जाय जिनमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग हो, जोकि चारों ओर खाई से घिरे हो, स्वादु फल बेल गुच्छों से जो कि परिपूर्ण हों, जिनमें एक भी कंदीला पेड़ न हो, शान्त तथा सीधे चौपाये तथा बड़े बड़े तालाब जिनमें विद्यमान हों, जिनमें शेर चीते तथा हिंसक जंतु न हों तथा दांत तोड़

कर छोड़े गये हों और जिनमें हाथी, हाथिनी, हाथी के बच्चे तथा मृग बहुतायत से हों । राष्ट्रनिवासियों के शिकार के लिये भूमि के अनुसार राष्ट्र की सीमापर एक दूसरा शिकारी जंगल बनाया जाय और उसमें शिकार खेलने का सबको अधिकार दिया जाय । भिन्न भिन्न आशयकीय जांगलिक द्रव्यों का जंगल पृथक् रूप से लगाया जाय । इनको साधारण जंगलों से पृथक् रखा जाय और व्यावसायिक पदार्थ तैयार करने के लिये इनके कारखाने खोले जाय । राष्ट्र के अन्तिम छोरपर साधारण जंगल के बाद हाथियों का जंगल स्थापित किया जाय । इसका जो अध्यक्ष (नागवनाध्यक्ष) हो वह बनैलों (बनचर) के द्वारा पहाड़ों भौल नदियों तथा नालों से घिरे हाथी-जंगल की रक्षा करे और उसमें घुसने तथा निकलने का रास्ता जाने । जो लोग हाथी को मारे उनको मृत्यु दंड मिले । मरे हुए हाथी के दांतों की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को दे उसको सवाचारण इनाम में दिया जाय । बनैले—फालवान, हाथी के पैर में फंदा डालने वाले (पादपाशिक), सीमा की रक्षा करने वाले (सैमिक), बन में फिरने वाले तथा हाथी पालने वाले (पार-कर्मिक) लोगों से दोस्ती रखे और पांच या सात हाथिनियों को साथ लेकर भलावे की शाखा से ढके जंगल में हाथी के पेशाब तथा लीद का सहारा लेते हुए हाथियों को ढूँढ़े और उनके सोने के स्थान, लीद, पेशाब तथा नदी के किनारों के टूटने के द्वारा यह अनुमान करें कि—वह झुंड का स्वामी है या अकेला है ? उसके दांत हैं या बच्चा है ? मत्त है या वह कहीं से छूटकर भागा है ? हाथी-बच्चों के कइने के अनुसार प्रशस्त आचार तथा बिन्ह वाले हाथियों को पकड़े । क्योंकि राजाओं का विजय हाथियों पर निर्भर है हाथियों का शरीर तथा डील डौल बहुत बड़ा होता है । दूसरों के व्यूह, दुर्ग, छावनियों के नष्ट करने के साथ साथ हाथी प्राण-नाशक संपूर्ण घातक कामों के लिये बहुत ही उपयोगी होते हैं ।

कलिंग अंग रीवां रियासत तथा पूर्वीय देश के हाथी सबसे अधिक उत्तम होते हैं । दशार्ण तथा पच्छिम के मध्यम समझे जाते हैं । सौराष्ट्र तथा पंचजन देशके निरुष्ट माने गये हैं । सिखाने से रुमी देश के हाथियों की शक्ति, तेज तथा गति बढ़ जाती है ।

२१ प्रकरण । दुर्ग-विधान ।

दुश्मन के आक्रमण से बचने के लिये राष्ट्र के अन्त में चारों ओर स्वाभाविक-दुर्ग ('दैव कृत') बनाये जाय । औदक-दुर्ग द्वीप या जमीन के बीच में खड़े किये जाते हैं और चारों ओर नीची जमीन तथा पानी से घिरे होते हैं । पार्वत-दुर्ग पथरीले टीले या गुहा पर बने होते हैं । धान्वन दुर्ग (निर्जन प्रदेश पर बने दुर्ग) पेड़ पत्ती, जन्तु तथा जल से रहित स्थान पर और वन-दुर्ग पशु-पत्ती, पानी तथा जंगल से परिपूर्ण स्थान पर बनाये जाते हैं । इनमें से औदक तथा पर्वत दुर्ग जनपद की और धान्वन तथा वनदुर्ग जंगल की रक्षा के काम में आते हैं ।

जनपद के मध्य में राज्यस्व [समुद्रय] एकत्रित करने के योग्य × तथा आपत्ति पड़ने पर शरण स्थान के रूप में उपयोगी † स्थानीय नामक दुर्ग या कस्बा (तहसील) बनाया जाय । मकान बनाने के लिये प्रशस्त-देश, नदी संगम, सदा पानी रहने वाली भील, ताल या तालाब के किनारे गोल, लंबा, या चौकोन, चारों ओर पानी से

† मूल ग्रंथ में "खंजन तथा खंजन" दो पाठ मिलते हैं । डाक्टर शामशास्त्री ने खंजन (wag-tail) मानकर और हमने खजन मानकर पत्ती अर्थ किया है । वस्तुतः दोनों ही पाठ ठीक हो सकते हैं ।

× मूल ग्रंथ में "समुद्रय स्थानं स्थानीयं" यह शब्द लिखा है डाक्टर शामशास्त्री ने 'समुद्रय' का अर्थ राज्यस्व ही प्रायः किया है । परन्तु यहाँ पर उन्होंने 'समुद्रयस्थान' का 'राज्यस्व एकत्रित करने के योग्य या तहसील' अर्थ करने के स्थान पर 'प्रभुत्व शक्ति का केन्द्र' 'या राजधानी' अर्थ कर दिया है ।

‡ मूल ग्रंथ में 'आपाद्य प्रसार' यह पाठ है । इसका उचित पाठ 'आपद्यप्रसार' अर्थात् "आपत्ति+प्रसार" यह मालूम पड़ता है । डाक्टर शामशास्त्री ने 'आपत्ति पड़ने पर शरणस्थान के रूप में उपयोगी' के स्थान पर 'आपत्ति पड़ते ही जिस स्थान से शीघ्र ही भागा जा सके' यह अर्थ कर दिया है जो कि कौटिलीय के 'आपद्यप्रसार' शब्द से किसी प्रकार भी नहीं निकलता है ।

घिरा हुआ तथा अंसपथ तथा वारिपथ (जलमार्ग) से युक्त पक्का मकान तैय्यार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारों ओर एक दूसरे से दो गज दूरी पर तीन खाइयां खोदी जाय जो कि २८ या २४ या १० गज चौड़ी, इसकी एक तिहाई या आधी गहरी, तले पर चपटी चौकोन तथा समतल और पत्थर से भरी हों जिसके किनारे पक्की ईंटों या पत्थरों से पुंके बने हों, जिनमें सदा ही पानी रहे या बाहर से आता रहे और जिनके अन्दर मगरमच्छ भरे पड़े हों और साथ ही कमल के पेड़ लगे हों।

खाई से ८ गज दूरीपर १२ गज ऊंची और २४ गज चौड़ी ऐसी "शहर पनाह" (दीवार) बनाई जाय जिसका उपरला भाग समतल, बीच का भाग धड़ेकी तरह गोल हो, और जो कि हाथियों तथा गजों के पैरों से कूटकर मजबूत की गई हो, जिसके बीच में मट्टी भरी हो और जो कि कंटीली भाड़ी, विपैली बेलें तथा पेड़ पौदों से नीचे से ऊपर तक ढंकी हो।

शहर पनाह (घर) के ऊपर चौड़ाई से दुगुनी ऊंची (प्राकार कंगूरेदार दीवार शेष) और १२ हाथ से २४ हाथ तक चौड़ी युग्म या अयुग्म संख्या में ईंटों की एक दूसरी कंगूरे दार दीवार बनाई जाय।

लंबे चौड़े तथा बन्दर के शिर की तरह चपटे पत्थरों या ताड़की जड़ों से चिनी हुई रथ चलने के योग्य [रथ चर्या संचार] सड़क तैय्यार की जाय। इसमें लकड़ी न लगनी चाहिये क्योंकि उसमें आग छिपेरूप से रहती है। इसीप्रकार के चौकोन बुर्ज बनाने चाहिये। जिनपर सीढ़ियां लटक रही हों। दो दो बुर्जों के बीचमें एक गली (प्रतोली) होनी चाहिये जो कि चौड़ाई से ढाई गुना लंबी और ३० दंड या ६० गज चौड़ी हो। बुर्ज तथा गली के बीच में तीन धनुषधारियों के बैठने योग्य चौकी (इन्द्रकोश) बनानी चाहिये। इनके बीचमें देवपथ (मन्दिर को जाने का मार्ग) बनाया जाय जो कि बुर्ज के बीच में २ हाथ, बाहर की ओर ८ हाथ और इतनाही कंगूरे के साथ साथ हो। दोगज से चार गज चौड़ी चर्या नामक सड़क बनानी चाहिये। जिस स्थान पर आक्रमण होना

सुगम न हो वहां पर भागने की सड़क (प्रधावितिका) तथा दरवाजा (निष्कुर द्वार) तैयार किया जाय । शहर पनाह के बाहर के संपूर्ण रास्ते जानुभगिनी (जिससे गोड़ा टूट जाय), त्रिशूल, प्रकार (मट्टी का ढेर ?) नकती गड्ढा (कूट-अवपात), कांटे, भड़, अहिपृष्ठ (?), ताड़ के पत्ते, सिंघाड़े, गोखरू, अर्गलोपस्कन्दन (?), पादुक, आंचड़ा तथा पानी से भरी तलइकों से ढंक दिये जाय ।

शहर पनाह के बीच में दोनों ओर डेढ़ दंड चौड़ा एक गोल छेद बनाया जाय । प्रतोली नामक सड़क की चौड़ाई का छुटा भाग जितना बड़ा एक दरवाजा उसमें बनाया जाय । दरवाजा ५ दंड से एक एक दंड बढ़ाते हुए ८ दंड तक चौड़ा, ६ भाग से ८ भाग तक लंबा हो । वह १५ हाथ से शुरू कर १८ हाथ तक [एक एक हाथ तल से बढ़ाते हुए] ऊंचा हो । खंभे की चौड़ाई ८ हाथ, जमीन में २६ हाथ [जमीन में इतना गड़ा हो] और चूलिका (उपरलाभाग) इसकी चौथाई होनी चाहिये । शहर पनाह के उपरले ५वें भाग में मकान बावड़ी तथा सीमा संबंधी मकान बनाये जाय इसके $\frac{1}{10}$ भाग में एक दूसरे के सामने दो वेदियां तैयार की जाय इनके ऊपर एक कोठा बनाया जाय जो कि चौड़ाई से दुगना ऊंचा हो । उनमें मूर्तियां बनी हों पहिली छत से आधा या तीन चौथाई चौड़ा एक और कोठा बनाया जाय जिसकी दीवारें ईंटों की हों और बाईं ओर गोल सीढ़ी हो । सभी दीवारें अन्दर से पोली होनी चाहियें और उनके अन्दर गुप्त सीढ़ियां लगी रहनी चाहियें । बाहर की ओर दो दो हाथ चौड़े छेद बनाये जाय । तीन पांचवें भाग में दो दो दरवाजे हों जिनमें दो दो लोहे की छेद हों और इन्द्रकील २४ अंगुल लंबी हो । सीमा का दरवाजा ५ अरजि [१ अरजि = २४ अंगुल] जितना बड़ा हो । दुर्ग में घुसने के लिये हस्तिनख नामक फाटक बनाया जाय जो कि मनुष्य के मुख के समान ऊंचा हो और जो कि स्थिर हो तथा समय

† कौटिल्य का यह भाग बहुत ही अस्पष्ट है । अर्थ करने में अनुमान से ही काम लिया है । मकान संबंधी बहुत से पारिभाषिक शब्दों के आनाने से ही कठिनाई बढ़ गई है ।

पर हटाया जा सके। जहाँ पर रेगिस्तान हो या पानी न हो वहाँ पर यह दरवाजामट्टी का ही बनाया जाय। महलके मुखके ऐन सामने शहरका मुख्य दरवाजा हो जो कि गोह के सदृश आकारका हो। महलके बीच में बावड़ी पोखरी तथा चार बड़े बड़े कमरों वाला मकान हो जिसके कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हों। साथ ही गोल आकार का एक दो तल्ला कुमारीपुर (लड़कियों के रहने का मकान) † बनाया जाय जिसमें गोल दरवाजा हो। इसके चारों ओर भूमि के अनुसार तीन गुना अधिक चौड़ी नहर बनाई जाय जिसके द्वारा सामान अन्दर बाहर ले जाया जा सके। ‡

नहर में पत्थर कुदाल, कुठार, डंडे, मुद्गर, यन्त्र, शतघ्नी [सौ आदमी एक साथ मारने का हथियार], भाला, बांस, बाण, उष्ट्र, ग्रीव्य (ऊंट की गर्दन के समान हथियार) जांगलिक पदार्थ तथा बारूद आदि इकट्ठे करके रखे जाय।

२२. प्रकरण ।

दुर्गनिवेश ।



किले के अन्दर पच्छिम से पूर्व और दक्खिन से उत्तर को जाने वाली तीन तीन सड़कें और बारह दरवाजे तैयार किये जाय।

राजमार्ग, द्रोण मुख, स्थानीय, राष्ट्र तथा चरागाह को जाने वाले मार्ग तथा रथ्या नामक सड़क ८ गज, सयोनिया, छावनी, श्म-शान तथा ग्राम पथ १६ गज, सेतु तथा वनपथ ८ गज, हस्ति-क्षेत्र पथ ४ गज, रथपथ तथा पशुपथ २१ गज, और बुद्र पशु तथा

† डाक्टर शामशास्त्री ने 'कुमारीपुर' का अर्थ 'दुर्ग' का मन्दिर' किया है। हमको तो 'गजकन्याओं के रहने का मकान' ही अर्थ ठीक जंचता है। आप्ते तथा अन्य संस्कृत-इंग्लिश कोशकारों ने भी यही अर्थ दिया है।

‡ 'भांडवाहिनी' का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने 'हथियार धारण करने में समर्थ' यह अर्थ किया है। हम समझते हैं कि उनका इस अर्थ से तात्पर्य 'जिसके द्वारा सामान अन्दर बाहर ले जाया जा सके' यही होगा।

मनुष्य पथ २ गज चौड़े होते हैं ।

मजदूर स्थान पर बने हुए महल में ही राजा रहे । किले के नवें हिस्से में, मध्य से (किलेके) उत्तरकी ओर, चारों वरुणों के लोगों के मकानों के बीचमें पूर्व वरुणित ढंगपर अन्तःपुर बनाया जाय । उसका मुंह चाहे उत्तर की ओर और चाहे पूर्व की ओर रखा जाय । उसके पूर्वोत्तर भाग में आचार्य पुरोहित के रहने का तथा हवन पानी का स्थान बनाया जाय और वहाँ पर ही मन्त्रियों के भी रहने के मकान हों । पूर्व दक्षिण भाग में भोजनालय, हास्ति-शाला, तथा वस्तुभंडार, पूर्व में गन्ध, माल्य धान्य, तथा शराब की दुकानें, लत्रियों तथा प्रधान २ कारीगरों के मकान, दक्षिण पूर्व में खजाना, आयव्यय विभाग तथा कारखाने, दक्षिण पच्छिम में जांगलिक-पदार्थ भंडार(कुप्यगृह) तथा हथियार भंडार(आयुधागार), इसके बाद दक्षिण में नगर, धान्य, व्यापार-व्यवसाय, कारखाने तथा सेना आदि के अध्यक्षों के मकान, मिठाई, पकान्न, शराब मांस आदिकी दुकानें, तथा रंडियों और गाने बजाने में चतुर वेश्याओं के घर, पच्छिम दक्षिण में गदहों ऊंटों के रहने के तबले तथा मेहनती मजदूरों के मकान, पच्छिम उत्तर में घोड़ा गाड़ी रथादि की शाला, पच्छिम में उनका सूत, बांस, चाम, कवच, शस्त्र, आवरण आदि के कारीगरों के मकान, उत्तर-पच्छिम में दुकानें बाजार तथा दवाई खाने, उत्तर पूर्व में कोश तथा गौ घोड़े, इसके बाद उत्तर दिशा में नगर तथा राज देवताके मन्दिर, धातु तथा हीरे जवाहरात के कारीगर और ब्राह्मण लोग तथा बीच की गलियों में श्रेणी, प्रवहणी निकाय आदि व्यापारीय व्यावसायिक तथा धर्मीय संघों के मकान होने चाहियें ।

शहर के बीच में—अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत नामक देवताओं के मंदिर और शिव वैश्रवण तथा लक्ष्मी † के गृहों के साथ शराब खाने बनाये जाय ।

† यहां पर शामशास्त्री ने लक्ष्मी के लिये प्रयुक्त किये गये श्री शब्द का अर्थ "समान योग्य" किया है और इसको शराब खाने के साथ जोड़ दिया है। उचित तो यह था कि शराबखानों को आनंदवन या समान योग्य की उपाधि देने के स्थान पर श्री का अर्थ लक्ष्मी ही किया जाता ।


मन्दिरों, कोठों तथा गृहों में † अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मकान के भिन्न भिन्न देवताओं की स्थापना की जाय। बाहर के दरवाजों पर ब्रह्मा, इन्द्र, यम तथा सैनापत्य नामक देवताओं की स्थापना की जाय और खाई से १०० धनुष (१ धनुष=१०२ अंगुल) दूर पर तांथे, वन तथा सेतुबन्ध नामक मुकान बनाये जाय। भिन्न दिशाओं में दिशाओं के देवताओं को स्थापित किया जाय। उत्तर या पूरव में साधारण लोगों का और दक्षिण में ऊंच जात के लोगों का श्मशान होना चाहिये। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय। पाखंडियों तथा चंडालों को श्मशान के अंत में बसाया जाय। प्रत्येक परिवार की हद व्यवसाय या खेत के अनुसार नियत करनी चाहिये। फूलफल के बगीचे, तरकारी के खेत तथा धान्य तथा बाजारी माल के संबंध में भी इसी ढंग पर प्रबंध करना चाहिये। प्रति दस मकान के पीछे एक कुआँ अवश्य ही होना चाहिये। तेल, घी, धान्य, खार, नमक, दवाई, सूखी तरकारी, शक्कर, जौ, सूखामांस, भूसा, लकड़ी, लोहा, चाम, कोयला तांत, जहर, सींग, बांस, मूंज, चल्कल, सरुत तथा मजबूत लकड़ी हथियार, कवच, पत्थर आदि इतनी राशि तथा मात्रामें इकट्ठे करके रखने चाहिये जिससे कई सालों तक वह खतम न हों। फसल पर पुरानी चीज़ के स्थान पर नई चीज़ भर दीजाय। हाथी घोड़े तथा पदातियों का प्रबंध भिन्न भिन्न मुखियों के पास हो। इससे यह लोग एक दूसरे के डरसे पड़यंत्र नहीं करते। अन्तपाल के दुर्गोंका निर्माण तथा प्रबंध भी इसी ढंग पर होना चाहिये।

नगर तथा राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले बाहरी लोगों को किले में न बसाकर गांवों में ही बलावे अथवा इनसे किले में रहने का राज्यस्व ग्रहण करे।

† 'कोटवत ग्रहेतु' इस वाक्य का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने 'मकान के कोनों पर' यह अर्थ कर दिया है। "मन्दिरों कोठों तथा गृहों में" यह अर्थ उपरि-
लिखित वाक्य का सर्वथा स्पष्ट है।

२३ प्रकरण ।

● सन्निधाता के कर्त्तव्य ।



सन्निधाता-१ कोशगृह (खजाना रखने का मकान), २ पण्यगृह [गोदाम] ३ कोष्ठागार [धान्यभंडार] ४ कुप्यगृह (जांगलिक द्रव्यों का गोदाम) ५ आयुधागार (शस्त्रागार) तथा बन्धनागार (कैदखाना) बनवावे ।

१. कोशगृह । एक चौकोन कुश्रां खोदकर उसको चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों से पक्का बनाया जाय और उसको पानी तथा नमी से रहित कर दिया जाय । उसके अन्दर पक्की लकड़ी का पिजड़े की तरह एक मकान बनाया जाय जिसमें बहुत से कमरे हों, दरवाजा केवल एक ही हो, फर्श पत्थर से पक्का बनाया गया हो, इधर उधर जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो और देवता स्थापित किया गया हो । इसके ऊपर कोशगृह बनाया जाय । कोशगृह में एक भी दरवाजा न हो, दोवारें ईंटों की बनी हों और जो कि चारों ओर नदी से घिरा हो । राष्ट्र के अन्तर्में अबूत लोगों के द्वारा ध्रुव निधि (जिसमें स्थिररूप से अनाज आदि भरा जाय) आपत्ति से बचने के लिये बनाया जाय ।

२. पण्यगृह । पण्यगृह की दीवारें तथा खंभे पक्की ईंटों के बनाये जाय । उसमें एक दरवाजा बहुत से कमरे तथा बहुत से खंभे हों और जो कि चारों ओर चार मकानों से घिरा हो ।

३. कोष्ठागार । में बहुत बड़े बड़े कमरे हों जिनके मध्य में ४ कुप्यगृह और ५ जमीन के तह में आयुधागार बनाया गया हो ।

६. बन्धनागार के संपूर्ण कमरे सब ओर से सुरक्षित हों और स्त्री तथा पुरुष के रहने के कमरे पृथक् पृथक् बने हों । धर्म-स्थाय तथा महामात्रीय लोगों के रहने का मकान पृथक् पृथक् ही बनाया जाय ।

उपरिलिखित सभी मकानों में-बड़े बड़े कमरे, कुप, स्नानगृह तथा देवगृह [मन्दिर विशेष] बनाये जाय और उनमें- आग तथा जहर से बचने के लिये बिज्जी, न्युअले आदि रखे जाय।

कोष्ठागार में एक अरालि के बराबर (२४ अंगुल) मुख वाला वृष्टि मापने का वर्त्तन रखा जाय।

सन्निधाता योग्य २ व्यक्तियों के सहारे पुराने तथा नये रत्न, बहुमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ ग्रहण करे। जो लोग रत्न के संबंध में छल कपट करे उनको तथा उनसे ऐसा काम करवाने वालों को उत्तम दंड दिया जाय। बहुमूल्य द्रव्य के संबंध में मध्यम और हीनमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक द्रव्यके संबंध में जितना नुकसान हो उतना ही दंड दिया जाय।

रूप दर्शक के द्वारा हिरण्य † की परीक्षा करवा कर ग्रहण करे। जो जाली या नकली हो उसको काट दे। जो जाली हिरण्य लावे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय।

शुद्ध तथा परिपक्व धान्य को ग्रहण किया जाय। जो इससे विपरीत काम करे उस पर मूल्य का दुगना जुर्माना किया जाय। व्यापारीय द्रव्यों, जांगलिक पदार्थों तथा हथियारों के सम्बन्ध में भी यही नियम है। भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेखक तथा नौकर आदियों को १ पण से ४ पण तक की चोरी में क्रमशः पूर्व, मध्यम, उत्तम तथा मृत्यु दंड दिया जाय। कोशकी चीज़ के चुराने पर कोशाध्यक्ष को कतल किया जाय। उसके सहायकों को आधा दंड दिया जाय। यदि चोर का पता न चले तो काम करने वालों को डांटा जाय। जो चोर को चोरी करते समय भागने का इशारा करे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाय। सन्निधाता को चाहिये

† डाक्टर शामशास्त्री ने हिरण्य का अर्थ सोने का सिक्का और रूपदर्शक का अर्थ सिक्के का परीक्षक किया है। डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने रूप को सिक्के का पर्याय वाचक मानकर डाक्टर शामशास्त्री के मत को पुष्ट किया है। मेरी संमति में रूप का अर्थ वस्तु विशेष, रूपदर्शक का अर्थ परीक्षक और हिरण्य का अर्थ सोना है।—

कि विश्वासपात्र व्यक्तियों की सहायता से राज्य कर एकत्रित करे ।

(सन्निधाता को) सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अन्दरूनी आम दनी खर्च का ज्ञान होना चाहिये जिससे वह पृथुने पर बिना किसी प्रकार की घबड़ाहट में पड़े बचे हुए धन को बता सके ।

२४ प्रकरण ।

समाहर्ता द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना

समाहर्ता * १ दुर्ग २ राष्ट्र ३ खनि ४ सेतु ५ वन ६ ब्रज तथा ७ वणिक् पथ का निरीक्षण करे ।

१. दुर्ग । दुर्ग से तात्पर्य—चुंगी, जुरमाना, तोलमाप, नगर लेखक सिक्के का प्रबन्धकर्ता (लक्षणाध्यक्ष) सरकारी मुहरका अध्यक्ष (मुद्राध्यक्ष), शराबखाना, वृचड़खाना, सूत, तेल, घी, नमक या खार, राजकीय सुनार, दूकान, रंड़ी, जुआ, भूकान, कारीगर, तथा शिल्पी, देवताध्यक्ष तथा दरवाजे के बाहर लिये जाने वाले राज्यकर आदि से है ।

२. राष्ट्र । राष्ट्र का तात्पर्य—कृषि जन्यपदार्थ [सीता], धार्मिक कर [बलि], बटाई का कर (भाग), रुपये में लिया राज्यस्व, व्यापारीय कर, नदीपाल के द्वारा गृहीत नौका का भाड़ा, नौका नगर, चरागाह, सड़क करे, रस्सी तथा हथकड़ी आदि से है ।

३. खनि । खनि से तात्पर्य—सोना चांदी, हीरा, माणिक, मोती मृंगा, शंख, लोहा, नमक, पत्थर तथा रस सम्बन्धी धातुओं से है ।

४. सेतु । सेतु से तात्पर्य—फूल फल के बगीचे, तरकारी के खेत तथा मूली शलगम आदि जमीन के नीचे लगने वाले पदार्थों की ब्यारियों से है ।

५. वन । वन से तात्पर्य—पशु, मृग, लकड़ी, हाथी आदि के जंगलों से है ।

* समाहर्ता का तात्पर्य राज्यस्व इकट्ठा करने वाले राजकीय कर्मचारी से है । आज कल समाहर्ता का नाम कलकट तथा कमिश्नर है ।

६. व्रज । व्रज का तात्पर्य—गौ भैंस भेड़ बकरी ऊँट घोड़ा खरबुर, गदहा आदियों से है ।

७. वणिक् पथ । वणिक् पथ का तात्पर्य स्थल मार्ग तथा नदी मार्ग से है । यह सब आमदनी के भिन्न भिन्न भाग (आयशरीर) हैं । पूंजी, बटार, बयाई, स्थिर कर, धार्मिक कर, रुपये की कटौती, तथा जुरमाना आदि आमदनी के स्थान हैं ।

देवता पिता की पूजा, स्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, भोजनभंडार (महानस), दूत रखना कोष्ठागार, आयुधागार, पर्यगृह, कुप्यगृह, व्यवसाय, स्वतंत्रश्रम, पदाति घुड़सवार रथी तथा हाथी की सेना, कारखाना, गोमंडल, चिड़ियाघर, भूसा तथा लकड़ी का भंडार आदि ही खर्च के स्थान हैं ।

राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन, प्रातः, वर्षा, हेमन्त (सर्दी के दिन), ग्रीष्म, के एक एक दिन कम तीसरे तथा सातवें पक्ष बचे हुए शेष संपूर्ण पक्ष तथा मलमास आदि काल शब्द के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं ।

समाहर्ता को चाहिये कि वह १. करणीय, २ सिद्ध ३ शेष ४ आय ५ व्यय तथा ६ नीर्वी का निरीक्षण करे ।

१. करणीय । राज्य कार्य चलायाना, नया काम शुरू करना जीवनोपयोगी पदार्थों को एकत्रित करना, राज्यस्व इकट्ठा करना, संपूर्ण राज्यस्व की जांच करवाना आदि संपूर्ण काम करणीय (करने के योग्य) में संमिलित हैं ।

२. सिद्ध । कोश में जमा किया गया, राजा के द्वारा ग्रहण किया गया, शहर पर खर्च किया गया, पिछले साल से चला आया हुआ, राजा की लिखी तथा मौखिक आज्ञा के द्वारा कोश में जमा किया गया आदि सिद्ध (समाप्त हुआ काम) में संमिलित हैं ।

३. शेष । उत्पाद कामों के करने का विचार, बचा हुआ जुरमाना तथा राज्यस्व, हिसाब की गड़बड़, रही तथा घटिया

माल आदि शेष (जो कि अभी बचा हुआ हो) में संमिलित हैं ।

४. आय । आय तीन प्रकार की है । (क) वर्त्तमान ।
(ख) पर्युषित । (ग) अन्य जात ।

[क] वर्त्तमान । प्रति दिन मिलने वाली आमदनी को "वर्त्तमान आय" के नाम से पुकारा जाता है ।

[ख] पर्युषित । जो आमदनी पिछले साल की हो, दूसरे के हाथ में हो या चली गयी हो उसको "पर्युषित आय" अर्थात् पिछली आमदनी का नाम दिया जाता है ।

[ग] अन्य जात । नष्ट, विस्मृत, राज्यकर्मचारियों का जुमाना आकस्मिक आय, नुकसान करने के बदले लिया गया धन, डाली या उपहार में आया हुआ, वह धन जिसका कोई भी मालिक न हो और या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला हुआ खजाना आदि अन्य जात [आकस्मिक आय] आय कही जाती है ।

५. व्यय । पूंजीविनियोग, अनुपादक काम में लगाया धन तथा बचत आदि व्यय कम करने वाली चीजें हैं ।

बेचते समय कीमतों के बढ़ने पर या ताल माप के भिन्न होने पर जो आमदनी होती है उसको ब्याई (धार्जी) के नाम से पुकारा जाता है । खरीदते समय खरीदारों की स्पर्धा से जो दाम बढ़ता है उसको भी आय में ही संमिलित किया जाता है ।

व्यय—I नित्य II नित्योत्पादक III लाभ IV लाभोत्पादिक के भेद से चार प्रकार का है ।

I प्रतिदिन होने वाले व्यय को नित्य । III और पक्ष मास तथा वर्ष में होने वाले लाभोत्पादिक व्यय को लाभ कहा जाता है । II नित्य से जो उत्पन्न हो उसको नित्योत्पादिक और IV लाभ से जो उत्पन्न हो उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता है ।

६. नीवी । व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो धन बचे उसको नीवी कहते हैं और जो कि अगले वर्ष के हिसाब में संमिलित करली जाती है ।

समाहर्ता इसी ढंग पर राज्यस्व एकत्रित करे, आमदनी दिखावे और खर्च को विवेक पूर्वक घटावे।

२५ प्रकरण।

गाणनिक्य का अक्षपटल में काम।

गाणनिक्य या अध्यक्ष (वह राज्यकर्मचारी जो सरकारी जमा खर्च का प्रबंध तथा निरीक्षण करे) अक्षपटल (हिसाब किताब रखने वाला दफ्तर) इस ढंग का बनवावे जिसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो और जिसमें कर्मचारियों के बैठने का स्थान पृथक् २ हों और पृथक् पृथक् ही रजिस्टर (निबंध पुस्तक) रखें हों। और उनमें निम्न लिखित बातों का उल्लेख हो।

१. सरकारी दफ्तरों की संख्या। २. कारखानों में काम तथा उत्पत्ति। ३. जहां जहां पर रुपया लगा है उनमें कितना लाभ, नुकसान, खर्च, विलंब, तथा ब्याई है और कितने काम हैं जिनमें रुपया फंसा है और तनखाह तथा बेगार की मात्रा क्या है। ४. रत्न, बहुमूल्य तथा साधारण पदार्थ और जांगलिक द्रव्यों की कीमत क्या है? उनके समान दूसरा कौनसा पदार्थ है? उनका प्रतिमान, भार तथा तोल क्या है? ५. देश ग्राम जाति कुल तथा संघों के रीति रिवाज, उपनियम, चरित्र आदि क्या हैं? ६. सरकारी नौकरों की आमदनी, जमींदारी, राज्यकर छूटने की राशि, तथा भक्त वेतन या अलाउंस क्या है? ७. राजा राजमहिषी तथा राजकुमार को रत्न, जमीन, तथा लाभ क्या क्या मिले? कौन कौन से पदार्थ मिलें जो कि आपत्ति के समय काम आने वाले हैं? ८. शत्रुओं तथा मित्रों के साथ सन्धि, लड़ाई, धन देना तथा लेना।

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इन रजिस्ट्रों के द्वारा सूचित करे कि-कौन कौन सा काम करना है, किया जा चुका है तथा बचा पड़ा है, क्या आमदनी तथा जमा खर्च है? कौन कौन से नये काम शुरू किये हैं और उनकी क्या हालत है? इसके साथ ही साधन अधिक को चाहिये कि उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट कामों में उन्हें

लोगों को नियुक्त करे जो कि उसके योग्य हों। यदि राजा उत्पादक कामों में उचित धन न खर्च करे तो उसको पीछे से पश्चाताप करना पड़ता है।

एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा लाभ बांटने वाले कारीगरों के लड़के भाई स्त्रियां लड़कियां तथा नौकर काम की कमी को पूरा करें। ३५४ दिन तथा रात के काम को संवत्सर या वार्षिक काम कहते हैं। आषाढ़ के अन्त में उनको काम के अनुसार मेहनताना दिया जाय। बीच में किये गये नये कामों का हिसाब मासिक या अधिक मासिक होना चाहिये।

राजा को खुफिया के द्वारा कार्य तथा उसके संबंध की अन्य बातें पता लग जायगी इस बात की पर्वाह न कर राजकर्मचारी प्रायः अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत से बचते हुए आलस्य से, भोग विलास में लीन होकर प्रमाद से, डाट डपट अनर्थ अधर्म से डर कर भय से, दूसरों के अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करते हुए लालच से, नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हुए गुस्से से, विद्या धन तथा दर्बारी लोगों की दोस्ती का अभिमान कर दर्प से या तोल माप गणना में फरक कर लोभ से सरकारी आमदनी को प्राप्त करके भी रजिस्टर में दर्ज नहीं करते।

मनुसंप्रदाय के लोगों का मत है कि जो कर्मचारी जितने धन का नुकसान करे उस पर उतना ही जुर्माना किया जाय और अपराध के अनुसार क्रमशः कुछ २ जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाय। पाराशरों के मत में अपराध का ८ गुणा, बार्हस्पत्यों के मत में १० गुणा, औशनसों के मत में २० गुणा और कौटिल्य के मत में अपराध के अनुसार जुर्माना होना चाहिये।

गणनिक्य हिसाब किताब करने के लिए आषाढ़ में आवें। भिन्न भिन्न जिलों तथा प्रान्तों के आये हुए गणनिक्यों को एक स्थान में न रखा जाय और न उनको एक दूसरे के साथ वार्त्तालाप करने की आज्ञा दी जाय। गणनिक्यों को रजिस्टर पदार्थ तथा धन साथ लाना चाहिये और उनपर राजकीय मुद्रा लगी रहनी चाहिये। आय व्यय का लेखा तथा कुल योग सुनने के बाद नीचा

(खर्च के बाद बची राजकीय संपत्ति) ग्रहण की जाय । यदि कोई हिसाब में किसी एक अंश को बढ़ा कर या घटाकर आमदनी अधिक करे तो उस को आठगुना इनाम दिया जाय । इससे विपरीत होने पर उसी से धन वसूल किया जाय । जो लोग समय पर रजिस्टर तथा नौवी को लेकर न पहुंचे उनपर देय धन का दस गुना जुर्माना किया जाय । यदि कारणिक (आय व्यय निरीक्षक) कार्मिक (राज्यस्व ग्रहण करने वाला) के आने पर आय व्यय का लेखा न ले उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । इससे विपरीत होने पर कार्मिक को दुगुना दंड मिले ।

महामात्र कार्य के संबंध में संपूर्ण बातें सुनावें । इनमें से जिसने मिलकर काम न किया हो, अलग जा बैठा हो तथा झूठ बोला हो उसको उत्तम दंड दिया जाय । जिसने दैनिक आय व्यय का लेखा तैयार न किया हो उसको महीने भरका समय दिया जाय । यदि इस पर भी वह तैयार न करे तो उसको महीने पीछे २०० पण दंड मिले । जिनका थोड़ा सा ही काम बच गया हो उनको ५ दिन का अवसर दिया जाय । इस के बाद दैनिक आय व्यय, राज्य नियम, देश प्रथा, व्यवहार आदि विषयक खर्च, आमदनी तथा अन्य बातों का निरीक्षण किया जाय । दिन, ५ दिन, पक्ष, मास, ४ मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ मिलाकर ठीक कर लिया जाय । साथ ही देश, स्थान, कर स्थान, प्राप्त धन, राजकीय आय की मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ मिला लिया जाय । इसी प्रकार निर्दिष्ट देश, स्थान, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय व्यय आदि को करने, कराने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ खर्च के धन को समान कर लिया जाय ।


यदि कोई कारणिक (राज्यधिकारी विशेष) राजा की आज्ञा के अनुसार काम न करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय व्यय में गड़बड़ करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । जो कोई रकम लिखने में क्रम का खयाल न करे, क्रम बिगाड़ दे, वे जानी रकम लिख या कई बार एकही रकम दर्ज करे उसको १२

पण दंड दिया जाय । नीवी को बिगाड़ कर लिखने में दुगुना, खा जाने में आठ गुना, नाश करने में पांच गुना तथा नुकसान भरना (प्रतिदान), भूठ बोलने में चोरी संबंधी और याद कर पीछे से लिखने में भी दुगुना दंड दिया जाय ।

राजा का कर्त्तव्य है कि छोटे मोटे कसूर को पी जाय, हल्के से भी अच्छे काम पर प्रसन्न हो जाय और बहुत ही अधिक लाभ पहुंचाने वाले अध्यक्ष का इनाम देकर आदर करे ।

२६ प्रकरण ।

ग़बन किये गये धन का प्राप्त करना ।



कोश पर ही संपूर्ण कार्यों का निर्भर है । इसलिये सबसे अधिक ध्यान कोश पर ही देना चाहिये । कोश वृद्धि के—१ प्रचार-समर्धि [उत्पादक कामों से अधिक लाभ होना] २ चरित्रानुग्रह [अच्छे आदमियों पर कृपा] ३ युक्त प्रतिषेध [अधिक संख्या में नियुक्त राज्य कर्मचारियों का कम करना] ४ सस्यसंपत् [फसल का अच्छा होना], ५ पण्यबाहुल्य [व्यापार-वृद्धि], ६ उपसर्ग प्रमोक्ष [दैवी विपत्त का कम होना], ७ परिहरक्षय (छोड़े राज्य करों का घटना) ८ हिरण्योपायन (सोने में उपहार या डाली का आना) चोरग्रह आदि नौ तरीकें हैं कोश क्षय के भी १ प्रतिबन्ध (रुकावट), २ प्रयोग (सुदपर लगाना), ३ व्यवहार (व्यपार), ४ अवस्तार (ग़बन), ५ परिहापण (राजकीय आयको कम करना), ६ उपभोग (ग़बन का भेद), ७ परिवर्त्तन (वस्तुविनिमय) तथा ८ अपहार (हिसाब किताब में गड़बड़) आदि आठ ही भेद हैं ।

१. प्रतिबन्ध । प्राप्त आमदनी का वही में न उतारना, सिद्ध न मानना तथा राज्य कोश में न भेजना प्रतिबन्ध कहाता है । इसमें नुकसान हुए धनका दस गुना जुर्माना किया जाय ।

२. प्रयोग । खजाने या कोश की चीजों को सूद पर लगाने का नाम प्रयोग है ।

३. व्यवहार । चीजों का क्रय विक्रय ही व्यवहार है । इसमें लाभ का दुगुना दंड दिया जाय ।

४. अवस्तार । समय आने पर भी जो रकम वसूल नहीं करता या वसूल हुई रकम को दर्ज नहीं करता इसका नाम अवस्तार है । इसमें नुकसान का पांच गुना जुर्माना किया जाय ।

५. परिहापण । जो प्राप्त आय को छिपाता है या व्यय को बढ़ाता है इसका नाम परिहापण है । इसमें नुकसान का चारगुना जुर्माना करना चाहिये ।

६. उपभोग । अपने आप या दूसरों के द्वारा जो राजकीय द्रव्यों के खर्च करने का नाम उपभोग है । रत्न विषयक खर्च में मृत्युदंड, सार द्रव्य विषयक खर्च में मध्यमदंड तथा साधारण द्रव्य या जांगलिक खर्च में नुकसान के बराबर दंड दिया जाय ।

७. परिवर्त्तन । राजकीय द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों के साथ परिवर्त्तन करने का नाम परिवर्त्तन है । शेष नियम इसमें उपभोग के तुल्य हैं ।

८. अपहार । प्राप्त हुई आय का प्रवेश न करना, वहीमें दर्ज किये खर्च को न करना तथा अवशिष्ट आय व्यय लेखा ठीक न रखना आदि का नाम अपहार है । इस अपराध में १२ गुना दंड देना चाहिये ।

सरकारी धन खर्च करने के चालीस तरीके हैं जो इस प्रकार दिखाये जा सकते हैं:—

१. धन ता लेलिया परन्तु वही पर दर्ज नहीं किया । २. वही पर दर्ज तो कर लिया परन्तु धन पीछे से ग्रहण किया । ३. प्राप्य धन को अप्राप्त लिखा । ४. अप्राप्य धन को प्राप्त लिखा । ५. प्राप्त धन को अप्राप्य लिखा । ६. अप्राप्त धन को प्राप्त लिखा । ७. मिला कम परन्तु वही पर अधिक करके लिखा । ८. मिला अधिक परन्तु

वही पर कम करके लिखा । ९. मिला किसी मद्दे और लिखा किसी मद्दे । १०. मिला कुछ और लिखा कुछ । ११. जो देना था न दिया । १२. जो न देना था वह दिया । १३. समय पर न दिया । १४. असमय पर दिया । १५. दिया कम और लिखा बहुत । १६. दिया अधिक और लिखा कम । १७. दिया कुछ और लिखा कुछ । १८. दिया किसी मद्दे और लिखा किसी मद्दे । १९. वही में दर्ज कर न दर्ज किये हुए के खाने में लिख दिया । २०. वही में दर्ज न कर दर्ज किये हुए के खाने में लिख दिया । २१. जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर खजाने में रख लिया । २२. दाम देकर भी जांगलिक द्रव्य को खजाने में न रखा । २३. थोड़ी सी राशि को बहुत बड़ी राशि करके लिखा । २४. बहुत बड़ी राशि को थोड़ा करके लिखा । २५. दामी चीज को कम दामी चीज से बदल दिया । २६. कम दामी चीज को दामी से बदल दिया । २७. कीमत बढ़ा के लिखा । २८. दाम घटा के लिखा । २९. [तनखाह गबन करने के लिये] रात बढ़ा कर लिखा । ३०. रात घटा कर लिखा । ३१. साल में मास घटा दिया । ३२. मास में दिन घटा दिया । ३३. प्राप्त धन को घटा बढ़ा दिया । ३४. प्राप्त धन के मूल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया नहीं । ३५. कार्य्य तथा फल लिखने में गड़बड़ कर दी । ३६. पूरी रकम न लिखी तथा जोड़ गड़बड़ किया । ३७. पदार्थों के गुण ठीक न लिखे या कीमत में फरक कर दिया । ३८. तोल न ठीक लिखा । ३९. माप न ठीक लिखा । ४०. नाप न ठीक लिखा ।

खजाने की रकम गायब होने पर निधायक [खजांची] निबंधक (मुनीम), प्रतिग्राहक (खजाने में रखने के लिये पदार्थ ग्रहण करने वाला) दायक (देने वाला), दापक (दिलाने वाला) मन्त्रि (सलाहकार) वैयावृत्यकर (बैचने वाला) आदि सरकारी नौकरों की क्रमशः परीक्षा की जाय । जो झूठ बोले उसको अपराध के अनुसार दंड दिया जाय । जनता में डुगडुगी पीटी जाय कि जिन लोगों को इस व्यक्ति से नुकसान पहुंचा है वह सरकार को खबर दें । जो सूचना दे उसकी सूचना के अनुसार उसको दंड दिया जाय । अनेक अपराधों में प्रत्येक अपराध का उससे उत्तर पूछा

जाय । एक भी अपराध के सिद्ध होजाने पर सब अपराधों का उत्तर उससे मांगा जाय । यदि उसने बहुत बड़ी रकम गबन की है तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय । जिसने गबन करने की सरकार को सूचना दी हो, यदि उसकी सूचना सत्य सिद्ध हो तो उसको वसूल किये हुए धन का छठा भाग मिले । यदि वह नौकर है तो उसको बारहवां भाग दिया जाय । अधिक धन गबन करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन गबन करने को ही सिद्ध कर सके उसका सिद्ध किये हुए धन का भाग ही मिले । यदि वह गबन करने के अपराध को सिद्ध न कर सके तो उस पर कोई पड़ें या उस पर सोने में जुरमाना किया जाय । उसको दंड से किसी भी हालत में मुक्त न किया जाय ।

यदि सूचना देने वाला अपराधी से मिल कर अपराध का निर्णय किसी दूसरे पर फेंक दे या अपने आप को किसी दूसरे तरोके से बचाने का कोशिश करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाये ।

२७ प्रकरण ।

उपयुक्त परीक्षा

अमात्य के गुणों से युक्त संपूर्ण अध्यक्त भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त किये जाय । मनुष्य के चित्त के स्थिर न होने से इनके कामों की प्रतिवेदन देख भाल करता रहे । मनुष्य घेड़ की तरह काम में जोतते ही बिगड़ने लगते हैं । यही कारण है कि उनके-कार्य करने के साधन, स्थान, समय, कार्य, उत्पत्ति तथा शुद्ध लाभ के संबंध में सदा ही जानता रहे । वह लोग आपस में मिले या भगड़े बिना ही आज्ञा के अनुसार काम करते रहें । यदि कहीं मिल गये तो रुपया खा जायेंगे और कहीं भगड़ गये तो सारा का सारा काम ही बिगाड़ देंगे । आपत्ति या बीमारी को छोड़कर स्वामीकी आज्ञाके बिना वह कुछ भी नया काम न करें । यदि वह लोग प्रमाद करें तो उन पर दैनिक भूति का दुगुना जुर्माना किया जाय । जो कोई हुए काम को उत्तमता के साथ करे उसको इज्जत के साथ साथ ऊंचा

पद मिले । पुराने आचार्यों का मत है कि जो खर्चा तो अधिक करें और उसके बदले उतनी आमदनी न करें वह राज्यस्व खाजाते हैं और उससे उल्ट जो खर्च के अनुसार आमदनी इकट्ठी करें उन को ईमान्दार समझना चाहिये । कौटिल्य का मत इससे भिन्न है । वह इस बात के पता लगाने के लिये खुफिया पुलिस को ही उचित साधन समझता है । जो राजस्व कम प्रकट करता है वह एक प्रकार से राजा को ही खारहा होता है । यदि उस से यह काम अज्ञानादिक से होगया हो तो उसको नुकसान अपनी ओर से भरना चाहिये । जो राज्यस्व दुगुना प्रकट करता है वह प्रजा को लूटता तथा तंग करता है । यदि वह राजा के लिये अधिक धन इकट्ठा करके लावे तो न्यून-अपराध होने पर आगे से उसको ऐसा बुरा काम करने से रोक देना चाहिये । यदि अपराध बहुत अधिक हो तो उसको दंड देना चाहिये ।

जो खर्च को घटाकर आमदनी बढ़ाता है वह अभियों की मेहनत मजदूरी को खाता है । समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनखाह आदि जिसमात्रा में वह लावे उसी मात्रा में उसको राज्य दंड देना चाहिये । इस लिये जो जिस विभाग का शासक है वह भिन्न भिन्न कामों के वास्तविक जमा खर्च को संक्षेप या विस्तार से जाने और मूल हर, तादात्विक तथा कदर्य लोगों को रोकता रहे ।

मूलहरः—जो बाप दादाकी संपत्ति को अन्याय से नष्ट करदे उसको मूलहर कहते हैं ।

तादात्विकः—जो उत्पन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का बिना विचार किये शीघ्र ही उपभोग कर डाले उसको तादात्विक या फजूल खर्च कहते हैं ।

कदर्यः—जो नौकरों को या अपने आपको कष्ट देकर धन इकट्ठा करता है उसको कदर्य या कंजूस कहते हैं ।

जो कंजूस या कदर्य एक बहुत बड़ी आमदनी के स्थान का अभ्यक्त होकर प्राप्त आमदनी को घर में गाड़ देता है, नागरिकों या ग्रामीणों के पास रखदेता है या शत्रुके राष्ट्र में पहुंचा देता है—खुफिया पुलिस के लोग उसके सलाहकार, दोस्त, नौकर चाकर,

रिश्तेदार आदिकों के साथ साथ उस की आमदनी खर्च का पूरा हाल जानते रहें। जो शत्रु के राष्ट्र के साथ संबंध रखता हो उस से गुप्त हाल पूंछा जाय और इसके बाद दुश्मन राजा को आज्ञा लेकर उसको मरवा दिया जाय। अध्यक्षों को चाहिये कि संख्यायक, लेखक, रूप दर्शक, नीची ग्राहक तथा, उत्तराध्यक्ष के साथ दोस्ती रखते हुए उनके कामों को करें। उत्तराध्यक्ष का तात्पर्य हाथी, घोड़े, रथ, पर चढ़ने वाले लोगों के पीछे "अन्तेवासी" के रूप में और संख्यायक लेखक आदिकों के पीछे खुफिया पुलिस के रूप में काम करने वाले लोगों से है।

प्रत्येक राजकाय विभाग में थोड़े ही समय के लिये भिन्न भिन्न लोग नियत किये जाय।

जैसे जीभ पर रखी शहत का स्वाद न लेना कठिन है वैसे ही राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असंभव है। जैसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकती उसी प्रकार भिन्न २ कामों के करवाने के लिये नौकरी पर रखे राजकीय कर्मचारी रुपया खाते हुए नहीं पकड़े जा सकते। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की चाल जानी जा सकती है परन्तु छिपे दिल सरकारी नौकरों की चाल का जान लेना सर्वथा दुःसाध्य है। जो सरकारी नौकर अन्याय से बहुत सा धन इकट्ठा करे उस का धन जप्त कर लिया जाय या उसको दूसरे काम पर नियुक्त किया जाय। ऐसा यत्न किया जाय जिससे वह राजकीय आमदनी को न खाने पावे और जिन्होंने खाई हो वह उसको उगल दें। जो राज्यस्व का अपहरण न करते हों और न्याय पूर्वक उसको बढ़ाते हों उनको राजभक्त समझ कर स्थिर रूप से राजकीय नौकरी मिलनी चाहिये।

२८ प्रकरण ।

शासनाधिकार ।

शासन का तात्पर्य राजाज्ञा है। राजा का मुख्य काम शासन

करना है। संधि तथा युद्ध भी उसी पर निर्भर है। इसलिये अमात्य के संपूर्ण गुणों से युक्त, उत्तम भाषा तथा पद शीघ्रही बनाने वाले, प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लेख को शीघ्र ही पढ़ने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्त करना चाहिये। लेखक का काम है कि वह दत्तचित्त होकर राजा की आज्ञा सुने और सोच विचार कर ऐसा लेख लिखे जिसका अर्थ स्पष्ट हो। राजाओं के संबंध में जो आज्ञापत्र हों उनमें उनके वंश नाम तथा देश का उल्लेख हो। औरों के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्याप्त है। लेखक को चाहिये कि वह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, संपत्ति स्वभाव, देश-काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जैसा पुरुष ही उसी के अनुरूप लेख लिखे। अच्छा लेख वही समझा जाता है जिसमें १ अर्थ क्रम २ संबंध ३ परिपूर्णता ४ माधुर्य ५ औदार्य तथा ६ स्पष्टता मौजूद है।

१. लेख में महत्व के अनुसार संपूर्ण बातों के क्रमशः लिखने का नाम अर्थक्रम है।

२. प्रस्तुत अर्थ के अनुसार ही समाप्ति पर्यन्त लेख लिखने का नाम संबंध है।

३. परिपूर्णता उसी को कहते हैं जिस में अर्थ पद तथा अक्षर न अधिक तथा न कम हो, और जिसमें हेतु उदाहरण तथा दृष्टान्त से अर्थ को परिपुष्ट किया गया हो और जिसका प्रत्येक पद निर्दिष्ट अर्थ को सूचित करता हो।

४. सरलता तथा बिना किसी बड़ी मेहनत के उचित अर्थ को सूचित करने वाले सुन्दर शब्दों के प्रयोग का नाम माधुर्य है।

५. ग्राम्य शब्दों के प्रयोग न करने का नाम ही औदार्य है।

६. स्पष्टता उसी को कहते हैं जिस में सरल शब्दों का प्रयोग हो।

अकारादि वर्ण संख्या में ६३ हैं। वर्णों के समूह का नाम ही पद है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात के भेद से यह चार प्रकार का है। पदार्थ विशेष (सत्व) को प्रगट करने वाले शब्द को नाम तथा जिसका कोई लिंग न हो और जो कि क्रिया विशेष को सूचित करता हो, उसको आख्यात कहते हैं। क्रिया क पहिले लगाने वाले में आदि का नाम उपसर्ग और अव्ययादि का नाम

निपात है। एक अर्थ को पूर्ण रूप से प्रगट करने वाले पद समूह का नाम वाक्य है। कम से कम एक पद और अधिक से अधिक तीन पद, अर्थ के अनुसार प्रत्येक वर्ग में होने चाहियें। आज्ञापत्र की समाप्ति या मौखिक आज्ञा को सूचित करने के लिये इति शब्द का प्रयोग होना चाहिये। आज्ञापत्र लिखवाने के मुख्य उद्देश्य १ निन्दा २ प्रशंसा ३ पृच्छा ४ आख्यान ५ अर्थना ६ प्रत्याख्यान ७ उपालंभ ८ प्रतिषेध ९ चोदना १० सान्त्व ११ अभ्यवपत्ति १२ भर्त्सना तथा १३ अनुनय आदि तेरह हैं।

१. किसी के कुल, शरीर तथा काम के विषय में बुरी बात कहना 'निन्दा' और २ अच्छी बात कहना 'प्रशंसा' ३ "यह कैसे हुआ" इस ढंग पर पूछना 'पृच्छा' ४ यह बात ऐसे हुई इस ढंग पर कहना 'आख्यान' ५ मांगना 'अर्थना' ६ न दूंगा यह कहना 'प्रत्याख्यान' ७ "आप को ऐसा न करना चाहिये था" ऐसा कहना 'उपालंभ' ८ विरुद्ध करना या रोकना 'प्रतिषेध' ९ आज्ञा देना 'चोदना' १० "मेरे तथा आप में भेद ही क्या है। जो मेरी संपत्ति है वह सब आप के लिये उपस्थित है।" इस ढंग की बात कहना 'सान्त्व' ११ 'तकलीफ में सहायता देना' 'अभ्यवपत्ति' १२. तेरा सत्यानास हो जायगा इस ढंग पर दोष दिखाते हुए झिड़कना 'भर्त्सना' तथा १३ समझाने का नाम 'अनुनय' है। रुपया, प्रतिष्ठा-भंग तथा कष्ट के समय में किये जाने के भेद से अनुनय तीन प्रकार का होता है।

शासन या आज्ञापत्र के १ प्रज्ञापन २ आज्ञा ३ परिदान ४ परीहार ५ निरुष्टि ६ प्रावृत्तिक ७ प्रतिलेख ८ सर्वत्रग आदि आठ भेद हैं।

१. प्रज्ञापन। अमुक ने यह कहा है, यदि इस में कुछ तत्व है तो यह चीज दे दीजिये, शत्रु यह कर कहा है, इत्यादि बातों के विषय में राजा को सूचना देने का नाम प्रज्ञापन है। यह कई प्रकार का होता है

२. आज्ञा । सरकारी नौकरों को जिस पत्र के द्वारा राजा इनाम या दंड दे उस को आज्ञालेख के नाम से पुकारते हैं ।

३. परिदान । प्रीति से या दान देने की इच्छा से जब राजा योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देता है उसको परिदान कहते हैं ।

४. परीहार । क्षाति ग्राम तथा देश के सम्बन्ध में राजा जो अनुग्रह करता है उसको परीहार के नाम से पुकारा जाता है ।

५. निमृष्टि । कार्य करने की आज्ञा या लाइसेन्स देने का नाम चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह लैखिक हो निमृष्टि कहा जाता है ।

६. प्रावृत्तिक । दैवी तथा मानुषी विपत्ति राजा के प्रावृत्तिक लेख का ही परिणाम मानी जाती है ।

७. प्रतिलेख । राजा के आज्ञा लेख को देख कर तथा समझ कर जो उत्तर लिखा जाता है उसको प्रतिलेख कहते हैं ।

८. सर्वत्रग । राजा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा मुख्य शासकों को रक्षा, उपकार तथा उपाय के विषय में जो खुली आज्ञा देते हैं उसको सर्वत्रग नाम से पुकारा जाता है ।

I साम, II उपप्रदान, III भेद तथा IV दंड के भेद से उपाय चार प्रकार के हैं । इन में साम—१ गुण संकीर्तन २ सम्बन्धोपाख्यान ३ पर-उपकार संदर्शन ४ आयति प्रदर्शन तथा ५ आत्मोपनिधान के भेद से पांच प्रकार का है ।

I साम—१ गुण संकीर्तन । वंश, शरीर, कर्म, चरित्र, विद्या तथा समृद्धि के विषय में गुण तथा अगुण का पता लगा कर प्रशंसा या स्तुति करने का नाम गुण संकीर्तन है ।

२. सम्बन्धोपाख्यान । जात, यौन [खून का सम्बन्ध], रिश्तेदारी, गुरु, पुरोहित, कुल तथा हृदय-मित्र (दोस्त) के संबंध में बात चीत करने का नाम संबंधोपाख्यान है ।

३. पर-उपकार संदर्शन। स्वपक्ष तथा परपक्ष के पारस्परिक उपकारों को दिखाने का नाम पर-उपकार संदर्शन है।

४. आयत्ति-प्रदर्शन। इस मामले में यह बात करने से हम दोनों को यह लाभ होगा इस ढंग की आशा दिलाने का नाम आयत्ति-प्रदर्शन है।

५. आत्मोपनिधान। मुझ में तथा आप में कोई भेद नहीं है। इस लिये मेरी चीज को आप अपने काम में ला सकते हैं इस ढंग की बात कहने का नाम आत्मोपनिधान है।

II उपप्रदान। धन के द्वारा उपकार करने का नाम उपप्रदान है।

III. भेद। झिड़कना तथा संदेह पैदा कराने का नाम भेद है।

IV. मारना, तकलीफ देना तथा रुपया ग्रहण करने का नाम दंड है।

१ अकान्ति २ व्याघात ३ पुनरुक्त ४ अपशब्द ५ संस्रव आदि लेख के पांच दाप हैं।

१. अकान्ति। कागज का मैलापन या रही होना, अक्षरों का छोटा बड़ा होना तथा स्याही का फीका होना अकान्ति कहलाता है।

२. व्याघात। पहिले कुछ और पीछे कुछ लिखने का नाम व्याघात है।

३. पुनरुक्त। एक बार कही बात को बिना किसी विशेषता के दुहराने का नाम पुनरुक्त है।

४. अपशब्द। लिंग, वचन, काल तथा कारक के अन्यथा प्रयोग का नाम अपशब्द है।

५. संस्रव। लिखी बात का अनुचित विभाग तथा अन्य कई प्रकार का गड़बड़ का नाम संस्रव है।

सब शास्त्रों को विचार कर तथा उनके प्रयोगों को देखकर कौटिल्य ने राजा के लिये शासन का विधान किया।

२६ प्रकरण।

कोश में ग्रहण करने के योग्य रत्नोंकी परीक्षा।

कोशाध्यक्ष [खजांची] कोशमें ग्रहण करने के योग्य रत्न, सार द्रव्य, साधारण पदार्थ, जांगलिक द्रव्य आदियों की योग्य योग्य मनुष्यों के सहारे परीक्षा करे।

१ ताम्रपरिणिक २ पाण्ड्यकवाटक ३ पाशिक्य ४ कौलेय ५ चौलेय ६ मोहेन्द्र ७ कार्दमिक = स्त्रौतसीय ८ हादीय तथा १० हैमवत के भेद से मोती दस प्रकार का होता है। सीपी शंख तथा अन्य भिन्न २ पदार्थों में से ही मोती निकलता है।

मसूरक [मसूर की तरह], त्रिपुटक [तीन गांठ पड़ा], कूर्मक [कछुए की पीठ की तरह] अर्धचन्द्रक [आधा गोल] कंचुकित [मोटे छिलके वाला] यमक [जुड़िया], कर्तक (कटा हुआ), खरक (खुदरा) सिकक (दागी) कामंडलुक (कमंडलुकी तरह), काला, नीला तथा सख्त (जिसमें छेद न किया जासके) मोती अप्रशस्त या घटिया होता है। जो मोती मोटा गोल चमकीला सफेद भारी चिकना कोमल तथा निस्तल (जिसमें कहीं पर भी तल न हो) हो उसको प्रशस्त या बढ़िया समझना चाहिये। शीर्षक (एक मोटे दाने वाली) उपशीर्षक (५ मोटे दाने वाली) प्रकांड (क्रमशः बड़े होते हुए मोती वाली) अवघाटक (एक सदृश दाने वाली) तरल-प्रतिबंध (एक चमकीले दाने वाली) आदि मोती की मालाओं के नाम हैं। मोती की लरों के १००८ को इन्द्रच्छन्द, ५०४ को विजयच्छन्द, ६४ को अर्धहार, ५४ को राश्मिकलाप ३२ गुच्छा, २७ को नक्षत्र माला, २४ को अर्धगुच्छ, २० को माणवक, और १० को अर्धमाणवक कहते हैं। इन्हीं के बीच में यदि मणि हो तो उसको माणवक नामसे पुकारा जाता है। जब एक दाना तो बहुत बड़ा हो तो उसको शुद्ध हार कहते हैं। इसी प्रकार अन्यो के नाम

समझने चाहियें। यदि इनके बीच में मणि होतो इनका नाम अर्ध माणवक हो जाता है। जिस माला में तीन या पांच लंबे मोती के दाने हों उसको फलकहार नाम से पुकारते हैं। शुद्ध एक लरको एकावली और यदि इसके बीचमें मणि पड़ा हो तो इसको यष्टि कहते हैं। सोने तथा मणियों के हार को रत्नावली और यदि इसमें मोती भी हो तो इसको अपवर्तक और यदि सोने के सूतमें परोया गया हो तो सोपानक और यदि बीच में मणि लगी हो तो मणिसोपानक नाम से पुकारते हैं। शिर, हाथ, पैर, कमर तथा अन्य स्थानों के गहनों के विषय में भी यही समझना चाहिये।

१ कौट २ मौल्यक ३ पारसमुद्रक के भेद से मणि तीन प्रकार की है।

माणिक कमल के रंगका, स्वच्छ लाल तथा पारिजात के फूल की तरह गुलाबी होता है। पद्मा नीला कमल, शिरीष का फूल, पानी, बांस, तोते के पर, के रंगका होता है। पुष्पराग, गोमूत्रक तथा गोमेदक इसी के भेद हैं। नीलम् नीला, चने मटर के फूल, महारा नीला, जामुन, बादल आदिके रंगका होता है। नन्दक (चित्त को खुश करने वाला) स्रवन्मध्य (बीचमें आव वाला) शीत वृष्टि (ठंडक देने वाला) सूर्यकान्त आदि इसीके भेद हैं। मणि छः कोन, चौकोन तथा गोल होती है। गहरी लाल, स्वच्छ, भारी, चमकीली आव वाली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणियों का गुण है। हल्की लाल, बालु सहित, अन्दर से छेद वाली, टूटी फूटी, कठोर तथा रेखा पड़ी होना मणियों का दोष है। विमलक, सस्यक, अंजनमूलक, पित्तक, सुलभक, लोहितक, अमृतांशुक, ज्योतीरसक, मौल्यक, आहिच्छत्रक, कूर्प, प्रतिकूर्प, सुगन्धि कूर्प, क्षीरपक, शुक्लिचूर्णक, शिला प्रवालक, पुलक, शुक्रपुलक, आदि मणियों की भिन्न भिन्न जातियां हैं। इनके अतिरिक्त जातिकी जो मणि मिले उसको काच मणि समझना चाहिये।

१ सभाराष्ट्रक २ मध्यमराष्ट्रक ३ काश्मक या कान्तीर राष्ट्रक ४ श्री कटनक ५ मणिमन्तक तथा ६ इन्द्रवानक आदि हीरे (वज्र) के ६ भेद हैं। खान स्रोत तथा ऐसे ही अन्य स्थान से हीरा प्राप्त

होता है । बिल्ली की आंख, शिरीष का फूल, गोमूत, गोमेद, स्फटिक, मूलारी का फूल आदि रंग के तथा मणियों से भिन्न रंगत के हीरे होते हैं । स्थूल, भारी, मजबूत, समान कान युक्त, रेखा खींचने के योग्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम और कोने रहित, चमक से शुन्य, मुड़ा तथा असमान हीरा निकृष्ट समझा जाता है ।

अलकान्दिक तथा २ वैवर्णिक के भेद से प्रवाल दो प्रकार का होता है । इसका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिये होता है । इसके बीच में और कोई चीज नहीं होती है ।

चन्दनों में—सतन लाल तथा मट्टी की गंधका, गोशीषक काला-लाल तथा मच्छी की गंधका, हरिचन्दन तोते के पर की तरह हरा आम की गंधका, ताण्डुल भी इसी प्रकार का, ग्रामेरुक लाल, लालकाला, पेशाब पाखाने की गंध का, दैवसभेय लाल तथा पद्म की गंधका, जापक भी ऐसा ही, जौंगक तथा तौरूप लाल, लालकाला तथा चिकना, मालेयक गुलाबी, कुचन्दन काला रुखा अगरू की तरह काला लाल या लाल काला, कालपर्वतक सफेद स्वच्छरंग का, कोशाकार पर्वतक काला-कालाचितकबरा, शीतोदकीय कमल की तरह लाल या काला तथा चिकना, नागपर्वतक रुखा तथा काँड़े के रंगका और शाकल पीले-लाल रंग (नारंगी का रंग) का होता है । लघु, चिकना, सफेद, घी की तरह लेपते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े को ठंडक देना, गरमी को सुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा मालूम पड़ना आदि चन्दन के गुण हैं ।

अगर में—जौंगक काला, कालाचितकबरा या चितकबरा, दौंगक हल्का काला, पारसमुद्रक नाना रंगका, चन्दन की तरह गंध वाला या नई चमेली की गंध का होता है ।

तैलपर्णिक (चन्दन विशेष) में—अशोक ग्रामिक मांस के रंग का तथा पद्म के गंध का, जौंगक लाल पीला तथा कमल के गंध

का या गोमूत के गंध का, ग्रामेरुक चिकना तथा गोमूत के गंध का, सौवर्ण कुड्यक लाल पीला तथा निंबू के गंधका, पूर्णद्वीपक पद्म या मक्खन के गंध का, भद्रश्रीय लाल तथा जाति वृक्ष के रंग का, आन्तरपत्य चन्दन के गंध का, दोनों ही कुष्ठ के गंध का, कालेयक स्वर्ण भूमि में उत्पन्न होता है तथा चिकना पीला, तथा औत्तर पर्वतक रत्न की तरह पीले रंग का होता है ।

सार शब्द के द्वारा उपरिलिखित संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण किया जाता है । पीसने उबालने तथा जलाने पर तथा अन्यपदार्थों के साथ मिलाने पर इन का गंध ज्यों का त्यों बना रहता है । चंदन तथा अगरु के सदृश ही तैलपरिष्क पदार्थों के गुण हैं ।

१ कान्तनावक २ प्रैयक तथा ३ उत्तरपर्वतक के भेद से चमड़ा तीन प्रकार का है । चमड़ा में कान्तनावक मयूर पंखी रंग का, तथा प्रैयक नीला पीला सफेद तथा बुंदकीदार होता है । दोनों ही ८ अंगुल लंबे होते हैं । द्वादश ग्रामीय में विंसी तथा महाविंसी नामक चमड़े होते हैं । इन में स विंसी अस्पष्ट रंग बालयुक्त तथा चित्र विचित्र और महाविंसी सख्त तथा सफेद होता है । दोनों ही १२ अंगुल लंबे होते हैं । आरोह देश में पैदा हुए चमड़ों के श्यामिका, कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा तथा शाकुला पांच भेद हैं । इन में श्यामिका लाले भूरा तथा बिन्दुयुक्त, कालिका भूरा तथा कबूतर के रंग का, दोनों ही ८ अंगुल लंबे, कदली सख्त तथा १ हाथ चौड़ा, चन्द्रोत्तरा १ हाथ लंबा तथा चित्रविचित्र और शाकुला कदली का तिहाई, कोड़ियों की तरह चितकबरा हरिण के चमड़े की तरह बिन्दु तथा लकीर दार होता है । बाह्यव देश के चमड़े के सामूर चीनसी तथा सामूली तीन भेद हैं । इनमें—सामूर काले रंग का तथा ३६ अंगुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेदी लिये काला

और सामूली गेहुआं रंग का होता है। उद्र जन्तु या उद्रस्थान का चमड़ा १ सातिना २ नलतूला तथा ३ वृत्तपुच्छा के भेद से तीन प्रकार का है। इन में—सातिना काला नलतूला नड़े के रंग का, और वृत्तपुच्छा भूरे रंग का होता है। चमड़े के यही कुल भेद हैं। नरम चिकना तथा बहुत रोयेंदार चमड़ा ही उत्तम होता है।

भेड़ का ऊन सफेद गुलाबी तथा पद्म की तरह लाल होता है। इसके स्वचित [बड़े हुए सूतके बिना], वानचित्र (भिन्न २ रंगके ऊनके सूत का बना), खंड संघात्य (पट्टियां जोड़कर बना), तथा तंतुविच्छिन्न (ऊनके सूतसे ताना बाना एक सदृश बिना गया) नामक चार प्रकार के कंबल बनाये जाते हैं। ऊनी कंबल ये—कौचपक (मोटा कंबल), कुलमितिका [पगड़ी], सौमितिका (बैलके ऊपर डालने के योग्य) तुरंगास्तरण (घोड़ेपर डालने के योग्य) वर्णक (रंगीन) तलिच्छक (विस्तर की चदर), वारवाण (कोट) परिस्तोम [लंबा कंबल] समन्तभद्रक (हाथी पर डालने का कपड़ा) आदि दस भेद हैं। महीन चिकना कोमल तथा नरम कंबल उत्तम होता है।

नैपाल के बने काले रंग के ८ टुकड़ों से बने कंबल का नाम भिंगिसी है। यह वृष्टि से बचने के काम में आता है। अपसारक नामक कंबल भी इसी प्रकार का होता है।

जंगलीपशु के उनके संपुटिका (पैजामे के कामका), चतुरश्रिका (६ अंगुल लंबे कंबल के कामका) लंबरा (लंबा) कटवानक (पदे के कामका) प्रावरक (कटवानक का भेद विशेष) सत्तलिका (गलीचे के काम का) आदि भिन्न भिन्न भेद हैं। इनमें से बंगाल का [वाङ्गक] सफेद चिकना, पुंड़ देशका [पाँड़] काला तथा मणि की तरह चिकना, सुवर्णकुड्यदेशका [सौवर्णकुडय] सूर्य की तरह सफेद चमकीला तथा मणिकी तरह चिकना पतीले रंगका चौ-

कोन या भिन्न भिन्न रंगका होता है। इनमें अकेला, जोड़ा, आधा, तिगुना चौगुना आदि अनेक भेद हैं। काशी तथा पुंड़ की सनिया भी इसी प्रकार की होती है। मगध पुंड़ तथा सुवर्णकुडय के भिन्न २ वृक्षों के पत्तों या छालों के रेशे प्रसिद्ध हैं। नागवृक्ष, बड़हर, मौसरी तथा बड़ से ही यह रेशे निकाले जाते हैं। नागवृक्ष के पीले, बड़हर के गेहुपं, मौसरी के सफेद और अन्य वृक्षों के मक्खन की तरह सफेद रेशे होते हैं। इनमें सुवर्ण कुडय के सनिये उत्तम होते हैं। इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेशमी कपड़ा भी होता है।

सूती कपड़ों में—माधुर (दक्खिनी मदुरा), अपरान्तक (कोंकन) कालिंगक (कलिंग देश) काशिक (बनारस) वांगक [ढाका आदि बंगाल] धात्सक [कौशांबी] तथा माहिषक [महिष्मती के आस पास का देश] आदि उत्तम होते हैं।

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उन रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, पुरानों का संशोधन, नया बनाना, देश तथा कालके अनुसार धितना तथा नष्ट होना, मिलावट, हानिका उपाय आदि भिन्न भिन्न बातों का ज्ञान प्राप्त करे जिनका कि वर्णन इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

३० प्रकरण ।

खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन ।

खानों का अध्यक्ष तांबा आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना, माणिक पहिचानना आदि विद्याओं को जानकर या जानकार लोगों तथा मेहनती मजदूरों को साथ लेकर, कच्ची धातु, कोयला, राख, खुदाई आदि चिन्हों को जमीन या पहाड़ी टोलेपर पाकर—भार रंग गंध तथा स्वाद के अनुसार खानकी परीक्षा करे। परिचित स्थानों, पहाड़ों, गड्ढों, गुफाओं, तराईयों तथा छिपे हुए छेदों में से बहने वाले—जामुन, आम, ताड़, हाथी, हड़ताल, शहत, सिंगरफ, कमल, तोता, मोर आदि के रंगके-काई की तरह चिकने चमकीले

तथा भार वाले जलको सोने से मिश्रित और यदि वह पानी में डालते ही नीचे बैठ जाय, तेल की तरह सब ओर फैल जाय तथा मटियाला रंग का होजाय तो उसको सैंकड़ा प्रति शतक तांबा तथा चांदी से मिश्रित समझना चाहिये। सोने तांबे से मिश्रित कच्ची धातु के डलों का रूप रंग-पीला, लाल, लाल-पीला परंतु मट्टी पत्थर से भिन्न रंगका, मृग उर्द के रंगके साथ साथ दही के बूंद की सफेदी लिये, चित्र विचित्र, हल्दी हरड कमल पत्र कोई यकृत मोहा आदि रंगका होता है। उसमें प्रायः बालूकी रेखा, गोल लकीर तथा स्वस्तिका का चित्र पड़ा होता है और तपाने पर वह बिना फटे ही धुआं देने लगता है। जिस कच्ची धातु का रंग-शंख कपूर स्फटिक मक्खन कबूतर कलुआ, विमल, मोर का गला, गोमेद, गुड़, शकर, या कोविदार, पद्म, पाटली के फूलों की तरह हो उसको अंजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समझना चाहिये। यदि यह तपाने पर फट जाय, चमकने लगे, काली पड़ जाय, काले रंग की छाया ले ले। चित्र विचित्र होजाय या गरम करने पर न फटे तथा धुआं देने लगे तो उसको चांदी की धातु समझना चाहिये। कच्ची धातु जितनी भारी हो उतनी ही अधिक उसमें असली धातु होती है। उनमें से जो अशुद्ध हों उनको यदि तीक्ष्ण (मनुष्य का पेशाब) गोमूत्र तथा खार में डालकर राजवृत्त बड़ पीलु गोपित्त के साथ मिलाकर तपाया जाय तथा उसमें मैस गदहा हाथी के पेशाब लीद आदि मिलाई जाय तो शुद्ध धातु बाहर निकल आती है।

जौ, उर्द, ढाक, पीलु का खार, भेड़ तथा गौ का दूध तथा केला वज्रकन्द (सूरण) आदि की राख धातुओं को मृदु करती है। हजारों हिस्सों में चूर चूर हो जाने वाली भी धातु—शहत मुलहरी, भेड़ी का दूध, तिहरीका तेल, घी, गुड़, मसाले तथा केले के संमिश्रण में तीन बार डालते ही नरम पड़जाती है। गौ के सींग तथा दांत का चूरण धातुओं की मृदुता तथा कोमलता को स्थिर कर देता है।

तांबा—भारी, चिकना, कोमल या मृदु, होता है। यदि उसमें मट्टी या पत्थर मिला हो तो उसका रंग पीला हरा गुलाबी तथा

लाल होता है। जस्ता चितकबरा, कवूतर के रंग का, सफेद लकीर लिये तथा मांस के गंध का होता है। रांगा कुछ कुछ चितकबरा तथा फौलाद या पक्के लोहे के रंग का होता है। लोहे की रंगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुआर के फूल की तरह होती है और भली मालूम पड़ती है। कच्चा हीरा या कांसुला कांड [पेड़ विशेष] या भुजपत्र [भोजपत्र] के रंग का होता है। माणिक, सफा, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तोखा तथा हल्के रंग का होता है।

खानों से जो धातुएं निकलें उनको अपने अपने कारखानों में भेज दिया जाय। जो माल पैदा हो उसके बँचने का एक स्थान पर प्रबन्ध किया जाय और इस नियम का उल्लंघन करने वाले कर्ता [कारीगर या माल तय्यार करने वाला] क़ता तथा विक्रेता को दंड दिया जाय। खानों में काम करने वाले रत्न को छोड़ कर यदि किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनसे उसका आठ गुना वसूल किया जाय। जो चोरी करे या बिना आज्ञा के धातुओं में व्यापार करे, बंधुआ बना कर (उस से) काम लिया जाय। पदार्थों के बनाने में अत्यन्त उपयोगी परन्तु बहुत ही अधिक खर्चा चाहने वाली खान को कुछ समय के लिये बँच दे (प्रक्रम) या बंटाई विधि (भाग) पर खोदने के लिये दे। जिस में कुछ भी खर्च न हो (लाघविक) उसको अपने लिये रख छोड़े।

लोहाध्यक्ष तांबा, जस्ता, रांगा, कांसुला, कच्चा हीरा, हड़ताल, तथा लोह के व्यवसायों को खोले तथा इन में बनी चीजों के क्रय विक्रय का प्रबंध करे। लक्षणाध्यक्ष लोहा रांगा जस्ता काला सुरमा आदियों में से किसी एक का एक मासा, चौथाई तांबा तथा चांदी लेकर रूपया (रूप्य-रूप) बनवावे। इसी प्रकार तांबे के पण, अर्ध-पण, पादिक, एक आठवां ($\frac{1}{8}$) पण, मापक, अर्धमापक, काकिणी तथा अर्धकाकिणी बनवावे। रूपदर्शक (मुद्रा-परीक्षक) कौनसा पण, असली (कोश प्रवेश्य) और कौनसा चलत् (व्यावहारिक) है इसका निर्णय करे। रूप्यों के बनवाने में = प्र० श० रूपिक ५ प्र० श० वयाई (व्याजी) और $\frac{1}{2}$ पण पारी-


द्विक (परीक्षा करवाई) लिया जाय । जो इस नियम का उल्लंघन कर सिके बनावे, उन में क्रय विक्रय करें तथा उनकी परीक्षा करें उन पर २५ पण जुर्माना किया जाय । खन्यध्यक्ष (सामुद्रिक खान का अध्यक्ष) शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा क्षार के व्यवसायों को स्थापित करे और इन चीजों का व्यापार करे । लवणाध्यक्ष नमक तैय्यार होते ही नमक तथा धन में सरकारी कर एकत्रित करे और उसके बेचने वालों से मूल्य, रूप (धार्मिक कर) तथा ब्याई ग्रहण करे । आगत लवण का छुटा भाग ले । भाग ग्रहण करने के बाद जब वह लवण व्यापारियों में बंट जाय तो ५ प्र० श० विक्रय कर, ब्याई, रूप (धर्म काम के लिये ग्रहण किया गया कर) तथा रूपिक ले । केता चुंगी तथा राज पण्य के नुकसान के रूप में वैधरण (हरजाना) नामक कर दें । जो इन राज्यकरों को दिये बिना ही बेचे उस पर ६०० पण जुर्माना किया जाय ।

जो नमक में मिलावट करे या सरकारी आढा के बिना ही उस का क्रय विक्रय करे, वशतें कि वह वानप्रस्ती न हो तो उसको उत्तम दंड दिया जाय । श्रोत्रिय तपस्वी तथा बेगार लोगों को खाने के लिये मुफ्त में ही नमक मिले । इससे अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के नमक तथा खार से चुंगी ली जाय ।

राजा का कर्तव्य है कि मूल्य (कीमत), विभाग (बटाई), व्याजी (ब्याई), परिघ (धर्मविषयक कर), अत्यय (जुर्माना), शुल्क (चुंगी), वैधरण (हरजाना), दंड (जुर्माना), रूप (धन में धर्म विषयक कर) तथा रूपिक (रुपये बनाने का कर) आदि राज्यकरों के साथ साथ खानों से बारह प्रकार की धातुएं ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में राजकीय एकाधिकार स्थापित करे । खान से कोश तथा कोश से दंड उत्पन्न होता है । कोश तथा दंड से संपत्ति से सुशोभित (कोश भूषणा) पृथ्वी प्राप्त होती है ।

३१ प्रकरण ।

सुवर्णाध्यक्ष का कार्य ।



सुवर्णाध्यक्ष सोने चांदी के गहने बनवाने के लिये अक्षशाला

[सुनारघर टकसाल] बनवावे जिस में पृथक् पृथक् चार कमरे हों और एक दरवाजा हो । विशिखा नामक सड़क के बीच में कुलीन विश्वसनीय चतुर सुनार को रखा जाय ।

१ जाम्बूनद २ शातकुंभ ३ हाटक ४ वैणव ५ शृंगशुक्तिज ६ जातरूप ७ रसविद्ध तथा ८ आकरोद्भूत (खान से निकला) के भेद से सोना आठ प्रकार का है । कमल के केसर रंग का, मृदु, चमकीला तथा ठनठनाने वाला सोना, श्रेष्ठ, लाल पीले रंगका मध्यम तथा लाल रंगका निकृष्ट (अपर) होता है । श्रेष्ठ सोने में से कुछ कुछ सफेद रंगका सोना नहीं मिलता है । यदि कहीं पर यह मिल जाय तो इसमें चार गुना जस्ता मिलाया जाय और इसको पत्ते में पीट कर तपाया जाय । तपाने के बाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर इसको तेल तथा गोमूत में डाल दिया जाय । जो सोना खान से निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पत्रे पीटे जाय तथा खरल में उसको कूटा जाय । इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया जाय तथा उसको केला तथा वज्रकन्द के कल्क में डाला जाय ।

१ तुथोद्भूत २ गौडिक ३ काममल ४ कवक तथा ५ चाक्रवालिक के भेद से चांदी पांच प्रकार की है । श्वेत चिकनी तथा मृदु चांदी श्रेष्ठ होती है । इससे विपरीत जो चांदी तपाने पर फटे उसको निकृष्ट या दुष्ट समझना चाहिये । एक चौथाई जस्ता मिलाकर निकृष्ट चांदी को शुद्ध किया जाय । पिण्डाकार स्वच्छ चमकीली तथा दहीकी तरह सफेद चांदी शुद्ध होती है । कसौटी पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो तो उसको सुवर्ण कहते हैं । एक सुवर्ण में से एक काकणी से सोलह काकणी तक क्रमशः ताम्बे के मिलाने से सोना सोलह प्रकार का हो जाता है । कसौटी पर पहिले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके बाद दूसरे सोने की रेखा खींची जाय । कसौटी के समतल भाग पर जब सोने की लकीर खींची जाय तो वह नख से या शृंगूटे से मलने पर मिट जानी चाहिये । यदि उसको मिटाने के लिये खड़िया डालनी पड़े तो बेईमानी का अनुमान करना चाहिये । गोमूत में जाति हिंगुलुक (चमेली तथा सिंगरफ) तथा कसीस का फूल

डालकर उसमें सोना डाला जाय और उसको अंगूठे से रगड़ा जाय तो सोना सफेद हो जाता है । केसर की तरह चिकनी मृदु चमकीली कसौटी श्रेष्ठ होती है । इसीप्रकार कलिंग देशकी मृगके रंगकी पत्थर की कसौटी भी श्रेष्ठ मानी जाता है । एक सदृश लाल रंग वाली कसौटी बेचने खरीदने के ही काम में आती है । हाथी के रंगकी या हरी कसौटी बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वर्ण तथा काले रंग की खरीदने के योग्य होती है । इनमें भी सफेद, चिकनी, समवर्ण, मृदु तथा चमकीली श्रेष्ठ मानी जाती है ।

जो सोना तपाने के बाद अन्दर बाहर से केसरिया रंग का या कारण्ड पुष्प के रंग का हो वह उत्तम और जो नीला या काला पड़जाय वह मिलावटी समझना चाहिये । पौतवाध्यक्ष के प्रकरण में इनके तोल तथा बट्टे के विषय में प्रकाश डाला जायगा । उसीके अनुसार सोना दिया तथा लिया जाय । अक्षशाला में राजकीय कर्मचारियों के सिवाय और कोई भी न जाना पावे । इनके अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति अन्दर जाय उसको दंड दिया जाय । यदि कोई राज्य कर्मचारी सोना चांदी लेकर वहां जाय तो उसका सोना चांदी छीन लिया जाय । नाना प्रकार के गहने बनाने वाले ठोस पोला जड़ाऊ काम करने वाले, ध्मायक [भट्टों में हवा देने वाले] तथा भाड़ू देने वाले बिना रोक टोक के अन्दर आवें तथा जावें । इनके औजार, अपूर्ण काम आदि जहां के तहां ही रखे रहें । सोना, तोला, गहना आदि अक्षशाला के बीच में रखा जाय । सवरे तथा सायंकाल बना माल देखने के बाद करने तथा कराने वाले की मुद्रा उसपर डाली जाय और इसके बाद उसको सुरक्षित रखा जाय ।

सोने के १ क्षेपण, २ गुण ३ इन्द्र आदि तीन काम हैं ।

१. क्षेपण । सोने में हीरादि जड़ना क्षेपण कहाता है ।

२. गुण । सोने का सूत खींचना तथा उसका बटना गुण कहाता है ।

३. इन्द्रक । ठोस सोने में छेद करना या उसको पोला करना इन्द्रक कहाता है ।

ठोस कामों में असली सोना ५ भाग और तांबा या चांदी मिला

सोना १० भाग होता है। $\frac{1}{4}$ तांबे से युक्त चांदी या $\frac{1}{4}$ चांदी से युक्त सोना प्रायः काम में लाया जाता है उससे गहनों को बचाया जाय। पोले कामों में ३ भाग माल और २ भाग साधारण पदार्थ या ३ भाग माल और ४ भाग साधारण पदार्थ होता है। जड़ाऊ कामों में तांबा सोना बराबर होते हैं। ठोस या पोले चांदी के गहने पर आधे सोने का पानी चढ़ाया जाय। या चौथाई सोने को सिंगरफ या बालुकाहिगुलक में मिला दिया जाय।

चमकीला तथा पवित्र सोना तपनीय कहाता है। इसमें जस्ता तथा सैन्धव मिलाया जाय तथा इसके बाद इसको तपाया जाय तो इसका रंग नीला पीला सफेद हरा तोता तथा कबूतर रंग का हो जाता है। सोने में रंगत देने के लिये मयूर पंखी सफेद चमकीले पीले रंग का तीक्ष्ण नामक मसाला दिया जाय।

शुद्ध या अशुद्ध चांदी तृतीया जस्ता, हड्डी, आदि में क्रमशः चार चार बार, गोमय में तीन बार, और पुनः १७ बार तृतीया में तथा नमक में मिलाकर तपाया जाय। इसको १ काकिणी से दो मासे तक यदि सुवर्ण में डाला जाय तो सुवर्ण का रंग सफेद हो जाता है (श्वेततार)। सफेद रंगके सोने के ३० भाग यदि तपनीय सोने के ३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जाय तो सोना लाल रंग का और लाल सोना पीले रंगका हो जाता है। तपनीय सोने को गरम कर यदि उसमें रंगका तीन भाग दिया जाय तो उसका रंग लाल पीला हो जाता है। तपनीय का एक भाग यदि सफेद सोने के दो भाग से मिलाया जाय तो उसका मृंग के सदृश रंग हो जाता है। यदि यह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया जाय तो इसका रंग काला पड़ जाता है। यदि तपनीय उपरिलिखित योग में पारा मिलाने के बाद दो बार तपाया जाय तो उसका तोते के पंख की तरह रंग हरा हो जाता है। भिन्न भिन्न रंग के सोने को प्रयोग में लाने से पूर्व उसको कसौटी पर कस लेना चाहिये। तीक्ष्ण तथा ताम्र मिलाने का ढंग ठीक तरह जान लेना चाहिये। हीरा माणिक मोती प्रवाल आदि के गहने तथा तोल माप और सोने चांदी के गहनों का प्रमाण सुवर्णाध्यक्ष को मालूम होना चाहिये।

सोना वही उत्तम है जो कि—रंग में एक सदृश हो । कसौटी पर कसा जाकर एक जैसी लकीर दे । खोखला तथा पोला न हो । पक्का चिकना तथा शुद्ध हो । पहिने पर शोभा बढ़ावे । सदा ही नया मालूम पड़े तथा चमकता रहे । आंखों तथा दिल को प्यारा मालूम पड़े । और जिस के बने गहने बहुत ही भले तथा प्यारे प्रतीत हों ।

३२ प्रकरण ।

विशिखा में सुनारों का काम ।

सौवर्णिक (राजकीय सुनारों का अध्यक्ष) ग्रामीणों तथा नागरिकों का सोना चांदी लेकर कारीगरों से उनकी चीजें बनवावे । कारीगर नियत समय तथा काम के अनुसार काम करें । जो काम का बहाना कर नियत समय में काम न पूरा करें या काम बिगाड़ दें उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उससे दुगुना उनपर जुर्माना किया जाय । देर करने पर चौथाई वेतन काटा जाय तथा उसका दुगुना दंड दिया जाय ।

जितना तथा जैसा माल लिया जाय वैसा ही लौटाया जाय । देर हो जाने पर भी क्षीण तथा घिसे हुए सिक्कों को छोड़कर पूर्ववत् खरी धातु के सिक्के ही ग्रहण किये जाय । कारीगरों के द्वारा सिक्कों के सोने के चिह्न तथा विनिमयकर का ज्ञान प्राप्त करे । नये सिक्कों के बनवाने में १ काकणी सुवर्ण-क्षय के रूप में दे । चमक देने के लिये दो काकणी तीक्ष्ण (लोह धातु का भेद) डाला जाय जिसका छठा भाग सिक्के बनाते समय नष्ट हो जाता है । रंग बिगड़ने तथा एक मासा सोना कम होने पर प्रथम साहस दंड, मात्रा के कम होने पर उत्तम साहस दंड और तोल तथा वट्टे में बेईमानी होने पर या दूसरी घटिया चीज मिलाने पर उत्तम साहस दंड दिया जाय । सौवर्णिक के देखे बिना जो किसी दूसरे स्थान पर चीज बनवावे उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । जो चीज बनावे तथा बनाता हुआ पकड़ा जाय उसको दुगुना दंड दिया

जाय । यदि न पकड़ा जाय तो कण्टक शोधन में विदित तरीकों को काम में लाकर उसका पता लगाना चाहिये और इसके बाद उस पर २०० पण जुर्माना किया जाय या उसका अंगूठा काट डाला जाय ।

तुला तथा बड़े पौतवाध्यक्ष से खरीदे जायें । जो ऐसा न करे उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय ।

कारीगरों के—धन (ठोस करना), धनसुधिर (पोला करना), संग्रह (मोड़ना), अवलेप्य (मिलाना), संघात्य (जोड़ना) तथा वासितक (पानी चढ़ाना) आदि काम हैं । सोने चुराने के—१ तुला विषम (डंडी मारना), २ अपसारण (निकाल लेना) ३ विस्त्रावण (पिघला कर निकाल लेना), ४ पेटक (मोड़ कर निकाल लेना) तथा ५ पिक (तपाना) आदि ढंग हैं ।

(१) तुलाविषम । खराब तुला के—I सन्नाभिनी [मुड़ी, डंडी की], II उत्कीर्णिका (पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो) III भिन्नमस्तका (टूटी हुई), IV उपकंठी (खोखले गले वाली), V कुशिक्या (जिसकी रस्ती खराब हो) VI सकटुक्या (बुरे पलड़े वाली) VII पारिवेल्या (मुड़ी हुई) तथा VIII अयस्कान्त (चुंबक लगी) आदि आठ भेद हैं ।

(२) अपसारण । दो भाग चांदी तथा एक भाग तांबे का नाम त्रिपुटक है । जब खान से निकालने के बाद चांदी तांबा चोरी से अलग किया जाता है । तो उसको त्रिपुटक से निकाला हुआ (त्रिपुटकावसारित) कहते हैं । तांबे से शुल्वावसारित (तांबे से निकाला हुआ), वेङ्गक (तीक्ष्ण तथा चांदी का मिश्रण) वेङ्गकावसारित (वेङ्गक से चुराया हुआ) और आधे तांबा मिले सोने से हेमावसारित (सोने से निकाला हुआ) धातुओं की चोरी के भिन्न भिन्न नाम हैं ।

मूकसूया, पूर्तिकट्ट, करटुकमुख, नालीसंदश, जौंगनी, शोरा, सज्जीखर आदि सोना निकालने के भिन्न भिन्न तरीके हैं ।

(३) विस्त्रावण । सुनार लोग चालाकी कर सोने को इस तरह पिघलाते हैं कि उसका कुछ भाग आगमें पहिले से ही पड़े धातु के साथ मिल जाय । बहुधा परीक्षा के समय उसको दूसरी धातु से बदल लेते हैं और इस प्रकार सोना निकाल लेते हैं । इस को विस्त्रावण कहते हैं । किसी एक धातु को दूसरी धातु के सहारे चुराने को भी यही नाम दिया जाता है ।

(४) पेटक । पत्तर पीट कर बनाये जाने वाल गहनों में मोड़ना जाड़ना तथा पत्तर चढ़ाना आदि काम करना पड़ता है । प्रायः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता है और उसको मोम से जाड़ा जाता है । इस को गाढ़पटक या पत्तर पीटकर गहना बनाना कहते हैं । इसमें पत्तरों के बीच में कोई दूसरी चीज डाल कर सोना चुरा लिया जाता है । प्रायः एक पत्ते से दोपत्ते तक चढ़ाये जाते हैं । बीचमें तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता रखकर सोना निकाला जाता है । जिन गहनों में अन्दर तांबा और बाहर सोना होता है उसका पासा बहुत ही चिकना होता है । जिनमें सोने के दोपत्ते होते हैं उनमें तांबे के तार या पत्ते के सदृश चिकनाहट रहती है । ऐस गहनों में कांगई बंडमानी को कसौटी के द्वारा या तपाने के द्वारा पता लगाया जाय । यदि बिना किसी प्रकार की किरकिराहट के कसौटी पर लकाँर आवे तो उसको शुद्ध समझना चाहिये । लवण के तथा वेर के तजाब में डालकर जो सोना चुराया जाता है उसका भी पेटक हो कहते हैं ।

बाल तथा सिंगरफ के साथ मिलाकर पोले घरिया में या जतु-गांधार तथा बाल के साथ मिलाकर पक्की घरिया में डाला सोना तपाया तथा पिघलाया जाय तो स्वच्छ हो जाता है । लवण कोयला तथा कटुशर्करा के साथ मिलाकर साधारण बर्तन में गरम करने पर सोना ज्यों का त्यों बना रहता है । काथ में डालते ही यह शुद्ध हो जाता है । अमुक अष्टक के साथ दोहरी घरिया में गरम करने पर ठीक हो जाता है । यदि उसको बन्द काँचके बर्तन में रखे पानी में डाला जाय तो उसका एक भाग उसीमें घुल जाता है । मणि चांदी सोना आदि घने तथा पोले धातुओं का पिक किया जाता है ।

[५] पिंक । धातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का नाम हो पिंक है ।

इसलिये अथ्यक्ष को चाहिये कि हीरा मणि मोती मृंगा तथा चांदी की जात रूप रंगत राशि तथा चिन्ह आदि को देख कर गहने के लिये दे ।

पुराने गहनों के सुधरवाने तथा नये गहनों के बनवाने में—१ परिकुट्टन, २ अवच्छेदन ३ उल्लेखन तथा ४ परिमर्दन यह सोने के चुराने के चार तरीके हैं ।

१. परिकुट्टन । पोले सख्त या सोने के डले को पत्तर पीटने के बहाने जब कूटते हैं [और इस प्रकार कूट कर सोना चुरा लेते हैं] तो उसको परिकुट्टन कहते हैं ।

२. अवच्छेदन । बिगड़े हुए गहने को जब किसी वर्त्तन में रखकर अन्दर ही अन्दर छीलत हैं तथा जस्ते पर से सोने का पत्तर अलग करते हैं तो उसको अवच्छेदन, कहते हैं ।

३. उल्लेखन । ठोस गहने पर जब नकाशी करते हैं तो उसको उल्लेखन कहते हैं ।

४. परिमर्दन । हड़ताल मनसिल सिंगरफ आदिकों में से किसी एक को कुरुबिन्द (रत्न या धातु विशेष) के चूर्ण के साथ मिला कर और उसको कपड़े में रखकर रगड़ने का नाम परिमर्दन है । परिमर्दन से सोने तथा चांदी के वर्त्तन घिस जाते हैं और देखने में ज्यों के त्यों बने रहते हैं ।

टूटे हुए टुकड़े हुए तथा घिसे हुए गहनों में सोने की चोरी का अनुमान उसी के समान गहने के द्वारा पत्तर वाले गहनों में जितना पत्तर टूटा हो उसी के द्वारा और बिगड़े हुए गहनों में तपाने तथा पानी में रगड़ने के द्वारा सोने का चोरी का पता लगाना चाहिये ।

सुवर्णाध्यक्ष—अवक्षेप [इधर उधर सोने को रखना], प्रतिमान [वेट्टे], अग्नि, गंडिका, (निहाई), भंडिका (घरिया), अधिक्करणी (आसन या बैठने की चौकी), पिच्छ (कटिया), सूत्र (सूत) चेल्लयोल्लन (कपड़ा ?), पगड़ी, उत्संग (जंघा), मात्तिका (मक्खी ?)

शरीर निरीक्षण (शरीर को इधर उधर देखना), उदक शराव (सोना बुझाने का पानी से भरा बर्तन), तथा अग्निष्ट (जिस में आग रहती है) इत्यादि बातों को देखकर सोने की चोरी तथा सुनार की बेईमानी का अनुमान करे। मैली, बदबूदार, सख्त, दरारपड़ी, बदरंग चांदी को रद्दी समझे ।

इस प्रकार नयी पुरानी तथा बदसूरत तथा बिगड़ी हुई चीजों की परीक्षा करे और अपराधी पर पूर्व लिखित नियमों के अनुसार जुमाना करे ।

३३ प्रकरण ।

कोष्ठागाराध्यक्ष ।



कोष्ठागाराध्यक्ष—१ सीता, २ राष्ट्र, ३ क्रयिम, ४ परिवर्त्तक, ५ प्रामित्यक, ६ आपमित्यक, ७ सिंहनिका ८ अन्यजात, व्ययप्रत्याय, १० व्याजी, तथा ११ उपस्थान नामक राज्य करों को एकत्रित करे ।

१. सीताः—सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किये गये अनाज आदि को सीता कहते हैं ।

२. राष्ट्रः—राष्ट्र से तात्पर्य—पिंडकर [स्थिर या नियत कर], छठा भाग, सेनाभक्त [सिना के लिये गांव से रसद तथा बेगार लेना], बलि [धर्म विषयक कर], कर [राज्यस्व], उत्संग [राज कुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि के रूपमें आया हुआ राज्य कर], पार्श्व [बचा हुआ राज्य कर], पारिहीणिक [हरजाना, या नुकसान भरना], औपायनिक [अन्य समयों में भेजी गई डाली उपहार आदि] तथा कौष्ठेयक (वस्तु भंडार से संबद्ध अन्य बहुत से कर) आदिक राज्य करों से है ।

३. क्रयिमः—क्रयिम (खरीदने से प्राप्त) से तात्पर्य—धान्य मूल्य (धान्य का दाम), कोशनिहार (खजाने के लिये जो चीजें खरीदीं तथा प्राप्त की गई हों) तथा प्रयोग-प्रत्यादान (प्रयोग करने के बदले में जो चीजें ग्रहण की जायं) से है ।

४. परिवर्त्तकः—अनाज आदि का दूसरी चीज से विनिमय करने का नाम परिवर्त्तक (परिवर्त्तन से प्राप्त करना—barter) है।

५. प्रामित्यकः—दूसरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग लेना प्रामित्यक कहाता है।

६. आप्रामित्यकः—मांगे हुए अनाज के बदले अपने यहां से जो अनाज दूसरों को दिया जाय उसको आप्रामित्यक कहते हैं।

७. सिंहनिकाः—कूटने (कुट्टक), दरोरने (रोचक), सत्त पीसने, सिरका या शराब ढालने, कोल्हू में तेल पिराने तथा ईख परेने आदि को सिंहनिका कहते हैं।

८. अन्यजातः—नुक्सान हुई तथा खोयी हुई चीजों को अन्य-जात कहा जाता है।

९. व्ययप्रत्यायः—किसी दूसरे स्थान में धन को व्याज पर लगाना, कुस्थान में लगे हुए धन की बचत तथा अवशिष्ट धनको व्ययप्रत्याय कहते हैं।

१०. तोलने या मापने के बाद जो एक मुट्ठी अनाज या धोड़ा सा द्रवपदार्थ और अधिक दिया जाता है उसको व्याजी कहते हैं।

११. उपस्थानः—राज्य कर को एकत्रित करना तथा पुराने छोड़े हुए टैक्स को वसूल करना उपस्थान कहाता है।

धान्य, स्नेह क्षार तथा नमक तथा धान्य की भिन्न भिन्न किसम के विषय में सीताभ्यक्ष के प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा।

धी तेल, वसा तथा मज्जा (चर्बी) आदि स्नेह (चिकने द्रव्य) के भेद हैं (स्नेह वर्ग)

राव, गुड़, गुड़ की सफेद डली (मत्स्यंडिका), खांड तथा शकर क्षार के भेद हैं (क्षार वर्ग)

सैधा, सामुद्र, बिटिया, जवखार, सजी, तथा रेंदका नमक आदि नमक के भेद हैं (लवण वर्ग)

मक्खी तथा मुनके की शहत् मधु कहलाती है [मधुवर्ग]

इंख का रस, गुड़, शहत्, राब, जामुन, कटहल आदि मेढ़ासिंगी तथा पीपर, के काथ में महीना, छः महीना तक तथा साल भर तक डालने के बाद या खिकसा, जेठुई ककड़ी, ऊंख, आम, आंवला, आदि में सड़ाने के बाद जो चीज तैय्यार हो उसको सिरका कहते हैं (शुक-वर्ग)

अमलवैत, करोंदा, आम, अनार, आंवला, विजौरा निवू, भर-बेरी, बेर, प्याँदी बेर, फालसा आदि खट्टे फलों के भेद हैं (फलाम्ल वर्ग)।

दही तथा कांजी आदि पनीली खट्टी चीजें समझी जाती हैं (द्रवाम्ल वर्ग)

पिप्परी, मिर्च, अदरक, मंगरला, चिरयता, सफेद सरसों, धनियां, चोरक, मरुआ, दौना, तथा सहजन की फली आदि कटुप पदार्थ हैं (कटुक वर्ग)

सूखा मच्छी का मांज, कन्द, मूल, फल शाकादि शाक के भेद हैं (शाक वर्ग)

इन सब उपरिलिखित पदार्थों का आधाभाग ही सालमें खर्च किया जाय और आधा भाग आपत्ति पड़ने पर जनता को बचाने के लिये रखा जाय। जब नई फसल आवे तो पुराने को नये से बदल दिया जाय।

कूटने, घिसने, पीसने तथा भूनने पर गीले, सूखे तथा पके हुए धान्यों में कितनी वृद्धि तथा हास होता है और उनकी कितनी आकृति बढ़ती है इसको अन्दाज करके देखा जाय।

कूटने तथा भूसी निकालने पर कोदों के धान में आधा, शाली धान में $\frac{1}{2}$ भाग कम (आधा) कंकुनी के चावल में आधा और मोटे चावल में $\frac{1}{3}$ भाग कम (आधा) असली चावल निकलता है। चमसी मूंग तथा उर्द में $\frac{1}{4}$ कम (आधा), शैब्य में आधा और मसूर में $\frac{1}{3}$ कम (आधा) असली दाल निकलती है।

भिगोये हुए चने तथा मटर $1\frac{1}{2}$ और जौ २ गुना हो जाते हैं। आटा या मुच्छ धान भी भीगने पर दुगुने हो जाते हैं।

कोदों का धान, वनकुलथी, कोदों (उदारक), तथा कंकुनी के चावल पकाने पर तीनगुना, साधारण चावल चारगुना तथा महीन

चावल (शाली) पांचगुना हो जाते हैं। भिगोने पर अनाज दुगुने और यदि उनके अंकुश निकल आया है तो छ्योड़े होजाते हैं। भुंजुआ के यहां से भुंजुआई हुई चीजें भिगोने पर पांचवा भाग बढ़जाती हैं। मटर लावा तथा महुआ (भरुजा) दुगुने हो जाते हैं।

तीसी तथा अलसी में छुटा भाग, नींबू, कुशा घास, आम तथा कैथे में पांचवां भाग और तिहरी वरें महुआ तथा गोंदी में चौथा भाग तेल निकलता है। कपास तथा तीसी के डंडल के पांच पल में पलभर सूत निकलता है।

भोजन के लिये (सरकारी भत्ता) हाथी के बच्चे को—महीन चावल ५ द्रोण तथा मोटा चावल १० आढ़क, हाथी को ११ आ०, सवारी के घोड़े को १० आ०, लड़ाई के घोड़े को ६ आ०, पदातियों को ८ आढ़क, मुखियों को ७ आढ़क, देवी तथा राजकुमार को ६ आ०, और राजा को ५ आढ़क,—एक आर्य्य को, किनी रहित शुद्ध चावल १ प्रस्थ, $\frac{1}{4}$ प्रस्थ दाल, दाल का $\frac{1}{16}$ भाग नमक तथा $\frac{1}{4}$ भाग घी या तैल—साधारण आदमियों या मेहनती मजदूरों को उपरिलिखित दाल का $\frac{1}{16}$ भाग तथा घी तेल का $\frac{1}{2}$ भाग—स्त्रियों को सब चीजों का $\frac{3}{4}$ भाग—और बच्चों को $\frac{1}{2}$ भाग दिया जाय। इसी प्रकार मांस २० पल, घी या तेल $\frac{1}{2}$ कुडुंब नमक १ पल, खार १ पल, मसाला २ धरण और दही $\frac{1}{2}$ प्रस्थ भत्ते के रूप में बांटा जाय। अन्य चीजों के भत्ते के नियमों का अनुमान इसी से कर लेना चाहिये। दृष्टान्त स्वरूप तरकारी ड्यौड़ी और सूखी चीजें दुगुनी करके देनी चाहिये। हाथी तथा घोड़े के विषय में उनके अपने अपने अध्यक्षों के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। बैलों को—१ द्रोण उर्द तथा जौ का पुलाव-घाड़ों से आधक मिले और साथ ही उनको खली १ तुला और अनाज की किनी या भूसी १० आढ़क दी जाय। भैंस तथा ऊंट को इस का दुगुना, गर्दह तथा बुंदकी पार हिरनों को $\frac{1}{2}$ द्रोण, बड़े हिरनों को १ आढ़क, भेड़ बकरा तथा सुअर को $\frac{1}{2}$ आढ़क, कुत्तों को १ प्रस्थ चावल, हंस कौच तथा मोरों को $\frac{1}{2}$ प्रस्थ और शेष बच्चे मृग, पशु पक्षि तथा हिंसक जन्तुओं को अनुमान से अनाज दे। कोयला तथा भूसी लोहार तथा भीत लेपने वाले लोग लें। दास मेहनती मजदूर अनाज फंटकने तथा

सूप बनाने वाले अनाज की कनियां पावें और इसके बाद जो अनाज बचे वह चावल पकाने वाले तथा पूड़ी बनाने वाले ग्रहण करें ।

उपकरण (औजार, साधन आदि) शब्द का तात्पर्य—तराजू, बट्टा, चकिया, मुसल, उलूखल, कुट्टक (हमामदिस्ता, कुटने का वर्त्तन), रोचक यंत्र (दाल दरने वाला) पत्रक (छिलका अलग करने वाला), सूप, छलनी, संदूकड़ी, पिटारा तथा भाड़ू आदिक से है । विष्टि (वेगार, मेहनती, मजदूर) शब्द का मतलब—भाड़ू देने वाला (मार्जक), रखवाला (रक्षक), धरने वाला (धरक), मायक (तोलने वाला), मापक (मापने वाला), देने वाला (दायक), दिलाने वाला (दापक), डंडीदार (शलाकाप्रति ग्राहक), दास तथा कर्म-कर (मेहनती) आदि लोगों से है ।

अनाज ढेरी में, खार बोरी (मूत) में, घों तेल मट्टी तथा लकड़ी के वर्त्तनों में और नमक जमीन में रखा जाता है ।

३४ प्रकरण ।

पण्याध्यक्ष ।

पण्याध्यक्ष स्थल पथ तथा वारि पथ से आने वाले स्थल वा जल में पैदा होने वाले पदार्थों की उपयोगिता (सार) अनुपयोगिता (फलु) बाजारी कीमत का उतार चढ़ाव, मांग (गियता) तथा अप्रियता का ज्ञान रखे । और साथ ही यह भी जाने कि उनके विभाग (वित्तेप), एकत्रीकरण (संक्षेप), क्रय, विक्रय तथा प्रयोग का कौन सा समय है ।

जो चीज़ अधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर एक कीमत पर बेंचे । जब उस कीमत पर मांग अधिक हो तो दूसरी कीमत नियत करे । स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक कीमत पर और विदेशी माल को भिन्न भिन्न कीमत पर बेंचे । परन्तु सब कीमतों में प्रजा के हित को ही मुख्य रखना चाहिये । प्रजा को जिससे नुकसान पहुंचे ऐसा थोड़ा सा लाभ भी न ग्रहण करे । जो चीज़ें रोज़ाना जरूरत की हों उनकी प्राप्ति में देर न लगावे और उनका एकाधिकार कर अधिक दाम भी न ग्रहण करे ।

दुकान दार भिन्न भिन्न प्रकार के राजकीय पदार्थों को नियत दाम पर ही बेंचें । यदि उनसे माल नुकसान हो जाय तो सरकार को नुकसान भरे (विधरण दें) नापकर बेंच जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{10}$ भाग, तोलकर बेंचे जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{10}$ भाग और गिन कर बेंचे जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{11}$ भाग राज्यस्त्र के रूपमें लिया जाय ।

विदेशी माल मंगाने वाले व्यापारियों पर अनुग्रह रखा जाय । नाविकों तथा विदेशी व्यापारियों को लाभ के अनुसार चुंगी माफ कर दी जाय । हिस्सेदारों तथा स्थानीय सभ्यों को छोड़कर विदेश से माल मंगाने वाले विदेशियों पर कर्ज के संबंध में मुकदमा न किया जाय ।

सरकारी माल के बेंचने से जो आमदनी हो उसको-पण्याधि-ष्ठाता छिद्रवाली बन्द संदूकची में डाल दें । दिनके आठवें भागमें "इतना माल बिका है और इतना बचा है" यह कह कर संपूर्ण धन पण्याध्यक्ष को सुपुर्द कर दें और साथ ही तराजू गज तथा संपूर्ण पदार्थ भी उलीको दे दें । स्वदेश में इन्हीं नियमों के अनुसार क्रय विक्रय है । परदेश में तो-परय-प्रतिपरय (एक दूसरे के बदले में आने वाला माल) के मूल्य में से चुंगी, ळड़क कर, गाड़ी का खर्चा, छावनी का कर, नौका भाड़ा, आदि का खर्चा घटाकर शुद्ध लाभ का अनुमान करे । यदि इस ढंगपर लाभ न मालूम पड़े तो यह देखे कि स्वदेशी पदार्थ के बदले कोई ऐसा विदेशी पदार्थ लिया जा सकता है जो कि लाभ कर हो । इस ढंगपर विचार करने के बाद कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रवाना करे और जंगल-रक्षक, अंतपाल, नागरक तथा राष्ट्र मुखिया लोगों से मेल जोल बढ़ाता रहे ताकि सरकारी माल पर वह लोग विशेष अनुग्रह रखें । विपत्ति से अपने आपको तथा बहुमूल्य माल को बचावे । यदि वह अपने इष्ट स्थान तक न पहुंच सकता हो तो जो चुंगी आदि टैक्सों से रहित बाजार हो उसमें बेंच दे ।

जल मार्ग से विदेश में माल भेजने से पूर्व-गाड़ी खर्चा, भोजन व्यय, विनिमय में आने वाले विदेशी माल का दाम तथा मात्रा, मात्रा काल, भयसे बचने का उपाय और बन्दरगाहों के नियमों के विषय में पूछ ताछ करे ।

भिन्न २ नगरों के नियमों को जान कर नदी मार्ग से दूसरे राज्यों में [बैचने के लिये] जहां लाभ देखे वहां माल भेजे और जहां नुकसान मालूम पड़े वहां से दूर रहे ।

३५ प्रकरण ।

कुप्याध्यक्ष ।

कुप्याध्यक्ष (जांगलिक पदार्थों का अध्यक्ष) द्रव्यपालों तथा बनपालों के द्वारा जांगलिक पदार्थों को एकत्रित करवाये और जंगलों में कारखाने स्थापित करे । जो लोग जंगलों को काटें उनसे राज्यस्व तथा जुरमाना ग्रहण करे वशतः कि वह किसी विपत्ति में पड़ कर ऐसा करने के लिये तैय्यार न हुए हों ।

कुप्य से तात्पर्य—शाक, तिन्नीपसाई (तिन्नी का चावल), अर्जुन, महुआ, तिल, लोध्र, सागवान, शीसम, विदलैर, खिन्नी, शिपी, खैर, देवदार, ताड़, राल, अभ्रकर्ण, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी आम्रप्रियक, धव का फूल, इत्यादिक पदार्थों से है (कुप्यवर्ग)

उटज, चिमिय, चव, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ तृण आदि बांस की जाति हैं (वेणुवर्ग)

बैत, अशोक, बेल, वासी, श्यामलता, नागलता (नागफली) आदि बेलों की जाति हैं (वल्ली वर्ग)

चमेली, दूर्वाघास, आक का पेड़, सन, छोटी ज्वार, अलसी आदि डंठल वाले पौदों की जाति हैं (वलक वर्ग)

मूँज तथा बल्बज रस्सी बनाने के पदार्थ हैं (रज्जुमांड)

ताड़ी, ताल, भूर्जपत्र आदि के कागज बनते हैं (पत्र)

पलाश, बरै तथा केसर फूल कहते हैं (पुष्प)

कन्दमूलफल आदिक औषधियां हैं (औषधि-वर्ग)

कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषशृंग, नागरमोथा, कुष्ठ, महा-विष, वेल्लितक, गौर, आर्द्रबालक, मार्कट, हमवत, कालिंग, पारद, कांकोल, सार, क्रोष्टक, आदिक विष के भेद हैं (विष वर्ग) इसी प्रकार घड़े में बन्द किये हुए सांप तथा कीड़े आदि भी विष वर्ग में ही माने जाते हैं ।

गोह, सेरक, चीता, सुंस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंस, सुरागाय, गेंडा, गऊ, हरिन तथा गवय आदि का और अन्य मृग पशु पक्षि तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड्डी, पित्त, अंतड़ी, दांत, सींग, खुर पूंछ आदि एकात्रित की जाय ।


कालालोहा, तांबा, वृत्त, कांसा, जस्ता, रांग, कच्चाहीरा तथा पीतल लोह नाम से पुकारे जाते हैं ।

छाल बेंत या मट्टी के वर्त्तन बनाये जाते हैं ।

अंगार, तुपभस्म (भूसी का कोयला) आदि कोयला । मृग पशु पक्षि तथा व्याल और लकड़ी तृण आदि का संग्रह किया जाय ।

किले तथा नगर की रक्षा के लिये जो जो पदार्थ उपयोगी हों उनको शहर के बाहर या अन्दर कारखाने स्थापित कर एक एक करके तैय्यार करवाया जाय ।

३६ प्रकरण । आयुधागाराध्यक्ष ।



आयुधागाराध्यक्ष [हथियारों का प्रबंधकर्ता] कार्य काल तथा वेतन के अनुसार काम करने वाले कारीगरों से ऐसे चक्र, यंत्र, हथियार, कवच तथा उपकरण तैय्यार करवाये जोकि संग्राम, दुर्ग तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी हों । जो कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद पर नियुक्त करे । बारंबार उनके स्थान का परिवर्त्तन करे और धूप तथा हवा मिलने का प्रबंध करे । जो हथियार भाफ, नमी, गरमी सरदी, क्रिमि [कीड़े] से खराब हो जाने वाले हों उनको अन्यत्र रखे । उनकी जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण [आकृति] आगम [प्राप्ति] मूल्य तथा गुण कार्य (निक्षेप) के अनुसार निम्न लिखित वर्गीकरण करे ।

(१) स्थितयन्त्र । सर्वतोभद्र (सब ओर मार करने वाला), जामदग्न्य (शस्त्र विशेष) बहुमुख (जिसके बहुत मुख हों), विश्वासघाती, संघाटी (किलों में आग लगाने वाला लंबा बांस) यानक (रथ पर से फेंकने योग्य यंत्र) पत्रेभ्यक (पानी बुझाने का यंत्र),

अर्धबाहु तथा ऊर्ध्वबाहु (शत्रु पर गिराने के योग्य संभा) स्थित यंत्र कहाते हैं ।

(२) चलयंत्र । पंचालिक (कीलों वाला फट्टा), देवदंड (कीलें लगा बांस), सूकरिका, मुसल, यष्टि (डंडा), हस्तिवारक, तालवृंत, मुद्गर, गदा, स्पृकला, कुदाल (कुदाली) स्फाटिम, औद्धाटिम (उखाड़ने वाला), शतघ्नि (सौ को मारने वाला), त्रिशूल, चक्र यह चल-यंत्र के नाम हैं ।

(३) हुलमुख शक्ति, प्रास, कुन्त, हाटक, भिडिवाल, शूल, तोमर वराहकर्ण, कण्य, कर्पण तथा त्रास हुलमुख (घातक मुख वाले) श्रेणी के हथियार हैं ।

(४) धनुष । कार्मुक, कोदंड, द्रूण तथा धनुष क्रमशः ताड़, बांस लकड़ी तथा हड्डी के होते हैं ।

(५) ज्या । मूर्वा, आक या मंदार, सन, गवेधु, बांस तथा अंतड़ी या आंत की ज्या होती है ।

(६) इषु । वेणु, शर, शलाका, दंडासन तथा नाराच इषु (बाण) के भिन्न भिन्न भेद हैं ।

(७) खड्ग । निस्त्रिश, मंडलाग्र, असि तथा यष्टि खड्ग (तलवार) की हो भिन्न भिन्न जातियां हैं ।

(८) त्सरु (मूठ) । गेंड़ा, भैंस, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस की मूठ होती है ।

(९) क्षुर (क्षुरा) । परशु (फरसा), कुठार (कुल्हाड़ी), पट्टस (पटा), खन्त्रि (फावड़ा आदि), चक्र तथा कांडच्छेदन क्षुर वर्ग के हथियार हैं ।

(१०) आयुध (हथियार) । यंत्र, गोष्पण, मुष्टि, पापाण तथा रोचनी दण्ड (चाकिया के पाट) आयुध के भेद हैं ।

(११) वर्म (कवच का भेद) । लोह चालिका सारे शरीर को ढांपने वाला), पट्ट (हाथ छोड़कर सारे शरीर को ढांपने वाला), कवच, सूत्रक (तार का बना) आदिक वर्म या कवच कर्कट, शिशु-मारक, खड्ग (गेंड़ा), धेनुक, हस्ति, गोचर्म, खुर तथा सींग से बनाये जाते हैं ।

(१२) आवरण (ढाल तथा शरीररक्षक) । शिरस्त्राण (सिर का रक्षक टोपा), कंठत्राण (गले का रक्षक), कूर्पास (शरीर या पैर ढांकने का) कंचुक, वारवाण (पैर तक लंबा कौट), पट्ट, नागोदरिका (दस्ताने) वेरि, चर्म, हस्तिक, तालमूल, धमनिका, कषाट, किटिक, अप्रतिहत तथा बलाहकान्त आदि आवरण के भेद हैं ।

(१३) उपकरण । हाथी रथ तथा घोड़े आदिकों के योग्य गहने कपड़े लत्ते तथा युद्ध संबंधी सामान को ही उपकरण (सामिग्री) कहते हैं ।

कारखानों (कर्मान्त) के ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक (परब्रात संबंधी चमत्कारपूर्ण काम) काम भी आयुधागार में रखा जाय ।

आयुधेश्वर (हथियारों का प्रबंधकर्त्ता) युद्ध उपयोगी पदार्थों की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्तिव्यय तथा क्षयव्यय (नाश तथा खर्च) का ज्ञान प्राप्त करे ।

३७ प्रकरण ।

तोल माप ।

पौतवाध्यन्त (तोल-मापका अध्यन्त) तुला तथा बाट बनवाये ।
दृष्टान्तस्वरूप--

| | |
|----------------|----------------------|
| १० उर्द का ढाल | = ५ रत्ती |
| ५ रत्ती | = १ सुवर्णमापक |
| १६ सुवर्णमापक | = १ सुवर्ण वा कर्प । |
| ४ कर्प | = १ पल । |
| • • • | • • • |
| ८८ सफेद सरसों | = १ रूप्य मापक |
| १६ रूप्य मापक | = २० शैव्य |
| • • • | = १ धरण |
| • • • | • • • |
| २० चावल | = १ वज्रधरण । |

अर्धमापक, मापक, दो मासा, चार मासा, आठ मासा, दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण, सौ सुवर्ण—नामक तोलने के बट्टे बनाये जाय। धरण से संबंध रखने वाले

बट्टे भी इसी ढंग पर तैय्यार किये जाय।

मागध तथा मेकल देश में मिलने वाले लोहे तथा पत्थर के या किसी ऐसी चोड़ के, जो कि पानी से न बड़े और गरमी से न घट-बट्टे बनाये जाय। छै अंगुल लंबी तथा १ पल भारी तुला से प्रारम्भ कर क्रमशः एक पल भार में तथा ८ अंगुल लम्बाई में बढ़ती हुई १० तुला तैय्यार की जाय। लम्बाई में एक ओर या दोनों ओर नम्बर लगा दिये जाय और बीच में कांटा रखा जाय। समवृत्ता नामक तुला ७२ अंगुल लंबी और ५३ पल भारी होती है। इसमें ५ पल का कांटा होता है। १ कर्प, पल, १० पल, १२ पल, १५ पल, २० पल, से प्रारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लगे होते हैं। बीच में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता है। समवृत्ता से भी बड़ी परिमाणी होती है जो कि दुगुनी भारी और ६६ अंगुल लंबी होती है। इसमें भी २०, ५० तथा १०० की संख्यायें अंकित होती हैं।

२० तुला = १ भार

१० धरण = १ पल

१०० पल = १ आयमानी (राजकीय आयमापक)

सार्वजनिक तथा अन्तःपुर भाजिनी तुला (अन्तःपुर में काम आने वाली) क्रमशः ५ पल कम होती है। इनमें पल आधा धरण, उत्तर लोह दो पल और लम्बाई ६ अंगुल कम होती है। *

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| * १० धरण = | १ पल (आयमानी) |
| ६ $\frac{3}{4}$ " = | १ पल (साधारण या व्यावहारिकी तुला) |
| ६ " = | १ पल (राजकीय सेवकों की तुला = भाजिनी) |
| ८ $\frac{3}{4}$ " = | १ पल (अन्तःपुरभाजिनी तुला) |

लं० इंचों में

भार पलों में—

आयमानी.....५३.....५३

व्यावहारिकी.....६६.....५१

भाजिनी.....६०.....४६

अन्तःपुरभाजिनी.....५४.....४७

मांस, लोह, नमक तथा मणि को छोड़ कर अन्य चीजों को उपरिलिखित दोनों तुलाओं में तोलने से ५ पल अधिक तुलता है जो कि राजकोष कोष में जाना चाहिये। लकड़ी की तराजू में आठ हाथ लंबा डंडा, तालमाप के चिन्ह, पलड़ा तथा बीच में पकड़ने के लिये रस्सी आदि लगी रहनी चाहिये। २५ तोल पल लकड़ी १ प्रस्थ चावल को पकाने में पर्याप्त है। इससे कम तथा अधिक भी लग सकता है। यह तो एक प्रकार की मध्यमा है। सारांश यह है कि तराजू तुला तथा बट्टे इसी नियम के अनुसार बनाये जाय।

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| २०० उर्द के दाने | = १ द्रोण (यह लोहे का बट्टा है) |
| १८७ $\frac{1}{2}$ " | = हर रोज चलने वाला १ द्रोण । |
| १७५ " | = नौकरों में चलने वाला १ द्रोण । |
| १३२ $\frac{1}{2}$ " | = अन्तःपुर में चलने वाला १ द्रोण । |

आढक, प्रस्थ तथा कुडुंब एक दूसरे के चौथाई है †

| | |
|----------|----------|
| १६ द्रोण | = १ वारी |
| २० द्रोण | = १ कुंभ |
| १० कुंभ | = १ वह । |

अनाज तोलने के लिये सूखी लकड़ी का ऐसा मापक बर्तन बनाया जाय जिस का उपरला भाग नीचे के भाग का चौथाई या निचला भाग उपरले भाग का चौथाई हो। रस, सुरा, फूल, फल, कोयला, चूना आदि तोलने का बर्तन नीचे से ऊपर तक क्रमशः दुगुना बढ़ा होता है। भिन्न बट्टों या बर्तनों का दाम इस प्रकार है।

| | |
|-------------------|----------------------|
| १ द्रोण का मूल्य | = १ $\frac{1}{4}$ पण |
| १ आढक का मूल्य | = $\frac{3}{4}$ पण |
| १ प्रस्थ का मूल्य | = ६ मापक |
| १ कुडुंब का मूल्य | = १ मापक |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| † १ आढक | = $\frac{2}{3}$ द्रोण । |
| १ प्रस्थ | = $\frac{3}{4}$ आढक । |
| $\frac{1}{4}$ कुडुंब | = $\frac{1}{6}$ प्रस्थ । |

रस आदिक तोलने के वर्तनों का दाम दुगुना और संपूर्ण बट्टों का दाम २० पण और तुला का दाम इनका तिहाई होना चाहिये । पौतवाध्यक्ष तोल के बट्टों तथा वर्तनों को "प्रामाणिक" बनाने का कर (प्रतिवेधनिक) ४ मापक ले । जो "प्रामाणिक" बट्टों या वर्तनों को काम में न लावे उस पर २७ $\frac{1}{2}$ पण जुर्माना किया जाय । व्यापारी लोग कारोबार करने के कर क रूप में १ काकिणी प्रतिदिन पौतवाध्यक्ष को दिया करें । घी बनाने तथा गरम करने का राज्यस्व (व्याजी) $\frac{3}{32}$ भाग और तेल का $\frac{1}{16}$ भाग ग्रहण किया जाय । पनीली पतली चीजों का पच्चासवां भाग वह कर नष्ट हो जाता है । अतः उतनी कमी का ख्याल न रखा जाय । कुडुंब के $\frac{1}{16}$ तथा $\frac{1}{32}$ भाग के बट्टे तथा मान बनाये जाय । घी के तोलन में ८४ कुडुंब का और तेल के तोलने में ६४ कुडुंब का एक वारक होता है और इस का $\frac{1}{4}$ घटिका कहा जाता है ।

३८. प्रकरण ।

देश तथा काल का मापना ।

मानाध्यक्ष देश तथा कालके मापने के कामों को पूर्णरूप से जाने ।

(क)

स्थान या देश का मापना ।

८ परमाणु = रथके पहिये से उठ हुए धूली के एक कण के बराबर है ।

८ धूलीकण = १ लिक्षा

८ लिक्षा = १ यूकामध्य

८ यूकामध्य = १ यवमध्य

८ यवमध्य = १ अंगुल । मझेल कद के मनुष्य की बीच की अंगुली की बीचकी गांठ का नाम अंगुल है ।

४ अंगुल = धनुर्ग्रह ।

८ अंगुल = धनुर्मुष्टि ।

१२ अंगुल = वितस्ति (एक धाता) या छाया पौरुष ।

१४ अंगुल = शम = शल = परिचय = पद (एक पैर)

२ वितस्ति = १ अरत्ति (२ बीता) = प्राजापत्य (हस्त)

२ वितस्ति = तेलमाप तथा चरमादि मापन में

+ १ धनुग्रह]

२ वितस्ति ×]

१ धनुर्मुष्टे] = १ किष्कु = १ कंस

४२ अंगुल = १ किष्कु (तरखानों, लोहारों के लिए) छावना,

किला, राजकीय माप आदि के यही काम आता है।

५४ अंगुल = १ हस्त (हाथ)। यह जंगल के मापने में काम आता है।

८४ अंगुल १ व्याम। यह गड़ढा, ऊंचाई तथा रस्सों नापने के काम में आता है।

४ अरत्ति = १ दंड, = १ धनु १ = १ नालिक = १ पौरुष

१०० अंगुल = गार्हिपत्य धनु। यह मार्ग मकान

आदि के नापने में काम आता है। याज्ञिक

लग्न इसीका १ पौरुष मानते हैं।

६ कंस या १६२ अंगुल = १ दंड। ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेव नामक भूमियां दी जाती हैं उनके मापने में यह काम आता है।

१० दंड = १ रज्जु

२ रज्जु = १ परिदेश

३ रज्जु = १ निवर्त्तन।

२ दंड + ३ रज्जु = १ बाहु

१००० धनु = गोरुत (१ मील)

४ गोरुत = १ योजन (२ कोस)

(क)

समय का मापना

समय को— बुट, लव, निभेष, काष्ठा, कला नालिका, मुहूर्त, पूर्वभाग, अपरभाग, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग आदिमें विभक्त किया जाता है।

२ बुट = १ लव।

| | | |
|-----------|---|---|
| २ लव | = | १ निमेष । |
| ५ निमेष | = | १ काष्ठा । |
| ३० काष्ठा | = | १ कला । |
| ४० कला | = | १ नालिका । चार मासे सोनेकी ४ अंगुल लंबी तार जितने छोटे छेद में से एक आढ़क पानी को बहने में जितना समय लगता है उसको १ नालिका कहते हैं । |

| | | |
|--------------|---|--------------------------------------|
| २ नालिका | = | १ मुहूर्त्त । |
| १५ मुहूर्त्त | = | १ दिन । चैत महीने का (२२ मार्च) |
| १५ मुहूर्त्त | = | १ रात । अश्वयुजमहीनेका (२२ सितंबर) |

इस तारीख के बाद तीन तीन मुहूर्त्त दिनरात प्रतिदिन छः मास तक घटते बढ़ते रहते हैं । जब धूप घड़ी में छाया ६६ अंगुल लंबी हो तो इसको दिनका आठारहवां भाग समझना चाहिये । और जब ७२ अंगुल लंबी हो तो $\frac{3}{4}$ वां भाग, ४ पौरुष लंबी हो तो $\frac{1}{2}$ भाग और २ पौरुष लंबी हो तो $\frac{1}{4}$ भाग दिनका मानना चाहिये । इसीप्रकार ८ अंगुल लंबाई में $\frac{3}{16}$ भाग, ४ अंगुल लंबाई में $\frac{3}{8}$ भाग और शून्यलम्बाई में मध्यान्ह समझना चाहिये । मध्यान्ह के बाद भी छाया का क्रम इसी प्रकार होता है । आषाढ़ के महीने में मध्यान्ह में छाया शून्यपर पहुंच जाती है इसके बाद आश्विन के महीने ६ महीने तक छाया २ अंगुल बढ़ती है और माघ के महीने से छ महीने तक छाया २ अंगुल घटती है ।


| | | |
|--------------------|---|--|
| १५ दिनरात | = | १ पक्ष—चांदकीवृद्धिमें शुक्लपक्ष और ह्रास में कृष्ण पक्ष या बहुल पक्ष होता है । |
| २ पक्ष | = | १ महीना = मास |
| ३० दिनरात | = | १ प्रकर्म मास |
| ३० $\frac{3}{4}$ ” | = | १ सौरमास |
| २६ $\frac{1}{4}$ ” | = | १ चान्द्रमास |
| २७ ” | = | नक्षत्रमास । |
| ३२ ” | = | मलमास । |
| ३५ ” | = | अश्ववाह मास । |

| | | |
|--------------------|---|------------------------|
| ४० दिनरात | = | हास्ति वाह । |
| २ मास | = | १ ऋतु |
| वर्षा ऋतु | = | श्रावण तथा प्रोष्ठपद |
| १ शरत् ऋतु | = | श्राव्ययुज तथा कार्तिक |
| हेमन्त | = | मार्गशीर्ष तथा पौष |
| शिशिर | = | माघ फाल्गुन |
| वसन्त | = | चैत्र वैशाख |
| ग्रीष्म | = | ज्येष्ठ तथा अषाढ़ |
| उत्तरायण | = | शिशिर के बाद ६ मासतक । |
| दक्षिणायन | = | वर्ष के बाद ६ मासतक । |
| उत्तरायण+दक्षिणायन | = | १ संवत्सर या वर्ष |
| ५ संवत्सर या वर्षा | = | युग । |

प्रत्येक दिन में सूर्य दिनका साठवां भाग कम करता है और यही बात चन्द्रमा करता है । इसीसे प्रत्येक ऋतु में एक दिन बढ़जाता है । यही बात हर तीसरे सालके बीचमें होती है जिस से पहिले ग्रीष्ममें अर्ध मास पड़ता है और पांचवें सालके बिंदु अन्त में अर्ध मास होता है ।

३९ प्रकरण ।

शुल्काध्यक्ष ।



शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्यद्वार के निकट उत्तर या दक्षिण में चुंगीघर तथा उसका भंडाखड़ा करे । चुंगी लेने वाले चार या पांच आदमी विक्रेय माल के सहित आये हुए बनियों से पूछें कि “आप कौन हैं । आप कहां से आए हैं । कितना माल है । आपने कहां पर माल पर मुहर लगवाई” । वे मुहर माल पर दुगनी तथा जाली मुहर माल पर आठगुनी चुंगी लीजाय । जिस माल की मुहर टूटगई हो उसको चुंगी गोदाम (घाटिका स्थान) में पड़ेरहने का ही दंड दिया जाय । राज मुहर तथा नाम के बदलने पर

१½ पण भार पीछे वहन नामक राज्य कर लिया जाय । भंड के नीचे रखे माल का प्रमाण तथा दाम बनिये लोग बतावें । "अमुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा" इस प्रकार तीन बार बोली बोलने के बाद जो मांगे उसको दे दिया जाय । क्रेताओं की स्पर्धा से जितना अधिक दाम लगे वह सबका सब मय चुंगी के सरकारी खजाने में पहुंचाया जाय । चुंगी के डरसे माल या कीमत के कम बताने पर जितना माल अधिक निकले और जो अधिक कीमत मिले वह सबकीसब खजानेमें जावे । अथवा उसपर आठ-गुन चुंगी लगाई जाय । यही नियम उससमय काम में लाया जावे जबकि व्यापारी ने चुंगी से बचने की खातिर बन्द पेटी में उपरला माल रद्दी और निचला अच्छा रखा हो या बहुमूल्य पदार्थ को अल्प मूल्य पदार्थ से छिपादिया हो । जो लोग दूसरे खरीदार के डरसे माल की वास्तविक कीमतसे अधिक कीमत बतावें तो अधिक कीमत राजा लेले अथवा दुगुनी चुंगी लगादेवे । यदि यही अपराध अभ्यस्त स्वयं करे तो उससे चुंगीका आठगुना धन जुर्माने में लिया जाय । पदार्थों का विक्रय तोल कर, मापकर या गिनकर किया जाय । साधारण या आनुग्राहिक (जिनपर चुंगी न लगनी हो या कम लगानी हो) द्रव्यों पर अन्दाज से चुंगी नियत कीजाय । चुंगी बिनादिये ही जो लोग चुंगी घरकी सीमाको पार करगये हों उनपर असली चुंगीका आठगुना जुर्माना किया जाय और इसकी जांच पड़ताल अति जाते लोगों से की जाय । जो माल विवाह से संबंध रखता हो, दहेज में मिला हो, उपहार के लिये आया हो, यज्ञ वा प्रसव के निमित्त हो, मन्दिर, मुंडन, जनेऊ, विवाह, व्रत, दीक्षा, आदि कार्यों के लिये मंगाई गई हो उसपर चुंगी न लगाई जाय । जो लोग चुप्पे से माल निकाल ले आवें उनके चोरी विषयक दंड दिया जाय । चुंगी दिये मालके साथ वे चुंगी दिये माल को तथा एकही पास पोर्ट से दो बार माल अंदर ले जाने वाले व्यापारी को भी पूर्ववत् दंड दिया जाय । कंडों की ढेरी में छिपाकर वे चुंगी माल ले आनेवाला को उत्तम दंड दिया जाय जो शस्त्र, वस्त्र, कवच, लाह, रथ, रत्न, धान्य, पशु, आदि प्रतिषिद्ध पदार्थों को अंदर ले आवे उसको पूर्ववत् दंड दिया जाय तथा उसके मालको छीन लिया जाय । यदि उनमें से किसी एक पदार्थ

को बाहर ही लावे तो उसको चुंगी घरेके बाहर ही बेचदिया जावे और उसपर चुंगी न ली जाय । अन्तपाल १ $\frac{1}{2}$ पण सड़क के कर (वर्सिनी) के रूपमें ग्रहण करें ।

बाजारीमालको डोने वाले एकखुरवाले पशुओं पर १पण, साधारण पशुओं पर २ पण, छोटे पशुओं पर १ $\frac{1}{2}$ पण तथा वहंगी वालों पर १ मापक चुंगी लगाई जाय । यदि किसी का माल नष्ट होजाय या चुराया जाय तो उसको अपनी ओरसे पूराकरे । बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य विदेशी माल की भली भांति जांच पड़ताल कर उसपर मुहर लगाई जाय और उसको अध्यक्ष के पास भेजदिया जाय । व्यापारी के भेसमें घूमने वाले खुफिया राजा को बाजारीमाल के विषय में समाचार देते रहें । राजा अपने आपको सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने के लिये अध्यक्ष से मालक आने जानेके विषय में अपनी ओर से कहे इसकेबाद अध्यक्ष व्यापारियों को कह देखो यह इसका बहुमूल्य माल है और यह इसका अल्प मूल्य माल है ” , राजाके प्रभाव से ही मुक्त को यह माल हुआ । तुमको कुछभी न छिपाना चाहिये । जो लोग इसपर भी अल्प मूल्य वाले माल को छिपावें उनपर ८ गुना चुंगी लगाई जाय और जो बहुमूल्य वाले मालको छिपावें उनका संपूर्ण माल छीन लिया जाय ।

जिस माल से राष्ट्रको नुकसान पहुंचे या कुछभी उत्तम फल न मिले उसको नष्टकर दिया जाय और जो बहुत ही उपकारी हो या दुर्लभ वोजहा उसपर किसी ढंग का भी चुंगी न लगाई जाय ।

४० प्रकरण ।

शुल्क व्यवहार ।

अन्दरूनी, बाहरी तथा विदेशी माल पर ही चुंगी (शुल्क) ली जाय । आयात कर (प्रवेश्य शुल्क) तथा निर्यात कर (निष्क्राम्य शुल्क) के भेद से चुंगी दो प्रकार की है । आयात के मूल्य का पांचवा भाग तथा फूल फल, शाक, मूल, कंद, पालक का बीज तथा सूखी मच्छी के मांस का छठा भाग चुंगी में लिया जाय । ठेके पर सरकारी

काम करने वाले करने वाले भिन्न भिन्न चीजों के जानकार शंख, वज्र, मणि, मोती, प्रवाल तथा मोती की लरी आदि की परीक्षा कर उसपर चुंगी नियत करें। सनिया, मलमल, रेशमी माल, कवच, हड़ताल, मंसिल, सिंगरफ, लोह, रंग विषयक धातु, चन्दन, अगर, मरिच, मद्य-सामिग्री (किराव), परदा, शराब, दांत, चमड़ा, रेशेदार पदार्थ, पतला कपड़ा, गलीचा, ऊपर डालने का कपड़ा (प्रावरण), बकरी या भेड़ी के ऊन का बना वस्त्र आदि के मूल्य का दसवां या पन्द्रहवां भाग चुंगी हो। साधारण कपड़ा, दो पैर के जानवर, चौपाये, सूत, रुई, गन्ध, दवाई, लकड़ी बांस, रेशे वाले पदार्थ, चमड़ा, मट्टी का बर्तन, धान्य, तेल, खार, नमक, शराब, मिठाई या पकान्न आदि के मूल्य का बीसवां या पन्ध्रवां भाग चुंगी में ग्रहण किया जाय।

नगर द्वार प्रवेश का कर चुंगी का पांचवां भाग हो। भिन्न भिन्न देशों के अनुसार यह कर छोड़ा भी जा सकता है।

उत्पत्ति स्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता। खानों पर से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पण, फूल फल तथा बगीचे से फूल फल लेने पर ५४ पण, तरकारी के खेतों (पंड) से शाक मूल तथा कंद के मोल लेने पर ५१ $\frac{३}{४}$ पण तथा खेतों पर से अनाज मोल लेने पर ५३ पण जुरमाना किया जाय। खेत को नुकसान पहुंचाने वाले पर १ पण से १२ पण दंड दिया जाय।

इस लिये देश जाते तथा गुण के अनुसार नये तथा पुराने माल पर चुंगी तथा नुकसान के अनुसार जुरमाना नियत करे।

४० प्रकरण ।

सूत्राध्यक्ष ।

सूत्राध्यक्ष कारीगरों (तज्जात पुरुष) से सूत कवच कपड़ा तथा रस्सी के काम को करवाये। विधवा, अंगविकल, लकड़ी, वैरागिन (प्रव्रजिता), राज्य दंडित, रंडियों की बुढ़ी माता, बुढ़ी राजदासी, मन्दिर के काम से छुटी देवदासी आदियों से ऊन, रेशे, रुई, जूट,

सन आदि के सूत को कतवाये । सूत की चिकना-
हट, मुट्ठाई तथा मध्यमपना देखकर उनका मेहनताना नियत करे ।
सूत की अधिकता तथा न्यूनता के अनुसार उनको तेल, आंवला
तथा बटना पारितोषिक के रूप में दे । अधिक मेहनताना तथा
मान देकर उनसे तिथि दिनों में काम लिया जाय । द्रव्य के अनु-
सार सूत की कमी में मेहनताना कम किया जाय । कार्य को मात्रा,
समय, वेतन, फल आदि का ठीका लेकर काम करने वाले कारी-
गरों से मिलेजुले तथा उनसे काम ले । जो लोग सनिया, रेशमी,
अंडी, ऊनी, सूती आदि पदार्थों के कारखानों को खोलें उनको गंध
माला, दान आदि पारितोषिकों से प्रसन्न तथा संतुष्ट रखे । वस्त्र,
गलीचे तथा परदे आदि के कारखानों को नये सिरों से खड़ाकरे ।
कवच आदि बनाने वाले कारीगरों से कवच बनवाये । जो स्त्रियाँ
पढ़ें नशीन, विधवा, प्रोषिता (जिसका पति विदेश में हो) अंग
विहीन या कम उमर हों और अपना पेट पालना चाहती हों उनसे
अपनी दासियों के द्वारा काम ले और बड़ी इज्जत के साथ उनसे
वर्ते । जो प्रातः काल स्वयं ही सूत घर (सूत्रशाला) में पहुँच उनसे
पदार्थ ग्रहण करे और उसके बदले उनको धन देदे । इतनी ही
रोशनी की जाय जिससे सूत की परीक्षा की जासके । स्त्री का
मुँह देखने पर या अन्यविषयक बात करने पर साहस दंड दिया
जाय । मेहनताना देने में देरी करने पर या काम बिना ही वेतन
देने पर मध्यम दंड दिया जाय । जो मेहनताना लेकर काम न करें
उनका अंगूठा काट दिया जाय । यही दंड उनको भी मिले जो कि
माल खागई हों, माल लेकर भाग गई हों या माल को खुरा लगाई
हों । अपराध के अनुसार ही मेहनतियों का मेहनताना काटा जाय ।
रस्सी बंटने वाले तथा कवच बनाने वाले कारीगरों से स्वयं मिल
कर सूत्राभ्युक्त बेंत तथा बांस की रस्सी बटवाये ।

सूत या रेशे की बंदी रस्सी का नाम रज्जू और बांस तथा
बेंत की बंदी रस्सी का नाम वरत्रा है । गाड़ी की जोड़ियाँ इन्हीं
से बांधी जाती हैं और उनकी लगाम भी इन्हीं की बनाई जाती है ।

४१. प्रकरण ।

सीताऽध्यक्ष ।

सीताऽध्यक्ष (कृषि का अध्यक्ष या प्रबंधकर्ता) कृषि-विज्ञान, गुल्मशास्त्र, (भाड़ियों की विद्या) वृक्ष विद्या तथा आयुर्वेद में पांडित्य प्राप्तकर, या उन लोगों से मैत्री कर जो कि इन विद्याओं में पंडित हैं—धान्य फूल फल शाक कन्द मूल पालक सन् जूट कपास बीज आदि समय पर इकट्ठा करें । बहुत हलों से जोती हुई भूमि पर दास, कर्मकर, अपराधी आदियों से बीज डलवाये और हल, कृषि संबंधी-उपकरण तथा बैल उनको अपना ओर से दे तथा काम होजाने के बाद लौटा ले । तरखान (कर्मार) खटिक (कुष्टाक), तेली, रस्सी बंटने वाले, बहेरिये लोगों से उनको सहायता पहुंचावे । यदि काम ठीक न हो तो उनसे हरजाना वसूल किया जाय ।

जांगलिक देशों में १६ द्रोण, दलदल वाले देशों (आनूप) में २४ द्रोण, अश्मक देश में १३½ द्रोण, उज्जैनी में २३ द्रोण, अपरान्त में अपरिमित, और हिमालय की तराई में इतनी अधिक वृष्टि होती है कि खेती को छोटी छोटी नहरों से ही लोग सींचते हैं । वर्षा ऋतु के आदि अन्त में ३, और बीच में ३ वृष्टि होती है ।

वृहस्पति के स्थान गमन गर्माधानादियों से, शुक्र के उदय, अस्त तथा गमन से और सूर्य के स्वरूप में विकार होने से वृष्टि का अनुमान किया जा सकता है सूर्य से बीज पड़ता है । वृहस्पतिसे सस्य में डंठल आता है । शुक्र से वृष्टि होती है । जब तीन बादल ऐसे आयें जो कि सात दिन तक लगा तार बरसैं, अस्सी बादल ऐसे आयें जो कि बूंद बूंद कर बरसैं ओर साठ ऐसे हों जो कि बदली के रूप में धूप के साथ रहें तब तीन बार खेत जोतने तथा बोने पर अनाज का होना पक्का समझना चाहिये । वृष्टि का

† डाक्टर शाम शास्त्रीने यहां पर शब्दार्थ छोड़कर “ हल कृषियान्त बैलवादि-
..... उनके काममें विलंब न होने पावे ” यह अर्थ कर दिया है । जोकि कीटि-
हयकी पंक्ति से संबंध भिन्न अर्थ है ।

हालत देखकर ही खेत में कम पानी लेने वाला या अधिक पानी लेने वाला बीजा डाला जाय। साठी, साधारण चावल, कोदों का धान, तिल, कंगनी या काकुन चेना तथा मोठ वृष्टि के प्रारंभ में, मूंग उर्द तथा शैथ्य बीच में, और कुसुंवा, मसूर, कुल्था, जौ, गेहूं, चना, अतसी तथा सरसों पीछे बोये जाते हैं। ऋतु देखकर ही बीज डाला जाय। अर्धसीरी लोग खाली पड़े खेतों को जोतें बोयें। अपनी मेहनत से पैदा करने वाले उपज का चौथा या पांचवां भाग दें बशर्ते पानी लाने में बहुत तकलीफ न पहुंची हो। जिन खेतों को हाथ से पानी भरकर सींचा जाता है उन से $\frac{1}{4}$ भाग, जिन को बंहगी के पानी से सींचा जाता है उन से $\frac{1}{2}$ भाग, जिन में सोते या अरहट्ट का पानी लगता है उनसे $\frac{1}{3}$ भाग तथा जिनमें नदी ताल तलाब तथा कुंए का पानी पड़ता है उनसे $\frac{1}{4}$ भाग उपज का लिया जाय। मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरमी सरदी तथा वसन्त का अनाज बोया जाय। चावलादि उत्तम, तरकारी आदि मध्यम और ईख निरुष्ट गिना जाता है। ईख बोने में बहुत सी तकलीफें भेलनी पड़ती हैं और खर्चा भी अधिक होता है। तर्बूज खर्बूजा आदि बेलवाली चीजें नदीके किनारे, पिप्पली अंगूर ईखादि नदी की बाढ़ की जमीन में, शाक मूल आदि कुंएसे सींची जाने वाली भूमिमें, हरियाली चीजें दलदल तथा नीची जमीन में, गन्ध, भैषज्य (दवाई), विष, खल, कन्द गुड़वी, आल, मैन-फल आदि खेतके किनारे या मेंड की जमीन में पैदा होते हैं—इसबात को समझ कर सूखी तथा गीली जमीन में होने वाली चीजें तथा औषधियां जमीन के अनुसार बोई जाय।

बोने से पहिले धानके बीजों को सात रात तक ओस तथा धूप में,—दाल आदि कोशीधान को तीन रात तक पाले तथा घाम में—कांड बीजों (जिनकी शाखा लगतीहों) को शहत् घी सुअर की चर्बी से युक्त खादमें—उनके उपरले भाग में मधु तथा घी का लेप तथा कपास के बिये या बिनौले में गोबर का लेप, करके खेतों तथा क्यारियों में,—पेड़ों के बीजोंको जलाये हुये तथा गोबर तथा गौ की हड्डी की खाद से परिपूर्ण गड्ढोंमें—डालाजाय। अंकुर निकलने पर उन-

को सूखी कटु मच्छी की खाद तथा हथूर के दूध से साँचा जाय ।

साँप की किचुली तथा विनौला एक साथ मिलाकर जलाने से जो धुआँ निकलता है उसमें साँप नहीं ठहरते ।

सभी प्रकार के बीजों के शुरूशुरू में बोने से पहिले सोना तथा पानी लेकर इस मंत्र को पढ़कर खेत में डाल कि—” प्रजापति काश्यप तथा देवताओं को नमस्कार है । देवी सीता कृपाकर बीजों तथा धनों की वृद्धि करें ”

रखवारों, ग्वालों, दासों तथा मजदूरों को काम के अनुसार भत्ता मिले और साथ ही उनको $1\frac{1}{2}$ पण महीना वेतन दिया जाय । कारीगरों का मेहनताना तथा भत्ता काम के अनुसार नियत किया जाय ।

श्रोत्रिय तथा तपस्वि लोग देवताओं पर चढ़ाने के लिये पेड़ों के नीचे गिरे हुए फूल फल तथा आग्रयण नामक यज्ञ के लिये चावल तथा जौ उठा लें । अवशिष्ट वृत्ति या उच्छ्र वृत्ति (वह मनुष्य जो कि खेत में बिखरे रह गये धान पर निर्वाह करते हों) के लोग बिखरे हुए धान को ग्रहण करें ।

अनाज आदि ज्यों ज्यों पकता जाय त्यों त्यों उसको इकट्ठा कर लिया जाय । बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि खेत में एक दाना भी न छोड़े खेतों की मेढ़ें चौड़ी तथा ऊंची हों और दूरदूरपर बनाई जाय। वह ऊपर से चपटी होनी चाहिये [जिससे उन पर मनुष्य चल सकें] † मंडल के अंत में बहुत से खेतयान बनाये जाय । उन में वही मजदूर काम के लिये जाने पावें जिनके पास पानी तो हो परंतु आग न हो ।

४२ प्रकरण ।

सुराध्यक्ष ।

सुराध्यक्ष दुर्ग, राष्ट्र, या छावनी में कारीगरों के द्वारा सुरावीजों को तय्यार करावे । कर्ता, क्रेता तथा विक्रेताओं को छोड़कर

† डाक्टर श्याम शस्त्री ने “प्रक्रापाणां समुच्छापात् वलभीर्वा तथाविधाः न संवतानि कुर्वन्ति न तुच्छानि शिरांसि च” इसका अर्थ यों किया है कि “अनाज के ढेर इकट्ठे न रखे जाय, उनकी चोटी ऊंची हो” परंतु वस्तुतः श्लोक में प्रकार का तात्पर्य अनाज के ढेर से न होकर मेढ़ से है। यही कारण है कि उपरि लिखित अर्थ अधिक अच्छा मालूम पड़ता है।

जो कोई ग्राम से बाहर या अन्दर शराब को लेजावे या लावे उस पर ६०० पण जुर्माना किया जाय । विक्रय तथा क्रय को देखकर शराब के भट्टे एक स्थान पर एक या अनक लगवाये जाय । श्रमी निर्दिष्ट काम में प्रमाद न करें, आर्य्य मय्यादा का भंग न करें, तीक्ष्ण उत्साह हीन न हो जाय इस कारण लोगों के चरित्र तथा आचार को देखकर छिटांक आधपाव, पाव तथा आधसेर से अधिक शराब किसी को भी न दी जाय । जो इधर उधर न जाय उनको शराब खाने में ही शराब पिलायी जाय ।

पेटो में बन्द या खुला गिरों रखा धन, चुराया हुआ धन, स्वामी रहित जांगलिक द्रव्य तथा सुवर्ण को प्राप्त कर और किसी व्यक्ति को बहुत ही फजूल खर्च या अपनी हैसियत से अधिक खर्चीला देख कर किसी बहाने से उनकी सूचना राजा को देदे और उनको पकड़वा देवे ।

हानि कर खराब शराब को छोड़कर अच्छी शराब [कालिका सुरा] को बहुत महंगा न बेचें । खराब शराब को अन्यत्र बिकवावे । दास तथा कर्म करों से तनखाह देकर काम ले । उनको सुअर पालने के लिये तथा पशुओं को पिलाने के लिये थोड़ी सी मुफ्त ही में दे दिया करे ।

शराब खानों में अनेक कमरे हों और उनमें सोने के लिये अलग अलग बिस्तरे बिछे हों । गंध माला तथा पानी आदि ऋतु के अनुसार रखे जाय । शराब खाने के कर्मचारी तथा खुफिया पुलिस के लोग इस बात को जानें कि कौन विशेष या साधारण खर्च कर रहा है । सोये हुए तथा बेहोश हुए हुए शराब खरीदने वालों के गहने कपड़े तथा संपत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाय । यदि किसी की कुछ भी चीज नुकसान हो जाय तो शराब के दुकानदारी पर उतना ही जुर्माना किया जाय । शराब बेचने वाले भिन्न भिन्न कमरों में खूबसूरत लौंडियों को भेजें और बाहर के आये हुए विदेशियों तथा बेहोश या सोये हुए आर्यों के दिली हाल का उनसे पता लगवावे ।

शराब के १ भेदक २ प्रसन्न ३ आसव ४ अरिष्ट ५ मैरेय तथा

६ मधु आदि छः भेद हैं ।

१ मेदक—१ द्रोण पानी, $\frac{1}{2}$ आड़क चावल तथा ३ प्रस्थ सुराबीज के योग से मेदक नामक शराब तैय्यार होती है ।

२ प्रसन्न—६२ आड़क पिसा चावल, ५ प्रस्थ सुराबीज, पुत्रक, दाल चीनी तथा अन्य मसालों के योग से प्रसन्न नामक शराब बनाई जाती है ।

३ आसव—आसव में १०० पल कैथा, ५०० पल राव, १ प्रस्थ मधु पड़ती है । सभी चीजें $\frac{1}{2}$ बढ़ाने पर उत्तम और $\frac{1}{2}$ कम करने पर निकृष्ट समझी जाती है ।

४. अरिष्ट—प्रत्येक चीजों का अरिष्ट चिकित्सकों के अनुसार ही बनाया जाय ।

५. मैरेय—मैरेय में मेढासिंगी तथा दाल चीनी का काथ, मिरच पीपल त्रिफला तथा मसालों से युक्त गुड़ पड़ता है । जिनमें गुड़ पड़ता हो उनमें त्रिफला [हरड़ बहेड़ा आंवला] अवश्य ही पड़े ।

६. मधु—मुनके तथा आवजोश के रस का नाम ही मधु [अंगूरी शराब] है । जिन जिन देशों में यह बनती है उनके नाम पर ही इनका कापिशायन तथा हारहूरक नाम है ।

सुराबीज का तात्पर्य—१ द्रोण कच्ची या पकी धोई की दाल, तीन भाग अधिक चावल, १ कर्ष ईक्ष आदि की जड़ (मोरट) आदि से है । मेदक में—पाड़ा, पठानी लाध, तुंबुर, पत्थर फूल, शहत, मुर्वा, प्रियंगुफूल, दारु हर्दी मरिच तथा पिप्पली आदि ५ कर्ष भर पड़े । प्रसन्ना में—मुलहटी का काड़ा, शकर, हल्दी, आदि मसाला पड़ता है । आसव में—दालचीनी, चीता, वायविडंग, गज पीपल आदि एकएक कर्ष और सुपारी मुलहटी, नागरमोथा, पठानी लोध आदि दो दो कर्ष डाली जाती है । इनका दसवां हिस्सा सुराबीज होना चाहिये । श्वेतसुरा में प्रसन्ना के ही मसाले पड़ते हैं । आम की शराब (सहकार सुरा) आम के रस के विशेष रूप में पड़ने से

या सुराबीज के नियत अनुपान में डालने से महासुरा या संभारि-
की नाम से पुकारी जाती है इनमें—ईखकी जड़, पलाश, पत्तर
(शाक विशेष), मेढासिंगी, दूर्धी वृक्ष (पीपर, पाकर, गुल्लर, बट,
महुआ) के कषाय में शकर की चासनी बनाकर आर उसमें
इन्द्र जब, देवदारु, हल्दी, कमल, सौंफ, चिचिड़ा, धितवन, नींबू,
पठानी लोध, चीता वायविडंग पाड़ा, स्पोता आदि को पानी के साथ
महीन पीस कर मुट्ठी भर डाला जाय। (अन्तर्नखमुष्टि)। घड़े भर
बनाई गई ऐसी शराब राजाओं के पीने के योग्य होती है। इसमें रस
की वृद्धि के लिये ५ पल राव डालनी चाहिये।

घरेलू कामों में श्वेत सुरा और ओपधि में अरिष्टका प्रयोग
करना चाहिये। अथवा उस समय जो मिलजाय उसीको काममें
ले आना चाहिये। उत्सव, समाज तथा यात्रा में चार दिन तक
सौरिक दियाजाय। जो लोग ऐसे समयों में राजाज्ञा से शराब
बनावें उनसे दैनिक राज्यकर अत्यय ग्रहण कियाजाय।

स्त्रियें तथा बच्चे सुराबीजों का संग्रह करें। वे सरकारी मालपर
५ सैकड़ा चुंगी ली जाय। सुरका, मेदक, अरिष्ट, महुआ, खटार्ई,
शराब आदिके संबंध में :—

दैनिक विक्रय, तोलमाप के भेदसे प्राप्त आय, व्याजी, तथा
वैधरण [राज्यभाग] को ग्रहण कर उचित बातों को कियाजाय।

४३ प्रकरण।

सूनाध्यक्ष।

सरकारी बन्द जंगल के पालतू मृग पशु पक्षि मत्स्यों के बंधन,
वध तथा घात में उत्तम दण्ड तथा गृहस्थ लोगों को इसी अपराध
में मध्यमदण्ड दियाजाय। आक्रमण न करनेवाले मत्स्यों तथा प-
क्षियों के बन्धन, वध तथा घात में २६ $\frac{3}{4}$ पण दंड तथा मृगों और
पशुओं के संबंध में दुगुना दंड होना चाहिये। शिकारी पशुओं का
छुटा भाग, मत्स्य-पक्षियों का दसवां भाग और मृग-पशुओं का
दसवें से भी अधिक भाग शुल्क में ग्रहण किया जाय। पक्षि मृगों

की छठवीं संख्या बन्द जंगल में छाड़ दी जाय । मत्स्य भील नद ताल तलाव तथा नहरों में पैदा होती हैं और उनकी आकृति सामुद्रिक हस्ति, अश्व, पुरुष, बैल तथा गदहों के समान होती है । कौच (कराकुल या घेंटी) दात्यूह (कायल विशेष), उत्कोश, हंस, चकवा, यूनानी तीतर, भृंगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मैना आदि जी बहलाने वाले (विहार पक्षी) पक्षी, अन्य शुभ मंगलदायक प्राणी तथा पक्षि-मृग आदिकों को शिकार तथा अन्य प्रकार की चोटसे बचाया जाय । जो इस नियम को तोड़े उसको उत्तमदण्ड दिया जाय ।

ताजे मारे हुए मृगों तथा पशुओं का अस्थि-मांस बेचा जाय । बेचते समय हड्डी का दाम निकाल दिया जाय । तोल में जो कोई कमदे उसपर कमी का आठगुना दंड दिया जाय । बछड़ों, बैलों तथा गड्डों को कोई भी न मारे । जो इनको तकलीफ पहुंचावे या मारे उसपर ५० पण जुर्माना किया जाय । बूचड़खाने से बाहर मरे, शिर पैर हड्डी रहित, बदबूदार, अपनी मौत से मरे पशुओं का मांस न बेचा जाय । इस नियम को तोड़ने में १२ पण दंड दिया जाय ।

संरक्षित दुष्ट पशु मृग तथा हाथी सरकारी बन्द जंगल से बाहर फिरते हुए पकड़े तथा मारे जा सकते हैं ।

४४ प्रकरण ।

गणिकाध्यक्ष ।

गणिकाध्यक्ष खूब सूरत, जवान तथा गाने बजाने आदि में चतुर लड़की को चाहे वह वेश्या के वंश में उत्पन्न हुई हो और चाहे न उत्पन्न हुई हो १००० पण वार्षिक पर वेश्या के तौर पर नौकर रखे। इसकी सहायक एक दूसरी वेश्या ५०० पण पर रखी जाय । इनमें से कोई यदि बाहर जाय, बीमार पड़ जाय या मर जाय तो उसकी लड़की या वहिन उसका काम करे और उसकी संपत्ति को ग्रहण करे। उसकी माता उसका सहायक वेदया को नियत करे । यदि इनमें

से कोई भी न हो तो उसकी संपत्ति राजा स्वयं ग्रहण करे खूबसूरती जवानी गहना आदि के अनुसार वेश्याओं के कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम यहतीन भेद हैं और इनकी तनखाह भी हजार से ही शुरू होती है। इनका काम राजा के छुत्र, इतरदान, पंखा, पालकी, पीढ़ी (पीठिका) रथ आदियों के साथ रहकर राजा की शोभा बढ़ाना है। जवानी नष्ट होने पर इनको दार्या बनाया जाय। वेश्या का निष्कय (स्वतंत्रता प्राप्त करने का धन) २४००० पण और उसके पुत्रका १२००० पण है। यह लोग आठ वर्ष के बाद से ही राजा के यहां गाने बजाने का काम करें। वेश्या तथा दासी जवानी खतम होने पर कोष्ठागार या पाकगृह (महानस) में काम करें। जिसको यह बात न मंजूर हो वह सरकार को $\frac{1}{4}$ पण मासिक दे।

वेश्याओं की आमदनी, खर्चा, वचन तथा दाय भाग नियत किया जाय। उनकी फजूल खर्ची रोकी जाय। माता को छोड़कर और किसी के पास गहना रखने पर $४\frac{1}{2}$ पण जुर्माना किया जाय। अपनी संपत्ति बेचने या गिरा रखने पर $४०\frac{1}{2}$ पण, गाली देने पर दुगुना, कान काटने पर $५१\frac{3}{4}$ दंड दिया जाय। जो अनिच्छुक कन्यापर वलात्कार करे या इच्छुक कन्यापर ही ऐसा काम करे उसको क्रमशः उत्तम दंड, तथा साहस दंड जो अनिच्छुक वेश्या को रोके, पटके, मारे या बदसूरत करे उसको १००० पण दंड मिले। जैसा स्थान हो वैसे ही दंड बढ़ाया जाय। या उसका जो निष्कय (छुटकारे या स्वतंत्रता प्राप्त करने का रुपया) हो उससे दुगुना या १००० पण दंड मिले। परन्तु जो मनुष्य राजकीय द्वार की वेश्या को मारे उसपर निष्कय से तिगुना जुर्माना किया जाय। माता, लड़की, रूपाजीवा तथा दासियों के मार डालने में उत्तम साहस दंड दिया जाय। सभी स्थानों में पहिले अपराध में प्रथम दंड, दूसरे अपराध में दुगुना, तीसरे में तिगुना और चौथे में जितनी मर्जी हो उतना दंड नियत किया जाय। जो राजा की आज्ञा होने पर भी पुण्य विंशय के पास न जाय उस पर कोई पद या ५००० पण जुर्माना किया जाय। मेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम करे उस पर दंड २०० या मेहनताने का दुगुना हो। यदि पास

बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनताने का आठ गुना जुरमाना दे बशर्ते कि पुरुष बीमार हो उसमें कोई और बुराई न हो । जो पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाय या पानी में डुबाकर मार दिया जाय । यदि कोई वेश्या गहने के खातिर धन ले या मेहनताना लेकर उसका बदला न चुकावे तो उसपर ८ गुना जुरमाना किया जाय । प्रत्येक वेश्या गणिकाध्यक्ष को सूचना दे कि उसकी भृति तथा आमदनी कितनी है, उसकी हैसियत क्या है और उसका किस पुरुष के साथ संबंध है । नट, नर्तक, गायक, वादक, भांड, भाट, रस्सीपर नाच करने वाले, अन्य प्रकार का तमाशा दिखाने वाले, चारण, स्त्रियों में व्यापार करने वाले तथा खुफिया या गुप्त रूप से आजीविका करने वाली औरतों के विषय में भी इसी ढंग को नियम समझना चाहिये । यदि यह लोग दूसरे राष्ट्र के हों तो ५ पण राज्यस्व प्रेक्षावेतन (तमाशा दिखाने की आज्ञा प्राप्ति विषयक राज्यस्व) के रूप में दें ।

रूपाजीवा नामक वेश्यायें दैनिक आमदनी का द्वादशगुना प्रतिमास राज्य को कर के रूप में दें । जो वेश्यायें गणिका, दासी नटी आदिको गाना, बजाना, पढ़ाना, नाचना, नाट्य, अक्षर विज्ञान, चित्रकला वीणा वांसरी तथा मृदंगबजाना, दूसरे के हृदय को पहिचानना, गन्ध मालव गंधना, शरीर को सजाना धजाना, आदि विषयक विद्यायें सिखावें उनको राजा की ओर से खर्चा मिले । सब तालों को जानने वाले वेश्या-पुत्रों को नाट्य करना सिखाया जावे ।

भिन्न देशों की भाषा तथा इशारा समझने वाली औरतें अपने बन्धु बांधवों सहित दूसरों का खुफिया लोगों को तथा नाशक कामों का पता लगावें ।

४५. प्रकरण ।

नावध्यक्ष ।

नावध्यक्ष, स्थानीययादियों के निकट समुद्र, नदी का मुहाना (नदी मुख), झील, ताल, नदी आदियों में चलने वाली नावों का

प्रबंध करें। समुद्र तथा नदी के किनारे बसेहुए गांव कुल्लु नामक राजकीय कर दें। मच्छी पकड़ने वाले छुटा भाग नावों के भाड़े के रूप में दें। बनिये बन्दरगाह के नियमों के अनुसार चुंगी दें। शंख मोती पकड़ने वाले नौकाका भाड़ा देया अपनी नावों से तरें। खन्य-ध्यक्ष के सदृश ही इनके अध्यक्ष के काम हैं।

नावध्यक्ष बन्दरगाह के अध्यक्ष की आज्ञा तथा नियम का पालन करें। आंधी पानी से बही या टूटी नाव पर पिता के तुल्य अनुग्रह करें। जो माल पानी से भीग गया हो उसपर आधी चुंगी ले या सर्वथा ही चुंगी न ले। समय आने पर व्यापारीय बन्दरगाहों या शहरों की ओर नावों को रवाना करें। दूसरे स्थान पर जाने वाली नाव जब बन्दर गाह में ठहरे तो उनसे चुंगी ली जाय। डाकू नावों को तथा शुश्रूष में जाने वाली या बन्दर गाह के नियमों को तोड़ने वाली नावों को नष्ट कर दिया जाय।

गरमी सरदी में एकसदृश बहने वाली बड़ीबड़ी नदियों में वही नावें चले जिनमें शासक (मुखिया), नियामक (चप्पू चलाने वाले) दात्र रश्मि ग्राहक (बांस, पिछुवा हिस्सा तथा रस्सी पकड़ने वाले) तथा उत्सेचक (पानी निकालने वाले) लोगों का उचित प्रबन्ध हो। छोटी छोटी बरसाती नदियों में छोटी छोटी नावों का प्रबन्ध होना चाहिये। राजाज्ञा बिना कोई भी नदियों के पार न जाने पावे। यह नियम इसीलिये बनाया कि कहीं राज द्रोही लोग भाग न जायें। बिना राजाज्ञा के जो लोग अनुचित स्थान तथा कुवेला में नदी पार करें उनको साहस दंड दिया जाय। उचितस्थान तथा उचित घेला में जो बिना आज्ञा के नदी पारें उाहें २६ $\frac{3}{4}$ पण दंड दिया जाय।

मछियारे, लकड़ हारे, घसियारे, माली, कुंजड़े, ग्वाले, खुफिया, इनके पीछे जाने वाले दूत, सैनिक, सम्मित्री, कमलरियट के लोग, अपनी नावों से पार होने वाले, बीज अलाउंस तथा जीवनोपयोगी पदार्थ ले जाने वाले तथा पानी के किनारे बसे गांवों के लोग उपरि लिखित नियम से मुक्त किये जाय (अर्थात् जिस स्थान से और जिस समय चाहें नदी से पार उतर जाय)। ब्राह्मण, संन्यासी, बच्चे, बुढ़े, बीमार, शासनहर (राजाकी आज्ञा लेजाने वाला) तथा

गर्मिणी औरतों को नावध्यक्ष का आज्ञा पत्र मुफ्तमें ही दिया जाय जिससे वह नदी के पार बिना धन खर्च किये जा सकें ।

प्रतिदिन आने जाने वाले या स्वदेशी बनियों के जान पहिचान के विदेशी व्यापारी बन्दरगाहों में बिना बाधा के उतरने दिये जाय । जो मनुष्य दूसरे की स्त्री लड़की या संपत्ति को ले कर भागा हो या शंकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल न हो, सिर पर बहुत बड़ा भार रख कर कुछ छिपाये हुए हो, जिसने शीघ्र ही भेस बदल लिया हो, सादा कपड़ा पहिना हो या शीघ्र ही संन्यासी का भेस बना लिया हो, जिस की बीमारी प्रत्यक्ष न हो, जो डरा हुआ हो, छिपाकर बहुमूल्य पदार्थ ले जाता हो, गुप्त काम के लिये जारहा हो, हाथ में जहर या लड़ाई के हथियार लिये हुए हो, दूर से आरहा हो तथा जिसके पास न हो उसको पकड़ लिया जाय ।

बोझा लादे छोटे जानवर तथा मनुष्य से १ माषक, चंहगी लिये या सिरपर बोझा लिये मनुष्य से तथा घोड़ा गौ से २ माषक, ऊंट तथा भैंस से ३ माषक, छोटी बहिया से ५ माषक, रथ से ६ माषक बैलगाड़ी से ७ माषक तथा व्यापारी माल से भरी गाड़ी से एक चौथाई पण लिया जाय । अन्य भारों के संबंध में इसी ढंग पर किराया लिया जाय । पानी के किनारे बसे हुए गांवों क्लृप्त नामक कर या अनाज तथा तनखाह ली जाय (उन मल्लाहों के लिये जो कि नदी से पार उतारने के लिये सरकार ने नौकर रखे हैं) । राष्ट्र के अन्त में नाव का किराया, चुंगी, गाड़ीभाड़ा तथा सड़क संबंधी कर ग्रहण किया जाय । बिना पास के जो बाहर जाना चाहे उसका माल छीन लिया जाय । कुवेला तथा अनुचित स्थान में बहुत भारी बोझ के साथ तैरने वालों बिना मल्लाह की दृष्टि फूटी या वे सुधारी नाव में माल ले जाने वालों से नुकसान भर लिया जाय ।

आपाढ़ के दूसरे सप्ताह तथा कार्तिक के बीचमें नदियों में नावों का विशेष रूप से प्रबंध किया जाय । काम करने वाले लोगों पर विश्वास करते हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए बचे हुए धन को प्रति दिन ग्रहण करे ।

४६ प्रकरण ।

गोऽध्यक्ष ।

गोऽध्यक्ष १ वेतनोपग्राहिक (तनखाह लेकर) २ कर प्रति कर (चमड़ा घी आदि लेकर) ३ भग्नोत्सृष्टक (उत्पत्ति का भाग लेते हुए) ४ भागानुप्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ५ व्रजपर्यग्र (गणना), ६ नष्ट (खोई हुई) ७ विनष्ट और दूध घी आदि की उत्पत्ति का प्रबंध करे ।

१. वेतनोपग्राहिकः—गोपालक, पिंडारक (?) दोहक (दूध दुहने वाले) मंथक (दूध मथने वाले) तथा व्याध लोगों को तनखाह देकर पशुओं की रक्षा के लिये नियुक्त किया जाय । दूध घी देकर उनसे काम लेने पर वह लोग बछड़ों को भूखा मार डालते हैं ।

२. कर प्रतिकरः—बुढ़ी, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदियों की सौ सौ संख्या का प्रबंध एक एक गोपाल करे । इस प्रबंध के बदले उसको प्रति वर्ष ८ वारक घी (१०४ सेर—८ छिटांक) † एक पण लाभ देने वाली पूंछ, चमड़ा, आदि मिले ।

३. भग्नोत्सृष्टकः—बीमार, लंगड़ी लूली, एक हथा (जो दूसरे से दूध न दुहवावे), मुश्किल से दूध दुहाने वाली तथा बन्धे को मार डालने वाली गउओं को सौ सौ में विभक्त कर गोपालकों के प्रबंध में रखा जाय । उनसे जो कुछ पैदा हो वह गोपालक स्वयं ग्रहण करें ।

४. भागानुप्रविष्टकः—अन्य लोगों ने शत्रु या जंगल के भयसे अपने पशुओं की रक्षा का भार जब गोऽध्यक्ष पर डाला हो तो उन पशुओं से जो कुछ उत्पन्न हो उसका दसवां भाग ग्रहण किया जाय ।

† तुलामान पौतव में लिखा है कि "कुटुम्बारचतुराशीतिः वारकस्पर्षिषो मयः" अर्थात् घी के वारक में ८४ कुटुम्ब घी होता है । एक कुटुम्ब लगभग २½ छिटांक के होता है ।

५. व्रजपर्यग्र-व्रजपर्यग्र का तात्पर्य पशुगणना से है । इसके अनुसार गोऽध्यक्ष—बछड़ा, बड़ा बछड़ा, सिखाने लायक जवान बछड़ा (दम्या) भार देने लायक (वही), बैल, सांड—हल में जोतने लायक (युग वाहन), गाड़ी में जोतने लायक (शकटवह) बूचड़ खाने के योग्य (सूना), भैंस, पीठ या कंधे पर भार देने लायक भैंस,—बछड़ी, जवान बछड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गामिन, दुधारी गाय, अप्रजाता जिसके अभी बच्चा पैदा न हुआ), बन्ध्या—एक महीने या दो महीने की गाय भैंस या इससे बड़ी—इत्यादि बातों के साथ साथ उनकी-संख्या, (अंक) चिन्ह, रंग, सींगों का अंतर, उत्पत्ति तथा अन्य बहुत से चिन्हों का उल्लेख राजपट्टर में करे ।

६. नष्ट—खोई हुई चुराई हुई या दूसरे संघ में मिली हुई को नष्ट समझा जाय ।

७. विनष्ट—कीचड़ में फंसी, बीमार, पानी में बही, बुढ़ी, पेड़, नदी का किनारा लकड़ी पत्थर आदि से घायल, बिजली शेर सांप मगरमच्छ जंगल की आग आदि से मरी गाय भैंस को विनष्ट (सदा के लिये खोई हुई) समझा जाय ।

जो पशुओं को स्वयं मारे या मरवावे अथवा स्वयं चुरावे या चुरवाये उसको मृत्यु दंड दिया जाय । जो चुराई हुई गाय को ले आवे तो—यदि वह अपने ही देश के किसी आदमी की ही तो (पण और यदि किसी विदेशी की हो तो आध) पण—प्रति गाय लेवागोपालक लोग बच्चे बुढ़े तथा बीमार लोगों की गउओं की रक्षा का प्रबंध करें ।

† डाक्टर शाम शास्त्री ने “बालवृद्ध-व्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः” इसका अर्थ “भवाले बालक बीमार तथा बुढ़ी गउओं को दवाई दे” यह किया है जो कि अस्वाभाविक मालुम पड़ता है । हमारी समझ में इस वाक्य में बाल वृद्ध व्याधित यह शब्द पुरुषों के लिये है । उपरिलिखित वाक्य में “परदेशीयानां” भी इसी अर्थ का इशारा करता है—

व्याध तथा शिकारी लोगों से जंगलों को चोर शेर तथा शत्रु से सुरक्षित करवाकर और ऋतुओं के अनुसार उनका विभाग कर उनमें पशुओं को चरने के लिये भेजा जाय। सांप शेर को डराने के लिये तथा ग्वालों गड़रियों (गोचर) तथा चरवाहों के ज्ञान के लिये डरपोक गाय के गले में घंटा आदि बांध दिया जाय। कीचड़ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप से ढालू किनारे वाले घाटों में पशुओं को पानी पिलाया जाय। यदि किसी गाय भैंस को चोर शेर सांप या मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो उसकी सूचना गोऽध्यक्ष को दी जाय अन्यथा उसका दाम चरवाहे को स्वयं देना पड़ेगा। यदि कोई पशु किसी कारण से मर जाय तो गाय भैंस का अंकित चमड़ा, भेड़ी बकरी का चिन्हित कान, घोड़े गदहे तथा ऊंटका अंकित चमड़ा तथा पूंछ और साथ ही बाल, चमड़ा, चरबी, आंत, दांत, खुर, सींग तथा हड्डी चरवाहों को मिले।

ताजे या सूखे मांस के बेचने का प्रबंध किया जाय। कुत्तों तथा सुअरों को मट्ठा पिलाया जाय। थोड़ा सा मट्ठा कांसी के बर्तन में अपने खाने के लिये भी रख लिया जाय। जो खुरचन बचे उसको खली नरम करने के लिये रख छोड़ा जाय। पशुओं को बेचने वाला हर पशु के पीछे सरकार को एक पण दे।

वर्षा, शरत् तथा हेमन्त में दोनों समय और शिशिर वसन्त तथा ग्रीष्म में अनेक समय गउओं तथा भैंसियों को दुहा जाय। नियत समय से अन्य समय में दोहने वाले को अंगूठे काटने का दंड दिया जाय। यदि कोई दुहने के समय में गाय को न दुहे तो उससे नुकसान का धन ग्रहण किया जाय। नाक में रुस्सी डालना, समय पर बछड़ों को काम सिखाना तथा हल या गाड़ी में जोतना आदि जो समय पर न करे उसको भी उपरि लिखित प्रकार दंड दिया जाय।

गऊ के द्रोणभर (१० सेर) दूध से प्रस्थ भर (१० छिटांक) घी और भैंसी के दूध से पांच भाग (१२ छिटांक) अधिक घी निकलता है। इसी प्रकार भेड़ी बकरी में दो भाग घी अधिक होता है।

वस्तुतः दूध घी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आदि की विशेषता पर निर्भर है ।

जवान बैल को जो बैल से लड़ा कर गिरवाये या मरवाये उस को उत्तम साहस दंड दिया जाय । एक एक रंग की दस गउओं का एक संघ या वर्ग बनाया जाय और इस ढंग पर उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाय । जिधर गांव बसे हों उसी और गउओं को उतनी दूर तक चरने के लिये ले जाया जाय जहां तक वह जाय या उनकी रक्षा उत्तम विधि पर की जासके । भेड़ी बकरी आदि का छुटे महीने ऊन लिया जाय । घोड़े गदहे तथा ऊंटों का भी प्रबंध इसी ढंग पर किया जाय ।


वह बैल जिनकी नाक में नथ पड़ी हो और जो कि घोड़े के बराबर चलते हों उनको आधा बोझ जौ, दुगुनी घास, १०० पल खली, १० आड़क धान के कन, ५ पल सेंधा नमक, १ कुडुंब नाकमें डालने या मलने के लिये तेल, १ प्रस्थ शराब, १०० पल मांस, १ आड़क दही, १ द्रोण जौ या उर्द का पुलाव, १ द्रोण दूध या १ आड़क सुरा, १ प्रस्थ तेल, १० पल खार † और १० पल अदरक प्रतिपान (दूध) के रूप में दीजाय । भैंस तथा ऊंट को दुगुना और खच्चर, गौ तथा गदहे को १/२ कम दिया जाय । लद्दू बैलों तथा मेहनत करने वाले बैलों को भी इसी प्रकार भोजन मिले । दुधारी गउओं को समय काम तथा फल के अनुसार भाजन दिया जाय । घास तथा पानी तो यथेष्ट राशि में सभी पशुओं को मिलना चाहिये । गउओं बैलों आदि का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाय ।

सौ सौ के जत्थों में—घोड़ियों गदहियों में ५, भेड़ी बकरियों में १० और गौ भैंसी तथा ऊंटनियों के दस दस के झुंड में ४ नर होने चाहियें ।

† चार का अर्थ डाक्टर शाम शास्त्री ने राब तथा शकर किया है । वैद्यक शास्त्र में यह शब्द प्रायः “ज्वचार, सञ्जीचार, सुहगा चार” आदिके लिये आता है । हमारी समझ में चार का सीधा अर्थ स्नानही क्यों न किया जाय ?

४७ प्रकरण ।

अश्वध्यक्ष ।



अश्वध्यक्ष विक्रेय, क्रीत, युद्ध प्राप्त, स्वदेशोत्पन्न, सहायताध-
प्राप्त, गिरों में रखे तथा कुछ समय के लिये सरकारी तबेले में बांधे
घोड़ों के वंश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा प्राप्तिस्थान का उल्लेख
करे। जो अप्रशस्त, लंगड़े लूले तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना
दे। अश्ववाह (सईस) लोग कोश तथा वस्तु भंडार से चीजों को
प्राप्तकर मितव्ययता से काम करें।

घोड़े की आकृति तथा स्थिति के अनुसार तबेला जितना लंबा
बनाया जाय, उसकी चौड़ाई उससे दुगुनी हो। चारों ओर दर-
वाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो। उसमें आने जाने का मार्ग
तथा बैठने की चौकी हो। उसका बरांडा आगे से मुका हो। चारों
ओर बन्दर मोर हिरन न्यूउले चकौर तोता मैना आदि पशु पक्षियों
से परीपूर्ण हो।

घोड़े की लंबाई से चार गुना चौकोन चिकना कर्श हो। उसमें
खाना खाने की नांद बनी हो साथ ही मूत्र लीद आदि के बाहर
निकालने का प्रबन्ध हो। उसका मुंह उत्तर या पूरब हो। या जैसा
तबेला हो वैसा ही उसका मुख्य द्वार हो। घोड़ी, बछिया तथा बब
को अकेले रखा जाय।

पैदा होते ही घोड़ी को तीन रात तक १० छिटांक घी दिया जाय।
इसके दस रात तक १० छिटांक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी
जाय। शनैः शनैः जौका पुलाव और अतु के अनुसार भोजन देना
शुरू किया जाय। दस रात बाद घोड़े के बच्चे को ढाई छिटांक
सतुआ चौथाई घी के साथ मिले। छः महीने तक १० छिटांक दूध
भी उसको मिलता रहे। इसके बाद क्रमशः प्रतिमास आधा आधा
बढ़ाते हुए चौथे साल तक १० सेर जौ या जौ का सतुआ दिया
जाय। चौथे पांचवे साल पर आते ही घोड़ा पूरा जवान तथा काम-
लायक हो जम्ता है।

अच्छे घोड़े के मुंह की लंबाई ३२ अंगुल, देह की लंबाई मुंह से पांच गुना, जंघा २० अंगुल, ऊंचाई जंघा का चार गुना होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े की लंबाई क्रमशः तीन तीन अंगुल कम हो जाती है। घोड़े की मुट्ठाई १०० अंगुल होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े इससे क्रमशः पांच गुना कम मोटे होते हैं।

अच्छे घोड़े को उत्तम या मध्यम चावल, जौ या ककिनी का धान अधिक से अधिक २० सेर सूखा मिलना चाहिये। यदि पका कर देना हो तो आधा ही दिया जाय। मूंग तथा उर्द के विषय में भी यही नियम है उनके खाने के समान को नरम करने के लिये १० छिटांक तेल, ५ पल नमक, ५० पल मांस, २½ सेर शोरबा या दुग्गुनी दही डाली जाय। पीने के लिये ५ पल शक्कर, १० छिटांक शराब, या दुग्गुना दूध दिया जाय। यदि घोड़ा बहुत दूर से चल कर आया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका हुआ हो तो उसके खाने के लिये १० छिटांक तेल, नाक तथा नथुनों पर मलने के लिये २½ छिटांक तेल, आधा बोझ जौ या पूरा बोझ घास दिया जाय और दो हाथ या ६ अरल्ल तक उसके चारों ओर नीचे घास बिछा दिया जाय।

मध्यम तथा निकृष्ट घोड़ों को उत्तम घोड़ों से ¼ कम रथ में लगने वाले घोड़ों को उत्तम के समान, बच्चे पैदा करने के लिये रखे घोड़ों को और निकृष्ट घोड़ों को मध्यम के समान घोड़ी तथा पारशमा [?] को ½ कम और बच्चों को इसका आधा भोजन दिया जाय। खाना बनाने वालों, बागडोर पकड़ने वालों तथा वैद्यों को घोड़ों के खाने में से कुछ भाग मिले। जो घोड़े लड़ाई बीमारी बुढ़ापे आदि के कारण काम तथा लड़ाई के अयोग्य हों उनके बच्चे पैदा करने के [पिंडगारिका] काम में लाना चाहिये। पौर तथा ग्रामीणों के लिये ताकतवर घोड़े [वृष] घोड़ियों के लिये छोड़े जाय।

काम्भोज, सैन्धव, आरट्टज, वानायुज आदि घोड़े सवारी के काम के लिये उत्तम, वाह्मीक पापेयक, सौवीरक, तैतल आदि मध्यम और शेष निकृष्ट [अवर] समझे जाते हैं। तेजी, सीधगी तथा धीमे पन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिये रखा

जाय । लड़ाई के लिये घोड़ों को तैयार करने के लिये नियमबद्ध शिक्षण मिलना चाहिये ।

सवारी घोड़ों के १ वलगन २ नीचैर्गत ३ लंघन ४ धोरण ५ नारोण्ड आदि पांच भेद हैं ।

१. वलगन । उपवेशुक, वर्धमानक, यमक, आलीढप्लुत, पृथग, तथा तृचचाली वलगन [गोल घूमना] के भेद हैं । *

२. नीचैर्गत । शिर तथा कान खड़ाकर दौड़ने वाले नीचैर्गत [एक चाल चलने वाले] घोड़ों की—१ प्रकीर्णक २ प्रकीर्णोत्तर ३ निषरण ४ पार्श्वानुवृत्त ५ ऊर्मिमार्ग ६ शरभ कीडित ७ शरभप्लुत ८ त्रिताल ९ बाह्यानुवृत्त १० पंचपाणि ११ सिंहायत १२ स्वाधूत १३ क्लिष्ट १४ श्लाघित १५ वृंहित १६ पुष्पाभिकीर्ण आदि सोलह चालें हैं । †

३. लंघन । लंघन [कूदना+छलांग मारना] के १ कपिप्लुत, २ भेक प्लुत, ३ एकप्लुत ४ एकपादप्लुत ५ कोकिल संचारी ६ उरस्य ७ बकचारी आदि सात भेद हैं । ††

*—उपवेशुक = एक हाथ व्यास वाले चक्र में घुमाना । वर्धमानक = गोल घूमने का एक प्रकार विशेष । यमक = जोड़ी में घूमना । आलीढ प्लुत = दौड़ना तथा साथ ही साथ कूदना । पृथग = अगले भाग पर जोर दे कर दौड़ना ॥

† प्रकीर्णक = संपूर्ण प्रकार की गति । प्रकीर्णोत्तर = संपूर्ण प्रकार की गति के साथ किसी एक प्रकार की गति के लिये प्रसिद्ध । निषरण । शरीर के पिछले भाग को स्थिर रख कर दौड़ना । पार्श्वानुवृत्त = पार्श्व से गति । ऊर्मिमार्ग = लहर की तरह उछलना तथा दौड़ना । शरभ कीडित = शरभ की तरह खेलना । शरभप्लुत = शरभ की तरह कूदना । त्रिताल = तीन पैर से दौड़ना । बाह्यानुवृत्त = दहिने बायें घूमना । पंचपाणि = पहिले तीन, फिर दो पैरों के सहारे घूमना । सिंहायत = शेरकी तरह उछलना । स्वाधूत = लम्बी कूद कूदना । क्लिष्ट = बिना सवार के सीधा दौड़ना । श्लाघित = शरीर के अगले भाग को झुका कर दौड़ना । वृंहित = शरीर के पिछले भागको झुकाकर दौड़ना । पुष्पाभिकीर्ण = चित्र विचित्र चालें ।

†† कपि प्लुत = बन्दर की तरह कूदना । भेक प्लुत = मेंढक की तरह कूदना । कोकिल संचारी = कोपल की तरह फुदकना । उरस्य = जमीन के साथ छाती लगा कर सरपट दौड़ना । बकचारी = बगुले की तरह उछलना कूदना ।

४ धोरण । धोरण (दुडुकी चाल) के कांक (गिद्ध की तरह), वारि कांक (बत्तख की तरह) मयूर (मोर की तरह), अर्धमयूर (मोर की तरह कुछ कुछ), नाकुल [न्यूवला की तरह], अर्ध नाकुल (कुछ २ न्यूवले की तरह), वाराह (सुअर) तथा अर्ध वाराह (कुछ कुछ सुअर की तरह) आदि आठ भेद हैं ।

५ नारोष्ठ । इशारे पर घोड़े के चलने का नाम ही नारोष्ठ है । गाड़ी के घोड़े ६, ६ तथा १२ योजन और सवारी के घोड़े ५, ८ तथा १० योजन चलते हैं । तेजो, धीमी तथा लव्धु यह तीन चालें हैं । तेजा, घूमना, साधारण चाल, मध्यम चाल तथा सरपट चाल आदि घोड़ों के दौड़ने के भेद हैं ।

योग्य योग्य व्यक्ति उनके बन्धन आदि साधनों का, सुत लोग लड़ाई के रथों तथा गहनों का और चिकित्सक उनके शरीर के हास वृद्धि तथा ऋतु के अनुकूल भोजन का प्रबंध करें ।

सूत्र ग्राहक (ब रडोर धामने वाले) अश्व बंधक (घोड़ा बांधने वाले) यावसिक (जौ का पुलाव बनाने वाले), विधापाचक (भोजन पकाने वाले स्थान पाल (रखवारे), केशकार (बाल काटने वाले), जांगलीविद् (जड़ी वृद्धी जानने वाले) आदिक घोड़ों के रक्षा विषयक अपने अपने कामों को करें । जो काम न करे उसकी रोजाना मजदूरी काट ली जाय । जो कि थका हो या जितको चलने से डाक्टर ने रोका हो उसको यदि कोई काम पर बाहर ले जाये उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । काम करवाने से या दवाई से घोड़ों की यदि बीमारी बढ़ जाय तो खर्च का दुगुना दंड दिया जाय । ठीक दवाई न देने से यदि घोड़ा मर जाय तो उसका दान ले लिया जाय । गउओं, गदहों, ऊंटों, भैलों, भेड़ों तथा बकरियों का भी इसी ढंग पर प्रबंध किया जाय ।

घोड़ों को दिन में दो बार नहवाया जाय । उनपर सुगन्धित द्रव्य तथा माला आदि चढ़ाई जाय । प्रतिपद तथा पूर्णिमा में कमशः भूतों की पूजा तथा स्वस्ति वाचन पढ़ाजाय । अश्वयुज महीने के नवमें दिन उनकी आरती उतारी जाय । यही बात उनकी बीमारी में, प्रलंब यात्रा के प्रारंभ तथा अन्त में भी की जाय ।

४८ प्रकरण ।

हस्त्यध्यक्ष ।

हस्त्यध्यक्ष हस्ति-वन (हाथी का जंगल) की रक्षा का प्रबंध करे। सीखने तथा परेष्ट से थके हुए हाथी, हथिनी तथा हाथी के बच्चों के सोने, सोने के स्थान, घास जौ आदि की राशि के साथ साथ उनके अन्य कार्यों का प्रबंध, पैरों की जंजीर तथा युद्ध में पहिने के गहनों का और चिकित्सक, शिक्षक फीलवान आदि कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करे।

हाथी की लंबाई से दुगुनी ऊंची तथा चौड़ी हस्ति-शाला (हाथी का तबेला) और उसमें हाथी हथिनी के रहने के कमरे जुड़े जुड़े बनाये जाय। बीच बीच में लोहे के खंटे गड़े हों। उसका मुंह पूर्व या उत्तर और उसका बरांडा आगे से मुका हो।

हाथी की लंबाई जितना लंबा चौड़ा फर्श बनाया जाय जिसमें पेशाब तथा लीद के बाहर निकलने का स्थान पृथक् बना हो। उन के रहने के स्थान के बराबर सोने का स्थान बनाना चाहिये जो कि आकृति में आधा हो।

दिन के पाँहले, सातवें तथा आठवें भाग में स्नान, उसके बाद भोजन, पूर्वाह्न में व्यायाम और अपराह्न में प्रति पान (शराब आदि पीने के लिये देना) कराया जाय। रात के पहिले दो भाग सोने और तीसरा भाग जागने तथा उठने के लिये उनको दिया जाय। गरमियों में हाथी पकड़े जाय।

बीस वर्ष की उमर का हाथी पकड़ने लायक होता है। बच्चा, मूढ़, अदांत, बीमार हाथी और गाभिन, दुधारी हाथिन न पकड़ना चाहिये। सात अरल्लि ऊँचा, नौ अरल्लि लंबा तथा दस अरल्लि चौड़ा ४० साल का हाथी उत्तम होता है। तीस वर्ष तथा पच्चीस वर्ष की उमर का हाथी क्रमशः मध्यम तथा निकृष्ट समझा जाता है। उत्तम मध्यम निकृष्ट का भोजन क्रमशः एक चौथाई कम हो।

सात अरान्नि ऊंचे हाथी को खाने के लिये—१ द्रोण घावल,
 $\frac{1}{2}$ आड़क तेल, ३ प्रस्थ घी, १० पल नमक, ५० पल मांस, १ आड़क शोरबा,
 या २ आड़क दही और इसको स्वादिष्ट तथा गीला करने के लिये
 १० पल खार, १ आड़क शराब, या २ आड़क दूध, १ प्रस्थ तेल
 मालिश के लिये, $\frac{1}{2}$ प्रस्थ तेल शिर पर लगाने के लिये तथा तवेले
 में जलाने के लिये, २ भाग जौ, २ $\frac{1}{2}$ भाग हरा घास, २ $\frac{1}{2}$ भाग
 सूखा घास तथा चरी आदि के डंठल दिये जाय।

आठ अरान्नि ऊंचे मदांध हाथी को सात अरान्नि ऊंचे हाथी
 के बराबर भोजन दिया जाय। ६ तथा ५ अरान्नि ऊंचे हाथियों को
 उनकी आकृति के अनुसार खाना मिले। शिकार खेलने के काम
 के लिये जो हाथी का बच्चा पकड़ा गया हो उसको दूध तथा जौ
 की लप्सी † दी जाय।

लाल रंग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती हो,
 सुडौल, मांस से परिपूर्ण, समतल पीठ वाला और जातद्रोणिक
 (?) हाथी खूब सूरत समझा जाता है।

शोभा तथा श्रुतु का ब्याल रखते हुए भिन्न पशुओं के चिन्हों
 से युक्त सीधे तथा गम्भीर (भद्र तथा मन्द्र ?) हाथियों को भिन्न
 भिन्न कामों में लगावे।

४८. प्रकरण ।

हास्ति प्रचार ।

कार्य के अनुसार हाथी के १ दम्प २ सान्नाहय ३ औपवाहय
 तथा ४ व्याल आदि चार भेद हैं।

१ दम्प । दम्प [शिक्षण के योग्य] हाथी के १ स्कंधगत
 [कंधे पर मनुष्य को सवार करवाने वाला] २ स्तंभगत [खूंटे से

† डाक्टर राम शास्त्री ने “यावसिक” का अर्थ घास किया है। हमको इसका
 अर्थ जौकी लप्सी ही ठीक मालूम पड़ता है। क्योंकि “यावसिक” शब्द यव (जौ)
 से बना है।

बंधा] ३ चारिगत [पानी में नहाने के लिये गया] ४ अवपातगत [गड़ढे में लेटा] तथा ५ यूथगत [झुंड में गया] आदि पांच भेद हैं । बच्चे की तरह दम्य हाथी के साथ व्यवहार करना चाहिये ।

२ सान्नाहय । साभ्राह्य [युद्ध के योग्य] हाथी के १ उपस्थान [कवायद] २ संवर्तन [इधर उधर घुमाना] ३ संयान [आगे बढ़ना] ४ वधावध [पैरों के तेल कुचलना तथा मारना] ५ हस्तियुद्ध [हाथी से लड़ना] ६ नागरायण [शहर तथा किले पर आक्रमण करना] ७ सांग्रामिक [लड़ाई लड़ना] आदि सात काम हैं । बांधना, गले में रस्सी डालना तथा झुंड में काम लेना आदि उसके सिखाने के क्रम हैं ।

३ औपवाहय । औपवाहय [सवारी के योग्य] हाथी—१ आचरण [दूसरों को अपने ऊपर चढ़ाना] २ कुंजरौपवाहय [हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सवार बैठने वाला] ३ धोरण [दुड़की चलने वाला] ४ आधानगतिक [भिन्न-२ चालें चलने वाला] ५ यष्ट्युपवाहय [अंकुश मारने से चलने वाला], ६ तोत्रोपवाहय [लोहे की कील से चलने वाला] ७ शुडोपवाहय [अपने आप चलने वाला], ८ मार्गायुक्त [शिकारी] आदि आठ प्रकार का होता है । इन कामों को करना सिखाने के लिये हाथियों से ठंड में काम, या उनसे मोटा मोटा काम या उनसे इशारे से काम लेना चाहिये ।

४ व्याल । व्याल (बदमाश या मदमत्त) हाथी एक ही ढंग पर सिखाया जा सकता है । उनको सीधा रखने के लिये दंड देना चाहिये । प्रायः यह काम से डरते हैं और जिद्दी होते हैं । इनके स्वभाव का पता नहीं चलता और अस्थिर चित्त तथा मदांध होते हैं । उलट पुलट काम करने वाले हाथी का नाम ही व्याल है । यह १ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ सुव्रत (जिद्दी), ३ विषम (टेढ़े मेढ़े स्वभाव का) तथा सर्वदोषदुष्ट (सब दोषों से भरा हुआ) आदि चार प्रकार का होता है ।

हाथी को काबू में रखने के लिये जंजीर आदि साधनों का

प्रयोग हस्ति वैद्य की आज्ञा के अनुसार होना चाहिये ।

खुंटा, गले की जंजीर, पेटी, पैरों की जंजीर, आदि अनेक प्रकार के हाथी को बांधने के साधन हैं ।

अंकुश, खपची, यंत्र, आदि हाथी के चलाने के साधन हैं ।

वैजयंतो (गल का हार), गुर प्रमाल (पैरों का घुंघुरू) दौंदे का कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं ।

कवच, तोमर (जिसमें वाण रखे जाय), तथा यन्त्रादिक लड़ाई के आभूषण हैं ।

चिकित्सक (हाथियों का वैद्य), अनीकस्थ (शिक्षक), आरोग्यक (हाथी पर चढ़ने वाला) आधोरण (हाथियों का साईस), औपचारिक (सेवक), विधापाचक [भोजन बनाने वाला], यावसिक (घास डालने वाला), पादपाशिक (जंजीर बांधने वाला) कुटी रक्षक (तबेलों का रक्षक तथा औपशायिक (रात के चौकीदार) आदि हाथियों का काम करने वाले राज सेवक हैं ।

चिकित्सक, कुटी रक्षक तथा विधापाचक आदियों को एक प्रस्थ चावल, चुल्लुभर तेल, थोड़ी सी शक्कर तथा नमक मिले । चिकित्सका को छोड़ कर औरों को १० पल मांस भी दिया जाय ।

काम करने से या चलने से जो हाथी बीमार होगये हों, मर्द या बुढ़ापे से तकलीफ उठारहे हों उनका इलाज चिकित्सक लोग करें ।

जो लोग तबेले का कूड़ा कर्कट न सफा करें, समय पर जो तथा घास न दें, सख्त जमीन पर सुलावें, मर्मस्थान में चोट पहुंचावें, दूसरों को चढ़ावें, असमय में काम पर लेजवें, अनुचित भूमि या घाट पर उन को उतारें और घने जंगल में चरावें उनपर जुर्माना किया जाय । और जुर्माने की रकम भत्ते में से काट ली जाय ।

चौमासे के दिनों में तथा ऋतुओं की संधि में हाथियों की आरती उतारी जाय । सेनापति प्रतिपद तथा पूर्णिमा के दिन में हाथियों की रक्षा के लिये भूतों की पूजा करें ।

नदी वाले देशों के हाथियों के दांत २½ साल बाद और पहाड़ी

हाथियों के दांत ५ साल बाद कोटे जाय और दांत की जड़ के पास उनके दांत जितने मोटे हों उससे दुगुनी लंबाई तक दांत छोड़ दिये जाय।

४६-५१ प्रकरण ।

रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष तथा सेनापति का काम ।

अश्वाध्यक्ष के तुल्य ही रथाध्यक्ष के काम हैं । रथाध्यक्ष को चाहिये कि वह रथों के कारखानों को खोले । उनमें दस पुरुष (१२० अंगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष (१४४ अंगुल) तक चौड़े रथ बनवावे । १२ पुरुष से ६ पुरुष तक क्रमशः एक एक पुरुष घटते हुए सात प्रकार के रथ होते हैं । इनके अतिरिक्त वह १ देवरथ [देवता का रथ], २ पुण्यरथ (उत्सव संबंधी रथ), ३ सांप्रामिक रथ [लड़ाई के काम में आने वाला] ४ पारियाणिक रथ [यात्रा के लिये उपयोगी] ५ परपुराभियानिक [दूसरे के शहर पर चढ़ाई करने के लिये उपयोगी] तथा ६ वैनयिक [रथ चलाना सिखाने के लिये उपयोगी] आदि रथों को बनवावे ।

वाण चलाना, अस्त्र फेंकना, कवच, हथियार, सारथि तथा रथी लोगों के रथ आदि का निरीक्षण करे और उनके कामों को देखे । तनखाह पाये हुए तथा न पाये हुए लोगों के भक्त वेतन [भत्ता या अलाउंस], योग्य कारीगरों की रक्षा तथा उनके पारितोषक का विशेष रूप से प्रबंध करे । साथ ही सड़को को मपवाये ।

पत्यध्यक्ष के काम भी इसी प्रकार हैं । वह प्रवासी ताल्लुकेदार, † तनखाह खोर सैनिक, सैनिक संघ (श्रेणी), शत्रु मित्र तथा जांगलिकों की सेना की शक्ति तथा दुर्बलता का ज्ञान करता रहे । नीचे स्थानों, मैदान, कूट गड्ढे, टीले पर और दिन तथा

† मौलका आर्थ डान्टर शामशास्त्री ने (hereditary troops) वंशागत सेना किया है । हमरी समझ में इसका अर्थ प्रवासी ताल्लुकेदार (Absented land-lord) होना चाहिये । क्योंकि उसी अर्थ में यह सूझी है ।

रात में कैसे युद्ध करना चाहिये इसको पत्यध्यक्ष पूरी तरह से जाने । और साथ ही इस बात का पता रखे कि कौन सी सेना किस समय के लिये उपयुक्त तथा अनुपयुक्त है ।

(पत्यध्यक्ष) युद्ध तथा प्रहरण (हथियार चलाना) विद्या में चतुर होकर, हाथी घोड़े रथ के संचालन में समर्थ चतुरंग सेना के कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे और अपनी भूमि, युद्ध का समय, शत्रु की सेना, उसके गठे हुए व्यूह का भेदन, दूटे हुए व्यूह का फिरसे बनाना, इकट्ठी सेना का तितर बितर करना, पृथक् पृथक् झुओं का मारना, किला तोड़ना तथा आक्रमण का समय आदि देखता रहे ।

(पत्यध्यक्ष) डेरा डालना, आक्रमण करना, हथियार चलाना आदि सैनिकों को सिखाकर उनको तुरी की आवाज, मंडी मंडे आदि के इशारों से व्यूह आदि बनाना सिखावे ।

५२-५३ प्रकरण ।

मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष ।

मुद्राध्यक्ष एक ताम्र मापक लेकर पास पार्श्व दे । जिसके पास पास हो वही जनपद में आने जाने पावे । जो बिना पास के राष्ट्र में घुसे उसपर १२ पण, जो जाली पास बनावे उसको साहस दंड और यदि वह विदेशी (तिरोजन) हो तो उसको उत्तम दंड दिया जाय । गोचर भूमियों के प्रबंध कर्त्ता विवीताध्यक्ष को ही पास देखना चाहिये ।

खतरनाक मध्यवर्त्ती स्थानों को ही गोचर भूमि बनाया जाय । चौरों तथा हिंसक जंतुओं से घाटियों को सुरक्षित रखा जाय । जहां पानी न हो वहां पर कुयें तथा तालाब बनाये जाय । जगह जगह पर फूल फल के बगीचे लगाये जाय । व्याध तथा शिकारी लोग शिकारी कुत्तों को साथ लिये हुए जंगलों की देख रेख किया करें । चोर तथा दुश्मन के पास आते ही उनको शंख तथा नगारा बजा

देना चाहिये । पेड़ या पहाड़ी पर चढ़कर या तेज घोड़े पर सवार होकर उनको धूम्राग्नि परंपरा या पास युक्त राजकीय कबूतरों के सहारे राजा के पास जंगल में दुश्मन के पहुँचने की खबर पहुँचा देनी चाहिये ।

विवीताध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह हाथी वन तथा जंगल की रक्ष करे । जंगलात विभाग की सड़कों को बनवावे और टूटी तथा खराब हुई सड़कों को सुधारे । चोरों को पकड़े और व्यापारियों के माल की रक्षा करे । गडओं के पालन पोषण के साथ साथ जांगलिक द्रव्योंका लोगों को ठेका देवे ।

५४.५५ प्रकरण ।

समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग ।

(क)

समाहर्ता का प्रबंध ।

समाहर्ता (राज्यस्व एकत्रित करने वाला) जनपद को चारभागों में विभक्तकर, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, आदि के भेद से ग्र.मों का निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण करे ।

- (i) ग्रामाग्र । (साधारण ग्राम)
- (ii) परिहारक (राज्य कर से सर्वथा ही मुक्त)
- (iii) आयुधीय (सैनिकों को राज्यकर में देने वाला)
- (iv) धान्य, पशु, सोना, जांगलिकद्रव्य, स्वतंत्रश्रम, आदि कर में देना वाला ।

पांच गांव से दस गांव तक का प्रबंध गोप नामक राज्य कर्मचारी करे । गांवों की सीमा निश्चित करने के बाद—जुताहुआ, बेजुताहुआ, खालीपड़ा, चावल का खेत, बाग, तरकारी का खेत, बगीचा, जंगल, मकान, मन्दिर, चैत्य, तालाब, शमशान, सत्र (भोजन जहां मुफ्तमें मिले) या यज्ञस्थान, प्रपा (जहां पानी मुफ्तमें ही यात्रियों को पिलाया जाय), तीर्थ, चरागाह, मार्ग—आदि के अनुसार भूमिका विभाग किया जाय तथा गांवों तथा भूमियों

के विषय में निर्णय किया जाय कि उनकी आपस की क्या सीमा है ? कितनेमें जंगल तथा मार्ग है ? कौनसी जमीन खरीदी या दानसे प्राप्त हुई है ? किसको किसदुंग की राजकीय सहायता मिली है और कौन राज्यकर से मुक्त है ? । मकानों के विषय में भी रजिस्टर में दर्ज किया जाय कि कौनसा मकान राज्यकर देता है और कौनसा मकान नहीं ? और साथ ही स्पष्टरूप से यह प्रगट किया जाय कि अमुक गांव में इतने चारों बणों के लोग हैं, किसान, ग्वाले, बनिये, कारीगर, मेहनती मजदूर तथा दास इतने हैं, दो पैर वाले जानवरों तथा चौपायों की संख्या इतनी है और इतना इतना सोना, स्वतंत्रश्रम, चुंगीया शुल्क तथा जुल्माना इन इन गांवों से प्राप्त होता है । किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों को कौन कौन सी विद्या आती है ? उनमें बालक, वृद्ध, कितने हैं ? उनका काम पेशा, आमदनी तथा खर्च कितना है ? इत्यादि बातों का परिगणन करते हुए स्थानिक जनपद के चौथे भाग का प्रबन्ध करे । प्रदेश लोग गोप तथा स्थानिक के कामों का निरीक्षण करें और बलि (धर्म विषयक कर) नामक कर को एकत्रित करें ।

(ख)

खुफिया पुलिसका प्रयोग ।

समाहर्ता गृहस्थ के भेसमें खुफिया का काम करने वाले लोगों (गृहपतिकव्यंजन) को भिन्न भिन्न गांवों में इस बात को जानने के लिये भेजे कि किन किन गांवों में खेतों, मकानों तथा लोगों की क्या स्थिति है । खुफिया लोग खेतों के परिमाण तथा पैदावार को, मकानों के आय तथा परिहार (राज्यकर से छुटकारा) को तथा लोगों के वर्ण (जात) तथा कर्म को जानें और उनकी कुल संख्याके साथ साथ जमाखर्च का पता लेवें । गांव में कौन आया तथा कौन गया, उनके आने जाने का क्या कारण है, कौन स्त्री पुरुष बुराकाम करते हैं और दुश्मनों ने कहां कहां पर अपना खुफिया रख छोड़ा है इत्यादि बातों का भी साथही में वह लोग ज्ञान प्राप्त करते रहें ।


बनिये के भेस में खुफिया का काम करने वाले (वैदेहक व्यंजन) लोग अपने ही देशकी खान, सेतु (पानी से युक्त स्थान), वन, कार-खाना तथा खेत आदिकां में पैदा होने वाले सरकारी पदार्थों की राशि तथा कीमत का ज्ञान रखें। और परदेश में पैदा होने वाले तथा वारिपथ तथा स्थलपथ से आने वाले श्रुलपमूल्य तथा बहु-मूल्य पदार्थों के विषय में—चुंगी, सड़ककर, गाड़ी का खर्चा, छावनी का कर, नौका भाड़ा आदि का खर्चा घटा कर बचे हुए व्यापारोप पदार्थों की राशि का पता लेंवें।

इसी प्रकार समाहर्ता द्वारा भेजे गये तपस्वी के भेस में रहने वाले खुफिया खेतिहर, गोरक्षक, बानिये आदिकों और अभ्यन्तों के राजभक्ति के विषय में तहकीकात करते रहें।

पुराने चोर तथा विद्यार्थी के भेस में खुफिया का काम करने वाले लोग—चैत्य (यज्ञ स्थान), चौरास्ता, खंडरात या उजड़ा स्थान, तालाब, नदी, घाट, तीर्थ, आश्रम, जंगल, पर्वत—आदि स्थानों में चोर, दुश्मन तथा साहसी लोगों में से कौन क्यों आया ? कहाँ गया ? उसका क्या प्रयोजन है ? इत्यादि बातें जानें।

इस प्रकार समाहर्ता कार्य शील हुआ हुआ जनपद की रक्षा का प्रबंध करे। उसके नीचे काम करने वाले भिन्न २ प्रकार के स्वदेशी खुफिया अपने अपने कर्त्तव्य कर्म का प्रतिपालन करें तथा उस पर दृढ़ रहें।

५६ प्रकरण । नागरक का कार्य ।



समाहर्ता के सदृश ही नागरक नगर का प्रबंध करे। गोप दस बीस घर से चालीस घर तक का प्रबंध करे। स्त्री पुरुषों की जाति, गोत्र कर्म के साथ साथ कुल संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्राप्त करे। किलों के चौथाई भाग का प्रबंध स्थानिक करे। धर्माध्यक्ष (धर्मावसथी) पाखंडियों तथा यात्रियों को रहने के लिये स्थान दे। गृहस्थ लोग अपनी जिम्मेवारी पर तपस्वियों तथा श्रोत्रियों को, और कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थानों पर संबंधियों

तथा बंधु बांधवों को ठहरावें । जो लोग कारखानों में या रोके हुए स्थानों में बना माल बेंचें या पराये माल को अपने स्थान पर रखें उनके विषय में बनिये लोग राज्य को सूचना दे दें । कलवार, पक्का चावल तथा मांस बेंचने वाले (पक्का मालिक औद्योगिक), और रंडियां जाने बूझे आदमी को ही अपने घर में हिकावें । फजूल खर्च तथा गुंड लागों का पता दें । मकान का मालिक तथा डाक़र गोप तथा स्थानिक को खबर दें कि अमुक आदमी के गरमी या सूजाक है और अमुक आदमी अपथ्य करता है । अन्यथा दोनों ही राज्यापराधी ठहराये जाय । कौन आया तथा कौन गया इसकी सूचना भी राज्य को मिलनी चाहिये नहीं तो चोरी हो जाने पर चोरी के अपराध में दूसरों को अपने घर में ठहराने वाले लोग पकड़े जाय । यदि चोरी न हुई तो उनपर तीन पण जुर्माना किया जाय । इधर उधर फिरने वाले लोग, नगर के बाहर या अन्त में बने हुए मन्दिर तीर्थस्थान बन तथा श्मशान में यदि किसी ऐसे मनुष्य को ठहरा हुआ पावें जिसके घाव हो, जिसके पास हथियार या बहुत सा माल हो, जो कि धवड़ाया हुआ, बहुत थका हुआ या घुराटे की नींद लेता हुआ सो रहा हो—उसको पकड़े लें । शहर के अंदर उजड़े मकानों में, पक्का हुआ चावल मांस बेचने वाले, जुआरी, पाखंडी तथा कलवारों के रहने के स्थानों में बदमाशों को ढूंढा जाय ।

गरमी के दिनों में दुपहर को आग न जलाई जाय । जो इस नियम को तोड़े उसपर $\frac{1}{2}$ पण जुर्माना किया जाय । भोजन मकान के बाहर पकाया जा सकता है । $\frac{1}{2}$ पण जुर्माना उन लोगों पर किया जाय जो कि पञ्चघटी (पांच पानों स भरे घड़े), घड़ा, द्रोणी (वांस का लंबा बर्तन जिसमें पानी भरा हो), सीढ़ी, फटसा, सूप, अंकुस, कचब्रहणी (उखाड़ने का यंत्र) तथा मशक अपने घर में न रखें । फूस के टट्टर मकानों के पास न रखे जाय । आग से काम करने वाले लोहार आदि एक ही स्थान में बसाये जाय । घर के मालिक अपने अपने घर के दरवाजों पर सदा ही उपस्थित रहें । चौरास्तों, राजकीय प्रासादों, तथा गलियों में हजारों की

संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें। आग लगने पर सहायता के लिये न दौड़ने पर गृहस्थको १२ पण और दुकानदार को ६ पण दंड दिया जाय। प्रमाद से यदि किसी से आग लग गई हो तो उसपर १४ पण जुर्माना किया जाय। जिसने जान बूझ कर यही काम किया हो उसको आग में डालकर जला देना चाहिये।

गली में कूड़ा फेंकने पर $\frac{1}{2}$ पण, सड़क में कीचड़ फेंकने पर $\frac{1}{4}$ पण और राजमहिल के आस पास में इसी ढंगका अपराध करने पर दुगुना दंड दिया जाय। पुण्य स्थान, तालाब, मन्दिर, तथा राजमहिल के पास पाखाना करने पर १ पण से ऊपर और पेशाब करने पर आधा दंड मिलना चाहिये। परन्तु यदि यही बातें डर बीमारी या दवाई के कारण होगई हों तो कुछ भी दंड न देना चाहिये। शहर के अन्त में भरे हुए बिलाव, कुत्ता, न्युबला, तथा सांप के फेंकने पर तीन पण, गद्दे ऊंट, खच्चड़, घोड़े तथा पशु के फेंकने पर ६ पण और मुर्दे के डालने पर १० पण जुर्माना किया जाय। सड़क बिगाड़ने तथा मुर्दा ले जाने के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से मुर्दा निकालने पर साहस दंड और ज्योड़ी-दारों को २०० पण दंड मिले। इमशान से अन्यत्र मुर्दा डालने या जलाने पर १२ पण दंड दिया जाय।

रात पड़ने के २½ घंटा बाद और सबेरा होने से २½ घंटा पहिले तूरी बजने पर कोई भी बाहर न निकले। तूरी के बजने के बाद जो कोई राजा के महल के पास पकड़ा जाय उस पर १½ पण जुर्माना किया जाय। पहिले, बीच के तथा अंत के घंटों (याम) में जो राजा के महल के पास देखा जाय उस पर दुगुना और जो किले के बाहर फिरे उस पर चार गुना जुर्माना हो। जो कोई संदिग्ध स्थान में पकड़ा जाय या पाप कर्म करता हुआ देखा जाय उसपर अभियोग चलाया जाय। रात में राजा के महल के पास जाने या शहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय। बीमार, प्रसूता, प्रेत, दीवा सहित, नागरक, तूर्य, (तूरी की आवाज सुनने या बजने), प्रेक्षा (नाटक खेल तमाशा), अग्नि आदि के निमित्त सरकारी पास लिये हुए जो लोग बाहर निकलें उनको न पकड़ा जाय।

स्वतंत्र रात (वह रात जिसमें लोगों का बाहर निकलना बन्द न हो) में जो लोग अनूठे नकली भस्म में, संन्यासी के रूप में या दंडा तथा हथियार हाथ में लेकर बाहर निकलें उनको अपराध के अनुसार दंड दिया जाय। जो पाहरेदार फजूल ही रोके या रोकने के योग्य व्यक्ति को खुले जाने दें दुगुना दंड (असमय में बाहर निकलने का जो दंड है उसका) दिया जाय।

स्त्री या दासी के साथ बदमाशी करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय। अदासी के साथ (इसी बात के करने पर) मध्यम और बदमाश औरत के साथ यही करने पर उत्तम दंड मिलना चाहिये। कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो। कर्त्तव्य पालन में प्रमाद करने पर तथा "रात्रि संबंधी अपराध चेतन या अचेतन दशा में कैसे हुआ" इस बात की राजा को सूचना न देने पर नागरक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाय।

तालाब, सड़क, जमीन, गुप्त मार्ग, शहर पनाह आदि की रक्षा तथा खोई, भूली तथा पीछे रही चीजों का प्रबंध नागरक को प्रति दिन नियम पूर्वक करना चाहिये।

राजा की वर्ष गांठ तिथि तथा पौर्णमासी के दिनों में कैद में पड़े बालकों बुढ़ों बीमारों तथा अनाथों को कैद से मुक्त किया जाय। पुण्य शील या प्रतिष्ठा बद्ध लोग दोष-निष्कय (वह धन जो कि कैदी को कैद से मुक्त करने के लिये राजा को देना आवश्यक हो) का धन देकर कैदियों को छुड़ावें।

काम या शारीरिक दंड या जुर्माने का धन आदि के अनुसार प्रतिदिन या पांच रात के बाद कैदियों को कैद से मुक्त किया जाय।

नये देश के जीतने, युवराज के राज्याभिषेक तथा पुत्र जन्म के समय में भी कैदियों को कैद से छोड़ा जाता है।



तीसरा अधिकरण ।

धर्मस्थाय ।

५१७-५८ प्रकरण

व्यवहार का स्थापन तथा विवादका निर्णय ।

संग्रहण, द्रोणमुख स्थानीय तथा सीमाप्रान्त (जहांपर दो गांवों की या दो राष्ट्रों की सीमा मिलती है = जनपदसंधि) में तीन धर्मस्थ (जज तथा तीन अमात्य व्यवहार विषयक कार्यों का प्रबंध करें ।

[क]

व्यवहार का स्थापन

छिपाकर, गृहके अन्दर रात्रि, जंगल तथा एकांत में तथा कपट रूपमें किये गये व्यवहारों (शर्तों, शर्तनामों तथा प्रणों) को नियम विरुद्ध समझा जाय । करने तथा कराने वाल को साहस दंड दिया जाय यदि वह साक्षी हों तो उनको आधादंड और यदि वह श्रद्धेय हों तो वह द्रव्य हानि रूपी दंड भोगें । जिसको दूसरे ने सुन लिया हो या जो अनुचित न हो वह यदि छिपाकर भी किया गया हो तो उसको राज्यनियम के अनुकूल मान लिया जाय । दाय विभाग, याती धरोहर, विवाह विषयक व्यवहार पर नशान रखी, बीमार तथा समझदार मनुष्य द्वारा यदि गृह के अन्दर ही किये गये हों तो उनको नियमानुकूल माना जाय । साहस (डाका आदि) घरमें घुसना, भगड़ा विवाद, राजाज्ञा पर लोगों को चलाना आदि के संबंध में , रात के पहले भाग में काम करने वाले लोग यदि किसी दंग की शर्त करें तो उसको ज्ञायज्ञ समझा जाय । व्यापारी, गडरिये, वानप्रस्थी, व्याध, खुफया तथा जंगल में रहने वाले जंगली जंगल में और गुप्त रूपसे आजीविका करने वाले एकान्त में एक दूसरे के साथ व्यवहार क

सकते हैं । यदि परस्पर विरोधी दल मंजूर करलें तो कपट रूपमें किया गया व्यवहार भी ठीक है। परंतु यदि यह न हो उसको नियम विरुद्ध समझा जाय ।

आश्रय हीन मनुष्य, लड़का जिसका बाप मौजूद हो तथा पिता जिसका लड़का मौजूद हो, कुल रहित भाई, छोटा भाई जिसकी संपत्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वाली स्त्री, दास या जमानत में रहे मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित (अभिशस्त), संन्यासी, लंगड़े लूने आदि अंगविकल, बीमार आदि यदि किसी ढंग का व्यवहार करें तो नाजायज़ समझा जाय बशर्ते कि उनको राजा की ओरसे आज्ञा न मिल गई हो । इसी ढंग पर क्रुद्ध दुःखित, मत्त, उन्मत्त, अपगृहीत (जिसपर भूत सवार हो या घबड़ाया हुआ हो) पुरुषों का व्यवहार नियम विरुद्ध माना जाय । करने कराने तथा सुनने वालों को पूर्ववर्णित पृथक् पृथक् दंड दिया जाय । उचित स्थान तथा कालमें यदि स्वजात के लोगों ने कोई व्यवहार किया हो तो उसको ठीक माना जाय बशर्ते कि उसका स्वरूप, लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो ॥ आदेश * (जबरन आज्ञा देकर करवाया गया, तथा तकलीफमें आकर किये गये व्यवहार को छोड़ कर अन्य संपूर्ण व्यवहार नियमानुकूल समझे जाय ।

(ख)

विवाद का निर्णय ।

अभियोक्ता तथा अभियुक्त की अवस्था, सामर्थ्य, देश, ग्राम, गोत्र, नाम, तथा कार्य के लिखने के बाद “किस साल, किस ऋतु, किस पक्ष तथा किस दिनमें किस स्थानपर कितना ऋण लिया या दिया गया” इसको तथा वादी तथा प्रतिवादी के अर्थानुसार प्रश्नों को लिखा जाय और इसके बाद उसपर गंभीर विचार किया जाय ।

* आदेश इसका डाक्टर शमरास्त्री ने विनिमयबिल (bill of exchange) अर्थ किया है । परंतु यह अर्थ प्रांति रीति नहीं माना जा सकता । आदेश का सीधा अर्थ आज्ञा (order) है जैसा कि उनकाभी ख्याल है ।

परोक्त संबंधी अपराध ।

परोक्त दोष में अपराधी वही व्यक्ति समझा जाता है जोकि जिरह करने पर—प्रकरण में आई हुई बात को छोड़कर दूसरी बात कहने लगे, पहिले कुछ कहे और पीछे कुछ कहे, दूसरे व्यक्ति की संमति लेने के लिये बारम्बार कहे, प्रश्न पूछा जाकर उत्तर न दे, पूछा कुछ जाय और उत्तर कुछ दे, कहकर मुकरजाय, साक्षियों के द्वारा कही गई बात को मंजूर न करे तथा अनुचित स्थान में साक्षियों से सलाह मशवरा करे ।

परोक्त दंड ।

परोक्त अपराध में दंड पांचगुना और स्वयंवादि (विना साक्षि के अपनी बात को बारंवार सत्यकहना) अपराध में दसगुना है । साक्षियों की भूति आठवां भाग है । अपराधी मुकदमे का संपूर्ण खर्चा भरे ।

प्रत्यभियोग ।

ब्रह्म युद्ध या कलह, डाका, व्यपारियों या कंपनियों का भगड़ा आदिक को छोड़कर अभियुक्त अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नहीं चला सकता । इसी प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध भी मुकदमा दूसरी बार नहीं चलाया जा सकता । यदि अभियोक्ता पूछे जानेपर शीघ्रही उत्तर न दे तो उसको परोक्त दंड दिया जाय । क्योंकि अभियोक्ता को संपूर्ण बातें पहिले से ही मालूम होती हैं । अभियुक्त के साथ यही बात नहीं है । अतः उसको तीन रात से सात रात तक का समय उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये । यदि वह इससे अधिक समय लगावे तो उसको ३ पण से १२ पण तक दंड दिया जाय । तीन पक्ष यदि इसीदंग पर गुजरजाय तो उसको परोक्त दंड दिया जाय । और उसकी संपत्तिमें से अभियोक्ता को आवश्यक धन मिलजाय । यदि अभियोक्ता दोषी सिद्ध हो तो अभियुक्त को यही अधिकार मिले, और अभियुक्त को परोक्त दंड दिया जाय । यदि अभियुक्त मृत या बीमार हो तो साक्षियोंके निर्णय के अनुसार अभियोक्ता धन दे तथा दंड भोगता हुआ काम करे और राक्षसों के विघ्नों के शान्त करने वाले

यज्ञादिकों को करवाये । यदि वह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह नियम नहीं है ।

चारों वर्ण, देशप्रथा, नष्ट होतेहुए धर्मों की रक्षा करने के कारण राजा को धर्म प्रवर्त्तक [धर्म को प्रचलित करने वाला] माना है । •

धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजाज्ञा विवाद के निर्णय में उपयोगी होने के कारण धर्म के चारपैर समझे गये हैं । इनमें अगला पिछले का बाधक है ।

धर्म सत्यमें व्यवहार साक्षियों में, चरित्र व्यक्तियों के रीति रिवाज के संग्रह में और राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थिर रहती है ।

प्रजाके धर्म की रक्षा करना ही राजाका कर्त्तव्य है । इसीसे उसको स्वर्ग मिलता है । जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता या निरपराधियों को वृथाही दंड देता है उसको राजाही न समझना चाहिये ।

यदि राजा शत्रु तथा पुत्र में निष्पन्न होकर दंडका प्रयोग करे तो दंड इसलोक तथा परलोक की रक्षा करता है ।

धर्म, व्यवहार [साक्षी], चरित्र [संस्था] तथा न्याय के अनुसार शासन करता हुआ राजा सारे संसार को जीत सकता है ।

चरित्र या देश प्रथा का धर्म से या धर्म का व्यवहार से जिस बात में विरोध हो उसमें धर्म को ही प्रामाणिक माना जाय ।

यदि धर्म तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमें न्याय को ही प्रामाणिक माना जाय और यह समझा जाय कि शास्त्र का असली पाठ नहीं मिलता है ।

भिन्न भिन्न पक्ष के लोग प्रायः अपनी बात को ठीक प्रगट करते हैं । इसमें कोई न कोई भ्रूट। अवश्य ही होता है । इसलिये जिरह परीक्षा [अनुयोग], विश्वास पात्रता, कसम, निमित्त हेतु आदिके सहारे अभियोग का निर्णय किया जाय ।

साक्षिके कहने तथा खुफिया पुलिस के अनुसंधान के द्वारा जो भ्रूट। मालूम पड़े उसीको पराजित ठहराया जाय ।

५९ प्रकरण ।

विवाह ।

(क)

विवाह विषयक विचार ।

संपूर्ण सांसारिक व्यवहार विवाह के बाद ही प्रारंभ होते हैं। ब्राह्मणविवाह में कन्या को सजाधजा कर दिया जाता है और प्राजापत्य विवाह में एक दूसरे के साथ मिलकर धर्मकाम करना ही आवश्यक समझा जाता है। आर्य विवाह में गऊ के जोड़े का दान और दैव विवाह में यक्षवेदी के संमुख ऋत्विज की स्वीकृति ही मुख्य है। बिना माता पिता की स्वीकृति के लड़के लड़की का संबंध गान्धर्व, धनलेकर लड़की देना आसुर, सोईहुई को उठा-लेजाना या जवरन छीनेलेना क्रमशः पैशाच तथा राजस विवाह माने जाते हैं। इनमें से पहिले चार विवाह ही धर्मानुकूल समझने चाहिये। शेष विवाह तो माता पिता की अनुमति पर निर्भर हैं। क्यों कि वही तो लड़की देनेके बदले धन (शुल्क) प्राप्त करते हैं। यदि वही न हों तो उनके स्थानपर परिवार संभालने वाला व्यक्ति उस धनको ग्रहण करे। यदि कोई भी नहो तो लड़की ही उसधन की मालकिन होती है। संपूर्ण विवाहों में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक प्रेम नितान्त आवश्यक है।

(ख)

स्त्रीधन ।

भोजन छादन विषयक धन तथा गहना ही “स्त्रीधन” नाम से पुकारा जाता है। २००० पण आजीवन भोजन छादन देने के लिये पर्याप्त हैं। गहने के विषय में कोई भी नियम नहीं है। भोजन छादन का विशेष प्रबंध किये बिना ही मालिक के विदेश में जाने पर स्त्री लड़के लड़की तथा बहू के पालन पोषण के लिये और मालिक के विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष, तथा ख़तरे में पड़जाने पर

उसके उद्धार के लिये अपने धन को खर्च कर सकती है। धर्म युक्त विवाहों में दो बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिलकर स्त्रीधन को खर्चकर डालें तो इसमें कुछभी दोष नहीं माना जाता। गांधर्व तथा आसुर में व्याजसहित स्त्रीधन लौटाना आवश्यक है। राक्षस तथा पैशाचमें स्त्री धनका ग्रहण करना चोरी समझा जाता है।

पति के मर जाने पर धर्म कामकी इच्छा से स्त्री अपना गहना तथा सगाई का धन लेसकती है। यदि गहना तथा धन दूसरे के पास हो तो वह उससे व्याज सहित वसूल करे। यदि वह दूसरा विवाह करना चाहती हो तो श्वसुर तथा पतिका दिया धन विवाह के समय में ग्रहण करे। दीर्घ प्रवास के प्रकरण में पुनर्विवाह के संबंध में प्रकाश डाला जायगा।

यदि कोई श्वसुरकी आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष से विवाह करे तो उसका श्वसुर तथा पतिका दिया धन न मिले। जिन जिन संबंधियों के पास उसने अपना धन रक्खा हो वह उसको लौटावे। जो स्त्री की रक्षा करना धर्म समझता है स्वभाविक है कि वह उसके धन की भी रक्षा करे। पतिका दायभाग कोई भी स्त्री नहीं लेसकती। जो स्त्री धर्म पूर्वक जीवन बिताना चाहती हो उसको अपनी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जिन स्त्रियों के लड़के हैं वह अपने धनको खर्च नहीं करसती। उसको लड़केही ग्रहण करें।

बाल बच्चों के पालन पोषण के लिये स्त्री अपने धन को व्याज पर लगा दे। बहुत से पुरुषों से यदि लड़के पैदा हुए हों तो उनके पिताओं का दिया हुआ धन सुरक्षित रक्खा जाय। जो संपत्ति उसको स्वतंत्रता पूर्वक खर्च करने के लिये मिली हो उसको लड़कों के नाम ही जमा करे। यदि किसी पतिव्रता विधवा के लड़का न हो तो गुरु के समीप रहते हुए अपने धन को आयु पर्यंत उपभोग करे। इसके बाद जो धन बचे वह दाय के हकदारों को मिले। मालिक के रहते हुए यदि कोई स्त्री मर जाय तो उसका धन लड़के लड़कियां आपस में बांट लें। यदि वह न हो तो मालिक स्वयं उस धन को ग्रहण करे। तथा बन्धु बांधवों ने जो धन शादी आदि के समय में दिया हुआ हो वह अपना अपना लौटा लें।

[ग]

यदि किसी स्त्री के आठ साल तक बच्चा न हो तो उसको बन्ध्या समझा जाय। यदि उसके एक मृत बालक पैदा हुआ हो तो दस साल तक और यदि उसके लड़कियाँ ही होती हों तो बारह साल तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद शुल्क (दहेज का धन), स्त्री धन तथा अन्य प्रकार का धन (आधि वेदानिक) लौटा दे तथा २४ पण राज्य को दंड स्वरूप दे। जिसको शुल्क या स्त्री धन न मिला हो वह अपनी स्त्री को - शुल्क, स्त्री धन, आधि वेदानिक (अन्य प्रकार का धन) तथा अनुरूप मासिक वृत्ति देकर जितनी स्त्रियों के साथ चाहे विवाह करे। क्योंकि स्त्रियाँ लड़के उत्पन्न करने के खातिर ही हैं।

यदि सभी एक समय में ही मासिक धर्म से हों तो उसके पास सब से पहिले जाय। जिसके कोई लड़का जीता हो या जिसके साथ सबसे पहिले शादी की हो। मासिक धर्म के बाद यदि पुरुष स्त्री से संसर्ग न करे तो उसपर ६६ पण जुर्माना किया जाय। पुत्रवती, धर्म कामा, बन्ध्या, मृत पुत्र त्सविनी (जिसके मरा बच्चा पैदा हुआ हो) मासिक धर्म से रहित स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संसर्ग न करे। पुरुष भी (इच्छा के न होते हुए) कोई तथा उन्मत्त स्त्री के पास न जावे। यदि स्त्री पुत्रकी इच्छुक हो तो इसी बीमारी से ग्रसित पुरुष के पास जा सकती है।

नीच, परदेश में गये, राज्य का अपराध किये, दूसरे का खून किये, पपित, त्याग्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिये छोड़ सकती है।

५६ प्रकरण।

विवाहितों के संबंध में नियम।

[क]

शुश्रूषा।

बारह साल की लड़का और सोलह सालका लड़का बालिग (प्राप्त-व्यवहार) होता है। इससे अधिक उमर होने पर यदि वह

बड़ों की सेवा शुश्रूषा न करे तो लड़की को १२ पण और लड़के को इससे दुगुना दंड दिया जाय ।

[ख]

आभरण पोषण ।

यदि समय निश्चित न हो तो स्त्री को कपड़े लते (घासाच्छादन) के साथ साथ मालिक की आमदनी के अनुसार अधिक भी दिया जाय । जहां समय निश्चित हो वहां हिसाब से जो धन उसके हिस्से में निकले उसको दिया जाय और उसका शुल्क (देहेज) स्त्री धन (उसकी अपनी संपत्ति) तथा हानि पूर्ति का पुरस्कार (आधि वेदनिका) भी मिले । यदि वह सुसराल के लोगों के पास रहती हो या सबसे जुदा होकर स्वतंत्र रूप से रहती हो तो मालिक उस के आभरण पोषण के लिये बाधित नहीं किया जा सकता ।

[ग]

कठोर व्यवहार ।

"नंगी, अधनंगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी मां मरी" आदि गालियों को बिना दिये ही दंड की बातें सिखायी जाय । यदि यह संभव न हो तो बांसकी खपची, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर तीनवार मारा जाय । यदि इसपर भी वह नियम तोड़े तो उसको चाम्दंड (६२ प्रकरण) तथा पारुष्य दंड (७३ प्रकरण) नामक प्रकरण में विधान किये गये दंडों का आधा दंड दिया जाय । ईर्ष्या तथा द्वेष से पतिके साथ जो दुर्व्यवहार करे उसको भी यही दंड मिले । घरके दरवाजे पर या बाहर बगीचे में होनेवाले खेल तमाशों में जो संमिलित हो उसके लिये दंड आगे चलकर कहा जायगा ।

१. डाक्य शमशास्त्री ने इत्याम्य का अर्थ बिनकुल उलटा किया है । अनादाने का अर्थ "न लेने पर या न ग्रहण करने पर है" । यदि स्त्री से शुल्क स्त्रीधन तथा पुरस्कार न लिया जाय तो उसको हितावसे धन मिले यह संपूर्ण वाक्य का तात्पर्य होता है । "अनादाने" का अर्थ "न दिया जाय" यह अर्थ नहीं है ।

२. डाक्टर शमशास्त्री ने "अनिर्देश" का अर्थ "निर्देश का कहना" कर दिया है । गाली को देकर लड़कियों तथा स्त्रियों को काम सिखाना राज्य नियम द्वारा पुष्ट करना कहां तक उचित है ? वस्तुतः अनिर्देश का अर्थ न कहना है । इससे उपरि लिखित अर्थ ही ठीक प्रतीत होता है ।

[घ]

स्त्री पुरुष का द्वेष ।

जो स्त्री पति से द्वेष रखती हुई सात मासिकधर्म तक दूसरे पुरुष की कामना करती रही हो वह अपने गहने पति को लौटा दे और उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की आज्ञा दे दे । इसी प्रकार जो पुरुष अपनी स्त्री को न चाहता हो वह उसको वैरागिन, संबंधी, रिश्तेदार या परिवार के लोगों के पास रहने से न रोके । जो पुरुष झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के विषय में कहे कि "यह मुझको संतुष्ट नहीं करती या अमुक रिश्तेदार या खुफिया के साथ गुप्त संबंध रखती है" उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि पति न चाहे तो स्त्री नाराज होते हुए भी उसका परित्याग नहीं कर सकती । इसी प्रकार पति स्त्री का । परित्यागन भी संभव है जबकि दोनों ही एक दूसरे के साथ द्वेष रखते हों और जुदा होना चाहते हों । स्त्री से तंग आकर यदि पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे तो जो धन स्त्री की ओर से उसको मिला है वह उसको लौटा देना चाहिये । परंतु यदि स्त्री पति से तंग आकर छुटकारा पाना चाहे तो उसको उसका धन न लौटाया जावे । पहिले चार विवाहों (धर्म विवाह) में परित्याग का नियम नहीं है ।

(ङ)

स्वेच्छाचार ।

बारंबार मने करने पर भी जो रंगीले रसिये पन (दर्प मद्य क्रीडा) की खेलों में संमिलित हो उन पर ३ पण जुर्माना किया जाय । औरत संबंधी खेल तमाशों तथा बगीचों में जो दिन में जाय उस पर ६ पण और मर्द संबंधी खेल तमाशों तथा बाग बगीचों में जो जाय उस पर १२ पण दंड किया जाय । रात में यदि यही अपराध किया जाय तो दंड दुगुना होना चाहिये । पति को बाहर ले आने या सोये हुए तथा शराब में बदहोश के साथ बदमाशी करने पर १२ पण तथा रात में बाहर भगा लाने पर दुगुना जुर्माना किया जाय । स्त्री पुरुष की मैथुन विषयक इशारेबाजी में या एकान्त में बात चीत करने पर स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर

दुगुना दंड करना चाहिये । बाल तथा वस्त्र के पकड़ने तथा दांत तथा नख के चिन्ह होने पर स्त्री को साहस दंड और पुरुष को दुगुना दंड मिलना चाहिये । शंकित स्थान में बातचीत करने पर पण के स्थान कोड़े मारे जाय । चंडाल गांव के बीच में हर पन्द्रहवें दिन या शरीर के दोबनों ओर पांच पांच कोड़े अपराधी औरतों के मारे । एक पण देने पर एक कोड़ा कम कर दिया जाय ।

(च)

राज्य नियम विरुद्ध व्यवहार ।

रोके जाने पर भी जो स्त्री एक दूसरे को छोटी मोटी चीजों से सहायता पहुंचावे उस पर १२ पण, जो दाभी चीजें दे उस पर २४ पण और जो संपत्ति तथा सोना भेजे उस पर ५४ पण जुर्माना किया जाय । पुरुष को इससे दुगुना दंड मिले । बिना आपस में साक्षात्कार किये ही जब ऐसा काम किया जाता हो तो आधा दंड दिया जाय । प्रतिसिद्ध पुरुष के साथ व्यवहार करने के संबंध में भी इसी नियम को काम में लाया जाय ।

राज्य द्वेष, नियम भंग तथा स्वच्छाचार से स्त्रियों का अपने, देहज के तथा पति द्वारा दिये गये में धन (शुल्क) पर प्रभुत्व नहीं रहता ।

५९ प्रकरण ।

विवाह विषयक नियम ।

(क)

घर से भागजाना ।

खतरे को छोड़कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्त्री घर से बाहर भागजाय तो उसपर ६ पण और जो चारोंवार रोकने पर यही काम करे तो उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि वह पड़ोसी के घर से दूसरे घरमें जाय तो उसके ६ पण दंड दिया जाय ।

पड़ोसी, भिखमंगे, व्यापारी, आदियों को घर में उहराने, भीख देने तथा मालआदि के देने पर १२ पण और प्रतियिद्ध व्यक्तियों के

साथ यही बात करने पर साहस दंड और दूसरे के घर में आईहुई वैरागिन आदि को सहायता या दान देने पर २४ पण दंड दियाजाय।

विपत्ति या खतरे को छोड़ कर जो कोई दूसरे की औरत को अपने यहां ठहरावे तो उसको दंड मिले। यदि कोई बिना आज्ञा के उसके घरमें घुस आया हो इसमें उसका कुछ भी अपराध न समझना चाहिये।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि पति के, संबंधी, अमीर, गांव-मुखिया, संरक्षक, भिलुकी, रिश्तेदार आदि के यहां स्त्रियों के जाने में कुछ भी दोष नहीं है। कौटिल्य का मत है कि आदिमियों से भरे हुए संबंधी का घर अच्छा है या बुरा है, उनकी दोस्ती छल पूर्ण है या नहीं? इसको कोई स्त्री कैसे जान सकती है? इसमें सन्देह भी नहीं है कि मृत्यु, रोग, गर्भ आदि के मामले में संबंधियों के यहां जाना उचित ही है। ऐसे मौकों पर जो स्त्री को संबंधियों के घर में जाने से रोके उस पर १२ पण और जो स्त्री स्वयं बहाना बनाकर न जाय उसका स्त्रीधन जब्त कर लिया जाय। यदि संबंधी लोग लेनदेन से बचने के लिये उसको किसी बहाने से न बुलावें तो उनको उनके हक का धन वह न दे।

(ख)

मार्ग में किसीके साथ हो लेना।

पति के घरसे भागकर जो किसी दूसरे गांव में जाय उसपर १२ पण जुर्माना कियाजाय। यदि वह अपना गहना किसी दूसरे के यहां रखे तो वह उसको न मिले। यदि वह किसी गमन योग्य पुरुष के साथ गई हो तो उसपर २४ पण जुर्माना कियाजाय और उसको जातविरादरी से बाहर करा दिया जाय बशर्ते कि गर्भ, भक्त-वेतन, दान या तीर्थ गमन आदि उसके जाने का कारण न हों। एक उद्देश्य वाले पापी स्त्री पुरुषों को समान दंड दियाजाय। बन्धु के साथ यदि वह जाय तो उसको दंड न मिले। परन्तु यदि यही बात रोके जाने पर की हो तो उसको आधा दंड दियाजाय। संदेह युक्त तथा प्रतिषिद्ध व्यक्ति के साथ यदि कोई स्त्री मैथुन के उद्देश्य से मार्ग जंगल या गुप्त स्थान में जाय तो उसको व्यभिचार पादे

में पकड़ा जाय और उसीके अनुसार उसपर दंडका विधान किया जाय ।

गवैइये, बजैइये, नट मल्लिधारे, व्याध, ग्वाले, कलवार आदि या अपनी स्त्री को साथ लेकर चलने वाले लोगों के साथ यदि कोई स्त्री जाय इसमें किसी दंग का भी दोष नहीं है । बदमाश आदमी के साथ स्त्री को लेजाने पर या ऐसे आदमी के साथ स्त्री के स्वयं जानेपर आधा दंड दिया जाय ।

(ग)

देर तक विदेश में रहना ।

यदि कुछ समय के लिये, शुद्र वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणजाति के कोई मनुष्य बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियें कम से कम एक साल तक, यदि उनके बच्चे हों तो वह अधिक समय तक, यदि मालिक खानेपीने का प्रबंध करगया हो तो दुगुने समय तक उसके आने की प्रतीक्षा करें । जिनके खानेपीने का प्रबंध न हो उनको धन धान्य से समृद्ध उनके भाई बन्धु सहारा दें । चार या आठ साल के बाद उनका भार जात विरादरी के लोग संभालें । इसके बाद वह विवाह कालीन धन लौटाकर दूसरे के साथ विवाह करसकती हैं ।

यदि कोई ब्रह्मण बाहर कहीं पहुँचगया हो तो उनकी स्त्रियें दस सालतक और उनके बच्चा हो तो बारह सालतक और यदि कोई क्षत्रिय राजाके काम से बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियें जीवन पर्यंत उनकी प्रतीक्षा करें । यदि किसी समाज के व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चा पैदा होगया हो तो इसमें उनकी बदनामी किसीको भी न करनी चाहिये । यदि किसी के पास खानेपीने का रुपया न हो और अमोर संबंधों उसको छोड़ बैठे हों तो वह दूसरा विवाह करले । सगाई हाजाने के बाद यदि किसी कुमारी लड़की का भावांपति बिनाकहे विदश चलागया हो और उसकेपास खानेपीने लायक धन न हो तो वह सात मासिक धर्म तक, और यदि वह कहकर बाहर गया हो तो एकसाल तक प्रतीक्षा करें । इसी प्रकार उसके विषयमें समाचार न मिलने पर पांच समाचार मिलने पर दस, शुल्क का कुछधन ल चुकने के बाद खबर प्राप्त होनेपर सात और न प्राप्त होने पर तीन और पूरा शुल्क लेचुके के बाद पूर्ववत् पांच तथा

दस मासिक धर्म तक उसकी वाट देखे। इसके बाद धर्मस्थ से आजा लेकर दूसरा विवाह करले। कौटिल्य की सम्मति है कि गर्भ होजाने तथा मासिक धर्म बन्द होनेपर ही स्त्रियों के धर्म का नाश समझना चाहिये।

दीर्घ काल के लिये जिन्होंने वैराग्य धारण करलिया हो उनकी स्त्रियें सात मासिक धर्म तक और यदि उनके बच्चा हो तो साल भरतक प्रतीक्षा करें। इसके बाद छोटे भाई के पास बैठजाय। यदि बहुतसे छोटेभाई हों तो जो सबसे छोटा भाई जवान धार्मिक, स्त्री रहित, तथा नजदीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता हो उसके साथ रहे। यदि वह भी न हो तो किसी समान गोत्रके संबंधी के पास चली जाय। सारांश यह है कि उसको जो सबसे अधिक नजदीक का मिले उसके पास बैठे।

यदि कोई स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती है जो कि उसके मालिक का रिश्तेदार या संपत्तिका हकदार नहीं है तो वह दोनों और उनके विवाह में जो शरीक हों वह सबके सब व्यभिचार संबंधी अपराध में अपराधी समझे जाय।

६० प्रकरण। दाय—विभाग।

पिता या पिता माता के जीवित रहते लड़के संपत्ति बांटने में स्वतंत्र नहीं हैं। उनके मरने के बाद ही वह संपत्ति को आपस में बांट सकते हैं। जो धन किसी ने स्वयं परिश्रम कर कमाया है वह उसी का है उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। बशर्ते कि वह पिता की संपत्ति के सहोर न प्राप्त किया गया हो। चिरकाल से चली आई पैतृकसंपत्ति चौथी पीढ़ी तक लड़कों तथा पोतों में बांटी जासकती है बशर्ते कि उनका गोत्र खंडित न हुआ हो। खंडित गोत्र वालों में संपत्ति समान रूप से बांट दी जाय। जो लड़के पिता से धन न प्राप्त करने या उसको आपस में बांट लेने पर भी एक साथ रहते तथा कमाते हों वह अपनी संपत्ति को आपस में पुनः बांट सकते हैं। जिसके कारण संपत्ति विशेष रूप

बढ़ी हो उसको संपत्ति का अधिक भाग मिलना चाहिये । जिसके कोई भी लड़का न हो उसके भाई या साथी उसकी संपत्ति को और लड़की गहने आदि स्थिर धन को प्राप्त करे । जिनके धार्मिक विवाह से लड़के लड़कियाँ हों उनकी संपत्ति उनके लड़के लड़कियों को ही मिले । यदि उनमें से कोई भी न हो तो उनके पिता को और यदि वह भी न हो तो उनके भाई को संपत्ति मिले । भाई के लड़के भी एक हिस्सा प्राप्त करें यदि बहुत से भाइयों में एक भाई मर गया हो भिन्न भिन्न माता पिताओं से उत्पन्न भाइयों में पिता के अनुसार ही संपत्ति का विभाग होना चाहिये । चचेरे भाई एक दूसरे को सहारा नहीं देते अतः बड़े के रहने पर छोटे को आधा हिस्सा मिले ।

यदि पिता जीतेजी विभाग करना चाहे तब सब को समान रूप से धन दे । किसीको भी अकारण संपत्ति से वंचित न करे । यदि पिता कुछ भी धन न छोड़ गया हो तो बड़े लड़के छोटे पर अनुग्रह करें वशतः कि वह तुराइयों में न फँस गया हो ।

पिता का धन बालिगों में ही बांटा जाता है । जो नाबालिग हों उनका धन मामा, या ग्रामवृद्ध लोगों के पास रख दिया जाय । जो विदेश में गया हुआ हो उसके विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये ।

विवाहित भाई पिता के मरने पर अविवाहित भाइयों को विवाह का खर्च दें और लड़कियों को दहेज का धन दें । ऋण तथा प्राप्त धनका समान रूप से विभाग कर लिया जाय । पुराने आचार्यों का मत है कि धन धान्य रहित लड़के घरके पानी के बर्तन तक आपस में बांट लें । कौटिल्य इसको छल समझते हैं । क्यों कि जो चीज़ मौजूद हो उसीका विभाग किया जाता है और जो चीज़ है ही नहीं उसका क्या विभाग किया जाय ? "इतनी संपत्ति है और इतना इतना प्रत्येक के हिस्से में आती है" इस बात को कह कर साक्षियों के द्वारा विभाग करवाया जाय । अविभाज्य, चोरी गई हुई, खोई हुई तथा आकस्मिक रूपसे मिली पुरानी संपत्ति का पुनः विभाग कर लिया जाय । श्रोत्रिय स्त्री, मृतक

संस्काररहित मृत, नीच आदि की संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति को राजा स्वयं ग्रहण करे यदि कोई भी उसका हकदार न हो। जात बिरादरी से बाहर किये गए मनुष्यों तथा नपुंसकों को दाय भाग नहीं मिलता। जड़ उन्मत्त अन्धे तथा कोढ़ी लोगों के विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये। यदि इनके लड़के इनके सदृश न हों तो उनको दादा की संपत्ति का भाग मिलना चाहिये। जात बिरादरी से बाहर निकाले हुए व्यक्तिको छोड़ कर अन्य सबको खाना कपड़ा मुफ्त में मिले।

यदि इनके स्त्रियें हों परंतु इनसे कोई बच्चा न हो तो बंधु बांधवों के द्वारा उनमें नियोग करवा के जो बच्चा पैदा किया जाय उसको पुरानी संपत्ति का भाग मिले।

६०. प्रकरण । हिस्सों का बांटना

I एक स्त्री के लड़कों में बड़े को—ब्राह्मणों में बकरी, क्षत्रियों में घोड़ा, वैश्यों में गौ तथा शूद्रों में भेड़ी—मंभले को काने और छोटे को रंग बिरंगे मिलें। यदि चौपाये न हों तो हीरे जवाहरात को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति का दसवां भाग बढ़ा ले। इसीसे वह पूर्वजों के ऋण से मुक्त होता है। उशना के अनुयायियों का यह विभाग है।

पिता के मरने पर गाड़ी घोड़ा तथा गहना बड़े को, चारपाई चौकी तथा पुराने बर्तन, मंभले को और काला धान लोहा घरेलू सामान, तथा बैलगाड़ी छोटे को मिले और इसके बाद जो सामान बचे वह बराबर बराबर बांट दिया जाय। लड़कियों को पिता की संपत्ति में भाग न मिले। माता का सामिग्री में से वह पुराने बर्तन तथा गहने को ग्रहण करें। यदि बड़ा लड़का नपुंसक हो तो उसको अपने हिस्से का तीसरा भाग, यदि वह बदमाश हो तो चौथा भाग मिले। यदि सर्वथा ही उच्छृंखल हो और धर्म कार्य की कुछ भी परवाह न करता हो तो उसको कुछ भी न दिया जाय। मंभले तथा कनिष्ठ के विषय में भी इसी नियम को समझना चाहिये।

यदि इन दोनों में से किसी के बाल बच्चे अधिक हों तो उसको बंद का आधा भाग अधिक मिले ।

II कई स्त्रियों के लड़के हों तो उनमें से कौन वास्तविक तथा अवास्तविक का है? दोनों ही बिन विवाह संस्कार हुई हुई स्त्रियों के हों तो उनमें से कौन पीछे तथा कौन पहिले पैदा हुआ है? यदि जुड़िया हों तो कौन पहिले बाहर आया है? इत्यादि बातों को सामने रख कर संपत्ति का विभाग किया जाय ।

सूत मागध व्रात्य रथकार आदि जातों में संपत्ति के अनुसार विभाग हो । जिनके कुछ भी संपत्ति न हों वहां घरकी चीजें बराबर बराबर बांट दी जाय । यदि किसी के चारों वरों की स्त्रियों से बच्चे हों तो ब्राह्मणी के लड़के को चौथा भाग, क्षत्रिया के लड़के को तीसरा भाग, वैश्या के लड़के को दो भाग और शूद्रा के लड़के को एक भाग मिले । क्षत्रियों तथा वैश्यों के तीन वरों या दो वरों की स्त्रियों से जो बच्चे हों उनके विभाग के नियमों को इसीसे अनुमान करलेना चाहिये । ब्राह्मणों के अन्तरा पुत्र (एक जात नचि की स्त्री से उत्पन्न) को बराबर भाग और क्षत्रियों वैश्यों के अन्तरा पुत्र को आधा भाग मिले । जिसके जादा बालबच्चे हों उसको बराबर भाग मिले । भिन्न २ जातियों के स्त्रियों से यदि एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो उसको संपूर्ण संपत्ति मिले और वह बन्धु लोगों का पालन पोषण करे । ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पारशव तीसरा भाग सगोत्र या समीप के रिश्तेदार स्त्री से उत्पन्न लड़के शेष दो भाग ग्रहण करें और पिता का पिण्ड दानादि करें । यदि कोई भी न हो तो पिताकी संपत्ति आचार्य या उसके विद्यार्थी को या माता के रिश्तेदार या सगोत्र को या नियोग से उत्पन्न बालक को पिताकी संपत्ति मिले ।

६० प्रकरण ।

पुत्र-विभाग ।

पुराण आचार्यों के मत में स्त्री के साथ साथ जिन जिन पुरुष का संबंध हो उनको पिता या क्षत्री समझना चाहिये । कुछ लोग

जिसके वीर्य से जो बालक पैदा हुआ हो उसी को बालक का पिता मानते हैं। कौटिल्य के विचार में दोनों ही एक प्रकार से पिता हैं।

संपूर्ण संस्कार हो चुकने बाद जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको औरस नाम दिया जाता है। लड़की के लड़के को इसी के तुल्य समझना चाहिये। सगोत्र से अन्य गोत्र वाली स्त्री में जो बालक पैदा किया जाय उसको क्षत्रज कहते हैं। जिसके बाप का पता न हो उसको द्विपितृक (दो बाप का) तथा द्विगोत्र मानना चाहिये और उसका दोनों के ही मृतक संस्कार तथा दाय में अधिकार होना चाहिये। उसी के समान जो रिश्तेदार के यहां पैदा हुआ हो उसको गृहज नाम से पुकारा जाता है। यदि रिश्तेदार उसको अपने यहां न रखे तो उसको संस्कार करने वाले का लड़का और लड़की के गर्भ से जो पैदा हो उसको कर्त्तन कहेते हैं। सगर्भ स्त्री से विवाह करने के बाद उत्पन्न हुए बालक को सहोद और दूसरी शादी के बाद उत्पन्न हुए बालक को पौनर्भव कहा जाता है। पिता या बन्धुओं से जो स्वयं पैदा किया गया हो उसी को दाय भाग मिलता है। जो दूसरे के द्वारा पैदा हुआ हो उसको संस्कार करने वाले की संपत्ति में ही हक है न कि रिश्तेदारों की संपत्ति में।

उसी के तुल्य दत्त हैं जिन को माता पिता ने पानी हाथ में लेकर दूसरे के हाथ में दे दिया है। जो स्वयं ही बन्धु लोगों के लड़के बन गये या जिनको बन्धुओं ने लड़का करके मान लिया है या जो खरीद कर पुत्र बनाये गये हैं उनको क्रमशः उपगत, कृतक तथा क्रीत नाम से पुकारा जाता है। औरस के सर्वे भाइयों को पिता की संपत्ति का तीसरा भाग और जो असर्वे हों उनको केवल खाना पीना मिले। ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में जो बालक पैदा हों उनको असर्वे और वैश्या तथा शूद्रा से जो पैदा हों उनको अम्बष्ठ तथा निषाद या पारशव कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न बालक उग्र होते हैं। इनको शूद्र ही समझना चाहिये। वात्य वह है जो राज्यापराधी अभिशस्त लोगों से सजात की स्त्री में पैदा हों। इसी दंगपर उलट भी है। शूद्र से अयोग व क्षत्र तथा चांडाल, वैश्य से मागध तथा वैदेहक (बनिये) और क्षत्रिय से मूर्त तभी उत्पन्न होते हैं जब कि उनका अपने से ऊपर जाति की स्त्री के साथ संबंध हो

जाय । मागध ब्राह्मण क्षत्रिय से और पौराणिक सूत से भिन्न हैं । राजा जब अपने धर्म का प्रति पालन नहीं करता है तभी सूत आदि पैदा होते हैं ।

उग्र से नैषादित में कुटुक, निषाद से उग्रा में पुलकस, अम्बष्ठ से वैदेहिका (बनिया जाति की स्त्री) में वैण, वैण से वैदेहिका में कुशीलव, उग्र से क्षत्रा में श्वपाक जात के लोग पैदा होते हैं । इन को अनन्तर्वर्ती जात का समझना चाहिये । वैण्य काम करने से रथकार नाम प्राप्त करता है । इनका अपनी जातिमें ही विवाह होता है कार्य तथा रीतिरिवाज में इनको अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करना चाहिये । चंडाल को छोड़कर उपरि लिखित संपूर्ण शूद्र के सदृश ही मानने चाहिये । उपरि लिखित नियमों का पालन करता हुआ राजा स्वर्ग को प्राप्त करता है । इससे विपरीत चलने पर नरक का भागी होता है । देश जाति संघ तथा गांव का जो नियम हो उसी के अनुसार दाय विषयक नियम बताने चाहिये ।

६१ प्रकरण ।

गृह—वास्तुक ।

सामन्त (अमीर पड़ोसी) लोग वास्तु विषयक विवाद का निर्णय करें । वास्तु से तात्पर्य गृह, खेत, बाग, सेतुबंध, तलाव आदि से लिया जाता है । सेतुबंध में सेतु शब्द उस मकान के लिये प्रयुक्त होता है जिसमें कड़ी छत के साथ लोहे की कीलें जड़ी गई हों कड़ी के अनुसार ही मकान बनाना चाहिये । मकान बनाते समय इस बात का खयाल रखना चाहिये दूसरे की भूमि तक न पहुंच जाय । नींव दो अरली या तीन पाद हो । दस दिन के लिये खड़े किये गये सूतिका गृह को छोड़ कर अन्य गृहों में पाखाना तथा नाली के साथ साथ रसोई तथा पीने के पानी को प्राप्त करने के लिये एक अच्छा सा कुंआ बनाया जाय । जो इस नियम का उल्लंघन करें उनको साहस दंड दिया जाय । उत्सव के समय आगज लाने तथा चुली के पानी बहने का प्रबंध भी इसी

प्रकार करना चाहिये। ३ पद या आधी अरालि से अधिक बहुत बड़ी मोरी या नाली आदि बनाई जाय। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसपर १४ पण जुर्माना किया जाय। एक पद या अरालि से लेकर ३ पद या ४ पद तक का यज्ञ स्थान जलस्थान (उदंजर-स्थान), चकिया तथा मूसल कूटने का स्थान बनाया जाय। सभी मकानों के बीच में तीन पद चौड़ी गली रखी जाय। दो मकानों की छतें या तो एक दूसरे के साथ आपस में मिली हों या उनमें कम से कम चार अंगुल का फरक हो। किष्कु जितना बड़ा दरवाजा बनाया जाय और दरवाजे के खुलने का स्थान छोड़ दिया जाय। प्रकाश आसकने के लिये ऊपर खिड़की रखी जाय। दूसरे को नुकसान न पहुंचाते हुए बहुत से लोग आपस में मिलकर घर बना सकते हैं। वृष्टि की बाधा से बचने के लिये छत को ऐसी चटाई से ढाक दिया जाय जो कि हवा से उड़ न सके। जो इस नियम का उल्लंघन करे उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय। यही दंड उन लोगों को मिले जो कि राज मार्ग या गली को छोड़कर अन्यत्र अपने मकान के दरवाजे तथा खिड़कियां इस ढंग पर बनावें जिससे दूसरे के मकान को नुकसान पहुंचता हो।

गड्ढे, सीढ़ियां, नालियां, बांस की सीढ़ी, कूड़ा कंकड़ आदियों से दूसरे मकान में रहने वालों को तकलीफ पहुंचावे या पानी निकलने का प्रबंध न कर दूसरे के मकान की दीवार को कमजोर करे उसपर १२ पण जुर्माना और मूत्र तथा पाखाने के बाहर न निकलने के प्रबंध करने पर २४ पण जुर्माना किया जाय। नाली ऐसी होनी चाहिये कि वर्षा का पानी बाहर निकल जाय अन्यथा अपराधी को १२ पण दंड दिया जाय।

जो किराये दार खाली कर देने के लिये सूचना पाकर भी मकान में रहे, या जो मकान मालिक भाड़ा पाकर भी जबरन मकान खाली करने के लिये कोई उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय अर्थात् कि गाली मार पीट खून, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा असत्य आदि का मामला न हो। जो अपने आप खाली करे वह साल भर का किराया देवे।

जो मकान सब लोगों के लिये बनाया जाता हो उसमें यदि कोई सहायता न दे या जो कोई ऐसे मकान के उपभोग से किसी भी सहायता देने वाले को रोके उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । जो ऐसे मकान को नुकसान पहुंचावे उससे दंड की दुगुनी रकम वसूल की जाय । ०

कोठा तथा आंगन को छोड़ कर अग्नि शाला, कुट्टन शाला [धान आदि कूटने का स्थान] तथा अन्य खुले स्थानों का प्रयोग सबलोग सामान्य रूप से करें ।

६१ प्रकरण ।

वास्तु-विक्रय ।

(क)

मकान बेचना ।

संबन्धी सामन्त तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के लिये कहेजाय । यदि वह तैयार न हों तो बाहरी सामन्त तथा कुलीनों को घर के सामने दाम सुनाया जाय । खेत, बाग, पक्का-मकान, तालाब आदि की सीमा सामन्त तथा ग्राम वृद्ध लोगों के संमुख प्रकट की जाय और तीनवार उद्घोषित कियाजाय के "इस दाम पर अमुक मकान को कौन खरीदेगा" जो बोली बोले उसके हाथ बेच दियाजाय । स्पर्धाकर यदि लोग उसका दाम बढ़ायें तो शुल्क के सहित मूल्य वृद्धि राज्य कोष में जाय । जो खरीदे या बोली बोले वही उसका शुल्कभी दे । स्वामी के बाहर होतेहुए मकान को जो नीलाम करे उसपर २४ पण जुर्माना कियाजाय । सातरात से अधिक समय तक यदि मालिक मकान न आवे तो बोली बोलने वाला उस मकान को खरीदले । जो बोली बोलने के बाद मकान न खरीदे उसपर २०० पण जुर्माना कियाजाय । अन्य वस्तुओं के मामले में दंड २४ पण होना चाहिये ।

[ख]

हद का भगड़ा ।

पांच गांव या दस गांवके सामंत वास्तविक या कृत्रिम चिन्हों के द्वारा हद का भगड़ा तय करें । पहिले से गांवमें रहने वाले खेतिहर ग्वाले तथा वृद्ध हद के चिन्हों को बिना जाने ही कपड़ा बदलकर हदपर एक या बहुत से आदमियों को लेजावें । कहने के अनुसार जो सीमा विषयक चिन्हों को न दिखासकें उनपर १००० पण जुर्माना कियाजाय । जो सीमा संबंधी चिन्हों को हटा दें या नष्ट कर दें उनको भी यही दंड दियाजाय । जिसकी सीमा का कोईभी चिन्ह विद्यमान नहो उसका विभाग राजा इस ढंगपर करे जिससे अधिक से अधिक लाभप्राप्त ।

[ग]

खेतों का भगड़ा ।

सामन्त तथा ग्रामवृद्ध खेतों के भगड़ेको तयकरें । यदि वह लोग एक मत न हों तो धार्मिक लोग जो निर्णय करें वही माना जाय । जो समझौता वह पेशकरें उसीपर चलाजाय । यदि इन दोनों तरीकों से भगड़ा न निपटे तो राजा स्वयं लेलेवे । जिस चीज़का कोई भी स्वामी न हो तो अधिक से अधिक लाभ जिस ढंगपर हो वैसे ही उसका विभाग करदिया जाय । जो किसी वस्तु पर जबरन अपनी मलकीयत स्थापित करे उसको चोरीका दंड मिले । यदि ऐसा करने में कोई उचित कारण हो तो मेहनत तथा खर्च का हिसाब लगाकर उसपदार्थ का लगान (बंध) उससे ग्रहण कियाजाय । सीमा के चिन्हों को नष्ट करने पर साहस दंड और हटा देने पर २४ पण दंड दियाजाय । तपोवन, चरागाह, बड़ामार्ग, श्मशान, देवकुल, यज्ञस्थान तथा पुण्यस्थान विषयक विवादों का निर्णय भी इसीढंग पर करना चाहिये ।

[घ]

संपूर्ण विवादों का निर्णय ।

सामंत लोगों के निर्णय के अनुसार ही सब प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाय । ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देव स्थान, यज्ञ स्थान तथा पुण्य स्थान विषयक विवादों को छोड़ कर चरागाह, जमीन

खेत, बाग, बगीचा, खलपान, मकान, तबेले आदिक विषयों के भगड़े का निर्णय क्रमशः एक दूसरे को प्रधानता देते हुए किया जाय । स्थल विषयक भगड़ों में यदि किसी ने जल भंडार, कुल्या, मेड़ आदिकों के प्रयोग करते समय दूसरे के खेत में पड़े या उगे बीजों को नुकसान पहुंचाया हो तो उससे नुकसान का बदला ले लिया जाय । खेत, बाग, तलाब तथा मकान आदिकों के मालिक यदि एक दूसरे को नुकसान पहुंचावें तो उनपर नुकसान का दुगुना जुर्माना किया जाय । ऊपर के तालाब से साँचे जाने वाले खेत में नीचे के तालाब से पानी न लिया जावे । ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब में तबतक पानी आना न रोका जावे जबतक कि तीन साल तक लगातार उससे काम लेना न छोड़ दिया गया हो । जो इस नियम का उल्लंघन करे या तालाब का पानी बाहर निकाल दे उनपर प्रथम साहस निर्दिष्ट जुर्माना किया जाय ।

[ड]

राज्य कर से मुक्ति ।

आपत्ति के बिना ही यदि कोई पांच साल तक किसी मकान या तालाब से काम न ले तो उसपरस्वत्व न रहे । यदि कोई तालाब या पके मकान को नये लिये से बतवावे तो उसको पांच साल तक राज्य करले मुक्त किया जाय । टूटे फूटे के सुधारने में ४ साल तक और बने हुए को उन्नत करने में तीन साल तक राज्य कर न लिया जाय । यदि किसी ने बे जुता खेत गिरा रखा हो या बेचा हो तो उस खेतसे दो साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाय ।

हवा या बेलते चलाने वाले अलहद का जिन खेतों, बगीचों, तरकारी की क्यारियों में पानी लगता हो उनसे उतना ही राज्यकर ग्रहण किया जाय जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े । प्रकृत्य [नियत लगान] अबक्रय [वार्षिक लगान] विभाग [बंटवाई की रीति] भोग [हिस्सेदारी ढंगपर] तथा निष्पृष्ट [मुक्त] विधिपर जो खेतें जोतें वह सरकारी अनुग्रहके अनुसार उत्पादकों को सहायता दें । जो सहायता न दे उनपर नुकसान का दुगुना जुर्माना किया जाय ।

जो उचित स्थान से अतिरिक्त अन्यस्थान से पानी लें या जो प्रमाद से दूसरे का पानी रोकें उनपर ६ पण जुर्माना किया जाय।

६१--६२ प्रकरण।

चरागाह खेत तथा काम का नुकसान।

[क]

मार्ग निरोध।

जो लोग पानी बहने के मार्ग या अन्य इसी प्रकार के काम को नुकसान पहुंचावे उनको साहस दंड दिया जाय। दूटे फूटे उजड़े मकान को छोड़ कर यदि कोई पहिले से बने पक्के मकान को गिरा रखे बेचे तथा बिकवावे या दूसरे की जमीन में पक्का मकान, पुण्यस्थान, चैत्य या मंदिर बनवावे तो उसको मध्यमदंड दिया जाय। यदि वह श्रोत्रिय हो तो उसको दुगुना दंड मिले। यदि किसी दूटे फूटे उजड़े मकान का कोई भी मालिक न हो तो पुण्यात्मा ब्रमीण उसका उद्धार करवावे। मार्ग कितना बड़ा हो इसपर "दुर्गनिवेश" विषयक प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। भिन्न भिन्न सड़कों के रोकने पर दंड इसप्रकार होना चाहिये। जुद्रपथ या मनुष्य-पथ में १२ पण, महापथ पथ में २४ पण, हस्तियज्ञेयपथ में ५४ पण, सेतु वनपथ में १०६ पण, श्मशान ग्रामपथ में २००, द्रोणमुख पथ में ५००, स्थानीय, राष्ट्र तथा विधीत पथमें १००० पण दंड दिया जाय। इनको जो नुकसान पहुंचावे या ऊपर से खोददे उसपर उपरिलिखित दंडका चौथा भाग दंड मिले।

(ख)

ग्राम-निवास।

यदि बीज डालने के समय में खेतिहर खेत खाली छोड़ दे या मजदूर काम न करे तो उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय बशर्ते उनके ऐसा करने में-दोष, उपनिपात तथा अविषय आदिक कारण न हों। करद लोग करदों के पास ही और ब्रह्मदायिक ब्रह्म-

दायिकों के पास ही जमीन को गिरों रखें या बेचें। जो इसनियम का पालन न करे उसको साहसदंड मिले। यदि करद अकरद लोगों के गांव में घुसे तो उसको यही दंड दिया जाय। यदि वह करद गांव में जाकर बसे तो मकान को छोड़कर अन्य सब गांव संबंधी बातों में उसको स्वतंत्रता रहे। यदि संभव हो तो मकान भी उसको दे दिया जाय। बेजुते खेतको जोतकर जो पांचसाल तक आर्जाविका करे वह निष्कय (खर्चाआदि) लेकर स्वामी को खेत लौटावे। अकरद किसी भी गांवमें जाकर रहें, पुरानी संपत्ति पर उनका अधिकार पूर्ववत् बनारहता है।

(ग)

ग्राम-प्रबंध ।

यदि ग्रामिक (ग्रामका मुखिया) ग्रामके कामसे दूसरे स्थान पर जावे तो नीच जातके लोग नंबर नंबर से उसके साथ जाय। जो न जाय वह भोजन पीछे $1\frac{1}{2}$ पण ग्रामिक को दे। चोर तथा व्यभिचार के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे व्यक्तिको ग्रामिक गांवसे बाहर निकाले तो २४ पण और यदि इस अपराध में सारा का सारा गांव संमिलित हो उसको उत्तम दंड दिया जाय। बाहरगये हुए ग्राममें कैसे बसें इसपर प्रकाश डाला जा चुका है। ग्रामके ८० अंगुल दूरपर बड़े बड़े खंभेसे युक्त उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय।

(घ)

चरागाह विषयक नियम ।

पशुओं को चराने के लिये खाली जमीनों को चरागाह बनाया जाय। बिना आज्ञा के चरागाह में चरकर भोग हुए भैंस तथा ऊंट पर $\frac{1}{2}$ पण, गौ घोड़े गदहे पर $\frac{1}{4}$ पादिक, जुद्ध पशुओं पर $\frac{3}{16}$ पण और यदि वह चर कर वहाँ पर बैठे हों तो दुगुना और यदि उसी पर प्रति दिन निर्वाह करते हों तो उनपर चार गुना जुर्माना किया जाय। देवता के नाम पर खुले छोड़े सांड, दस दिन की व्याई गाय, दूध देने वाली गाय तथा ऐसे ही बैल आदिकों पर कुछ भी जुर्माना न किया जाय।

खेत चर जाने पर मालिकों से दुगुना नुकसान भरा जाय । यदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उस पर १२ पण और जो रोज यही करे उसपर २४ पण जुर्माना किया जाय । पाली या रख-वारी को आधा दंड मिले । तरकारी तथा फल फूल के बगीचों में खाने या नुकसान पहुंचाने के विषय में भी यही नियम हैं । खलपान भंडार तथा घेरे हुए स्थान में रखे अनाज को यदि जानवर खा जाय तो उनके मालिकों से "नुक्सान" लिया जाय । यदि अभयवन (चिड़ियाघर या वन्द जंगल) के मृग खाते हुए पकड़े जाय तो उसकी सूचना उसके संरक्षक राज्य कर्मचारी को दी जाय तथा उनको इस ढंग पर रोका जाय जिससे उनको चोट न पहुंचे । कोढ़े या रस्सी से ही पशुओं को मारकर भगाना चाहिये । यदि कोई उनको दूसरे ढंग पर मारे या मार डाले तो, दंड पारुष्य प्रकरण में विधान किये गये दंडों के अनुसार उसको दंड दिया जाय । जो लोग जान बूझकर ऐसा काम करें या जिनका अपराध प्रत्यक्ष हो चुका हो उनको आगे से ऐसे कामों से रोकने के लिये प्रत्येक प्रकार के उपाय को काम में लाना चाहिये ।

(इ)

प्रण भंग ।

यदि कोई खेति हर गांव में आकर खेत न जोते तो जुर्माना गांव स्वयं ले । यदि वह काम करने का अगाधन तथा भोजन छादन लैलेवे और फिर काम न करे तो उससे दुगुना धन तथा भोजन छादन वसूल किया जाय । यदि काम "समाजिक" हो या सब से संबंध रखता हो तो उससे दुगुना भाग ग्रहण किया जाय ।

नाटक आदि तमाशे के लिये जो काम किया जा रहा हो उसमें भाग न लेने वाले को तमाशा आदि देखना न मिले । जो छिपे छिपे ऐसे काम के विषय में सुने तथा देखे और बचने के खातिर सामने न आवे तो, औरों के हिस्से से दुगुना हिस्सा उससे लिया जाय । यदि कोई सब को लाभ पहुंचने वाले काम को करना चाहे तो सब लोग उसकी आज्ञा पर चलें । जो उसका कहना न माने या काम न करे उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि आपस में मिले

कर वह लोग काम बिगाड़ दें तो उनपर नुकसान का दुगुना जुर्माना किया जाय। उन में जो ब्राह्मण या उससे श्रेष्ठ ही सब से अधिक दंड मिले। कोई ब्राह्मण सार्वजनिक काम में भाग न ले तो उससे उसका भाग ले लिया जाय। देश, जाति, कुल तथा संघ विषयक काम में जो शरीक होकर वादा न पूरा करें उनके साथ भी इसी दंग पर व्यवहार करना चाहिये।

जो लोग देश के कल्याण करने वाले मकानों को या सड़कों को बनाते हैं तथा गांव की शोभा को बढ़ाते हैं उन पर राजा अपनी कृपा सदा ही करता है।

६३ प्रकरण ।

ऋण दान ।

[क]

व्याज विषयक नियम ।

सौ पण पर $1\frac{1}{4}$ पण व्याज ही न्याय युक्त है। व्यापारियों से ५ पण, जंगल में रहने वालों से १० पण तथा समुद्र व्यापारियों से २० पण तक व्याज लिया जा सकता है इससे अधिक जो व्याज ले या दे उसको साहस दंड और सानियों को आधा दंड दिया जाय।

राष्ट्र पर प्रभा व डालने वाले कर्जों में धनिक तथा धारणिक (कर्ज लेने वालों) की दशा तथा चरित्र पर दृष्टि रखी जाय। धान्य विषयक कर्ज फसल के समय में यदि चुकता किये जाय तो वह ढोढ़े से जादा न होने पावे। गिरा रख कर जो कर्जा लिया उसका व्याज साल के अन्य में मूल धन के आधे से अधिक न होने पावे। चिर प्रवास के कारण जिसपर व्याज ऊपरिमित सीमा तक बढ़ गया हो कह कुल पूंजी बढ़ावे या मूल धन को भी उसमें संमिलित कर लें उन पर व्याज का चार गुना जुर्माना किया जाय। जो मूल धन से चार गुना धन व्याज में मांगे, उसका चारगुना धन जुर्माने के तौरपर वसूल किया जाय। इसका तीन चौथाई व्याज लेने वाले और एक चौथाई व्याज देने वाले से लिया जाय।

चिरकाल तक होने वाले यज्ञ, बीमारी, गुरुकुल आदि में रहने वाले बालक पर व्याज न बढ़ाया जाय। अधर्मण के अदा करने पर जो उधार का धन न ग्रहण करे उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय। यदि न ग्रहण करने का कोई विशेष कारण हो तो मूल धन उसी के पास वे व्याज पड़ा रहे। बालक, वृद्ध, बीमार, राज्यदंडित विदेश में रहने वाले, देश त्यागी तथा राजनैतिक कारणों से बाहर रहने वालों को छोड़कर यदि कोई अन्य व्यक्ति दस सालके बीचमें अपना मूल धन न लौटा ले तो उसका उस धन पर से दस सदा के लिये जाता रहे।

लड़के मृत पुरुष के ऋण का व्याज दें। यदि लड़के न हों तो उसके दायाद या रिक्थहर (स्थिर संपत्ति लेने वाले) या साथ रहने वाले जो हिस्सेदार हों वह व्याज का धन अदा करें। इनके सिवाय और कोई भी मृत पुरुष के ऋण का जिम्मेवार नहीं हो सकता। बालक को जिम्मेवार माना ही नहीं जाता। यदि ऋण तथा व्याज का स्थान तथा समय नियत न हो तो उसको पुत्र पौत्र तथा दायाद अदा करें। जीवन विवाह तथा भूमि विषयक कर्ज को भी पुत्रपौत्र ही चुकता करें। विदेशमें गये हुए ऋणी को छोड़कर अन्य किसी भी ऋणी पर एक साथ बहुत से उत्तमर्ण मुकदमा नहीं चला सकते हैं। दिवालियों से ब्राह्मण तथा सरकार का ऋण पहिले चुकता किया जाय। उसके बाद क्रमशः जिन्होंने जिन्होंने ऋण दिया हो उनको मूल धन लौटाया जाय।

स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई-भाई, आदिकों ने आपस में मिल कर जो ऋण ग्रहण किया हो उसका संशोधन नहीं किया जा सकता खेति हर तथा राज पुरुष काम करते समय कर्ज के संबंध में नहीं पकड़े जा सकते। स्त्री व प्रतिध्रावणी पति विषयक ऋण को जिम्मेवार नहीं हैं यदि उसके जान वृक्ष में ऋण लिया गया हो। ग्वाले तथा अन्य सीरी लोगों के संबंध में यह नियम नहीं है। स्त्री के ऋण लेने पर पति को पकड़ा जा सकता है। जो इससे बचने के लिये विदेशमें भागने की कोशिश करे उसको उसमें दंड दिया जाय। जिसके विदेश जानेका कारण निश्चित न हो उसके विषयमें सारी लोग जो कुछ कहें वही प्रमाणिक माना जाय।

(ख)

साक्षि-विषयक नियम

विश्वास योग्य, शुद्ध चरित्र तथा दोनों पक्षों को अनुमत लोग ही साक्षी कहाते हैं। प्रायः यह संख्या में तीन होने चाहिये यदि दोनों पक्षों को मंजूर हो तो दो साक्षियों से भी निर्णय करवाया जा सकता है। ऋण विषयक झगड़ों में एक साक्षी से अधिक साक्षी होने आवश्यक हैं। प्रतिविद्ध, साले, सहायक, आवद्ध जो (किसी पर निर्भर करते हों), धनिक, धारणिक, दुश्मन, अंग हीन तथा राज्य दंडित पुरुष साक्षी नहीं हो सकते। पतित चंडाल बदमाश, अन्धे, बहिरे गूंगे, घमंडी आदि तथा स्त्री और राजकीय कर्मचारी अपने वर्गके मामले को छोड़कर अन्यत्र साक्षी का काम कर सकते हैं। पारुष्य, चोरी तथा व्याभिचार के मामलों में साले सहायक तथा दुश्मन साक्षी नहीं हो सकते। गुप्त कार्यों के मामलों में राजा तथा तपस्वी को छोड़कर अकेली स्त्री, पुरुष सुनने वाला या देखने वाला भी साक्षी माना जा सकता है। स्वामीभृत्य, ऋत्विग, आचार्य तथा शिष्य और माता पिता तथा पुत्र एक दूसरे के मामले में साक्षी हो सकते हैं। यदि इनका आपसका झगड़ा हो तो जो बड़ा तथा पूज्य हो उसीकी बात मानी जाय। जो झूठा सिद्ध हो वह दसगुना और यदि असमर्थ हो तो पांचगुना जुर्माना दे।

(ग)

शपथ लेना ।

साक्षियों को पानीसे भरे घड़े, अग्नि तथा ब्राह्मण के संतुल ले जाया जाय और यदि वह ब्राह्मण है तो "सत्य बोलो" इसदंग पर,—यदि वह वैश्य तथा क्षत्रिय है तो " (यदि तुम झूठ बोलोगे तो)—तुमको यज्ञका फल न मिले। शत्रुकी सेनाको जीतने के बाद खप्पर हाथमें लेकर तुम इधर उधर भीत्र मांगते किसे" इसप्रकार, और यदि वह शूद्र है तो " [यदि तुम झूठ बोलो तो]—मरनेके बाद तुम्हारा पुण्यफल राजा को मिले। राजा के पाप तुम्हारे सिर चढ़े। इंद्रभी तुमको मिले"—इस तरीके पर उनसे क्रमशः शपथ लीजाय। यदि पीछे से भी सत्य मामला मात्तूम पड़े तो उसकी परीक्षा की जाय।

" एक साथ मिलकर सच्च बोला " यह कहने पर भी यदि साक्षी आपस में गुह बनाकर सप्तरात से अधिक समय गुजरने पर भी सच्च न बोलें तो उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय। तीन पक्ष से अधिक समय गुजरने पर विवाद प्रस्त धन वसूल किया जाय।

यदि किसी मामले में साक्षियों का मतभेद हो तो जिसबात पर प्रामाणिक चात्रिरवत् साक्षी एकमत हों उसीके अनुसार या उनकी बातों का निचोड़ निकाल कर निर्णय किया जाय। [यदि कुछभी निर्णय न हो सके तो] संपूर्ण धन को राजा ग्रहण करे। यदि साक्षि अभियुक्त की अपेक्षा धनकी राशि कम बतावें तो जितना अधिक धन अभियोक्ता ने कहा हो उससे वसूल कर राज्य कोशमें जुरमाने के रूपमें जमा किया जाय। यदि साक्षी लोग धनकी राशि अधिक बतावें तो अधिक धन राजा ग्रहण करे। यदि अभियोक्ता या किसी अनपढ़ के खराब लिखने या ठीक ढंगपर साक्षियों के द्वारा न सुनने या पुरुष के मरजाने के कारण विवाद प्रस्त मामले का निर्णय करना कठिन हो तो जो कुछ साक्षी कहें उसीके अनुसार फैसला कर दिया जाय।

साक्षियों के बेवकूफ होनेपर या देश काल तथा कार्य संबंधी विचार से कुछभी सहायता न मिलने पर तीनों प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाय यह औशनस लोगों का मत है। मानवसंप्रदाय के विद्वान् कहते हैं कि-जाली या बेईमानी साक्षियों के कारण जितने धनका नुकसान हुआ हो उससे दसगुना उनसे वसूल किया जाय। बार्हस्पत्य लोगों का विचार है कि जो बेवकूफी के कारण आपस में एकमत न हों उनको तकलीफ देकर मरवाया जाय। कौटिल्य उपरिलिखित विद्वानोंके पक्ष में नहीं है। उसका ख्याल है कि साक्षियों से यह आशा की जाती है कि वह बिनासुने कोई बात नहीं कहेंगे। जो इससे विपरीत करें उनपर २४ पण और जो कुछ कुछ गड़बड़ करें उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय।

अभियोक्ता देश या काल के अनुसार जो साक्षीसमीपमें हों उनको स्वयं बुलालावे और जो कि दूरमें रहते हों और सुगमता से न आसकते हों उनको न्यायाधीश की आज्ञा के द्वारा बुलवा मंगावे।

६४ प्रकरण । औपनिधिक ।

(क)

उपनिधि.

ऋण के सदृश ही उपनिधि (धरोहर) विषयक नियम हैं । शत्रु के पद्भ्यंत्र या जांगलिकों के आक्रमण से राष्ट्र के नाश होने पर, डाकुओं के द्वारा ग्राम, व्यापारी संघ तथा पशु समूह के नष्ट होने पर, अन्तरीय कोप से राष्ट्र के अच्छे न होने पर, गांव के आग से जलने या पानी से बहने पर, स्थिर संपत्ति के विनाश पर, अग्नि की ज्वाला या पानी का बाढ़ इतना अधिक हो कि अस्थिर संपत्ति भी न बच सके ऐसी हालत पर, नाव के डूबने पर या उसपर डाका पड़ जाने पर उपनिधि प्राप्त करने के लिये किसी पर भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है ॥

जो उपनिधि को अपने काम में लावे उससे उसका बदला [भोग वेतन] लिया जावे तथा उसपर १२ पण जुर्माना किया जावे । यदि उपभोग करने से उपनिधि नष्ट होगया हो तो उसपर अभियोग चलाया जावे तथा उसपर २४ पण जुर्माना किया जावे । अन्य प्रकार से नष्ट हुए उपनिधि के विषय में भी इसी नियम को काम में लाया जावे । यदि कोई मनुष्य मरगया हो या तकलीफ में पड़गया हो उसके सम्बन्ध में यह नियम नहीं लगते । उसपर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता । यदि कोई उपनिधि को गिरों रखे [आधान] बेचे या उसका अपव्यय करे तो उसपर उपनिधि का चारपांच गुना जुर्माना किया जाय । दूसरे माल के साथ बदलने या यों ही नष्ट कर देने पर उपनिधि का दाम उससे वसूल किया जाय ॥

(ख)

आधि ।

उपनिधि के सदृश ही आधि (गिरों रखी चीज़) के नाश, उपभोग विक्रय तथा आधान (गिरों रखना) के नियम हैं ।

उत्पादक आधि नष्ट नहीं होता । इसपर व्याज भी नहीं लिया जासकता । अनुत्पादक आधि नष्ट होजाता है और उसपर व्याज भी चढ़ता रहता है । आधि लौटाने के लिये आपण्डुप मनुष्य को जो आधि न लौटावे उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि आधि रखने वाला कहीं बाहर हो तो गांव के चौथारियों (ग्रामवृद्ध) के पास ऋण का धन जमाकर गिरों रखी चीज़ कोई छुड़ा सकता है । यदि कोई उस चीज़ को जहां के तहां ही पड़े रहने दे तो ऋण का धन लौटाने के बाद उसपर व्याज नहीं चढ़ाया जासकता । धर्मस्थ (न्यायाधोश) से आज्ञा लेकर कोई भी मनुष्य कीमत चढ़ने पर गिरों रखी चीज़ को नुकसान के भय से बेच सकता है और यही बात तब करसकता है जबकि उसको उस चीज़ के नष्ट या विनष्ट होने का खतरा मालूम पड़े । यदि धर्मस्थ न हो तो आधिपाल की आज्ञा से भी यही काम किया जासकता है । जो स्थिर संपत्ति मेहनत करने से या बिना मेहनत करने से ही फल देती हो उसका उपभोग इस ढंग पर किया जाय जिससे उसका मूल्य न घटे । उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिये व्याज तथा लाभ निकालने के बाद जो बाकी धन बचे उसीपर खर्च कर दिया जाय । बिना आज्ञा के ही जो व्यक्ति गिरों रखी चीज़ का उपभोग करे उससे (उत्पत्ति व्यय निकालने के बाद) शुद्ध आय ग्रहण की जाय और साथ ही उसपर जुर्माना (बन्ध) भी किया जाय । इसमें शेष नियम उपनिधि के ही सदृश है ।

(ग)

आदेश तथा अन्वाधि ।

आदेश (आज्ञा) तथा अन्वाधि (किसी दूसरे के हाथ गिरों रखी चीज़ लौटाने को भेजना) के सम्बन्ध में भी पूर्ववत् ही नियम हैं ।

व्यापारी लोग यदि किसी को आधि देकर भेजें और वह चोरों से लूटकर इस स्थान तक न पहुंच सका हो उसपर अभियोग नहीं चलाया जासकता । यदि वह मार्ग में ही मरगया हो तो उसके

दायादों पर आधि (गिरा रखी चीज़) विषयक अभियोग नहीं चलाया जा सकता। शेष बातों में उपनिधि के सदृश ही इसमें नियम हैं।

[घ]

ऋण या उधार में लिया धन ।

ऋण या उधार में जिस हालत में चीज़ लीजाय वैसी ही लौटाई जाय। समय तथा स्थान के प्रलंब होने के कारण और पदार्थ में दोष या दैवी विपत्ति के कारण कोई पदार्थ नष्ट होजाय तो अभियोग नहीं चलाया जा सकता। शेष बातों में उपनिधि के सदृश ही इसमें नियम हैं।

[ङ]

वैय्यावृत्त्य विक्रय

वैय्यावृत्त्य विक्रय या फुटकर विक्रय में यह नियम है कि जिस समय जिस स्थान पर जो माल बेचा गया हो उसका असली दाम तथा असली लाभ दियाजाय। शेष बातों में उपनिधि संबंधी नियम काम में लाये जाय। यदि समय तथा स्थान के कारण नुकसान हो गया हो तो खरीदने वाले माल प्राप्त करने पर नुकसान तथा खर्चा दें। यदि पहिले से ही दाम तय किया जा चुका हो तो उनको इस बात के लिये बाधित न किया जाय। दाम के कम होने पर कमी पूरी करके भी (सट्टेका) मुगतान किया जा सकता है ‡ जो लोग कम्पनी के नौकर हों या विश्वासपात्र हों या जिनको कभी भी राज्यसे दरुड न मिला हो वह लोग खराब होने से या दैवी-विपत्ति से यदि पदार्थ नष्ट होजाय या खो जाय तो उसका कुछ भी दाम न दें। चिरकाल रखने के बाद या किसी स्थान विशेष में भेजने के बाद जो माल बिकना हो उसका खर्च निकालकर मूल्य तथा लाभ दिया जाय। यदि विक्रेय पदार्थ बहुत प्रकार का हो तो

‡ इसका भाषान्तर यह भी हो सकता है कि " राज्य नियत कीमत पर जो माल बेचते हो वह बाजार में उसी मालकी कीमत चढ़ने पर भी पुरानी कीमत पर ही बेचें। या बड़ी दुर्द कीमत पर बेचते हुए नियत कीमत के अनुसार ही राजा को धन लौटावें। यदि मालका दाम घट गया हो तो घाटे के अनुसार ही राजा को कम धन लौटावें "।

उसका कुछ अंश नुकसान में निकाल दिया जाय इसमें भी उपनिधि के सदृश ही अन्य बातों में नियम हैं।

[च]

निक्षेप।

निक्षेप (पेटी में बंद रखा धन) तथा उपनिधि (खुली हालत में दिया गया धन) के नियम एक सदृश हैं।

जो व्यक्ति किसी के रखे धन को किसी दूसरे को सुपुर्द करे उसको दंड दिया जाय। यदि वह मुकर जाय तो उसको पूर्वकालीन स्थिति तथा निक्षेप (धरोहर रखने वाला) की बात प्रामाणिक मानी जाय। कारीगर लोग प्रायः बेईमान होते हैं। निक्षेप में उनके धन रखने को कोई कारण भी नहीं है। अकारण रखे निक्षेप का यदि कोई अपव्यय करे तो निक्षेप मकान में छिपकर खुफिया का काम करने वाले साक्षियों के द्वारा अपनी सचवाई को सिद्ध करे। नाव के बीच में या बीच जंगल में बुड़ड़ा या बीमार व्यापारी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ एक पदार्थ उसके पास निक्षेप में रखे और इसके बाद उसकी आवाज लेकर उसका लड़का तथा भाई निक्षेप को मांगे। यदि वह देदे तब तो उसको ईमानदार समझा जाय और यदि वह मुकर जाय तो उससे निक्षेप ले लिया जाय और उसको चोरी संबंधी दंड दिये जाय। इसी प्रकार सन्यासी के रूप में श्रद्धेय साक्षी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ माल उसके पास रखे। कुछ समय के बाद पुनः आकर मांगे। यदि वह देदे तब तो वह ईमानदार और यदि वह न दे तो उससे निक्षेप तथा चोरी का जुरमाना ग्रहण किया जाय। अथवा एक बेचकूफ गंवार के भेस में कोई मनुष्य गुरुचिन्हों से मुक्त पदार्थ को लेकर रात में गली में निकले और "पुलिस छीन लेगा" यह बहाना बनाकर उस के हाथ में उस पदार्थ को रख जाय। जेल में कैदी बनकर वह अपने पदार्थ को उससे मांगे। यदि तो वह देदे तब तो ईमानदार माना जाय अन्यथा उससे निक्षेप का धन लिया जाय और उसको चोरी का दंड दिया जाय। यदि कोई संबंधी अपने पूर्वजों के निक्षेप को किसी के यहां देखे तो वह उससे मांग सकता है। यदि वह न दे तो उसके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय।

द्रव्य संबंधी विवाद में “द्रव्य कहां से प्राप्त हुआ” यह सबसे पहिले पूछा जाय । इसके बाद उस द्रव्य के चिन्ह तथा व्यवहार के संबंध में और अभियोक्ता की आर्थिक दशा के विषय में जांच पड़ताल की जाय ।

दो आदमियों में किसी प्रकार का भी आर्थिक व्यवहार हो उसमें इन्हीं नियमों को काम में लाया जावे ।

अपने या पराये के साथ जो भी शर्त नामें या व्यवहार विषयक बातें तय करनी हों वह साक्षियों के सन्मुख बिना किसी प्रकार के छिपाव के तय होनी चाहिये और उसमें देश तथा काल का विस्तृत रूप से वर्णन कर देना चाहिये ।

६९ प्रकरण ।

दास-कल्प ।

(क)

(दासों के नियम)

उदर दास को छोड़ कर, आर्य्य जाति के नाबालिग शूद्र को बेचने वाले संबंधी को १२ पण, वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने वाले स्वकुटुंबी को क्रमशः २४, ३६, ४८, पण दंड दिया जाय । यदि यही काम करने वाला कोई दूरका रिश्तेदार या दुश्मन हो तो उसको क्रेता तथा श्रोता को पूर्व मध्यम तथा उत्तम साहस दंड के साथ साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है । श्लेच्छ लोग प्रजा बेच सकते हैं तथा गिरों रख सकते हैं । आर्य्य लोग दास नहीं बनाये जा सकते हैं । पारिवारिक, राज्य दंड तथा उत्पत्ति के साधन विषयक वित्ति के आपड़ेन पर किसी भी आर्य्य जाति के व्यक्ति को गिरों रखा जा सकता है । निष्क्रय का धन मिलते ही सहायता देने में समर्थ बालक को शीघ्र ही छुड़ा लिया जाय । एक बार जिसने अपने आपको गिरों रखा है या जितको संबंधियों ने दो बार गिरों रखा है । राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में भागने पर वह आजीवन दास बनाये जा सकते हैं । धन को

चुराने वाले तथा किसी आर्य्य को दास बनाने वाले व्यक्तियों को आधा दंड दिया जाय। राज्यापराधी, मृत प्राय तथा बीमार को भूल से गिरों में रखने वाला अपना धन लौटा ले सकता है। जो कोई गिरों में रखे व्यक्ति से मुर्दा या पाखाना पेशाब उठवाये, या उसको जूठ खिलावे, या कपड़ा पहिनने को म देकर नंगा रखे, या पीटे, या तकलीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे उसका (गिरों रखने के बदले दिया गया) धन जप्त कर लिया जाय। दायी, दासी, अर्धसीरी, तथा नौकरानी सदा के लिये स्वतंत्र कर दी जाय और उच्च कुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय।

गिरों रखी दायी पर अपने घर में जयर्दस्ती करने वाले को साहस दंड और दूसरे के घर में यही काम करने पर मध्यम दंड मिले। जो स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा गिरों रखी कन्या का धर्म विगाड़े उसका (गिरों में दिया) धन जप्त कर लिया जाय। राज्य कन्या को हरजाना (शुल्क) देने पर उसको बाधित करे और स्वयं हट जाने का दुगुना धन दंड स्वरूप में ग्रहण करे।

यदि कोई आर्य्य अपने आप को बेचे तो वह आर्य्य ही समझा जाय। स्वामी की अनुमति से वह अपनी कमाई रख सकता है और अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। रुपया लौटा कर वह पुनः दासता से मुक्त हो सकता है। उदर दास (आजीवन दास) तथा आहितकदास (गिरों में रखा दास) के विषय में भी यही नियम हैं। गिरों या विक्री के धन के अनुसार ही निष्क्रय (दासता से मुक्त होना) का धन है। यदि कोई राज्य दंड देने में अशक्त होने से दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनताने से उस धन को चुकता कर देवे और स्वतंत्रता प्राप्त करले। युद्ध में पकड़े जाने के कारण जो आर्य्य दास बनाया गया हो वह अपने पकड़े जाने का हरजाना या अपने निष्क्रय का आधा धन देकर मुक्त हो सकता है।

जो कोई घरमें उत्पन्न या खरीदे हुए आठ वर्ष से कम उमर वाले अनाथ बच्चे से नीच कामले, उसको विदेश में बेचे या गिरों रखे तथा प्रसव काल का प्रबंध किये बिना ही गर्भ युक्त दासी को

बेचें या गिरौं रखे उसको तथा क्रेताओं और साक्षियों को पूर्व साहस दंड दिया जाय । जो अनुरूप निष्कय मिलने पर भी दास को दासता से मुक्त न करे उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । जो दास को बेकारण कैद में डाले उसको भी यही दंड दिया जाय ।

संबंधी लोग ही दास की संपत्ति के हकदार (दायाद) हैं । यदि कोई भी संबंधी नहो तो मालिक को मिले । मालिक द्वारा दासी के बच्चा पैदा होनेपर दोनों (दासी तथा बच्चा) ही स्वतंत्र हो जायं । यदि किसी कारण से वह मालिक के घर में ही रहना चाहे तो परिवार का ख्याल करने वाली मां भाई बहिन आदि दासता से मुक्त हो जायं । निष्कय का धन देकर दास तथा दासीको दासता से मुक्तकर उनको, उनकी मर्जी के बिना जो बेचे उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय ।

[ख]

नौकरोंपर मालिक का अधिकार ।

अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने ही मालिक नौकर रखे । जो मेहनताना तय हो वही मिले । यदि मेहनताना पहिले से तय न हो तो काम तथा समय के अनुसार दिया जाय । खेतिहरों में हरबाहे गड्यों का काम करने वालों में ग्वाले और अपने आप माल खरीदने वाले बनियों में दूकान पर बैठने वाले मेहनताना तय न होने पर आमदनी का दसवां भाग ग्रहण करें । जहां मेहनताना तय होगया हो वहां यह नियम नहीं है । वहां तो नियत मेहनताना ही मिलना चाहिये । जो मेहनताना अन्य स्थानों में प्रचलित हो वही मेहनताना, कारीगर, शिल्पी, गवइये चिकित्सक, भांड, रसेइये आदि मेहनतियों को दिया जाय । यदि कुछ गड़बड़ हो तो जो चतुर लोग नियत करें वही उनको मिले । यदि कुछ भगड़ा हुआ हो तो उसको साक्षियों के द्वारा निपटाया जाय । यदि वह नहीं तो जैसकाम हो बैसाही निर्णय किया जाय । वेतन न देनेपर मालिक को वेतन की रकमसे दसगुना या द पण दंड दिया जाय । जो मेहनतियों की भृति का दुरुपयोग करे उसपर भृति का ५ गुना या १२ पण जुर्माना किया जाय ।

नदी में बहने या आगमें जलने या चोर शेर हाथीसे मीघाकिये जाने पर जान के खातिर यदि कोई बचाने वाले को स्त्री, पुत्र,

पुनः चुरावे तो उसको वहां से निकाल दिया जाय या अन्यत्र भेज दिया जाय। बहुत भयंकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सदृश उसके साथ व्यवहार किया जाय।

[ग]

याजक लोगों में धन का विभाग।

याजक लोग अपने अपने काम के लिये जो द्रव्य उपयोगी हो उसको छोड़ कर शेष संपूर्ण मेहनताना समान रूप से आपस में बांट लें। अग्निष्टोमादि यज्ञों में दीक्षा होने के बाद याजक लोग पांचवां हिस्सा ग्रहण कर लें। सोम विक्रय के बाद चौथा हिस्सा, मध्यमोपसद तथा प्रवर्ग्योद्वाशन के बाद दूसरा हिस्सा और मयके बाद पहिला हिस्सा क्रमशः प्राप्त करते जायें। मध्यंदिन सबन होजाने पर समग्र भाग उनको मिल जाय। काम खतम होने पर दक्षिणा दी जाती है। बृहस्पति सबन को छोड़कर सभी सबनों में दक्षिणा दी जाती है। अहर्गर्ण आदि में जो दक्षिणा दी जाती है उसका नियम भी इसी प्रकार है। सन्नाम तथा आदशाहोरात्र में थोड़ा थोड़ा लेकर काम करें अथवा अपनी और से अपने खाने पीने का खर्च करें। यदि काम के खतम होने से पहिले यजमान मरजाय तो ऋत्विज काम समाप्त करवाने के बाद दक्षिणा लेवे। काम खतम होने से पहिले ही जो यजमान या याजक को छोड़कर चला जाय उसको साहस दंड दिया जाय।

जो कोई सौ गउओं के होते हुये भी अग्नि-आधान नहीं करता या हजार गउओं का मालिक होते हुए यज्ञ नहीं करता, या शराब पीता है, या वैश्या के साथ विवाह कर बैठा है, या ब्राह्मण को मार चुका है। या गुरु की धर्मपत्नी को खराब कर चुका है। या बुरे काम में फंसा है, या चोर है, या कुत्सित काम करने वाले को यज्ञ करवाता है—ऐसे व्यक्ति को काम के बिगड़ने के भय से यज्ञके बीच में ही छोड़ देना कुछभी दोष नहीं है।

६७ प्रकरण।

विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध।

दोष, उपनिषात तथा अविस्मृति (अनुपयोगिता) से अतिरिक्त अन्य किसी बात के कारण यदि कोई व्यक्ति माल बेचकर खरीदार

को माल न दे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । दोष का तात्पर्य मालकी खराबी से, उपनिपात का तात्पर्य राजा चोर अग्नि तथा पानी विषयक बाधासे और अविस्मय का तात्पर्य अनुपयोगी तथा बीमारी पैदा करने वाली वस्तु से है । दूकानदार एक रात तक, किसान तीनरात तक, गो रक्षक पांचरात तक, वर्णशंकर तथा उत्तम वर्ण के लोग बहुमूल्य पदार्थ को सातरात तक विक्रय मालको जाकड़ पर दें । हानिकर-घातके (आतिपातिक) पदार्थ दूसरों को इस शर्तपर जाकड़ दियेजाय कि वह किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा जो इसनियम का पालन न करे उसपर २४ पण या सामान का दसवां भाग जुरमाना कियाजाय ।

दोष, उपनिपात तथा अविस्मय से अतिरिक्त अन्य किसीबात के कारण यदि कोई खरीद कर माल न ग्रहण करे उसको १२ पण दंड दियाजाय । खरीदार के सदृश ही बेचने वाले के विषय में नियम समझना चाहिये ।

ऊपर के तीनों वर्णों में विवाह का तात्पर्य पाणि ग्रहण से और शूद्रों में पारस्परिक संबंध से लिया जाता है । पाणि ग्रहण के बाद यदि कोई गुप्त भारी दोष मालूम पड़े तो विवाह रद्द हो सकता है । उच्च कुलके लोगों में ही केवल यह नियम काम नहीं करता । जो गुप्तदोषों को छिपाकर कन्या का किसी के साथ विवाह करदे उसपर ६६ पण जुरमाना कियाजाय और उसको दहेज, स्त्री धन तथा शुल्कादि के लौटा देने पर बाधित कियाजाय । यदि यही बात लड़के के मामले में हो तो वरपक्ष पर दुगुना जुरमाना कियाजाय और उसने शुल्क, स्त्री धन तथा दहेज में जो धन दिया हो वह उनको न मिले ।

कोई बीमार गन्दे जानवरों को शक्ति युक्त, स्वस्थ संपन्न तथा स्वच्छ कहकर जो बेचे उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । तीन पक्ष तक चौपाये जाकड़ रखे जा सकते हैं । मनुष्यों के विषय में जाकड़ की हद एकसाल है । इतने समय में अच्छाई बुराई मजे से जानीजासकती है ।

सभासद लोग दाते तथा क्रय में इस ढंग के नियम काम में

तथा अपने आपको देने के साथ साथ सर्वस्व देने का वचन दे तो कुशल लोग जो निर्णय करें वही उसको मेहनताना दिया जाय । प्रत्येक प्रकार के कष्ट से बचाने का मेहनताना इसी ढंग पर नियत करना चाहिये ।

वेश्या(पुंश्चली) मेहनताना तय कर लेने के बाद पुरुष को संतुष्ट करे । यदि कोई बात नियम विरुद्ध तय हुई हो या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मंजूर कराई गई हो तो उसको नाजायज़ समझना चाहिये ।

६६ प्रकरण ।

श्रम तथा पूंजी का विनियोग ।

[क]

श्रमियों का प्रबंध ।

तनखाह या मेहनताना लेने के बाद अगर मेहनती काम न करे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय और यदि इसपर भी काम करने के लिये तैयार न हो तो उसको कोठरी में कैद कर दिया जाय । यदि वह किसी खराब काम के करने में बीमारी या अन्य प्रकारकी विपत्ति में पड़ने के कारण असमर्थ हो तो उसको छुट्टी मिले और वह अपना काम दूसरे से करवावे । यदि विलंब के कारण स्वामी को कुछ नुकसान पहुंच गया हो तो उसको अधिक काम करके पूरा करदे । स्वामी किसी दूसरे व्यक्ति से काम ले सकता है वशतें कि वह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने में या नियुक्त पुरुष को अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो । यदि स्वामी मेहनती से काम न ले या मेहनती स्वयं ही काम न करे तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । दूसरे से मेहनताना लेने पर भी मेहनती जब तक पहिले काम को खतम न करले तबतक दूसरे काम पर नहीं जा सकता है । पुराने आचार्य्य समझते हैं कि यदि काम शुद्ध करने के बाद कोई उस काम को पूरा न करवाये तो मेहनतियों के विचार से उसको खतम ही समझना चाहिये । कौटिल्य

इस विचार से सहमत नहीं है । उसका विचार है कि मेहनताना काम के लिये दिया जाता है न कि खाली बैठने के लिये । यदि कोई थोड़ा सा भी काम करवाके आगे काम न करवाये तो उस काम को "किया हुआ" ही समझना चाहिये । यदि देश तथा काल के कारण विलंब हो गया हो या मेहनतियों ने काम बिगाड़ दिया हो तो उसको "किया हुआ" नहीं माना जा सकता । शर्त से अधिक काम करने पर अधिक काम का उसको बदला दिया जाय । कंपनियों के द्वारा जिनको मेहनताना मिलता हो उनके लिये भी यही नियम है । काम पूरा करने के लिये उनको सात रात का समय और दिया जाय । यदि इसपर भी काम न पूरा हो तो किसी दूसरे से काम करवा लिया जाय । स्वामी की आज्ञा के बिना श्रमी लोग न कोई चीज़ उठावें या गायब करें । जो इस नियम का पालन न करें उनपर २४ पण जुर्माना किया जाय । यदि श्रमी संघने समूह-रूप से यह अपराध किया हो उसपर आधा जुर्माना किया जाय ।

[ख]

कंपनी विषयक नियम ।

संघ से मेहनताना लेने वाले या साथ मिलकर कंपनी खड़ा करने वाले तय किये हुए वेतन को बराबर आपस में बांट लें । खेतिहर तथा बनिये फसल या व्यापारी दिन (जिसपर सब लोग अपना हिसाब तय करते हैं) के समीप आने पर अपने किये हुए काम के अनुसार हिस्सा बांट लें । जिसने स्वयं काम न कर किसी दूसरे मनुष्य को अपने स्थान पर काम करने के लिये दे दिया हो उसको पूरा हिस्सा मिले । हाथ में लिये हुए काम के खतम होने पर ही हिस्सा बांटा जाय । जो काम शुरू कर दिया जाय और आधा खतम हो गया हो उसको पूरा ही समझना चाहिये । काम के शुरू होने पर जो बीमार न होते हुए भी भाग जाय उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि काम शुरू न हुआ हो तो भाग जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता । यदि किसी ने कुछ माल चुरा लिया हो तो "अभय" देकर उसका हिस्सा दे दिया जाय । यदि

लावें जिस से लेने या देने वाले में से किसी को भी हानि न पहुंचे।

६८-७० प्रकरण।

दिये हुए धन का ग्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय तथा पदार्थों पर स्वत्व।

[क]

दिए हुए धन का ग्रहण.

अणु-ग्रहण विषयक नियम ही दिए हुए धन के ग्रहण के विषय में लगने चाहियें। व्यवहार के अयोग्य-दान को सुरक्षित स्थान में रखा जाय। संपूर्ण संपत्ति, स्त्री कलत्र, तथा अपने आपके दूसरे को देकर अनुशयी (राज्याधिकारी) के समीप पुनः विचार के लिये जाय। बुरे काम में धर्मदान, हानि कर काम में धन दान, अनुकारी तथा अपकारी व्यक्ति को उपभोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता का दान देने तथा लेने वाले को विशेष नुकसान न पहुंचे इसदंग का कुशल लोग निर्णय करें। दंड, बदनामी, तथा रुपये पैसे के भय से जबरन डरकर दान ग्रहण करने तथा कराने वाले को चोरी विषयक दंड दिया जाय। मिलकर दूसरे को मारने पीटने या राजा को डरावा दिखाने वाले को उत्तम दंड मिले। मृत पुरुष की संपत्ति का अधिकारी लड़का या रिश्तेदार अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिभाष्य दंड [कर्जा सम्बन्धी जुमाना] देहज का बचा भाग, जुए की हार, शराब के नशे में किए गए प्रण तथा स्त्री के वश में होकर कहे गए धन के देने में बाधित नहीं किया जा सकता है।

(ख)

अस्वामिक धन का विक्रय.

स्वामी अपनी खोई हुई वस्तु को ‡ प्राप्त कर धर्मस्थ को देदे।

‡ इसका यह अर्थ भी ठीक ज्ञात है :—

स्वामी खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर (उठाने वाले को) धर्मस्थ के द्वारा पकड़वा दे। यदि देश तथा काल इस बात का बाधक हो तो स्वयं उसको पकड़कर धर्मस्थ के सुपुर्दे करदे। धर्मस्थ अपराधी से पूछे कि “तुमको कहां से यह माल मिला?”

यदि देश तथा काल बाधक हो तो स्वयं ग्रहण करले । धर्मस्थ स्वामी से पूछे कि तुमको कहां से यह माल मिला ? यदि वह वस्तु के प्राप्त होने के क्रमशः विचार से प्रगट करे और बेचने वाले का पता न देसके तो उसको छोड़ दिया जाय और उस संपत्ति या वस्तु को राज्य स्वयं ग्रहण करे । यदि बेचने वाला सामने किया जासके तो उससे वस्तु का दाम वसूल किया जाय और उसको चोरी विषयक दंड दिया जाय । वस्तु के लय होने तक यदि वह छिपारहे और उसके बाद प्रगट हुआ हो तो उससे वस्तु की कीमत लेली जाय और उसको चोरी का दंड भी मिले ।

खोये हुए माल पर अपना स्वत्व सिद्ध करने के बाद ही उसको लिया जाय यदि कोई ऐसा सिद्ध न कर सके तो उसपर नष्ट पदार्थ के मूल्य का पांच गुना जुर्माना किया जाय और पदार्थ राजकीय संपत्ति होजाय । यदि कोई राज्य को बिना सूचित किये ही नष्ट पदार्थ पर अपना स्वत्व स्थापित करले तो उसको साहस दंड दिया जाय । खोये हुए तथा चोरी हुए माल को तीन पक्ष तक शुल्क स्थान (चुर्गीघर) में रखा जाय । यदि इसपर भी उसका कोई दूसरा हकदार न मिले तो राजा या स्वामी स्वयं ग्रहण करे ।

५ दो पैर वाल जानवर पर स्वत्व-प्राप्ति (खोजने के बाद) का बदला ५ पण, एक खुरवाले जानवर पर ४ पण गौ मैस पर २ पण और जुद्ध पशुओं पर $\frac{1}{2}$ पण लिया जाय । रत्न बहुमूल्य द्रव्य, तुच्छ द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ पर ५ शतक ग्रहण किया जाय । शत्रु के हाथसे या जंगल से खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर राजा उसके मालिक को देदे । चुराया हुआ माल यदि न मिले तो अपने घर से दे । यदि ऐसा माल हो कि वह फिर न मिलसके तो उसके बदले स्वयं ग्राह लोगों से दूसरा पदार्थ मांगकर उसको देदेवे । शत्रु के देश से अक्रमण कर प्राप्त की हुई वस्तु का राजा की आज्ञा लेकर उपभोग किया जासकता है बशर्ते कि वह आर्यों, ब्राह्मणों तपस्वियों तथा देवताओं से संबंध न रखती हो ।

(ग)

पदार्थों पर स्वत्व ।

यदि किसी मनुष्य की किसी देश में संपत्ति है तो देश के परि

त्याग करने पर भी उसीका उसपर हक है । परंतु यदि कोई—बालक, वृद्ध, बीमार, राज्य दांडित, विदेश में रहने वाला, देश त्यागी तथा राज्य क्रान्ति में भागा हुआ आदि न होकर भी अपनी संपत्ति का उपभोग दस साल तक निरंतर दूसरोंको करने देता है तो उसका उस संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रह सकता । मकान के मामले में बीस साल का नियम है । यदि कोई बीस साल तक लगातार मकान में रहे और मालिक मकान कभी भी रोक टोक न करे तो अन्तमें उसी का उस मकान पर हक हो जाता है । संबंधी, श्रोत्रिय तथा पाखंडी राजा से दूर किसी दूसरे के मकान में रहते हुए कभी भी उस मकान पर रहने के कारण हक नहीं प्राप्त कर सकते । उपनिधि (प्रत्यक्ष धरोहर), आधि (सिक्कूरिटी), सजाना, गिरों रखा धन, स्त्री, सीमा, राजा तथा श्रोत्रिय के द्रव्यों के संबंध में भी यही नियम समझना चाहिये । वानप्रस्थी तथा पाखंडी एक दूसरे को किसी ढंग की भी तकलीफ न देते हुए खुले हुए मैदान में बसें । पुराने बसे हुए लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़ कर नये आये हुए अतिथि को रहने का स्थान दें । जो यह न करे उसको निकाल बाहर किया जाय । यदि किसी ब्रह्मचारी, संन्यासी या वानप्रस्थी की मृत्यु हो जाय तो उसकी संपत्ति उसके आचार्य, शिष्य, धर्म भाई, तथा साथी को मिले । आपस में झगड़े करने के कारण इन पर जितने पण जुरमाना किया जाय उतने ही रातों तक यह लोग राजा के खातिर—नृपण अभिषेक यज्ञ तथा महाकुच्छ वर्धन आदि काम करें । जिन पाखंडी साधुओं के पास सोना या संपत्ति न हो वह जुरमाने की रकम को उपवास तथा व्रतों के द्वारा पूरी करें वरन्त कि उन्होंने मारपीट गाली गलौच, चोरी डाका तथा व्यभिचार आदि काम न किये हों । इन अपराधों में तो यथोक्त दंड ही उनको दिये जाय ।

राजा संन्यासियों तथा वैरागियों को दंड के जोरपर पाप कर्म से रोके । क्योंकि अधर्म धर्म का नाशकर अन्तमें राजा का नाश करता है ।

७१ प्रकरण ।

साहस ।

जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना डाका[साहस] और छिपकर चुराने या तंग करने पर चोरी [स्तेय] समझी जाती है । मानवसंप्रदाय के विद्वानों का मत है कि "रत्न; बहु मूल्य पदार्थ, साधारण पदार्थ तथा जांगलिक द्रव्य" आदिकों के ऊपर डाकामारने पर मूल्य के समान दंड दिया जाय । औशनस संप्रदाय के लोग दुगुने जुरमाने को उचित समझते हैं । कौटिल्य का मत है कि अपराध के अनुसार दंड मिलना चाहिये ।

फूल, फल, शाक, मूल, कंद, पकान्न, चमड़ा, बांस तथा मट्टी के बर्तन आदिक = लुद्र द्रव्यों की चोरी डाके में १२ पणसे २४ पण तक—लोहा, लकड़ी रस्सी, पदार्थ, लुद्र पशु आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में २४ पणसे ४८ पण तक—तांबा, पीतल, कांसा, शीसा हाथी दांत की चीज़ आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में ३८ पणसे ६६ पण तक और महा पशु, मनुष्य, खेत, मकान, संपत्ति, सुवर्ण तथा महीन कपड़े आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में २०० पण से ५०० पण तक मध्यम साहस दंड दिया जाय ।

पुराने आचार्यों का मत है कि जो लोग खीं पुरुष को कैद में डालें या कैद में पड़े हुए को मुक्त करने का साहस करें उनको उत्तम दंड दिया जाय । जो अपनी सलाह से दूसरे से साहस के काम करवाये उसपर दुगुना और जो सुवर्ण आदि को यथेष्ट राशि में देने की प्रतिज्ञा कर किसीसे बुराकामले उसपर चारगुना जुरमाना किया जाय । बार्हस्पत्य लोगों का यह मत है कि "जो जितना सुवर्ण देने का वचन दे कर बुराकाम करवाये" उसपर उतने ही सुवर्ण का दंड दिया जाय । कौटिल्य का मत है कि यदि कोई ऐसे अपराध में किसी के कोप, मद या अभिमान को कारण प्रगट करे तो उसपर उपरि लिखित प्रकार ही जुरमाना किया जाय ।

संपूर्ण जुरमानों में सैंकड़ा पीछे ८ पण रूप, और सौ पण से ऊपरके जुरमाने पर १ पण सैंकड़ा व्याजी ग्रहण किया जाय ।

प्रजा में दोषों के अधिक होनेसे और राजा में भी गलतों करजाने की संभावना होने से पापीसे धर्म काम के लिये रूप तथा व्याजी लेना न्याय युक्त प्रगट किया गया है।

७२ प्रकरण ।

वाक् पारुष्य । .

चुगली, गाली, झिड़कना आदि वाक् पारुष्य नामक अपराध के अंतर्गत हैं। १ शरीर, २ प्रकृति, ३ श्रुत वृत्ति तथा ५ ज्ञानपद के भेद से यह पांच प्रकार का है।

१ शरीर—काना लंगड़ा लुला आदि शल्यों से किसी अंग विकल को पुकारने पर ३ पण और अच्छे आदमी को गाली देने पर ६ पण दंड दिया जाय। कोढ़, उन्माद तथा नपुंसकता आदि के विषय में दूसरे से कहने पर तथा चुगली करने पर और काने तथा लूले लंगड़े की “आहा! आपकी आंखें तथा दांत कैसे सुन्दर हैं” इसदंग पर हंसी उड़ाने पर १२ पण दंड दिया जाय। समान हैसियत के लोगों पर सच्ची भूठी स्तुति या निन्दा के करने पर १२ पण से लेकर अधिक धन तक जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध किसी ऊँची हैसियत के व्यक्ति के साथ किया गया हो तो जुर्माना दुगुना और नीची हैसियत के साथ करने पर जुर्माना आधा होना चाहिये। परस्त्री के विषय में भी दंड दुगुना ही होना चाहिये। यदि ऐसे अपराध में प्रमाद शराब, मोहादिक कारण हों तो दंड आधा दिया जाय। कुष्ठ तथा उन्माद के विषय में चिकित्सक तथा पढ़ोसी प्रामाणिक समझे जाय। नपुंसक होने पर स्त्री को प्रमाण माना जाय। नपुंसक के पेशाब में फेना उठने लगता है और उसका पाखाना पानी में डूब जाता है।

२ प्रकृति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यज इनमें से पिछला पहिले के स्वभाव आदत्त आदि के विषय में यदि बुरा कहे तो क्रमशः ३ पण से अधिक दंड दिया जाय। यदि पहिला पिछले के विषय में कहे तो जुर्माना २ पण से कम हो। कुब्राह्मण महा ब्राह्मण आदि कहने पर भी ऐसा ही दंड दिया जाय।

३ श्रुत—पढ़ाई विद्वत्ता आदि के विषय में बुरी बात कहने पर भी दंड इसी प्रकार हो ।

४ वृत्ति—विदूषक, कारीगर तथा कुशीलव (गवैइये) आदियों की आजीविका (वृत्ति) के विषय में बुरी बात कहने पर भी पूर्ववत् ही दंड दिया जाय ।

५ जानपद—प्राणूजक गांधार आदि राष्ट्रों की बुराई करने पर भी पूर्ववत् ही दंड का विधान किया जाय ।

“तुमको मारुंगा या पीटुंगा” इसदंग पर जो कहे और करे इस अपराध में उसको जितना दंड दिया जाय उसका आधा उस समय दिया जाय जिस समय वह कहे तो सही पन्तु करे नहीं । यदि सामर्थ्य रहित हुआ हुआ कोई किसी पर गुस्सा पागलपना तथा अभिमान दिखावे तो उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । अपकार करने में समर्थ हो करके यदि कोई दुश्मन, किसी को डरावे तो उसपर यह जिम्मेवारी डाली जाय कि वह आजीवन उसकी रक्षा करे ।

१ स्वदेश ग्रामादिक के विषय में २ जाति संघ के संबंध में तथा मन्दिर तथा देवताओं के मामले में यदि कोई बुरी बात कहे तो उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस तथा उत्तम साहस का दंड दिया जाय ।

७३ प्रकरण ।

दंड—पारुष्य ।

छूना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य [बे इज्जती तथा मान हानि] नामक अपराध के अन्तर्गत हैं । नाभि से निचले भागपर हाथ, कीचड़, राख तथा मिट्टी डालने से ३ पण,—पैर मारने थूंक फेंकने तथा कीचड़ आदि अपवित्र वस्तु ऊपर फेंकने से ६ पण,—पाखाना पेशाब तथा कै के फेंकने से १२ पण जुर्माना किया जाय । नाभि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में दुगुना और समान हैसियत वाले आदमी के शिरो भाग में ऐसी बात करने में चौगुना

दंड दिया जाय । बड़ी हैसियत के लोगों के साथ ऐसी बात होने पर दंड दुगुना, छोटी हैसियत वालों के साथ आधा, और पराई स्त्री के साथ दुगुना होना चाहिये । प्रमाद मद तथा मोहादियों से यदि ऐसा अपराध हो तो दंड आधा दिया जाय ।

पैर, कपड़ा, हाथ, बाल आदि पकड़ने पर ६ पण, पीटने मरोड़ने तोड़ने खींचने तथा चढ़ बैठने पर साहस दंड और गिरा कर भागने में आधा दंड दिया जाय ।

शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण को मारे उसका वही अंग काट दिया जावे । गाली देने पर वह मान हानिका धन दे और लूने पर आधा जुर्माना दे । यही नियम चांडाल तथा अछूत लोगों के साथ काम में लाया जावे ।

हाथ से पीटने में ३ पण से ६ पणतक, पैर से मारने में दुगुना, सूजन पैदा करने वाली चोट में साहस दंड और घातक चोट में मध्यम दंड दिया जाय ।

लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खून के न निकलने पर २४ पण और खून निकलने पर दुगुना दंड दिया जाय बशर्ते कि चोट भयंकर न हो ।

बिना खून निकले ही मार मार कर बेदम करना, हाथ मरोड़ना या तोड़ना, दांत तोड़ना, कान नाक काटना घातक चोट पहुंचाना आदि अपराध में साहस दंड दिया जाय बशर्ते कि भयानक खून न निकलने लगा हो ।

हड्डी तथा गर्दन को तोड़ना, आंखें फोड़ना और मुंह परपसी चाट पहुंचाना कि बोलना तथा खाना कठिन हो जाय—आदि अपराध में मध्यम साहस दंड दिया जाय । अपराधी दवाई आदिका खर्चा भी उसको दे । यदि देश काल अपराधी के पकड़ने में बाधक हो तो कंटकशोधन न्यायालय में उसके अपराध का निर्णय किया जाय ।

बहुत से लोगों ने मिलकर यदि किसी एक व्यक्ति को मारा हो तो उनमें से प्रत्येक को दंड दिया जाय । पुराने आचार्यों का मत है कि पुरानी चोरियों तथा भगड़ों पर अभियोग न चलाया जाय । कौटिल्य की संमति है कि अपराधी को कभी भी न छोड़ना चाहिये

पुराने आचार्य कहते हैं कि जो पहिले मुकदमा चलावे वही जिताया जाय क्योंकि उसीने सबसे पहिले तकलीफ का अनुभव कर राज्य नियमों का सहारा लिया । कौटिल्य इसको ठीक नहीं समझता । क्योंकि अपराध का निर्णय पहिले या पीछे आने के स्थान पर साक्षियों की संमति पर ही होना चाहिये । यदि साक्षी न हों तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाय ।

पारस्परिक कलह में द्रव्य के छीन लेनेपर या साधारण तुच्छ पदार्थ के नष्ट करनेपर १० पण और बहुमूल्य पदार्थ के नुकसान करने पर दुगुना दंड तथा वस्त्र, गहना, सोना, संपत्ति तथा पदार्थ के नुकसान होनेपर साहस दंड दियाजाय ।

जो दूसरे के मकान की दीवार को हिलावे उसपर ३ पण और जो उसको तोड़े फाड़े उसपर ६ पण जुर्माना कियाजाय और नुकसान का प्रतिकार करवाया जाय ।

जो किसी के मकान में चोर पहुंचाने वाला पदार्थ फेंके उसको १२ पण और जो ऐसा पदार्थ फेंके जिससे मौत का डरहो उसको साहस दंड दियाजाय । छोटे पशुओंको मारनेपर १ पण या २ पण और खून निकालने वाली चोट पहुंचानेपर दुगुना दंड हो । महापशु के विषय में इसीदंग के अपराध करने पर दुगुना जुर्माना कियाजाय । और उनका उत्पात्ति व्यय भी ग्रहण कियाजाय ।

नगर के पेड़ों तथा फूल फलसे तथा छाया वाले दरख्तों की पत्तियां तोड़ने पर ६ पण, छाटी छाटी टहनियां काटने पर १२ पण, चोरी शाखा काट डालनेपर २४ पण और तना काटने पर प्रथम साहस दंड दियाजाय। पेड़के सर्वथा काट डालने पर मध्यम साहस दंड होना चाहिये। फूल, फल, छायावाले पेड़, झाड़ियां तथा बेलों के नष्ट करने पर आधा दंड दियाजाय पुण्यस्थान, श्मशान तथा तपोवन के पेड़ों के विषय में भी यही नियम समझने चाहिये ।

मंदिर, सामंजस, राजवन, तथा संरक्षित स्थान के पेड़ों के नष्ट करने पर दुगुना दंड दियाजाय ।

१०४-७५ प्रकरण ।

घृत समाह्वय तथा प्रकीर्णक ।

(क)

घृत समाह्वय.

घृताध्यक्ष नियतस्थान पर जुआ खेलने का प्रबंध करे । जो नियत स्थान से अन्यत्र जुआ खेलें उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय । यह नियम इसीलिये बनाया गया ताकि गुड़ाजीवी (जो लोग ठगी आदि गुप्त कर्मों से आजीविका करते हों) लोगों का पता मिल सके । प्राचीन आचार्यों का मत है कि घृत-विषयक मुकदमों में विजेता को साहसदंड और “बेवकूफ होते हुए भी दूसरे की जीत को यह सहन नहीं करसकता है ” इस अपराध में पराजित को मध्यम दंड दिया जाय । कौटिल्य इस विचार में सहमत न होकर कहते हैं कि इससे तो राजा के पास निर्णय के लिये ही कौन आने लगा ? प्रायः कितने लोग (ठग चोर आदि) ही जाली पांसें से जुआ खेलते हैं । घृताध्यक्ष शुद्ध कौड़ी तथा पांसें से जुआ खिलाने का प्रबंध करें । जो उनको अपनी कौड़ी तथा पांसें से बदले उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय । हाथ की सफाई (कूटकर्म) करने वालों को साहसदंड के साथ साथ बेईमानी तथा चोरी विषयक दंड दियाजाय और उनका जीता हुआ धन जब्त कर लिया जाय । घृताध्यक्ष जीते हुए द्रव्य का पांचशतक, कौड़ी पासे का दाम, भूमि तथा जल का किराया और जुआ खेलने की आज्ञा देने का राज्यस्व ग्रहण करे । प्राप्त द्रव्यों को बेचे या उधार पर दे । यदि वह हाथ भूमि तथा पांसे संबंधी दोष को हटावे तो उसपर दुगुना जुर्माना किया जाय । विद्या तथा शिल्प विषयक खेलों तथा दंगलों को छोड़कर अन्यो में इसी नियम के अनुसार काम होना चाहिये ।

(ख)

प्रकीर्णक.

जब कोई मनुष्य, उधार पर मांगे या किराये पर लिये थाती के रूप में दिये या धरोहर (निक्षेप) में रखे द्रव्यों को देशकाल के अनुसार न लौटावे, सवा घंटा से अधिक आराम लेवे या दूसरे स्थान पर चला जावे तथा झूठमूठ ब्राह्मण बनकर छावनी संबंधी या नौका संबंधी किराया तथा राज्यस्व न दे और दूसरों को पड़ोसियों से लड़ावे उसपर १२ पण जुर्माना किया जाय जो प्रतिज्ञात अर्थ को न दे भौजाई को हाथों से पीटे, दूसरों की रखी रंडी के पास जावे, दूसरे के हाथ बेचे माल को खरीदे, बन्द दरवाजे घर को फोड़ कर धुंसे चौबीस सामन्तों के कुल विषयक नियमों को तोड़े उसपर २४ पण, जो कुल के लोगों से चन्दा वसूल कर इस स्थान में न खर्च करे, स्वतंत्र रहने वाली विधवा के साथ जबरन गमन करे, चाण्डाल होते हुए आर्य स्त्री का संस्पर्श करे, आपत्ति में पड़े समीप वर्त्ती के वचान के लिये न दौड़े, निष्कारण दूसरे को दौड़ावे, वैश्य वैरागियों, शाक्यों तथा आजीवकों को देवविषयक तथा पितृविषयक कार्यों में बुलावे तथा भोजन दे उसपर १०० पण जो राजाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का निर्णय करे, अयोग्य आदमी को राजकीय काम में नियुक्त करे, बुद्ध पशुओं तथा बैलों का पुंस्त्व अपहरण करे, दासी का गर्भ औपध से गिरावे, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहिन, मामा-भांजा, आचार्य-शिष्य इनमें से जो कोई (जात विरादरी में संमिलित होते हुए) अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये साथ में लाकर किसी एक दूसरे को गांव के बीच में छोड़ दे उसको साहस दंड और जो जंगल के बीच में छोड़ दे उसको मध्यम दंड दिया जाय । जो इसी उद्देश्य से डरावे और धमकावे उसपर उत्तम दंड का और साथ जाने वालों तथा अन्य समीप वर्त्तियों पर अर्ध दंड का विधान किया जाय । जो निरपराध पुरुष को कैद में डाले, कैदी के बंधन को तोड़े और नावालिंग बच्चे को बांधे या बंधवावे उसपर १०० पण जुर्माना

किया जाय। अपराधी के अपराध के अनुसार ही दंड का विधान करना चाहिये।

तीर्थ यात्री, तपस्वी, बीमार, भूख प्यास से मांदे, दूर गांव के रहने वाले, राजकीय दंड से तकलीफ उठाने वाले तथा निर्धन लोगों पर अनुग्रह किया जाय। धर्मस्थ नामक राज सेवक देव-ताओं, ब्राह्मणों, तपस्वियों, बालकों, वृद्धों, बीमारों तथा अनार्यों के संपूर्ण कामों को उनके कहने के बिना भी करें। समय स्थान तथा कार्याधिक्य का बहाना इस बात में कभी भी न करे। विद्या, बुद्धि पौरुष, कुल तथा उत्तम कर्म से ही पुरुष पूजनीय समझे जाते हैं।

धर्मस्थ लोग जनता में प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सब के साथ समान रूप से वर्त्ताव करें और झुल आदि से रहित होकर राजकीय कार्यों का प्रबंध करें।

४ अधिकरण।

कंटक शोधन।

७६ प्रकरण।

कारीगरोंकी रक्षा।

तीन प्रदेश [कमिश्नर] तथा तीन ही अमात्य [मन्त्री] अपराधियों के अपराध का निर्णय करें तथा उनके पकड़ने का प्रबंध करें। जो लोग आर्थिक कष्टको दूरकर सकें, कारीगरों का शासन कर सकें, गिरों रखे धन सुरक्षित रख सकें, नये नये कामों को सोच सकें तथा जिनपर कंपनी का विश्वास हो ऐसे लोग दूसरों के धनकों गिरों रखे। तकलीफ पड़नेपर कंपनी गिरों रखे धन का प्रबंध करे।

कारीगर समय स्थान तथा कार्य को तयकर काम करें। जो लोग न तय करने का बहाना करें तथा काममें देरी लगावें उनका चौथाई वेतन काटलिया जाय तथा उनको दुगुना जुर्माना किया जाय बशर्तकि उनपर कोई दैवीविपत्ति न आपड़ी हो। यदि

उनसे कोई चीज़ नष्ट या खोजाये तो वह उसको पूरा करे और यदि वह काम बिगाड़दे तो उनको तनखाह कट जाय और उनपर दुगुना जुरमाना किया जाय ।

(जुलाहे)

जुलाहे १० तथा ११ के अनुपात में दिये हुए सूत को बढ़ावें । यदि वृद्धि कम हो तो उनपर कमी का दुगुना जुरमाना किया जाय या उनसे सूत का दाम वसूल किया जाय या उनकी तनखाह कट जाय । सनिया तथा रेशमी कपड़ों में $1\frac{1}{2}$ गुना, रेशेदार कपड़े कंबल तथा दुशालों में दुगुना, माल के कम होने पर कमी संबंधी जुरमाना वसूल किया जाय या वेतन का दुगुना दंड दिया जाय । ताल में कमी होने पर कमी का चारगुना और सूत के बदलने पर कीमत का दुगुना दंड देना चाहिये । धानों के विषय में भी यही नियम है ।

[धोबी]

ऊनो कपड़ों का भार तथा रोंयां धुलाने पर ५ पल कम हो जाता है । धोबी लकड़ों के फटे पर या चिकने पत्थरों पर ही कपड़े फटके तथा सफा करे । अन्यत्र धोने पर यदि कपड़ा फट जाय तो उन पर छ पण जुरमाना किया जाय । यदि कोई धोबी मुद्रर के चिन्ह से राहत अन्य किसी प्रकार के कपड़े को पहिने तो उसपर ३ पण जुरमाना किया जाय । जो धोबी दूसरे के कपड़े को बेचे, किराये पर दे या गिरा रखे उसको १२ पण दंड दिया जाय । यदि वह कपड़ा बदल दे तो कपड़े के दाम का दुगुना धन तथा कपड़ा उससे वसूल किया जाय । शिलापर सफेद होने वाले, स्त्री के योग्य कपड़े का एकरात तक, हल्के रंग वाले कपड़े को पांचरात तक, नाल कपड़े को ६ रात तक, फूल लख तथा मंजीठ के रंग से रंगे तथा मेहनत से साफ होने वाले चमेली के सूत के बने कपड़े को सात रात तक धोकर देदे । यदि वह इससे अधिक देरी करे तो उसका मेहनताना काट लिया जाय ।

अध्वेय [प्रमाणिक लोग] तथा कुशल लोग भगड़ा होने पर वेतन का निश्चय करें । बहुत बढ़िया कपड़ों का वेतन १ पण, मध्यम कपड़ों का $\frac{1}{2}$ पण निरुष्ट कपड़ों का $\frac{1}{4}$ पण और मोटे कपड़ों का

१ माससे २ मास है। रंगीन कपड़ों का इससे दुगुना वेतन है। पहिली धुलाईमें कपड़े का $\frac{1}{4}$ भाग, दूसरी धुलाई में $\frac{1}{2}$ भाग और इसीसे अगली धुलाई में कुछ कुछ भाग घिसजाता है। धोवियों के सदृश ही जुलाहों का मेहनताना है।

(सुनार)

अशुचि हस्त (कारीगर लोग) लोगों के हाथ से यदि सुनार सरकार को सूचना दिये बिना ही सोने का बना गहना खरीदे तो उन पर १२ पण, बिगड़ा टूटाफूटा गहना खरीदे तो २४ पण, चोर के हाथ से खरीदे तो ४८ पण, जुर्माना किया जाय। यदि वह ऊपर से अच्छा और अंदर से खराब सोने का गहना कम दाम पर खरीदे तो उनको चोरी विषयक दंडदिया जायामालके बदलनेपर भी इसी प्रकार का दंड होना चाहिये। सोने में से एक मासा चुराने पर २०० पण, और चांदी के धरण में से १मासा चुराने पर १२ पण, दंड दिया जाय। जादा दाम की चोरी में इसी प्रकार दंड की मात्रा बढ़ा देना चाहिये। सोने चुराने तथा नकली रंग देने का जो उपाय करे या जो सचमुच उस में दूसरी धातु मिलावे तथा रंगत नष्टकरदे उस पर ५०० पण, जुर्माना किया जाय। चांदी के एक धरण की बनवाई १ मापक और सोने की बनवाई $\frac{1}{2}$ भाग है। जिस काम में जादा कारीगरी हो उस में मेहनताना दुगुना होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य बातों में नियम है।

ताम्बा कांसा कच्चा हीरा तथा पीतल की बनवाई ५ सैंकड़ा है। बनाते समय तांबा का दसवां भाग नष्ट हो जाता है। यदि एक पल कर्म पड़ती हो तो उसका दुगुना उसपर जुर्माना किया जाय। इसी प्रकार अन्य धातुओं के बनवाने के नियम हैं। जस्ता तथा रांगा का बीसवां भाग नष्ट होता है। इसके एक पल का मेहनताना एक काकिणी है। इसी प्रकार अन्य नियम हैं।

यदि रूप दर्शक (सिक्कों का निरीक्षक) असली सिक्कों को नकली कह कर भ्रमण से रोके या नकली तथा जाली सिक्कों को असली कहकर प्रचलित करे तो उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय। इसी प्रकार अन्य नियम समझने चाहिये। जो लोग जाली

सिक्के बनवावें, ग्रहण करें तथा लेन देन में चलावें उनपर १००० पण जुर्माना किया जाय। जो ऐसे सिक्कों को खजाने में पहुँचावें उनको फांसी का दंड दिया जाय। धोने तथा कूड़ा सफा करने वालों को यदि कोई बहुमूल्य पदार्थ मिले तो उनको उसका $\frac{1}{3}$ भाग मिले। शेष $\frac{2}{3}$ भाग तथा रत्न राजा-ग्रहण करे। जो नौकर रत्न को चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाय।

जो लोग राजाको रत्नकी खान तथा गड़े खजाने का पता दें उन को उसका छठा भाग मिले। यदि वह सरकारी नौकर है तो उस को बारहवां भाग दिया जाय। एक हजार से ऊपर संपत्ति का गड़ा खजाना राजा की मलकीयत है। या उसमें धन इससे कम हो तो छठा भाग पता देने वाले को राजा दे।

यदि कोई स्वदेश का विश्वस्त आदमी किसी गड़े खजाने को अपने पूर्वजों की मलकीयत सिद्ध करे तो वह उसी की संपत्ति हो जाय। यदि वह ऐसा सिद्ध किये बिना ही अपने काम में ले आवे तो उस पर ५०० पण और छिपाकर ऐसा काम करने पर १००० पण जुर्माना किया जाय।

(वैद्य)

सरकार को सूचना दिये बिना ही वैद्य लोग यदि ऐसे बीमार का इलाज करने लगें जिस की मृत्यु की संभावना हो और वह इलाज करते हुए मर भी जाय तो उन को प्रथम साहस दंड दिया जाय। यदि मृत्यु का कारण इलाज करने में भूल हो तो मध्यम दंड दिया जाय। प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया हो तो उनको दंड पारुष्य विषयक अपराध में अपराधी समझा जाय।

(गवैश्ये वज्रैश्ये)

गवैश्ये वरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें। वह किसी को भी अत्यंत अधिक भोगविलास में लीन न करें तथा किसी के भी काम का नुकसान न करें। जो इस नियम का उल्लंघन करें उन पर १२ पण जुर्माना किया जाय। देश, जाति, गोत्र, पेशा तथा मैथुन के अनुसार यह लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। वज्रैश्ये नाचने वाले तथा भिखमंगे लोगों के संबंध में

भी यही नियम है। अपराध करने पर इन लोगों पर जितने पणों का जुर्माना हो उतने ही लोहे डंडे इन पर पड़ें। इसी ढंगके कामों को करने वाले कारीगरों की तनखाहें तथा मेहनताने भी नियत किये जायें।

चार होते हुए भी शाह बनने वाले बनिये, कारीगर गवैइये भिखमंगे बहु रुपिये आदि लोगों को राष्ट्र को पीड़ित करने से रोका जाय।

७७ प्रकरण व्यापारियों की रक्षा।

व्यापाराध्यक्ष [संस्थाध्यक्ष] निश्चित स्वाम्य या स्वाम्याविशुद्ध [जिसका कोईभी मालिक न हो] पुरानी चीजों का दूकान में [पण्य संस्था] बेचने या गिरों रखने का प्रबंध करे। डंडीदारों की बेईमानी से प्रजाको बचाने के लिये तराजू तथा वट्टेका निरीक्षण करे। परिभाणी या ट्रोणभर पदार्थ के तोलने में यदि आधापल कम होजाय तो कुछभी दोष नहीं है। यदि इससे अधिक कमी हो तो १२ पण जुर्माना कियाजाय। जितने पल तोलमें कमहो उसीके अनुसार दंड बढ़ादिया जाय। तराजू में एक कर्प भर की कमी दोष नहीं है। दो कर्प से अधिक कमी होने पर ६ पण दंड हो। कर्प की कमी के अनुसार क्रमशः दंड बढ़ाया जाय। अर्द्धइये में आधे कर्प की कमी दोषनहीं है। इससे अधिक कमी होनेपर ३ पण और क्रमशः ज्यों ज्यों कमी अधिक हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय। अन्य प्रकार की तराजू तथा वट्टों के विषय में भी यही नियम समझना चाहिये। तथा वट्टे से अधिक खरीद कर कम बेचने वाले पर दुगना जुर्माना करना चाहिये। गिनकर बेचने वाले पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर २६ पण दंड दियाजाय। एकस्थान के पदाहुए काठ, लोहा, मणि रस्सी, चाम, भट्टी, सूत, रेशा तथा उनके पदार्थों को दूसरे स्थानके नामपर बेचने वाले मूल्य का ८ गुना जुर्माना कियाजाय। सार पदार्थों को असार

पदार्थ, एक स्थान के पदार्थ को दूसरे स्थानका, मिलावटी मालको अच्छा, खराब को ठोक और बदले में लिये पदार्थ को अपना कह कर कमदाम पर बेचने वालेको ५४ पण दंड दियाजाय । पण के मूल्य पर दुगना और दो पण के मूल्य पर २०० पण दंड हो । ज्यों ज्यों माल कीमती हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय । जो लोग कारीगरों तथा शिल्पियों की मिश्रितपूजों कंपनों के काम, अमिदनी, विक्रय तथा क्रय को नुकसान पहुंचावे उनपर १०० पण जुर्माना किया जाय । यदि व्यापारी आपस में मिलकर पदार्थों का बिकना रोकें या उनको अधिक दामपर बेचें तो उनपर १००० पण दंड का विधान कियाजाय । घटक [डंडादार] या मापक [मापने वाला] हाथ की चालाकी से तराजू वट्टे कामत तथा मालमें पण मूल्य का आठवांभाग कम करें तो उनपर २०० पण दंड और इसी प्रकार पण की कमी के बढ़नेके अनुसार दंड बढ़ायाजाय । धान स्नेह खार नमक गंध तथा औषधियों के समान रगरूप का चोड़ से बदल देनेपर १२ पण दंड दियाजाय । जो लोग दैनिक वतन लेकर कामकरे उनके दिनका काम देखकर बानिया उनको वतनंद । क्रेता तथा विक्रेता से भिन्न लाभ दलाली कहाता है । दलाली लेकर राजकाय आज्ञाके अनुसार धान्य तथा पण्य [वजारामाल] का विक्रय बानिय लोग करें । जो लोग बिना आज्ञाके क्रय विक्रय करे उनको अनाज की ढेरी को जप्तकर लिया जाय । प्रजा का ख्याल रखकर अनाज तथा आवश्यकीय पदार्थों का विक्रय किया जाय ।

नियत दाम के ऊपर जो सरकारी आज्ञा से स्वदेशी माल बेचे उसपर ५ सैकड़ा इंकमटैक्स [आजोव] और जो विदेशी माल बेचे उसपर १० सैकड़ा इंकम टैक्स लगाया जाय । इसके अनन्तर जो कीमत को बढ़ावे उसपर १०० पण के माल के खरीद फोर्लेट पर ५ पण और इसी प्रकार अधिक दाम के माल पर २०० पणतक जुर्माना कियाजाय । कीमत के बढ़ने के अनुसार ही दंड के बढ़ने का नियम है । एक दामपर यदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम नियत कियाजाय । यदि माल का नुकसान होजाय तो राजा बानियों पर अपना अनुग्रह रखे । पण्य के प्रचुर होनेपर पण्याध्यक्ष संपूर्ण पण्य को एक दामपर बेचे । जब तक सरकारी माल न बिकजाय

तबतक दूसरे लोग अपना माल न बेचने पावें। प्रजाकी प्रसन्नता के अनुसार राजा दैनिक वेतन देकर बनियों के द्वारा अपना माल बिकवावे। देर के रखे तथा दूरदेश से आये हुए माल के विषय में।

व्यापाराध्यक्ष—प्रक्षेप [पूंजी], पदार्थ की राशि, चुंगी, व्याज, फुटकरकीमत, तथा अन्य प्रकारके खर्चों का अनुमान कर उनकी कीमत नियत करे।

७८ प्रकरण।

दैवी विपत्तियों का उपाय।

१ आग २ पानी ३ बीमारी ४ दुर्भिक्ष ५ चूहा ६ शेर ७ सांप तथा राजस यह आठ प्रकार के दैवी भयंकर खतरे हैं। इनसे जनपद की रक्षा की जाय।

१ आग। गरमी के दिनों में ग्रामीण लोग घर से बाहर सोवें। दश मूली [घड़ा सीढ़ी रस्सी आदि १० चीजें] का संग्रह घरमें रखें। नागरेकों का कर्तव्य, अन्तः पुर का प्रबंध तथा राज परिग्रह नामक प्रकरण में आग से बचने के उपाय प्रगट किये जा चुके हैं। प्रति पर्व में बलि, होम, स्वस्तिवाचन के द्वारा अग्नि की पूजा की जाय।

२. पानी। नदी के किनारे के गांव वर्षा की रातों में किनारे से दूर रह कर सोवें। लकड़ी तथा बांस की नावें सादा अपने पास रखें। तूबा, मषक, नाव, तमेड़, तथा बेड़े के द्वारा डूबते हुए लोगों को बचावें जो लोग डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिये न दौड़ें उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय बशर्ते कि उनके पास नाव आदि तैरने का साधन न हो। पर्वों में नदी की पूजा की जाय। माया वेद तथा योग विद्या को जानने वाले वृष्टि के विरुद्ध उपाय करें। वृष्टि के रुकने पर इन्द्र, गंगा पर्वत तथा महा कच्छ की पूजा की जाय।

३. व्याधि। चौदहवें अधिकरण [औपनिषदिक] में विधान किये गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय। यही बात वैद्य लोग दवाइयों से और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय

साधन तथा प्रायश्चित्तों के द्वारा करें फैलने वाली बीमारी [मरक] के संबंध में भी यही तरीके काम में लाये जाय । तीर्थों में नहाना, महा कच्छ का बढ़ाना, गडों का शमशान में दुहना, मुर्दे का धड़ जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जागना आदि काम किये जाय । पशुओं की बीमारी के फैलने पर परिवार के देवताओं की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप बत्ती उतारी जाय ।

४. दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष के समय में राजा अनाज तथा बीज कम कीमत पर बाँटे । लोगों को इधर उधर देशमें भेजदे । नये नये कठिन कामों को शुरू करे और लोगों को भोजनाछादन दे । मित्र राष्टों का सहारा ले । अमीरों पर दंड बढ़ावे तथा उनका इकट्ठा किया हुआ धन निकाल ले । जिस देश में फसल अच्छी हो उसमें अपनी प्रजा को लेकर चला जावे । नदी के किनारे धान शाक मूल तथा फलों की खेती करवावे । मृग पशु पक्षि शिकारी जन्तु तथा मच्छियों का शिकार शुरू करे ।

५. चूहा । चूहों के उत्पात होने पर बिल्ली तथा न्युअलों को छोड़े । जो लोग पकड़ कर चूहों को मारें उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय । जो लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण ही कुत्तों को छोड़ रखें उनपर भी पूर्व वत् दंड का विधान किया जाय । थोड़े के दूध में धान को सान कर खेतमें छोड़े । पन्द्रिजालिक तरीकों को काम में लावे तथा चूहे के संबंध में राज्य कर लगावे । सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय उपायों को करें । पर्वों में मूर्धक पूजा की जाय । टिट्ठीदल, पक्षी, कीड़े आदिके उत्पातों का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय ।

६. हिंसकजंतु । हिंसक जन्तुओं का खतरा होनेपर मैनफल के रसमें डुबाकर मरे हुए पशुओं को या उनके पेटमें मैनफल तथा कोदों का धान भरकर उनको जंगल में फेंक दिया जाय । लुब्धक [शिकारी तथा व्याध] तथा शिकारी लोग [श्वगणी] स्थान स्थानपर गडों को बनाकर जाल लेकर घूमते फिरें । सिपाही लोग हथियार तथा कवच धारणकर शेरों को मारें । यदि कोई शेरके आक्रमण होने पर किसीको बचाने का उद्योग न करे तो उसपर

१० पण जुमाना दिया जाय। शेर को मारने वाले को यही रकम इनाम में मिलनी चाहिये। पर्वों में पर्वत की पूजा की जाय। मृग तथा पक्षियों का संघ तथा मगर मच्छ का भी इसी प्रकार उपाय करना चाहिये।

७. साँप। जड़ी बूटी जानने वाले मन्त्र तथा द्वाइसे साँपों का प्रतीकार करें। सबलोग आपस में मिलकर साँपों को मारें। अथर्व वेद जानने वाले साँपों के नाश का मन्त्रादि पढ़ें। पर्वों में साँप की पूजा की जाय। जलजंतु के खतरों का उपाय भी इसी प्रकार है।

८. राक्षस। राक्षसों का भय होने पर मायावी, योगी तथा अथर्व वेदज्ञ राक्षसों के नाश का उपाय करें। पर्वों में चैत्र्यों पर छाता, हाथ का चित्र, भंडी तथा भेड़ का मांत चढ़ाकर पूजा की जाय। "हम आप को यह देते हैं" (वधराम) यह कह कर रात तथा दिन में राक्षसों को शांत करने का यत्न किया जाय। राजा का कर्त्तव्य है कि जो लोग तकलीफ में हों—उनपर अनुग्रह पितृके तुल्य करे।

राजा को चाहिये कि अपने देश में दैवी विपत्ति को दूर करने में समर्थ मायावी, योगी, सिद्ध तथा तपस्वी लोगों को विशेष आदर सत्कार कर बसावे।

७९ प्रकरण। गूढ़ा जीवियों की रक्षा

"जन पद की रक्षा कैसे की जाय" इस विषय में समाहर्त प्रणिधि प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। उसमें से राज्यापराधी दुष्ट लोगों का संशोधन कैसे किया जाय "इसपर अब प्रकाश डाला जाय।

समाहर्ता गांवों में—सिद्ध, तपस्वी, वैरागी, चक्रसर [पदयंत्र रचने वाले] चारण, भांड गुप्त जीवन व्यतीत करने वाले, ज्योतिषी मुहूर्त देखने वाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गूंगे, बहरे, जड़, अंधे, व्यापारी, कारीगर, गवैइये, कलवार, हलवाई आदि के भेस में खु-

फिया लोगों को नियुक्त करे। वे ग्राम तथा उनके अध्यक्षों की ईमान-दारी तथा बेईमानी की परीक्षा करें। जिस मनुष्य के चरित्र पर उनका संदेह हो उसके पीछे उसीदंग का मनुष्य लगा दें। खुफिया जज या प्रदेश [कमिश्नर] से कहें कि “हामारा यह बन्धु अमुक राज्यापराध में फंसा है। वह धनको अमुक राशि देने के लिये तैयार है”। यदि वह धन ग्रहण करें तो उनको “धूसखोर” [उपदा-ग्राहक] कर देश निकाला दे दिया जाय। प्रदेश के विषय में भी इसी तरीके का काम में लाना चाहिये।

खुफिया ग्रामकूट या ग्राम के अध्यक्ष को कहें कि “अमुक कूर अमीर पुरुष के पास बहुत धन है। आज कल वह ऐसी तकलीफ में है। चलो उसको लूट लें”। यदि वह सच मुच ऐसा करे तो उसको “लूटेरा” [उत्कोचक] कहकर देश निकाला दे दिया जाय। इसी प्रकार एक दूसरा खुफिया नकली तौर पर मुकदमें में अपने आपको फंसाकर बहुत सा रुपया देने की बात कहकर झूठ साक्षी इकट्ठा करना शुरू करे। यदि वह गवाहों देने के लिये तैयार हो जाय तो उनको “झूठा गवाह” कह कर देश निकाला दे दिया जाय। झूठे शर्तनामे करने वालों को भी इसी प्रकार दंड दिया जाय।

मन्त्र, योग, तथा अन्य कर्म करने वाले, जिन तान्त्रिकों या अधोरियों (शमशानिक) को ‘जालीमन्त्र’ करने वाला समझे तो उन के पास जाकर खुफिया कहें कि “अमुक की स्त्री बहु या लड़की को हम चाहते हैं। वह भी हम को चाहने लगे। यह रुपया लीजिये” यदि वह वैसा ही करे तो उसको ‘तान्त्रिक’ (संवनन कारक) कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाय। जो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले तान्त्रिक काम करें उनको भी यही दंड मिले।

जो लोग जहर खरीदें, या दूसरों को जहरों को पता दें, उनको दवाई या जहर बेचने वाला समझकर खुफिया कहें कि ‘अमुक आदमी मेरा दुश्मन है। आप यह रुपया लीजिये और उसको मार डालिये’। यदि वह सचमुच ऐसा काम करे तो उसको “जहर देने वाला” कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाय। मदन नामक

जड़ी बूटी से दवाई तैयार करने वाले लोगों के साथ भी इसी ढंग का बर्ताव किया जाय ।

जिसको नाना प्रकार के लोहे के खार, कोयला, भस्त्रा (जिस से हवा दी जाय), संदंसी, मूषिका, अधिकरणी, विटंक मूषा आदि खरीदते हुए देखे, मूसी तथा राख ले जिन्हके हाथ पर तथा कपड़े लते मैले मालूम पड़ें तथा जिसके पास कारीगरी के संपूर्ण उपकरण मौजूद हों उसको जाली सिक्का बनाने वाला मानकर सबी हर रोज उसके साथ मिलना जुलना शुरू करे और धीरे धीरे उसका शिष्य बनकर राजा को सूचित करे । राजा 'जाली सिक्का बनाने वाला' पकड़ा गया यह कहकर उसको देश निकाला देदे ।

सोने में मिलावट करने वालों तथा जाली सोना बनाने वालों के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार करना चाहिये ।

पाप कर्म से आजीविका करने वाले तथा देश की शान्ति को भंग करने वाले अपराधी तरह प्रकार के होते हैं । उनको या तो देश निकाला दे दिया जाय या उन से उचित निष्कय ग्रहण किया जाय ।

८० प्रकरण ।

सिद्धके भेसमें बदमाशों का पकड़ना ।

सत्रि लोगों से सहायता प्राप्तकर खुफिया लोग मानव विद्याओं (डाके चोरी के लिये उत्तम उपयोगी विद्याओं) से बदमाशों को प्रलोभन दें और प्रस्थापन [शीघ्र दाढ़ना] अन्तर्धान [अन्तर्धान होना] तथा द्वारापोह [दरवाजों को अपने आप खुलवा देना] आदि मन्त्र से डाकुओं और [तान्त्रिक मन्त्रों] से व्यभिचारियों को काबू में करे उनको भयंकर काम के करनेके लिये उभाड़े तथा एकबड़े समूह के साथ किसी एक गांव को लक्ष्यकर रात्रीमें प्रस्थान करें और बीचमें पड़े किसी एक ऐसे गांव में ठहरें जहां पूर्वसे ही स्त्री पुरुष के भेस में खुफिया लोग रहते हों । ऐसे गांव में पहुंचने के बाद उनको कहें कि "हमारे मंत्र तथा विद्याका प्रभाव वहां परही

देखलो । दूसरे गांव तक जाना अभी कठिन है ।" इसके बाद द्वारापोह मंत्र [वहमंत्र जिसके जोरपर बंद दरवाजे खुलजाय] से दरवाजे खुलवा दें और उनको मकान में घुसनेके लिये कहें । इसी प्रकार अंतर्धान मंत्र से जागते हुए पहरेदारों के बीचमें से बदमाशों को निकाल दें और प्रस्थापन मंत्र से उनको सुलाकर उनकी खट्वापरसे बदमाशों को गुजरवा दें तथा संवनन मंत्रसे दूसरे की औरत के भेसमें खुफिया औरतों के पास लजावें । अपनी विद्याओं तथा मंत्रों का प्रभाव दिखाकर उनको खयं यही काम करने के लिये आगे बढ़ावें । पहिले से ही नियत कियेहुए मकान या पदार्थ के विषयमें उनको कुछकाम सुपुर्द करें और जब वह मकान में घुसजावें तो उनको पकड़वा दें या उसपदार्थ को खरी दें बचें या गिरा रखें तो उनको शराब पिलाकर पकड़वा दें और पकड़ने के बाद उनके पूर्वकार्यों तथा सहायकों का पता लें ।

(खुफिया लोग) पुराने चोरके भेसमें चोरों के साथ मिलकर काम करें और मौका पड़ने पर उनको पकड़वा दें । जब समाहर्ता के सामने वह पकड़कर लाये जायतो वह पोर तथा ग्रामोणों को यह दिखावे कि राजा का चोर पकड़ने का विद्याका बहुत अच्छा ज्ञान है । पुनः तुम पकड़े जाओगे यदि ऐसाकाम करोगे तुम अपने साथियों को रोकदो कि वह आगेसे ऐसाकाम न करें । खुफिया लोग जिनको खुरफा कोड़ा रस्सी साद कृपि विषयक उपकरणों को चुरानेवाला प्रगटकरे उनको सूचित कियाजाय कि "तुम ने यह चोरीकी है । यह राजा का ही प्रभावहै जिससे हमको तुम्हारी चोरी का पता लगगया ।"

पुराने चोर ग्वालेव्याध तथा शिकारी [श्वगणों] जंगली चोरों तथा जांगलिकों से मिलजाय तथा उनको ऐसे ग्रामपर छापा मारने के लिये कहें जहां पर ऐसे व्यापारियों का संघ रहता हो-जिसके पास जाली सेना तथा जांगलिक द्रव्य बहुत ही अधिक हों । यदि वह छापा मारें तो उनको गांवमें पहिले से ही छिपाई हुई सेना या मैनफल के रसमें पके भोजन के द्वारा मरवादे या उनको

पकड़वादे जबकि वह भार सहित दूरसे आनेके कारण थककर या योग सुरा पीकर नाचमें सो गये हों।

समाहर्ता नगर निवासियों के बीचमें से इनको घुमावें तथा राजा की सर्वज्ञता पूर्ववत् प्रगट करे।

८१ प्रकरण।

शंका—रूप तथा कर्म के अनुसार पकड़ना।

खुफिया पुलिस के प्रयोग के बाद उन लोगों को पकड़ा जाय जो कि शंकास्पद हों या खोई हुई चीज को छुराने या उठाने वाले हों या ऐसा ही काम करने वाले हों।

(क)

शंकास्पद पुरुषों का पकड़ना।

वह सब के सब पुरुष शंकास्पद हैं जिनकी पुरानी जायदाद क्रमशः क्षीण होरही हो या होगई हो, जो कि देश नाम जाति गोत्र तथा काम का ठीक ठीक पता न देते हों, जो कि सब काम छिपे रूप से करते हों, मांस शराब माला, इतर कपड़ा गहना आदि में विशेष शौक रखते हों, फजूल खर्च हों, कुट्टनी, जुआरी तथा कलवार से विशेष संबंध रखते हों, बारंबार बाहर जाते हों, जिनके स्थान गमन तथा पग्य का किसी को भी पता न हो, जो कि जंगल तथा पहाड़ में अकेले घूमते हों, रहने के स्थान के पास या दूर गुप्त सभायें करते हों, ताजे घावों का गुप्त रूप से इलाज करते हों, घर से बाहर न निकलते हों, या जंगल में ही रहते हों, दूसरों की स्त्री संपत्ति तथा मकान के विषय में बारंबार पूछते हों, कुत्सित काम शास्त्र, तथा साधनों को पास रखते हों रात में दीवारों के तले अंधेरे अंधेरे में घूमते हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को संदिग्ध स्थान तथा समय में बेचते हों, जो कि बदला लेने वाले तथा खराब काम करने वाले हों, भेस तथा शकल बदलते रहते हों, नये रीति रिवाज को काम में लाते हों, जिनका आचार तथा रहन सहन सबसे भिन्न हो, जो कि पहिले भी पकड़े जा चुके हों,

जो कि सरकारी काम करते हुए महामात्र के सामने आने से हिचकते हों, भागने का कोशिश करते हों या जिनका श्वास पर श्वास चलने लगता हो, मुंह सूख गया हो तथा आवाज बदल गई हो, जो सदा हथियारबंद आदमियों के साथ निकलता हो, और जिसको देखकर दूसरे लोग डरते हों। ऐसे आदमियों को घातक या चोर या धन गवन करने वाला या बदमाश समझ कर पकड़ लेना चाहिये ।

(ख)

खोई हुई चीज़ का ग्रहण करना ।

खोई हुई या चुराई हुई या नष्ट हुई चीज़ के विषय में [उसी चीज़ के] व्यापारियों, को सूचना दी जाय । यदि व्यापारी उस चीज़ को प्राप्त कर छिपा ले तो 'गदन' करने के अपराध में पकड़े जाय । यदि उन्होंने अनजान में यह किया हो तो उनको छोड़ दिया जाय । कोई भी मनुष्य पुराने माल को संस्थाध्यक्ष को सूचना दिये बिना न बेचे और न गिरो रखे । यदि कोई व्यापारी खोये हुए माल को पाजाय तो वह लाने वाले से पूछे कि यह चीज़ तुमने कहाँ पाई । यदि वह कहे कि अमुक चीज़ हमको बाप दादा से या अमुक व्यक्ति से मिली या मैंने खरीदी, या बनवाई या मैं इसके विषय में बताना नहीं चाहता हूँ [क्योंकि इसको गुप्त रखने के लिये दूसरे ने कहा है], इसकी प्राप्ति अनुक स्थान तथा अमुक समय है, इसका असली दाम तथा बाजारी दाम यह है तो उसको छोड़ दिया जाय ।

यदि कोई नष्ट हुई हुई चीज़ मिल जाय तो वह उसीकी संपत्ति हो जिसने उसका देरतक उपभोग किया हो या जो कि बहुत ही पवित्र आचरण का हो ।

चौपाये भी प्रायः एक समान देखे गये हैं । एक ही कारीगर तथा यंत्र से बनाये हुए माल के विषय में तो कहना ही क्या है ? यही कारण है कि यदि वह [नष्ट माल प्राप्त क०] यह कहे कि "अमुक व्यक्ति से यह चीज़ मांगी, खरीदी, गिरो रखी, धाती रखी या फुटकर मैं मोल लीगई है । और साथ ही उसकी प्राप्ति किन किन हालतों में हुई इसका ठीक ठीक वर्णन करे तो उसको छोड़

दिया जाय बशर्ते कि वह यह सिद्ध करदे कि उसका इस मामले में कोई हाथ न था।

पुराने माल की चोरी [रूपाभिग्रह] में जो पकड़ा जाय वह यदि यह कहे कि अमुक ने मुझको इस कारण यह पदार्थ दान में दिया, और मैंने इस कारण ग्रहण किया तो वह देने तथा दिलाने वाले के साथ साथ निर्वन्धक [मामला तय करने वाले] अतिग्राहक (दिलाने वाला), उपदेष्टा (सलाह देने वाला) तथा उपश्रोता (गवाह) को पेश करे। यदि किसी को फँका हुआ, खोया हुआ तथा गिरा हुआ पदार्थ मिले तो वह यदि उसके मिलने का समय स्थान तथा अन्य चिन्ह ठीक ठीक बता दे तो वह छोड़ दिया जाय। यदि वह झूठा साबित हो तो उसको उतना ही दंड मिले या उसको चारों का दंड दिया जाय।

[ग]

पाप कर्म करते हुए पकड़ना।

जो मनुष्य ऐसा मकान में, जिसमें कि चोरी होगयी है अनुचित स्थान से घुस या बाहर निकले, ओजार [संधि या बोज] से दरवाजा तोड़े, खूब सुरत मकान को खिड़की या जालों नष्ट करे, उतरन या चढ़न के लिये छत फाड़े, गड़ धनको चुपे से निकाल ले जान का उपाय करे, या ऐसा बात करे जिसका संबंध घरके लोगों के साथ हो ता इसमें घर के अन्दर के किसी न किसी आदमी का हाथ सम्भ्रमना चाहिये। इससे उल्टी हालत में बाहरी आदमी का और बाचक मामले में दोनों ओर का संबंध अनुमान करना चाहिये। अंदरूनी मामले में उन लोगों से पूछ ताछ की जाय जो कि रुदा घर में रहते हैं तथा कष्ट में हो, जिनके सहायक क्रूर लोग हैं तथा जिनके पास चोरी के उपकरण हैं, जो कि घरका काम करते हैं यदि वह स्त्री हो तो दूतरे में फँजी हो या गरीब घरकी हो, जिनको स्वप्न बहुत आते हो जो निघड़िया हुए हैं, जिनको नींद आती हो, जिनका गला सूख गया हो आवाज बदल गई हो रंग फक हो गया हो ऊँच चढ़ने से शरीर टूट रहा

हो, कपड़ा लत्ता फटा हो, हाथ पैर खुरचगया हो, बाल नख आदि मट्टी से लथ पथ हो या टूट गया हो तथा शरीर तेल से चुपड़ा हो, जो कि बहुत ही अधिक प्रलाप करते तथा अभी नहाये हों, जिन्होंने अभी हाथ पैर धोया हो, जिनके मट्टी तथा कीचड़ पर पौरो के निशान पड़े हों और धरमें घुसने तथा वहां से बाहर निकलते समय जिन की माला फुटेरी कपड़ा आदि छूटगया हो । दूसरे की औरत में फंसे [पारदारिक] नागरिक का भी इन्हीं चिन्हों से पता लगाया जाय ।

प्रदेष्टा गोप तथा स्थानिकों के सहारे बाहरी चोरों को और नागरिक दुर्ग के अन्दर चोरी करने वालों को उपरिलिखित चिन्हों से ढूँढे ।

८२ प्रकरण ।

आशु मृतक परीक्षा ।

तेल में डुबाये हुए मुँदें (आशु मृतक) का परीक्षा कीजाय । जिसका पाखाना पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाथ पैर ठंडे पड़ गये हों, आँखें खुली हों तथा गले में निशान हो उस को उच्छ्वासहत, (गला घोट कर मारा गया), जिसका हाथ पैर सुकड़ा हो उसको उद्वन्धहत (बांध कर मारा गया) जिसका हाथ पैर तथा पेट फूल गया हो आँखें पथरा गई हों, तथा नाभी आगे निकल पड़ी हो उसको अवरोपित, [फांसी देकर] जिसका नेत्र तथा गुदा सख्त पड़गया हो, जीभ करी हो और पेट फूल गया हो उसको उदकहत [डूबकर मरा] जिसका शरीर खून से लथपथ हो, स्थान स्थान पर फट गया हो उसको काष्ठहत या रश्मिहत (लकड़ी या कोड़े से मारा गया), जिसका शरीर जगह २ स फूट गया हो उसको विक्षिप्त (पागल), जिसका पैर हाथ दांत

नख नीला पड़ गया हो, मांस रोयां चर्म ढीला पड़ गया हो तथा मुँह से फेन निकल रहा हो उसको विषहृत, यदि उसके किसी स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको सर्पकोटहृत (साँप या जहरीले कीड़े से काटा), जिसका शरीर तथा कपड़ा इधर उधर बिखरा हो, बहुत अधिक कै पड़ी हो उसको मदन्त्योगहृत (मैन फल से बनाये हुए रासायनिक से मारा) और जिसका कोई भी चिन्ह न मिलता हो उसको राज्ज्दंड के भय से फाँसी लगा कर आत्महत्या करने वाला समझा जाय।

जो विष से मरा हो उसके पेट या हृदय से अनाज निकाल कर चिड़ियों के द्वारा उसकी परीक्षा की जाय। यदि उसको आग में डाला जाय तो इन्द्र धनुष के रंग का धुँआं तथा चिड़ चिड़ की आवाज उत्पन्न होजाय।

मूर्दे के जलाने के बाद जब उसका हृदय जलने से बचगया हो तो उसके नौकरों से पूछा जाय कि अनुक मरे हुए मनुष्य ने तुम्हारे साथ कोई बुराई का व्यवहार तो नहीं किया। दुखित, अन्य पुरुष में आसक्त तथा दाय्याधि कार से शून्य स्त्री से प्रीति रखने वाले मनुष्य से जांच पड़ताल की जाय। उद्वन्ध्रहृत के विषय में भी इसी ढंग का नियम काम में लाना चाहिये। जिसने आत्महत्या की हो उसके विषय में यह जाना जाय कि उसको किसने नुकसान पहुँचाया या कष्ट दिया। आत्महत्या का मुख्य कारण क्रोध है जो कि प्रायः स्त्री, दाय भाग, काम की स्पर्धा, विरोधी से द्वेष, कंपनी विषयक झगडा आदि से उत्पन्न होजाता है।

स्वयं बुलाकर चोरों ने रुपयों के लिये या दुश्मनों ने भूल से अपना दुश्मन समझ कर बदला निकालने के लिये जिसको मारा हो उसके विषय में पड़ोसियों से पूछा जाय कि "उसको किसने बुलाया था? वह किसके साथ था? किसके साथ गया? कौन उसको यहां पर लाया" जो अपराधी मालूम पड़े उसको दंड दिया जाय। जो लोग उसकी मृत्यु के समय में समीप में थे उनसे क्रमशः एक एक कर पूछा जाय कि "उसको कौन यहां पर लाया था। कौन हथियार छिपाये हुए गुस्से में भरा हुआ था।" वह जिस जिस का नाम लें उस उस पर मुकदमा चलाया जाय।

मृत पुरुष के यात्रा संबंधी सामान, कपड़ेलत्ते, गहने, तथा धन को देखकर उसके साथ रहने वाले तथा कामकाज करने वाले लोगोंसे पूछा जाय कि तुम्हारा उससे कैसे मेल हुआ, वह वहाँ क्यों रहता था, वह कौनसा काम तथा कारोबार करता था ? यदि किसी स्त्री या पुरुष ने कामक्रोध या पापके वशमें हाँकर रस्सी हथियार या जहर से किसी को मारा हो तो चंडाल उसको रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ राजमार्ग से ले जावे । उसके मुँह को कोई भी श्मशान में न जलावे और न उसको पिंड दान दे । जो संबंधी इस नियमको उल्लंघन कर उसकी श्मशान विषयक क्रिया करें उनको भी वही दंड मिले या उनको जात से बाहर निकाल दिया जाय । पतित को हवन कराने पढ़ाने या उसके साथ अन्य प्रकार के वैवाहिक संबंध करने वाले एक साल तक ऐसा ही काम करें तो उनको भी पतित समझा जाय ।

८३ प्रकरण । वाक्य कर्मानुयोग ।

चोरी विषयक अभियोग में बाहरी तथा अन्दरूनी साक्षियों से अपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, धन तथा निवास स्थान के विषय में पूछा जाय । जो उत्तर मिले उसको अभियुक्त की बात से मिलाया जाय । अभियुक्त से पता लिया जाय कि पकड़े जाने से पहिले रात में कहाँ थे तथा दिन में क्या काम करते थे ? यदि उसको उत्तर अन्य प्रमाणों से सत्य जँचे तो उसको निरपराध मानकर छोड़ दिया जाय अन्यथा उसको दंड दिया जाय । जब तक काफी सबूत न मिल जाय तब तक चोरी के संदेह में किसी से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता । यही कारण है कि तीन रात के बाद संदेह में कोई भी पकड़ा नहीं जा सकता । जो भले आदमी को चोर कह कर पकड़वावे या चोर को अपने घर में छिपावे उस को चोर के समान दंड दिया जाय । यदि कोई किसी को चोरी के अपराध में पकड़वावे और अभियुक्त पकड़वाने वाले की दुश्मनी

तथा शरारत सिद्ध कर दे तो उसको शुद्ध (निरपराध) माना जाय। जो निरपराध को कैद कर उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिये—औजार, सलाहकार, सहायक तथा दलालों का पेश करना आवश्यक है। इनकी बात को चोरी के धन का बांटना तथा चोरी करने का समय आदि से मिलाया जाय। यदि यह बातें न मिलें तथा अभियुक्त फूट फूट कर रोवे तो उसको अचोर समझ कर छोड़ दिया जाय। प्रायः यह देखने में आया है कि भले आदमी भी अकसर चोरों के सदृश कपड़ा हथियार तथा सामान धारण करते हुए चोरों के गुट के साथ ही पकड़े जाते हैं। दृष्टान्त स्वरूप मांडव्य चोरी के माल के पास पकड़ा गया और पिटनेके डर से चोर न होते हुए भी उसने अपने आपको चोर मान लिया। इस लिये पकड़े सवृत का पेश करना अत्यन्त आवश्यक है।

अबोध, बालक, वृद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूखे, प्यासे, थके, माँदे, अधिक भोजन से परेशान, दुःखी तथा दुर्बल लोगों को कोड़े आदि के भयंकर दंड न दे। कुट्टिनी (पुंश्चला), पानी तथा भोजन देने वालों तथा किसी सुनाने वालों के भेस में खुफिया ऐसे लोगों का उसी प्रकार देखरेख रखें जैसा निक्षेप के चुराने के संबंध में लिखा जा चुका है। जिनका अपराध सिद्ध हो जाय उनको चित्र दंड दिया जाय। गर्भिणी, सूतिका में पड़ी तथा एक महीने से कम दिन प्रसूता स्त्री को चित्र दंड से मुक्त किया जाय। साधारण स्त्रियों को आधा दंड दिया जाय। औरों की तरह उनसे भी जिह्व की जाय। वेदों तथा शास्त्रों में पंडित ब्राह्मण तथा तपस्वियों के पीछे खुफिया लोग लगाये जाय। जो लोग इन उपरिलिखित नियमों का भंग करें या दूसरों से ऐसा करवायें, या अधिक दंड कर किसी अपराधीको मरवा दें उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय। व्यावहारिक दंड (रोजाना काम में आने वाले)—१ छः प्रकार की छड़ियाँ, २ सात प्रकार के कोड़े, ३ दो प्रकार के ऊपर नीचे के दंड तथा ४ पानी की नली आदि के भेद से चार प्रकार के हैं।

भयंकर पापकर्म करनेवाले को अठारह प्रकार के दंड दियेजाय। दृष्टान्त स्वरूप ६ बेंतें, जंघापर, १२ बेंतें कमर पर, नकमाल की २० बेंतें, हाथपर ३२, वृश्चिकबन्ध [बिच्छूके आकार में बांधना] २, हाथों में सुए गाड़कर चलाना, यथागू [जौ कि बनीचीज] पिलाकर उंगुली दिनभर तपाना, सर्दी की रातमें मूंजपर नंगा सुलाना तथा उसके उपकरण, सामान, हथियार, कपड़े लत्ते आदि गद्दे पर लादकर मंगाना। इनमें से एक दिनमें एकही दंड दियाजाय। जो लोग पहिले से कहकर चीज़ को चुरावें या छीनें, चुराईहुई चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके काम लावें, खजाना लूटने की कोशिश करें, उनको राजाकी आज्ञा के अनुसार एक अनेक या संपूर्ण दंड दियेजाय। ब्राह्मण को किसीभी प्रकार के अपराध में कष्ट न दियाजाय। वह किसीके भी साथ व्यवहार न करसके इसलिये उसके माथे पर चोरीमें कुत्तेकी, खूनकरने में कबन्ध [सिररहित मुर्दा = धड़] की, गुरुकी स्त्रीके साथ बुराई करने में भग (स्त्री-योनिकी तथा शराब पीनेमें कलवार के भंडे की छाप डालदी जाय।

छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की उद्घोषणा करने के बाद र जा पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को देशसे बाहर निकाल दे या उसको खानों में रहने के लिये भेजदे।

८४ प्रकरण।

राजकीय विभागों का संरक्षण।

प्रवेष्टा समहर्ता द्वारा नियुक्त होकर सबसे पहिले अध्यक्षा तथा उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के कामों की देख रखें करें। जो लोग खानों तथा बहुमूल्य पदार्थ के कारखानों से बहुमूल्य पदार्थ या हीरा जवाहरात चुरावें उनको मृत्यु दंड दियाजाय। साधारण पदार्थ तथा लकड़ी के कारखानों से जो साधारण पदार्थ या जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों को चुरावें उनको प्रथम साहस दंड दियाजाय।

मंडियों तथा दुकानों से सरकारी माल के चुराने में—१ मास

से $\frac{1}{4}$ पण तक १२ पण, $\frac{2}{4}$ पण तक २४ पण, $\frac{3}{4}$ पण तक ३६ पण, १ पण तक ४८ पण, २ पण तक प्रथम साहस, ४ पण तक मध्यम साहस, ८ पण तक उत्तम साहस संबंधी दंड और इससे अधिक धनकी चोरी में मृत्युदंड दिया जाय । जो कोठा, दूकान, खलपान तथा शस्त्रागार से अनाज, जरूरत का सामान तथा और प्रकार का माल चुरावे उसको उपरिलिखित दंडका आधा दंड दिया जाय । कोश, भांडागार तथा अन्नशाला से जो चौथाई दामकी भी चीज़ें चुरावे उसको दुगुना दंड मिले । जो भागजाने के लिये चोरों को इशारा दे उसको कैसा चित्रदंड दिया जाय इसपर राज परिग्रह प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है ।

सरकारी नौकरों से भिन्न मनुष्य यदि खेत खलपान मकान तथा दूकान से १ मास से २ पण तक की चीज़ चुरावे उस पर ३ पण जुर्माना किया जाय या उसके शरीर में गोबर लेपा जाय कमर में ठिकड़ों की करधनी पहिनाई जाय और सब स्थानों में डुगडुगी पीट कर उसको घुमाया जाय । १ पण मूल्य की चोरी में १२ पण जुर्माना किया जाय या चोर का सिर मूंड़ कर देशसे बाहर निकाल दिया जाय । दो पण से तीन पण तक की चोरी में ६ पण दंड दिया जाय या गोबर या राख से शरीर को लेपकर तथा ठिकड़ों की करधनी पहिना कर शहर में डुगडुगी के साथ घुमाया जाय । एक पण की चोरी में १२ पण या सिर मूंड़कर देश निकाले का दंड दिया जाय । २ पण में २४ पण या ईंट के ठिकड़ों से सिर घोटना तथा देश निकाला संबंधी दंड मिले । ४ पण में ३६ पण, ५ पण में ४८ पण, १० पण में प्रथम साहस, २० पण में २०० पण, ३० पण में ५०० पण तथा ४० पण में १००० पण दंड और ५० पण में मृत्युदंड का विधान किया जाय । रात, दिन या संध्या समय में जो जबरन धन छीने तो उसको उपरिलिखित चोरी की आधी चोरी में ही दुगुना दंड और यदि वह हथियारबंद हो तो उसको त्रोगुना दंड दिया जाय । कुटुंब, अभ्यक्त, सुखिया तथा स्वामि लोगों को शासन संबंधी नकली मोहर बनाने के अपराध में के अपराध अनुसार प्रथम साहस से शुरू करके मृत्युदंड तक दिया

जा सकता है । यदि न्यायाधीश आपस में विवाद करते हुए पुरुषों को डाँटे डपटे धक्का दे या बोलने न दे तो सबसे पहिले उसी को साहस दंड दिया जाय और यदि गाली दे तो उसको दुगुना दंड मिले । यदि वह पूछने के योग्य बात को न पूछे, न पूछने लायक बात को पूछे, पूछ कर बीच में ही छोड़ दे, सिखाये याद दिलाये या पहिले कही बात का उद्धरण दे तो उसको मध्यम साहस दंड और यदि वह उचित परिस्थिति के विषय में न पूछे, अनुचित परिस्थिति के विषय में पूछे, बे मौके काम टाले, छल करे, देरी करके दोनों पक्षों को थकावे, जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना हो उसको बीचमें ही छोड़ जाय, गवाहों का सहायता दे या निर्णय की हुई बात को पुनः पेश करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि यही अपराध वह फिरसे दुहरावे तो उसको पदच्युत किया जाय । यदि लेखक कही गई बात को न लिखे, जो बात नहीं कही गई उसको अपने मनसे लिखे, दुहराई गई बुरी बात को लिखे, लोकोक्ति लिखे, अर्थात् लिखकर व्याख्या करे तो उसको अपराध के अनुसार प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

जो न्यायाधीश निरपराध को रुपयों में दंड दे, उसको उसका दुगुना दंड दिया जाय । यदि अपराधी को वह कम या अधिक दंड दे तो उसका आठ गुना जुर्माना उस पर किया जाय । यदि शारीरिक दंड दे तो वही दंड उसको मिले या उसका दुगुना निष्कय उससे लिया जाय । जो असली रकम को भूठी और भूठी रकम को असली प्रगट करे उसको आठगुना दंड मिले ।

जो मनुष्य धर्म स्थाय के प्रबंध या कैद खाने से ऋणी को छुड़ावे या कैद में उसको खाने, बैठने तथा उठने से रोके या किसी दूसरे से यही काम करवाये तो उसको ३ पण से लेकर आगे तक दंड दिया जाय । जो चारक (धर्मस्थाय का कैद खाना) से अभियुक्त को छुड़ावे या भगावे उसको मध्यम साहस दंड दिया जाय तथा उससे ऋणकी रकम वसूल की जाय । जो कैदखाने से छुड़ावे या भगावे उसकी संपत्ति जप्त करली जाय तथा उसको सृत्यु दंड दिया जाय । कैदी की शरारत के बिना ही यदि जेलर कैदी को

काल कोठरी दे तो उस पर २४ पण, यदि शारीरिक दंड (कर्मदंड) दे तो दुगुना, यदि दृष्टरे स्थान पर ले जावे या खाना पानी न दे तो ६६ पण, यदि तकलीफ दे या घुंस ले तो मध्यम साहस दंड और यदि जान से मार डाले तो १०० पण—उसपर जुर्माना किया जाय। इसी प्रकार यदि वह-गिरों रखी या कैद की गई दासी के साथी बुराई करे, तो प्रथम साहस दंड, चार या मृत पुरुष (डाम-रिका (संक्रामक राग में जिसका पति मरा हो) की स्त्री के साथ खराबी करने पर मध्यम साहस दंड और कैद में पड़ी भले घर की औरत के साथ जबर्दस्ती करने पर उत्तम दंड उसको दिया जाय। यदि इस दंग का अपराध करने वाला कोई कैदी हो तो उसको मृत्यु दंड मिले। असमय में घूमने के अपराध में कैद की गई भले घर की औरत के साथ बुराई करने पर भी मृत्यु दंड ही दिया जाय। दासी के संबंध में प्रथम साहस दंड हो। जो चारक (धर्म-स्थाय का कैदखाना) को तोड़े बिना ही कैदी को भगावे उसको मध्यम साहस दंड। जो तोड़ कर भगावे उसको मृत्यु दंड मिले। जो कैदखाने से कैदी को भगावे उसकी संपूर्ण संपत्ति जप्त की जाय तथा उसको कतल किया जाय।

राजा अपराध करने वाले सरकारी नौकरों को इसी प्रकार ठीक मार्ग पर लावे और वह भी इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को दंड के द्वारा पाप कर्म से रोकें।

८५ प्रकरण । एक अंग काटने का निस्क्रय ।

फंदा डालने तथा गांठ कटने के अपराध में सरकारी नौकरों [अर्थचर] को पहिली बार तर्जनी काटने का दंड या ५४ पण जुर्माना किया जाय। दूसरी बार यही अपराध करने पर अंगूठा काटना या १०० पण, तीसरी बार दहिना हाथ काटना या ४०० पण और चौथी बार मृत्यु का दंड दिया जाय और सबको स्वतंत्रता हो कि जो चाहे उसको मार डाले [यथा कामी वध]। २५ पण से

कम दाम की कुम्कुर न्युअला बिल्ली तथा सुअर की चोरी में या उनके मारने में १४ पण या नाक के अग्रभाग के काटने का दंड दिया जाय । चंडालों तथा जंगलियों को आधा दंड मिले । जाल, फँदे तथा धोखे के गूठे बनाकर जो सरकारी जानवरों चिड़ियों शिकारी जंतुओं तथा मच्छियों को पकड़े उसपर उनके मूल्य जितना जुर्माना किया जाय । मृगवत तथा द्रव्यवत [लकड़ी का जंगल] से मृग तथा माल चुराने पर १०० पण और चिड़िया घर [बिंब बिहार] से हिरण तथा चिड़ियां चुराने या मारने पर दुगुना दंड दिया जाय । कारीगर शिली गवैश्ये तथा तपस्वी लोगों को जुद्र द्रव्य के चुराने पर १०० पण तथा स्थूल या कृषि उपयोगी द्रव्य के चुराने पर २०० पण दंड मिले । बिना आज्ञा के किले में घुसने वाले का तथा संध लगा कर माल चुराकर भागने वाले का कंधा काट दिया जाय या उस पर २०० पण जुर्माना किया जाय । जो चक्र से चलने वाली नाव या जुद्र पशु को चुरावे उसका एक पैर काट दिया जाय या ३०० पण उस पर जुर्माना किया जाय । नकली कौड़ी, पासे, जुआ खेलने के अन्य सामान तथा हाथ के संबंध में बेईमानी करने पर एक हाथ तथा एक पैर का काटने का या ४०० पण का दंड मिले । औरत को भगाने तथा व्यभिचार करने में स्त्री को कान नाक काटने का या ५०० पण का दंड और पुरुष को इसका दुगुना दंड दिया जाय । जो बड़े जानवर, दास या दासी को चुरावे या मृत पुरुष के कपड़े लस्ते तथा बर्तन बेचे उसके दोनों पैर काटे जाय या ६०० पण दंड के रूपमें उससे लिया जाय । जो उत्तम वर्ण के लोगों या गुरुओं के हाथ पैर तोड़े या राजा के घोड़े गाड़ीपर चढ़े उसका एक हाथ तथा एक पैर काट दिया जाय या ७०० पण उसपर जुर्माना किया जाय । अपने आपको ब्राह्मण कहने वाले शूद्रको मंदिर के धनको चुरानेवाले; राजा के विरुद्ध पडयंत्र रचनेवाले तथा दोनों आँख फोड़ने वाले योगीजन से श्रंधा किये जाय या ८०० पण जुर्माना दें ।

जो चोर या व्यभिचारी को छोड़ दें, राजाशा को बड़ाकर लिखें, गहने तथा रुपये पैसे से गुरु दासी या लड़की को भगावें, जाली

चीजें बनावें, सड़ामांस बेचें, उनका बायां हाथ पैर काटा जाय या उनपर ६०० पण जुर्माना कियाजाय । जो मनुष्य का मांस बेचे उसको मृत्यु दंड मिले । जो देवपशु [देवता के लिये छोड़े जानकर] मूर्ति, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य सुवर्ण रत्न या अनाज को चुरावे उसको उत्तम दंड या शुद्धमृत्यु दंड दियाजाय । •

प्रदेष्टा उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड देते समय इस बात को अपनी आंखों के सामने रखे कि अपराधीकी क्या हैसियत है? उसने किस दंगका अपराध किया है, किसपरिस्थिति तथा कारण के वश में होकर उसको ऐसा करना पड़ा ? वह कारण कितने गुरु या लघु हैं ? अपराध किस समय तथा किस स्थान में किया गया? अपराधी राजकीय कर्मचारी है या साधारण व्यक्ति है और राजा का उसके साथ क्या सम्बन्ध है ?

८६ प्रकरण

शुद्ध तथा चित्र दंड ।

जो लड़ाई भगड़े में किसी पुरुष को जान से मारदे उसको कष्ट सहित मृत्यु दंड मिले । जो ऐसी चोट पहुंचावे जिस से वह सात दिन, पक्ष या मास के बाद मरे तो उसको क्रमशः मृत्यु दंड, उत्तम-दंड तथा समुत्थान व्यय (पालन पोषण का व्यय) के साथ २ ५०० पण का दंड मिले । शस्त्र या शराब से चोट पहुंचाने में उत्तम दंड या हाथ काटने का दंड और मारडालने में मृत्यु दंड दिया जाय । प्रहार, दवाई या कष्ट देकर जो गर्भ गिरावे उसको क्रमशः उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड मिले । उन सब लोगों को फांसी पर लटका दिया जाय जो कि स्त्री तथा पुरुष को जान से मारडालें, बारम्बार रंडियों के पास जाय, लोगों को मुक्त में ही तकलीफ दें, झूठी झूठी खबरें उड़ावें, रास्ते चलते लोगों को लूटें पीटें तथा मारें, दूसरे के मकान को तोड़ें, राजा के हाथी घोड़े को मारें तथा रथों को तोड़ें, या चोरी करें । जो इन के मुद्दों का उठाले जावें या जलावें उसको उत्तम दंड मिले । जो चोरों तथा खूनियों

को खाना, कपड़ालत्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे लेन देन करे उसको उत्तम दंड दिया जाय । यदि अज्ञानता से ऐसा हो गया हो तो अपराधी को डांट कर तथा नीचा दिखा कर छोड़ दिया जाय । चोरों खूनियों की स्त्रियों तथा लड़कों को भी पकड़ लिया जाय यदि वह उनके कामों में भाग लेते हों अन्यथा छोड़ दिया जाय । शिर तथा हाथ में आग लगा कर उन लोगों को मारा जाय जो कि राज्य के इच्छुक हों, अन्तःपुर में बदमाशी के खातिर बुसे हों, दुश्मन को उभाड़ते हों या किले राक्ष तथा सेना में गदर सम्बन्धी विचार फैलाते हों । यदि किसी ब्राह्मण ने यही काम किये हों तो उसको पानी में डुबाकर मरवा दिया जाय । जो लोग मां बाप लड़का भौई आचार्य या तपस्वी को मारें, तो शिर तथा चमड़े में आग लगाकर उनको साड़ा जाय, यदि गाली दें तो उनकी जीभ काट ली जाय और यदि किसी अंग को तोड़ें तो उनका वही अंग तोड़ दिया जाय । जो निष्कारण खून करे या पशुओं का झुंड का झुंड चुराले उसको शुद्ध मृत्यु दंड दिया जाय । पशुओं के झुंड से तात्पर्य दस से कम संख्या वाले पशुओं से है । जो किसी पानीसे भरे तालाब या नहर के बांध को तोड़ उसको उसी पानी में डुबा दिया जाय । साधारण बांध के तोड़ने तथा टूटे फूटे बांध के तोड़ने में क्रमशः उत्तम तथा मध्यम सदृश दंड दिया जाय । जहर देकर मारने वाले पुरुष को तथा पुरुष को जहर देकर मारने वाली स्त्री को पानी में डुबा दिया जाय । यदि कोई स्त्री चाहे वह गर्भिणी या अगर्भिणी हो या और चाहे उसके बच्चा हुए एक महीना समय भी न गुजरा हो—अपने मालिक गुरु या वस्त्र को जान से मार डाले किसी को जहर देदे, कहीं आग लगादे या किसी के शरीर के जोड़ तोड़ दे तो उसको गडओं वेलों से संघवा कर मरवाया जाय । जो चरागाह खेत खलपान, मकान, द्रव्यवन तथा हस्तियवन में आग लगादे उसको आग में जीते जी जला दिया जाय ।

अनिष्ट करने की इच्छा से जो राजा को गाली दे, मंत्र [गुप्त विचार] को खोले या ब्राह्मण का चूँका बिगाड़े उसकी जीभ बाहर निकाल ली जाय । सैनिक से भिन्न कोई पुरुष यदि हथियार तथा कवच चुरावे उसको बाणों से मरवा दिया जाय और यदि

कोई सैनिक यही काम करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय ।

जो किसीकी गुप्तेन्द्रियको नुकसान पहुंचावे उसकी वही इन्द्रिय काटदी जाय। जो जीभ या नाक काटे उसकी उंगुलियां काटदी जाय।

पुराने महात्मा लोगों ने शास्त्रों में इस दण्ड के क्लेशदंडों [तकलीफ देकर मारना या दंड देना] का विधान किया है। साधारण अपराधों में शुद्ध दंड ही धर्मयुक्त है ।

८७ प्रकरण ।

कन्या प्रकर्म ।

कम उमर वाली सजात की कन्या के साथ जो जबरदस्ती करे उसके हाथपैर काट दियेजाय या उसपर १०० पण जुर्माना किया जाय । यदि वह मरजाय तो अपराधो को मृत्युदंड मिले । यदि कन्या युवती हो तो उसकी बीच की अंगुली काट दीजाय या उसपर २०० पण जुर्माना कियाजाय और उससे लड़की के पिता को हरजाना [अपहीन] दिलवाया जाय । अनुच्छ्रुक स्त्रीकेसाथ कोईभी पुरुष गमन न करे । यदि कोई इच्छुकपर-स्त्री के साथ गमन करे तो उसपर ५४ पण और स्त्रीपर इसका आधा जुर्माना कियाजाय । यदि कोई ऐसी लड़की के साथ जिसकी सगाई हो चुकी हो गमन करे तो उसका हाथ काटदिया जाय या उससे ४०० पण दंड तथा शुल्क का धन ग्रहण कियाजाय ।

सात मासिकधर्म होजाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ गमन करे तो उसके पिता को अपहीन [हरजाना] न दे । क्योंकि ऋतु के फलसे व्युत्कर्ष के कारण पिता का लड़कीपर स्वामित्व नहीं रहता । यदि कोई लड़की तीनसालसे लगातार मासिक धर्म होरही होतो उसके सजातीयव्यक्ति के साथ गमन करने में कोईभी दोषनहीं है । इसके बाद दूसरे जातका व्यक्तिभी उसके साथ गमन कर सकता है यदि उसकेपास कोई गहना न हो । यदि वह पिता का धन बिना आज्ञाके ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले ।

दूसरे के लिये कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उसपर २०० पण जुर्माना कियाजाय । इच्छाविना किसी भी स्त्री के साथ कोईभी पुरुष गमन न करे ।

यदि कोई पुरुष किसी एक लड़की को दिखाकर उसीजातकी दूसरी लड़की को उसके स्थानपर विवाह में देतो उसपर १०० पण जुर्माना कियाजाय और यदि लड़की नीचजातकी हो तो जुर्माना दुगुना करदियाजाय ।

विवाहित स्त्री के साथ जबर्दस्ती करनेपर २४ पण जुर्माना कियाजाय । शुल्क तथा अन्यस्वर्च भी अपराधी दे ।

जो कोई लड़की विवाह में देनेकी प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा पूरी न करे उसको दुगुना दंड मिले । यदि वह दूसरी जातकी लड़की दे या झूठी प्रशंसा करे उसपर २०० पण जुर्माना कियाजाय और साथही वह शुल्क का धन लौटावे और संपूर्ण स्वर्चको पूराकरे ।

अनिच्छुक स्त्रीके साथ कोईपुरुष गमन न करे ।

यदि कोई स्त्री कामवश किसी सजातीय पुरुष के साथ गमन करे तो उसपर १२ पण और मध्यस्थ स्त्रीपर दुगुना जुर्माना किया जाय । इसीप्रकार अनिच्छुक स्त्रीके साथ जबर्दस्ती करने वाले पुरुष पर १०० पण दंडका विधान कियाजाय, उसको स्त्रीके प्रसन्न करने के लिये वाधित कियाजाय तथा उससे शुल्क का धन वसूल कियाजाय ।

जो स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गमन करे उसको राजदाली बनाया जाय । जो कोई गांव के बाहर किसी स्त्री के साथ गमन करे या किसी स्त्री के बारे में इस विषय पर झूठी खबरें उड़ावे उसको दुगुना दंड दिया जाय । जो जबर्दस्ती लड़की को भगा लेजावे उस पर २०० पण और यदि वह सजातीय है तो उस पर उत्तम दंड का विधान किया जाय । लड़कियों को भगाने वाले यदि बहुत से पुरुष हैं तो उनमें से प्रत्येक को पूर्वोक्त दंड दिया जाय ।

रंडी की लड़की के साथ जो जबर्दस्ती करे उस पर १४ पण जुर्माना किया जाय और उसको वाधित किया जाय कि वह उस की मां की आमदनी का १६ गुना उसको धन दे । जो कोई दास

या दासी की लड़की को खराब करे वह २४ पण जुर्माना, शुल्क तथा गहने दे। जो स्त्री धन न दे सकने के कारण दासी बनाई गई हो उसके साथ जबरदस्ती करने पर १२ पण जुर्माना, शुल्क तथा गहना देने के लिये अपराधी को बाधित किया जाय। बीचमें पड़ने वाले दलालों पर भी अपराधियों के समान ही जुर्माना किया जाय।

यदि कोई ऐसी स्त्री किसी के साथ फंस जाय जिसका कि पति बाहर हो तो उसके पति के बन्धु तथा मित्र उसको पकड़े और उसको पति के आने के समय तक प्रतीक्षा करने के लिये बाधित करें। यदि पति दोनों को क्षमा करदे तो उनको छोड़ दिया जाय। यदि वह क्षमा न करे तो स्त्री का कान नाक काट दिया जाय और ज़ार पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाय। जो कोई ज़ार को चोर कहे उस पर ५०० पण जुर्माना किया जाय। या सोना या धन लेकर उसको छोड़े उस पर गृहीत धन का ८ गुना जुर्माना किया जाय।

बाल खींचना, शरीर पर बदमाशों के चिन्हों का होना, सजातीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद करना आदि बातों से स्त्रियों के पाप कर्म का ज्ञान होता है।

जो मनुष्य शत्रु के जाल, जंगल, बाढ़ में फंसी, अकाल के कारण भूखी या मरी हुई समझ कर फेंकी हुई स्त्री को बचावे वह परस्पर अनुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता है। यदि वह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो तो कुछ धन लेकर उसको उसके घरमें भेजदे।

चोर, नदी वेग, दुर्भिक्ष, तथा राज्य ज्योति से जंगल में भटकती, घरके लोगों से त्यक्त मृत समझ कर फेंकी स्त्री का पुरुष उपभोग कर सकता है बशर्ते कि दोनों मंजूर करलें। जिसको राजा के डर से संबंधियों ने छोड़ दिया हो, जो कि नीच जाति की हो या अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो उसको उचित पुरस्कार लेकर उसके घर भेजदे।

† डाक्टर शाम शास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ सर्वथा उल्टा कर दिया है जो कि पिछले वाक्य से विरोधो पड़ता है। उनकी "ईदृशी च न रूपेण" के स्थान पर "ईदृशी चानु-कोः" पाठ समझ कर उगिर लिखित अर्थ करना चाहिये था।

८८ प्रकरण । अतिचार—दंड ।

जो किसी ब्राह्मण को अपेय या अभक्ष्य वस्तु खिलावे उसको उत्तम दंड दिया जाय । यदि यही बात किसी ने क्षत्रिय के साथ की हो तो उसको मध्यम और वैश्य के साथ ऐसी बात करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाय । शूद्र के संबंध में ५४ पण जुर्माना किया जाय । जो स्वयं ही अपेय या अभक्ष्य खावे उसको देश निकाला दिया जाय ।

जो दूसरेके घरमें दिनमें घुसे उसको प्रथम साहस दंड, जो रातमें घुसे उसको मध्यम और जो हथियार के साथ दिन या रात में घुसे उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि मत्त और उन्मत्त भिक्षुक या व्यापारी और पड़ोसी विपत्ति में पड़कर जबरन घरमें घुसें तो उनको कुछ भी दंड न दिया जाय । बशर्ते कि उनको रोका न गया हो ।

जो आधी रात के बाद अपने मकान के ऊपर चढ़े उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । दूसरे के मकान के संबंध में दंड मध्यम होना चाहिये । गांव तथा बाग की दीवारों को तोड़ने वालों को भी मध्यम दंड ही मिले ।

व्यापारी अपनी संपत्ति तथा धन के विषय में ग्रामाध्यक्ष को सूचित कर ग्रामके किसी भाग में वह जाया यदि उनका रात में बाहर भेजा धन चुराया जाय तो ग्राम स्वामी उसको भरे । यदि चोरी ग्राम के बीच में हुई हो तो त्रिविंशत्यक्ष (चरागाह का अध्यक्ष) दे । यदि अड़ोस पड़ोस में चरागाह या गोचर भूमि न हो तो चोर रज्जुक (चोर पकड़ने वाला) जिम्मेवार हैं । यदि चोर रज्जुक भी न हो सीमा रक्षक लुकतान हुआ धन दें । यदि वह भी न हो तो पांच गांवों या दस गांवोंकी गुह्र हानिका पूर्तिकरा ।

कमजोर मकान, टूटी फूटी बैल गाड़ी, छत की कड़ी, ऊपर लटकता हथियार, खुला स्थान, गड़बा, कुआं आदि के द्वारा यदि कोई किसी को मारे तो उसको दंड पारुष्य में विधान किया दंड

दिया जाय । वृत्त काटना, मरकट्टे या खूनी जानवरों के बन्धन काटना, गाड़ी या हाथीपर लकड़ी लोहा पत्थर दंडा बाण आदि फेंकना तथा थप्पड़ मारना, आदि में भी उपरिलिखित नियम काम में लाया जाय । हटो यह कहने पर भी यदि गाड़ियां लड़ जाय तो दंड न दिया जाय । जो कोई गुस्सैल हाथी से चोट खाय वह द्रोण से कुछ ही कम शराब का घड़ा, माला, सुगन्धित द्रव्य, दंत मंजन तथा कपड़ा दे । क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के स्नान के सदृश ही गुस्सैल हाथ से चोट खाना पवित्र है । इसलिये इस दान को "पाद प्रक्षालन" (पैर धोना) नाम से पुकारा जाता है । यदि कोई फीलवान् की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचल कर मर जाय तो फीलवान को उत्तम दंड दिया जाय । जो स्वामी सींग वाले या दांतवाले जानवर से किसी को मरता देखकर भी न लुढ़ावे उसको साहस दंड और जिसने गुस्से में यही बात की हो उसको दुगुना दंड दिया जाय । जो कोई देव पशु, सांड गऊ या बछड़ी से काम ले उसपर ५०० पण जुर्माना किया जाय । और जो कोई उनको बाहर निकाल दे उनको उत्तम दंड दिया जाय ।

ऊन, दूध भार तथा गमन काम के लिये उपयोगी जुद्ध पशुओं को पकड़ने वाले को तथा देव कार्य या पितृ कार्य से अतिरिक्त अन्य समय में भगाने वाले को उनके मूल्य के बराबर दंड दिया जाय । जब कोई ऐसा पशु जिसकी नथ तथा जुआ टूटगया हो जो कि पूरी तरह से सीधा न किया गया हो, भागरहा हो या किसी के ऊपर दौड़ता हुआ आपड़ा हो या भीड़से घबड़ाकर गाड़ीले भागा हो उससे यदि कोई मनुष्य मरजाय तो स्वामी को दंड दिया जाय । परन्तु यदि किसीने कहकर किसी मनुष्य को या पशु को इस प्रकार मरवाया हो तो उसको क्रमशः दंड दिया जाय तथा पशु का मूल्य देने के लिये बाधित किया जाय ।

रास्ते में चलते बालक के कुचलने पर गाड़ी में सवार स्वामी को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई [बालिग] गाड़ी में सवार हो उसको दंड दिया जाय । जिसगाड़ी में बच्चा हो और उसके सिवाय कोई भी युवापुरुष न हो उसको राजा जन्त करले ।

जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक तान्त्रिक प्रयोगों से दूसरे को वशमें करे उसको वही दंड दिया जाय । जो कोई [तांत्रिक योगों से] अनिच्छुक स्त्री को वशमें करने का यत्न करे, जो स्त्री तलाश करता हुआ किसी लड़कीको फंसाना चाहे, या जो स्त्री पति को अपने वशमें करना चाहे उसको उपारिलिखित दंड दिया जाय । परन्तु यदि इस से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचगया हो तो अपराधी को मध्यम साहस दंड दिया जाय ।

जो मासी, बुआ, मामा की स्त्री, गुरुआनी, बहू, बेटी तथा बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग काट डाला जाय और उसको मृत्यु दंड दिया जाय । यदि कामिनी स्त्री ने यह काम किया हो तो उसको और पास नौकर तथा बंधुए लोगों के साथ बदमाशी करने वाली स्त्री को [यही दंड मिले] । यदि कोई क्षत्रिय अस्त्ररक्षित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया जाय और वैश्य का इसी अपराध में सर्वस्व हरण किया जाय । शूद्र को भूसे की आग में जीतेजी जला दिया जाय । राज भार्या के साथ गमन करने पर कुंभीपात [वर्तन में बंद कर जलाना या मारना] नामक दंड दिया जाय । जो कोई चाण्डाली का गमन करे उसके माथे पर छाप डाली जाय, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाय और उसको भी चांडाल बना दिया जाय । यदि कोई शूद्र या चांडाल यही अपराध करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाय और स्त्री का कान नाक काट लिया जाय । जो कोई वैरागिन का गमन करे उस पर २४ पण जुर्माना किया जाय । यदि वैरागिन स्वयं यही चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाय । जो रंडी को जबरन उपभोग करे उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । यदि बहुत से एक स्त्री का गमन करे तो उनको पृथक् पृथक् २४ पण दंड दिया जाय । पुरुष के साथ बदमाशी करने वाले तथा स्त्री के अनुचित स्थान में मैथुन करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाय । पशुओं के साथ मैथुन करने वालों पर १२ पण का जुर्माना किया जाय । जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन करे उसको द्वागुना दंड मिले ।

जब कभी राजा निरपराधी पुरुष पर जुर्माना करे तो उसका तीस गुणा धन वरुण देवता के उपलक्ष्य में पानी में डाल दे और बाकी ब्राह्मणों में बांट दिया जाय।

इस से राजा का दंड सम्बन्धी पाप दूर हो जाता है। क्योंकि राजा वरुण मिथ्या आचरण वाल लोगों का शासक है।

५ अधिकरण ।

योग वृत्त ।

८१ प्रकरण

दंड विधान ।

दुर्ग तथा राष्ट्र में अपराधियों को कैसे पकड़ा जाय (कंटक शोधन) इस पर प्रकाश डाला जाचुका। राजा तथा राज्य के सम्बन्ध में अब प्रकाश डाला जायगा।

राजा से तनखाह भत्ता आदि पाकर भी जो राजा से विद्वेष करते हों और शत्रु के सदृश हों उनके पीछे ऐसे गुप्तचर (गूढ़ पुरुष) का प्रयोग किया जाय जो कि कृत्य पक्ष (शत्रु के वश में आने वाले-शत्रु के पक्षपाती) को पकड़ सकें या आपस में फाड़ देने वाले तथा सिद्ध के भेस में धूमने वाले खुफिया को लगाया जाय जोकि उन्हीं तरीकों को काम में लावें जोकि "शत्रु के ग्राम के विजय" के सम्बन्ध में बताये गये हैं।

राजा धर्म की रक्षा करने के लिये ऐसे राज दर्वारियों या संघ के मुखियों को चुप्पे से ही मरवा दे या दंड दे जो कि बागी हों और जिनको खुल्लम खुल्लम अपराधी न सिद्ध किया जासके। सत्री (गुप्तचर का एक भेद) महामात्र के दृष्ट तथा राज्य द्रोही भाई को राजा से मुलाकात करवाने के लिये ले जाय। राजा भी उसको उसके भाई की संपत्ति दे देने की आशा दे। यदि वह इस पर

अपने भाई को शस्त्र या विष से मार डालने की कोशिश करे तो उसको “भ्रातृघातक” के अपराध में वहाँ पर कतल करवादे। यही व्यवहारपारश्व (ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न) तथा परिचारिका पुत्र (दासी का लड़का) के साथ किया जाय। यदि महामात्र ही राज्य द्रोही हो तो सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका भाई दाय प्राप्त करने के लिये राजा से प्रार्थना करे। राज्य द्रोही महामात्र के घर पर या किसी और स्थान पर सोये हुए उसको तीक्ष्ण मार डाले तथा शोर मचावे कि “दाय मांगने के कारण इसको मरवाया गया है”। इसके बाद राजा उसका पत्न लेकर महामात्र तथा उसके पक्ष पोषकों को पकड़ ले। या राज्य द्रोही महामात्र के पास रहने वाले सत्री भाई के दाय को मांगते ही मार डालने की धमकी दे और इसके बाद रात में पूर्व वत् काम किया जाय। यदि दो महामात्र बागी हों तो इनमें से जिस किसी का लड़का या बाप बड़ को खराब करता हो या भाई अपनी भौजाई को विगाड़ता हो उन को कापटिक (गुप्तचर विशेष) के द्वारा आपस में लड़ाकर पूर्ववत् मरवाया तथा पकड़ा जाय। बागी महामात्र के लड़के का दोस्त बन कर सत्री उसको कहे कि—तू राजा का लड़का है। शत्रु के भय से तुझको यहाँ पर रख छोड़ा है। यदि उसको इस पर विश्वास आ जाय तो राजा अकेले में उसका आदर सत्कार करे और कहे कि—तेरे युवराज्य बनने का समय आपहुँचा है। महामात्र के डर से ही मैं तुझ को युवराज नहीं बना रहा हूँ। इत्यादि। इसके बाद सत्री उसको महामात्र के मार डालने के लिये प्रोत्साहित करे। यदि वह महामात्र को मारने के लिये तैयार हो तो “पितृघातक” कहकर उसको वहाँपर ही कतल कर दिया जाय। अभिषुकी (गुप्तचर का एक भेद) बागी महामात्र की स्त्री को संवन कारक (पति जिससे वश में हो जाय) औपाधियाँ जहर के साथ मिलाकर दे और महामात्र को खिलाने के लिये कहे। यदि इस से काम न निकले तो राजा बागी महामात्र को—जंगल या ग्राम की वश में करने के लिये या—ऐसे देश में, राष्ट्रपाल या अन्तपाल को नियत करने के लिये जहाँ तक पहुँचने के लिये जंगल पार करना पड़ता हो या—बागी शहर को शान्त करने

के लिये या—बाहरी व्यापारियों को राष्ट्रके अंतमें पहुंचाने के लिये या उनको गृहीत धन तथा माल के साथ सुरक्षित देशमें ले आने के लिये थोड़े से दुर्बल सैनिकों तथा तीक्ष्ण लोगों के साथ भेजे । रात या दिन में जब युद्ध हो तो डाकुओं के भेस में तीक्ष्ण लोग उसको मार डालें । राजा राजधानी में दुग्दुगी पिटवादे कि, अमुक महामात्र "लड़ाई में मारा गया ।" यात्रा [चढ़ाई] या विहार काल में राजा देखने के लिये बागी महामात्रों को बुलावे । हथियारों को छिपेरूप से पास रखकर, तीक्ष्ण लोग उसके साथ में होजाय । मध्यम कक्ष में पहुंचते ही जब उनकी तलाशी लीजाय तो वह कहें कि बागी महामात्रों ने ही हमको हथियार लेकर साथ आने के लिये कहा है । इसके बाद शहर में यह फैल कर कि "महामात्रों ने राजा को मरवाना चाह ।" उनको मरवा दियाजाय । तीक्ष्ण लोगों के स्थानपर दूसरों को फांसीपर चढ़ा दियाजाय । या विहार भूमिमें उनको बुलाकर राजा उनका आदर सत्कार करे । रानेके भेसमें बदमाश औरत रात में उनके कमरे में पहुंच तथा उनको पकड़वादे । शेष बात पूर्ववत् की जाय । सूद [पाचक] या भक्षकार बागी महामात्र को "आपसे बढ़कर कौन है" यह कहकर भोजन देने के लिये कहे जब वह भोजनदे तो बाहर आकर उसमें पानी तथा जहर मिलादे और राजा के पास लेजाय । राजा "रसद" [जहर देनेवाला] कहकर दोनों को ही कतल करवादे । यदि बागी महामात्र अंध विश्वासीहो तो सिद्ध के भेसमें गुप्तचर उसको कहें कि गोह कछुआ कैंकड़ा आदियों में किसी को भी पानीसे बाहर निकालते ही तेरे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे । जब वह ऐसा करने के लिये तत्पर हो तो उसको लोहके मूसल से या जहर से मार डाले और खबर उड़ावे कि "ऐन्द्रजालिक काम करते हुए वह मर गया ।" चिकित्सक के भेसमें गुप्तचर बागी महामात्र की बीमारी को भयंकर तथा असाध्य प्रकट करें और दवाई तथा भोजन में जहर देकर उसको खतम कर दें । सूद तथा अरालिक [हलवाई] पकी चीजों में जहर मिलाकर उसका काम तमाम करें । गुप्तरूप से बागी राज्य कर्मचारियोंसे राजा इसी प्रकार अपना पीछा छुड़ावे ।

दो बागियों से अपने आपको बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि—राजा एक बागी को शान्त करने के लिये, हलकी सेना देकर दूसरे बागी को भेजे और तीक्ष्ण लोगों को साथ में करे। उसको आज्ञा दे कि—अमुक दुर्ग या राष्ट्र से सेना या रुपया प्राप्त करो। या—अमुक दरबारी से सेना मांगो या—उसकी लड़की को जबरन पकड़ लाओ। या—किला पक्कामकान व्यापारीयमागं उपनिवेश खान जंगल या हाथी जंगल संबंधी अमुक काम करवाओ। या—राष्ट्र पाल या अन्तपाल के काम नियत करो—जो तुम्हारी बात में अड़े या विघ्न डाले उसको कुछ भी सहायता न हो—या अमुक व्यक्तिको कैद कर लेआओ। इत्यादि। इसी प्रकार दूसरे बागियों को सूचित करे कि अमुक बहुत हो उहंड है। तुम उसका उहंडता को दृस्करो। जब यह लोग लड़ें या एक दूसरे का काम बिगाड़ें तो तीक्ष्ण शस्त्र फेंककर छिपे तौरपर मार डालें। इस अपराधम उन बागियों को पकड़कर दंड दिया जाय।

तीक्ष्ण लोग बागी शहरों गांवों तथा कुलों के—सीमा, क्षेत्रफल [उपज], गृह सीमा [घर की हद्द] विषयक या—द्रव्य, उपकरण [औजार तथा साधन], अनाज, बैल आदियों की हानि विषयक या—तमाशा तथा उत्सव विषयक भगड़े में या अपने द्वारा बढ़ाई हुई लड़ाई में शस्त्र फेंक कर कहें कि—जो लोग भगड़े या लड़ेंगे उनको इसी प्रकार मारा जायगा। इसके बाद “मारने के अपराध में” वह लोग पकड़ लिये जाय। जिन बागियों के पुराने भगड़े हों उनके खेतों में आग लगाकर तथा उनके बन्धुओं संबंधियों तथा पशुओं को मारकर तीक्ष्ण लोग शोर मचावें कि “हम को अमुक व्यक्ति ने ऐसा करने के लिये कहा था”। इस अपराध में और लोग पकड़ लिये जाय। सत्रि [गुप्तचर का एक भेद] दुर्ग तथा राष्ट्र के बागियों का आपस में सहभोज करवायें और रसद लोग उनको एक साथ जहर दें। पीछे से इसी अपराध में राजा अन्य बागियों को पकड़ ले। भिचुकी [राष्ट्र के] किसी बागी मुखिया को कहे कि राष्ट्र के अमुक बागी मुखिया की स्त्री यह लड़की तुम को चाहती है। यदि उसको इस पर विश्वास आजाय तो उसकी ‘अंगूठी’

आदि लेकर राजा को देदे । राजा भी “अमुक मुखिया जवानी के जाश में आकर अमुक मुखिया की स्त्री बहू या लड़की को चाहता है” ऐसी बात कहे । जब दोनों रात में आपस में लड़ें तो उनको पूर्ववत् मरवा दिया जाय । युवराज या सेनापति सैन्य द्वारा दबाये गये बागीर्यों के साथ पहिले तो कुछ रियायत करे और पीछे उनसे रुष्ट होकर अलग बैठ जाय । इसके बाद ऐसे ही बागियों की थोड़ी सी सेना को उनको दंड देने के लिये भेजे और तीक्ष्ण लोगों को उनके साथ में करदे । इसके बाद संपूर्ण बातें पूर्ववत् की जाय । उनके लड़कों में जो बदले के भाव से रहित शान्त चित्त हो उसी को पिता की संपत्ति मिले । इन्हीं तरीकों से देश राजा के पुत्रों तथा पौत्रों के भक्त बने रहते हैं और भिन्न भिन्न बागी तथा स्वार्थी पुरुषों के कारण कष्ट में नहीं पड़ते हैं ।

यदि राजा भूत तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की भी गड़बड़ न देखे और पूर्ण रूप से संदेह रहित हो तो अपराधियों के अपराध को क्षमा करते हुए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तूष्णी दंड [चुप्पे चुप्पे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे ।

६० प्रकरण ।

कोश-संग्रह ।

[क]

कर्षकों से राज्य कर का ग्रहण ।

कोश हीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोश का संग्रह करे । उस जनपदसे जोकि बहुत बड़ा हो या जिसमें वृष्टिका पानीलगता हो तथा छोटे होते हुए भी जिसमें धान्य बहुत ही अधिक होता हो—धान्य का तृतीय या चतुर्थ भाग राज्य कर में मांगे । यदि वह मध्यम तथा अल्प होते हुए असार हो या किला पक्का मकान, व्यापारीय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा हाथी जंगल के लिये अत्यंत उपयोगी हो तथा छोटा होते हुए राष्ट्र के अन्त में हो तो

उससे उपरिलिखित राज्य कर न मांगे । बीज तथा भस्से के लिये धान्य अलग निकाल कर अनाज का चौथाई भाग नगद धन देकर खरीद ले । जंगलों तथा श्रोत्रियों द्वारा उत्पन्न अनाज को राज्य कर में न ग्रहण करे । यदि वह बेचने के लिये आया हो तो उसको अच्छे दाम पर बेच दे । यदि इन उपायों से भी कोश को विशेष लाभ न हो तो समाहर्ता के सिपाही ग्राम में खेती करने के लिये किसानों का बाधित करें । जो प्रमाद कर उससे दुगुना जुर्माना लिया जाय और बीज डालने के समय में सिपाही खेत में बीज डाल दें । फल तैयार होने पर तरकारी या पक्का अनाज ग्रहण करें वशतः के खेत में शाक या अंकाशय अन्न न बचा हो । देवों तथा पितरों को पूजा के लिये और गडों भिक्षुमंता तथा मजदूरों का खिलाने के लिये खेत में बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करवाया जाय ।

जो राज्य कर से बचने के लिये धान्य छिपावे उस पर धान्य में आठ गुना जुर्माना किया जाय । जो दूसरे का धान्य चुरावे उस पर १० गुना जुर्माना और जो अपने वर्ग से बाहरी व्याहृ के धान्य चुरावे उसको कतल किया जाय ।

धान्य का चौथाई भाग, जांगलिक द्रव्यों तथा रुई लाख सनिया कपास, रेशा, रेशम, उना, ओषधि, गंध, फूल, फल, तरकारी, व्यापारीय द्रव्य लकड़ी, बांस, मांस, तथा सूखे मांस आदिकों का छुठाभाग और दांत तथा चमड़े का आधाभाग राज्यकर में ग्रहण कियाजाय । जो राजा की आज्ञा के बिना ही बेचे उसको प्रथम साहस दंड दियाजाय । कपड़ों से राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम हैं ।

(स)

व्यापारियों से राज्यकर का ग्रहण ।

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़ा, हाथी आदि व्यापारीय द्रव्यों से १० वां भाग-सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, इतर, गंध, भेषज्य तथा शराब आदियों से ४०वांभाग-धान्य,द्रवपदार्थ, लोहा तथा बैलगाड़ी के व्यापारियों से ३०वांभाग-शीशा तथा

कारीगरी के कामके व्यापारियों से २०वां भाग-छोटे छोटे कारीगरों तथा तरखानों से १०वां भाग और लकड़ी, वांस, पत्थर मट्टीके बर्तन पकान्त, तरकारीआदियों से ५ वां भाग—मूल्य का राज्य करमें ग्रहण कियाजाय। कुशीलव तथा रूपाजीवा [रंडोविशेष] वेतन का आधा दें। सुनारों को अपनी ही संपत्ति समझे और उनसे स्वयं काम करवाये। उनके छोटे से अपराध को भी माफ नु करे। क्योंकि यह लोग विश्वास पात्र तथा ईमानदार बने हुए कूट-व्यापार करते हैं। व्यापारियों से राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम हैं।

[ग]

* योनि पोषकों से राज्यकर का ग्रहण।

मुर्गे तथा सुअर का आधा भाग-छोटे जानवरों का छठा भाग गौ भैंस खरबुर गदहों तथा ऊंटों का दसवां भाग ग्रहण करे। बंध किपोषक † राजा द्वारा भेजा हुई रूप तथा जवानी से भरी रंडियों से कोश को बढ़ाने की कोशिश करें।

राज्यकर एकवार ही लेना चाहिये। दो बार उसको कभी भी प्रयोग न करना चाहिये। यदि इस नियम का पालन करना कठिन हो तो समाहर्ता किसी कार्य के वहाने पौर तथा जानपद लोगों

‡ वर्षिक पोषक का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने रंडी रखने वाला अर्थ किया है जब कि भृत्य भरणीय (६१) प्रकरण में उन्होंने इसका अर्थ दूसरा किया है। बंधकि पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला है। वर्षिक पोषक तथा वर्षिक पोषक यह दो भिन्न शब्द मालूम पड़ते हैं।

* योनि पोषक का अर्थ पशु पालक है।

† बंधकि पोषक, वर्षिक पोषक तथा वर्षिकयोनिपोषक यह तीन शब्द प्रकरण ६० तथा ६१ में आये हैं। डाक्टर शामशास्त्री तीनों स्थानों पर इनके तीन भिन्न २ अर्थ किये हैं। यदि वर्षिक का अर्थ बढई माना जाय तो प्रकरण ६० में आये वर्षिक पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला कैसे हो सकता है? यदि रंडी रखने वाला ही अर्थ माना जाय तो प्रकरण ६१ में इसका अर्थ बढई कैसे किया गया। यदि बंधकि तथा वर्षिक में कुछ भी भेद न माना जाय तो तीनों ही स्थानों पर रंडी रखने वाला अर्थ होना चाहिये। वर्षिक का अर्थ बढई ठीक मालूम पड़ता है और बंधकि पोषक का रंडी रखने वाला अर्थ ठीक जंचता है।

से धन मांगे । राजा के साथ मिले हुए (योग पुरुष) लोग सबसे पहिले अधिक से अधिक धन दें । इसी बहाने राजा प्रजा से धन इकट्ठा करे । जो कम दें उनको कापटिक लोग (खुफिया पुलिस के लोग) बुरा भला कहें । धनाढ्यों से अधिक से अधिक सहायता देने के लिये कहा जाय । जो लोग राजा का भला करने के लिये अपनी इच्छा से धन दें उनका—प्रासन स्थान छत्र पगड़ी गहना आदि बदले में देकर आदर सत्कार किया जाय । जादूगर तथा ऐन्द्रजालिक के भेस में फिरने वाले गुप्तचर पाखंडियों कंपनियों तथा श्रोत्रियभोग्य (जिनकी आमदनी किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के पास न जाती हो) मंदिरों की आमदनी को और मृत पुरुष तथा ऐले पुरुष की, संपत्ति को जिसका मकान जलगाया हो बचाने के बहाने से अपने हाथ में करके भाग जाय ।

देवाध्यक्ष दुर्ग तथा राष्ट्र के देवताओं की आमदनी को एक स्थान में रखें और राजा को दे दिया करे या—किसी एक रातमें मंदिर खड़ा करे या—सिद्धों के रहने का मकान बनवादे या—घाट तैयार कर दे और कहे कि कोई न कोई विपत्ति सिरपर आपड़ने वाली है अतः उसको दूर करने के लिये उत्सव तथा पूजा पाठ होना चाहिये (इस बहाने से धन इकट्ठा करे) या—चैत्य तथा उपवन के किसी पेड़ में अलामयिक फूल तथा फल के आने को प्रगट कर देवताओं के आने को सूचित करे या—किसी पेड़ में मनुष्य को छिपाकर शोर मचवाये और इस प्रकार राजस तथा भूतप्रेत का भय प्रगट कर सिद्ध के भेस में फिरने वाला गुप्तचर प्रजा से धन इकट्ठा करे, या—प्रजा का धन खींचने के लिये (कुंये में छिपी सुरंग लगाकर) अनेक सिरों वाले नागको दिखावे, या—जो लोग बहुत ही श्रद्धालु हों उनको सांपकी मूर्ति, मंदिर के कोने या बल्मीक में छेद कर उसके अन्दर दवाई से बेहोश किये हुए काले नागको दिखावे या जो श्रद्धालु हों उनके पेय और परोक्ष पदार्थोंमें रस मिलाकर यह कहे कि देवताका अभिंशाप पड़ गया है या—किसी जात बहिष्कृत व्यक्तिको सांपसे कटवाकर अशुभदूर करनेके वास्ते प्रजा से धन लिया जाय या—वैदेहक (व्यापारी) के भेस में

गुप्तचर किसी बड़े व्यापारी के पास रह कर व्यापार करने लगे। माल के बिकने व्याज के आने तथा लाभ मिलने के कारण जिस दिन उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया हो उसी दिन रात में चोरी करके भाग जाय या—रूपदर्शक तथा सुवर्णकार के भेस में भी इसी प्रकार चोरी की जाय या—वैदेहज्ञ (व्यापारी) के भेस में गुप्तचर बड़े भारी व्यापारी के तौर पर प्रख्याति प्राप्त कर और एक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा सोना चांदी जवाहरात गिरों रक्खे तथा उधार पर ले ले या—किसी कंपनी का बहुत सा माल दिखाकर (बदले में) बहुत ही अधिक मात्रा में (सोना चांदी) ऋण के तौर पर ग्रहण करे और अपने माल का दाम भी ले ले। यह करने के बाद रात में अपनी चोरी कत्वादे या—लाधरी (भले मानुस के घर की) के भेस में फिरने वाली खुफिया औरत बदमाशों को उन्मत्त करे और अपने ही मकान में किसी बहाने से उनको पकड़वाकर उनकी संपत्ति कुड़क करवादे—या बदमाशों तथा कुलीनों के भगड़े में रसद (जहर देने वाले) चुप्पे से एक पत्र के लोगों को जहर दे दे और इस प्रकार उनकी संपत्ति कुड़क कत्वादे या—जब कभी जात से पातेत हुआ कोई व्यक्ति भलेमानुस के रूप में रहने वाले किसी दूसरे राज्याविद्रोही व्यक्ति से ऋण गिरों रक्खे। सुवर्ण व्यापार में लगा धन या पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे। उसको दास और उसकी स्त्री लड़की तथा बहु को दासी “अथवा स्त्री” कहकर गाली दे रात को उसी के दरवाजे पर धरना मार के सो जाय। या किसी दूसरे स्थान में रह जाय तो मौका पाकर तीव्रण उसको जान से मार डाले और प्रजा में शोर मचादे कि क्योंकि वह धन चाहता था अतः उसको मरवाया गया है। इस अपराध में राज्य विद्रोही तथा उसके पक्षपातियों की संपत्ति कुड़क करली जाय या—सिद्ध के भेस में गुप्तचर बागी आदमी को जादूगरी के कामों को दिखा कर प्रलोभन दे कि “मैं अन्नय हिरण्य प्राप्त करना राजगृह में घुसना, स्त्री को फंसाना, शत्रु को बीमार करना, उमर बढ़ाना तथा लड़का पैदा करवाना आदि विद्याओं को जानता हूँ” इत्यादि। यदि

वह विश्वास में आजाय तो रात में मंदिर पर शराब मांस गंध द्रव्य आदि चढ़ावे, जहाँ मुर्दा का कोई अंग या बच्चा गड़ा हो वहाँ पर पूर्व से ही एक सदृश रंग का गड़ा सोना खेदकर दिखावे बहुत कम वाले । इसके बाद कहे कि अधिक सोना प्राप्त करने के लिये अधिक चढ़ावा चढ़ना चाहिये । जाओ यह सोना लो और इस से जादा दाम का चढ़ावा खरीद कर रात में आओ । जब वह बाजार में चढ़ावा खरीदने जाय तो उसको पकड़ लिया जाय । या—माता के भेस में खुफिया औरत कहे कि अमुक राज्यद्रोही ने मेरे लड़के को बलि चढ़ाने के लिये मार डाला है । जब कभी वह रात में जंगल के अन्दर शिकार या यज्ञ करने के लिये जाय तो तीक्ष्ण लोग उसको मार डालें तथा जात बहिष्कृत की तरह उस के साथ व्यवहार करें या—उसके नौकरों के भेस में खुफिया तनखाह में मिले सिक्कों में जाली सिक्का मिलाकर या उस के घर में काम करने वाले कारीगर के भेस में खुफिया जाली सिक्के बनाने के संपूर्ण उपकरण रख कर उसको पकड़वा दें या—चिकित्सक के भेस में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसको बीमार कहे या सत्री [खुफिया का एक भेद] उस के घर में राज्यभिषेक के सामान रखे और कापटिक [खुफिया का दूसरा भेद] के मुंह से दुश्मन की आज्ञा सुनावे और कारण प्रगट करे । अधार्मिक वागियों के साथ इसी ढंग पर बर्ताव किया जाय परन्तु सब लोगों के साथ यह बात न की जाय ।

राज्य कर पके हुए फल की तरह समय पर ग्रहण किया जाय कच्चे फल की तरह असंतोष बढ़ाने वाले राज्यकरको प्राप्त करने की कोशिश न की जाय ।

९१ प्रकरण । भृत्य भरणीय ।

दुर्ग तथा जनपद की शक्ति के अनुसार भृत्य रखे जाय । उनकी भृति में राजकीय-आय का चौथाई खर्चा किया जाय । भृति इतनी होनी चाहिये कि भृत्य कार्य करने में समर्थ हो सके तथा उनके

शरीर को हानि न पहुंचे। धर्म तथा अर्थ की अवहेलना किसी भी काम में न करे।

ऋत्विग्, आचार्य्य, मन्त्रि, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राज माता तथा राजमहिषी को ४८०० पण वार्षिक भृति मिले। इतनी भृति पाकर वह कभी भी प्रलोभन में न पड़ेंगे तथा असंतुष्ट भी न होंगे।

दौवारिक, आन्तर्वेशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, तथा सन्निधाता को २४०० पण मिले। इतनी तनखाह पाकर यह सदा ही कर्मण्य रहेंगे।

कुमार, कुमार-माता, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद् तथा राष्टान्तपाल, को १२०० पण मिले। इतनी भृति पाकर यह सदा ही स्वामिभक्त बने रहेंगे तथा सेना द्वारा सहायता देने के लिये तत्पर रहेंगे।

श्रेणी-मुख्य, हस्ति-मुख्य, अश्व-मुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेष्टा को ८००० पण वार्षिक भृति मिले। इससे यह अपने वर्ग के लोगों को अपने से कभी भी पृथक् न होने देंगे।

पस्यध्यक्ष, अश्वध्यक्ष, रथध्यक्ष, हस्तपदध्यक्ष द्रव्यपाल, हस्ति पाल तथा वनपाल को ४००० पण मिले।

रथिक, अनीक-चिकित्सक, अश्वदमक, वर्धकि तथा योनि-पोषक को २००० पण मिले।

कार्तान्तिक, नैमित्तिक, मौहूर्त्तिक, पौराणिक, सूत, मागध, पुरो-हित के संपूर्ण पुरुष तथा अध्यक्ष को १००० पण मिले।

शिल्पी, पदाति, संख्यायक, तथा लेखक आदि वर्ग के नौकरों को ५०० पण वार्षिक मिले।

कुशीलवों को ३५० पण, तूर्यकरों [बाजा बजाने वाले] को दुगुना और कारीगरों तथा शिल्पियों को १२० पण मिले।

चतुष्पद-परिचारक, द्विपद-परिचारक, पारिकर्मिक [श्रीमं], उपस्थायिक [साथ रहने वाला], पालक [गोपाल, गोप] † तथा

† पाल का तात्पर्य गोपाल या गोप है। संपूर्ण स्मृतियों में पाल का यही अर्थ दिया है। डाक्टर शामशास्त्री ने शरीर रक्षक (Body Guard) अर्थ किया है। शब्दार्थ को सामने रखते हुए उनका अर्थ कुछ पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

विष्टि बंधक (श्रमी प्राप्त करने वाला) को ६० पण मिले ।

आर्ययुक्त (राजकुमार को खिलाने वाला) आरोहक (घोड़े पर चढ़ाने वाला), माणवक (जादूगर), शैलखनक (खान खुदाने वाला), संपूर्ण सेवक, आचार्य, विद्वान् आदिकों को पुरस्कार (पूजा वेतन) ५०० से १००० तक योग्यतानुसार दिया जाय ।

योजन तक जाने वाले दूत को १० पण और सौ योजन तक जाने वाले दूत को २० पण मिले ।

राजसूयादि यज्ञ में जो काम करें तो उनको साधारण वेतन से तिगुना वेतन मिले । राजा के सारथि को १००० पण मिले ।

कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेस में काम करने वाले गुप्तचर या खुफिया को १०० पण मिले ।

ग्रामभृतक, सत्रि, तोक्षण, रसद तथा मिश्रुकी को ५०० पण मिले । चारसंचारी [चार को इधर उधर भेजनेवाले] को ३०० पण या मेहनत के अनुसार अधिक वेतन मिले ।

सौ वर्ग से हजार वर्ग तक के अध्यक्ष भत्ता तनखाह नियुक्ति तथा बदली [विक्षेप] का प्रबंध करें । राजपरिग्रह [शाहीमहल], दुर्ग तथा राष्ट्र की रक्षा में नियुक्त, सेवकों को बदली न कीजाय । मुख्य [अफसर] लोग स्थिर हों तथा संख्या में बहुत हों ।

जो लोग राजकीय काम करतेहुए मरजाय उनके बालकों तथा स्त्रियों को भत्ता मिले । बालक वृद्ध तथा बीमार लोगों पर अनुग्रह कियाजाय । मृत्युसंस्कार रोग तथा सूतिका संबंधी कामों में इन का धन तथा मान से उपकार कियाजाय ।

राजा के पास यदि नकद धन बहुत न हो [अल्पकोश] तो इनको जांगलिक द्रव्य [कुप्य] खेत और कुछ नगदी देवे । यदि वह उजड़ेहुए स्थान को बसाना चाहे तो नगदी ही देवे । ग्रामके सदृश व्यवहार प्रचलित करने के लिये ग्राम किसी को भी न सुपुर्द करे । जो लोग इनमें से विद्वान् तथा कर्मण्य हों उनको भत्ता तथा वेतन कुछ अधिक दियाजाय । साठपण वेतन पानेवालों को तनखाह के अनुसार अढ़ाईयों में भत्ता मिले ।


पदातियों घोड़ों रथों तथा हाथियों को संधिदिन छोड़कर सूर्योदय के बाद कवायद कराई जाय । राजा उनमें सदा मौजूद

रहे और कभी कभी परेड देखे । शस्त्र तथा आवरण [कवच] आदि राजा की मुहर डालने के बाद ही आयुधगार में प्रविष्ट किये जाय । सरकारी लाइसेन्स [मुद्रा] के बिना कोईभी हथियार लेकर इधर उधर न फिरे । जो हथियार नष्ट हो जाय या खोजाय उसका दुगुना धन उससे वसूल कियाजाय । टूटेहुए हथियारों की गणना की जाय । अन्तपाल व्यापारियोंके हथियारों को अपने पास रखले बशर्ते कि उनके पास हथियार लेकर चलने का लाइसेन्स न हो । चढ़ाई के लिये तैयार होते ही सेना को हथियारदे दे । व्यापारियों के भेस में यात्राकाल [चढ़ाई करने का समय] में फौजों को दुगुने दाम पर रसद दें । इसप्रकार राजकीयपदार्थों का विक्रय होजायगा और तनखाह में दियाहुआ धन पुनः कोश में लौट आवेगा । जो राजा इसदंग पर आय तथा व्ययका प्रबंध करते हैं उनको कोश तथा सेना विषयक विपत्ति नहीं सहनी पड़ती । भत्ता वेतन का प्रबंध इसीप्रकार कियाजाय ।

सत्रि (गुप्तचर), वेश्या, कारीगर, कुशीलव तथा बुढ़े सिपाही आलस्य को दूर फेंककर फौजों की राजभक्ति तथा दिलकी सफाई का ज्ञान प्राप्तकरें ।

६२ प्रकरण ।

राज्यसेवकों का कर्तव्य ।



जो सांसारिक व्यवहार में चतुर हों वह सामर्थ्य [आत्म द्रव्य] तथा प्रभुत्व शक्ति [प्रकृति] युक्त राजा का इष्ट मित्रों के द्वारा सहारा लें । बशर्तेकि वह यह समझे कि मैं सहारा चाहता हूं और यह राजा योग्य आदमियों की तलाश में है तथा इस में सब के सब स्वाभाविक गुण [अभिगामिक गुण] मौजूद हैं । द्रव्य तथा प्रभुत्व शक्ति से हीन राजा का आश्रय लिया जासकता है । जो राजा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत् से रहित हो उसका आश्रय कभी भी न लेना चाहिये । क्योंकि ऐसे राजा नीति शास्त्र की

बातों की कुछ भी पर्वाह नहीं करते और बारंबार तकलीफ में पड़ते हैं यदि इनको बहुत संपत्ति मिल भी जाय तो यह उसको संभाल नहीं सकत। जो आत्म संपन्न हो उसको मौका मिलने पर शास्त्र के अनुसार सलाह दे। यदि राजा सलाह मान ले तो उसका स्थान स्थिर होजाता है। बुद्धि विषयक बातों के सम्बन्ध में जब राजा पूछे तो दरबारियों की कुछ भी पर्वाह न करते हुए वर्तमान तथा भावी के लिये जो धर्म तथा अर्थ युक्त मालूम पड़े उसको कुशल व्यक्ति की तरह स्पष्ट स्पष्ट कहे। जब जब राजा उस से पूछे धर्म तथा अर्थ के विषय में वह उत्तर दे तथा कहे कि—जो राजा शक्तिशाली मित्रों से युक्त हों और देखने में चाहे साधारण ही मालूम पड़ते हों या जिन को बलवान् राजा की सहायता मिल सकती हो उनके प्रति युद्ध न उद्घोषित करो। हमारे पक्ष वृत्ति [आजीविका] तथा गुह्य [गुप्त बात] बात की आप रक्षा करें। मैं आप को काम क्रोध से दंड का प्रयोग करते समय रोक दूंगा। राजा उसको जिस पद पर नियुक्त करे उसी पर काम करे। राजा के पास बैठे और यदि दूर बैठना हो तो दूसरे के आसन पर जा बैठे असभ्य लोगों के सामने झगड़ कर न कहे, झूठ न बोले, कहकहा मार के न हंसे तथा जोर से न खलारे। दूसरे के साथ बात करते हुए बीच में बोल उठना, कान में बात कहना, आपस में बात करना, सादी पांशाक पाहेनकर या सजधजकर जाना, रत्न या तनखाह बढ़ाने के मामले को सामने कहना, एक आंख या ओठ दबाकर या भाँहो चड़ा कर बातें करना, शक्तेशाली व्यक्ति से दुश्मनी करना, स्त्रियों से मिलना जुलना, सामन्तदूत दुश्मनों के साथी कैदी तथा हानि कारक लोगों से मिलना एक साथ रहना तथा गुह्य बनाना छोड़ दे।

इष्ट मित्रों के साथ जाकर राजा को हित की बात बिना देर किये ही कहे। मौका तथा समय पाकर उसको दूसरों के साथ संबंध रखती हुई धर्म तथा अर्थ विषयक बातों की सूचना दें।

पूछने पर प्रिय तथा हित बात कहे। जो बात प्रिय तो हो परंतु हानिकर हो वह न कहे। यदि राजा सुनने तथा मानने के

लिये तैयार हो तो अग्रिय होते हुए भी हितकर बात कह दे।

चुप रहना अच्छा है परन्तु बुरी बात राजा को सुनाना अच्छा नहीं है। इस नियम का ख्याल न करते हुए चालाक से चालाक आदमी भी राजा की आंखों से नीचे उतर जाते हैं और बुरे से बुरे आदमी भी इस नियम का पालन कर राजा की आंखों में चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि राजा की हंसी में तो हंसे परन्तु कह कहा मारकर हंसने से सदा ही दूर रहे। राजा भी घोर हंसी न करे तथा दूसरों के विषय में घोर बात भी न सुने। जिसने उसका अपराध भूल से किया हो उसको क्षमा कर दे। पृथ्वी के सदृश राजा को स्थिर तथा अचल होना चाहिये। राज्य सेवकों को चाहिये कि वह आत्मरक्षा में सदा ही तत्पर रहें। उनका राजा के काम को करना एक प्रकार से आग के साथ खिलवाड़ करना है। आग तो मृत शरीर को या जीवित शरीर के एक भाग को जलाता है। राजा तो स्त्री पुत्र सहित सारे के सारे कुटुंब को कटवा मरवा सकता है।

९३ प्रकरण।

समय का ख्याल रखना।

अमात्य के पद पर नियुक्त होकर खर्चा आदि निकाल कर शुद्ध आमदनी (net income) को देखे। कौन सा कार्य—अन्दुरुनी, बाहरी, गुप्त, प्रकाशित, आवश्यक या उपेक्षा के योग्य है इस बात पर विचार कर और प्रत्येक काम की विशेषता प्रगट करे। यदि राजा शिकार जुआ या औरत के फेर में पड़ गया हो तो उस के पीछे पीछे चलता जाय। खुशामद तथा प्रशंसा कर कर के उस के पास पहुंचे और किसी तरह से उसको व्यसनों के फंदों से बचाने की कोशिश करे। शत्रुओं के षड्यंत्र धोखे तथा जाल के कामों में फंसने से उसको बचावे। उसके हाव भाव को ध्यान से देखता रहे। काम, द्वेष, हर्ष, दैन्य, भय, परस्पर प्रतिद्वन्द्वी विचार, आदिकों का हाव भाव से ज्ञान होजाता है। यदि राजा खुश हो तो

वह—दूसरे की बुद्धिमत्ता सुनकर खुश होजाता है। जो बात कही जाय उसको ग्रहण करना है। आते ही आसन देता है। आंख खोलकर देखता है। शंका के स्थान में भी किसी प्रकार की शंका नहीं करता। खुशी खुशी बात करता है। नई बात सुनने की प्रतीक्षा करता है। भली सलाह मान लेता है। हंस कर आश्वासन देता है। हाथ से पुर्चकार देता है। पूज्य लोगों की हंसी नहीं उड़ाता है। पीछे से प्रशंसा करता है। भोजन करते समय याद करता है। साथ सैर करने को जाता है। कष्ट में सलाह लेता है। उसमें साथियों की इज्जत करता है। गुप्त बात बताता है। विशेष रूपसे इज्जत करता है। धन देता है। अनर्थ को दूर करता है। इससे विपरीत नाराजगी में हाता है। दृष्टान्त स्वरूप—देखते ही गुस्सा करने लगता है। बात नहीं सुनता तथा बात कहने से रोक देता है। आंख उठाकर नहीं देखता तथा आसन नहीं देता। दूसरे आवाज में है। एक आंख से देखता है या भुजों को चढ़ा लेता है। अस्थान में स्वेद, श्वास, मुस्कराहट प्रगट करता है। अन्दर अन्दर बुढ़ बुढ़ाने लगता है। एकदमसे उठकर चल देता है। शरीर या जमीन को खुरचने लगता है। दूसरों को तंग करता है। विद्या वर्ण तथा देश की निन्दा करता है। समान दोषवाले साथी की बुराई, भिन्न दोष वाले व्यक्ति का उपहास, बुराई की प्रशंसा, अच्छे काम की ओर न ध्यान देना, बुरे कामको याद दिलाना, आयेहुए पर ध्यान न देना, बेपरवाही, झूठ बोलना, दर्शकों की बात न सुनना आदि बातों को करता है। आमात्य को चाहिये कि वह पशुओं के हावभाव को भी ध्यान से देखते रहे। कात्यायन “यद्वा तो बड़े ऊँचे से सींच रहा है” कणिकभरद्वाज “क्रोच वाई ओर उड़गया” चारायण “तिनका लंबा है” घोटमुख “साढ़ी या धोती ठंडीपड़गयी” किजल्क “हाथी उपर पानीडाल रहा है” पिशुन “रथ तथा घोड़ा अच्छा है” और पिशुनपुत्र “पर्दे में कुत्ते हैं” इत्यादि वाक्यों के द्वारा राजा को उचित कामपर प्रेरित करने के लिये सलाह देते हैं। यदि राजा अर्थ तथा मान से इज्जत न करे तो उसका परित्याग कर दिया जाय। राजाके स्वभाव तथा अपने दोष को देखकर वह अपने दोष को दूर करे और किसी मित्र राजा का सहारा ले।

वहाँ पर रहता हुआ अपने पुराने स्वामी के दोषों को मित्रों के द्वारा दूर करने का यत्न करे। इसके बाद स्वामी के जीते हुए ही या मर जाने पर स्वदेश में पुनः लौट आवे।

९४ तथा ९५ प्रकरण।

राज्य का प्रबंध तथा एकैश्वर्य।

अमात्य राजा पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे। राजा की मृत्यु होजाने की संभावना होते ही मित्र तथा हितैषी लोगों की सलाह से वह दर्शक लोगों को महीना दो महीना बाद राजा के दर्शन करवाये। आज कल राजा 'देश पीड़ा को दूर करने वाले, आयु बढ़ाने वाले, पुत्र देने वाले कामों को करता है' यह बहाना बनाकर आवश्यक समयों में प्रजा को राजा का भेस बनाये हुए किसी दूसरे व्यक्ति का दर्शन करवादे। मित्र, शत्रु तथा दूतों के साथ भी इसी चाल को चला जाय। अमात्य ही उनके साथ यथोचित बात चीत करे। अमात्य के द्वारा ही वह राजा को सूचना पहुंचा सके। दौवारिकों तथा अन्तर्वेशिकों (अन्तपुर का रक्षक) के द्वारा राजा की आज्ञाओं की सूचना दे। हानिकारक लोगों के प्रति प्रसन्नता या नाराजगी अप्रत्यक्षरूप से प्रगट की जाय। कई लोगों का मत है कि अपकार करने वालों के प्रति प्रसन्नता ही दिखाई जाय। कोश तथा सेना का प्रबंध बहुत ही अधिक विश्वास योग्य व्यक्तियों के हाथ में दिया जाय और उनको दुर्ग या सीमा प्रदेश पर सुरक्षित रूप से रक्खा जाय। उन ही के समान राजकुमारों तथा मुखियों के साथ भी बहाना बनाया जाय। दुर्ग तथा जंगल का मुखिया और बहुत से पक्ष वाले लोगों का नेता जो कोई सदीर हो उसको आक्रमण मित्रकुल या बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिये भेज दिया जाय। जिस किसी सामन्त से खतरा हो उसको उत्सव, विवाह, हाथी पकड़ना, घोड़ा जमीन तथा माल देना आदिक कामों में फंसादे। उसकी संधि अपने किसी विश्वासीय मित्र के साथ करादे या उसको जंगली राजाओं या दुश्मनों से

से लड़ावे । उसी के समान शक्तिशाली तथा बंधुए के रूप में रखे कुलीनों को जर्मीदारी देकर छोड़ दे । कुलों में साधारण राजपुत्रों तथा मुखियों को साथ लेकर राजकुमार के युवराज्याभिषेक संस्कार का प्रबंध करे । न्यायाधोशों तथा दांडिकों के सहारे राजा के दुश्मनों को पकड़ कर राज्य में शान्ति स्थापित करे । यदि सामन्तादिकों में से कोई भी मुखिया राजा के विरुद्ध उठ खड़ा हो तो "आइये हम आपको ही राजा बना देते हैं" यह कहकर उस को बुलावे तथा पकड़ कर मरवावे । या उसको राष्ट्रो आपत्तियों के दूर करने पर नियुक्त करे । क्रमशः युवराज पर राज्य का भार डालकर राजा की बीमारी का हाल उस पर प्रगट करे । यह तो हुई घरेलू नीति । विदेशी नीति तो यह होनी चाहिये राजा विषयक विपत्ति के पड़ते ही दिखावे में दुश्मन बने हुए किसी घने दोस्त की सन्धि शत्रु के साथ करवादी जाय । शत्रु के दुर्ग में उस के सामन्तों को किसी तरीके से बसावे । राजकुमार का अभिषेक संस्कार करे तथा उसके बाद उसके साथ शगड़े । यदि शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण करे तो उसका यथोचित उपाय करे । कौटिल्य का मत है कि अमात्य उपरिलिखित प्रकार राजा की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करे परन्तु भारद्वाज इस युक्ति के पक्ष में नहीं है उनका मत है कि राजा के बीमार पड़ते ही या मरने का भय होते ही कुलों में राजकुमारों तथा मुखियों को आपस में लड़ावे और फिर उनको क्रमशः प्रजा में गदर करवाकर मरवा दे । या कुलीनों कुमारों तथा मुखियों को चुपे से मरवा कर राज्य को स्वयम् संभाल बैठे । राज्य ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी खातिर पिता पुत्र का और पुत्र पिता का दुश्मन हो जाता है राजा की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति को काम में लाने वाले अमात्य का तो कहना ही क्या है ? मुंह में आये गिरास को कौन छोड़ता है ? जो आई हुई लक्ष्मी को छोड़ दे तो लक्ष्मी उस से नाराज होजाती है यह एक लोक प्रवाद है ।

मौके की तक में बैठे हुए मनुष्य को एक बार ही मौका मिलता है । यदि वह फिर मौका ढूँढ़े तो मौका उसके हाथ में नहीं आता ।

परन्तु कौटिल्य को भारद्वाज की बात नहीं पसंद है । उसका विचार है कि लोगों में गदर करवाकर किसी को मरवाना पापकाम

है और यह कोई नियम भी तो नहीं है कि लोग अवश्य ही गदर कर देंगे। इससे तो अच्छा यह है कि अमात्य के गुण से युक्त राज्यकुमार को राज गद्दी पर बैठावे। यदि कोई भी राजकुमार राज्यकार्य के लिये समर्थ न हो तो किसी भोगविलासप्रिय राजकुमार, राजकन्या, या गर्भिणी रानी को आगे करके महामात्र लोगों के गुट्ट को कहे कि "यह तो मारला है। अपने घराने की ओर तथा पिता की ओर देखिये। यह तो एकमात्र बहाना है, असली में तो आप ही लोग मालिक हैं। आप ही बतावें कि इस मामले में क्या किया जाय?"। इस प्रश्न पर साथ के लोग उसी समय कहें कि "राजा तथा आप लोगों के सिवाय चारों वर्णों के लोगों की रक्षा करने में कौन समर्थ हो सकता है।" इस प्रकार अमात्य राजकुमार, राजकन्या तथा गर्भिणी रानी के हाथ में राज्य की बागडोर सुपुर्द करे। बन्धुओं, संबंधियों, मित्रों तथा शत्रुओं को भी यही दिखावें। अमात्यों तथा आयुधीयों [फौजी लोगों] का भत्ता बढ़ा दिया जाय। "राजकुमार बड़े होने पर आप लोगों का भत्ता और भी अधिक बढ़ा देगा" इस प्रकार उनको सांत्वना दीजाय। दुर्ग तथा राष्ट्र के मुखियों को भी इसी प्रकार की बात कही जाय। मित्र तथा अमित्र पक्ष के लोगों को भी इसी ढंग से समझाया जाय। राजकुमार की शिक्षा में विशेष रूप से यत्न किया जाय। यदि वह लड़की हो तो सजातीय व्यक्ति से बच्चा पैदा करवा कर उसको राज्य पर बैठाया जाय। माता के चित्त में क्षोभ न हो इसके लिये समान गुणवाले, खूबसूरत, लड़के को उसके प्रतिनिधि के रूपमें उसके पास रखदे। मालिकधर्म के दिनों में राजकन्या की विशेष रूप से रक्षा की जाय। अमात्य अपने लिये किसी प्रकार का भी भोगविलास का सामान न करे और न वह सज-धज के साथ ही रहे। राजा के लिये गाड़ी घोड़ा गहना स्त्री महल आदि सामग्रियों का प्रबंध करे।

जब राज कुमार जवान होजाय तो अमात्य उसको प्रसन्न देख कर उसकी सेवा करते रहें और यदि उसको अप्रसन्न देखे तो उसको छोड़दे और रानी को खुफिया पुलिस के लोगों तथा राज

कुमार की रक्षा के तरीकों से सूचित कर जंगल में चला जाय या किसी एक बड़े यह को प्रारंभ करवावे । या मुखियों के वश में आये हुए राजकुमार को इतिहास तथा पुराण के दृष्टान्तों के द्वारा उसके प्रिय लोगों के साथ जाकर अर्थशास्त्र की शिक्षा दे । या सिद्ध के भेस में योगी का रूप धारण कर राजकुमार को अपने काबू में करे तथा बदमाश लोगों को पकड़व कर दंड दिलवाये ।

६ अधिकरण ।

मंडलयोनि ।

६६ प्रकरण

प्रकृति के गुण ।

१ स्वामी, २ अमात्य, ३ जनपद, ४ दुर्ग, ५ कोश, ६ दंड तथा ७ मित्र यह प्रकृति [प्रभुत्व शक्ति] नाम से पुकारे जाते हैं ।

१. स्वामि के गुण । महाकुलीन [ऊँचे खांदान का], दैवबुद्धि (बहुत ही अधिक बुद्धिवाला), प्रभावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, एक बात कहने वाला, कृतज्ञ, उच्च उद्देश्यवाला (स्थूललक्ष), बड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला (अर्दीर्घ सूत्र), सामंतों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय, योग्य योग्य मन्त्रियों से भरा दरबार करनेवाला तथा शिक्षा का इच्छुक आदि स्वाभाविक गुण हैं । शुश्रूषा (जानने की इच्छा) अवण, ग्रहण धारण (याद करना) विज्ञान (पूर्णरूपसे समझ लेना), तर्क चित्तर्क, परिणाम पर पंडुंचना आदि बुद्धि के गुण हैं । शौर्य (शूरीरत्व), अमर्ष (दृढ़ निश्चय होना), शीघ्रता, चतुरता आदि उत्साह के गुण माने जाते हैं । प्रज्ञा (बुद्धि), प्रगल्भ, स्मृति, मति (समझ), बल, संपूर्ण विद्याओं में चतुर्य, प्रभाव संयमी, कृतशिल्प, तकलीफ में

प्रकृत्युक्त
मति

मार्ग निकालना, अदृष्ट का प्रतीकार करना, बदलेमें दंड तथा अनुग्रह करने में समर्थ, दीर्घदर्शी, देश काल से लाभ उठाना, पुरुषार्थ, कार्यप्रधान, संधि विग्रह तथा त्याग में समर्थ, संयमी, दूसरे के दोषों से लाभ उठाना, गुप्त बात को गुप्त रखते हुए भी दूसरे की हंसी उड़ाना तथा अपनी तेजस्विताको न खोना, भीषे न चढ़ाना, काम क्रोध लोभ स्तम्भ चपलता उपताप [पौष्पात्ताप] चुगली आदि से हीन, समर्थ, मुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगों के द्वारा रीतिरिवाज को जानना आदि आत्मशक्ति के गुण समझे जाते हैं।

२. अमात्य के गुणों पर पहिले बीच में तथा आगे प्रकाश डाला जा चुका है।

३. जनपद विस्तृत स्थानवान, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों को सहायता देने में समर्थ, सुरक्षित, उत्पादक [आजीन], शत्रुद्वेषी, शक्यसामन्त (जिसका सामंत या जमींदार शक्तिशाली हो), कीचड़ पत्थर ऊसर ऊंची नीची जमीन कांटे शेर मृग तथा जंगल से रहित, खूबसूरत, खेती खान लकड़ी तथा हाथी के जंगलोंसे युक्त, गोप्रधान, पुरुषप्रधान, जिसकी गोचरभूमि सुरक्षित हो, पशुयुक्त, नहर तालाब या कुंये के पानीसे सींचाजाने वाला, जलीय तथा स्थलीय मार्ग से युक्त, सार, चित्र तथा नानाविध पर्यों से युक्त, दंड तथा कर देने में समर्थ, जिसमें मेहनती किसान हो तथा स्वामी मूर्ख न हों, नीच जातके लोग जादा हों तथा मनुष्य धर्मिष्ठ तथा राजभक्त हों—यह सब जनपद के गुण हैं।

४. दुर्ग। दुर्ग के गुणों पर पूर्वमें प्रकाश डाला जा चुका है।

५. कोश। कोश या खजाना वही उत्तम है जिसमें पूर्वजों का या अपना धर्म से कमाया सोना हो तथा बड़े बड़े नानाप्रकार के हीरे हों और जो कि बड़ी बड़ी विपत्ति को सुगमता से सहसके।

६. दंड। उत्तम सैनिक वही हैं जो कि पितृ पितामह के समय से चले आये हों, स्थिर रूप से नौकर हों, स्वामी की आज्ञा के

अनुसार चलते हों, जिसके लड़के तथा स्त्री संतुष्ट हों, बाहर रहते हुए भी एक लक्ष्य रहते हों, जहां कहीं वहां जाने के लिये तैयार हों, दुःख सहने के लिये तैयार हों, बहुत से युद्ध लड़ चुके हों, लड़ाई के सबके सब हथियार चला सकते हों, राजा की समृद्धि तथा हास में भाग लेने वाले हों, उसकी गलतियों में गलती न करने वाले हों तथा जिनमें क्षत्रियों की संख्या अधिक हो ।

७. मित्र । दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पितृ पितामह के समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हों, वश में रहते हों, तथा आसानी से ही लड़ाई के लिये भारी तैयारी कर सकते हों । दुश्मन वही अच्छे हैं जिनके अपने राज्य में अराजकता हो, दरबार भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंतुष्ट हों, अन्याय करते हों, व्यसनों में फंसे हों, निरुत्साही तथा भाग्य पर भरोसा रखते हों, वे समझे वृक्ष काम करते हों, और जो कि निस्सहाय नपुंसक तथा हानिकार हों । ऐसे दुश्मन क्षण में ही आसानी के साथ नष्ट किये जा सकते हैं ।

शत्रु को छोड़कर गुण युक्त उपरिलिखित सातों प्रकृतियां राजा के अंग के तुल्य हैं । जो राजा इन्द्रियों को वश में रखने के कारण बुद्धिमान् तथा आत्मवान् (समर्थ) होता है वह दरिद्र से दरिद्र तथा असंपन्न (असमर्थ या असमृद्ध) प्रकृति को समृद्ध तथा संपन्न बना देता है । इससे विपरीत अनात्मवान् तथा असंयमी राजा समृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृति को भी नष्ट कर देता है । चारों दिशाओं का स्वामी होकर भी दुष्टप्रकृति तथा अनात्मवान् राजा शत्रुओं के पंजे में फंस जाता है या प्रकृतियां स्वयं ही उसका नाश कर देती हैं । छोटी से छोटी भूमि का भी आत्मवान् तथा नीतिनिपुण राजा प्रकृति रूपी संपत्ति से युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होजाता है और कभी भी हास को नहीं प्राप्त करता ।

✕ ६३ प्रकरण ।

शान्ति तथा उद्योग ।

प्रजा की समृद्धि शान्ति तथा उद्योग पर निर्भर है। शुरु किये हुए कामों से फल प्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग [व्यायाम] है। उत्पन्न फल के उपभोग में विघ्नों के न होने का नाम ही शान्ति [शम] है। राजा की छः प्रकार की नीति से शान्ति तथा उद्योग बढ़ता है ✕ क्षय स्थान तथा वृद्धि यह तीन ही क्रम हैं। इन के मनुष्य सम्बन्धी १ नय २ तथा अपनय और दैव सम्बन्धी ३ अय ४ तथा अनय यह चार कारण हैं। दैवी तथा मानुष काम सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं। दैवी से तात्पर्य अदृष्ट फल और मानुष से तात्पर्य दृष्ट फल से है। यदि वह अदृष्ट फल है तो उस को अय कहते हैं। इसी प्रकार समृद्धि को बढ़ाने वाले मानुष काम को नय नाम दिया जाता है। इस से विपरीत को अनय तथा अपनय समझना चाहिये। मानुष काम सोचे जा सकते हैं परन्तु दैवी कामों में यह बात नहीं है।

विजिगीषु [जीतने की इच्छा वाला। जीतने में समर्थ] राजा वही है जो कि गुणी शक्तिसम्पन्न तथा प्रभुत्वशक्ति से युक्त हो। उसके चारों ओर कुछ २ दूरी पर जो राजा हों उनको अरिप्रकृति [दुश्मन] समझना चाहिये। इसी प्रकार पड़ोस में रहने वाले राजा मित्र प्रकृति [दोस्त] भी होते हैं। शत्रु के गुणों से युक्त यदि कोई सामंत है तो उसको शत्रु ही मानना चाहिये। यदि यह व्यसनों में लीन हो तो उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिये। यदि वह दुर्बल तथा सहायता से रहित हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिये। इससे विपरीत दशा में उसको तकलीफ देना चाहिये तथा उस से धन निचोड़ना चाहिये। यह तो हुए शत्रुओं के भेद। अब मित्रों के विषय में प्रकाश डाला जायगा।

विजिगीषु के सामने मित्र, अरि-मित्र (दुश्मन का दोस्त), मित्र-मित्र (विजिगीषु के मित्र का मित्र) तथा अरिमित्र-मित्र

(दुश्मन के मित्र का मित्र) प्रायः होते हैं। विजिगीषु के पीछे पार्ष्णिग्राह (पीठ पर का दुश्मन) आक्रन्द (पीठ पर का दोस्त) पार्ष्णिग्राहासार (पार्ष्णिग्राह का मित्र) तथा आक्रन्दासार (आक्रन्द का दोस्त) होते हैं। विजिगीषु की सीमा के साथ सदे, समान कुल वाले, तथा स्वभाव से ही दुश्मन राजा को सहज और जो दूसरों को उसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको कृत्रिम कहते हैं। इसी प्रकार उसकी सीमा से जुड़े, रिश्तेदार तथा स्वभाव से ही मित्र राजा को सहज तथा जो धन जीवन के हेतु से मित्र बन गया हो उसको कृत्रिम समझना चाहिये। शान्ति तथा युद्ध के समय में निग्रह (रोकना) तथा अनुग्रह में समर्थ, अरि तथा विजिगीषु के मध्य में स्थित राजा को मध्यम और जो शक्तिशाली, निग्रह तथा अनुग्रह से समर्थ, तथा दूर के राष्ट्र का राजा हो उसको उदासीन कहते हैं। विजिगीषु, मित्र, मित्र-मित्र यह तीनों प्रकृतियां (शक्तियां) अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा प्रकृति (प्रजा) के साथ मिलकर १८ प्रकृतियों का एक संघ बनाती है जिसको मंडल नाम से पुकारते हैं। अरि, मध्यम तथा उदासीनों के मंडलों का क्रम भी इसी प्रकार है। संक्षेप से मंडल चार, राजा की प्रकृतियां बारह और द्रव्य प्रकृतियां (प्रभुत्व शक्ति) साठ और इनका कुलयोग बहत्तर होता है। इनके शक्ति तथा सिद्धि दो भेद हैं। शक्ति से तात्पर्य्य सुख का और सिद्धि से तात्पर्य्य सुख का है। शक्ति—मंत्रशक्ति, प्रभुशक्ति तथा उत्साह शक्ति के भेद से तीन प्रकार की है। ज्ञान बल का नाम मंत्र शक्ति, कोश तथा सेना के बल का नाम प्रभु शक्ति, और चढ़ाई तथा युद्ध करने की शक्ति का नाम उत्साह शक्ति है। इसी प्रकार सिद्धि—मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि तथा उत्साहसिद्धि के भेद से तीन प्रकार की है। मन्त्र शक्ति से सिद्ध होने वाले, मंत्रसिद्धि, प्रभुशक्ति से

सिद्धहोने वाली प्रभु सिद्धि तथा उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली उत्साह सिद्धि है। इन शक्तियों से युक्त राजा शक्तिशाली होता है। जिसके पास यह शक्तियां न हों वह कमजोर होता है। जिसके पास कुछ शक्तियां हों और कुछ न हों उसको समानशक्ति [सम] समझा जाता है। इसलिये राजा को चाहिये कि वह शक्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने का पूर्णरूप से उद्योग करे। यदि किसी कारण से उसकी प्रभुत्वशक्ति (द्रव्यप्रकृति) साधारण है तो वह अपने गुणों से या अपने दुश्मनों के दुश्मनों तथा विरोधियों से दोस्ती करले। यदि वह यह समझे कि—मेरा दुश्मन शक्तियुक्त होते हुए भी समयान्तर में कठोर बात, पारुष्य दंड, अर्धद्रुषण (रुपया आदि प्रजा से जबरन लेना) आदिकों से अपनी शक्ति खो बैठेगा, सिद्धियुक्त होता हुआ भी शिकार जुआ शराब तथा स्त्री के फेर में पड़कर प्रमाद करने लगेगा, प्रभुत्वशक्ति से हीन या प्रमत्त होने के बाद उसका जीतना सुगम हो जायगा, उसके मित्र के दुर्ग यदि उसके पास न रहें तो संपूर्ण सेना के होते हुए भी वह जीता जा सकेगा, 'अनुक्त बलवान् राजा दूसरे शत्रु के साथ लड़ रहा है' यदि उसको सहायता दी जाय तो जीतने के बाद वह मेरी भी सहायता करेगा, आगे चलकर मुझ को मध्यम राजा होने का मौका मिलेगा—तो वह शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ते दे।

अपने मित्र के राष्ट्र के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ावे और उनका अपने आप को नेता या केन्द्र बतावे। नेता या मित्र के बीच में पड़ा शत्रु नष्ट कर देना चाहिये या उसको शक्तिरहित कर देना चाहिये नहीं तो समयान्तर में वह शक्तिशाली हो सकता है।

७ अधिकरण ।

पाङ्गुण्य ।

९८ तथा ९९ प्रकरण ।

पाङ्गुण्य का उद्देश तथा छय, स्थान तथा वृद्धि ।

प्रकृति मंडल [राष्ट्र-संघ] पर ही पाङ्गुण्य निर्भर है । पुराने आचार्य्य १ संधि २ विग्रह ३ आसन ४ यान ५ संश्रय तथा ६ द्वैधी भाव को ही पाङ्गुण्य [६. प्रकार की राजनीति] मानते हैं । वातव्याधि सन्धि तथा विग्रह को ही मुख्य समझते हैं और शेष बातों को इन्हीं के अर्तगत करते हैं । कौटिल्य अवस्थाभेद से पाङ्गुण्य ही मानता है । इनमें—शत्रों के साथ शान्ति संधि, हानिकारक उपायों को प्रत्यक्ष रूप से करना विग्रह, उपेक्षा करना आसन, चढ़ाई करना यान, दूसरे का सहारा लेना संश्रय तथा एक से लड़ना और दूसरे के साथ संधि करना द्वैधीभाव कहाता है । यदि शत्रु से कमजोर हो तो संधि करे, लड़ाई के लिये तैयार हो तो विग्रह करे, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में असमर्थ हो तो उदासीन रहे [आसन धारण करे], यदि समर्थ अधिक हो तो चढ़ाई [यान] करे, यदि कमजोर हो तो सहारा [संश्रय] ले और यदि सहायता से साध्य हो तो द्वैधीभाव [दुतरफी चाल] को धारण करे । इसी को छः प्रकार की नीति कहते हैं ।

1. इन नीतियों में से बुद्धिमान राजा उसी का सहारा लेता है जिससे वह—दुर्ग, सेतुकर्म वणिक्पथ [व्यापारीय मार्ग] शून्य निवेशन [उपनिवेश बसाना], खान, जंगल, हस्तिवन (हाथी का जंगल) तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नये काम शुरू करने की आशा रखता हो या शत्रु के इन्हीं कामों तथा चीजों को नष्ट करना चाहता हो । इस प्रकार अपनी बढ़ती को सामने

रखकर अवलंबन की गई नीति को वृद्धि कहा जाता है। जो समझे कि मेरी वृद्धि शांति होने वाली या होरही है और शत्रु का मामला इससे विपरीत है वह शत्रु की वृद्धि की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की वृद्धि समकालीन तथा एक सदृश समझे तो संधि करले।

II. जिस नीति के अवलंबन करने से राजा को स्वयं नुकसान पहुंचे और शत्रु के साथ यह बात न हो, उस नीति को राजा छोड़ दे। इसी को क्षय कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ उसका नुकसान घटता जायगा और शत्रु का बढ़ता जायगा वह क्षय की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की हानि समकालीन तथा एक सदृश समझे तो संधि करले।

III. यदि किसी नीति के अवलंबन करने में राजा वृद्धि या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे। इसी को स्थान कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ साथ मेरी वृद्धि होती जायगी और शत्रु की हानि, वह स्थान या स्थिर रहने की नीति की उपेक्षा करे। यदि वह अपनी तथा शत्रु की स्थिति [स्थान] एक सदृश समझे तो संधि करले। कौटिल्य कहता है कि इस के सिवाय और दूसरा उपाय ही क्या है?

यदि वह यह देखे कि—मैं अत्यंत अधिक उत्पादक कामों को करके शत्रु के कामों को नष्ट करदूंगा—अग्ने या पराये उत्पादक कामों का फल पाऊंगा—घातक प्रयोगों को करने वाले गुप्तचरों से शत्रु के कामों को बिगाड़ दूंगा—अनुग्रह तथा परिहार (राज्य कर से मुक्ति) सम्बन्धी सुझाव देकर या अधिक लाभ युक्त कामों को प्रारम्भ कर शत्रु के देश के मेहनती मजदूरों तथा आदिमियों को अपनी ओर खींच लूंगा—मेरा शत्रु अतिशयवली राजा के साथ मिल कर अपने काम को नुकसान पहुंचा लेगा—जिसेक साथ लड़कर यह मुझ से सन्धि कर रहा है उस के साथ इसकी लड़ाई बहुत ही अधिक बढ़ावा दूंगा—मेरे साथ इसकी सन्धि होते ही मेरे दुश्मन इस के जनपद को उजाड़ देंगे—शत्रु से तंग कर इस के

जनपद के लोग भरे यहां आजायंगे—मेरे कामों की वृद्धि होगी—तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्ते में कांटे न बोयेगा—दूसरे से मिलकर काम शुरू करने के बाद मेरे काम उन्नत होजायंगे—शत्रुओं से सन्धि कर शत्रु से घिरे मंडल को क्षिप्त भिन्न करदुंगा तथा एक एक कर उनको जीत लूंगा—सेना से शत्रु को सहायता देकर मंडल प्राप्त करने के लिये उसको उत्साहित करूंगा और इसप्रकार उसको मंडल से लड़ावंगा तथा पल में मार डालूंगा—तो सन्धि से अपनी वृद्धि देखकर संधि करके बैठ जाय ।

यदि वह देखे कि—मेरे जनपद में श्रेणी में संगठित लोगों की बहुसंख्या है या फौजी लोग ही विशेष रूप से रहते हैं—पर्वत वन नदी सम्बन्धी दुर्गों से मेरे जनपद के संपूर्ण मार्ग सुरक्षित हैं—मैं अकेला ही शत्रु के आक्रमण को संभाल सकता हूं—राष्ट्र की सीमा पर बने हुए अविजेय दुर्ग में रहकर मैं दूसरे के कामों को नष्ट कर सकता हूं—व्यसन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होकर शत्रु का काम शीघ्र ही बिगड़ जायगा या—दूसरे के साथ लड़ाई में फंसे ही शत्रु के जनपद निवासियों को भगा लूंगा—तो युद्ध उद्घोषित करके अपनी वृद्धि को करे ।

यदि यह समझे कि—शत्रु मेरे काम को बिगाड़ने में असमर्थ है । न मैं ही उसके काम को बिगाड़ सकता हूं—कुत्ते सुअर की लड़ाई की तरह इसकी विपत्ति है—अपना काम करते रहने से शान्ति अधिक बढ़ जायगी—तो आसन (उदासीनता) के द्वारा अपनी वृद्धि करे ।

यदि यह समझे कि—शत्रु का काम चढ़ाई करने पर ही बिगड़ सकता है । मैंने अपने कामों की रक्षा पूर्ण रूप से कर ली है—तो यान (चढ़ाई करना) के द्वारा अपनी वृद्धि करे ।

यदि यह समझे कि—मैं शत्रु के काम को नहीं बिगाड़ सकता हूं या अपने काम को नहीं बचा सकता हूं—तो बलवान् राजा का आश्रय लेकर अपने काम को क्षय [हास] से स्थिर और स्थिर हो जाने के बाद बढ़ावे ।

यदि वह देखे कि—एक ओर संधि करके अपने कामों को करूँगा और दूसरी ओर युद्ध करके दूसरे के कामों को नष्ट करूँगा—तो द्वैधीभाव [दोहरी चाल] के द्वारा अपनी वृद्धि करे।

इस प्रकार प्रकृतियों के मंडल में स्थित होकर राजा पाङ्गुण्य [छः प्रकार की राजनीति] से अपने कामों को नष्ट होने से बचाकर स्थिर होजाने के बाद बढ़ावे।

१०० प्रकरण ।

संश्रयवृत्ति । *

यदि विजिगीषु सन्धि तथा विग्रह से एक सदृश लाभ देखे तो संधि को ही करे। विग्रह में क्षय व्यय प्रवास तथा विघ्न आदि उपस्थित हो जाते हैं। आसन तथा यान में आसन ही उत्तम है। द्वैधीभाव तथा संश्रय में द्वैधीभाव का अवलंबन करे। द्वैधीभाव में इच्छानुसार काम हो सकने से अपना ही लाभ रहता है। संश्रय में अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता है। पड़ोसी जितनी ताकत का हो उससे अधिक ताकत वाले उसके शत्रु का सहारा ले यदि ऐसा शत्रु पड़ोस में नहो तो शत्रु के पड़ोस में रहने वाले तथा उसके समान शक्ति वाले किसी दूसरी राजा का कोश दंड [सैन्य] भूमि आदियों में से किसी एक चीज से उपकार कर चुपे चुपे आश्रय ग्रहण करे। (दुर्बल राजाओं के लिये) विशिष्ट बल वाले राजा के साथ मैत्री करने से बढ़कर और कोई भयंकर बात नहीं है बशर्त कि वह किसी शत्रु के हाथमें न पड़ने वाले हों। शक्तिहीन राजा प्रबल राजा के साथ विजयी के सदृश व्यवहार रखे। जब वह उसको किसी ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ समझे जिसमें उसके जान जाने का खतरा हो या उसको बीमारी ने आघेरा हो या गदर की संभावना हो या शत्रु प्रबल होगया हो या मित्र पर विपत्ति पड़ी हो और इससे अपना लाभ देखना हो तो बीमारी धर्म काम आदिका

* संश्रय-वृत्ति का तात्पर्य आश्रय ग्रहण विषयक नीति में वृत्ति से है।

बहाना बना कर उसके दरबार को छोड़ दे और यदि अपने देश में हो तो इधर उधर न जाय । उसके पास रहते हुए उसकी कमजोरियों से लाभ उठावे । दो बलवान् राजाओं के बीच में पड़कर उसी का आश्रय ले जो कि उस को बचाने में समर्थ हो या जिस पर वह विश्वास कर सकता हो या दोनों से समानरूप में मेल जोल रखे । दोनों को यह कहकर भड़कावे कि अमुक का धन फजूल ही खर्च किया है । मौका पड़ने पर दोनों को आपस में फाड़दे और इसके बाद चुप्पे से मरवादे । दो बलवान् राजाओं के पास होनेपर उनहीं के सहारे पड़ोसी दुश्मन से अपने आप को बचावे । यदि पास किला हो तो द्वैधाभाव की नीति से काम ले । संधि विग्रह [आक्रमण] विषयक उपायों से क्रमशः यत्न करे । बागियों दुश्मनों तथा जांगलियों में किसी ऐसे से दोस्ती कर ले । धीरे धीरे दोनोंमें से एक का विशेषरूप से दोस्त बने और विपत्ति पड़ते ही दूसरे को खतम करेदे । या दोनों के साथ दोस्ती बनाये हुए मंडल, मध्यम या उदासीन का आश्रय ग्रहण करे । उन में भी एक से मिल कर दूसरे को या दोनों को ही नष्ट कर दे । यदि दोनों ही मिल कर उस पर आक्रमण करें तो किसी ऐसे राजा का आश्रय ले जो कि मध्यम या उदासीन हो । या इनके पक्ष वालों में जो न्यायबुद्धि हो । यदि इनमें से दो राजा एक सहश मालूम पड़ें तो उसका आश्रय ग्रहण करें जिसकी प्रकृति इस को सुख देने के लिये तैयार हो या जहां पर रहता हुआ अपना उद्धार करना सुगम समझे या जिन के साथ बापदादों का घनिष्ठ सम्बन्ध हो या जहां पर बहुत से शक्तिशाली मित्रों के मिलने की संभावना हो ।

आश्रयसम्बन्धी नीति में मुख्य बात यही है कि दो राजाओं में जो अपना हितैषी हो और अपने को प्रिय मालूम पड़ता हो उसी का आश्रय ग्रहण करे ।

१०१-१०२-प्रकरण ।

सम हीन तथा ज्याय के गुण और हीनकी संधि ।

विजिगीषु शक्ति के अनुसार पाङ्गुण्य का प्रयोग करे । सम तथा ज्याय [अपने से प्रबल] से संधि करे । हीन से विग्रह (युद्ध) करे । ज्याय से विग्रह पैरों खड़े होकर हाथीपर चढ़ेहुए व्यक्ति के साथ युद्ध करने के तुल्य है । सम (समान शक्ति वाला) का सम से विग्रह कच्चे बर्तन के कच्चे बर्तन से टकराने की तरह दोनों को ही नष्ट करता है । घड़ेपर पत्थर मारनेकी तरह विजिगीषु हीन से लड़कर सफलता प्राप्त करता है । यदि आप संधि न चाहें तो उससे युद्ध के लिये तैय्यार हो या शक्तिहीन के लिये जो बात उपयोगी हो उसको काम में लावे । यदि सम संधि न चाहे तो वह जितना अपकार करे उतना ही उसका अपकार करे । तेजही संधि का कारण है । लोहा तपे बिना लोहे से नहीं जुड़ता । यदि हीन नम्र हो तो उससे संधि करे । क्यों कि अकारण कष्ट देने से यदि वह भड़क उठा तो जांगलिक आग की तरह बुझाये न बुझेगा । मंडलभी उसीपर अनुग्रह करेगा । यदि यह देखे कि दूसरेकी प्रकृति लोभी क्षीण तथा असदाचारी हैं और बुलालेने के भयसे मेरी ओर नहीं आते तो हीन होकर भी संधिका ख्याल न करे और युद्ध उद्धोषित करदे । यदि यह देखे कि शत्रुकी प्रकृति लोभी क्षीण तथा असदाचारी होतेहुए भी युद्ध से उद्भिन्न हुई हुई मेरी ओर नहीं आ रही हैं तो युद्ध करता हुआ भी ज्यायान युद्धको बन्द करदे और उनकी उद्भिन्नता को शांत करे ।

एक सहश विपत्ति पड़नेपर यदि विजिगीषु यह समझे कि मेरी विपत्ति भारी और शत्रुकी विपत्ति हल्की है और शत्रु अपनी विपत्ति को दूरकर मेरे साथ युद्ध करने में समर्थ होजावेगा तो ज्याय होकर भी संधि करले । यदि संधि या विग्रह दोनों से ही शत्रुका हास और अपनी वृद्धि न देखे तो ज्याय होकर भी उदासीन बन जाय । मध्य के व्यसन को यदि भयंकर समझे तो हीन होकर भी

युद्ध करे । यदि विपत्ति अप्रतिकाय्य हो तो ज्याय भी दूसरे का सहारा लेले । यदि एक ओर संधि से और दूसरी ओर विग्रह से कार्यसिद्धि देखे तो आप द्वैधाभाव [दुतरफी चाल] की नीतिका अवलंबन करे । इसी प्रकार सम पाद्गुण्य का प्रयोग करे । उसमें विशेषता यह है:—

यदि हीनपर शक्तिशाली राजाओं का गुट एक साथ आक्रमण करे तो हीन (अवल) कोश दंड [सैन्य] तथा निजदेश आदि देकर शीघ्रही संधि करे । यदि संधि में गिनीहुई सेना या चुने चुने हुए वीर पुरुष के साथ हीन राजा के उपस्थित होनेकी शर्त हो तो उसको आत्माभिपसंधि—यदि सेनापति तथा राजकुमार के साथ उपस्थित होने की बात हो तो उसको पुरुषांतरसंधि—यदि मुख्य २ सेना पतियों से अपनी रक्षा करतेहुए सेना के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या दीन राजा के किसी स्थान पर उपस्थित होने का मामला हो तो उसको अदृष्ट पुरुषसंधि—कहते हैं । उपरिलेखित दोनों संधियों में किसी एक मुखिया तथा स्त्री को बंधुआ करके भेजे और उनके द्वारा गुप्तरूप से अपना काम सिद्ध करवाये । जिसमें कोश के देने से प्रकृति का मोक्ष हो उसको परिक्रयसंधि जिसमें कंधे पर लदवाकर धन भेजाजाय और जो कि अनेक विध हो उसको स्कन्धोपनेय संधि—जिसमें देश काल के विरुद्ध जुत्माना मांगाजाय या स्त्री को बंधुआ रखने से भविष्य में दिये जाने वाले धन से छुटकारा मिल जाय उसको उपग्रहसंधि—जिसमें पारिस्परिक विश्वास तथा एकता मुख्य हो उसको सुर्वण संधि—जिसमें यह न हो उसको कपाल संधि—कहते हैं । इनमें से पहिले दोमें जांगलिक द्रव्य, हाथी तथा लगाम के साथ घोड़ा—तीसरे में काम न होने का बहाना और चौथे में चुप कर बैठ जाना ही ठीक है । कोशदान संबंधी संधियों में इन्हीं उपायों को काम में लाना चाहिये । जो गुप्तचरों चौरों तथा घातकों से देश की रक्षा करना चाहे वह भूमि का एक प्रदेश देकर

आदिष्टसंधि—जो शत्रु को कष्ट में फँकना चाहता हो वह राजधानी को छोड़ कर उपयोगी भूमि के नाश करने की शर्तपर उच्छिन्नसंधि—जो भूमि की उपज देकर बचना चाहे वह अपक्रयसंधि—जो भूमि की उपज से अधिक देकर अपनी मुक्ति देखे वह परिभूषण संधि का अवलंबन करे। देश दानविषयक संधियों में से पहिली ही ठीक है। फल तथा उपज देने के साथ से वह संबद्ध संधियाँ हारी हालत में ही करे। कार्य देश तथा काल को देख कर हीन राजा बलवान् राजा के साथ उपरिलिखित संधियाँ करे।

१०३-७ प्रकरण ।

आसन तथा प्रयान ।

[क]

आसन

संधि तथा विग्रह के सम्बन्ध में आसन तथा यान की नीति पर प्रकाश डाला जा चुका है। स्थान, आसन तथा उपेक्षण यह आसन (शान्त रहना) के ही भिन्न भिन्न पर्याय हैं। इन में विशेषता यह है कि—एक विशेष प्रकार की नीति के कारण शान्त रहना स्थान, अपनी उन्नति तथा शक्ति बढ़ाने के लिये चुप्प बैठना आसन, तथा लड़ाई से हट जाना या लड़ते हुए भी कुछ न करना उपेक्षण कहाता है। एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में अशक्त तथा संधि के इच्छुक विजिगीषुओं का लड़ाई करके या संधि करके चुप्प बैठने को भी आसन कहते हैं।

यदि वह यह देखे कि—अपनी तथा जांगलिक मित्र की सेना के तैयार हो जाने के बाद सम (समान शक्ति वाला राजा) तथा ज्याय (अपने से अधिक शक्ति वाला राजा) को पराजित कर सकूँगा तो अन्दर तथा बाहर से तैयारी करके वह युद्ध उद्घोषित करे और इसके बाद चुप्प बैठ जाय।

यदि वह यह देखे कि—(कुछ ही समय के बाद) मेरी प्रकृतियाँ उत्साहयुक्त तथा संगठित हो जायंगी और इष्ट कामों को बेरोक टोक कर सकेंगी या शत्रु के कामों को बिगाड़ सकेंगी तो युद्ध उद्घोषित करके चुप बैठ जाय ।

यदि वह यह देखे कि—क्षीण, लुब्ध, पारस्परिक कलह, चोर जांगलियों से पीड़ित और अत्याचार से दुःखित शत्रु की प्रकृतियाँ मेरे उपजाप (पड्यंत्र आदि रचना) से या अपने आप ही मेरी और आजायंगी या—मेरी कृषि तथा वार्ता (कृषि पशु पालन तथा वाणिज्य) समृद्ध हो जायंगी तथा शत्रु की नष्ट हो जायंगी या—दुर्भिक्ष से तंग आकर शत्रु की प्रकृतियाँ मेरे पक्ष में आजायंगी या—मेरी वार्ता क्षीण होजायगी तथा शत्रु की समृद्ध होजायगी । या मेरी प्रकृतियाँ शत्रु के पास चली जायंगी—या युद्ध करके शत्रु के धान्य पशु हिरण्य आदिकों को ग्रहण कर सकूंगा । या—अपने पर्यों (बाजारी माल) को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु के पर्यों को बाजार में न आने दूंगा । या—शत्रु के व्यापारीय मार्ग से सार द्रव्य मेरे पास आने वाले हैं । या—युद्ध उद्घोषित करने से शत्रु अपने द्राहियों दुश्मनों तथा जांगलियों को वश में न करसकेगा या उनके साथ युद्ध करने के लिये बाधित हो जायगा । या—मेरा मित्र कुछ ही समय में बिना किसी प्रकार के नुकसान के इतना धन एकत्रित कर लेगा कि उसकी दुर्बलता तथा दरिद्रता दूर हो जायगी और वह पूरी तैयारी के साथ उपजाऊ भूमि प्राप्त करने के लिये, युद्ध उद्घोषित करने से ही मेरा साथ देगा—तो शत्रु की वृद्धि को रोकने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध उद्घोषित कर शान्ति के साथ बैठ जाय । पुराने आचार्यों का विचार है कि इस ढंग की युद्ध उद्घोषणा से अपना ही नुकसान होता है । परन्तु कौटिल्य का विचार है कि उपरिलिखित नीति का मुख्य उद्देश्य कष्ट में न पड़े हुए शत्रु को क्षीण करना है । अपनी शक्ति के बढ़ते ही शत्रु शीघ्र ही नष्ट किया जासकता है ।

[स]

प्रयात ।

युद्ध उद्धोषित करने बाद चुप्प बैठने पर प्रायः यातव्य (जिस पर चढ़ाई करना हो) अपने नाश के भय से उसको सहायता पहुंचाने लगते हैं। इसलिये पूरी तैय्यारी करने के बाद ही इस नीति का अवलंबन करे। यदि इस नीति से उल्टा फल निकलता दिखाई पड़े तो संधि करके चुप्प बैठ जाय। पुरानी सोची हुई शक्ति के प्राप्त होते ही या युद्ध उद्धोषित करने के बाद चुप्प बैठने से शक्ति प्राप्त करते ही असंजद (जो कि तैय्यार न हो) शत्रु पर चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि—शत्रु कष्ट में पड़ा है। उसकी प्रकृतियों के कष्ट अनिवार्य हैं। या—उसकी प्रकृतियां घरेलू भगड़ों से तंग हैं तथा उससे विरक्त हैं। या—उनमें उत्साह तथा आपस में एकता नहीं है। वह शक्ति तथा समृद्धि से रहित हैं। उनको लालच दिया जासकता है। या—शत्रु आग, पानी, बीमारी, संक्रामक रोग तथा दुर्भिक्ष से तंग है, उसके योग्य २ पुरुष घट रहे हैं और उसकी संरक्षण संबंधी शक्ति दिन पर दिन क्षीण होरही है तो युद्ध उद्धोषित करके चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि—मेरा मित्र तथा आक्रंद (सार्थी) शूरवीर तथा अनुरक्तप्रकृति (जिसकी प्रकृति उसने प्रेम रखती हो) है और शत्रु की दशा इससे उल्टी है—पार्ष्णिग्राह (पीठ पीछे का दुश्मन) शक्तिहीन है और मैं आक्रन्द तथा मित्र के सहारे शक्तिहीन पार्ष्णिग्राह से युद्ध उद्धोषित करके चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि विजय कुछ ही समय में अकेले ही प्राप्त की जासकती है तो पार्ष्णिग्राह से युद्ध उद्धोषित करके सामने के शत्रु पर चढ़ाई करदे। इससे विपरीत दशा में पार्ष्णिग्राह के साथ संधि करके चढ़ाई करे। या—

यदि वह यह देखे कि यातव्य पर चढ़ाई करना जरूरी है परंतु वह अकेले ही चढ़ाई करने में असमर्थ है तो वह सम, हीन तथा

ज्यायके साथ गुट्ट बनाकर चढ़ाई करे । यदि उद्देश्य स्थिर तथा निश्चित हो तो हिस्सा पहिले से ही तय कर लिया जाय । परंतु जब यह बात न हो तो हिस्सा तय किये बिना ही चढ़ाई करदे । यदि गुट्ट का बनाना संभव न हो तो कुछ हिस्सा देने की प्रतिज्ञा कर सेना मांगे यह आधा लाभ बांटने की शर्त करके किसी राजा की सहायता लेवे । [सारांश यह है कि] यदि विजय निश्चित हो तो हिस्सा शुरू से ही बांट लिया जाय और यदि विजय अनिश्चित हो तो हिस्सा शुरू से ही तय न किया जाय ।

सेना के अनुसार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण और जो परिश्रम के अनुसार दिया जाय उसको उत्तम समझा जाता है । लाभ या प्रक्षेप [पूंजी या खर्च] के अनुसार ही उसका विभाग होना चाहिये ।

१०८-१० प्रकरण ।

युद्धविषयक विचार ।

यदि यातव्य तथा अमित्र एक सदृश सामन्त-व्यसन [सामंतों के कारण पैदाहुआ कष्ट] में लीन होंतो पहिले किसपर चढ़ाई की जाय ? पहिले अमित्र और उसको बश में करने के बाद यातव्य से युद्ध उद्घोषित करे । अमित्र के मामले में यातव्य से साहाय्य मिलसकता है परन्तु यातव्यके मामले में अमित्र ऐसा कभीभी नहीं कर सकता । युद्ध के लिये गुरु व्यसन में पड़ा यातव्य ठीक है या लघुव्यसन में लीन अमित्र ? पुराने आचार्योंका मत है कि गुरु-व्यसन [भयंकर विपत्ति में पड़ा] को जीतना सुगम है । कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है । वह लघुव्यसन (साधारण विपत्ति में पड़ा दुश्मन) में लिप्त आमत्य पर ही चढ़ाई करना उचित समझता है । क्यों कि देखने में जो विपत्ति हल्की है, चढ़ाई होने पर वही भारी बनजाती है । निस्सन्देह भयंकर विपत्ति इसी प्रकार भयंकर बन सकती है । परन्तु यातव्य पर चढ़ाई करते ही लघु-व्यसन [साधारण विपत्ति] को दूरकर अमित्र यातव्य को सहायता देसकता है । या पार्ष्णि [पृथ्वती राष्ट्र] पर आक्रमण करसकता है । यातव्यों में भी गुरु-

व्यसन में लीन न्यायी राजा या लघुव्यसन में लीन अन्यायी राजा या विरक्तप्रकृति वाला राजा उपयुक्त है? विरक्त प्रकृतिवाले राजा पर ही पहिले चढ़ाई की जाय। प्रकृति भारी से भारी विपत्ति में भी पड़ेहुए न्यायी राजा को संभाल लेंगी और यदि वह अन्यायी है तो विपत्ति के काम होने पर भी उसका साथ न देंगी। प्रकृति के विरक्त होने से बलवान् से बलवान् राजा नष्ट होजाता है। इसलिये चढ़ाई के लिये ऐसाही राजा ठीक है। क्षीण तथा लुब्ध प्रकृति आक्रमण के लिये ठीक है या अपचरितप्रकृति [वह प्रकृति जोकि राजा के अत्याचार से तंग हों]? पुराने आचार्य्य प्रथम के ही पक्ष में हैं। क्यों कि वह सुगमता से ही षड्यंत्र में संमिलित की जासकती है तथा देश को पीडित करने के लिये उभाड़ी जासकती हैं। द्वितीय में यही बात नहीं है क्योंकि उनके मुख्य २ नेताओं को दंड देकर दबाया जासकता है। परन्तु कौटिल्य इसको उचित नहीं समझता। उसका बिचार है कि क्षीण [दुर्बल दरिद्र] तथा लुब्ध प्रकृति (लोभो लालचो) स्वामी में अनुरक्त होकर स्वामी का साथ देसकती है। षड्यंत्र फोड़ सकती हैं। अनुराग में आकर वह सब कुछ करसकती हैं। इसलिये द्वितीय ही ठीक है। न्यायवृत्ति दुर्बल राजा तथा अन्यायवृत्ति प्रबल राजा में पहिले किस पर आक्रमण कियाजाय? अन्यायवृत्ति वाले प्रबल राजा पर ही सबसे पहिले आक्रमण कियाजाय। क्यों कि उसका साथ प्रकृति न देंगी, या उसको वह मारने का यत्न करेंगी या वह अमित्र का शरण लेंगी परन्तु दुर्बल तथा न्याय वृत्ति वाले राजा का साथ, प्रकृति अन्ततक देंगी और उसके उठने गिरने के साथ ही उठेंगी तथा गिरेंगी।

सज्जनोंका वैज्जत करना—असज्जनों का आदर सत्कार करना—अस्वाभाविक हिंसा तथा अधर्म का प्रचलित करना—धर्म युक्त तथा उचित रीतिरिवाज की अवहेलना करना—धर्म को रोक कर अधर्म और कार्य को नष्ट कर अकार्य करना—देयों को न देना तथा अदेयों को देना—अपराधियों को दंड न देना तथा निरपराधों को दंड देना—अग्राह्य का ग्रहण करना तथा ग्राह्य का परित्याग करना—आवश्यक कार्य को विगाड़ना तथा अनर्थयुक्त काम

को करना—चोरों से रत्ना न करना तथा स्वयं प्रजा को लूटना—कामों में गुण दोष दिखा कर पुरुषार्थियों को नीचे गिराना, मुखियों को मारना तथा मान्य लोगों का अपमान करना—वृद्धों का विरोध करना—आदि बातों से तथा कुटिल चाल, भूठ, अकृतज्ञता, प्रारंभ किये हुए काम का न करना तथा योग क्षेम [कल्याण] संबंधी उपायों में आलस्य तथा प्रमाद करने से प्रकृति क्षीण लोभी तथा विरक्त हो-जाती है। क्षीण प्रकृति लोभ के वश में और लुब्ध प्रकृति विरागता [किसी के प्रति अनुराग न रहना] के पंजे में और विषय प्रकृति शत्रु की चाल में आजाती है या स्वयं स्वामी को मार डालती है। इस लिये प्रकृति के क्षय लोभ तथा विराग के कारणों को न उत्पन्न होने दें उत्पन्न होगये हों तो शीघ्रही उनका प्रतीकार करे। क्षीण, लुब्ध तथा विषम प्रकृति वाले राजाओं में सबसे पहिले किस पर आक्रमण किया जाय ? क्षीण प्रकृतियां तकलीफ तथा नष्ट होने के भयसे शीघ्रही युद्ध का अन्त चाहती हैं। लुब्ध प्रकृतियां लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहती हैं और इसी लिये शत्रु के षड्यंत्रों में संमिलित हो जाती हैं। विरक्त प्रकृतियां शत्रु के आक्रमण को पसन्द करती हैं। प्रकृतियों के धान्य तथा हिरण्य के क्रमशः घटते जाने से या नष्ट हो जाने से राष्ट्रको बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसका उपाय भी सुगम नहीं है यदि राष्ट्र में योग्य पुरुषों की कमी हो जाय तो वह हिरण्य तथा धान्य के सहारे दूर की जासकती है। लोभ किसी किसी मुखिया में ही होता है और शत्रु की संपत्ति को लूटने की आज्ञा देकर उसको शान्त किया जासकता है मुखियों को कुचल देने से विराग नष्ट हो जाता है। क्योंकि प्रकृतियां मुखियों के न रहने पर शान्ति से काम करने लगती है। और शत्रु उनको षड्यंत्र में संमिलित करने में अशक्त होजाते हैं। नेताओं के पकड़ने से तथा आपस में फाड़ देने से प्रायः वह सब प्रकार के कष्ट सहने के लिये तैयार होजाती हैं और दुश्मनों से सुरक्षित होजाती हैं।

संधि तथा विग्रह के कारणों पर गंभीर विचार करने के बाद शक्तियुक्त तथा विश्वासपात्र राजाओं के साथ गुट बनावे और इसके बाद शत्रु पर आक्रमण करे। शक्तियुक्त राजा पार्ष्णि [पृष्ठ

बर्तौ राजा] पर आक्रमण करते तथा चढ़ाई करने में सहायक होता है और विश्वासपात्र राजा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों का त्यों साथ बनारहता है। इनमें भी एक ज्याय, या दो सम राजाओं के साथ गुट बनाकर आक्रमण करने में क्या ठीक है? दो सम राजाओं के साथ गुट बनाना ही ठीक है। क्योंकि ज्याय (अधिक शक्तिवाला राजा) प्रत्येक बात में अपनी ही बात रखेगा। सम दो राजाओं के गुट में ताकत तो उतनी ही रहेगी और कोई भी ज्यादा बढ़ न सकेगा। उनको सुगमता से ही फाड़ा जासकेगा। उनमें से यदि कोई दुष्टता करे तो उसको शीघ्र ही सीधे रास्तेपर चलाया जासकता है और दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड दिया जासकता है। समान शक्ति वाले एक और कम शक्ति वाले दो राजाओं में किसके साथ मिलकर गुट बनाया जाय? कम शक्ति वाले दो राजाओं के साथ गुट बनाना ही ठीक है। एकतो उनसे दो प्रकार के काम लिये जासकते हैं और दूसरा वह काबू में भी रहते हैं। कार्य के सिद्ध होने पर, हीन राजा शान्तिपूर्वक अपने देश को लौट जाता है ॥

अपने यहां से रबाना करने से पूर्व ही उत्तम काम करने वाले दुष्टप्रकृति राजा के कार्यों का गूढ़ रूप से निरीक्षण कर और (कठिन समय में) यत्न जैसे आवश्यक स्थान से उठकर सहसा ही उसकी जांच पड़ताल करे या उसकी छा को अपने यहां जमानत के रूप में रखले। मित्रता तथा विश्वास होते हुए भी विजय प्राप्त करने वाले समानशक्ति राजा से भय रखले। क्योंकि विजय में सफल होकर सम भी ज्याय के साथ भी अपना व्यवहार बदल देते हैं। वृद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य पर विश्वास न करना चाहिये। क्योंकि चित्त को सबसे अधिक विकृत करनेवाली चीज वृद्धि ही है। विजयी से न्यून अंश प्राप्त कर संतुष्ट हुआ हुआ अपने घर लौट आवे और यदि उसको कुछ भी अंश न मिले तो भी चुं चां न करे। इसके बाद मौका पड़ने पर उसके सर पर चढ़ बैठे और अपने हिस्से का भी दुगुना ले लेवे। (उचित तो यह है कि) विजयी विजय प्राप्त करते ही मित्र राजाओं को संतुष्ट कर वर

श्वास्त करे और लाभ तथा हिस्से के मामले में उनही को विजयी रखे । इस ढंग पर जो व्यवहार करता है वह राष्ट्र मंडल का प्रिय हो जाता है ।

१११-१२. प्रकरण ।

साथ मिलकर चढ़ाई तथा संधियां ।

विजिगीषु द्वितीय प्रकृति [पड़ोसी दुश्मन] को निम्नलिखित प्रकार नीचा दिखावे । एक साथ मिलकर चढ़ाई करने के बाद पड़ोसी सामंत को कहे कि “आप इस ओर चढ़ाई करिये और मैं उस ओर चढ़ाई करता हूं । दोनों ओर एक सदृश लाभ है ।” यदि सचमुच लाभ हो तब तो संधि अन्यथा विक्रम (मन मुटाव, लड़ाई) होता है । संधि के I परिपणित तथा II अपरिपणित यह दो भेद हैं ।

I परिपणित संधि । (१) “आप इस देश पर चढ़ाई करिये और हम इस देश पर चढ़ाई करते हैं” इसढंग की देश विषयक संधिको परिपणित देश संधि (२) “आप इतने समय तक लड़िये और मैं इतने तक लड़ूंगा” इसप्रकार की समय संबंधी संधिको परिपणित काल संधि और (३) “आप इतना काम करें और मैं इतना काम करूंगा ” ऐसी कार्य विषयक संधि को परिपणितार्थ संधि के नाम से पुकारा जाता है । यदि वह समझे कि —चढ़ाई करते समय दूसरे को नदी पहाड़ जंगल किले तथा रोगेस्तान को पार करना पड़ेगा, रास्ते में खाना घास चारा लकड़ी पानी आदमी आदि कुछ भाग मिलेगा, इष्ट स्थान बहुत ही दूर है तथा अन्य स्थानों से सर्वथा भिन्न है तथा वहां छावनी बनाने का कोई भी स्थान नहीं परन्तु हमको चढ़ाई करते समय ऐसे

देशों तथा स्थानों में से न गुजरना पड़ेगा तो परिपणित देश संधि करले । यदि वह यह समझे कि—दूसरे को भयंकर गरमी, सरदी, बीमारी, आदि से युक्त देश में से गुजरना पड़ेगा जहां कि सैनिकों के लिये भोजनादि पर्याप्त राशि में न मिलेगा छावनी बनाने में रुकावट पड़ेगी कार्य सिद्ध करने में पर्याप्त समय लग जायगा, परन्तु हमको यह सब काल सम्बन्धी बाधाएँ न भेलनी पड़ेगी—इस प्रकार काल को सन्मुख रखकर परिपणितकाल संधि करले । या वह यह समझे कि—चढ़ाई करते समय दूसरे को तुच्छ काम, प्रकृति कोप, दीर्घ समय, भयंकर हानि, भयंकर खर्च, विघ्न, निदनीय, अधर्म, उदासीनों के विरुद्ध तथा मित्र नाशक काम आदिकों का सामना करना पड़ेगा तथा मैं इन झमेलों से बचा रहूंगा तो परिपणितार्थ संधि करले । इस प्रकार (४) देश काल (५) काल कार्य (६) देश कार्य तथा (७) देश काल कार्य, को सामने रखकर परिपणित संधि सात प्रकार की हो जाती है । अपने युद्धों के प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के बाद ही दूसरे के युद्धों के लिये तैय्यार हो ।

II. अपरिपणित संधि व्यसन, त्वरा [जल्द बाजी], अभिमान तथा आलस्य से युक्त किसी बेवकूफ राजा को यदि नीचा दिखाना हो तो देश काल कार्य विषयक कुछ भी बात न कर “हम तुम एक हैं” यह कहकर और उसको संधि के विश्वास में रखकर उसकी कमजोरियों को पता लगाते तथा मोका पड़ते ही उस पर आक्रमण करदे, इस ढंग की संधि को अपरिपणित संधि कहते हैं । उसका नियम यह है कि “राजनीति में पंडित तथा चतुर राजा एक सामंत से दूसरे सामंत को लड़ाके और इस प्रकार जो जोते उसकी भूमे को स्वयं छीन ले तथा चारों ओर से अपने पक्ष को प्रबल बनाये रखे” । संधि के—१ अकृत चिकीर्षा २ कृतश्लेषण ३ कृतबिदूषण तथा ४ अवशीर्ण क्रिया यह चार और विक्रम (युद्ध) के १ प्रकाशयुद्ध २ कृतयुद्ध तथा ३ तूष्णीयुद्ध यह तीन भेद हैं ।

१. अकृत चिकीर्षा सामादि उपायों से नई संधि करना तथा उस में छोटे बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का उचित रूप से ख्याल रखना अकृतचिकीर्षा अर्थात् नई संधि करना कहाता है ।

२. कृतश्लेषण । मित्र लोगों को बीच में डालकर जो संधि की जाय, जिसका प्रतिपालन आवश्यक हो, जिसकी लिखी शर्तें तथा बातें सुरक्षित रखी जाय और जिस के कारण पुनः लड़ाई मन मुटाव की संभावना हो उसको कृतश्लेषण अर्थात् आपस में दृढ़रूप से जोड़ने वाली कहा जाता है ।

३. कृतविदूषण । (वागियों तथा गुप्तचरों के द्वारा) शत्रु का संधि भंग करना सिद्ध करके संधि-तोड़ना कृतविदूषण अर्थात् 'किये हुए को भंग करना' कहाता है ।

४. अवशीर्णक्रिया भृत्य, मित्र या राज्यापराध के कारण बहिष्कृत व्यक्ति के साथ पुनः संधि करना अवशीर्णक्रिया अर्थात् "टूटे को मिलाना" कहा जाता है ।

इनमें 'पृथक् होकर पुनः मिलके जाने' [गतागत] के चार कारण हैं । (१) कारण से पृथक् होकर पुनः मिलना । (२) विपरीत । (३) कारण से पृथक् होकर अकारण ही पुनः मिलना । (४) विपरीत ।

१. कारण से पृथक् होकर पुनः मिलना । स्वामी के दोष से पृथक् होकर उसके गुण के कारण मिलना या शत्रु के गुण से पृथक् होकर उसके दोष के कारण मिलना इसी का उदाहरण है ।

२. विपरीत । शत्रु तथा मित्र के गुण का ख्याल न कर अपने दोष से या अकारण ही पृथक् होकर मिलने वाला व्यक्ति चल बुद्धि होने के कारण संधि के योग्य नहीं हैं ।

३. कारण से पृथक् होकर अकारण ही पुनः मिलना । वही मनुष्य इस में सम्मिलित है जो कि स्वामी के दोष से पृथक् होकर अपने ही दोष से आकर मिले ।

४. विपरीत । अमुक व्यक्ति शत्रु के द्वारा भेजा जाकर या दुष्टता से अपकार करने की इच्छा रखकर या शत्रु को नष्ट करने

बाले को मेरा अमित्र समझ कर और इस लिये डरकर या मेरे नाश के लिये उद्यत शत्रु को उपकार की इच्छा से छोड़ कर" मेरे पास आया है" इत्यादि बातों पर विचार करने के बाद जिसको भला समझे उस का आदर सत्कार करे और विपरीत बुद्धि वाले को दूर रखे ।

जो लोग अपने दोष से जाबें तथा शत्रु के दोष से आवें वह अकारण से गये और कारण से आये समझे जाय । "यह मेरी कमी पूरा करेगा या इसका यहां पर ही रहना उचित है या इसके साथी दूसरे स्थान पर संतुष्ट नहीं हैं या यह शत्रु से लड़कर मेरे मित्रों के साथ मिल गया है या लोभी तथा क्रूर शत्रु संधि से या दूसरे से घबड़ाया हुआ है" इत्यादि बातों को जानकर जैसा उचित समझे करे । पुराने आचार्यों का मत है कि उन लोगों को साथ में न लेना चाहिये जो कि—काम में नुक्सान उठा चुके हैं, या, शक्ति से रहित हैं, या, विद्या को बेचते हैं, या, आशाहीन हैं, या, देश को प्राप्त करने के लोभी हैं, या, अविश्वासी हैं, या, बलवान् के साथ युद्ध कर रहे हैं । परन्तु कौटिल्य इस काम को भयंकर व्यवहार शून्य तथा सहनशीलता रहित समझता है । उसके मत में वही व्यक्ति त्याज्य है जो कि अपना नुक्सान करे और जो शत्रु को नुक्सान पहुंचावे उसके साथ संधि करना चाहिये । जो दोनों का ही अपकार करे उससे सावधान रहना चाहिये । यदि किसी असंधेय [जो कि संधिके योग्य नहीं] राजा के साथ बाधित होकर संधि करना पड़े तो उसकी शक्ति जिस ओर बहुत ही अधिक हो उस ओर अपने आपको बचावे ।

अवशीर्ण क्रिया (टूटी हुई संधिका पुनः स्थापित करना) में यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति शत्रु के पक्ष में हो उसको इतनी दूर बसाया जाय जिससे वह आयुपर्यन्त उपकार करता रहे परन्तु हानी न पहुंचा सके । या—उसको शत्रु से लड़ने के लिये भेज दिया जाय । या—उसको दंडचारी (सेनापति) बनाकर शत्रु के जंगलों में या राष्ट्र के अंत में फैक दिया जाय । या—उसको शत्रु के देश में

पुरानी तथा नई चीजों के द्वारा छिपे छिपे व्यापार करने के लिये कहाजाय और शत्रुके साथ मिलजाने का दोष देकर बागी प्रकट कियाजाय । या—उसको भारी घटनाओं का ख्यालकर उपांशु दंड (छिपे रूपसे दंडदेना) से शांत कियाजाय और बाद को उसको मरवा दियाजाय । जो राजा शत्रुओं के बीच में वचपन से ही रहने के कारण शत्रु के दोषों से लिप्त हों और सांपों के बीच में रहने वालों की तरह सदा ही उद्विग्न रहते हों उनसे डरना चाहिये । अंजीर पर पले सँभलके कवूतर की तरह वह हरसमय परेशान करते हैं । दिनके समय में किसी स्थानपर जो लड़ाई लड़ी जाय उसको प्रकाशयुद्ध कहते हैं । यह बहुत ही भयंकर आक्रमण होता है । प्रमाद या विपत्ति में लीन राजा इसमें नष्ट होजाते हैं । जिसयुद्ध में एक ओर लड़ाई और दूसरी ओर घुंस दियाजाता हो उसको कूटयुद्ध कहते हैं । तूष्णीयुद्ध वह है जिसमें पट्यंत्र [उपजाप] के द्वारा शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लियाजाय ।

११३ प्रकरण ।

द्वैधीभाव से संवद्ध संधि तथा विक्रम ।

विजिगीषु [विजय का इच्छुक] द्वितीयप्रकृति के साथ इस प्रकार व्यवहार करे । किसी एक सामंत के साथ मिलकर दूसरे सामंत पर चढ़ाई करे । यदि वह समझे कि “वह मेरे पार्थिव (पीठ पीछे का राष्ट्र) पर आक्रमण न कर सकेगा तथा यातव्य (जिस पर चढ़ाई की जाय) का साथ न दे सकेगा, बहुतों के साथ मुझ को लड़ना पड़ेगा या मेरे साथी धन तथा सैन्य का प्रबंध कर देंगे तथा अन्दरूनी दुश्मनों को नष्ट कर देंगे, जांगलिकों तथा उनके अनुयायियों को किलों में घेरकर दंड देंगे, यातव्य को भयंकर विपत्ति में डालकर संधि करने के लिये बाधित करेंगे, आवश्यक लाभ प्राप्त कर शत्रुओं तथा शत्रुओं का मुझ पर विश्वास करवा देंगे—तो वह एक के साथ युद्ध और दूसरे के साथ मैत्री उद्घोषित

कर किसी सामंत से सेना और किसी से धन मांगे । उसमें बड़ा छोटा तथा मध्यम यदि अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता दें तो इसको सम संधि, इससे विपरीत में विषम संधि और अधिक सहायता देने में अतिसंधि कहाती है ।

यदि कोई शक्तिशाली विजिगीषु तकलीफ में पड़जाय या विपत्तियों से घिर जाय या नुकसान में आजाय तो दुर्बल या हीन मित्र उतना ही धन उससे मांगे जितना कि खर्च सैनिकों द्वारा सहायता पहुंचाने में हुआ हो । विजिगीषु यदि उसको हानि पहुंचाने में अपने आपको समर्थ समझे तो उससे युद्ध उद्धोषित करदे, अन्यथा उसके साथ संधि करले । यदि कोई दूसरा, अपनी शक्ति तथा प्रताप के क्षय को दूर करने के लिये विजिगीषु से मूल (आधार) तथा पार्षण (पीठ पर के राष्ट्र) की रक्षा करने के बदले खर्च से अधिक लाभ मांगे तो वह यदि उसको हितैषी समझे तब तो संधि करले, अन्यथा उसके साथ लड़ाई करने के लिये तैय्यार होजाय । यदि कोई दुर्बल राजा किलों तथा दोस्तों के होने से शक्ति प्राप्त कर, किसी छोटे मार्ग से अपने दुश्मन पर चढ़ाई करना चाहे और इसके लिये विपत्ति तथा तकलीफ में पड़ प्रबल राजा को कम खर्च देकर अधिक सहायता मांगना चाहे तो यदि वह उसको नीचा दिखाने में समर्थ हो तो युद्ध उद्धोषित करदे अन्यथा संधि करले । परंतु यदि कोई शक्तिसंपन्न प्रबल राजा, भारी काम को पहिले से ही हाथ में लिये हुए किसी दूसरे राजा को पुनः भारी खर्च में फंसाना चाहे, दुष्टों को देश निकाला देना चाहे, या बाहर निकाले हुएों को पुनः बुलाना चाहे, पीडनीय तथा विनाशनीय समझ कर हीन राजा को उनसे लड़ाना चाहे—यदि हीन राजा संधि तथा शान्ति का इच्छुक हो तथा कल्याण चाहता हो तो, कम लाभ लेकर ही संतुष्ट होजाय तथा उसके साथ लाभ में हिस्सा बंटाले अन्यथा युद्ध उद्धोषित करदे । इसी प्रकार समान राजा समान राजा के साथ संधि तथा विग्रह कर सकता है । दृष्टान्त-स्वरूप यदि कोई राजा—दुश्मन की सेना का मुकाबिला करने के लिये, मित्रों के जंगलों तथा शत्रु के हाथ में फंसी जमीनों को छुड़ाने के लिये, देशिक [अग्र भाग में स्थित], मूल [मध्य में स्थित] तथा

पार्ष्णि [पीठ पीछे स्थित] के बचाने के लिये—समान शक्ति वाले राजा से सहायता मांगे । तथा समान लाभ देने के लिये तैय्यार हो तो उसको यदि कल्याणबुद्धि [हितैषी तथा सज्जन] समझे तो संधि करे अन्यथा युद्ध उद्धोषित करे ।

प्रभुत्वशक्ति रहित [जात-व्यसन प्रकृति] कोई राजा यदि विपत्ति में पड़े तथा चारों ओर शत्रुओं से घिरे किसी समान राजा से कम धन देने के बदले अधिक सहायता मांगे तो वह यदि उसकी हानि कर सकता हो तो युद्ध उद्धोषित करे, अन्यथा संधि करले । इसी प्रकार यदि कोई राजा कर्त्तव्यवश सामन्तों पर राज्य कार्य छोड़ कर समान राजा से अधिक सहायता मांगे तो वह यदि उसको कल्याण बुद्धि समझे तो संधि करले अन्यथा युद्ध उद्धोषित करे यदि कोई प्रभुत्व शक्ति से हीन होकर भी—विपत्ति में फंसे किसी दूसरे राजा को नष्ट करना चाहे, शुरूमें ही या चढ़ाई करने पर प्रहार करना चाहे, यातव्य [जिसपर चढ़ाई करनी हो] से अधिक धन खींचना चाहे, और इसी लिये अधिक हीन, या सम सामर्थ्य वाले राजा से बारंबार सहायता मांगे तो यदि उनके अपनी सेना की रक्षा करनी हो, दूसरे के अधिजेय किले या अंगल को दूसरे के सैन्य के सहारे फतह करना हो या दूसरे के सैन्य को दूर ले जाकर उसका खर्च तथा नुकसान बढ़ाना हो, या उस सैन्य के सहारे अपनी शक्ति बढ़ानी हो, या शत्रु की सेनाको नेस्तनाबूद करना हो तो उसको बारंबार सहायता देते जाय । यदि कोई राजा यातव्य (चढ़ाई करने के योग्य दुश्मन) के बढ़ाने अधिक या हीनशक्ति वाले राजा को अपने हाथ में करना चाहे, शत्रु को नष्ट कर अन्त में उसी को नष्ट करने की इच्छा रखता हो, तथा दी हुई चीज़ को लौटा लेने का इच्छुक हो, तो खर्च से अधिक लाभ मांगे । यदि वह उसको नुकसान पहुंचा सकते हों तो युद्ध करे अन्यथा संधि करले या यातव्य (वह शत्रु जिसपर चढ़ाई करनी हो) के साथ मिल जाय या उसको बदमाशों दुश्मनों तथा जांगलिकों की सेना के द्वारा सहायता पहुंचावें । इसी ढंगपर शक्तिशाली राजा दुर्बल राजा से खर्च से कम धन देने के बदले सहायता मांगे । यदि वह लड़ने में समर्थ हो तो लड़ाई करे अन्यथा संधि करले ।

राजा को चाहिये कि अब उससे कोई दूसरा राजा सहायता मांगे तो सहायता मांगने के कारणों को गंभीर रूप से विचार कर युद्ध तथा विग्रह में से जिसको उचित समझे स्वीकार करे।

११४-१५. प्रकरण।

यातव्य तथा अनुग्राह्य मित्र का कर्तव्य।

जब कोई यातव्य (जिसपर शत्रु चढ़ाई करना चाहता हो) चढ़ाई के खतरे में हो, संधि की शर्तों को जानना चाहता हो, या दुश्मनों के गुह्य को चूर चूर करना चाहता हो उनको दुगुना लाभ देने का वचन दे। यदि वह लोग पुनः अधिक लाभ मांगें तो—नुक्सान, खर्च, प्रवास, विघ्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना बनाकर ढालदे या उनको दूसरे से लड़वा कर फाड़ दे। यदि वह किसी ऐसे राजा को नुक्सान तथा खर्च से पुनः लादना चाहता हो जोकि पहिले से ही एक भारी काम को अपने हाथ में ले बैठा हो, शुरु में या चढ़ाई करने पर उसको नष्ट करना चाहता हो, यातव्य के साथ मिलकर पुनः धन मांगने का इच्छुक हो, तकलीफ में पड़ा हो या संपत्ति से रक्षित हो, या दूसरे पर विश्वास न रखना हो तो जो लाभ मिले उसी को ग्रहण करले। यदि वह समझे कि भविष्य में उसको मित्रों से पर्याप्त अधिक सहायता मिल जायगी, दुश्मन भी घट जायेंगे तथा संपत्ति भी प्राप्त हो जायगी तथा पूर्व में सहायता देने वाले पुनः सहायता देने के लिये बाधित किये जा सकेंगे तो बहुत बड़े लाभ को छोड़कर भविष्य में होने वाले थोड़े लाभ को ही पसंद करे। यदि वह किसी राजा को, किसी दूसरे शक्तिशाली दुष्ट दुश्मन तथा फजूल खर्च राजा के साथ लड़ाई में पड़ने से बचना चाहे या इसी ढंग का उपकार किसी दूसरे से करवाना चाहे और बदले में उसकी दोस्ती या संबंध के सिवाय और कुछ भी न चाहता हो तो भविष्य में भी उससे कुछ भी लाभ न ग्रहण करे। परन्तु यदि वह पुरानी संधि को तोड़ना चाहे, दूसरे की प्रभुत्वशक्ति तथा मित्रों या अमित्रों के साथ

की गई संधि को तोड़ना चाहे या दूसरे के आक्रमण से डरता हो तो अप्राप्त लाभ को अधिक करके मांगे। दूसरा भी वर्तमान तथा भविष्य को सामने रखकर उसके साथ व्यवहार करे। इसीसे और बातों का अनुमान कर लेना चाहिये। विजिगीषु तथा शत्रु आदि एक साथ ही अपने मित्रों पर अनुग्रह करना चाहें तो उनमें वही उत्तम है जो कि— शक्यारंभी (होसकने वाली बात को ही करने वाली), कन्यारंभी (प्रशंसा के खातिर काम करने वाला), स्थिर कर्मा (स्थिर काम करने वाला) तथा अनुरक्त प्रकृति (जिसमें प्रकृति मंडल अनुरक्त हो) हो। क्योंकि शक्यारंभी वही काम करता है जो कि होसके, कन्यारंभी काम में किसीदंग की खराबी नहीं करता, स्थिरकर्मा काम को खतम किये बिना बीच में दम नहीं लेता, तथा अनुरक्तप्रकृति सहायता के होने से थोड़ा अनुग्रह होते ही काम पूरा करदेते हैं। इनकी कृतज्ञता से बहुत लाभ होता है। जिन मित्रों में यह गुण नहीं उनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होता। यदि वह दोनों एक एक पर ही अनुग्रह करना चाहें तो जो मित्र या अल्प मित्र पर अनुग्रह करता है वह लाभपर रहता है। मित्र के प्राप्त होने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जो इससे भिन्न व्यक्ति का उपकार करता है वह वृथाही नुकसान खर्च परदेश तथा परोपकार के कष्टोंको सहता है। शत्रु अपना मतलब सिद्ध कर अन्त में उपकार करने वाले को ही नुकसान पहुंचाता है। मध्यम राजाओं में जो मित्र-या अल्पमित्र पर अनुग्रह करता है वही अच्छा रहता है। मित्र प्राप्ति से शक्ति बढ़ती है। शत्रु पर उपकार करने से क्षय [नुकसान] व्यय, प्रवास तथा परोपकार का भार निरर्थक ही सहना पड़ता है। जब मध्यम राजा उपरिलिखित गुणों से हनि हो तो शत्रु की शक्ति को बढ़ा देता है। क्योंकि वह अपनी शक्ति फजूल के कामों में नष्ट कर देता है और शत्रु की चढ़ाई होते ही किनारा कर बैठता है। उदासीन पर अनुग्रह करने के भी यही नियम हैं। मध्यम तथा उदासीन राजाओं को सेना तथा हिस्से से जो लाभ पहुंचाते हैं

उनमें वही उत्तम है जो कि शूरवीर, शस्त्र संचालन में प्रवीण, कष्ट सहने में समर्थ तथा अनुरक्त (प्रेम करने वाला) राजा को सहायता देता है । यदि उसमें यह गुण न हों तो सहायता देने में नुकसान उठाना पड़ता है । जिस काम के लिये सेना भेजी जाती है वह उस काम को या उसके बदल अन्य कामों को सिद्ध कर देती है । इस लिये समय तथा स्थान के जानने के बाद ही मौलभृत (प्रवासी ताल्लुकेदार), श्रेणी (कंपनी), मित्र तथा जंगली मित्र आदिकों में किसी एक की सेना के द्वारा सहायता दीजाय । यदि वह सेना एक ऐसे जांगलिकों की है जो कि दोस्त न हों तो जब तथा जहां चाहे भेजे । यदि यह समझे कि—अमुक अमुक राजा हमारी सेना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उसको दुश्मन जंगल अनुचित स्थान तथा अनुचित ऋतु में रखकर नष्ट कर देगा तो सेना इकट्ठा करने का बहाना बनादे और जिस समय उसको जरूरत पड़े तभी सहायता दे तथा काम के समाप्त होने तक उसी के पास रखे तथा अपनी सेना की स्वयं ही देख रेख करंता रहे । जब काम खतम होजाय तो किसी बहाने से सेना को बुलवाले । इसके बदले बदमाशों जंगलियों तथा दुश्मनों की सेना उसको देदे । या यातव्य [चढ़ाई जिस पर की जाय] के साथ संधि करके उसको नीचा दिखा देवे ।

यदि लाभ समान हो तो संधि और यदि लाभ समान न हो तो युद्ध किया जाता है । यदि इन दोनों से भिन्न लाभ हो तो संधि तथा युद्ध में जो उचित समझे करे ।

११६ प्रकरण ।

मित्र संधि तथा हिरण्य संधि ।

मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूमि की प्राप्ति की इच्छा से एक साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किस चीज की प्राप्ति में विशेष लाभ हैं ? भूमि की प्राप्ति से मित्र तथा हिरण्य दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं । इन दोनों से शेष बची हुई चीजे प्राप्त होजाती हैं । आओ हम

तुम मित्र प्राप्ति के लिये यत्न करें इस ढंग की संधि का नाम सम संधि है। 'तुम आगे से हमारे मित्र रहोगे' इस प्रकार की संधि को विषम संधि और जब कोई किसी से अधिक प्राप्त करे तो उस को अतिसंधि कहते हैं।

सम-संधि में भी जो समृद्ध मित्र को या कष्ट में पड़े हुए मित्र को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है क्योंकि आपत्ति में साथ देने से मित्रता स्थिर होजाती है। तकलीफ में पड़े हुए मित्रों में से भी यदि एक मित्र नित्य [पक्का दोस्त] परन्तु अवश्य [जो कि वश में न रहे] और दूसरा मित्र अनित्य [कच्चा दोस्त] परन्तु वश्य (मन के मुताबिक चलने वाला) हो तो उन में से कौन उत्तम है? पुराने आचार्यों का मत है कि नित्य तथा अवश्य मित्र ही उत्तम है क्योंकि वह यदि उपकार नहीं करता तो नुकसान भी तो नहीं पहुंचाता। इस से विपरीत कौटिल्य का मत है कि वश्य तथा अनित्य मित्र ही उत्तम है। क्योंकि वह जब तक लाभ पहुंचाता है तभी तक मित्र है। उपकार तथा लाभ पहुंचाना ही मित्र का लक्षण है। वश्य मित्रों में भी यदि एक अनित्य तथा समृद्ध और दूसरा नित्य तथा दरिद्र (अन्यभोग) हो तो इन में कौन उत्तम है? पुराने आचार्य अनित्य तथा समृद्ध को ही उत्तम प्रगट करते हैं क्योंकि वह थोड़े समय में ही बहुत सा लाभ पहुंचा सकता है और बहुत से खर्चों से बचा सकता है। परन्तु कौटिल्य नित्य तथा दरिद्र मित्र को ही उत्तम समझता है। क्योंकि उसका विचार है नित्य तथा समृद्ध मित्र उपकार करने से दूर भागते हैं और जब वह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं। नित्य तथा दरिद्र मित्र धीरे धीरे थोड़ी राशि में सहायता पहुंचाते हुए समय के गुजरने के साथ साथ बहुत ही अधिक लाभ पहुंचा देते हैं। गुरुसमुत्थ (लड़ाई के लिये जो कठिनाई से तैयार हो) बड़े मित्र तथा लघुसमुत्थ (लड़ाई के लिये जो आसानी से तैयार हो) छोटे मित्र में कौन उत्तम है? आचार्यों का मत है कि पहिले ढंग का मित्र ही शक्ति बढ़ाता (प्रताप कर) है। जब वह लड़ाई के लिये तैयार होता है तो कार्य को समाप्त कर देता है।

परन्तु कौटिल्य दूसरे को ही ठीक समझता है। क्योंकि दूसरा समय पर काम तो आजाता है। छोटे होने के कारण मन माने ढंग पर चलाया जा सकता है। पहिले में यही बात नहीं है। असंगठित सैन्य तथा अवश्यसैन्य (वश में करने के अयोग्य सेना) में कौन उत्तम है? आचार्य लोग असंगठितसैन्य को ही अच्छा समझते हैं उनका ख्याल है कि समय पर उसको संगठित किया जा सकता है। इस से विपरीत कौटिल्य 'अवश्यसैन्य' के ही पक्ष में है। क्योंकि वह उस को सामादि उपायों से वश में करना सुगम समझता है। पुरुषभोग (जिस के पास सेना या आदमी बहुत हों) तथा हिरण्यभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक हो) मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लड़ाई के लिये उपयोगी होने से प्रथम को ही उत्तम मानते हैं। क्योंकि वह जब उठ खड़ा होता है तो कार्य सिद्ध कर देता है। परन्तु कौटिल्य द्वितीय को ही उत्तम समझता है। क्योंकि सोने की जरूरत तो रोज पड़ती है जब कि सेना तथा आदमियों की जरूरत कभी कभी होता है। सोना एक ऐसी चीज है जिस से सेना तथा अन्य चीजें सुगमता से ही प्राप्त की जा सकती हैं। हिरण्यभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक हो) तथा भूमिभोग (जिस के पास जमीन अधिक हो) मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लोग हिरण्यभोग के पक्ष में हैं। क्योंकि उससे सब प्रकार के खर्चें से बच सकता है। परन्तु कौटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरण्य का आधार प्रगट करता है। इस पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जा चुका है। अतः भूमिभोग मित्र ही ठीक है। जब विजेता तथा शत्रु के मित्रों के देश की आबादी एक सदृश हो तब भी उन में पराक्रम, कष्ट सहन करने की शक्ति, अनुराग तथा युद्ध सामर्थ्य के मामले में भेद हो सकता है। इसी प्रकार समृद्धि में समान होते हुए भी—मांगते ही धन इकट्ठा होजाना, शान, विना परिश्रम के ही अधिक धन का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मामले में भेद हो सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने के योग्य हैं:—

उत्तममित्र के—१ नित्य २ वश्य ३ लघूत्थान (शीघ्र ही तैय्यार होजाने वाला) ४ पितृपैतामह (बापदादे के समय से मित्र) ५ महत् (शक्तिशाली) तथा ६ अद्वैध्य (स्थिर स्वभाव) यह छः भेद हैं। जो निस्वार्थ भाव से प्रीति तथा बड़े हुए पुराने संबंधों की रक्षा करे वही नित्यमित्र है। जिसका बहुत प्रकार उपयोग किया जासके वह वश्यमित्र कहाता है। यह—एकतो भोगी (एक ही व्यक्ति जिससे लाभ उठावे), उभयतोभोगी [दो व्यक्ति जिससे लाभ उठावें] तथा सर्वतोभोगी (जिससे सभी लाभ उठावें) के तीन प्रकार का होता है। जो सहायता लेने या देने की इच्छा से शत्रुओं के साथ सख्ती का बर्ताव करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फौजें आदि हों वह भी नित्यमित्र कहाता है। जो एक ओर शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति न हो और जो कि उपकार करने के लिये सधि करे उसको अनिश्चित तथा वशमें न आने वाला मित्र समझना चाहिये। जो किसी स्वार्थ से संबंध रखता हो, उपकारी तथा स्थिरस्वभाव का (अविकारी) हो, तथा मित्र होने के योग्य हो वह विपत्ति पड़ने पर भी मित्रता नहीं छोड़ता (अद्वैध्य)। जो मित्रता रखे वह मित्र, जो शत्रु का पक्ष ले वह चलमित्र (अस्थिरमित्र) और जो किसी के भी प्रति उदासीनता न प्रगट करे वह उभयभाविमित्र (दोनों का मित्र) कहलाता है। जो विजिगीषु का अमित्र तथा शत्रु का दिली मित्र हो उसको अनुपकारी मित्र (हानिकरमित्र) समझना चाहिये चाहे वह उपकार ही क्यों न कर रहा हो और चाहे वह उपकार करनेमें कितना ही समर्थ क्यों न हो। जो शत्रु का हितैषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी हो उसको शत्रु ही समझना चाहिये चाहे वह विजिगीषु का उपकार ही क्यों न करे। जिसके पास बहुत ही अधिक उपजाऊ जमीन हो, जो कि बलवान् संतुष्ट तथा आलसी हो और जो कि तकलीफ से दूर भागता हो उसको उदासीन समझना चाहिये। जो बुद्धि के कम होने से शत्रु तथा विजिगीषु की बात को माने तथा किसी से भी द्वेष न करे उसको उभयभावी [दोनों के पक्ष का]

माना जाय। जो कारण या अकारण से कष्टमें पड़े हुए या इसी प्रकार सहायता मांगने के लिये आये हुए मित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है वह मृत्यु को अपने आप बुलाता है।

शीघ्र ही मिलने वाले थोड़े लाभ तथा देरमें मिलने वाले ज्यादा लाभ में किस को पसन्द करना चाहिये ? पुराने आचार्य पहिले के ही पक्ष में हैं क्योंकि उससे हाथ में लिये काम को सहायता मिलती है। इससे विपरीत कौटिल्य द्वितीय के ही पक्ष में हैं। उस का ख्याल है कि दूसरा यदि बीज के फल के सदृश स्थिर तथा अनश्वर हो तो ठीक है, अन्यथा पहिला ही ठीक है।

राजा को चाहिये कि वह स्थिर लाभ या उसके कुछ भाग के महत्व [गुणोदय] को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने रख कर तथा मित्र लोगों के साथ गुट बनाकर शत्रु पर चढ़ाई करे।

११६. प्रकरण।

भूमि-संधि।

“आओ हम तुम भूमि को प्राप्त करें” इस प्रकार की संधि को भूमिसंधि कहते हैं। उनमें जो उपजाऊ भूमि को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है। यदि दोनों की ही भूमि उपजाऊ हो तो उनमें जो बलवान् शत्रु को परास्त कर भूमि प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है-क्यों कि इससे भूमि-लाभ के साथ साथ शत्रु का नाश होता है तथा शक्ति तथा प्रताप भी बढ़जाता है। दुर्बल से भूमि छीनने में भी अच्छा ही है। परन्तु इससे भूमि अच्छी नहीं मिलती। पड़ोसी राजा भी छिपे छिपे दुश्मन होजाते हैं। तुल्य शक्तिशाली शत्रुओं में से जो स्थित शत्रु को नष्ट कर देश प्राप्त करता है वह लाभ में रहता है। इससे किले हाथमें आजाते हैं। जो कि भूमिकी रक्षा तथा जंगली लोगों के आक्रमण से देश की रक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी होते हैं। अस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर दुर्बल तथा सबल राजाओं के पड़ोसमें होने से ही भेद पड़ता है। जिस देश के पास दुर्बल सामंत हो वह देश सुगमता से ही संभाला जा सकता है। परन्तु जब पड़ोस में सबल सामंत हो तो प्राप्त देशकी

रक्षा में सोना तथा धन फूंककर नुकसान उठाना पड़ता है । प्रश्न उठता है कि पक्के दुश्मनों से भरे समृद्ध देशका या कच्चे दुश्मनों से भरे दरिद्रदेशका प्राप्त होना उत्तम है ? पुराने आचार्य प्रथम को ही उत्तम मानते हैं । क्योंकि उससे धन तथा सैन्य की वृद्धि करना सुगम होता है और जो कि अन्त में दुश्मनों को दबा देता है । परन्तु कौटिल्य का ख्याल है ऐसी भूमि के मिलनेसे शत्रुओं की संख्या बढ़जाती है । पक्के दुश्मन "उपकार करो चाहे अपकार करो" दुश्मन ही बने रहते हैं । कच्चे दुश्मन उपकार या अनपकार (नुकसान न पहुँचाना) से ठंडे पड़जाते हैं । जिस देशमें बहुत से किले हों, सीमायें चोरी म्लेच्छों तथा जांगलिकों से भरी पड़ी हों उनको पक्के दुश्मनों का देश समझना चाहिये । इससे विपरीत देश को कच्चे दुश्मनों का देश मानना चाहिये । पास की थोड़ी और दूसरी बहुत बड़ी जमीन में कौन सी जमीन अच्छी है ? पास की थोड़ी जमीन अच्छी होती है क्योंकि इसकी रक्षा सुगमता से हो सकती है । दूरकी जमीन में यही बात नहीं है । यदि पड़ोसकी भूमि की रक्षा के लिये सेना की जरूरत हो और दूर की भूमि अपने आप सुगन्धित हो तो इनमेंसे कौनसी उत्तम है ? दूसरी भूमि ही ठीक है । क्योंकि उसीके धन तथा सैन्यसे उसको रक्षा होती है । इससे विपरीत पहिली को संभालनेके लिये जगह २ छावनियाँ बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती है । जड़ बुद्धि तथा बुद्धिमान् राजा के देशों में से किस के देश का मिलना अच्छा है ? जड़बुद्धि का देश ही ठीक है । क्योंकि उसकी सुगमता से ही रक्षा की जासकती है और उसके पुनः लौटाने की आवश्यकता नहीं होती । इससे विपरीत बुद्धिमान् राजाके देश के लोग उसी में अनुरक्त होते हैं ।

पीडनीय [जिसको दबाना हो] तथा उच्छेदनीय [जिसको नष्ट करनाहो] में से किसी की भूमि का लेना ठीक है ? उच्छेदनीय की भूमि का लेना ही ठीक है । क्योंकि उसका कोई भी साथ नहीं देता है, जिसका वह सहारा भी लेता है वह शक्ति शाली नहीं होते तथा खजाना तथा फौज लेकर वह भागता है और इसी लिये

प्रकृतियां उसको छोड़ देती हैं। पीडनीय में यह बात नहीं है। वह किलों तथा मित्रों से सहायता प्राप्त कर शक्तिशाली हो जाना है। दुर्गों का सहारा लेने वालों में भी स्थल दुर्ग वालों से भूमिका मिलना अच्छा है। स्थल दुर्ग का घेरा डालना तथा शत्रु पर चढ़ाई करना सुगम है। शत्रु भाग कर कहीं जा भी नहीं सकता है। न ही दुर्ग वालों को जीतने में दुर्गुनी मेहनत खर्च होती है। पानी से रक्षा करना पड़ता है। शत्रु को नदी के सहारे रसद पहुंचती रहती है। नदी तथा पर्वत दुर्ग वालों में नदी वालों से भूमिका प्राप्त होना ही ठीक है। नदी दुर्ग पर हाथियों खंभों पर बनाये हुए पुलों तथा नौकाओं के सहारे चढ़ाई की जा सकती है। पानी की गहराई एक सदृश नहीं रहती और उसको दूसरी ओर बहाया भी जा सकता है पहाड़ी दुर्ग पर चढ़ाई करना बहुत कठिन है। वह प्रकृति की ओर से सुरक्षित है। उसपर चढ़ना सुगम काम नहीं है। एक के फिसलते ही सारी की सारी सेना नष्ट हो जाती है। पत्थरों तथा पेड़ों के लुढ़काने से बहुत ही नुकसान पहुंचता है। नीची जमीन तथा साधारण जमीन परसे लड़ने वालों में पहिले से ही जमीन का मिलना ठीक है। क्योंकि वह कुछ ही समय तक लड़ सकते हैं जब कि दूसरे एक सदृश युद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार गड्ढे तथा उंची जमीन पर से लड़ने वालों में भी पहिले से ही जमीन का प्राप्त होना उत्तम है। क्योंकि खनक गड्ढे में खड़े होकर शस्त्र से लड़ाई करते हैं जब कि दूसरे एक मात्र शस्त्र फेंक कर काम चलाते हैं।

जो राजा अथवा शास्त्र को पूर्ण रूप से समझ कर उपरि वर्णित लोगों से भूमि प्राप्त करता है, वह गुट्ट बनाकर लड़ने वाले शत्रुओं को नीचा दिखाता है तथा उनकी अपज्ञा या अधिक महत्व को प्राप्त करता है।

११६ प्रकरण । औपनिवेशिक संधि ।

“आओ हम तुम उपनिवेश बसावें” इस प्रकार की औपनिवेशिक संधि का नाम अनवासितसंधि है। उनमें से जो उपजाऊ

भूमि को बसाता है लाभ में रहता है । उसमें भी स्थल प्रधान तथा जल प्रधान यह दो भेद हैं । पानी रहित अधिक जमीन की अपेक्षा पानीवाली कम जमीन अच्छी होती है । उस से वर्षभर लगातार स्थिर रूप से फल मिलते रहते हैं । पानीरहित जमीन में भी जिसमें पहिले खेती की जा चुकी हो, कम वर्षा में अनाज पकता हो तथा कम मेहनत की जरूरत हो वह अच्छी है । इसी प्रकार जल प्रधान में धान पैदा होने वाली जमीन थोड़ी और दूसरा अनाज पैदा करने वाली जमीन जादा हो तो दूसरी जमीन ही ठीक है । अधिक जमीन में स्थलज तथा जलज अनेक पदार्थ तथा औषध उत्पन्न किये जा सकते हैं । किले आदि भी बहुत बड़ी संख्या में बनाये जा सकते हैं । भूमि का उपजाऊपन तो कृत्रिम है । खान प्रधान तथा न प्रधान जमीन में खान प्रधान कोश के लिये हितकारी है । धान प्रधान जमीन से कोश तथा कोष्ठागार (अनाज का भण्डार) दोनों को ही लाभ पहुंचता है । दुर्गादिका बनवाना धान पर ही निर्भर है । खनिज पदार्थ से बहुत बड़ी जमीन खरीदी जासकती है अतः वह भी उत्तम है । द्रव्यवन [लकड़ी का जंगल तथा] हस्तिवन [हाथी का जंगल] में द्रव्यवन सब कामों का आधार होने से उत्तम है । हस्तिवन में यही बात नहीं है । पुराने आचार्यों के इस विचार के विरुद्ध कौटिल्य का मत है कि द्रव्यवन तो जहां कहीं लगाया जासकता है, हस्तिवन में यही बात नहीं है । शत्रु को सेना को नष्ट करना हाथियों पर ही निर्भर है । वारिपथ [जलीय मार्ग] तथा स्थलपथ [स्थलीय मार्ग] में वारिपथ अनित्य होने से ठीक नहीं है । स्थलपथ अनित्य [सर्वदा बना रहने वाला] होने से अच्छा समझा जाता है । भिन्नमनुष्य [जिसमें मनुष्य तितर बितर बसे हों] तथा श्रेणीमनुष्य [जिसमें मनुष्य भिन्न २ दलों तथा श्रेणियों में संगठित हों] वाली जमीनों में पहिला ही ठीक है । क्योंकि शत्रु उसको अपने पक्ष में फाड़ नहीं सकता । इससे विपरीत दूसरी तकलीफ बरदाश्त नहीं कर सकती और जब बिगड़ती है तो उसका संभालना कठिन होजाता है । चारों वणों के द्वारा बसे हुए

उपनिवेशों में जिस में नीच जात के लोग अधिक हों वही उत्तम है। क्योंकि वह स्थिर रहता है और उत्पत्ति भी उस में अधिक होती है। जुती तथा बेजुती जमीनों में बेजुती जमीन अनेक कामों में आती हैं। जब यह गडों के पालने, पदार्थों के बनाने, लेन देन तथा व्यापार करने के काम में आती है तो यह बहुत ही अच्छी समझी जाती है। दुर्गप्रधान तथा पुरुषप्रधान (जिस में आदमी बहुत संख्या में रहते हों) जमीनों में पुरुषप्रधान ही ठीक है। पुरुषों पर ही राज्य किया जाता है। उजड़ी तथा वीरान जमीन वन्ध्या गौ की तरह किस काम की है।


जिस जमीन के बसाने में बहुत खर्च हो उसके बेचने का प्रबंध करे। दुर्बल, अराजकवादी, निरुत्साही, अपक्ष, अन्यायी, व्यसनी भाग्यवादी, तथा मनमाना करने वाले [स्वेच्छाचारी] व्यक्ति के हाथ में जमीन बेचने से कुछ भी नुकसान नहीं है। क्योंकि दुर्बल अराजकवादी ऐसी जमीन के बसाने में खर्च अधिक होने से वह अपने साथियों के साथ वहां पर ही नष्ट हो जायगा। यदि वह बलवान् है तो खर्च के डरसे उसके साथी उसको छोड़ देंगे। निरुत्साही है तो सेना होते हुए भी उससे काम नहीं ले सकता। जो सेना से काम ले वह खर्च के भार से सेना को देर तक नहीं रख सकता। धन होते हुए भी अपक्ष (जिस के पक्ष में कोई भी न हो) सहारा न होने से कुछ भी नहीं कर सकता। अन्यायी बसे हुए जनपद को भी उजाड़ दे, उजड़ को तो क्या बसावेगा? व्यसनी की भी यही हालत है। भाग्यवादी प्रायः सामर्थ्यहीन होते हैं और कोई भी नया काम शुरू नहीं करते और जब शुरू भी करते हैं तो उसको बीच में ही छोड़कर बैठ जाते हैं। मनमाना करने वाले (स्वेच्छाचारी) कुछ भी काम तो नहीं करते। सबसे नीच यही तो हैं। “मनमाना करने वाले प्रायः अपने अपने मालिक के दोषों से लाभ उठाने लगते हैं” पुराने आचार्यों के इस विचार पर कौटिल्य का मत है कि वह ऐसा करते ही विनाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि खरीदने वाले इसदंग के लोग न मिलें तो पार्श्वग्राह नामक प्रकरण में वर्णित विधिके अनुसार ऐसी जमीनों

का प्रबंध किया जाय । ऐसे प्रबंध के संबंध में जो संधि की जाती है उसको अभिहित संधि कहते हैं । यदि कोई बलवान् राजा दुर्बल राजा को अपनी उपजाऊ जमीन बेचने के लिये बाधित करे तो इस संबंध में की गई संधि को अनिभृत संधि पुकारते हैं । यदि कोई समान शक्तिवाला राजा ऐसी जमीन को खरीदने का प्रयत्न करे तो यह सोच कर कि—या दूसरा राजा मेरे वश में हो सकेगा ? क्या भूमिके बेचने से जो मित्रता तथा संपत्ति मिलेगी उससे कोई काम निकल सकेगा या सामर्थ्य बढ़ सकेगा ? पुनः यह भूमि लौटाई जा सकेगी ?—जमीन को दे । दुर्बल राजा के विषय में भी यही नियम है ।

जो राजा नीतिशास्त्र में चतुर होता है वह इसी ढंग पर मित्र, हिरण्य, आवाद तथा उजड़ी जमीन, गौ आदिको प्राप्त कर दुश्मनों के संघको परास्त कर देता है ।

११६ प्रकरण ।

कर्म संधि ।



“आओ हम तुम मिलकर किला खड़ा करें” इसप्रकार की संधि को कर्म संधि कहते हैं । उनमें भी जो योग्य स्थान पर कम मेहनत तथा खर्च के साथ किला बनाता है वह दूसरे से अच्छा रहता है । किलों में भी स्थल, नदी तथा पर्वत पर बने किले एक दूसरे से अच्छे हैं । नहरों के बनवाने में वही नहर अच्छी है जिस में पानी बाहर से न लाना पड़े और इसमें भी अधिक पानी वाली उत्तम मानी जाती है । लकड़ी के जंगलों (द्रव्य-वन) में जो नदी से सिंचित तथा कीमती लकड़ी से भरे जंगल को कटवाता है । वही लाभ में रहता है । क्योंकि नदी से सींचा हुआ जंगल अपने आप बढ़ता रहता है तथा आपत्ति में पड़ने पर लोगों का सहारा हो जाता है । हाथी तथा जानवरों से भरे जंगलों में वही जंगल अच्छा है जोकि राष्ट्र की सीमा पर हो, जिसमें शत्रु घुस न सके, जो शेर चीतों से भरा पड़ा हो, जिसके अन्दर हाथियों का वन

हो और जिसके कारण दुश्मन को नुकसान पहुंचता हो। यदि एक जनपद में भीरुओं की संख्या अधिक हो और दूसरे में थोड़े ही आदमी रहते हों परन्तु हों शूरवीर तो इनमें दूसरा ही जनपद उत्तम है। क्योंकि शूर लोगों के सहारे ही लड़ाई लड़ी जाती है। थोड़े से शूरवार सैकड़ों डरपोकों को तितर बितर कर देते हैं और जोकि अन्त में अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचा देते हैं। प्राचीन आचार्यों के इस मत के विरुद्ध कौटिल्य का मत है कि भीरुओं की अधिक संख्या से लड़ाई में अन्य काम लिये जासकत हैं। सैनिकों को खाना आदि यह लोग पहुंचा सकते हैं। शत्रु इन की अधिक संख्या को देखकर डरजाता है और यह उसको कई तरीके से डरा भी सकते हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि इनको सिखा पढ़ाकर शूरवीर बनाया जासकता है। भल, थोड़े शूरवीरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाय? खानों के खुदवाने में भी वही अन्धा रहता है जो कि कीमती चीज की खान को खुदवाता है, जिस तक पहुंचने का मार्ग सुगम हो और जो कि बहुत कम खर्च से ही खोदी जासके। खानों में भी कीमती खान कम और कम कीमती खान संख्या में अधिक होसकती है। पुराने आचार्य हीरा मणि मोती प्रवाल सोना चांदी आदि कीमती खानों को ही उत्तम समझते हैं क्योंकि इनके द्वारा कम कीमती चीजें खरीदी जासकती है। इस से विपरीत कौटिल्य दूसरी प्रकार की खान के ही पक्ष में हैं। उसका ख्याल है कि कीमती चीजों के खरीदार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जब कि कम कीमती चीजें हर समय बेची जासकती हैं। व्यापारीय मार्ग के विषय में भी यही नियम है। प्राचीन आचार्य वारिपथ [जलीयमार्ग] तथा स्थलपथ में खर्च के कम होने से तथा व्यापार के अधिक होने से, सदा एक सदृश न रहने, चोरी डाके के बारंबार पड़ने तथा उनका कुछ भी उपाय न कर सकने के कारण वारिपथ को उत्तम नहीं समझता। स्थल पथ में यही बात नहीं है। वारिपथ में भी समुद्र के किनारे तथा बीच में जाने के अन्दर किनारे जाना ही उत्तम है। क्योंकि जगह पर व्यापारीय नगर तथा बन्दर ग्राह मिलते हैं। इसी प्रकार समुद्रमार्ग तथा

नदीमार्ग में नदीमार्ग गमनागमन के अधिक होने तथा खतरे के कम होने से उत्तम है । स्थलपथ में भी पुराने आचार्यों के अनुसार हैमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मार्ग] दक्षिणा पथ [दक्षिण को जानेवाला मार्ग] से उत्तम है क्योंकि उसके द्वारा हाथी घोड़ा गंध द्रव्य, हाथीदांत, चमड़ा, चांदी, सोने आदि बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है । इससे विपरीत कौटिल्य दक्षिणा पथ को ही उत्तम समझता है । क्योंकि केवल, चमड़ा, घोड़ा तथा व्यापारीय द्रव्यों को छोड़ कर शंख, बज्र, मणि, मोती सोना आदि इसी मार्ग के द्वारा आता है । दक्षिणापथ में भी वही वणिक्पथ उत्तम है जो कि खानों में से गुजरता हो, जिसपर शीघ्रता से चलसकें तथा थकावट कम हो । साधारण पदार्थ तो सभी स्थानों में प्रायः पैदा होते हैं । पूर्व तथा पश्चिम को जानेवाले वणिक् पथ के संबंध में भी यही नियम हैं । गाड़ीकी सड़क तथा पगडंडी में बड़े बड़े कारोबार के होने से गाड़ी की सड़क ही उत्तम है । खरपथ [गद्दे चलने का मार्ग] तथा उप्पपथ [ऊंट चलने का मार्ग] में वही उत्तम है जिसपर चलने में देश तथा काल संबंधी रुकावट न हो बहंगी लेजाने वालों के मार्ग (अंसपथ) के विषय में भी यही नियम हैं ।

विजिगीषु को शत्रु के कार्यों की उन्नति में अपनी अवनति (क्षय) और अवनति में अपनी उन्नति (वृद्धि) तथा समानता में स्थिति (स्थान) समझना चाहिये । कार्यों के अन्दर फल की अपेक्षा खर्च का अधिक होना अवनति इससे विपरीत दशा में उन्नति तथा आय-व्यय की समानताका नाम ही स्थिति है । इसलिये राजा को चाहिये कि दुर्ग आदि के मामलों में वही काम पसन्द करे जिसमें खर्च तो कम और लाभ अधिक हो । कर्म विषयक साधनों में इन्हीं बातों का ख्याल रखना चाहिये ।—

११७ प्रकरण ।

पार्ष्णिग्राह चिंता ।

यदि विजिगीषु तथा शत्रु आपस में मिलकर ऐसे पार्ष्णि [पृष्ठ

वर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करें जो कि अपने शत्रु के साथ पहिले से ही युद्ध उद्घोषित कर चुका है तो जो शक्तिसंपन्न शत्रु की पार्ष्णि पर विजय प्राप्त करता है वही लाभ में रहता है। क्योंकि शक्तिसंपन्न ही अमित्र का नाश करने के बाद पार्ष्णिग्राह का नाश कर सकता है, हीन शक्ति तथा लाभ रहित राजा से ऐसी बात की आशा करना बृथा है। यदि शक्ति समान हो तो जो पूर्ण रूप से तैय्यार [विपुलारम्भ] शत्रु की पार्ष्णि पर आक्रमण करता है वही लाभ में रहता है। क्योंकि तैय्यार शत्रु अपने शत्रु का नाश करने के बाद पार्ष्णिग्राह को भी पराजित कर सकता है। जो पूर्ण रूप से तैय्यार नहीं होता वह सदा ही राष्ट्रमंडल के कुचकों से परेशान रहता है। यदि तैय्यारी समान हो तो जो सब प्रकार से तैय्यार [सर्व संदोह] शत्रु की पार्ष्णि को अपने वश में करता है वह लाभ में रहता है। क्योंकि जिसका मूल [मुख्य भाग] अस्वरक्षित है उस पर शीघ्र ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। जिसने अपने पार्ष्णि की रक्षा का पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया है और सेना के एक भाग को लेकर लड़ाई के लिये प्रस्थान किया है उस पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं रहता। यदि सेनाविषयक तैय्यारी समान हो तो जो चल [जिसका एक स्थान पर निवास न हो] शत्रु की पार्ष्णि को वश में करता है वह अधिक लाभ में रहता है। क्योंकि चल शत्रु पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर विजिगीषु सुगमता से ही पार्ष्णि पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्थित [किले आदि में स्थित] शत्रु पर आक्रमण करने वाला ज्यों ही किले को हस्तगत करने में असमर्थ हुआ और पार्ष्णि पर प्रभुत्व न प्राप्त कर सका त्यों ही शत्रु के पंजे में फँस जाता है। अन्य मामलों में भी यही नियम है।

यदि शत्रु एक समान हों तो जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करने वाले शत्रु की पार्ष्णि को अपने वश में कर लेता है वह लाभ में रहता है। क्योंकि जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करता है उस की अपनी प्रजा भी उससे संतुष्ट नहीं रहती। इससे विपरित अधार्मिक राजा पर आक्रमण करने वाला प्रजा में पूर्णरूप से

प्रिय रहता है । मूल-हर [बाप दादा की जायदाद को अन्याय से नष्ट करने वाला], तादात्विक [फजूल खर्च] तथा कदर्य [कंजूस] राजाओं पर आक्रमण करने वाले शत्रु की पार्ष्णि के विजय करने के भी यही नियम हैं । मित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रु के संबंध में भी यही बातें हैं ।

मित्र तथा अमित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं में जो पहिले की पार्ष्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करना है वह लाभ में रहता है । क्योंकि पहिला शीघ्र ही संधि कर पार्ष्णिग्राह [पार्ष्णि पर आक्रमण करने वाला या जीतनेवाला] का नाश कर सकता है । मित्र के साथ संधि करना सुगम काम है जबकि अमित्र के साथ संधि करना बहुत ही कठिन है । मित्र तथा अमित्र का उद्धार करने वालों में जो मित्रोद्धारक की पार्ष्णि जीतता है वह लाभ में रहता है । क्योंकि अमित्रोद्धारक मित्र की संख्या बढ़ाकर पार्ष्णिग्राह का नाश कर सकता है, जिसने अपने पक्ष का ही नाश कर दिया वह पार्ष्णिग्राह का क्या बिगाड़ सकता है ? । इनमें भी यदि दोनों अलग-अलग लाभ के लिये-यत्न करें तो जिसका अमित्र बड़े भारी नुकसान में हो तथा जिसका आय तथा व्यय बहुत ही अधिक बढ़ गया हो वह पार्ष्णि के ग्रहण करने में लाभ में रहता है । इसी प्रकार लब्ध लाभ के लिये यत्न करने वालों में जिसका अमित्र लाभ तथा शक्ति से रहित हो, ऐसा पार्ष्णिग्राह अधिक लाभ में रहता है । पार्ष्णिग्राहों में भी जिसका यातव्य (जिस पर चढ़ाई की जाय) शत्रु के साथ युद्ध करने में तथा शत्रु को नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो, शीघ्र ही अधिक सेना एकत्रित कर सकता हो तथा स्थित शत्रु के पार्श्व में मौजूद हो वह लाभ में रहता है । क्योंकि पार्श्व में रहने वाला शत्रु शीघ्र ही यातव्य को नुकसान पहुंचा सकता है तथा उसके मूल (मध्य भाग, केन्द्र) में बाधा डाल सकता है । पीछे रहनेवाला [पश्चात्स्थायी] शत्रु के बल मूल को हानि पहुंचा सकता है ।

शत्रु की पार्ष्णि पर विजय प्राप्त करने वाले तथा शत्रु की गति को रोकने वाले राजा तीन प्रकार के हैं (१) शत्रु के पीछे रहने वाले राजा (२) शत्रु के पार्श्वभाग पर रहने वाले राजा (३) अन्तर्धि ।

इन में से विजिगीषु तथा शत्रु के बीच में रहले वाले दुर्बल राजा को ही अन्तर्धि कहते हैं। यह दुर्ग तथा जंगल से शक्ति प्राप्त कर प्रबल से प्रबल शत्रु की गति को रोकदेता है।

यदि विजिगीषु तथा शत्रु मध्यम पर विजय प्राप्त करना चाहें और इसी लिये उसकी पार्ष्णि पर आक्रमण करें तो इन में से जो विजय प्राप्त करने के बाद मध्यम को मित्र से फाड़ देता है या शत्रु होते हुए मित्र को प्राप्त कर लेता है विशेष लाभ में रहता है। मित्रता टूट जाने के बाद पुनः मित्रता करना उतना लाभ प्रद नहीं होता जितना कि शत्रु के साथ संधि करना अन्त में उपकार करता है। उदासीन पर विजय प्राप्त करने का भी यही नियम है। पार्ष्णि तथा अग्रभाग में होने वाले युद्धों में वही उत्तम है जिस में कूटयुद्ध (मंत्र युद्ध) की अधिक संभावना हो। प्राचीन आचार्यों का मत है कि प्रकाशयुद्ध में क्षय तथा व्यय से दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचता है। इस से विपरीत कौटिल्य का मत है कि शत्रु का नाश पूर्ण रूप से कर डालना चाहिये चाहे कितना ही अधिक क्षय तथा व्यय क्यों न हो। यदि किसी के साथ लड़ने में क्षय तथा व्यय समान हो तो जो पहिले अपने सामने के शत्रु को नष्ट कर पीछे के शत्रु को नष्ट करे वह लाभ में रहता है। यदि दोनों ही इसी नियम के अनुसार लड़ें तो जो शक्तिशाली परम शत्रु का नाश करे वही लाभ में रहे। कि अमित्र तथा जांगलिक राजा की सेना के नाश के सम्बन्ध में भी यही नियम है।

यदि विजिगीषु पार्ष्णिग्राह या अभिमोक्षा (अग्र भाग का शत्रु) पर आक्रमण करना चाहे तो इस नीति का अवलम्बन करें।

यदि कोई शत्रु मित्र पर चढ़ाई करे और पार्ष्णिग्राह नेता बने तो सब से पहिले अक्रन्द (पार्ष्णिग्राह के पीछे का शत्रु) को पार्ष्णिग्राह के साथी से लड़ाया जाय और इस के बाद पार्ष्णिग्राह को शत्रु के साथ न मिलने दिया जाय। इसी प्रकार अक्रन्द के साथी को पार्ष्णिग्राह के साथी से और मित्र को शत्रु के मित्र से लड़ाया जाय तथा मित्र-मित्र को शत्रु के मित्र-मित्र से बचाया जाय।

विजिगीषु को चाहिये कि वह अपने अग्रभाग के शत्रु के मित्र को मित्र से लड़ाने और मित्र-मित्र के द्वारा आक्रन्द को पारिणग्राह के साथ मिलने से रोके । इस प्रकार विजिगीषु आगे पीछे से अपने मित्रों को इकट्ठा करे अपनी रक्षा के लिये एक मित्र मंडल बनावे, उन में अपने दूतों तथा गुप्तचरों को बसावे और मित्र बनकर शत्रुओं को गुप्त रूप से मरवावे । विजिगीषु को संपूर्ण कार्य गुप्त रूप से करना चाहिये । क्योंकि गुप्त बात के खुलने पर प्राप्त वस्तु वैसे ही नष्ट होजाती है जैसे कि बीच समुद्र में पड़ी दूदी हुई नाव डूब जाती है ।

११८ प्रकरण ।

हीन शक्ति-पूरण ।

यदि विजिगीषु पर शत्रुओं का संघ आक्रमण करे तो वह उनके नेताको कहे कि "मैं तुमसे संधि करना चाहता हूं । यह सोना है । मैं तुम्हारा सदा मित्र बना रहूंगा । इससे तुम्हारा लाभ दुगुना होजायगा । अपना नुकसान करके मित्र बनेहुए शत्रुओं को बढ़ाने से क्या लाभ ? । शक्तिप्राप्त कर यह लोग तुम्हीं को अन्तमें नुकसान पहुंचावेंगे" । या उनको आपस में फाड़ने के लिये यह कहो कि "जैसे यह लोग मिलकर मेरा अपकार करना चाहते हैं वैसे ही यह लोग (तुम्हारे) तकलीफ में पड़ते ही तुम पर अक्रमण करेंगे । शक्तिप्राप्त करते ही चित्त विकृत होजाता है । अतः इनके जम धट्टको तोड़ने के लिये पूरी कोशिश करो" । ज्यों ही वह आपस में फट जाय तो उनमें जो शक्तिशाली हो उसको कमजोर के साथ या कमजोरों का गुटबनाकर शक्तिशाली के साथ उसको लड़ावे । या जिसदंग पर वह अपना हित समझे उसीदंगपर शक्तिशाली को दूसरों से लड़ावे । यदि वह लाभ अधिक देखे तो पड़यंत्र चकर मौका निकाले और मौका हाथ में आते ही उनके मुखिया के साथ संधि करले । इसके बाद दोनों ओरसे तनखाह पाने वाले कर्मचारी कहें कि आप लोगों के मेल से बहुत ही लाभ है । आप लोग अब आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़गये हैं । या यदि

वह उनमें से किसी को दुष्ट समझें तो कहें कि 'यह संधि तो ठीक नहीं मालूम पड़ती'। और जब वह आपस में फटजावें तो कहें कि 'देखो वही हुआ जो कि हमने पहिले से प्रकट किया था'। विजिगीषु को चाहिये कि शत्रु के गुटके पूर्ण रूपसे टूटजाने पर जिस किसी को चाहे अपने वशमें करले।

यदि शत्रुओं के संग का कोईभी मुखिया न होता उनमें से १ जो संग को उत्साह देता हो, २। स्थिर स्वभाव का हो, ३। जिस में प्रकृति अनुरक्त हो; ४। जो लोभ या भयसे संग में आमिला हो, ५। जो विजिगीषु से डरता हो, या ६। जो कि उनमें से विजिगीषु का रिश्तेदार हो; या ७। मित्र हो या ८। दुश्मन हो तो इधर उधर फिरता हो—तो इन में क्रमशः जिसको अपने साथ मिलासके मिला लेवे। इन में से १ पहिले को आत्म समर्पण के द्वारा, २ दूसरे को मनाने तथा अपने सिर झुकाने के द्वारा, ३ तीसरे को अपनी लड़की देकर या अपने लड़के को उसकी लड़की के साथ व्याह कर ४ चौथे को लाभ का आधा देकर, ५ पांचवे को रुपया सेना आदि देकर या समझा बुझाकर, ६ छठे को एकता तथा अधिक सम्बन्ध बढ़ाकर, ७ सातवें को प्रेम तथा हित की बातें कहकर या कुछ देकर और ८ आठवें को लाभ पहुंचाकर या उसकी हानि को न कर—अर्थात् जो जिस प्रकार काबू में आसके उसको उसी प्रकार काबू में लाकर अपना मतलब सिद्ध करे या आपत्ति पड़ने पर साम दान भेद दंड के द्वारा वैसा ही करे जैसाकि लिखा जाचुका है।

यदि विजिगीषु किसी भयंकर आपत्ति में पड़ने की आशंका करता हो तो शत्रुको रुपया पैसा सेना आदि देकर और देश काल कार्य विषयक शर्तों को पक्का कर संधि करे। यदि संधि की कोई शर्त उससे टूट जाय तो उसका उपाय करे यदि उसका पक्ष कमजोर हो तो बन्धु तथा मित्र के सहारे अपने पक्ष को प्रबल करे, या अभेद्य तथा आविजेय दुर्ग बनावे। क्योंकि कि जिस राजा के पास किला होता है उसको शत्रु तथा मित्र दोनों ही आदरकी दृष्टि से देखते हैं।

जिसराजा के पास मंत्रशक्ति की कमी हो उसको चाहिये कि वह बुद्धिमान् पुरुषों को इकट्ठा करे तथा विद्वान् लोगों के साथ मेल जोल बढ़ावे । इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है । जिसका प्रभाव [प्रभव] कम हो उसको प्रकृति के योग क्षेम बढ़ाने के लिये यत्न करना चाहिये । क्यों कि सब कामों का आधार जन पद पर है और इसीसे राजा का प्रभाव बढ़ता है । आपत्ति पड़ने पर दुर्ग ही अपना तथा जनपद का अन्तिम सहारा होता है ।

खेतों का आधार सेतुबन्ध [नहर] पर है । सेतु [नहर] के द्वारा साँचने पर सदाही वृष्टि के लाभ मिलते रहते हैं ।

शत्रु पर आक्रमण करने का आधार वणिक्पथ [व्यापारीय मार्ग] है । वणिक्पथ के द्वारा ही गुप्त चरों का आना तथा शस्त्र कवच घोड़ा गाड़ी आदि का खरीदना होता है । खानि [खान] संग्राम के हथियारों का, द्रव्य वन (लकड़ी का जंगल) किले के कामों का, तथा घोड़े गाड़ियों और रथों का, हरिण वन (हाथी का जंगल) हाथियों का और व्रज (गोचर भूमि) गौ घोड़ा रथ ऊंट आदियों का प्राप्ति स्थान (योनि) है । यदि किसी के पास उपरि लिखित साधन न हों तो वह बन्धुओं तथा मित्रों से उनको प्राप्त करे । यदि उसके पास सेनाकी कमी हो तो श्रेणी के वीर वीर पुरुषों, चोरों जंगलियों म्लेच्छों, दूसरे को हानि पहुंचाने वाले गुप्त चरों आदिकों को इकट्ठा कर सेना बनावे । शत्रुओं के साथ उसी नीति का अवलंबन करे जो कि एक दुर्बल को सबल के साथ काम में लाना चाहिये ।

पक्ष, मंत्र, द्रव्य तथा सैन्य से शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु शत्रु से उन अपमानों का बदला ले जो कि उसके साथ किया हो ।

११९-१२० प्रकरण ।

प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु का चरित्र ।

यदि बलवान् राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो दुर्बल राजा को उसके सदृश बलवाले ऐसे राजा का आश्रय ग्रहण करनेना चाहिये जिसको कि वह मंत्रशक्ति से न फाड़सके । यदि मंत्रशक्ति में कोई दो राजा समान हों तो उनमें से वही उत्तम है जो कि समृद्ध हो और जिसके यहां विद्वान् लोगों का निवास हो । यदि उसके समान बलवाला राजा ना मिले तो जिसकी सेना या सेनामें मनुष्यों की संख्या उसके समान हो उसके साथ मिल जाय । बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्रशक्ति या प्रभाव से फटजाने वाला न हो । मन्त्र तथा प्रभाव में समान राजाओं के अन्दर भी वही अच्छे है जो कि बहुत ही अधिक तैय्यार हों । यदि समान बलवाले राजा भी न मिलें तो वह उत्साही विश्वासपात्र तथा शत्रुका सामना करने में समर्थ बहुत से कमजोर राजाओं से मित्रता करले बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्रशक्तिप्रभाव तथा उत्साहशक्ति से पृथक् न होसकें । उत्साह तथा शक्ति में समान राजाओं में वही अच्छे हैं जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो । यदि दो राजा युद्धभूमि में समान हों तो उनमें वही लाभकर हैं जिनमें युद्ध करने का समय ठीक हो । इसमें भी जो समान हों उनमें रथ, शस्त्र तथा कवच के द्वारा विशेषता करलेनी चाहिये ।

यदि कहीं से भी सहायता ना मिले तो ऐसेदुर्ग की शरण ले जिसमें शत्रु अन्न घास लकड़ी पानी आदि की रुकवटें न डालसकें चाहे उसके पास अधिक से अधिक सेना क्यों न हो । यदि वह रुकवट डालना ही चाहे तो उसको भयंकर क्षय तथा व्यय का सामना करना पड़े । यदि ऐसेदुर्ग बहुत से हों तो उनमें वही उत्तम है । जिसमें धान्य तथा अन्न का संप्रद सुगमता से कियाजासके ।

कौटिल्य का मत है कि जिसके पास धान्य तथा अन्न का संग्रह हो वह मनुष्यों से परिपूर्ण दुर्ग में रहे। उसको निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये:—

जब वह यह देखे कि—मैं पार्ष्णिग्राह तथा उसके साथी को मध्यम बनाऊँगा, या—सामन्त जांगलिक या उसके किसी कैदी से उसका राज्य छिनवाऊँगा, या उसको मरवादूँगा, या—कृत्यपक्ष [शत्रु के साथ मिल जाने वाले लोग] को अपने साथ मिलाकर उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा स्कंधावार (छावनी) में विद्रोह करवादूँगा, या—उसके साथ घनिष्टता बढ़ाकर शस्त्र, रस, अग्नि या औपनिषदिक योग [गुप्त रूप से मारने के तरीके] से उसको सुगमता से मनमाने ढंग पर मरवा डालूँगा, या—योग प्रणिधान [शत्रु को नष्ट करने के साधन] का स्वयं प्रयोग कर उसका क्षय तथा व्यय करा दूँगा, या—क्षय व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल होते ही उसके मित्रवर्ग तथा सेनामें फूट डलवा दूँगा, या—मनुष्य तथा अन्न सामग्री को रोककर उसकी छावनी [स्कंधावार] को घेरलूँगा, या—दंडोपनय (आत्म समर्पण) के द्वारा मैं उसकी कमजोरियों पर पूरी तैयारी के साथ प्रहार करूँगा—या उसका उरलाह भंग कर सुगमता से ही उसके साथ संधि कर लूँगा—या मेरे ऊपर जादा रोक टोक करते ही उसके पक्ष के लोग विद्रोह करदेंगे—या उसके निरासार मूल को अमित्र अटवी आदि की सेनाओं से सत्यानाश कर दूँगा—या बड़े से बड़े देश के योग क्षेम (कल्याण) का प्रबंध यहां बैठे ही बैठ कर सकूँगा—या स्वयं ही या मित्र लोगों के द्वारा मेरी सेना बिगड़ गई है और मैं उसको अकेले ही न संभाल सकूँगा—या मेरी सेना निम्न [नदी] खात (गढ़ा) तथा रात्रि संबंधी युद्ध में निपुण है इसलिये भोजन आदि की बाधा होते हुए भी आगामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती है—या शत्रु के लिये यहां की देश काल आदि अवस्थायें अनुकूल नहीं हैं। यहां आने पर यह क्षय तथा व्यय से लड़ाई करने में अपने आप असमर्थ हो जायगा। या—इस देश में भयंकर क्षय तथा व्यय का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किले जांगलिक सेना [अपसार]

आदि का उसको सामना करना पड़ेगा। या शत्रु की सेना के लिये यह देश रोग रूप है। वह इस देश पर चढ़ाई करके भी यहां के पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकता है। इस देश में प्रवेश करते ही उस पर विपत्ति का पहाड़ आ टूटेगा। यदि वह इस पर भी देश में घुस आया तो यहां से बाहर न निकल सकेगा—तो दुर्ग का आश्रय ले। यदि वह यह देखे कि उपरिलिखित दशा से विपरीत दशा है और शत्रु की सेना बहुत ही अधिक प्रबल है तो दुर्ग को छोड़ कर भाग जावे। या अग्नि में जैसे पतंग गिरता है वैसे ही अमित्र के देश में घुसजावे।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि अपना देश छोड़ने पर भी किसी न किसी प्रकार का लाभ होता ही है। इस के विपरीत कौटिल्य का मत है कि—अपनी तथा परायी हालत को देखकर संधि करे। यदि हालत ठीक न देखे तो आक्रमण तथा विक्रम के द्वारा संधि या अपसार (जांगलिक सेना) के लिये कोशिश करे। संधेय लोगों के पास दूत भेजे। यदि वह लोग दूत भेजें तो उनका अर्थ तथामान से सत्कार कर और कहें कि “यह सब महाराज का ही है। महाराणी तथा राजकुमारों का ही यह पण्यागार है। उनही की ओर से मैं इस राज्य का प्रबंध कर रहा हूं। मन तो उन लोगों के लिये अपना आत्म समर्पण किया हुआ है”। इस प्रकार दूसरे राजा का आश्रयग्रहण देश तथा राज्य के नियमों के अनुसार (समयाचार) स्वामी के साथ व्यवहार करे। दुर्ग कर्म (किला बनाना), आवाह (उपनिवेश बसाना), विवाह, पुत्राभिषेक, पण्य तथा हाथी का लेना, सत्र (भयंकर स्थान) यात्रा (चढ़ाई कर) विहार में जाना आदि काम स्वामी की आज्ञा के अनुसार करे। यदि अपने देश के लोग रुष्ट हो जायें तो न्याय करने का अधिकार मांगे या कहें कि मुझ को किसी दूसरे देश का शासक नियुक्त कर दो। या राज्यद्रेहियों के सदृश ही दुष्टों के साथ भी उपांशु दंड का प्रयोग करे। मित्र यदि अच्छी से अच्छी भूमि भी दे तो न ग्रहण करे। स्वामी न हो तो मंत्री पुरोहित युवराज सेनापति, आदियों में किसी को स्वामी समझकर काम करे। स्वामी का यथाशक्ति उप-

कार करे । देवतासम्बन्धी स्वस्ति वाचन में उसके लिये क्लृप्ता की प्रार्थना करे । और सदा ही स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिये तत्पर रहे ।

दंडोपनत (पराजित या आश्रित) को चादिये कि जो लोग धलवान् तथा संगठित हों उन से मेल जाल और शंभित लोगों से विरोध रखकर स्वामी की सेवा करे ।

१२१ प्रकरण ।

पराजित राजा का व्यवहार ।

विजयी को खर्च तथा धन सम्बन्धी विषयों में डालने के उद्देश्य से पराजित राजा को चाहिये कि विजय की इच्छा से स्वामी की आज्ञा लेकर ऐसे शत्रु पर चढ़ाई कर दे जहां कि भूमि तथा शत्रु अपने सैनिकों के लिये अनुकूल हो और किला, पार्ष्णि आदि की बाधा न हो । यदि यह बातें पूर्ण रूप से न हों तो उपाय करके चढ़ाई करे । दुर्बल शत्रुओं को साम तथा दान से और प्रबल शत्रुओं को भेद तथा दंड से अपने वश में करे । पड़ोस तथा दूर के शत्रुओं को तीनों उपायों में एक या दो या तीनों के सहारे अपने वश में करे । साम उपाय के अनुसार ग्रामाणों जंगलियों पशुपालकों तथा व्यापारियों को वचन दिया जाय कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और प्रजा को कहा जायगा कि मैं बहिष्कृत, पतित तथा प्रवासित लोगों को पुनः बुला लूंगा । दान उपाय के अनुसार भूमि, द्रव्य, कन्या आदि के साथ साथ अभय दान दे । भेद उपाय के अनुसार सामंत, जांगलिक, कुलीन, कैदी आदियों में से किसी को कोश, सैन्य, भूमि तथा दाम आदि के मांगने के लिये भड़कावे । दंड उपाय के अनुसार प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तुर्णों युद्ध तथा दुर्ग जीतने के उपाय के द्वारा अमित्र को दंड दे । इसी प्रकार उदाही सेनापतियों को नियुक्त करे जोकि प्रभाव युक्त हों; कोश का उपकार कर सकते हों, बुद्धिमान हों तथा भूमि के द्वारा समय पर सहायता पहुंचा सकते हों । इन में—जो मंडी, ग्राम, खान आदि से पैदा होने वाले

रत्न सार तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) से और द्रव्यवन तथा हस्ति वन से प्राप्त गाढ़ी घोड़े से बारंबार उपकार करे वह चित्र भोग—जो दंड [सैन्य] तथा कोश से सहायता पहुंचावे वह महा भोग—जो दंड, कोश तथा भूमि से सहायता दे वह सर्वभोग—जो एक ओर से अमित्र को रोके वह एकतोभोग—जो अमित्र तथा आसार [साथी] का भी साथ उपकार करे वह उभयतोभोगी—और जो अमित्र, आसार [साथी] पड़ोसी तथा जांगलिकों से रक्षा करे वह सर्वतोभोगी कहाता है।

यदि पार्ष्णिप्राह, आहविक, शत्रुमुल्य तथा शत्रुभूमि लेकर शान्त किये जा सकें (भूमिदानसाध्य) तो उनको निर्गुण (अनुत्पादक) भूमि देकर अपना काम निकाले। यदि उनमें से कोई दुर्गस्थ हो तो उसको अप्रतिसंचद्धा (पृथक् पृथक् विद्यमान) आटविक हो तो उसको निरूपजीव्या (जो कि किसी भी अर्थ की न हो), शत्रुसे कैद किया गया कुलीन हो तो उसको अशत्रु से घिरी हुई प्रत्योदया [जिसको लौटा देना पड़े], श्रेणीबल हो तो उसका नित्यामित्रा (जहां के लोग सदा ही दुश्मनी करते हों या जिसमें शत्रु की प्रबलता हो), संहतबल (जिसकी सैना संगठित हो), होतो उसको बलवत्सामन्ता [वह भूमि जिसपर शक्ति शाली सामन्त शासन करता हो], प्रतिलोम (विरोधी) हो तो उसको द्वन्द्वयुद्ध, उत्साही हो तो उसको अलव्धव्यायामा (जिसमें सैन्य संग्रह न किया जा सके), अरिपर्वीय (शत्रु के पक्षका) हो तो उसको शून्या, अपवाहित (दूसरे देशमें बसाया गया) हो तो उसको कर्शिता (पहिले से ही निचोड़ ली गई), गतप्रत्यागत (जाकर पुनः लौटा हुआ) हो तो महाक्षयव्ययनिवेशा [जिस पर उपनिवेश बसाने में बहुत ही क्षय तथा व्यय हो], प्रत्यपसृत [भाग हुआ] हो तो उसको अनुपाश्रया [जो कि आश्रय देने में समर्थ हो] और यदि वह अपना ही स्वामी (राजा या मालिक) हो तो उसको परानधिवास्या (शत्रु रहित) भूमि देकर प्रसन्न करे।

विजिगीषु उन लोगों के प्रति उपरीलिखित नीतिका ही अवलंबन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा सदा साथ देने वाले हों

और जो कि इससे विपरीत हों तो उनको उपांशु दंड [चुप्पे से मरवादेना] से मरवादे । जो उपकार करने वाले हों उनको उपकार-शक्ति से संतुष्ट रखे । जो कष्ट उठावें उनकी अर्थ तथा मान से पूजा करे । जो कष्ट में पड़जाय उनपर अनुग्रह करे । जो स्वयं आवे उनसे खुशी खुशी मिले और साथ ही स्वयं भी उनके यहां जावे । प्रतिविधान वेइज्जती, भिड़की, निन्दा तथा बकवाद आदि से दूर रहे । शरण में आयेहुओं को अभयदान दे तथा उनपर पिताकी तरह अनुग्रह करे । जो नुकसान पहुंचावे उसके दोषको जनता में प्रकट कर उसको कतल करवादे । यदि इसमें दूसरे के उद्दिष्ट होजांन की आशंका देखे तो उसको चुप्पे से मरवादे । जो लोग मरवाये जाय उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों को ग्रहण करने के लिये आंख न उठावे । उनके घर में जो लोग अच्छे तथा योग्य हों उनको उचित स्थान दे । यदि कोई राजकीय काम में मरजाय तो उसके पुत्र को उसके राज्य पर बैठाये । इस नीति का अवलंबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पौत्र विजिगीषु का साथ नहीं छोड़ते । जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों पर भी हाथ सफा करता है तो राज्य मंडल उससे उद्दिष्ट होजाता है और उसके विनाश के लिये यत्न करने लगता है । उसके जो अमात्य हैं वह भी उसे घबड़ा कर विरोधियों का ही साथ दे देते हैं या स्वयं उसके राज्य को छीन लेते हैं या उनकी जान ले लेते हैं ।

साम उपायके द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी भूमियों पर शासन करने दिया जाए तो वह तथा उनके पुत्र तथा पौत्र विजयी की आज्ञाका उल्लंघन नहीं करते तथा उसीके पाँछे चलते हैं ।

१२२-१२३ प्रकरण ।

संधि का करना तथा तोड़ना ।

शम, संधि तथा समाधि एक दूसरे के पर्याय हैं । राजाओं के विश्वास की स्थिरता इसी पर निर्भर है । प्राचीन आचार्य्य शपथ

या सत्य के आधार पर की गई संधि को चालसंधि (अस्थिर संधि) और प्रतिभू (सारव) तथा प्रतिग्रह (किसी चीज को ग्रहण करना) के आधार पर की गई संधि को स्थावरसंधि (स्थिरसंधि) समझते हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि सत्य तथा शपथ पर आश्रित संधि दोनों लोकों के लिये स्थिर (स्थावर) होती है। प्रतिभू तथा प्रतिग्रह पर आश्रित संधि तो इसी लोक के लिये होती है और इसकी स्थिरता बल पर निर्भर है।

पुराने जमाने में सत्यप्रतिज्ञ राजा "हमारी संधि है" यह कह कर सत्य पर दृढ़ रहते थे। इस के बाद आग, पानी, खेत, मकान, धातु, हस्तिस्कंध [हाथी का कंधा] अश्वगृष्ठ, रथोपस्थ (रथ की गद्दी), शस्त्र, रत्न, धान्य (बीज), गंध, रस, सुवर्ण, हिरण्यदि को हाथ में लेकर या छुकर यह शपथ करने लगे कि जो शपथ का उल्लंघन करे उसको अमुक वस्तुएं नष्ट करे तथा सदा के लिये छोड़ दे। शपथ के उल्लंघन करने पर जिस संधि में बड़े बड़े तपस्वियों तथा मुखियों को बीच में रखा जाय [प्रातिभा व्यबंध] उसको प्रतिभूसंधि कहते हैं। इसमें भी जो शक्तिशाली व्यक्ति को प्रतिभू मध्यस्थ बनाता है वह लाभ में रहता है। जो यह नहीं करता वह नुकसान में रहता है। बंधुओं तथा मुखियों को जिसमें जमानत के तौरपर रखा जाय उसको प्रतिग्रहसंधि कहते हैं। इसमें भी जो राज्यद्रोही या उसके पुत्रको जमानत के तौरपर देता है वह लाभ में रहता है। इससे विपरीत काम करने वाला हानि में रहता है। जमानत लेकर प्रायः राजा निरपेक्ष होजाते हैं। मौका पाकर शत्रु उसकी दुर्बलताओं से लाभ उठाता है। अपत्यसंधि में यदि लड़के लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता हो तो जो लड़की देता है वह लाभ में रहता है। क्योंकि कन्या को पिता की संपत्ति नहीं मिलती और साथ ही वह अनर्थ तथा क्लेश को पैदा करती है। लड़के में यही बात नहीं है। यदि संधि में पुत्र के देने की शर्त हो तो जो जात्य [समान जातिकी स्त्रीसे उत्पन्न], शूर, प्राण (बुद्धिमान), कृतास्त्र (शस्त्रविद्या में निपुण) या एकपुत्र (इकलौता

लड़का) को देता है वही लाभ में रहता है और दूसरा नुकसान में रहता है। जात्य तथा अजात्य में अजात्य का देना ही ठीक है क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं होता और उसको जायदाद प्राप्त होने का अधिकार भी नहीं होता है। प्राज्ञ तथा अप्राज्ञ में मंत्रशक्ति में सहायक न होने से अप्राज्ञ, शूर अशूर में उत्साह शक्ति न होने से अशूर, कृतास्त्र अकृतास्त्र में प्रहार करने का शक्ति के न होने से अकृतास्त्र और एकपुत्र अनेकपुत्र में जो निरपेक्ष हो उसको देना चाहिये। जात्य और प्राज्ञ पुत्रों में जात्य यदि अप्राज्ञ भी हो तो प्रकृति तथा प्रभुता (पेदवर्ग) उसी का साथ देती है। निस्सन्देह अजात्यप्राज्ञ में मंत्रशक्ति विशेष होती है। परन्तु अप्राज्ञजात्य बुद्धिमान लोगों की सहायता से उसको मंत्रशक्ति में भी पराजित करदेता है। प्राज्ञशूर में अशूरप्राज्ञ बुद्धि के बलसे कठिन से कठिन काम करलेता है। निस्सन्देह अप्राज्ञशूर बली होता है। परन्तु प्राज्ञ धैर्य ही उसको अपने वशमें करलेता है जैसे कि शिकारी (लुब्धक) हाथी का अपने काट करलेता है। शूरकृतास्त्र में अकृतास्त्र शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कामों को उत्तम विधिपर करता है। इससे विपरीत अशूरकृतास्त्र निशाना ठीक लगाता है। निशाना ठीक लगाने वालों में भी शूरकृतास्त्र धैर्य, विवेक तथा असंमोह आदि गुणों से अच्छा रहता है। एकपुत्र तथा बहुपुत्र में बहुपुत्र एक को देकर कुछ समय तक शंभता है और फिर संधि तोड़देता है। एकपुत्र पुत्र को देकर ऐसाकभी भी नहीं करता। यदि साथ में पुत्र तथा सर्वस्व देनेकी शर्त हो तो पुत्र तथा फल की विशेषता का ब्याल रखना चाहिये। जिनके लड़के हों उनमें भी भावी संतान के अनुसार विशेषता करनी चाहिये। भावी संतान वालों में भी वही उत्तम है जिनके कि शीघ्र ही बालक होने वाला हो। शक्तिमान् एकपुत्र (जिसके बच्चा होने वाला हो) के होने पर वह अपने आपको जमानत में रखदे वशर्त कि उसको अन्य लड़के के होने की संभावना न हो। परन्तु एकपुत्र को जमानत में कभी भी न रखे।

यदि शक्ति बढ़ने लगे संधि तोड़ डाले। जमानत में रखेगये राजकुमार के चारों ओर कारीगर शिल्पी आदि के भेष में सत्री

लोग काम कर और रात में सुरंग लगाकर राजकुमार को उड़ा ले आवें या नट, नर्तक, गायक, वादक, भांड, कुशीलव [भाट] प्लवक [तैरने वाले] सौहिक आदि शत्रु के पास रहें और राजकुमार से मिलते रहें। वह आने जाने रहने आदि का समय निश्चित न रखें। मौका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अन्दर बाहर निकल आवे। स्त्री के भेष में रंडियां (रूगाजीवा) यही कर सकती हैं। राजकुमार उनकी तुर्ही बाजे आदि लेकर बाहर आजावे।

सूद, अरालिक (पाचक), आपक, संवाहक (शरीर मलने वाला) आस्तरक (विस्तर बिछाने वाला), कल्पक, प्रसाधक (सजाने वाला), कहार, आदि कपड़े लत्ते वर्तन बाजे विस्तर आसन आदि सामान में छिपाकर राजकुमार को बाहर ले आवें। या नौकर के भेष में कुविरिया के समय में वह स्वयं बाहर आजावे। या सुरंग के द्वारा या रात के समय तालाब में देरतक डुबकी लगाने के द्वारा भाग जावे। वैदेहक के भेषमें सभी लोग पहरेदारों को मिठाई फल आदि देने के बहाने इधर उधर करें। या देवता के प्रसाद, उपहार आदि, प्रवहण (सैर कट०) आदि के निमित्त अन्नपान आदि दें और उसमें मैनफल से बनी जहर मिला दें। शहरी, भाट, वैद्य, हलवाई आदि के भेष में सभी पहरेदारों को शावासी दें और साधही रात में मालदार मकानों में या वैदेहक के भेष में गुप्तचर पहरेदारों के माल असबाब में आग लगा दें। या राजकुमार सेंध, सुरंग, आदि को लगाकर अपने मकान में आग लगा दे और चुपे से बाहर निकल जाय। या शीशे के वर्तन ढोने वाले लोगों के भेष में निकल आवे मुंडों तथा जटाधारियों के आश्रमों में उन्हीं के भेष में रात बितावे बीमार बंद सूरत जंगली आदि के भेष में या भूत प्रेत के भेष में फिरने वाले गुप्तचरों के साथ स्त्रीका भेष बनाकर भी राजकुमार बाहर निकल सकता है। यदि शत्रु के सैनिक उसका पीछा करें तो बनेले के भेष में फिरने वाले गुप्तचर उनको दूसरा राजा बता दें और उसको किसी दूसरी ओर से बाहर निकाल दें या वह गाड़ीवालों की गाड़ियों में छिपकर भाग जावें। यदि शत्रु बहुत ही अधिक पास हों तो सत्र (दल दल आदि से घिरा भयंकर स्थान) का सहारा ले।

यदि समीपमें कोई सत्र न हो तो सोना या जहर मिला उत्तम उत्तम भोजन सड़क के दोनों ओर फेंक दें । और इसप्रकार अपने भागने का प्रबंध करे । इतना यत्न करने पर भी यदि वह पकड़ा जाय तो तो सामादि उपाय या जहरीला खाना या लम्बी डुपकी या आग आदि से अपना पीछा छुड़ाने का यत्न करे और शत्रु पर यह कहकर आक्रमण करे कि "तुमने मेरे लड़के को मार डाला है ।"

—या गुप्तरूप से हथियारों को लेकर पहरेदारों पर आक्रमण करे और तेज भागने वाले गुप्तचरों के साथ भाग जावे ।

१२४-१२६ प्रकरण ।

मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य ।

[क]

मध्यम मंडल के कार्य ।

मध्यम से तृतीय तथा पांचवी प्रकृति प्रकृति [मित्रराष्ट्र] और द्विती । चतुर्थ तथा षष्ठ प्रकृति विरुद्धि (शत्रुराष्ट्र) नाम से पुकारी जाती है । यदि मध्यम दोनों का अनुग्रह करे तो विजिगीषु मध्यम के अनुकूल और अनुग्रह न करे तो उसके प्रतिकूल होजाय ।

यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र या भार्यामित्र पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो वह मित्र के तथा अपने मित्रों को लड़ने के लिये तैयार करे और मध्यम के मित्रों को उससे फाड़कर अपने मित्र को बचावे । राष्ट्र मंडल को प्रोत्साहित करे और कहें कि "मध्यम बहुत ही शक्तिशाली होगया है । अब वह हम सब को नाश करने के लिये तैयार होगया है । आओ आपसमें मिलकर उसकी चढ़ाई को निष्फल करें" । यदि राष्ट्रमंडल मंजूर करले तो उनके साथ मिलकर मध्यम को नीचा दिखावे । यदि यह बात न हो तो अपने मित्र को धन तथा सैन्य [कोश दंड] से सहायता पहुंचावे और मध्यम से दुश्मनी रखने वाले राजाओं को इकट्ठा करे । यदि वह एक दूसरे का मुंह ताकते हों, एक उठ खड़ा हो तो और उठ खड़े

होने के लिये तैयार हों या आपस में एक दूसरे से डरते हों तो उनमें जो मुखिया हो उसको साम तथा दान से अपने वशमें करे। इसी प्रकार दुगुना तथा तिगुना देकर द्वितीय तथा तृतीय प्रकृति को भी अपने साथ मिला ले। जब अपनी शक्ति पर्याप्त अधिक देखे तो मध्यम को सदा के लिये दबाये।

यदि देश तथा काल उपरिलिखित यत्न के बाध न हों तो मध्यम के शत्रु के साथ संधि कर ले और देशद्रोहियों को उसके विरुद्ध संगठित करे। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्रों को कम करना चाहे और इसी उद्देश्यसे उनके साथ संधि करना शुरू करे तो विजिगीषु अपने मित्र को कहे कि "मैं तुम को तबतक बचाता रहूंगा जबतक कि तुम दुर्बल हो" और साथ ही दुर्बलता की दशा में उसकी रक्षा भी करे। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र को सदा के लिये नष्ट करना चाहे तो विजिगीषु उसको बचावे और यदि वह मध्यम के डर से भाग खड़ा हो तो वह उसको अन्यत्र आश्रय लेने से रोक कर अपने यहां आश्रय दे तो उसको भूमि भी देवे। यदि मध्यम के उच्छेदनीय [जिसको वह नष्ट करना चाहता हो] तथा कर्शनीय [जिस की शक्ति को वह कम करना चाहता हो] शत्रु [विजिगीषु के मित्र] मध्यम के साथ मिल जाय तो विजिगीषु दूसरे राजा के साथ संधि कर ले। यदि मध्यम के ऐसे मित्रों के साथ विजिगीषु दोस्ती कर ले जिनको कि मध्यम दबाना या नष्ट करना चाहता है तो उसका स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय और मध्यम भी उसके साथ प्रीति का व्यवहार करने लगे।

यदि मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र को अपने वशमें करना चाहे तो विजिगीषु किसी दूसरे राजा के साथ संधि कर ले। और मित्र को कहे कि "तुम मध्यम के साथ न मिलो। मैं तुम्हारी मित्रता को चाहता हूं"। या यदि देखे कि "राष्ट्रमंडल उससे कुपित हो जायगा यदि वह अपना पक्ष छोड़ेगा" तो चुप होकर बैठ जाय। यदि मध्यम विजिगीषु के दुश्मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो वह चुपे चुपे अपने शत्रु को धन तथा सैन्य से सहायता पहुंचावे। यदि मध्यम उदासीन राजा को अपने वश में करना चाहे तो

विजिगीषु उसको उससे फाड़दे। राष्ट्र मंडलमध्यम तथा उदासीन में जिसके पक्ष में हो, विजिगीषु उसी का पक्ष ले। मध्यम के सदृश ही उदासीन के साथ व्यवहार किया जाय यदि वह विजय की इच्छा करे।

[ख]

उदासीन मंडल.

यदि उदासीन मध्यम पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो विजिगीषु उसको किसी दूसरे शत्रु के साथ लड़ाने की कोशिश करे, या किसी दूसरे मित्र की सहायता के लिये प्रेरित करे या स्वयं किसी दूसरे उदासीन राजा की सहायता प्राप्त करे। इस प्रकार अपने आपको शक्तिशाली बनाकर विजिगीषु शत्रु प्रकृति को नीचा दिखावे, मित्रप्रकृति को सहायता देवे चाहे वह उसके प्रति अन्धरूनी दुश्मनी ही क्यों न रखते हों ?

विजिगीषु के भावी शत्रु वही हैं जो कि सदा ही उसका अपकार करें, तकलीफ में उसपर चढ़ाई करें या उसकी तकलीफों की प्रतीक्षा करें। शत्रुओं के साथ रहने वाला पार्ष्णिग्राह भी इसी में संमिलित है इसी प्रकार विजिगीषु के भावी मित्र वही हैं जोकि उसके साथ एक उद्देश्य से या भिन्न उद्देश्य से, मिल कर या पृथक् होकर, स्वार्थ से या शान्ति की इच्छा से, कोशदंड में किसी एक को खरीदकर या बेचकर, शत्रु पर आक्रमण करें या द्वेषीभाव (किसी एक के साथ लड़ना तथा दूसरे के साथ संधि करना) की नीति का अवलंबन करें। उसके भावी भृत्यों में वह लोग संमिलित हैं जोकि बलवान् राजा के पीछे (पार्ष्णिग्राह) मौजूद हों, और जोकि विजिगीषु के प्रताप से या सैन्य के भय से या स्वयं ही उसकी आधीनता में आगये हों। विजिगीषु के दुश्मनों के पीछे जो राजा हों उनके साथ भी यही नियम है।

शत्रु के साथ विरोध बढ़ने पर विजिगीषु उसी मित्र का सहारा ले या उसको सहायता पहुंचावे जिसका उद्देश्य उससे मिलता हो और इस प्रकार शत्रुको नीचा दिखावे। यदि शत्रुको जीतने के बाद मित्र की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़जाय और वह किसी के

भी काबूका नरहे तो सामंत तथा उसके अड़ोस पड़ोस के राजाओं से उसका भगड़ा करवादे ।

— या कुलीन या कैप में पड़े राजकुमार के द्वारा उसकी भूमि को छिनवा ले और उसको इस हालत में पहुंचाये कि वह सदा ही उसके अनुग्रह की इच्छा रखता हुआ वशमें रहे ।—या अमित्र का उपकार कभी भी न करे और अत्यंत कर्षित [चूसांगया] राजा को अपना मित्र बना लेवे वशतें कि वह उससे कमजोर या शक्ति शाली न होवे । यदि कोई मित्र राजनैतिकदृष्टि [अर्थ युक्ति] से चलसंधि [अस्थिर संधि] करे तो ऐसा दल करे जिससे वह स्थिर मित्र बनजाय और उन कारणों को दूर करदे जिनके कारण वह अपने से डर रहता हो । यदि इसपर भी वह शत्रु ही बनारहे तो उस शत्रुको साथियों से फाड़दे और इसके बाद उसको नष्ट करदे । यदि वह उदासीन बनारहे तो उसको सामन्तों के साथ विरोध करवादे और इसप्रकार जब वह भगड़ों के कारण तकलीफ में पड़जाय तो उसके साथ उपकार करे । जो दुर्बल होनेके कारण अमित्र तथा विजिगीषु दोनों का ही साथ दे । उसको सेना द्वारा सहायता दे और ऐसी कोशिश करे जिससे वह पराङ्मुख न होवे । या उसको वहां से हटाकर दूसरी भूमिका स्वामी बनादे और उस ब्यालपर, सैनिक सहायता देकर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करदे । जो शक्ति प्राप्त करते ही नुकसान पहुंचावे और आपत्ति पड़ने पर किसी भी ढंगकी सहायता देवे उसको विश्वास दिलाकर अपने साथ रखे और मौका पड़नेपर उसको मारडाले । मित्र पर तकलीफ पड़ते ही जो दुश्मन उच्छृंखल होकर आक्रमण करने के लिये तैय्यार हो जाय तो मित्रकी तकलीफों को दूरकर मित्रके द्वारा ही उसपर आक्रमण करवाये । जो मित्र शत्रु के कष्टमें पड़ते ही अपने से विरक्त होजाय उसको कष्ट से मुक्तहुए हुए शत्रु के द्वारा ही वश में करे । अर्थशास्त्रज्ञ का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण उपायों को काम में लाकर-वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्षतोच्छेदन आदि काम करे । जो उपरिलिखित प्रकार परस्परश्रित पाङ्गुण्य का प्रयोग करता है वह अपनी बुद्धिरूपी हथकड़ी से राजाओं को बांध कर मनमाने ढंगपर नचाता है ।

८ अधिकरणा ।

व्यसनाधिकारिक ।

१२७ प्रकरण ।

प्रकृति-व्यसन-वर्ग ।

यदि विपत्तियां एक साथ आपड़ी हों तो यही चिंता होती है कि "चढ़ाई की जाय या अपनी रक्षा का ही प्रबंध किया जाय" । प्रकृतियों के दैव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा अनय से ही पैदा होती हैं । अनुकूल बात का न होना, दोष का पैदा होना तथा कष्ट या पीड़ा का बढ़ जाना ही विपत्तियों में संमिलित हैं । इसका व्यसन शल्य से भी पुकारा जाता है चूंकि यह मनुष्य को सुख तथा कल्याण से रहित कर देती है ।

प्राचीन आचार्य्य स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्रविषयक व्यसनों [विपत्तियों] में जो एक दूसरे से पूर्व में है उनको क्रमशः अधिक अधिक भयंकर समझते हैं । इससे विपरीत भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक व्यसन में अमात्य विषयक व्यसन को ही अधिक हानिकर प्रगट करते हैं । क्योंकि मंत्र फल की सिद्धि, कार्यों की समाप्ति, आय व्यय, अन्य काम, सैन्य निर्माण, अमित्रों तथा जांगलियों से राष्ट्र तथा राज्य का संरक्षण आदि अमात्यों पर ही निर्भर है । यदि अमात्य न हों तो कुछ भी काम न हों, कटे पंख पक्षी की तरह राजा की चेष्टा नष्ट हो जाय और शत्रुओं के पङ्कज प्रबल हो जाय । अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही राजा की जान खतरे में पड़ जाती है । क्योंकि अमात्य ही राजा की जान बचाता है । परंतु कौटिल्य इस बात के पक्ष में नहीं है । वह मंत्रि, पुणेहित, भृत्यवर्ग, अध्यक्ष आदिकों की नियुक्ति पुरुष, द्रव्य, प्रकृति संबंधी व्यसनों का उपाय, तथा समृद्धि वृद्धि

के साधन राजा के ही हाथ में समझता है। अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही वह अन्यों को विपत्ति से बचाता है। पूज्यों की पूजा तथा वागियों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम वही करता है। यदि वह समृद्ध है तो वह प्रकृति [प्रजा] को भी समृद्ध करदेता है। उसका जैसा स्वभाव होता है, प्रकृतियों का भी, वही स्वभाव होजाता है। क्योंकि उनकी कर्मण्यता तथा प्रमाद उसी पर निर्भर है। राजा ही प्रजा का निचोड़ है।

विशालाक्ष अमात्य तथा जनपद संबंधी व्यसन में जनपद-व्यसन (जनपद पर पड़ा कष्ट) को ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्योंकि कोश, सैन्य (दंड), कुप्य (जांगलिक द्रव्य), विष्टि (श्रमीवर्ग) बाहन (घोड़ा बैल आदि) तथा धान्य विव्रय (धान्य राशि) का आधार जनपद पर है। जनपदके नाश होने पर राजा तथा अमात्य को छोड़कर अन्य कोई भी बात न बचे। इससे विपरीत कौटिल्य अमात्य-व्यसन को ही अधिक भयंकर समझता है। उसका मत है कि संपूर्ण काम, अमात्य पर ही निर्भर हैं। जनपद के कामों का सिद्ध होना, बाह्य तथा अन्तरीय शत्रुओं से शरीर तथा संपत्ति की रक्षा, कल्याण की वृद्धि, व्यसनों का उपाय, उपनिवेशों का बसाना, उजाड़ जमीनों की उन्नति सैन्य राज्यत्व पारितोषिक तथा अनुग्रह आदि अमात्य के ही अधिक हैं।

पराशर के पक्षपाती जनपद तथा दुर्ग व्यसन में दुर्ग व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्योंकि दुर्ग में ही कोश तथा सैन्य रखा जाता है, आपत्ति पड़ने पर जनपद को स्थान मिल जाता है, नागरिकों तथा ग्रामीणों की अपेक्षा दुर्ग से अधिक बल बढ़जाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राजा को सदाही सहारा रहता है। जनपदों (लोगों) पर अधिक भरोसा रखना ठीक नहीं है। उनको अमित्र के सदृश ही समझना चाहिये। इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि कोश, दंड (सैन्य), वार्ता, शौर्य, धैर्य, चातुर्य बाहुल्य (जन संख्या) आदि जनपद पर ही निर्भर हैं। पर्वत तथा द्वीप संबंधी दुर्गों का सहारा लेना ठीक नहीं। क्योंकि उसके इधर उधर आवादी नहीं होती। कर्षक प्रायः जनपद (जिस में

किसानों की संख्या अधिक हो) में दुर्ग व्यसन और आयुधीय प्रायजनपद (जिसमें सैनिकों की संख्या अधिक हो) में जनपद व्यसन बहुत ही भयंकर समझा जाता है ।

पिशुन का मत है कि दुर्ग तथा कोश के व्यसन में कोशव्यसन ही अधिक खतरनाक है । क्योंकि दुर्ग की रक्षा तथा संस्कार (मरम्मत) कोश के सहारे ही किया जाता है । शत्रु के पद्यों का मुख्य साधन भी यही है । जनपद, मित्र तथा अमित्र आदिकों पर प्रभुत्व, दूसरे देशमें गये हुए आदिमियों का प्रोत्साहन और सेना का संग्रह आदि कोश पर ही निर्भर हैं । कोश हो तो कष्ट से बचसकता है । दुर्ग में यह बात कहाँ ? इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि—कोश, सेना, तूष्णीं युद्ध (छिपकर लड़ना), स्वपक्ष निग्रह (अपने पक्ष के लोगों को वश में रखना), सैन्य प्रयोग, मित्र बल का संग्रह शत्रु के पद्यों का प्रतिषेध, जांगलिकों से संरक्षण आदि दुर्ग पर ही निर्भर हैं । दुर्ग न हो तो कोश शत्रुओं के हाथ में चलाजाय । संसार में दुर्ग वालों का विनाश नहीं देखागया ।

कौणपदंत का मत है कि कोश तथा दंड (सैन्य) के व्यसन में दंड-व्यसन ही अधिक भयंकर है । क्योंकि—मित्र तथा अमित्र को वश में रखना, शत्रु की सेना को प्रोत्साहित करना, अपनी सेना का संग्रह करना आदि दंड (सैन्य) पर ही निर्भर है । यदि दंड न हो तो कोश निश्चित रूप से नष्ट होजाय । यदि कोश न हो तो कुप्य (जांगलिक पदार्थ), भूमि, शत्रु की भूमि आदि प्राप्त करने का लालच देकर सेना को संगठित किया जासकता है । दंड पर ही कोश निर्भर है । राजा के सदा पास रहने के कारण दंड अमत्य के तुल्य है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि दंड का आधार कोश ही है । यदि कोश न हो तो दंड शत्रु के पास चला जाता है या राजा का घात कर देता है । सब प्रकार की विपत्तियाँ खड़ी कर देता है । धर्म तथा काम कोश के ही कारण हैं । देशकाल कार्यों के अनुसार कोश तथा दंड एक दूसरे के साधक होजाते हैं । दंड तो कोश में प्राप्त हुई वस्तु की ही रक्षा करता है । इससे विपरीत कोश दंड तथा कोश दोनों का ही साधक और संपूर्ण

द्रव्यों का उत्पादक है। इसलिये कोश का व्यसन ही संपूर्ण व्यसनों से भयंकर है।

वातव्याधि दंड तथा मित्र व्यसन में मित्रव्यसन का ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्यों कि मित्र मौका पड़ने पर बिना किसी प्रकार का मेहनतागा लिये ही काम करदेता है पार्थिवग्राह, आसार, अमित्र तथा आटविक का प्रतीकार करता है। तकलीफ पड़ने पर कोशः दंड तथा भूमि देकर सहायता पहुंचाता है। कौटिल्य इस बातके पक्ष में नहीं। उसका विचार है कि—दंड संपन्न [सैन्ययुक्त] व्यक्ति के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यवहार रखता है, अमित्र भी मित्र बनजाता है। यदि कोई काम दंड या मित्र के द्वारा समान रूपसे कियाजासकता हो तो युद्ध देश काल लाभ आवश्यकता आदिको संमुख रखकर जिससे विशेष लाभ देखे उसीसे काम ले। यदि किसीपर शीघ्रही चढ़ाई करना हो, या अभिन्न तथा आटविक द्वारा सुलगाये हुए आभ्यंतर कोपको शान्त करना हो तो मित्र से काम नहीं निकलता। यदि एक ही समय में अनेक प्रकार के व्यसन उपस्थित होजायें तो और शत्रुकी शक्ति भी बहुत ही अधिक बढ़गई हो तो मित्र अपना स्वार्थ देख कर ही काम करता है। प्रकृति व्यसन में किसी नीतिका अवलंबन करना चाहिये इसका अनुमान इसीसे लगा लेना चाहिये।

यदि प्रकृति के कुछएक अंग विपत्ति में पड़गये हों तो बहुभाव (जनसंख्या की अधिकता), अनुराग या सार (शक्ति शाली सेना) के अनुसार उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिये। यदि दो व्यसन एक सदृश हों तो पहिले उसीको दूर करना चाहिये जो क्षय करता हो। बशर्ते कि प्रकृति के शेषगुणों का नाश होता हो उस व्यसन को सबसे अधिक भयंकर समझना चाहिये चाहे वह राजा पर आकर पड़ा हो और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबद्ध हो।

१२८ प्रकरण ।

राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिंता ।

प्रकृति शब्द का संक्षिप्त अर्थ 'राजा तथा राज्य' है । राजा का कोप बाह्य तथा आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है । घरके सांप की तरह आभ्यन्तर कोप बाह्य कोप से बहुत ही अधिक भयंकर है । आभ्यन्तर कोप में भी अमात्य का कोप और भी बुरा है । इसलिये राजा को चाहिये कि कोश दंड तथा शक्ति को अपने हाथ में रखे । द्वैराज्य [दो व्यक्तियों का राज्य] तथा वैराज्य [विदेशी राज्य] में द्वैराज्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नष्ट होजाता है । वैराज्य राजा के जीवित रहते हुए भी राष्ट्र को अपना न समझ कर चूस लेता है । या दूसरे के हाथ बेच डालता है । या राष्ट्र को अपने में विरक्त देखकर यों ही छोड़ चले देता है ।

अंधे तथा चलित शास्त्र [शास्त्र विरोधी] राजा में कौन उत्तम है ? शास्त्र को न समझने वाला अंधा राजा मन माना काम करता है, दूसरे के हाथ में कठ पुतली बनजाता है और अन्याय से राज्य का नाश कर देता है । चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध काम करते हुए भी समझाया बुझाया जा सकता है । प्राचीन आचार्यों के इसविचार के विपरीत कौटिल्य का विचार है कि अंधा राजा सहायकों के द्वारा किसी एक नीतिके अवलंबन करने के लिये बाधित किया जा सकता है । चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध होने के कारण अन्याय से राज्य का और अपना नाश करता है ।

नवीन राजा तथा बीमार राजा में कौनसा राजा उत्तम है ? प्राचीन आचार्यों का मत है कि बीमार राजा अमात्य के पङ्क यंत्र से राज खो बैठता है या राज्य के कारण जान खो बैठता है । नवीन राजा अपने धर्म, अनुग्रह, परिहार [राज्यस्व न लेना] मान आदि कर्मों से प्रजा में प्रिय होकर राज्य करता है । इससे विपरीत कौटिल्य बीमार राजा के ही पक्ष में हैं । उसके विचार में

बीमार राजा प्रचलित राज्यनियमों तथा कार्यों के अनुसार काम करता है। नवीन राजा अपनी ताकत के अभिमान में आकर "यह राज्य मेरा ही है" यह समझकर स्वच्छाचार पूर्ण शासन करने लगता है। दुश्मनों के पंजों में फंसकर वह राज्य का नाश चुपचाप बैठेहुए देखता रहता है। प्रकृतियों पर समुचित प्रभाव न प्राप्त कर वह सुगमता से ही नष्ट कर दिया जाता है। बीमार राजा के पापरोगी [पापरूपी रोग से ग्रस्त] तथा अपरोगी (शरीरिकरोगसे ग्रस्त) और नवीन राजा के अभिजात (कुलीन) तथा अनभिजात (अकुलीन) यह दो भेद हैं।

कुलीन दुर्बलराजा तथा अकुलीन बलवान् राजा में कौन उत्तम है ? आचार्यों के विचार में कुलीन दुर्बल राजाके शासन को चाहते हुएभी प्रकृतियां उसके पङ्क्यंत्र (उपजाप) का सहन नहीं करतीं। बलवान् अकुलीन राजा के पङ्क्यंत्र को वह सुगमता से ही स्वीकार कर लेती हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रकृतियां दुर्बल कुलीन राजा की आज्ञा पर स्वयं ही चलती हैं, क्योंकि समृद्ध प्रजा कुलीन राजा को ही पसन्द करती है। बलवान् अकुलीन राजा के पङ्क्यंत्रों को वह खोल देती हैं। किसी ने ठीक कहा है कि समान गुण वालों की ही मित्रता होती है।

संपूर्ण खेतके नाश होजाने की अपेक्षा मुठीभर अनाज का नष्ट होजाना बैसे ही उत्तम है जैसे कि अति वृष्टि अवृष्टि की अपेक्षा उत्तम है। क्योंकि संपूर्ण खेतके नाश होने में मेहनत फजूल को ही नष्ट होजाती है।

भिन्न भिन्न दो व्यसनों (विपत्तियों) में प्रकृतियों के बलाबल पर क्रमशः प्रकाश डाला जाचुका। यान (चढ़ाई) तथा स्थान [संरक्षण] संबंधी नीति का इसी के अनुसार अवलंबन करना चाहिये।

१२६ प्रकरण ।

पुरुष-व्यसन वर्ग ।

अविद्या तथा अविनय पुरुष के कष्टों का हेतु है। अविनीत व्यक्ति (अशिक्षित व्यक्ति) व्यसनों के दोषों को नहीं देखता है।

कोप संबंधी व्यसन तीन प्रकार के और काम संबंधी चार प्रकार के हैं। व्यसनों में कोप सबसे भयंकर है। किंवदन्ती है कि प्रायः कोप के वश में होकर राजा लोग प्रजा के कोप से और काम के वश में होकर क्षत्र तथा व्यसन (कष्ट या विपत्ति) से मृत्यु को प्राप्त हुए। भारद्वाज इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका ख्याल है कि बड़े आदमियों का कोप करना धर्म (आचार) है। कोप के डर से वीर पुरुष प्राप्त होते हैं, अभिमानी लोग नष्ट होजाते हैं और मनुष्य डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। पाप रोकने के लिये प्रतिदिन कोप करना ही पड़ता है। (काम भी बुरा नहीं है) काम से ही संपूर्ण सिद्धियां होती हैं। मेल जोल बढ़ जाता है। उदारता तथा प्राप्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। किये काम का फल भोगने के लिये काम से प्रतिदिन संबंध रहता है। परंतु कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उसका विचार है कि कोप से द्वेष, शत्रु का आक्रमण तथा दुःख बढ़ता है। काम से बेइज्जती तथा संपत्ति की हानि होती है और डाकूचोर, जुआरी, शिकारी, गवैइये वजैइये आदि बुरे लोगों का प्रतिदिन साथ करना पड़ता है। बेइज्जती तथा द्वेष में द्वेष (द्वेष्यता) बहुत ही भयंकर है। बेइज्जत आदमी शत्रुओं से या अपने ही घराने के लोगों से मिलजाता है। द्वेष वाला तो नाश को प्राप्त होजाता है। संपत्ति की हानि (द्रव्य-नाश) तथा शत्रु के आक्रमण (शत्रु वेदन) में शत्रु का आक्रमण अधिक हानि कर है। क्योंकि पहिले से केवल कोश को ही नुकसान पहुंचता है और दूसरे से जान जाने का खतरा रहता है। बुरे लोगों के साथ से दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत ही हानिकर है। क्योंकि बुरे लोगों का साथ क्षण में ही छोड़ा जा सकता है जबकि दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत समय तक कष्ट पहुंचाता है। गाली (वाक् पारुष्य) फजूलखर्ची (अर्थ दूषण) तथा खूनखराबी (दंड पारुष्य) में कौन एक दूसरे से ज्यादा भयंकर है? गाली तथा फजूलखर्ची में—विशालाक्ष के अनुसार गाली ही ज्यादा भयंकर है। गाली सुनते ही तेजस्वी लोग गुस्से से आगबबूला होजाते हैं। गाली सुई जब हृदय

में चुभ जाती है तो शरीर गुस्से से थरथर कांपने लगता है और इन्द्रियें परेशान होजाती हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि रुपये पैसे के द्वारा सत्कार करने से गाली की चोट मिटजाती है। परंतु फजूलखर्ची से वृत्ति तथा आजीविका के साधन नष्ट होजाते हैं। फजूल धन देना, लेना, नुकसान मिलना, धन छोड़ना आदि फजूलखर्ची (अर्थ दूषण) में ही संमिलित हैं। फजूलखर्ची तथा खूनखराबी में पराशर प्रथम को ही ज्यादा बुरा समझते हैं। उनका विचार है कि धन पर ही धर्म तथा काम निर्भर है। लोग एक दूसरे के साथ धन से ही बंधे हुए हैं। धन का नुकसान कोई छोटी मोटी बात नहीं। परंतु कौटिल्य खूनखराबी को ही अधिक बुरा समझता है। क्योंकि कितना ही धन किसी को क्यों न दिया जाय वह अपने शरीर के विनाश को नहीं चाहता है। खूनखराबी में दूसरों के द्वारा यही बात पैदा होती है। कोप के तीनों प्रकारों की व्याख्या हो चुकी अब काम के शिकार (मृगया), जुआ (धृत) स्त्री तथा शराब आदि चारों प्रकारों की व्याख्या की जायगी।

शिकार तथा जुए में पिशुन के अनुसार शिकार बहुत ही बुरा है। क्योंकि बहुधा शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, वन की आग, भटकना, डर, दिगमोह (दिशाओं का भूल जाना), भूख प्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पड़ता है। जुए में तो चतुर लोग जीत ही जाते हैं। जयसेन तथा दुर्योधन का दृष्टान्त इसके लिये पर्याप्त है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि जुए में भी किसी न किसी का पराजय होता है और उसको नल तथा युधिष्ठिर की तरह तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जुए में जीता हुआ धन संपूर्ण भगड़ों का मूल है। जुए का सबसे बड़ा दोष यह है कि मेहनत से कमाये हुए धन का उपभोग करना नहीं मिलता, बेमेहनत का धन प्राप्त होता है, विना भोग के ही धन नष्ट होजाता है और पाखाना पेशाब रोकने तथा भूख प्यास मारने से बीमारी लगजाती है। शिकार में तो इससे विपरीत व्यायाम होजाती है। क्रोध, पित्त चर्बी तथा पसीना संबंधी दोष दूर होजाता है। चलते तथा खड़े हुए लक्ष्य पर निशाना लगाना

आता है । गुस्से में भरे हुए जानवरों की चित्तवृत्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और कभी कभी यात्रा (यान) करने का अवसर मिल जाता है ।

कौणपदतं जुष तथा स्त्री संबंधी व्यसन में जुष संबंधी व्यसन को ही ज्यादा भयंकर समझते हैं । क्यों कि जुआरी प्रायः रात रात तक दिये के सामने जुआ खेलते हैं और माके मरने पर भी जुष से नहीं हटता । हारती हुई हालत में उनसे कोई बात पूछो तो गुस्सा करते हैं । स्त्री संबंधी व्यसन में फंसे हुए व्यक्ति से ज्ञान कर्म भोजन आदि के समय में धर्म अर्थ विषयक आवश्यक बात पूछी जा सकती है । राजा के हित में स्त्री को उपांशु दंड [चुप्पे से मरवाना] के द्वारा मरवाया जा सकता है बीमारी के द्वारा भी उसको स्त्री व्यसन से हटाया तथा दूर किया जा सकता है परंतु कौटिल्य स्त्री व्यसन को अधिक भयंकर समझता है । उसका ख्याल है कि जुष से किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है परंतु स्त्री व्यसन में फंसे व्यक्तिको स्त्री से जुदाकरना सुगम काम नहीं है । प्रायः इसमें फंसे राजा कभी भी बाहर नहीं निकलते । आवश्यक कामों को टाल कर अधर्म तथा अनर्थ को बढ़ाते हैं । शराब में दिनरात मस्त रहते हैं और इस प्रकार राज्य को सबर्था दुर्बल कर देते हैं ।

स्त्री तथा शराब में वातव्याधि स्त्री व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं । निशान्त प्रणिधि प्रहरण में स्त्रियों की बुराईयों पर प्रकाश डाला जा चुका है । शराब में तो इन्द्रियां अपने विषयों का उपभोग करती हैं । संबंधियों के साथ आदर सत्कार का वर्ताव प्रीति का व्यवहार तथा थकावट का नाश आदि शराब से होता है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि स्त्री व्यसन में फंसने से अपत्योत्पत्ति, आत्मरक्षा, स्त्री परिवर्तन आदि होता है और यह बात जब अगम्य बाहरी औरतों तक पहुंच जाती है तो सर्व नाश हो जाता है । शराब की भार लगने पर उपरिलिखित से पूर्ण दोर उत्पन्न हो जाते हैं । शराब का सबसे अधिक दोष यह है कि इससे मनुष्य अपने पराये को भूल जाता है अनुन्मत्त होता हुआ भी उन्मत्त हो जाता है, जीते हुए भी मरा मालुम पड़ता है, नंगा हो जाता है

वेद ज्ञान वृद्धि जीवन धन दोस्त आदि सब कुछ खो बैठना है, सज्जन लोगों से जुदा हो जाता है, बदमाशों के साथ रहना शुरू करता है, और फजूलखर्ची बढ़ाने वाली गाने नाचने बजाने आदि में निपुण औरतों में दिनरात निमग्न रहता है ।

बहुत से विचारकों का मत है कि शराब तथा जुए में जुआ ही सबसे अधिक भयंकर है । इसी में वाजी लगाकर जय तथा पराजय होता है । जब यह वाजी प्राणियों या जड़ वस्तुओं के संबंधमें लगाई जाती है तो देश के दो दल में विभक्त हो जाने से प्रकृतियां कुपित हो जाती हैं । सत्तों तथा उन्हीं के सहश रहने वाले राजकुलों में जुए के कारण भगड़ा विशेष रूपसे देखा गया है । भगड़ा बढ़ने पर प्रायः उनका नाश हो जाता है इस लिये जुआ बहुत ही बुरी तथा सब खराबियों तथा व्यसनो से अधिक खराब व्यसन है । क्यों कि इसके कारण राज्य शिथिल हो जाता है ।

सज्जनों में कोप और असज्जनों में काम विशेष रूप से प्रवृत्ति को प्राप्त करता है जिस समय यह दोनों [काम तथा कोप] उग्ररूप धारण करते हैं उस समय बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं । यही कारण है कि उनको व्यसन माना गया है । बुद्ध-सेधी, जितेन्द्रिय तथा आत्मवान राजा को चाहिये कि व्यसनो को सबसे पहिले पैदा करने वाले तथा राज्य को नष्ट करने वाले कोप तथा काम से दूर रहे ।

१३०-१३२ प्रकरण ।

पीडनवर्ग, स्तंभवर्ग तथा कोशसंगवर्ग ।

[क]

पीडन वर्ग ।

१ अग्नि, २ उदक, [जल], ३ व्याधि, ४ दुर्मित्र तथा ५ मरक [संक्रामक रोग] यह दैवी विपत्ति [देव पीडन] है ।

पुराने आचार्य्य अग्नि तथा उदक संबंधी विपत्ति में अग्नि संबंधी विपत्ति को अप्रतिकांक्ष्य (जिससे बचने का कोई उपाय

न हो) समझते हैं । इसको छोड़कर अन्य संपूर्ण विपत्तियों का उपाय है । उदक संबंधी विपत्ति तो नलों के द्वारा सुगमता से ही दूर की जासकती है । इससे विपरीत कौटिल्य उदक संबंधी विपत्ति को बहुत ही अधिक भयंकर समझता है । क्यों कि आग एक गांव या आधे गांवको जलाती है । पानी की बाढ़ (उदक वेग) तो सैकड़ों गांवों को बहा लेजाती है ।

व्याधि तथा दुर्भिक्ष में, पुराने आचार्य्य व्याधिको ही अधिक भयंकर समझते हैं । क्यों कि उससे लोगों के मरजाने, बीमार पड़जाने, नौकरों के इधर उधर भागजाने तथा काम छोड़ देनेसे संपूर्ण काम नष्ट होजाते हैं । दुर्भिक्ष में काम नहीं रुकता है और इससे विपरीत हिरण्य, पशु तथा राज्यस्व दुर्भिक्ष पड़जाने पर अधिक मिलता है । कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है । उसका मत है कि व्याधि से किसी एक देशको ही कष्ट पहुंचता है और उसका उपाय भी संभव है । इससे विपरीत दुर्भिक्ष से सारे देशको कष्ट मिलता है और प्राणियों का जीना भी कठिन होजाता है ।

मरक या संक्रामक रोग में भी यही बात है ।

शुद्रक (छोटे लोग) तथा मुख्य (बड़े लोगों) के क्षय में पुराने आचार्यों के अनुसार शुद्रकलोगों का क्षय ही विशेष हानि कर है क्यों कि उससे संपूर्ण काम रुक जाते हैं । परन्तु कौटिल्य मुख्य लोगों के क्षय को ही भयंकर समझता है । उसका विचार है कि संख्या में अधिक होने से शुद्रलोगों की कमी सुगमता से पूरी की जासकती है । मुख्य लोगों के मामले में यही बात नहीं है । साहस तथा बुद्धि (सत्य, प्रज्ञा) में विशेषता रखने वाला मुख्य हजारों में एक ही होता है । साथ ही शुद्रक लोगों का आश्रय तथा सहारा भी वही है ।

स्वचक्र (स्वराष्ट्र के लोगों के कारण उत्पन्न हुआ कष्ट) तथा परचक्र [शत्रुका आक्रमण आदि कष्ट] में, पुराने आचार्य्य स्वचक्र को ही भयंकर समझते हैं । क्यों कि उससे बहुतही अधिक नुकसान पहुंचता है । परचक्र तो युद्ध, अपसार । दूसरे राजा का बीच में पड़कर आक्रमण को रोक देना] तथा संधि से रोका जासकता

है। इससे विपरीत कौटिल्य परचक्र को ही भयंकर समझता है। उसका ख्याल है कि प्रकृति पुरुष तथा मुख्य लोगों के पकड़ने तथा कतल करवाने से स्वचक्र संबंधी कष्ट दूर किया जासकता है और इससे जब नुकसान पहुंचता है तो देश के एक भाग को ही नुकसान पहुंचता है। इससे विपरीत परचक्र भू-संपूर्ण देश को कष्ट पहुंचता है। विलोप [हानि या नुकसान], घात (कतलेआम), दाह (आग लगाना), विध्वंसन (नष्ट करना तथा देश को उजाड़ना) तथा उपवाहन (लूट मार) से सब ओर तबाही मचादेता है।

आचार्य्य लोग प्रकृति तथा राज विवाद (राजाओं का पारस्परिक झगड़ा) में प्रकृतिविवाद (घरेलू युद्ध भ्रातृयुद्ध) को भयंकर समझते हैं। क्योंकि उस से शत्रु को देश पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। राजविवाद में तो प्रकृतियों को दुगुना वेतन तथा भत्ता मिलने लगता है। इससे विपरीत कौटिल्य राज विवाद को ही हानिकर समझता है। उस का ख्याल है कि प्रकृति तथा मुख्यों के पकड़ने तथा उन के पारस्परिक झगड़ों के निपटा देने से प्रकृतिविवाद शान्त किया जा सकता है। प्रकृतियों के परस्परसंघर्ष से राजा को तो लाभ ही पहुंचता है। राज विवाद के शान्त करने के लिये प्रकृतियों का दबाना तथा नष्ट करना आवश्यक है अतः इस में दुगुना कष्ट उठाना पड़ता है।

आचार्य्य लोग देशविहार (भोग विलास में मत्त देश) तथा राजविहार (भोग विलास में लीन राजा) में देश विहार को भयंकर समझते हैं क्योंकि इस से सदा के लिये उत्पाद काम नष्ट हो जाते हैं। इससे विपरीत राजविहार में कारीगर शिल्पी, गवैश्ये, भांड, व्यापारी आदिकों को लाभ पहुंचता है। परन्तु कौटिल्य राज विहार को अधिक हानिकर समझता है। उसका ख्याल है कि देश विहार में काम के कम होने से थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचता है। लोग नुकसान का अनुभव करते ही तथा रुपया पैसा उड़ाते ही पुनः काम में जुट जाते हैं। राज विहार में तो राजा और

द्वारि लूट मार खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरते हैं और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं।

आचार्य लोग (भोगविलासीप्रिय) राजकुमार तथा (भोग विलास प्रिय राजरानी) सुभगा स्त्री में राजकुमार को ही अधिक हानिकर समझते हैं। क्योंकि वह द्वारियों के सहारे लूट मार तथा खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरता है और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। इस से विपरीत सुभगा स्त्री भोग विलास में ही लीन रहती है। परन्तु कौटिल्य सुभगा स्त्री को ही भयंकर समझता है। उस का ख्याल है कि मंत्री तथा पुरोहित लोग समझा बुझाकर राज कुमार को रास्ते पर लासकते हैं। सुभगा स्त्री को कौन समझावे? वह तो बेवकूफ तथा हठी होती है और बदमाश लोगों को ही पसन्द करती है।

आचार्य लोग श्रेणी (कंपनी या जात) तथा मुख्य लोगों में श्रेणी को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि श्रेणी में मनुष्यों के अधिक होने से उसका दबाना सुगम काम नहीं है। प्रायः श्रेणी चोरी तथा डाके के द्वारा भी तकलीफ देता है। मुख्य लोग जो कुछ कर सकते हैं। वह यही है कि काम में रुकावट डालें तथा लोगों को मरवा दें तथा उनकी संपत्ति को लीन लें। कौटिल्य इस विचार के पक्ष में नहीं है। वह समझता है कि श्रेणी राजा के साथ ही उठती बैठती है। उसको दबाना सुगम काम है। श्रेणी के मुखिया या मुख्य भाग को पकड़ा जा सकता है। इस से विपरीत मुख्य लोग ज़रथा बनाकर तथा दूसरे की जानमाल लेकर तकलीफ पहुंचाते हैं।

प्राचीन आचार्य सन्निधाता तथा समाहर्ता में सन्निधाता को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह काम विगाड़ कर तथा (अनुचित तथा अन्याययुक्त) जुमाने कर लोगों को कष्ट पहुंचाता है। समाहर्ता तो क्लेशों से काम लेता है और नियत फल तथा धेतन पर ही काम करता है। परन्तु कौटिल्य समाहर्ता को ही भयंकर मानता है। उसका विचार है कि सन्निधाता दूसरों के द्वारा भेजे गये पदार्थों को ही लेता है तथा कोश में रखता है। इससे

विपरीत समाहर्ता अपनी जेब पूरी तरह भरने के बाद राजा के लिये धन इकट्ठा करता है, या राजा की आमदनी बिगाड़ देता है या दूसरे की संपत्ति कुड़क करने में अपनी मर्जी मुताबिक काम करता है।

प्राचीन आचार्य अन्तपाल (सीमा रक्षक) तथा वैदेहक (व्यापारी) में अन्तपाल को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह खोरो से मिलकर या राज्यस्व से अधिक द्रव्य मांग कर व्यापारी मार्ग को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। (वैदेहक व्यापारी लोग) तो व्यापारीय पदार्थों के क्रयविक्रय के द्वारा देश को समृद्ध करते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का यह मत है कि अन्तपाल उत्तम उत्तम पदार्थों को विदेश से मंगाकर देश का उपकार करते हैं। वैदेहक लोग तो आपस में गुट बनाकर पदार्थों की कीमतें बढ़ाते चलते हैं और सैंकड़ पीछे सैंकड़ा और कुंभ (१ टन के लगभग) पीछे कुंभ लाभ लेकर धन कमाते हैं।

प्राचीन आचार्य ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी (अभिजातो-परुद्धा) तथा गोचर में फंसी [पशुव्रजोपरुद्धा] भूमि में पहिली को उत्तम समझते हैं। क्योंकि लड़ाई के समय में सैनिक तथा अनाज उससे मिलता है। यही कारण है कि वह उसका राजा द्वारा ग्रहण करना उचित नहीं समझते। कौटिल्य का इससे विपरीत यह मत है कि समय पड़ने पर ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी भूमि को ही लेना चाहिये। क्योंकि उससे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य संमिथ्री देती है। जबतक खेतों को ही नष्ट न करना पड़े तबतक उस को ग्रहण न करना चाहिये।

प्राचीन आचार्य डाकुओं तथा जंगलियों में डाकुओं को ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह रात में औरतों को उड़ा ले जाते हैं लोगों पर अक्रमण करते हैं और हर रोज सैंकड़ों हजारों रुपयों का डाका मारकर लेजाते हैं। जंगली लोग तो मुखिया के कहने के अनुसार दंगा मचाते हैं। अढ़ास पढ़ास के जंगलों में घुमते हैं, इधर उधर दिखाई पड़ते हैं और थोड़ा सा ही नुकसान

पहुँचाते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का मत है कि डाकू प्रमादी को ही नुक्सान पहुँचाते हैं। उनको सुगमता से ही पकड़ा तथा पहिचाना जा सकता है। जंगली लोग अपने अपने देशों में रहते हैं। उनकी संख्या भी अधिक होती है। बिगड़ते ही खुल्लमखुल्ला अपने सामने लड़ने के लिये तैयार होजाते हैं। देशों को छीन लेते हैं तथा उजाड़ देते हैं। उनको एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिये।

साधारण पशुओं तथा हाथियों के जंगल में साधारण पशुओं का जंगल उत्तम है। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से प्राप्त होता है। घास भी यह लोग थोड़ा खाते हैं और उनका काबू करना भी सुगम काम है। इससे विपरीत हाथियों का पकड़ना सुगम काम नहीं है। प्रायः हाथी देश को भी उजाड़ डालते हैं।

विदेशी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थानीय) में स्वदेशीय व्यवसाय ही उत्तम है। क्योंकि उनसे धान्य, पशु, हिरण्य तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) प्राप्त होता है। देश के लोग स्वावलम्बी होजाते हैं। विदेशीय व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न है।

(ख)

स्तंभ वर्ग ।

विघ्न तथा बाधा (बाहरी) तथा आभ्यन्तर (अंदरूनी) के भेद से दो प्रकार की है। स्वदेशीय मुख्यों (मुखिया लोग) की बाधा आभ्यन्तर और जांगलिकों की बाधा बाह्य स्तंभ के नाम से पुकारी जाती है।

(ग)

कोश संग ।

उपरिलिखित दोनों प्रकार की बाधाओं (बाह्य स्तंभ + आभ्यन्तर स्तंभ) तथा मुख्यों (मुखिया लोग) के कारण राज्य कर छोड़ना, राज्यस्व का तितरबितर होजाना, झूठमूठ बेकायदे राज्यस्व इकट्ठा किया जाना या सामन्तों तथा जांगलिकों के पेट में राज्यस्व का चला जाना—कोश संग अर्थात् कोश संबंधी विपत्ति कहाता है।

देश की समृद्धि के लिये राजा को चाहिये कि वह पांडन वर्ग को न उत्पन्न होने दे, यदि वह उत्पन्न होगये हैं तो उनको दूर करे और स्तंभ तथा संग (स्तंभवर्ग + कोशलंग) के नाश में पूरी कोशिश करे।

१३३-१३४ प्रकरण।

बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग ।

१ अमानित तथा विमानित, २ अभृत तथा व्याधित, ३ नवागत तथा दूरयात, ४ परिश्रान्त तथा परिक्षाण, ५ प्रतिहत तथा हताश्र-वेग, ६ अनृत प्राप्त तथा अभ्रुमिप्राप्त, ७ अशानिवेदि तथा परिष्ट, ८ कलत्रगहिं तथा अन्तःशल्य, ९ कुपितमूल्य तथा मिश्रगर्भ, १० अपसृत तथा अतिक्षिप्त, ११ उपनिविष्ट तथा समाप्त, १२ उपरुद्ध तथा उपाक्षप्त, १३ क्षिप्रधान्य तथा क्षिप्र पुरुषवीवध, १४ स्व-विक्षिप्त तथा मित्रविक्षिप्त, १५ इष्टयुक्त तथा दुष्ट पार्ष्णिग्राह, १६ शून्यमूल तथा अस्वामिसंहत, १७ मिश्र कूट तथा अंध—इत्यादि सेना की विगलियों के भेद हैं।

१. अमानित तथा विमानित । अमानित (जिसका आदर सत्कार किया गया न हो) तथा विमानित (जिसकी बेइज्जती तथा अनादर किया गया हो) में अमानित सैन्य आदर सत्कार पाकर युद्ध के लिये तैयार होसकता है। विमानित सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह अन्दर ही अन्दर जलता रहता है।

२. अभृत तथा व्याधित । अभृत [जिसको तनखाह तथा भत्ता न मिला हो] तथा व्याधित [बीमार] में वेतन तथा भत्ता पाकर अभृत सैन्य युद्ध के लिये तैयार होसकता है। व्याधित सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्योंकि वह काम करने के अयोग्य होता है।

३. नवागत तथा दूरयात । नवागत (रंगरुट) तथा दूरयात [दूर से आने के कारण थका] में नवागत सत्य दूसरे देश से आकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध करसकता है। दूरयात सैन्य

के साथ यह बात नहीं है । क्यों कि वह थकावट के कारण लड़ाई के लिये अयोग्य होता है ।

४. परिश्रान्त तथा परिशीण । परिश्रान्त (थकाहुआ) तथा परिशीण [दुर्बल तथा निशक्त] में परिश्रान्त सैन्य स्नान भोजन तथा निद्रा से विश्राम पाकर युद्ध करसकता है । परिशीण सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि उसमें योग्य पुरुषों का अभाव होता है ।

५. प्रतिहत तथा हताग्रवेग । प्रतिहत [पीछे हटाईगई] तथा हताग्र वेग (जिसका अग्रभाग नष्ट होगया हो) में प्रतिहत सैन्य छिन्न भिन्न हुए हुए अग्र भाग को वीर पुरुषों से जोड़कर तथा संगति कर युद्ध करसकता है । हताग्र वेग सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि वह अग्र भाग के नष्ट होजाने के कारण युद्ध के अयोग्य होजाता है ।

६. अनृतुप्राप्त तथा अभूमिप्राप्त । अनृतु प्राप्त [जिसके ऋतु अनुकूल न हो] तथा अभूमिप्राप्त [जो अनुपयुक्त भूमि में मौजूद हो] में अनृतु प्राप्त सैन्य ऋतु के अनुकूल अस्त्रशस्त्र तथा कवच का प्रबंध कर युद्ध करसकता है । अभूमि प्राप्त सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि वह अनुपयुक्त भूमि में फंसकर इधर उधर गति करने में अयोग्य होजाता है ।

७. आशानिवेदि तथा परिष्ट । आशा निवेदि (आशा रहित) तथा परिष्ट (भगोड़े) सैन्य में आशानिवेदि उत्तम है । क्योंकि वह अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तैयार हो जाता है । परिष्ट सैन्य भागकर यही नहीं करता ।

८. कलत्रगर्हि तथा अन्तः शल्य । कलत्रगर्हि [परिवार के वश में] तथा अन्तःशल्य [शत्रु के वश में] सैन्य में कलत्रगर्हि कलत्र को चिन्ता छोड़ कर लड़ सकता है । अन्तः से दुश्मन होने के कारण अन्तः शल्य यही नहीं करता ।

६. कुपितमूल तथा भिन्नगर्भ । कुपितमूल [भड़की हुई] तथा भिन्न गर्भ [तितर बितर हुई हुई] सैन्य में कुपितमूल सामादि उपायों से शान्त की जाकर युद्ध करने के लिये तैयार हो जाता है । तितर बितर होजाने के कारण भिन्न गर्भ यही नहीं कर सकता ।

१०. अपष्टत तथा अतिक्षिप्त । अपष्टत [भगोड़े] तथा अतिक्षिप्त [नौकरी से बरखास्त किये गये] देश से निकाल दिये गये] सैन्य में अपष्टत उत्तम है । क्योंकि वह राजा के द्वारा इकट्ठा किया जाकर मल तथा व्यायाम [संचालन के द्वारा सत्रियों तथा मित्रों की आधीनता में युद्ध करने के लिये तैयार होसकता है । अतिक्षिप्त अनेक राज्यों से दोषों के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिये उपयुक्त नहीं होता ।

११. उपनिविष्ट तथा समाप्त । उपनिविष्ट [अनुभवी] तथा समाप्त [एक ही ढंग की लड़ाई जानने वाला] सैन्य में उपनिविष्ट सैन्य ही उत्तम है । क्योंकि उपनिविष्ट को भिन्न भिन्न स्थानों में लड़ना आता है और वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर सकता है । समाप्त में यही बात नहीं है । क्योंकि वह एक ही ढंग की लड़ाई तथा चढ़ाई में समर्थ होता है ।

१२. उपरुद्ध तथा परिक्षिप्त । उपरुद्ध [रोका गया] तथा अनक्षिप्त [सब ओर से घिर गया] सैन्य में उपरुद्ध उत्तम है । क्योंकि वह किसी एक ओर से निकल कर युद्ध कर सकता है । परिक्षिप्त सब ओर से घिर जाने के कारण यही नहीं करसकता ।

१३. छिन्नधान्य तथा छिन्नपुरुषवीवध । छिन्नधान्य [जिस के पास धान्य न पहुँचा सकता हो तथा छिन्नपुरुषवीवध [जिस की मनुष्य तथा पदार्थ सम्बन्धी सहायता रुक गई हो] में छिन्न धान्य उत्तम है । क्योंकि वह दूसरे स्थान से धान्य लाकर या स्थावर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) आहार कर लड़ाई लड़ सकता है । सहायता न मिल सकने के कारण छिन्न पुरुष वीवध यही नहीं कर सकता है ।

१४. स्वविचिप्त तथा मित्रविचिप्त । स्वविचिप्त (अपने ही देश में विद्यमान) तथा मित्रविचिप्त (मित्र के देश में विद्यमान) सैन्य में स्वविचिप्त आपत्ति पड़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तम है । देश के दूर में होने से मित्रविचिप्त सैन्य समय पर काम नहीं आसकता । •

१५. दूष्ययुक्त तथा दुष्टपार्ष्णिग्राह । दूष्ययुक्त (राज्य द्रोहिओं से युक्त) तथा दुष्टपार्ष्णिग्राह (जिस के पीछे की सेना दुष्ट हो) सैन्य में दूष्य युक्त सैन्य उत्तम है । क्योंकि आप्त पुरुषों के आधिपत्य में संगठित हुए बिना भी वह लड़ पड़ता है । पीछे के आक्रमण से घबराया हुआ दुष्ट पार्ष्णिग्राह सैन्य यही नहीं करसकता है ।

१६. शून्यमूल तथा अस्वामिसंहत । शून्यमूल (जिस देश में जो सेना न हो) तथा अस्वामिसंहत (जिस का सेना पति या राजा न हो) सैन्य में शून्यमूल नागरिकों तथा ग्रामीणों के द्वारा देश की रक्षा हो सकने के कारण पूरी तैयारी के साथ युद्ध कर सकता है । राजा तथा सेना पति से हीन अस्वामिसंहत सैन्य यही नहीं कर सकता ।

१७. भिन्नकूट तथा अंध । भिन्नकूट (सेनापति हीन) तथा अंध (अशिक्षित तथा अंधी) सैन्य में किसी दूसरे पुरुष के नेतृत्व में भिन्न कूट लड़सकता है परन्तु अंध सैन्य यही नहीं करसकता ।


दोषशुद्धि (दोष दूर करना) बलावाप (सैन्य संग्रह) सत्रस्थान पर प्रभुत्व तथा उत्तर पक्ष के साथ संधि आदियों से सेना संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं । राजा को चाहिये कि कर्मण्य हुआ हुआ शत्रुओं के द्वारा किये गये कष्टों से अपने सैन्य को बचावे और शत्रु की दुर्बलताओं पर आक्रमण करे । प्रकृतियों पर जिन कारणों से विपत्ति आई हो उन कारणों को दूर करे ।

जिस मित्र ने किसी कारण वश शत्रु के साथ मिल कर चढ़ाई की हो, या—जो कि लोभ मुहूर्ध्वत या दुर्बलता के कारण साथ में न लिया गया हो । या जिस आक्रमण करनेवाले शत्रु के साथ द्वैधी भाव की नीति का अवलम्बन कर अपना पीछा छुड़ा लिया हो या

रुपया पैसा देकर युद्ध से पृथक् हो गया हो या—जिसने कि अकेले या साथ मिलकर अपने मित्र पर चढ़ाई की हो। या—जिसने कि भय, अपमान तथा चांचल्य के कारण मित्र को कष्ट से न छुड़ाया हो। या—जोकि अपनी ही भूमि में शत्रु से घिरा हो। या—जिसको कि पड़ोसी का खतरा हो। या—जोकि दूसरे के माल को जबत करने या न देने के कारण बेइज्जत किया गया हो या—जिसने अपनी भूल या शत्रु के कारण अपनी चीज को खो दिया हो। या—जोकि खर्च के भार से दबा हो। या—जोकि शत्रु को नष्ट कर चुप बैठ गया हो। या—जिसने कि अशक्ति के कारण उपेक्षा की हो या प्रार्थना करने के बाद भी विरोध किया हो—ऐसे मित्र को साथ में मिला लेना बहुत ही कठिन है। यदि वह साथ में मिल जाय तो शीघ्र ही विरक्त हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे मित्र को कृच्छ्रसाध्यमित्र कहते हैं।

मोह या वृथा गर्व से कर्मण्य तथा माननीय जिस मित्र का मान न किया गया हो, या उसकी शक्ति के अनुसार उसको मान न दिया गया हो या उसको बेइज्जत किया गया हो। या—जोकि मित्र के नाश से घबड़ाया हुआ हो, या जो कि शत्रुओं के गुट से शंकित रहता हो, या राज्य द्रोहियों के कारण मित्रों से जुदा कर दिया गया हो—उसको साध्यमित्र कहते हैं। जिसके साथ वह मित्रता करता है उसका अन्त तक साथ देता है।

इसलिये राजा को चाहिये कि मित्र से फटने वाले उपरिखिखित द्रोहों को न उत्पन्न होने दे, यदि वह उत्पन्न हो गये हों तो उनको नष्ट करने वाले गुणों के द्वारा शान्त करे।



६ अधिकरण ।

अभियास्यत्कर्म ।

१३५-१३६ प्रकरण ।

शक्ति देश काल तथा यात्रा काल ।

[क]

शक्ति ।

विजिगीषु अपनी तथा शत्रु की शक्ति, देश, काल, यात्रा काल, [आक्रमण करने का अवसर] बलसमुत्थानकाल [सेना में रंगरूटों को भर्ती करने का समय], पश्चात्कोप [चढ़ाई करने के बाद गदर होना] क्षय, व्यय, लाभ तथा आपत्ति आदिकों की प्रबलता तथा निर्बलता [बलाबल] को जानकर यदि अपने आप को सबल [विशिष्ट बल] समझे तो आक्रमण करे अन्यथा आसन नीति [उदासीनता] का अवलंबन करे ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि उत्साह तथा प्रभावमें उत्साह ही लाभकर है । शूर, बलवान्, अरोग, कृतात्मा (हथियारों से युक्त) तथा सेना से संपन्न (दंडद्वितीय) राजा प्रभावयुक्त को अकेला ही जीत लेता है । उसको छोटी सी भी सेना तेज से कार्य को पूर्ण (कृत्यकर) कर देती है । प्रभाव होते हुए भी उत्साह से रहित राजा पराक्रम करते ही गष्ट होजाता है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रभाववाला राजा उत्साही राजा को अपने प्रभाव से ही नीचा दिखा देता है । वह घोड़ा हाथी रथ तथा हथियारों की बहुतायत होनेसे उत्साही राजा को बुलासकता है । उसके

† डाक्टर शामशास्त्री ने यहाँ पर भी बलाबल को आपदा के साथ न जोड़ कर पृथक् कर दिया है । जो कि ठीक नहीं है । वस्तुतः बलाबल आपदा के साथ है । जैसा कि हमने उपरिलिखित पार्थ में किया है ।

शूरवीर (वीर-पुरुष) सैनिकों तथा योद्धाओं को खरीद सकता है या उनको अन्य उपायों से अपने पक्ष में आने के लिये बाध्य कर सकता है। प्रभाव वाली स्त्रियाँ, बन्ध, लूले लंगड़े तथा अंधे राजाओं ने उत्साही राजाओं के साथ में संपूर्ण पृथ्वी का विजय किया।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि प्रभाव तथा मंत्र में प्रभाव ही उत्तम है। मंत्रशक्ति से युक्त राजा बन्ध्य बुद्धि (जिस की बुद्धि विकसित न हो सकी हो) होने से प्रभाव शून्य होजाते हैं। मंत्र शक्ति प्रभाव बिना उसी प्रकार फल नहीं देती जिस प्रकार कि फूटे हुए अंकुर वाला धान्य वृष्टि के बिना सूखकर नष्ट होजाता है। परंतु कौटिल्य मंत्रशक्ति को ही उत्तम समझता है। उसका विचार है कि जिस राजा के पास बुद्धि और शास्त्र रूपी नेत्र हैं थोड़े से प्रयत्न से भी मंत्र को कार्य्य रूप में परिणत कर सकता है। वह उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद् (शत्रु को गुप्त रूप से मारने के तरीके) से शत्रुओं को बशमें ला सकता है। उत्साह, प्रभाव, तथा मंत्र शक्ति में क्रमशः उत्तरोत्तर ही शक्ति-शाली है।

[ख]

देश ।

देश से तात्पर्य्य संपूर्ण पृथ्वी से है। इसमें भी वही भाग उत्तम है जो कि समुद्र से हिमालय पर्य्यन्त उत्तर तक हजार योजन तक फैला हुआ है, जिसमें कि तिर्यक्क्षेत्र संमिलित नहीं है और जिसमें कि आरण्य (जांगलिक), ग्राम्य, पात (प्रपात), पार्वत (पार्वतीय), औदक (जलपूर्ण), भौम (भूमिमय), सम तथा विषम प्रदेश संमिलित हैं। इन प्रदेशों में वही काम किये जायं जिन से अपनी शक्ति बढ़े। जो प्रदेश अपने सैनिकों लिये युद्ध काल में उपयुक्त और शत्रु के सैनिकों के लिये अनुपयुक्त हों वही उत्तम हैं। इससे विपरीत अधम, साधारण तथा मध्यम समझने चाहियें।

[ग]

काल ।

काल से तात्पर्य्य सर्दी गरमी तथा वर्षा ऋतु से है। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन (दक्षिणायन तथा उत्तरायण), संवत्सर

तथा युग आदि ही उसकी विशेषता है । इनमें वही काम करे जिस से अपनी शक्ति बढ़े । युद्ध काल में अपने सैनिकों के लिये जो ऋतु उत्तम और शत्रु के सैनिकों के लिये जो अनुत्तम हो उसी को उत्तम काल समझना चाहिये । इससे विपरीत अधम, साधारण तथा मध्यम हैं ।

[घ]

शक्ति देश तथा काल ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि शक्ति देश तथा काल में शक्ति ही उत्तम है । शक्तिमान् ऊँचे नीचे प्रदेश और सर्दी गरमी तथा वर्षा का उपाय कर सकता है । कुछ लोग कहते हैं कि तीनों में देश ही प्रबल है । जमीन पर कुत्ता नाके को और पानी में नाका कुत्ते को खींच लेता है । इसी प्रकार कुछ लोग काल को उत्तम मानते हैं । दिन में कौआ उल्लू को और रातमें उल्लू कौआ को मार भगाता है । परंतु कौटिल्य तीनों को ही प्रबल तथा एक दूसरे का साधक (परस्पर साधक) मानता है ।

[ङ]

यात्रा काल ।

राजा को चाहिये कि वह शक्ति देश तथा काल से शक्तिशाली होकर, अपने आपको पार्थिव (पृथ्वती शत्रुराष्ट्र) तथा सीमा प्रदेश के जंगलों से बचाने के लिये संपूर्ण सेनाके तीसरे या चौथे भाग को राष्ट्रमें ही रखकर और इसके बाद कार्य साधन के लिये जितनी सेना तथा संपत्ति की जरूरत हो उसको साथ में लेकर यदि वह यह समझे कि—शत्रु की भोजन तथा अन्न की सामग्री पुरानी पड़ गई है, उसने अभी नया अनाज नहीं इकट्ठा किया है, टूटे हुए किले को नहीं बनवाया है, उसका कोई भी मित्र नहीं है, उसका वार्षिक अन्न तथा हेमन्त संबंधी कर [मुष्टि] नष्ट करना आवश्यक है तो मागशीर्ष में [दिसंबर]—या शत्रु के हेमन्त संबंधी फसल तथा वसन्त संबंधी कर (मुष्टि) को नुकसान पहुंचाना चाहिये तो चैत्रमें [मार्च]—या दुश्मन का घास भूसा पानी आदि

कम पड़ गया है, किला टूट पड़ा है, वार्षिक कर तथा बसन्त की फसल नष्ट करना जरूरी है तो ज्येष्ठ में [मई-जून]—या शत्रु का देश बहुत ही ऊष्ण है, और उसका घास ईंधन तथा पानी का प्रबंध कच्चा है तो हेमन्त में शत्रु पर चढ़ाई करे। इसी प्रकार उनदेशों पर ग्रीष्म में धावाकरे जिनमें बहुत ही अधिक वर्षा होती हो; नदियां अगाध हों तथा जगह जगह पर घने जंगल मौजूद हों। मार्ग शीर्ष तथा तिष्य (दिसंबर तथा जनवरी) प्रलंबयात्रा के लिये, † चैत्र तथा वैशाख (मार्च तथा अप्रैल) मध्यम यात्रा के लिये तथा ज्येष्ठ तथा आषाढ़ (मई तथा जून) ह्रस्वयात्रा के लिये उपयुक्त हैं। कष्ट तथा विपत्ति पड़ने पर शान्त हो कर बैठ जाना ही उत्तम है। विपत्ति पड़ने पर यात्रा (चढ़ाई) किस प्रकार की जाय इसपर विगृह्ययान [युद्ध उद्घोषित करने के बाद चढ़ाई] प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि शत्रु के कष्ट तथा विपत्ति में पड़ते ही यात्रा (चढ़ाई) करनी चाहिये। कौटिल्य का मत है कि कष्ट तथा विपत्ति कभी आती है और कभी जाती है अतः सामर्थ्य तथा शक्ति के बढ़ने पर या उस समय जब कि विजिगीषु यह समझे कि इस समय चढ़ाई करने पर वह शत्रु को नीचा दिखा सकता है या नष्ट कर सकता है तो चढ़ाई करे।

हाथियों की सेना के साथ उतरती गरमी में चढ़ाई करना चाहिये क्योंकि हाथी गरमी में अन्दर ही अन्दर पसीने के सूख जाने के कारण कोढ़ी हो जाते हैं। यदि उनको नहाना तथा पानी पीना न मिले तो अन्दरूनी गरमी या गन्दगी के कारण पागल हो जाते हैं। इस लिये हाथियों की सेना से ऐसे ही देश पर चढ़ाई करे जिसमें पानी बहुतायत से हो और वर्षा भी बहुत ही अधिक हो। इससे विपरीत कीचड़ तथा पानीसे रहित देश पर गदहों ऊँटों तथा घोड़ों की सेना को लेकर और वर्षा के दिनों में बालूमय देश [मरु प्राय] पर चतुरंगिनी सेना को लेकर चढ़ाई करे। मार्ग के—विषय,

† यात्रा शब्द चढ़ाई करने या धावा मारने के लिये ही प्रयुक्त किया गया है।

निम्न [जलसे परिपूर्ण], स्थल, ह्रस्व, तथा दीर्घ आदि के अनुसार यात्रा [स्रदाई] का विभाग करे ।

कार्य के लाघव तथा गौरव के अनुसार ही यात्रा ह्रस्व तथा दीर्घ काल तक होनी चाहिये । बरसात के दिनों में दूसरे देशमें ही निवास करना चाहिये ।

१३७-१३९. प्रकरण ।

सेना का इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे सेना के काम

(१) मौल (२) भृतक (३) श्रेणी (४) मित्र (५) अमित्र (६) शत्रु आदि की सेना के एकत्रित करने का समय ।

(१) मौलबल [तान्त्रिके दार की सेना] :— यदि यह समझे कि मौलबल मूलरक्षण (मुख्यस्थान की रक्षा) आवश्यकतासे अधिक है, या मौल लोग अधिक सेना के होनेसे शक्ति प्राप्त कर मूलस्थान पर बिगड़ जायेंगे या सर्व प्रिय (बहुलानुरक्त) होने से मौलबल शक्ति शाली (सारबल) है और उसका प्रत्येक योद्धा कठिन से कठिन युद्ध के करने में समर्थ है या लंबे से लंबे मार्ग या समय में मौलबल अथ तथा व्यय को सहम कर सकता है, या सर्व प्रिय होने पर भी अन्य सेनायें यातव्य के षड्यंत्र तथा कुचक्र (उपजाप) में फँस सकती है, या भृत सेना (तनखाह लेकर लड़ने वाली) पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या संपूर्ण सेना की शक्ति के नाश होजाने की संभावना है तो जो उचित समझे करे । मौलबल के प्रयोगका समय इन्हीं बातों के आधार पर निर्णय किया जाय ।

[२] भृतकबल (तनखाह लेकर लड़ने वाली सेना) :— यदि राजा यह समझे कि—मेरा भृतकबल (स्वामी सेना) मौलबल से बहुत अधिक है, या शत्रु का मौलबल बहुत ही कम है तथा विरक्त (राज्य द्रोही) है, या भृतबल तुच्छ तथा शक्ति हीन है,

या देश तथा समय कम है और तब तथा व्यय भी अधिक नहीं है, या मेरी सेनाको आराम लेने का अभी तक मौका नहीं मिला है [अल्प स्वाप], उसमें शक्ति है (शान्ताज्ञाप) या उसको मुझपर विश्वास नहीं है, या शत्रुके अल्पप्रसार (छोटी सी जांगलिक सेना या जांगलिक सहायता) को शीघ्र ही नष्ट करता है—तो जो उचित समझे करे। भूतक बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधारपर निर्णय किया जाय।

[३] श्रेणीबल [संघोंकीसेना] :—यदि राजा यह समझे कि मेरा श्रेणीबल मूल स्थान या यात्रा [चढ़ाई] के लिये उपयुक्त है, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा [ह्रस्व प्रवास], शत्रु की सेना में श्रेणी बल ही मुख्य है, उसके प्रत्येक योद्धा मंत्रयुद्ध तथा प्रकाश युद्ध करने के लिये तैयार है, विशेष सेवा की जरूरत होगी तो जो उचित समझे करे। श्रेणीबल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निर्णय किया जाय।

(४) मित्रबल (मित्रराजा की सेना) :—यदि राजा यह समझे कि—मेरा मित्रबल बहुत ही अधिक है, मूल की रक्षा या चढ़ाई करने में समर्थ है, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा, मंत्र युद्ध की ओतया प्रकाश युद्ध अधिक है, या मित्र बल के द्वारा पहिले जंगल तथा नगरी पर लड़ाई कर और आसार (मित्र बल) को लड़ाकर अपनी सेना से बाद को लड़ूंगा या मित्र के सहश ही मेरा काम है, मित्र ही पर मेरा कार्य निर्भर है, मित्र सदा ही मेरे पास है, या मित्र को प्रसन्न करना है या मित्र के लिये तैयारी करना है—तो मित्र बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निर्णय करे।

(५) अमित्र बल (शत्रु की सेना) :—यदि राजा यह समझे कि—मेरे शत्रु की सेना बहुत अधिक है, उसको शत्रु की सेना से लड़ाऊंगा या शहरी तथा जंगली लोगों के साथ भिड़ाऊंगा और कुत्ते सुअर की लड़ाई में चंडाल की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध

करूंगा, या आसार [मित्र की सेना] तथा जांगलिक [अटवी बल] सेना को चुटकी में ही नष्ट भ्रष्ट करदूंगा, या कोप (गद्दर) का भय है अतः बड़ी हुई शत्रु की सेना को विदेशमें भेज दूंगा या शत्रु तथा अवर (हीन शक्ति वाला राजा) का युद्ध शीघ्र ही होने वाला है—तो अमित्र बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निश्चय करे ।


(६) अटवी बल (जांगलिकों की सेना):—अटवी बल के प्रयोग का समय भी उपरिलिखित प्रकार ही है । दृष्टान्तस्वरूप यदि वह यह समझे कि—पथदर्शक की जरूर पड़ेगी या जांगलिक सेना मार्ग में ही मिल सकती है, शत्रु की सेना के लिये युद्ध भूमि उप-युक्त नहीं है या शत्रु की सेना में जांगलिक अधिक हैं अतः जांगलिकों को जांगलिकों से लड़ादिया जाय या शत्रु की जांगलिक सेना (प्रसार) शीघ्र ही नाश की जासकती है तो वह अटवी बल को काम में लावे ।

सैन्य मित्र मित्र जाति के हैं—या कहे बिना कहे ही दूसरों को लूटने लगते हैं—या बिना तनखाह तथा भत्ता के ही लड़ने के लिये तैय्यार होजाते हैं—या वृष्टि आदि का स्वयं ही उपाय कर सकते हैं,—या शत्रु उनको छिन्न भिन्न कर सकता है,—या एक ही देश जाति तथा देश के होने से वह पूर्ण रूपसे संगठित हैं—इत्यादि बातों को सामने रख कर राजा सैन्य का संगठन करे । इनमें से अमित्र तथा अटवी बल को जांगलिक द्रव्य [कुप्य] या लूटमार (विलोपभृत) की आज्ञा देकर नौकरी पर रखे । शत्रु ज्यों ही सेना संग्रह [बल काल] करने लगे उसके मार्ग में बाधा डाले । उसको अन्यत्र भेजदे । तितरबितर करदे । उसके यत्न को निष्फल करदे । समय खतम होने पर बरखास्त करदे । शत्रु के सेना संग्रह संबंधी यत्न को नष्ट कर और स्वयं यही काम करे । उपरिलिखित सेनाओं में पूर्व पूर्व की सेना ही उत्तम है । भृत बल से मौलबल उत्तम है क्योंकि वह शिक्षित होती है और युद्ध के लिये ही तैय्यार की जाती है । प्रतिदिन रहना, शीघ्र ही लड़ने के लिये तैय्यार होजाना,

आज्ञा के अनुसार काम करना आदि गुणों से भृत्यबल श्रेणी बलसे उत्तम है। संघर्ष, क्रोध, सिद्धि, लाभ, उद्देश आदि में सदृशता के साथ साथ स्वदेशोत्पन्न होने से श्रेणीबल मित्रबल से तथा अपरिमित देश, समय तथा समान उद्देश्य से मित्रबल अमित्रबल से उत्तम है। अटवीबल से वह अमित्र बल उत्तम है जिसका सेनापति कोई आर्य हो। दोनों ही सेनायें लूटमार जादा पसन्द करती हैं। यदि लूटमार का कोई मौका न हो तथा राजा भयंकर विपत्ति में पड़ गया हो तो दोनों ही सेनायें घरके सांप की तरह खतरनाक हो जाती हैं।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि तेज की प्रधानता होने से चारों बर्णों की सेना में पूर्व पूर्व वर्ण की सेना ही उत्तम है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि शत्रु शिरझुका कर तथा प्रणाम कर ब्राह्मण सेना को शीघ्र ही अपने वशमें कर सकता है। लड़ाई के लिये तो शिक्षित क्षत्रियों की सेना ही उत्तम है। अधिक संख्यामें वेश्यों तथा शूद्रों की सेना भी ठीक है। शत्रुकी सेना इतनी है और उसके विरोधी सेना की शक्ति इतनी है इत्यादि बातों के अनुसार ही सेनाका संग्रह किया जाय। हाथियों की सेना की विरोधी समान शक्तिशाली सेना वही है जोकि हाथी, यंत्र, गाड़ी, गर्भकुल, खर्वट, बांस बाण आदि से पूर्ण रूप से सुसज्जित हो। घुड़ सवारों तथा रथियों की विरोधी सेना वही है जिसके पास पत्थर डंडे कवच अंकुश कचप्रहणी आदि हथियार हो। कवचधारी सेना से लड़ने के लिये घोड़ों तथा हाथियों की सेना को और चतुरंगिनी सेना का मुकाबला करने के लिये प्यादों तथा रथियों को कवच पहिन कर लड़ना चाहिये।

राजा को चाहिये कि वह अपनी सेना के भिन्न भिन्न विभागों की शक्ति को देख कर सेना का संग्रह करे और शत्रु की सेना को नष्ट करे।



१४०-१४१ प्रकरण ।

पश्चात्कोप चिंता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति कोप का प्रतिकार ।

यदि पश्चात्कोप (चढ़ाई करने के बाद थोड़ासा गदर होजाना) अल्प हो और पुरस्ताल्लाम (चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी लाभ मिलता हो) बहुत ही अधिक हो तो प्रथम को ही मुख्य समझना चाहिये । क्यों कि चढ़ाई करने के बाद राज्यद्रोही दुश्मन तथा जंगली सेना विद्रोह को बहुत ही अधिक सुलगादेंगे । प्रकृति के विद्रोही होनेपर बड़े से बड़ा भी पुरस्ताल्लाम निरर्थक होजाता है । जब देश में यही बात होतो स्वयं भृत्य मित्र आदि की सेना का चय तथा व्यय करे और पुरस्ताल्लाम की प्राप्ति के लिये सेनापति, राजकुमार तथा दंडचारी (सेनापति) को आगे भेजदे । यदि उसकी शक्ति बहुत ही अधिक हो और वह पश्चात्कोप कहीं परभी बैठेहुए शान्त करसकता होतो पुरस्ताल्लाम की प्राप्ति के लिये चढ़ाई करदे । यदि आभ्यन्तरकोप की शंका हो तो संशयास्पद [शंकित] लोगोंको चढ़ाई करते समय अपने साथ में लेले । यदि उसको बाह्यकोप [शत्रु का आक्रमण] की संभावना होतो संशयास्पद लोगों के परिवार अपने पास रखकर और भिन्न भिन्न सेनाओं के वर्गों का मुखिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बनाकर तथा स्थान स्थान पर शून्यपाल को नियुक्त कर चढ़ाई करे या उचित न समझे तो चढ़ाई न करे । बाह्यकोप से आभ्यन्तर कोप भयंकर है इसपर पूर्वमें ही प्रकाश डाला जाचुका है । आभ्यन्तरकोप से तात्पर्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदिकों के कोप या विद्रोह से है । इसको अपने दोषों को दूरकर या शत्रु के आक्रमण का उनको भय दिखाकर दूरकरे । यदि पुरोहित बहुत बड़ा राज्यापराध करे तो उसको कैद करले या देश निकाला देदे । यदि कोई दूसरा अञ्छा लड़का मौजूद हो तो युवराज को कैद करदे

या मारडाले [निग्रह]। मंत्री तथा सेनापति के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार किया जाय। यदि कोई लड़का, भाई या रिश्तेदार राज्य छीनने की कोशिश करे तो दिलासा देकर शान्त करे। यदि इसपर भी वह शान्त न हो और शत्रु का भय हो तो उनको वह चीजें लौटादे जो कि उसने उनसे ली हों या उनके साथ संधि करले या उन्हीं की हैसियत वाले अन्य लोगों के द्वारा उनको भूमि तथा जमीन आदि देने का विश्वास देवे या सेना देकर उनको राज्य संबंधी काम से शत्रु के पास भेजदेवे या उनके विरोधी सामन्तों तथा जांगलियों को उनके विरुद्ध भड़कावे या उस नीति का अवलंबन करे जिसका उल्लेख अवबुद्धदान (राज कुमार को कैद कर रखना) तथा पारमार्थिक (शत्रु के गांवों को जीतना) प्रकरण में किया गया है। मंत्री तथा सेनापति के साथ भी यही व्यवहार किया जाय। मंत्री आदि से भिन्न छोटे छोटे अमात्यों के विद्रोह को अन्तरमात्यकोप कहते हैं। उसको शान्त करने के लिये भी उचित उपायों का प्रयोग करे। राष्ट्रमुख्य [राष्ट्रों के मुखिया], अन्तपाल [सीमा रक्षक], आटविक (जंगल का प्रबंध कर्ता), तथा पराजित राजा [दंडोपनत] का विद्रोह बाह्यकोप कहा जाता है। उनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर बाह्यकोप को शान्त किया जाय। जिसके पास बहुत ही उत्तम दुर्ग हो उनको सामंत आटविक तथा कैदी कुलीन आदियों में से किसी के द्वारा पकड़वा दिया जाय। मित्र के द्वारा भी यही करवावे परन्तु क्याल इसी बात का रखे कि वह दुश्मन न हो जाय। दृष्टान्त स्वरूप यदि वह शत्रु से मिले तो सबी यह कहकर उनको शत्रु से फाड़े कि—अमुक शत्रु ने तुम्हको अपना साधन (योग पुरुष) बना लिया है और तुम्हको अपने ही राजा के साथ लड़ाना चाहता है। अपना मतलब सिद्ध कर यह तुम्हको दंडचारी (सेनापति) बनावेगा और दुश्मनों तथा जांगलियों से लड़ावेगा या भयंकर कष्ट तथा परदेश में भौंक देवेगा या परिवार से जुदाकर तुम्हको राष्ट्र के अन्त में रहने के लिये बाधित करेगा या निःशस्त्र देखकर तुम्हको राजा के हाथ में बेच देगा या तुम्ह से संधि कर राजा को प्रसन्न

करने की कोशिश करेगा। इस लिये तुम्हको चाहिये कि तू किसी मित्र का सहारा ले। यदि उसको यह बात समझ में आजावे तो उसका इष्ट बातों से आदर सत्कार करे। परन्तु यदि वह इतने पर भी न समझे तो सत्री सफा सफा कहदे कि मुझको राजा ने तुम्हारे समझाने के लिये भेजा है। क्योंकि तुम नहीं समझते हो अतः “राजा की आज्ञा के अनुसार मैं तुमको मारता हूँ” यह कहकर मार डाले। या गूढ़ पुरुषों (गुप्तचर का भेद) या साथ रहने वाले वीर अङ्गरक्षकों के द्वारा उसको कतल करवादे। इन लोगों के शान्त करने का यही तरीका है। राजा को चाहिये कि शत्रु के देश में विद्रोह करवाये और अपने देश में विद्रोह को शान्त करे। जो लोग देश में गदर करने या उसको शान्त करने में समर्थ हों उनके देश में पङ्क्यंत्र (उपजाप) रचे। जो लोग अपनी बात की आन पर खड़े रहें, काम करने में समर्थ हों, नये काम तथा फल के प्राप्त होने पर अनुग्रह करें, और विपत्ति पड़ने पर बचावे उनके देशों में शत्रु के द्वारा किये गये पङ्क्यंत्रों को दूर करे (प्रतिजाप)। साथ ही इनके विषय में निम्नलिखित बातों के द्वारा कल्पना करे कि “अमुक कल्याण बुद्धि है या शठ है?” जो लोग बाह्य शठ होते हैं वह देश के लोगों के साथ इस ढंग की बात करते हैं कि—यदि राजा को मानकर तुम मुझ को अपना राजा बनाओ तो मुझे भूमि भी मिले और मेरे शत्रु का नाश भी होजावे। इस प्रकार मुझ को दुगुना लाभ मिल जावे। या शत्रु उसको इस प्रकार नष्ट कर सकता है। यदि उसके बन्धुओं का नाश हो जाय तो सामान्य विपत्ति से घबड़ाकर वह कहीं मुझ से भी नाराज न हो जाय और देश के लोग मेरे पक्ष में न रहें। और दूसरे राजा पर भी संदेह न करने लगे। राज्य मिलने पर उसके अमुक मुखिया को राजा बना देकर मरवादूंगा। और जो लोग आभ्यन्तरशठ होते हैं वह बाहरी लोगों से यह कहकर पङ्क्यंत्र रचते हैं कि इसका कोश धीनलूंगा। या इसकी सेना को नष्ट करदूंगा। या उसके द्वारा दुष्ट स्वामी को मरवादूंगा। जो बाह्य मुझ पर विश्वास रखता है उसको अभित्री तथा जांगलिकों के साथ लड़ादूंगा। उसके देश में

बहुयंत्र रचूंगा। उस के साथ दूसरे को दुश्मनी करवा दूंगा। या वह मुझ से इस प्रकार स्वाधीन हो जायगा। इसके बाद स्वामी के राज्य को इस प्रकार ग्रहण कर लूंगा। या स्वयम् ही राज्य को मैं जन्त कर लूंगा। या उसको बांध कर बाहरी भूमि के साथ साथ स्वामी की भूमि का भी स्वामी बन जाऊंगा। जो बाह्य मेरे विरुद्ध होगा उसको दूसरे के स्थान पर ले जाकर अकेले में मरवा डालूंगा। या उसके मूलस्थान को शून्य पाकर छीन लूंगा। जो लोग कल्याण बुद्धि होते हैं वह वही काम करते हैं जिस से साधियों का स्वार्थ सिद्ध हो। कल्याणबुद्धि के साथ संधि करे। शठ को "वैसा ही होगा जैसा तुम कहते हो" यह कहकर धोका दे। इसी ढंग पर संपूर्ण काम करे।

बुद्धिमान राजा को चाहिये कि वह—दूरवर्त्तियों को दूरवर्त्तियों से मित्रों को मित्रों से, मित्रों को दुश्मनों से, स्वदेशवासियों से मित्रदेशवासियों को, और अपने को मित्रों तथा शत्रुओं से सर्वदा बचाता रहे।

१४२ प्रकरण ।

क्षय व्यय तथा लाभ का विमर्श ।

क्षय । योग्य पुरुषों के हास का नाम क्षय है।

व्यय । हिरण्य तथा धान्य के हास का नाम व्यय है।

शत्रु पर तभी आक्रमण करे जब कि क्षय तथा व्यय की अपेक्षया लाभ अधिक देखे।

१ आदेय २ प्रत्यादेय ३ प्रसादक ४ कोपक ५ ह्रस्व काल ६ तनु क्षय ७ अल्पव्यय ८ महान् ९ वृद्धयुद्ध १० कल्प ११ धर्म १२ पुरोग इत्यादि लाभ की विशेषतायें हैं।

१. आदेय । जो लाभ सुगमता से प्राप्त हो, सुरक्षित रखा जा सके तथा शत्रु जिसको ग्रहण न कर सके उसको आदेय कहते हैं।

२. प्रत्यादेय । आदेय से विपरीत लाभ का नाम ही प्रत्यादेय है। जो इसको ग्रहण करता है या इसमें निमग्न रहता है वह विनाश

को प्राप्त होता है । यदि वह यह देखे कि—प्रत्यादेय लाभ को ग्रहण कर में शत्रु के कोश, दंड (सैन्य) तथा संरक्षण के साधनों का क्षय कर सकूंगा । या—खान, द्रव्यबन (जंगल), हस्तिबन (हाथी का जंगल), सेतुबंध [पुल], वणिक्पथ (व्यापारी मार्ग), आदि को चूस कर निरुत्सार बना दूंगा । या—शत्रु की प्रकृतियों को क्षीण कर दूंगा; दूसरे देश में भागने के लिये बाधित कर दूंगा या उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तैय्यार करूंगा या—उसको शत्रु से लड़ा दूंगा, या—शत्रु के पास पड़े पण्य को उसे दे दूंगा या—उसको किसी एक विरक्त कुलीन शत्रु की शरण में उसको भेज दूंगा या—उसको भूमि दूंगा और इस प्रकार उसको ऊँचा कर सदा के लिये अपना मित्र बना लूंगा—तो वह प्रत्यादेय लाभ को भी ग्रहण कर ले । आदेय तथा प्रत्यादेय में इसी नियम को काम में लाना चाहिये

३. प्रसादक । जो लाभ (देश आदि) अधार्मिक से धार्मिक को मिले वह अपने तथा पराये लोगों की प्रसन्नता का कारण होने से प्रसादक कहाता है । इससे विपरीत लाभका नाम प्रकोप है ।

४. कोपक । जो लाभ मंत्रियों के उपदेश से मिले उसको कोपक कहते हैं । क्योंकि मन्त्री लोग समझने लगते हैं हमने ही राज्य को क्षय व्यय से बचाया । राज्य द्रोही मंत्रियों के अनादर से जो लाभ मिले उसको भी कोपक कहते हैं । क्योंकि वह लोग यह समझत हैं “स्वार्थ सिद्ध होने के बाद यह हमारा नाश कर देगा” । कोपक लाभ से विपरीत लाभ को प्रसादक कहते हैं । प्रसादक तथा कोपक में इसी नियम को काम में लाना चाहिये ।

५. इस्वकाल आक्रमण करते ही जो लाभ मिले उसको इस्वकाल कहते हैं ।

६. तनुक्षय । जो लाभ मंत्र मात्र से साध्य हो उसको तनुक्षय कहते हैं ।

७. अल्पव्यय । जो लाभ भद्र मात्र (भत्ता) व्यय से ही प्राप्त हो उसको अल्पव्यय कहते हैं ।

८. महान् । जिसका तात्कालिक लाभ बहुत ही अधिक हो उसको महान् कहते हैं ।

९. वृद्धयुदय । जिस के प्राप्त होते ही विशेष लाभ हो उसको वृद्धयुदय कहते हैं ।

१०. कल्य । जो बाधा रहित [निराबाधक] हो उसको कल्य कहते हैं ।

११. धर्म्य । जो प्रशस्त हो उसको धर्म्य कहते हैं ।

१२. पुरोग । मित्र राष्टों (सामवायिक) से जो बिना किसी प्रकार की बाधा या शर्त [अनिर्वन्ध] के लिये हो उसको पुरोग कहते हैं ।

यदि तुल्य लाभ दिखाई पड़े तो—१ देश, २ काल, ३ शक्ति, ४ उपाय, ५ प्रिय, ६ अप्रिय, ७ जप [पङ्क्यंत्र], ८ अजप (अपङ्क्यंत्र)] ९ सामीप्य, १० विप्रकर्ष [दूरी], ११ तदात्व (तात्कालिकपन), १२ अनुबन्ध (साथ होना), १३ सारत्व, १४ असारत्व, १५ असातत्य (जो लगातार न हो), १६ बाहुल्य तथा बाहुगुण्य (बहुत उत्तम) देखकर लाभ ग्रहण करे ।

लाभविघ्न । १ काम, २ कोप, ३ साध्वस (भीरुता), ४ कारुण्य ५ ह्री [लज्जा], ६ अनार्यभाव, ७ मान, ८ दयालुता, ९ परलोकापेक्षा (परलोक का ख्याल), १० धार्मिकता, ११ अतिजल, १२ दैन्य, १३ ईर्ष्या (असूया), १४ प्रमाद, १५ उदारता, १६ अविश्वास, १७ भय १८ संतोष, (इतिकार), १९ गरमी सदी तथा वर्षा से अपने आप को बचाने में असामर्थ्य और २० तिथि नक्षत्र तथा यज्ञ का मंगल पूर्ण होना आदि लाभविघ्न की विशेषतायें हैं ।

जो नक्षत्र आदि को बहुत ही अधिक पूछता है उस के अर्थ सिद्ध नहीं होते । अर्थ का साधक (नक्षत्र) तो अर्थ ही है । तारे क्या कर सकते हैं ? कार्य में चतुर व्यक्ति (साधन) सैकड़ों प्रकार की कोशिश कर अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं । जैसे हाथी हाथी को बांधता है वैसे अर्थ अर्थ को खींचता है ।

१४३ प्रकरण ।

बाह्य तथा आभ्यन्तर आपत्तियां ।

संधि आदि का उचित ढंग पर न करना ही अपनय है । इससे बहुत प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होजाती हैं । दृष्टान्त स्वरूप:-

१ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति ।

२ देश के अन्दर के लोगों का बाहरी लोगों से मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति ।

३ बाहरी लोगों का देश के बाहर ही षड्यंत्र रचना ।

४ अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही षड्यंत्र रचना ।

अब इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जायगा ।

१ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति ।
अन्दर के लोग विदेशियों से या विदेशी अन्दर के लोगों से मिल कर जब षड्यंत्र रचते हैं तो षड्यंत्र बहुत ही भयंकर होता है । जो लोगों इस के बीच में होते हैं वह किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर बच जाते हैं । परन्तु जो षड्यंत्र के अनुसार काम करते हैं या उस में पूर्ण रूप से संमिलित होते हैं वह नहीं बचते । उनको एक बार यदि दबा दिया जाय तो फिर दूसरों को ऐसी हिम्मत नहीं होती । बाहरी अन्दरूनी लोगों से तथा अन्दरूनी लोग बाहरी लोगों से षड्यंत्र नहीं रचते । बाहरी लोगों की संपूर्ण कोशिशों के निष्फल होने से राजा की शक्ति तथा समृद्धि बढ़ जाती है ।

(२) देश के अन्दर के लोगों के बाहरी लोगों से मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति । देश के अन्दर जो लोग षड्यंत्र रचें उनको साम तथा दान द्वारा शांत कर दिया जाय । साम से तात्पर्य स्थान तथा मान से और दान से तात्पर्य अनुग्रह परिहार (राज्यस्व से मुक्त करना) तथा काम आदि देने से है । जो लोग बाहरी लोगों से मिलकर षड्यंत्र रचें उनको भेद तथा दंड के द्वारा दबा दिया जाय । मित्र बनकर गुप्तचर लोग बाहरी लोगों को कहें कि "आप

समझदार हो जाइये । अमुक आदमी राजद्रोही के भेस में आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है" । इसी प्रकार राजद्रोही का भेस बनाये हुए गुप्तचर राजद्रोहियों को बाहरी लोगों से या बाहरी लोगों को राजद्रोहियों से फाड़ देंगे । तीव्रण लोग उन के पेट में घुस कर उन को मार डालेंगे । या बाहरी लोगों से उन को मरवा दें ।

(३) बाहरी लोगों का देश के अन्दर ही पड़्यंत्र रचना । जब बाहरी लोग, बाहरी लोगों के साथ और अन्दर के लोग, अन्दर के लोगों के साथ पड़्यंत्र रचें तो उनका एक उद्देश्य से आपस में मिलना बहुत ही खतरनाक होता है । दोष के दूर करने पर राजद्रोही स्वयं ही नष्ट होजाते हैं । परन्तु यदि कोई राजद्रोहियों को नष्ट करे तो उसके दोष [दुर्गुण] अन्य बहुत से लोगों को राजद्रोही बना देते हैं । इस लिये पड़्यंत्र रचने वाले बाहरी लोगों को भेद तथा दंड से दबावें । मित्र के भेस में सत्रि लोग (गुप्त चरों का एक भेद) उनको कहें कि "आप यह समझ लीजिये कि यह राजा अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये दूसरे राजा से लड़ाई छेड़ रहा है" । साथ ही राजदूत की सेना के साथ गये हुए तीव्रण लोगों शस्त्र तथा जहर आदि से उनको मार डालें । इस के बाद सत्री लोग पड़्यंत्र रचनेवालों को सारी की सारी बात बता दें ।

(४) अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही पड़्यंत्र रचना । ऐसे लोगों का उचित उपाय किया जाय । जो लोग असंतुष्ट हों या संतुष्ट मालूम पड़ें उनके साथ साम उपाय का उपाय प्रयोग किया जाय । या दान उपाय के अनुसार उनका आदर सत्कार किया जाय और उनको कहा जाय कि तुम्हारी राजभक्ति देख कर या तुम्हारे सुख दुःख का ख्याल रखकर ही ऐसा किया गया है । या मित्र के भेस में गुप्तचर उनसे कहें कि "राजा तुम्हारे, हृदय की बात जानन चाहता है । अतः तुम उसको आदि से अन्ततक अपने दिल की बात कह दे" । या उनको यह कह कर आपस में फाड़ दे कि तुम्हारा अमुक साथी राजा के साथ अन्दर ही अन्दर मिला हुआ

है "दांडकर्मिक प्रकरण में विधान किये गये दंडों के अनुसार ही उन लोगों को दंड दिया जाय जो आपस में फट गये हों ।

इन चारों प्रकार की आपत्तियों में पहिले अन्दरूनी आपत्तिका ही उपाय करना चाहिये । "घरको सांपकी तरह देश के अन्दर के लोगों का विद्रोह शत्रु के आक्रमण से कहीं अधिक भयंकर है" इस पर पूर्व में ही प्रकाश डाला जा चुका है ।

उपरि लिखित आपत्तियों में क्रमशः पूर्व पूर्व की आपत्ति लघु (हल्की) होती है । पहिले लघु आपत्ति का ही उपाय करना चाहिये बशर्त कि किसी भारी आपत्ति के पीछे कोई बलवान् शत्रु न हो ।

१४४ प्रकरण ।

राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओं के साथी ।

शत्रु तथा सचरित्र लोग दो प्रकार के होते हैं । एक तो वह हैं जो कि राज्य द्रोहियों (द्रुप्य) से पृथक् रहते हैं और दूसरे वह हैं जो कि शत्रु का साथ नहीं देते हैं । नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्य द्रोहियों से बचाने के लिये दंड (सैन्य) से भिन्न उपायों को काम में लाया जावे । प्रभावशाली मनुष्यों के संघ को दंड देना असंभव है । यदि कोई यह करे भी तो उसको उचित फल न मिले । इससे अतिरिक्त बहुत प्रकार के अनर्थ होने शुरू हो जाय । इसलिये मुखियों के साथ दांड कर्मिक प्रकरण में बताये हुए नियमों के अनुसार व्यवहार करे । इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को शत्रु से बचाने के लिये सामादिक उपायों का प्रयोग करे । योग्य पुरुषों का एकत्रित करना राजा पर और काम तथा कोशिश करना मन्त्री पर निर्भर है । इसलिये दोनों पर ही सफलता का आधार समझना चाहिये ।

जिस जनता में राजभक्त तथा राज्य को ही समान रूपसे मिले हों उसको आमिश्रा कहते हैं । राजभक्त लोगों के सहारे ही आमिश्रा जनता पर शासन किया जासकता है । क्योंकि बिना सहारे के कोई भी कहीं पर थंभ नहीं सकता है । जिस जनता में

मित्र तथा अमित्र लोग मौजूद हों परमिश्रा कहते हैं। मित्र लोगों के सहारे ही परमिश्रा पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। मित्र के द्वारा लिद्धि का होना सुगम होता है। अमित्र के द्वारा यही बात संभव नहीं है। यदि मित्र संधि न करना चाहे तो गुप्तचरों के द्वारा उसको अमित्र से फाड़े और इस प्रकार उसको अपने वश में करे। या मित्र समाज में जो सदा ही रहता हो उससे दोस्ती करे। क्योंकि ऐसे आदमियों से दोस्ती होते ही समाज के मध्यस्थ लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। या मित्र समाज में जो मध्यस्थ हों उनको अपने साथ मिलाले। इसके साथ मिलते ही मित्र समाज के अन्दर रहने वाले लोग तितर बितर हो जाते हैं। सारांश यह है कि जिन उपायों से उनका जत्था टूट जाय उन उपायों को काममें लावे। दृष्टान्तस्वरूप उनमें जो धार्मिक लोग हों उनकी जाति कुल विद्या तथा आचार आदि की प्रशंसा करे और पूर्वजों के त्रैकालिक उपकारों तथा लाभों का जिक्र कर साम उपाय से उनको वश में करे। उनमें से जिन लोगों में उत्साह न रहा हो, जो लड़ाई से थक गये हों, जिनको कोई उपाय न सूझता हो, जोकि आय व्यय तथा प्रवास से परेशान हों, जो सबेरे दिल से किसी दूसरे राजा को चाहते हों, जो किसी दूसरे राजा से डरते हों, या जो मित्रता तथा कल्याण के इच्छुक हों उनपर भी साम उपाय का ही प्रयोग किया जाय।

लुब्ध तथा लीण राजा को तपस्वियों तथा मुखियों के द्वारा कुछ दे दिवाकर अपने पक्ष में करले। दान पांच प्रकार का है। (१) देयविसर्ग [देने योग्य वस्तु को देना]। (२) गृहीतानुवर्तन [देने के बाद कुछ और दे देना]। (३) आत्तप्रतिदान [जो मिला हो उसको लौटा देना]। (४) स्वद्रव्यदान (अपनी चीज को देना)। (५) दूसरों की अपूर्व वस्तु लेने के लिये स्वयंग्राहदान (सेना आदि के द्वारा सहायता देना)।

यदि वह देखे कि दो राजा एक दूसरे से वैर तथा द्वेष तथा भूमि जाने की शंका रखते हैं तो उनको इन्हीं में से किसी एक बात के द्वारा लड़ा देवे। उनमें जो डरपोक हो उसको कहे कि "देखो यह

दोनों आपस में मिलकर तुम्हको ही नुकसान पहुंचावेंगे । इसने अमुक मित्र से खुल्लमखुल्ला संधि करली है । कोई बात छिपी थोड़ेही है" । अपने देश से या परदेश से जिसके पास माल बिकने के लिये आवे उसके विषय में खुफिया पुलिस के लोग शोर मचायें कि "बढ़ाई करने के लिये ही इसने सामान मंगाया है" । यदि उसके पास सामान अधिक होगया हो तो उसको आज्ञा दे कि "मैंने तुम्हारे पास अमुक सामान भेजा है । शत्रु संघ पर आक्रमण करदो । संपूर्ण लाभ तुम्ही को मिलेगा" । इसके बाद सत्री (गुप्तचरों की एकशाखा) दुश्मनों को दहक दें कि "देखो तुम्हारे दुश्मन ने उसके पास यह माल भेजा है" । विजिगीषु शत्रु के देश में पैदा होने वाले मालको चुपे चुपे मंगवाले । इसके बाद वैदेशिक के भेष में गुप्तचर का काम करनेवाले लोग शत्रु के मुखियों के पास उस माल को बेचें और सभी इधर उधर यह बात फैला दें कि "शत्रुने ही विजिगीषु को यह माल दिया है" । इसी प्रकार स्वदेश के महापराधी लोगों को अर्धमान (रुपया पैसा तथा इज्जत देकर) द्वारा अपने वशमें कर और उनको शस्त्र विष, तथा अग्नि आदि देकर शत्रुके देश में भेज दें और साथ ही अपने यहां के एक अमात्य को बरखास्त कर दें । उसके घरवार को कैद कर दें और कह दें कि वह तो मरवा दिया गया है । इसके बाद वह अमात्य शत्रु के पास जाय और स्वदेश के गण्डुप महापराधी लोगों से क्रमशः एक एक करके मिले । यदि वह उसकी आज्ञा के अनुसार काम करे तो उनको न पकड़वावे । जो अपने आपको असमर्थ कहे उनके शत्रु राजाके सुपुर्द कर दें । उनमें से जो राजा का प्रियपात्र तथा विश्वास पात्र हों वह राजा को कहे अमुक मुखिया से आप अपने को बचाइये । इसपर यदि वह उस मुखिया के मरवाने के लिये आज्ञापत्र लिखे तो दोनों ओर से तनखाह पाने वाले लोग उस आज्ञापत्र को बीचमें ही पकड़ लें । इस प्रकार उत्साही तथा शक्तिशाली मुखियों के पास आज्ञापत्र लिखवाया जाय कि "अमुक राज्य ग्रहण कर हमारे साथ संधि करलीजिये" । सत्री लोग इस आज्ञापत्र को लेकर दुश्मन के पास पहुंचा दें तथा

किसी की छावनी स्वदेशी तथा मित्र की सेनाको नष्ट करदे। इसके बाद गुप्तचर लोग मित्र बनकर अन्य राजाओं को भड़कावें कि "यह आपही को मरवाना चाहता है" ॥ जिसका कोई भीरु पुरुष हाथी या घोड़ा मर गया हो, गुप्तचरों ने मरवा दिया हो या गायब कर दिया हो उसको सभी लोग कहें कि "अमुक ने मारा है" और इस प्रकार आपस में उसको लड़ाव । जब वह मरवाने के लिये चिठ्ठी दे तो और उसमें लिखें कि "पेसा ही तुम भी करो जो लाभ होगा वह तुम्ही को मिलेगा" तो इस चिठ्ठी को दोनों रियास्तों से समान रूपसे तनखाह पाने वाले लोग पकड़लें । इससे यदि वह आपस में फट जाय तो उनमें से किसी एक को अपने वशमें करले सेनापति, राजकुमार तथा दंड चारी [सेना को चलाने वाला] लोगों के साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार किया जाय ।

राष्ट्र संघों को आपस में फाड़ देने का नाम ही भेद है । खुफिया पुलिस के लोग [गुप्त पुरुष] तीक्ष्ण को आजावें और दुर्बल, व्यसनी [पीड़ित, कष्टमें पड़ा] तथा दुर्गम स्थित शत्रुओं में से जिसको मरवाना सुगम समझें उसको उससे मरवावें । तीक्ष्ण ही एक पेसा है जो कि संपूर्ण काम शस्त्र विष अग्नि आदि के सहारे करता है और संपूर्ण साधनों से पूरे होने वाले कामों को पूरा करता है ।

साम दान दंड भेदका प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है । इनमें से पूर्व पूर्व का प्रयोग सुगम है । साम एक गुना, दान साम के बाद होने से दुगुना, भेद सामदान के बाद होने से तीन गुना और दंड साम दान दंड के बाद होने से चार गुना शक्तिशाली माना जाता है । स्वजातीय शत्रुओं तथा विरोधियों को भी इन्हीं उपायों से शान्त किया जाय । इनमें विशेषता केवल यही है कि—प्रसिद्ध प्रसिद्ध दूतमुख्य (अभिजात दूत मुख्य) स्वभूमिष्ठ (जिनकी अपनी जमींदारी हो) लोगों के पास उपहार लेकर जावें और कहें कि वह लोग अमुक व्यक्ति के साथ संधि कर रहे हैं या उसको शत्रु के नाश के लिये प्रेरित कर रहे हैं । यदि वह इस बात पर विश्वास न करे तो उसको कहें कि "आप कष्ट न उठाइये । हमारा मतलब सिद्ध

होगया” इसी प्रकार दोनों ओर से तनखाह पाने वाले लोग उनमें से किसी एक को यह कह कर उत्तेजित करें कि—“तुम्हारा अमुक राजा बहुत ही दुष्ट है” या जिसका जिसके साथ वैर द्वेष या कलह देखें या जिसकी किसी दूसरे से उरता हुआ पावे उसको कहें कि “अमुक व्यक्ति तुम्हारे शत्रु से मिल गया है। इसने पहिले तुमको धोका दिया था। शीघ्र ही तुम संधि करलो। इसके पकड़ने के लिये कोशिश करो”। या उनका आवाह (उपनिवेश बसाना) तथा विवाह द्वारा मेल बढ़ाकर आपस में लड़ने वाले लोगों को और भी अधिक लड़ा देवे। सामंत आदविक, कुलीन तथा कैदों लोगों से उसके राज्य को छिनवा ले। या उनको एक दूसरे के साथ संगठित करे जातीय तथा व्यापारीय संघ, (सार्थ), प्रजा तथा जांगलिक सेना के द्वारा उनके छिद्रों (कमजोर स्थान) पर आक्रमण करवाये गुप्तचर लोग अग्नि विष तथा शस्त्र के द्वारा यही काम करें।

शत्रुओं को जहरीली शराब, शठको पूर्ववर्णित घातक योग, और परमिश्रा जनता को विश्वास तथा प्रलोभन देकर मारे।*

१४५-१४६ प्रकरण ।

अर्थानर्थसंशय विवेचन तथा उनकी उपाय विकल्पज सिद्धि ।

कामादि की अधिकता से राजा की अग्नि ही प्रकृतिपां कुपित होजाती है। विदेशीय नीति के ठीक न होने से भी यही होता है। इन दोनों ही बातों को राजजी वृत्ति समझा जाता है। कोप बही है जिस से स्वजन नाराज हो जाय। शत्रु की वृद्धि के

* डाक्टर रामशास्त्री ने इस श्लोक में परमिश्रा तथा आमिश्र का अर्थ ठीक न जान कर अर्थ दूसरे रूपसे कर दिया है। इसी प्रकरण में कौटिल्य ने परमिश्रा का लक्षण दे दिया है अतः इसका अर्थ गुप्तचर नहीं हो सकता। “युक्तामिश्रवयोदि वैरं भीतमहावरोः” इत्यादि श्लोक में आमिश्र का अर्थ मांस न होकर “एकस्वार्थ” है। उररि लिखित अर्थ में प्रलोभन का तात्पर्य एकस्वार्थ कभी प्रलोभन से ही है।

सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें विचारणीय हैं । [१] आपदर्थ । [२] अनर्थ । [३] संशय । *

(१) आपदर्थ । जो अर्थ प्राप्त होने पर शत्रु की वृद्धि करे, या दूसरों को पुनः लौटाया जाय, या क्षय तथा व्यय को बढ़ावे, वह आपत्ति जनक होने के कारण आपदर्थ कहाता है । दृष्टान्त स्वरूप सामन्त के लोग जिस बात को चाहते हों वही बात दूसरे सामन्त के कष्ट में पड़ने से उतका मिल जाय या जो धन शत्रु के लिये हो, या जिस पर अपना स्वाभाविक अधिकार हो गया हो या जिस को पीछे से कुपित होकर पार्ष्णिग्राह ने छीन लिया हो या जोकि आगे चलकर मिलना हो, या जोकि मित्र को नाशकर तथा संधि को तोड़कर प्राप्त किया गया हो और मंडल जिस के विरुद्ध हो उसको आपदर्थ कहते हैं ।

(२) अनर्थ । अपने या परायें से भय की उत्पत्ति का नाम ही अनर्थ है ।

(३) संशय । उपरिलिखित दोनों बातों में—कहीं अनर्थ तो नहीं है ? कहीं यह अर्थ अनर्थ तो नहीं है ? कहीं अनर्थ ही तो अर्थ नहीं ? इस ढंग के संदेह का नाम ही संशय है । रुपया तथा इज्जत आदि के द्वारा शत्रु की सेना का बुला लेना कहीं अनर्थ तो नहीं ? शत्रु तथा मित्र को लड़ने के लिये तैयार करने में अर्थ है वा नहीं ? यही संशयके उदाहरण हैं । इनमें ऐसे संशय के अनुसार काम करे जिससे अर्थ प्राप्त हो ।

अर्थ के—[१] अर्थानुबंध, [२] निरनुबंध [३] अनर्थानुबंध और अनर्थ के [४] अर्थानुबंध [५] निरनुबंध, [६] अनर्थानुबंध आदि कुल मिलाकर छ भेद हैं ।

* डाक्यू श्याम शास्त्री ने इस परिच्छेद का भाषान्तर करते समय अर्थ कार्य अर्थ संपत्ति या धन किया है । हमारी समझ में अर्थ का इस परिच्छेद में वास्तव स्वार्थ या स्वप्रयोजन से है ।

[१] अर्थ-अर्थानुबंध । शत्रु को नष्ट कर पार्ष्णिग्राह को अपने वशमें करने का नाम ही अर्थ-अर्थानुबंध (अर्थात् एक स्वार्थ से दूसरे स्वार्थ का प्राप्त होना है) कहाता है ।

(२) अर्थ-निरनुबंध । दंड [सैन्य] तथा अनुग्रह के द्वारा उदासीन के अर्थ को सिद्ध करना अर्थ-निरनुबंध [वह अर्थ जिसके द्वारा अपने स्वार्थ का सिद्ध होना आवश्यक न हो] कहाता है ।

[३] अर्थ-अनर्थानुबंध शत्रु का पूर्ण रूप से नाश करना अर्थ-अनर्थानुबंध [जिससे अनर्थ होने की संभावना हो] कहाता है ।

(४) अनर्थ-अर्थानुबंध । शत्रु के पड़ोसी को धन तथा सैन्य (कोश-दंड) द्वारा सहायता पहुंचाना अनर्थ-अर्थानुबंध (वह अनर्थ जिससे अपना लाभ हो) कहाता है ।

(५) अनर्थ-निरनुबंध । हीनशक्ति को उभाड़ कर तथा लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर स्वयं पृथक् होजाने नाम अनर्थ निरनुबंध है ।

(६) अनर्थ-अनर्थानुबंध । शक्तिशाली राजा को उभाड़ कर या लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर पृथक् होजाने का नाम अनर्थ अनर्थानुबंध है ।

इन छः अर्थों में पूर्व पूर्व का अर्थ अधिक लाभकर है । कार्य करते समय इसी नियम का ब्याल करना चाहिये ।

सब ओर से यदि एक साथ ही बहुत से अर्थ प्राप्त हों तो इसको समन्तोऽर्थाप यदि उसकी प्राप्ति में सब ओर से पार्ष्णिग्राह बाधक हों तो इसको अर्थसंशयापद्—यदि पार्ष्णिग्राह को मित्र तथा आक्रन्द (शत्रु के पीछे का शत्रु) का सहारा मिलजाय तो इसको अर्थसिद्धि—यदि सब ओर शत्रुओं का खतरा हो तो इसको अनर्थापद्—यदि शत्रुओं के साथ मित्रों की लड़ाई हो तो इसको अनर्थसंशयापत् और यदि चलामित्र तथा आक्रन्द (शत्रु के पीछे का शत्रु) का सहारा मिल जाय तो इसको अनर्थसिद्धि कहते हैं । यदि इधर उधर से प्राप्त होने वाले लाभ में शत्रु बाधक

हो और उसकी बाधा को दूर करने का कोई भी उपाय न हो तो इसको उभयतोऽर्थार्थपद का नाम दिया जाता है। ऐसी हालत में सब ओर से प्राप्त होने वाले लाभों में उसी अर्थ को ग्रहण करे जिसमें लाभ मालूम पड़े। यदि दो ओर से एक सदृश लाभ मालूम पड़े तो उसी लाभ के लिये यत्न करे जिसमें थोड़े से उपाय से ही लाभ निश्चित हो, जोकि महत्वपूर्ण, समीप तथा आवश्यक हो और जो कि प्राप्त होसकता हो यदि इधर उधर दोनों ओर से अनर्थ हो तो उसको उभयतोऽनर्थार्थपद कहते हैं। ऐसी हालत में यदि सभी ओर अनर्थ ही अनर्थ दिखाई पड़े तो मित्रों से सहायता प्राप्त कर स्वार्थ-सिद्धि करे। यदि कोई भी मित्र न हो तो प्रकृतियों [शत्रु प्रकृतियों] में जिसको कमजोर समझे उस पर आक्रमण करदे। दो ओर से आये हुए अनर्थों को ज्याय पर, और सब ओर से आये हुए अनर्थों को मूल पर आक्रमण कर रोके। यदि इससे अर्थ न सिद्ध हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाय। क्योंकि प्रायः यह देखने में आया है कि जीते रहने से पुनः राज्य मिल जाता है जैसा कि सुयात्र तथा उदयन के मामले में हो चुका है। यदि एक ओर से लाभ मिलता हो और दूसरी ओर से राज्य जाता हो तो इसको अर्थानर्थार्थपद कहते हैं। इस हालत में वही अर्थ सिद्ध करे जिससे अनर्थ दूर होता हो। यदि यह संभव न हो तो राज्य के बचाने में प्राणपन से यत्न करे। सब ओर से होने वाले अर्थानर्थार्थपद का नियम इसीसे जान लेना चाहिये। यदि एक ओर से अनर्थ की और दूसरी ओर से अर्थ प्राप्ति की संभावना हो तो इसको अनर्थार्थसंशय कहते हैं। इसमें पहिले अनर्थ से अपने आपको बचावे। इसके बाद अर्थप्राप्ति की चिन्ता करे। सब ओर से होने वाले अनर्थार्थसंशय का नियम इसीसे स्पष्ट है। यदि एक ओर से अर्थ और दूसरी ओर से अनर्थ संशय हो तो इसको अर्थानर्थसंशय कहते हैं। सब ओर से होने वाले अनर्थार्थसंशय का नियम इसी से अनुमान करलेना चाहिये। इनमें से पूर्व पूर्ववर्ती प्रकृति को अनर्थसंशय से मुक्त करने का यत्न करे। अनर्थ संशय में पड़ने पर जो अर्थ मित्र से सिद्ध होता है वह दंड से कदापि

नहीं। यदि मित्र न हो तो जो अर्थ दंड (सैन्य) से सिद्ध होता है वह कोश (धन) से कदापि नहीं।

यदि समग्र प्रकृति को न बचासके तो उनके कुछ एक भागको ही बचावे। जो भाग संख्यामें अधिक हो, जिनमें तीक्ष्ण तथा लुब्ध वर्ग के लोग न हों या जिस भाग में सार वस्तु हो या बहुत ही अधिक लाभ देने वाले पदार्थ हों उस भाग की रक्षा सबसे पहिले करे। जो संख्यामें कम हो या जिस भाग में कम दाम की चीजें हों या जिनके बचाने में बहुत ही अधिक क्षयकी जरूरत हो उसके संबंध में संधि, आसन या द्वैधीभाव की नीति का अवलंबन करे। क्षय, स्थान तथा वृद्धि में अगले अगले को ही क्रमशः प्राप्त करे। यदि इससे विपरीत बात हो तो श्रवादियों में जिससे भविष्य में लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे। देशके संबंध में भी नियम इसी प्रकार हैं। यात्रा (चढ़ाई) के मध्य या अन्त में आने वाले अर्थ, अनर्थ संशय आदिकों का विचार पूर्ववत् ही करेलेना चाहिये। क्योंकि यात्रा (चढ़ाई करना) में यह प्रायः सदा ही बने रहते हैं। जिस अर्थकी सिद्धिमें कल्याण हो, परिणामाह तथा उसके साथियों के नशकी संभावना हो, क्षय व्यय प्रवास प्रत्यादेय [दूसरे को धन जमीन आदि लौटाना] आदि का सामना न करना पड़ता हो तथा राष्ट्र की रक्षा होती हो उसीकी प्राप्ति के लिये यत्न करे। अपने ही राज्यमें अनर्थ तथा संशय का होना कभी भी सहन न करना चाहिये। यात्रा [चढ़ाई] के बीच में जो अनर्थ तथा संशय पैदा हो उनका उपाय भी इसी ढंगपर करना चाहिये। यात्रा के आदि या अन्त में जो लोग कर्शनीय [दुर्बल करने के योग्य] या उच्छेदनीय [नष्ट करने के योग्य] हों उनको दुर्बल तथा नष्ट कर जिस बात में कल्याण देखे उसको करे। शत्रु की बाधा के भय से अनर्थ या संशय वाली बात की ओर न मुके। जो राष्ट्र संघका नेता न हो उसको चाहिये कि वह यात्रा के मध्य या अन्त में अनर्थ या संशय को प्राप्त करते ही जिस बात में हित या कल्याण समझे उसीको करे। यात्रा को अन्त तक निभाना उसके लिये आवश्यक नहीं है।

अर्थ, धर्म काम यह तीन अर्थ के ही भेद हैं। इनमें से पूर्व पूर्व का प्राप्त होना कल्याण कर होता है। इसी प्रकार अनर्थ, अधर्म शोक यह तीन अनर्थ के भेद हैं। इनमें से पूर्व पूर्व का प्रतिकार करना हितकर होता है। क्या यह अर्थ है या अनर्थ है? क्या यह धर्म है या अधर्म है? क्या यह काम (कष्ट) है या शोक है? यह तीन संशय के भेद हैं। इनमें से अगले के सिद्ध हो जाने पर पूर्व का ग्रहण करना ठीक है। काल में भी इसी ढंग के भेद तथा नियम हैं। आपत्तियों के भेद तथा नियम भी इसी प्रकार हैं।

पुत्र भ्राता तथा बन्धुओं को साम तथा दान से पक्ष में करना अनुरूपसिद्धि, पौर, जानपद तथा सेनापतिओं [दंडमुख्य] को दान तथा भेद से अनुकूल करना अनुलोमासिद्धि और इससे विपरीत दशा में प्रतिलोमासिद्धि कही जाती है। मित्र तथा अमित्र विषयक सिद्धि को व्यामिश्रासिद्धि का नाम दिया जाता है साम दान आदि उपाय एक दूसरे के साधक हैं। शत्रु के शंकित अमात्यों के साथ साम, वागियों के साथ दान, संघों तथा गुटों के साथ भेद तथा २ किशालियों के साथ दंड का यदि प्रयोग किया जाय तो द्रव्य उपायों की कुछभी जरूरत नहीं रहती। आपत्तियों के हलके भारी होने के अनुसार १ नियोग, २ विकल्प तथा ३ समुच्चय होते हैं। १ 'इस उपाय के सिवाय और किसी भी उपाय से नहीं'। २ "इसके साथ साथ कदाचित् अन्य उपायों से भी" और ३ "इस के साथ साथ अन्य उपायों से भी" सिद्धिप्राप्त होसकती है इसको क्रमशः १ नियोग २ विकल्प तथा ३ समुच्चय के नाम से पुकारते हैं। साम दानादि उपायों में एक के चार उपाय किसी तीन के भिन्न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर चार उपाय दोहों के भिन्न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर छः उपाय और चारों के संमिलित प्रयोगों को मिलाकर एक ४ उपाय और इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रह हैं। इतने ही उनके प्रतिलोम [विरोधी उपाय] उपाय हैं। इनमें से एक उपाय से सिद्धि एकसिद्धि, दो उपायसे सिद्धि को द्विसिद्धि तीन उपाय से सिद्धि को त्रिसिद्धि और चार उपाय से सिद्धि का चतुःसिद्धि कहते हैं। धर्म तथा काम अर्थ का मूल है। उनक

लिये अर्थ सिद्धि करना सर्वार्थासिद्धि कहाता है । सिद्धियों के यही भेद हैं ।

दैव, अग्नि, उदक, व्याधि, प्रमाद, बुखार (विद्रव) दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां तथा आसुरीसृष्टि आपत्ति मानी जाती हैं ।

आसुरीसृष्टि यदि अधिक या कम हो या सर्वथा ही न हो उन से बचने के लिये अथर्ववेद में विधान किये गये प्रयोगों को काम में लाने और संपूर्ण काम देवता, ब्राह्मण तथा सिद्धों के अनुसार करे ॥

१० अधिकरण ।

सांग्रामिक ।

१४७ प्रकरण ।

स्कंधावार-निवेश ।

मायक (नेता), बड़ई तथा ज्योतिषी (मौहूर्तिक) उत्तमभूमि (मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तम हो) में गोल, लंबा या चौकोन छावनी [स्कंधावार] बनावें । उसमें भूमि के अनुसार चार दरवाजे छः मार्ग तथा नौ विभाग बनावे ।

जिधर से शत्रु की चढ़ाई का डर हो उधर खाई, शहरपनाह, दीवार, दरवाजे तथा अटारी बनाई जाय । मध्य विभाग के उत्तरीय नवें विभाग में १०० धनुष लंबा तथा ५० धनुष चौड़ा राजा का महल बनाया जाय । पच्छिमी भाग के आधे में अन्तःपुर और अंत में आन्तर्वेशिक सैन्य [अन्तःपुर अध्यक्ष की सेना] के रहने का प्रबंध किया जाय । पूर्व विभाग में उपस्थान [देवस्थान] दक्षिणी भाग में कोश तथा शासन संबंधी दफ्तर (कार्य्यकरण) और इनसे १०० धनुष की दूरी पर खंभे दीवार [शकटमेधी, प्रतती, साल] आदि संधिरे चार चार मकान बनाये जाय । इनसे-पहिले में मंत्री


तथा पुरोहित, दहिने में कोष्ठागार तथा भोजन मंडार, बायें में कुप्यागार [जांगलिक पदार्थों का मंडार] तथा आयुधागार—दूसरे में तनखाह लेने वाले नौकर, घुड़सवार, रथी आदि और बाहर की ओर लुब्धक (शिकारी) तथा चांडाल [भ्रवणी], बाजा बजाने वाले तथा आग लगाने वाले, गुप्तचर तथा पहरेदार—रखे जाय। शत्रु के आक्रमण से बचने के लिये कूर गढ़ तथा कंटीली भाड़ियाँ बनाई जाय। पहरेदारों के अठारह टोलियाँ [वर्ग] समय बदल बदल कर पहरा दिया करें। गुप्तचरों के ज्ञान के लिये दिन में ही उनका समय विभाग [दिवायाम] बना दिया जाय।

भगड़ा शास्त्रार्थ, शराब, जल्सा [समाज] तथा जुआ आदि रोक दिया जाय। अपनी अपनी मुहरों को सुरक्षित रखने के लिये सबको चेतावनी दे दी जाय। अन्तपाल को कहा जाय कि वह सेनापति के कार्यों तथा सिपाहियों के संबंध में दी गई आज्ञाओं का लेखा लिखा करे।

प्रशास्ता को चाहिये कि वह मजदूरों तथा बढ़इयों को साथ में लेकर आगे आगे चलें और स्थान स्थान पर कूआँ आदि बनवावे तथा जल का प्रबंध करे ॥

१४८-१४९ प्रकरण ।

स्कन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कंदकाल तथा सैनिक संरक्षण ।



घास भूसा लकड़ी पानी के अनुसार गांवों तथा जंगलों की गणना की जाय और उनमें पड़ाव (अध्वनिवेश) डाला जाय। स्थान, आसन (ठहरना), गमन आदि का समय निश्चित कर यात्रा (चढ़ाई) करे। आवश्यकता से दुगुनी रसद साथ में ली जाय। यदि रसद पहुंचाने के लिये जानवर पर्याप्त न हों तो फौजी लोग ही रसद को ढोवें। या पहिले से ही हर पहाड़ पर रसद का प्रबंध किया जाय।

यात्राकाज में सबसे आगे नायक, मध्य में कलत्र (परिवार) तथा स्वामी, पार्श्व में घोड़े, दहिने बायें हाथ बहुमूल्य पदार्थ, व्यूह के अन्त में हाथी तथा प्रसार होने चाहियें। प्रसार से तात्पर्य जंगल में पैदा होने वाले पदार्थों से है। स्वदेश से मिलने वाली सहायता वीर्य और मित्र से प्राप्त हुई सहायता (सेना) आसार कहाती है। विविध तथा आसार अपने अपने स्थानों से राजा के साथ मिलने के लिये प्रस्थान करें। स्थान पर जमकर लड़ने वाले अभूमिष्ठ लोगों (जोकि अपना स्थान छोड़ बैठे हों) को युद्ध में पराजित कर देते हैं।

अधम श्रेणी के सैनिक एक योजन, मध्यम श्रेणी के सैनिक डेढ़ योजन और उत्तम श्रेणी के सैनिक दो योजन प्रतिदिन चलते हैं। सैनिकों की चाल देखकर यात्रा [चढ़ाई] करना चाहिये। सेनापति को सबसे पीछे चलना चाहिये और पड़ाव पर सबसे आगे अपना खेमा गाड़ना चाहिये।

आगेने सामने की लड़ाई में मकर से पीछे की लड़ाई में शकट से, पासे पर की लड़ाई में वज्र से, और चारों ओर की लड़ाई में सर्वतोभद्र से आक्रमण करे। यदि रास्ता एक आदमी के चलने लायक हो तो सूची व्यूह का प्रयोग करे। द्वैधी भाव की नीति आलंबन करने पर पार्ष्णि, आसार (सहायक) मध्यम या उदासीन में से सबसे पहिले उसका प्रतीकार करे जो कि शत्रु को आश्रय दे तथा धन धान्य का नाश करे। जिस मार्गमें संकट पड़ने की संभावना हो उसका शोधन करना चाहिये साथही कोश, सैन्य, मित्र, अमित्र, जांगलिक सैन्य, वृष्टि ऋतु आदि की प्रतीक्षा करके आक्रमण करना चाहिये। यदि वह यह देखे कि—शत्रु दुर्ग की रक्षा करने में असमर्थ है, उसकी रसद कम पड़ गई है, उसको भाड़े पर भी सेना नहीं मिल सकती, मित्र की सेना भी उसको सहायता नहीं पहुंचा सकती है, गुप्तचरों की सम्प्रति जल्दी करने के पक्ष में नहीं है या शत्रु मेरे अभिप्राय को शीघ्र पूरा कर देगा तो—धीरे धीरे चढ़ाई करे। यदि मामला इससे विपरीत हो तो शीघ्र ही प्रस्थान करदे। हाथी, खंभों या नावों के पुल, नाव, लकड़ी

तथा बांस के बड़े आदि के सहारे नदियों को पार करे। यदि शत्रु ने घाट पर कब्जा कर लिया हो तो हाथी तथा घोड़ों के सहारे नदी को अन्य स्थानसे पारकर सत्र [जंगल, रेगिस्तान आदि] पर कब्जा करले। अपनी सेना को—भयंकर जंगल, निर्जलस्थान, घास भूसा लकड़ी पानी से रहित प्रदेश, कठोर मार्ग, शत्रु का आक्रमण भूख प्यास, रात्रि की थकावट, दलदल, गहरी नदी, घाटी, पहाड़ी, चढ़ाई, उतराई, पगडंडी, पथरीली जमीन, कूच का डंका बजने के बाद तैयारी करना या खाने पीने में मस्त रहना, आने जाने की थकावट, ऊंघना, व्याधि, संक्रामक रोग (मरक), दुर्मिन्न, पदाति अश्वारोही हस्त्यारोही आदियों की बीमारी, तथा सैनिक विद्रोह आदि से बचावे और शत्रु की सेना को नष्ट करे। सेनापति को चाहिये कि वह पगडंडी पर चलती हुई शत्रु की सेना का—आहार, विस्तरा, फैलाव, चूल्हे, भंडा, हथियार आदि से ज्ञान प्राप्त करे तथा अपनी सेना के असली स्वरूप को छिपावे।

यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पड़े तो उसको चाहिये कि वह किसी नदीय (नदी संबंधी) या पार्वतीय [पहाड़ी] दुर्ग का सहारा ले और उसको पीछे रखकर लड़े या आगे बड़े।

१५०-१५२ प्रकरण।

कूटयुद्ध, स्वसैन्योत्साहन तथा स्ववल

तथा अन्यवल का प्रयोग।

यदि किसी राजा के पास बलवान् सेना हो, शत्रु के षड्यंत्रों तथा कुचकों का भय न हो, घातक प्रयोगों का प्रतीकार करबुका हो तो वह प्रकाशयुद्ध में प्रवृत्त हो अन्यथा शकटयुद्ध (कूटयुद्ध) को ही करे सेना के कष्ट या प्रबल आक्रमण के समय में शत्रु को मारडाले। अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए अभूमिष्ठ (जो कि युद्ध भूमि में न हो) राजा को नष्ट करदे। या अपनी प्रकृति पर पूर्णरूपसे गभुत्व प्राप्तकर राज्यद्रोहियों, दुश्मनों तथा जांगलियों के द्वारा

शत्रु को यह दिखावे कि "मैं हार गया हूँ" "और जब वह इस विश्वास में पड़कर अपना स्थान छोड़े तो उसका घात करदे । यदि उसकी सेना एकस्थान पर एकत्रित हो तो उसको हाथियों से छिन्न भिन्न करदे । या भागकर धोखादे और जब वह धोखे में तितर बितर हो जाय या संगठित होजाय तो उसको नष्ट करदे । या आगे से आक्रमण कर उसको भगावे या तितर बितर करदे और इसके बाद अश्वारोहियों तथा हस्त्यारोहियों से कतल करवादे । या आगे से आक्रमण कर विषम जमीन में उसको ले आवे और फिर पीछे से नष्ट करदे । या पीछे से आक्रमण कर विषम जमीन में लेआवे और फिर यही काम करे । या पार्श्वसे या इधर उधर से विषम जमीन में लकर कतल करे । या राज्यद्रोही, दुश्मन तथा जांगलिक आदियों की सेनासे उसको लड़ाकर थका डाले और इसके बाद मारडाले । या बागीकी सेना धोखादे और विजय का उसको विश्वास दिलाकर सत्र के अन्दर उसको कतल करदे । या जब वह व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के छिन जाने से दुःखित होगया हो तो सावधान होकर उसको मरवादे । रही सेना के रूप में प्रबल सेना लेजाकर शत्रुके बीर बीर आदमियों को कतल करवादे । शत्रुके पशुओं तथा कुत्तों को चुराने के बहाने बीर बीर पुरुषों को इकट्ठा करे तथा उसके बाद उनको मरवादे । या रात में शत्रुको बागियों से लड़ाकर थकादे और जब वह सो जावे तो दिनमें ही कतल करदे । या हाथियों पर कपड़ा तथा चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे । या सेनाके तैयार करने से थकेहुओं को दिनमें मारडाले या संध्याके समयमें कतले आमकरदे ।

रोगस्थान, संकटमय स्थान, दलदल, पहाड़, नदी, घाटी ऊंचीबीची नाव, गौ, शकटव्यूह, धुंध तथा रात आदि सत्र नाम से पुकारे जाते हैं । आक्रमण करने से पूर्व ही कूटयुद्ध करना चाहिये ।

संग्राम या धार्मिक युद्ध करने से पूर्व धार्मिक राजा सेनाको किसीएक नियत स्थानपर निश्चित समय में इकट्ठा करे और कहे कि "मैं तुम्हारी तरह प्रजाका नौकर हूँ । तुम्हारे साथ ही मिलकर

राज्यका भोग करता हूँ। मेरी आज्ञाके अनुसार शत्रुका नाशकरो”।
वेदों में भी कहा है कि “यज्ञों में ददिणा आदि देने के पश्चात् यज-
मान को स्वर्ग में जो स्थान मिलता है वही स्थान शूरवीरों को
प्राप्त होता है। इसी के संबंध में यह दो श्लोकभी हैं।

यान्यज्ञसंघै स्तपसा च विप्राः स्वर्गैषिणः पात्रं पञ्चयांति ।

क्षणेन तानप्यतिपांति शूराः प्रणान् सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥

नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं सुसंस्कृतं दमकृतोत्तरीयम् ।

तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृतेन युध्येत् ॥ *

इस प्रकार मन्त्रि तथा पुरोहितों के द्वारा योधा लोगों को
उत्साह दिया जाय। कार्तान्तिक (भविष्यद्वाणी करने वाले,
शकुन विचारने वाले) लोग यह फैलाकर सैनकों को उत्साहित
करें। कि “दैव सब प्रकार से राजाके अनुकूल हैं। उसकी सर्वथा
विजय होगी”। इसी प्रकार शत्रुके विषय में उल्टी बातें फैलायी
जाय और उसके सैनकों को घबड़ा दिया जाय। “कल युद्ध शुरू
होगा” यह कहकर व्रत धारण करे और रात को शस्त्रसे सुसज्जित
बाहन (घोड़ा हाथी आदि) पर सोवे। अथर्ववेद के मन्त्रों से
हवन करे। लोग महाराज की विजय के लिये आशीर्वाद दें और
प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को प्रणाम तथा दक्षिणा से संतुष्ट किया
जाय। जो लोग शूरवीर, शस्त्र निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा
अर्थमान [रुपया तथा इज्जत] से संतुष्ट हों उनकी टोली बनायी
जाय और इसमें पिता पुत्र भाई तथा सिरमुंडे लोगोंको संमिलित
किया जाय। हाथी, रथ, घोड़ा [राज वाहन] आदि पर राजा
सवार होवे तथा शिक्षित घोड़ सवारों के बीचमें रहे। राजाके भेष
में कोई दूसरा सेनापति व्यूह बनावे।

* ब्राह्मण तथा शक्ति लोग स्वर्ग की इच्छा रखतेहुए यज्ञों के द्वारा जिनलोकों
को जाते हैं, शूरवीर लोग युद्धमें प्राणों का त्याग करतेही उनलोगों को पहुंचाते हैं।
जो आदमी स्वामी का अन्न खाकर युद्ध नहीं करता है वह नरक में जाता है। और
उसको जल से भरा मिट्टी का नया वर्तन तथा कुशाका दुपट्टा नसीब नहीं होता।

सूत तथा मागध कहें कि शूरवीर लोग स्वर्गमें और भीरु लोग नरक में जाते हैं और साथ ही योद्धाओं के जात कुल संध काम आदि की प्रशंसा करें। पुरोहित लोग कर्त्तव्य कर्म का उद्देश दें। सत्रिक (गुप्तचर), वर्धकि (बढ़ई) तथा मौहूर्तिक अपने काम की सफलता और शत्रु की असफलता दिखावें। सेनापति सेना को अर्थ तथा मान से संतुष्ट कर कहें कि—राजा के बधमें १०००००, सेनापति तथा राजकुमार के बधमें ५००००, वीरों तथा मुख्यों के बध में १००००, हस्त्यारोही तथा रथी के बधमें ५०००, घोड़े के बधमें १०००, प्यादों के मुखिया के बधमें १००, प्रत्येक शिर का २०, और जीते जी पकड़ने में दुगुना इनाम दिया जायगा। दस दस वर्ग के अधिपतियों को इस पुरस्कार की सूचना दे दी जाय। चिकित्सक लोग शस्त्र यंत्र महाम पट्टी आदि का सामान और स्त्रियां पुरुषों को उत्तेजित करने के साथ साथ अन्नपानादि का सामान हाथ में लेकर सेनाके पीछे पीछे चलें। अपनी भूमि में सेना का व्यूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि फौज का मुंह दक्खिन की ओर न हो, सूर्य सदा पीछे रहे तथा हवा पीठ की ओर से आवे। शत्रु की भूमि में जो व्यूह हो उस पर घुड़सवारों के द्वारा आक्रमण किया जाय।

जो स्थान व्यूह तथा आक्रमण के लिये उपयुक्त न हो, उस स्थान पर जमकर आक्रमण करने से पराजय तथा इससे विपरीत दशा में जय प्राप्त होता है।

आगे पीछे तथा पार्श्व के अनुसार भूमि समा, विपमा तथा व्यामिश्रा नाम से पुकारी जाती है। समाभूमि में दंड तथा मंडल व्यूह और विपमाभूमि में भोग तथा संहत व्यूह बनाये जाय।

विशिष्ट बल वाले शत्रु की शक्ति नष्ट कर संधि करें। समबल वाले यदि स्वयं संधि के लिये प्रार्थना करें तो संधि के लिये तैयार होजाय। हीन शक्ति वाले का घात करदे बशर्ते कि वह अपने देश में न हो या उसने आत्मसमर्पण न कर दिया हो।

जो पराजित होने के बाद जीवन की आशा छोड़ कर आक्रमण करता है उसका आक्रमण तथा वंग असह्य होता है। इसलिये

उचित यही है कि पराजित लोगों को बहुत अधिक पीड़ित न किया जाय ।

१५३-१५४ प्रकरण ।

युद्धभूमि, पदाति अथ रथ हस्ति आदि के काम

[क]

युद्ध भूमि ।

पदाति, अश्वारोही, रथी तथा हस्त्यारोही आदियों को युद्ध तथा निवेश (कैप, डेरा डाल कर पड़े रहना) के लिये उपयुक्त भूमि मिलना आवश्यक है जो लोग रंगीस्तान, वन, नदी या घाटी तथा स्थल पर युद्ध करते हैं—नीची जमीन या उंची जमीन या रात दिन में एक सदृश लड़ाई लड़ सकते हैं—नदीवालों, पहाड़ी दल दल, भील तथा पानी वाली जमीनों में युद्ध करना जानते हैं, हाथी घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करते हैं—उनके लिये युद्ध की भूमियां तथा समय पृथक् पृथक् होते हैं ।

रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालों के लिये वही भूमि उपयुक्त है जो कि—सम, स्थिर, एक सदृश [छेद आदि से रहित], गड्ढा रहित, (निरुत्खातिनी), गाड़ी के पहियों तथा पशुओं के खुदों से मजबूत बनाई गई, धुर को न अटकाने वाली (अनलवप्राहिणी) पेड़ झाड़ी खंभा, खूंटा बल्मीक डंठल, आदिसे रहित, सूखी और बालू तथा कांटों से शून्य हो । हस्त्यारोही तथा अश्वारोहियों को युद्ध तथा खेमा गाड़ने [निवेश] के लिये सम तथा विषम भूमि चाहिये ।

घुड़ सवारों के लिये वही भूमि उपयुक्त है जिसमें बेल पत्थर कांटे तथा गड्ढे न हों और जिस पर कूदा फांदा जा सके ।

प्यादों के लिये वही भूमि उत्तम है जिसमें पत्थर, ठूठ, पेड़ बेल बल्मीक आदि भरे पड़े हों ।

हस्त्यारोहियों के लिये वही भूमि उत्तम है जिसमें पहाड़, टीले नदियां छोटे मोटे पेड़, कांटे आदि से शून्य दलदल आदि हों ।

जो भूमि काटि से रहित समान तथा विस्तृत हो वह प्यादों के लिये—जो इससे दुगुनी विस्तृत, कीचड़ पानी ठूँड पत्थर बालू आदिसे रहित हो वह घुड़ सवारों के लिये—जो कीचड़ पानी नड़ा, सरकंडा से परिपूर्ण हो तथा जिसमें गोखरू, बड़े बड़े पेड़ों की शाखा आदि न हों वह हस्त्यारोहियों के लिये और जो तलाब आदि से परिपूर्ण खेतों तथा गड्ढों से रहित हो, तथा जिसपर रथ इधर उधर सुगमता से ही घुमाया जा सके वह रथियों के लिये बहुत ही उत्तम होती है। इस प्रकार युद्ध की भूमियों पर प्रकाश डाला जा चुका। संपूर्ण प्रकार की सेनाओं के युद्धों तथा निवेशों (खेमा आदि गाड़ना) के विषयमें भी यही नियम हैं।

[स्व]

अश्व रथ हस्ति आदि के काम ।

युद्ध भूमि पर इकट्ठे ही रहना, आंखी पानी में लगाम पकड़ रहना, रसद तथा सामिश्री की रक्षा या घात, सेना के निमंत्रण को शिथिल न होने देना, सेनाकी पंक्ति को लंबा करना तथा उसके पक्ष की रक्षा करना, सबसे पहिले आक्रमण करना, शत्रु की सेना को तितर बितर करना, कुचलना, पकड़ना अपनी सेना को बचाना, मार्ग के अनुसार सेना को इधर उधर ले जाना, कौश तथा राज कुमार को इस स्थान तक पहुंचाना, शत्रु की सेना के पीछे जा पड़ना, भीरू या भागते हुएों का पीछा करना तथा एक स्थान पर संपूर्ण सेना को संगठित करना आदि अश्वारोहियों के काम हैं।

आगे आगे चलना, सड़क बनाना, खेमा गाड़ना, पानी खोने के लिये रास्ता बनाना, सेनाके पार्श्व को बचाना, खड़े होकर लड़ना, पानी को तैर कर पार करना, अप्रवेश्य स्थानों में घुसना, आग लगाना या बुझाना, चतुरंगिणी सेना के एक भाग को जीतना, तितर बितर हुई सेना को एकत्रित करना, संगठित सेना को तितर बितर करना, तकलीफ में बचाना, मारना, डराना, तंग करना, धीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ना, किलेके दरवाजों तथा अटारियों वुजों का तोड़ना और खजाना आदि लेजाना हस्त्यारोहियों के काम हैं।

अपनी सेना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई पकड़ना तथा छोड़ना, तितर बितर हुई हुई सेना को एकत्रित करना संगठित सेना को तितर बितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना, और भयंकर आवाज करना आदि रथारोहियों के काम हैं।

सब प्रकार के देश तथा काल के अनुसार हथियार पहँचाना तथा लड़ना प्यादों के काम हैं।

शिविर (लड़ाई के लिये खेमे आदि जहाँ गाड़े गये हों) सड़क, मकान, कुँआ, घाट आदि का संशोधन करना, हथियार कवच, उपकरण, घास, आदि पहँचाना, घायलों को मय उनके हथियार कवच आदि के साथ उठाले आना आदि मेहनती मजदूरों (विष्टि) के काम हैं।

यदि राजा के पास घोड़ों की संख्या कम हो तो वह बैलों तथा घोड़ों से और यदि हाथी कम हो तो वह गददों ऊँटों तथा गाड़ियों से उनकी कमी को पूरा करे।

१५५-१५७ प्रकरण।

व्यूहविभाग, बलविभाग तथा चतुरंगसेना द्वारा युद्ध।

दुर्ग से ५०० धनुष दूर पर युद्ध किया जाय। या भूमि के अनुसार सेनापति तथा नायक इतनी दूर पर व्यूह बनावें जोकि आँखों से न दिखाई दे सकें। व्यूह में १ शम के अन्तर पर प्यादे, ३ शम के अन्तर पर घुड़सवार, ५ शम के अन्तर पर रथ, १० या १५ शम के अन्तर पर हाथी खड़े किये जाय। या उनको इस ढंग पर खड़ा करें जिससे युद्ध करने में सुगमता हो। ५ अरल्लि का १ धनुष होता है। धनुष की दूरी पर ही धनुषधारी, ३ धनुष पर घुड़सवार, ५ धनुष पर रथी और हाथी रखे जाय। पब (सेना के बगल में लड़ने वाले) कब (सेना के अबान्तर में लड़ने वाले) तथा उरस्व (सेना के सामने लड़ने वाले) में ५ धनुष का अन्तर

होना चाहिये घुड़सवार ५ पुरुषों से, हस्त्यारोही तथा रथी १५ पुरुषों से और तीन प्यादे एक घुड़सवार से लड़सकते हैं । तीन तीन रथों को उरस्व पक्ष तथा कक्ष में रखा जाय । इस प्रकार कुल संख्या पैंतालीस होती है । समव्यूह में २२५ घुड़सवार, ६७५ प्यादे, तथा इतने ही घोड़े रथ हाथी के पादगोप [पैरों की रक्षा करने वाले] होते हैं । इसमें दो दो रथ के हिसाब से २१ रथ तक बढ़ाने पर दस प्रकार के विषम व्यूह बनते हैं । जो सैनिक व्यूह में न आसकें उनका एक पृथक् मंडल (अवाप) बना दिया जाय । सेना के मुख्य भाग में रथों का दोतिहाई होना चाहिये । इससे अधिक जो रथ हों उनको उरस्व बना दिया जाय । व्यूह में काम आए हुए रथों का एकतिहाई मंडल (अवाप) में रखना चाहिये । हाथी तथा घुड़सवारों के संबंध में भी यही नियम है । युद्ध की आवश्यकता से अधिक यदि हाथी घोड़े रथ हों तो उनको मंडल में छोड़ देना चाहिये । सेना की अधिकता को ही आवाप या मंडल कहते हैं । इसी प्रकार सेना के एक भाग की अधिकता को अन्वाप, तथा राज विद्रोहियों की अधिकता को अत्यावाप के नाम से पुकारा जाता है । परवाप तथा प्रत्यावाप से जो सेना तीन या चार गुना से आठ गुना तक अधिक हो उसका आवाप [मंडल] बना देना चाहिये । रथव्यूह के सदृश हस्तिव्यूह बनता है । जिस व्यूह में हाथी घोड़े तथा रथ मिश्रित हों उसको व्यामिश्र व्यूह कहते हैं । जिस व्यामिश्र व्यूह के अन्त में [चक्राक्ष] हाथी, उधर उधर [पार्श्व] घोड़े, मुख्य भाग में रथ, उरस्य में हाथी तथा रथ और कक्ष तथा पक्ष में थाड़े हों उसको मध्यभेदी और इससे विपरीत को अन्न भेदी कहते हैं । शङ्ख व्यूह में साक्षात् [आक्रमण करने वाले] हाथियों का उरस्व, अरवाक्ष [तेज भागने वाले हाथियों का मध्य और काल हाथियों का पक्ष [पार्श्ववर्ती] तथा अश्वव्यूह में कवचधारी घोड़ों का उरस्य और साधारण घोड़ों का कर्ण तथा पद बनाया जाता है । पक्षिव्यूह (प्यादों का व्यूह) में आगे कवचधारी (आवरणी) और पीछे धनुर्धरी होते हैं । जिस व्यूह में—पक्ष में पदाति, पार्श्व में

हाथी, पृष्ठ में रथ और अग्र (पुरस्तात्) में शत्रु के व्यूह के अनुसार व्यूह बना हो उसको द्व्यङ्गवलविभाग कहते हैं त्र्यङ्गवल विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता है ।

हाथी तथा घोड़ों की सेना में भी वही उत्तम है जिसमें सैनिक शक्तिसंपन्न [दंड संपत्] तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हों । प्यादे रथी तथा हस्त्यारोहियों में भी वही अच्छा माना जाता है जिसमें कुल, जाति, वीरता, उमर, शक्ति, वेग, तेज, चातुर्य, धैर्य, उत्साह [उदग्रता ?], कर्मण्यता [विधेयता] आदि गुण विशेष रूपसे मौजूद हों । उत्तम सेना का—एक तिहाई उरस्थ, दो तिहाई पद तथा कब मध्यम सेना का—दोनों भाग अनुलोम अनुसार तथा प्रतिलोम और निकृष्ट सेना (तृतीयसार) का—प्रतिलोम होना चाहिये । इस प्रकार संपूर्ण सेना का उपयोग करना चाहिये । यदि निकृष्ट सेना अन्त में लगायी जाय तो शत्रु का प्रबल आक्रमण होने पर पीछे हटना पड़ता है । इसलिये उत्तम सेना [सारवल] को अग्रभाग में रखकर कोटियों [?] में अनुसार (मध्यम सेना का एक भाग) को रखना चाहिये । इसी प्रकार जघन [?] में तृतीय सार (निकृष्टसेना) को और मध्यमें फल्गुवल [तुच्छ सेना] को स्थापित करना चाहिये । ऐसा करने पर शत्रु का प्रहार सहन करना सुगम होजाता है । व्यूह बनाने के बाद यत्न, कक्ष तथा उरस्थ में से एक या दो से आक्रमण करे और शेष भागों से प्रहार या शत्रु के आक्रमण को रोके । यदि शत्रु की सेना दुर्बल तथा हाथी घोड़े की सेना से रहित हो और अमात्या तथा राज्य द्रोहियों का कुचक्र उसमें प्रबल हो तो उस पर प्रबल सेना के साथ आक्रमण करना चाहिये । अपनी सेना का जो अंग कमजोर हो उसको अच्छी तरह से पुष्ट करलेना चाहिये । अपने पास सेना उसी ओर रखे जिस ओर शत्रु से निकटान पहुँचने की संभानवा तथा खतरा हो ।

अभिसृत, परिसृत, अनिसृत, अपसृत, उन्मथी, अवधान, बलि, गोमूत्रिकामंडल, प्रकीर्णिका, व्यावृत्तपृष्ठ, अनुवंश, अग्र-भग्नरक्षा, पार्श्वभग्नरक्षा, पृष्ठभग्नरक्षा, भग्नानुपात आदि धुद-

सवारों की लड़ाई के नाम हैं । प्रकीर्णिका को छोड़कर अन्य सब तरीके व्यस्त [तितर बितर हुई २] तथा समस्त [संगठित] चतुरंग सेना को नष्ट करने के लिये उपयुक्त हैं । पक्ष, कक्ष तथा उरस्य के संबंध में प्रभंजन [ताड़ना], अवस्कन्दन (भगाना) तथा सौप्तिक (सोते हुए को कुचल कर मार डालना) आदि हाथी की सेना के लड़ने के तरीके हैं । उन्मथी तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब युद्ध रथी करता है । अपनी युद्ध भूमि में अभियान (चढ़ाई करना), अपयान (भगाना) स्थित (खड़े रहकर लड़ना) आदि युद्ध करने में रथी सेना की जरूरत पड़ती है । प्यादों की विशेषता यह है कि वह सब प्रकार के देश तथा काल में प्रहार कर सकता है और छिपकर शत्रु की सेना का घात कर सकता है ।

सेना के चारों अंगों की दशा के अनुसार ही व्यूह, ओज तथा युग्म बनाया जाता है । दो सौ धनुष तक आगे बढ़ने पर सेना का व्यूह नहीं बिड़गता । इसलिये राजा को चाहिये कि दो सौ धनुष की दूरी पर ही युद्ध करे और व्यूह बिगड़ने पर युद्ध से हट जाय ।

१५८-१५९ प्रकरण ।

दंड भाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह
और प्रतिव्यूह का स्थापन ।

औशनस के अनुसार—पक्ष, उरस्य तथा प्रतिग्रह और बार्हस्पत्य के अनुसार पक्ष, कक्ष, उरस्य तथा प्रतिग्रह आदि व्यूह के भेद हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि पक्ष [प्रपक्ष] कक्ष तथा उरस्य एक तरीके से दोनों के ही भेद हैं । १ दंड २ भोग ३ मंडल तथा ४ असंहत व्यूहों के मुख्य मुख्य भेद हैं ।

१. दंड । सेना के सीधे खड़े रहने का नाम दंड है ।

२. भोग । सैनिकों का एक दूसरे के पीछे पंक्ति में खड़े करने का नाम भोग है ।

३. मंडल । सैनिकों को इस ढंग पर खड़े करना कि वह चारों ओर ध्यान दे सकें मंडल कहा जाता है।

४. असंहत । छोटे छोटे समूहों में सेना के पृथक् पृथक् खड़े करने को असंहत कहते हैं।

१. दंड व्यूह।

पद्म कक्ष तथा उरस्य के समान होने का नाम भी दंड है। वही प्रदर कहाने लगता है जबकि कक्ष आगे की ओर बढ़े हों। इसी प्रकार वह पद्म तथा कक्ष के पीछे हटने पर दृढ़क [दड़], दोनों पक्षों के फैल जाने पर असंख्य, पद्म कक्ष को स्थिर रखकर उरस्य से आगे बढ़ने पर रथेन इस से विपरीत चाप, चापकुचि, प्रतिष्ठ तथा सुप्रतिष्ठ नाम से पुकारा जाता है। चापपद्म का ही दूसरा नाम संजय है। यदि वह उरस्य से आगे बढ़ जाय तो विजय, उस का कर्ण तथा पद्म स्थूल हो जाय तो स्थूलकर्ण, उस का पद्म तथा स्थूल दुगुना हो जाय तो विशाल विजय और यदि वह पद्म से आगे बढ़ जाय तो चमूमुख और यदि उसकी दशा इस से उल्टी हो तो भ्रूपास्य कहा जाता है। सेना को पंक्ति वार एक दूसरे के पीछे खड़ा करना सूची, दो दो पंक्ति में खड़ा करना वलय और चार चार पंक्ति में खड़ा करना दुर्जय कहा जाता है। दंड व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं।

२. भोग व्यूह।

यदि पंक्ति (भोग) पद्म, कक्ष तथा उरस्य से विषम हो तो सर्पसारी या गोमूत्रिका, यदि उरस्य में दो दो पंक्ति हों तथा पद्म स्थिर [दंड] हो तो शकट, इस से विपरीत दशा हो तो मकर और यदि शकट व्यूह में हाथी घोड़े तथा रथ हों तो उस को पारिपतन्तक कहते हैं। भोग व्यूह के मुख्य मुख्य यही भेद हैं।

३. मंडल व्यूह।

पद्म कक्ष तथा उरस्य को इस ढंग पर गोल [मंडल] खड़ा करना कि उनका आपस का भेद नष्ट हो जाय सर्वतोभद्र, सर्वतो

मुख्य अश्वानीक तथा दुर्जय कहाता है । मंडल व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं ।

४. असंहत व्यूह ।

पक्ष कक्ष तथा उरस्य को तितर बितर कर खड़े करने से असंहत व्यूह बनता है । यदि सेना के पाँच भाग असंहत हों तो वज्र, चार भाग असंहत हों तो उद्यानक तथा काकपदी और आधे चांद की तरह तीन भाग असंहत हों तो कर्कटकशृंगी नाम से उनको पुकारा जाता है । असंहत व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं ।

यदि रथ उरस्यमें, हाथी कक्ष में घोड़े पृष्ठभाग में हों तो उसको अरिष्ट, यदि प्यादे, घोड़े, रथ तथा हाथी एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अचल और यदि हाथी, घोड़ा, रथ तथा प्यादे एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अप्रतिहत व्यूह कहते हैं ।

इनमें— प्रदर को दृढ़क से, दृढ़क को असह्य से, रथेन को चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से, पारिपतंतक को सर्वतोभद्र से और अन्य संपूर्ण व्यूहों को दूर्जय से तोड़ा जाय । प्यादे, घोड़े, रथों, तथा हाथियों में अगला पहिले को और अधिकांग हीनांग को नष्टकरे ।

दस अंग के मालिक को पादिक दशपदिक के मालिक को सेनापति तथा दस सेनापतियों के मालिक को नायक नाम से पुकारा जाता है । वह तुर्ही, शंख, ध्वजा पताका आदिकों से व्यूह में संगठित सैनिकों को इशारा देकर चलावे । सैनिकों को भिन्न २ अंगों में संगठित करने के बाद स्थान, गमन, लौटना, आक्रमण, व्यूह आदियों से देश काल के अनुसारही सफलता प्राप्त होती है ।

सैन्य, गुप्त घातक तरीके [उपनिषद्योग], साथ रहकर मारने वाले तीक्ष्ण, जादूगरी [माया], देवसंयोग [देवताओं के साथ मिलना आदि], बेलगाड़ी [शकट], हाथी के गहने, राज्यद्रोहियों का विद्रोह [दूष्य प्रकोप], गडकों का झुंड [गोयूथ], छावनी में आग लगाना (स्कन्धा चार प्रदीपन) सेना के मध्य तथा पार्श्वभाग का नष्ट करना (कोटीजघनघात), दूतभेषधारी गुप्तचरों के द्वारा

पैदा कियेगये भगड़े, किलेमें आग लगाना, किले को छीनलेना, संबोधियों का समुत्थान तथा गदर, जांगलियों की दुश्मनी—आदि तरीकों से शत्रु को परेशान कियाजाय । धनुष धारियों के द्वारा फेंकागया बाण कभी एक आदमी को मारता है और कभी नहीं भी मारता है परन्तु राजनीतिज्ञ की बुद्धि गर्भके अन्दर रहने वालों तक को नष्ट करदेती है ।

११ अधिकरण ।

संघ वृत्त

१६०-१६१ प्रकरण ।

भेदोपादान तथा उपांशुदंड ।

दंड और मित्र के लाभों से संघका लाभ उत्तम है । संघ से शक्ति प्राप्तकर सामदान से उन लोगों को अपने साथ रखे जो शत्रुओं के विरोधी [अशुभ] और अपने अनुकूल [अनुगुण] हों और जो अपने से विरुद्ध हों उनको भेद तथा दंड से अपने अनुकूल बना लेवे ।

कामोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि संघ वार्ता [कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य] और शस्त्र की जीविका से तथा लिच्छिविक, वृजिक, मद्रक, कुरुर कुरु पांचाल आदिके संघ राजा शत्रु से संतुष्ट रहते हैं ।

राजा को चाहिये कि सभी संघों के पास अपने सच्ची लोगों को रखे; जो कि संघोंके पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या कलह आदि के कारणों का पतालग कर उनके क्रमागत भेद को यह कह कर बढ़ावे कि "अमुक व्यक्ति या संघ तुम्हारी निन्दा करता है" । जब दोनों दल एक दूसरे पर क्रुद्ध होजावे तो आर्थिक भेषमें विद्या शिष्य घृत आदिका व्यवहार करनेवाले खुफिया लोग या संघ के मुखियों

या कलवारों के भेष में तीक्ष्ण लोग उनको एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर उनमें छोटे छोटे भगड़े पैदा करें। या कृत्यपक्षके सहारे कम हैसियत (हीनच्छिन्दिक) के लड़कों को बड़ी हैसियत वालों (विशिष्टच्छिन्दिका) की लड़की लेने के लिये उत्साहित करें। या बड़े हैसियत वाले लोग (विशिष्ट) अविवाहित लड़कों को लड़की लेने से रोकें। या कम हैसियत वालों को बड़ी हैसियत वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिये या दोनों को ही एक दूसरे की बराबरी करने के लिये उभाड़ें। उनसे कहें कि कुल पौरुष स्थान भिष्याल (ऊंची नौकरी प्राप्त होना आदि) तथा उच्च कुल में विवाह करने से ही कम हैसियत के लोग हैसियत वाले हो जाते हैं। भगड़ा अधिक बढ़ने पर तीक्ष्ण लोग रात में द्रव्य, पशु मनुष्य तथा शस्त्र आदि से सहायता पहुंचावें। सभी भगड़ों में राजा हीनपक्ष को कोश तथा दंड की सहायता दे और दूसरे पक्ष के घात के लिये प्रेरित करे। जब वह आपस में जुदा जुदा होजाय तो उनको तितर बितर करदे। या सब को एक ही देश में बसाकर उनके पांच पांच या दश दश परिवार (कुल) को जोतने बोलने के लिये जमीन दे। राजाशब्द से संतुष्ट होने वाले लोगों के कैदी कुलीनों के राजपुत्र के रूप में उनका शासन बनावे। कान्तान्तिक लोग संघ में यह प्रचार करें कि अमुक अमुक आदमी राजा के लक्ष्णों से युक्त हैं। संघ के धार्मिक मुखियों को कहें "कि राजा के अमुक पुत्र या भ्राता के साथ होकर आप अपने धर्म का प्रतिपालन करिये।" यदि वह तैय्यार होजाय तो कृत्यपक्ष के चरम करने के लिये उनको कोश तथा दंडसे सहायता पहुंचाई जाय। यदि वह लोग एक दूसरेपर आक्रमण करें तो कलवार के भेष में रहने बोलें गुप्तचर मैनफल के रस में भरे शराब के सौ सौ घड़े उनको यह कहकर देदेवे कि स्वर्गमें गये हुए लड़कों तथा स्त्रियों के लिये यह नैपेचनिक है (अर्थात् उनको तृप्त करता है) चैत्य मंदिर आदि के दरवाजों पर सत्रिलोग गिरा रखी चीज़ सोना, मोहर, सोने के वर्तन आदि रखें और संघ को आताहुआ देखकर राजकर्मचारियों को सूचना दें कि

यह चीजें अमुक संघ के हाथ में बेच दी गई हैं। इसी प्रकार पशुओं को दिया जा सकता है। संघरु पशुओं को या उनके गहने निशानी आदि को लेकर संघ के मुखिया को दे दें। इसके बाद संघ को कहें कि "यह चीज अमुक मुखिया को दे दी गई है"। छावनी तथा जांगलिकों में भी इसी प्रकार भेद पैदा किया जा सकता है।

सत्री संघ के मुखिया के जिस लड़के को उमंगी तथा उरसाही देखे उसको कहें कि—“तुम अमुक राजा के लड़के हो। तुम को शत्रु के भयसे यहाँ रख छोड़ा गया है”। यदि उसको इस बात में विश्वास आजाय तो राजा उसको कोश तथा दंड से सहायता देवे और संघों के साथ लड़ने के लिये प्रेरित करे। जब राजा अपना मतलब सिद्ध कर ले तो उसकी देश निकाला दे दे।

बंधकिपोषक (रंडी बनाने के खातिर लड़कों पालने वाले), खूबक नट, नर्तक, सौभिक आदि लोग संघ के मुखियों का खूबसूरत औरत के द्वारा उन्मत्त करें। इसके बाद औरत को दूसरे के पास भेजकर कहें कि संघ के अमुक मुखिया ने उस औरत को जबरन अपने पास रख लिया है। जब उनकी आगस में लड़ाई होजाय तो तीव्र लोग अपना काम करें और कहें कि “अमुक कामी इस प्रकार मार डाला गया”। या वह औरत ही उसको कहे कि “अमुक संघ का मुखिया मुझको तुम्हारे पास नहीं आने देता है। मैं तो जी से तुमको ही चाहती हूँ। जबतक वह जीता है। तबतक मैं तुम्हारे पास नहीं आसकती हूँ”। यह कहकर उसके मरवाने का प्रबंध करे। या जबर्दस्ती भगाई गई औरत उपवन या क्रीड़ागृह में तीव्र लोगों से रातके अन्दर उसको मरवा दे। या स्वयं उसको जहर देकर छतम कर दे और लोगों में यह फैला दे कि अमुक मुखिया ने हमारे प्रिय को मार डाला है। या सिद्ध के भेस में गुप्तचर उसको सांवननिकी औषधि (वाजीकरण संबंधी औषधि) के साथ जहर दे दें और उनके भाग जाने पर सभी लोग इधर उधर कहना शुरू करें कि अमुक शत्रु ने इसको मरवा दिया है। या गूढ़ाजीवा [गुप्तचर का एक भेद] तथा योग स्त्रियाँ [गुप्त चर का एक भेद] राज निवेप के लिये आपस में लड़ना शुरू करें और

इसप्रकार संघ के मुखियों को आपस में लड़ने के लिये कौशिक [रंडी विशेष] नर्तकी तथा गायना [गाने वाली] स्त्रियों के घरों में मुखिया लोग जब निश्चित होकर बैठे हों उस समय रात्री समागम के बहाने तीक्ष्ण लोग उस मकान में घुसें तथा उनको मार डालें या बांधकर लेजवें । सभी लोग जिस संघके मुखिया को स्त्री लोलुप देखें उसको कहें कि—“अमुक गांव में एक दरिद्र परिवार है । उसकी जमींदारी छिन गई है । उसकी स्त्री बहुत ही खूबसूरत है । तथा राज राने होने के योग्य है । उसको तुम छीनलो” जब वह सचमुच यही करे तो सिद्ध के भेष में गुप्तचर आधे महीने के बाद राजद्रोहियों के गुट्ट के मुखिया को लोगों के बीच में कहे कि “इस ने मेरी मुख्य स्त्री, साली, बहिन या लड़की को अपने पास रख लिया है” । यदि संघ उसको पकड़कर दंड देना चाहे तो राजा संघ का साथ देवे । तीक्ष्ण लोग सिद्ध भेष धारी गुप्तचरों को सदा ही रात में इधर उधर भेजा करे । यह लोग आपस में एक दूसरे को यह कहकर बदनाम करें कि “अमुक ने ब्राह्मण की स्त्री को खराब किया है” । या कार्तास्तिक लोग किसी खूबसूरत लड़की के विषय में—जिसकी कि दूसरे के साथ सगाई होगई है—मुख्य को कहे कि “इसकी लड़की के जो लड़का होगा वह राजा बनेगा या इसकी लड़की राजपत्नी बनेगी । इसको किसी न किसी तरीके से अपने कावू में करो” । जब तक वह कावू में न आवे तब तक उसको उत्तेजित करे । उसके प्राप्त होने पर भगड़ा तो स्वभाविक ही है । इसी प्रकार भित्तु की स्त्री को अतिशय चाहने वाले मुख्य को कहे कि “अमुक मुखिया ने तुम्हारी स्त्री को फंसाने के लिये मुझ को भेजा है । मैं तो उसके डर के मारे पत्थर हो गया हूँ । तुम्हारी स्त्री सर्वथा निर्दोष है । तुम इसका छिपे छिपे बदला निकालो । मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा” । इस दंग के भगड़े के मामलों में यदि भगड़ा स्वयं ही उत्पन्न हो गया हो या तीक्ष्ण लोगों ने उसको पैदा किया हो तो राजाके चाहिये कि वह हीन या दुर्बल पक्षको कोश दंड के द्वारा सहायता पहुंचावें ।

और दुश्मनों तथा राजद्रोहियों से लड़ावे या उसको दूसरी भूमि में भेजदे। संघों के साथ भी इसी नीति का अवलंबन किया जाय। संघोंको भी एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिये। इस लिये उनके आक्रमण से राजा को सदा ही अपने आप को बचाना चाहिये।

संघ के मुखिया को चाहिये कि वह संघके सभ्यों के साथ प्रीति तथा न्याय के साथ व्यवहार करे। इन्द्रियों को बशमें रखकर तथा लोगों को अपने साथ में लेकर सबके चित्त के अनुसार काम करे।

१२. अधिकरण।

आवलीयस।

१६२ प्रकरण।

दूत के काम।

दुर्बल राजा पर यदि कोई बलवान् राजा आक्रमण करे तो वह अपने पुत्र पौत्रों को उसके आधीन कर बैठ की तरह उसके सामने झुक जावे। भारद्वाज का मत है कि जो बलवान् के सामने झुकता है, एक तरह से वह सान्नात् इन्द्र को प्रणाम करता है। विशालाक्ष का विचार है कि पूरी तैयारी के साथ बलवान् के साथ लड़ाई करे। पराक्रम से बहुत से कष्ट नष्ट होजाते हैं। क्षत्रिय का धर्म भी तो यही है। युद्ध में जीत हार तो हुआ ही करती है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि जो लोग सब ओर सिर झुकाया करते हैं वह कूलैडक (नदी के किनारे के बकरे) की तरह निराशा में ही जीवन बिताते हैं। यदि वह युद्ध करें तो उनकी वही गति हो जो कि बिना नाव के समुद्र को तैरने वाले की गति होती है। इसलिये उचित तो यह है कि अविभेद्य दुर्ग का सहारा लिया जाय या

उसी के सदृश किसी दूसरे बलवान् राजा का आश्रय ग्रहण किया जाय। (१) धर्मविजयी (२) असुरविजयी (३) लोभविजयी के भेद से विजयी तीन प्रकार के हैं।

(१) धर्मविजयी । धर्मविजयी वही है जो कि नम्रता मात्र से संतुष्ट होजाय अतः सबसे पहिले उसी का सहारा लिया जाय।

(२) लोभविजयी । जो अपने शत्रुओं से डरे तथा भूमि द्रव्य आदि पाकर संतुष्ट होजाय वह लोभविजयी कहाता है। ऐसे आदमी को रुपया पैसा देकर अपना मित्र बनाया जाय।

(३) असुरविजयी । जो भूमि द्रव्य पुत्र स्त्री आदि के ग्रहण के साथ साथ जान भी लेना चाहे उसको असुरविजयी कहते हैं। इसलिये दुर्बल राजा को चाहिये कि भूमि द्रव्य आदि देकर उसको जितना दूर रखसके रखे।

यदि इनमें से कोई उस पर आक्रमण करना चाहे तो उसको संधि, कूट युद्ध मंत्र युद्ध आदि के द्वारा रोके। शत्रुके पक्ष को साम तथा दान से, अपने पक्ष को भेद तथा दंड से, और शत्रु के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनी को जहर शस्त्र आग आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरों से अपने वशमें करे। उसके प. णि पर प्रभुत्व प्राप्त करे। जांगलिकों से उसके राज्य को नाश करवाये और कैदियों तथा कुलीनों से उसको छिनवाये। इस ढंग के नुकसान पहुंचाने के बाद अपने दूत शत्रुके पास भेजे या यों ही संधि करले। यदि वह इस पर भी न माने तथा आक्रमण करे तो अपने कोश तथा दंड का चौथाई भाग एक दिन के अन्दर ही देने की बात कहकर संधि की प्रार्थना करे।

दंडसंधि । यदि शत्रु दंडसंधि [सेना लेकर संधि] करने के लिये तैय्यार हो तो रही छोड़े हाथी तथा विपैली चीजें देकर संधि करले।

पुरुषसंधि । यदि वह पुरुषसंधि [योग्य २ मनुष्यों को लेकर संधि क०] करने के लिये तैय्यार हो तो राज्यद्रोहियों, दुश्मनों तथा जांगलिकों को उस के पास भेजदे। उन का अध्यक्ष किसी

विश्वासपात्र व्यक्ति को बनावे । तीसरे लोगों की सेना उसको देवे। बेइज्जत लोगों को इज्जत देकर या राज्य भक्त ताल्लुकेदार (मौल) को उसके पास भेजे जोकि उसके कष्ट के समय में नुक्सान पहुँचावे । सारांश यह है कि उन लोगों को उसके पास भेजे जोकि दोनों के लिये खतरनाक हों और शत्रु के साथ हो जिन को नष्ट हो जाने पर (उभय विनाश) उसका कल्याण हो ।

कोशसंधि । यदि वह कोशसंधि चाहे उसको ऐसे बहुमूल्य पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न हो या युद्ध के लिये अनुपयोगी जांगलिक पदार्थ उसके सुपुर्द करे ।

भूमिसंधि । यदि वह भूमिसंधि चाहे तो उस को ऐसी भूमि दे जे कि दूसरे की हो [प्रत्याद्या], या जिस पर दुश्मन या निस्सहाय लोग बसे हों या जिस के संभालने में भयंकर व्यय तथा व्यय का सामना करना पड़े ।

सर्वस्वसंधि । यदि वह सर्वस्व लेकर सर्वस्वसंधि संधि करना चाहे तो राजधानी को छोड़ कर सब कुछ उस के सुपुर्द कर दे ।

दुर्धल को चाहिये कि बलवान् राजा को वही चीज़ दे जोकि उसके पास न रह सकती हो या जिस को कोई दूसरा लेजाना चाहता हो । अपने प्राण की रक्षा प्रत्येक उपाय से करे । धन का क्या ? । धन तो अनित्य है । उस के लिये बहुत सोचना ठीक नहीं है ।

१६३ प्रकरण ।

मंत्र युद्ध ।

यदि वह संधि करने के लिये न तैय्यार हो तो उसको कहे कि—पद्मवर्ग [काम क्रोधादि] के वशमें होकर अमुक अमुक राजा नष्ट होगये । आप उन राजाओं का मार्ग न ग्रहण करिये जिन को अपनी इन्द्रियों पर कुछ भी वश न था । आप धर्म तथा अर्थ के

अनुसार काम करिये । उनका साथ न दीजिये । वह उपर से दोस्त हैं और अन्दर से दुश्मन हैं जो कि आप को साहस, अधर्म तथा अर्थातिक्रम के लिये उपदेश देते हैं । जीजान छोड़कर लड़ने वाले शूरों के साथ युद्ध करने को साहस, दोनों ओर से ही लोगों के नष्ट होने का नाम अधर्म और हाथ में आई हुई चीज को न लेवे तथा अच्छे दोस्त को छोड़ने का नाम अर्थातिक्रम है । अमुक राजा के बहुत से मित्र हैं । जो कि उसको अर्थ द्वारा सहायता देंगे । वह उनसे सहायता प्राप्तकर आप पर सब ओर से चढ़ाई करेगा । मध्यम तथा उदासीन मंडल उसके साथ है । आप तो अकेले पड़ गये हैं । वह तो आपके लड़ाई में पड़ने की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं । और सोच रहे हैं आपका क्षय तथा व्यय हो । आप के मित्र जुदा होजाय । जब आप का कोई सहारा न रहेगा । तो आपको सुगमता से ही नष्ट कर सकेंगे । इसलिये आप को दुश्मनों की बातों में न आना चाहिये और दोस्तों की बातों की इस प्रकार बेकदरी न करनी चाहिये । दोस्तों को परेशान करना और दुश्मनों को लाभ पहुंचाना आपके लिये ठीक नहीं मालूम पड़ता । आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं तथा अनर्थ अपने सर ले रहे हैं ।

यदि वह इसपर भी आक्रमण ही करे तो उसके प्रकृतियों का बागी बनाइये । उन्हीं उपायों को काममें लावे जिनपर सन्धवृत्त तथा योगवामन नायक प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है । तीक्ष्ण तथा रसद [जहर देने वाले] लोगों को उन उन स्थानों पर पहुंचावे जिनकी रक्षा करना 'आत्मरक्षितक' प्रकरण में आवश्यक प्रकट किया गया है । बन्धकीपोषक (लड़ाकियों को रंडी बनाने के लिये पालने वाले लोग) लोग खूब सूरत जवान औरतों से दुश्मन की सेना के सेनापतियों को उन्मत्त करवायें । जब किसी एकस्वामी पर बहुत से आशिक होजाय तो उनको आपस में लड़ादे । जो पक्ष पराजित होजाय उसको भागजाने की सलाह दें या अपने साथ मिलजाने के लिये कहें ।

सिद्ध के भेष में गुप्तचर, कामी सेनापतियों को सांवननिक आपाधि (बाजी करण करने वाली दवाइयां) में जहर मिलाकर दें ।

वैदेहक (व्यापारी) के भेष में गुप्तचर कामिनी राज रानी के पास रहने वाली दासी को रुपया पैसा दे तथा अपने जाल में उसको फंसावे इसी प्रकार कुछ लोग नौकर का भेष बनाकर उसको कहें कि अमुक जहर तुम वैदेहक के भेष में आने वाले व्यक्ति को दे देओ। यदि वह यह मंजूर कर ले तो उसको धीरे धीरे राज रानी तथा राजा को भी जहर देने के लिये प्रेरित करे। कार्तान्तिक (ज्योतिषी) के भेष में गुप्तचर परंपरा से महामात्र पद पर नियुक्त व्यक्ति को कहें कि आपमें तो संपूर्ण लक्षण राजा होने के हैं। इसके बाद उसकी स्त्री भिक्षुकी का भेष बनाकर महामात्र की स्त्री से कहें कि—तुम्हारे जो लड़का हो जायगा। या वही भिक्षुकी स्त्री के भेष में पंडुच कर महामात्र को कहें कि—राजा मुझको पकड़ लेगा। परि ब्राजका (सन्ध्यासिनी) ने आपके पास अमुक चिट्ठी गहना आदि भेजा है। इसी प्रकार सूद (दाल बनाने वाला) तथा अरालिक (पाचक) के भेष में गुप्तचर उस महामात्र को जहर देने के उद्देश्य से जाकर कहें कि महाराज ने आपके खाने के लिये अमुक वस्तु आपके पास भेजी है। वैदेहक लोग इस वस्तु को मार्ग में ही छीनकर महामात्र से कहें कि कि देखो राजा तुमको मरवाना चाहता है। तुम लड़ाई के लिये तैयार हो जाओ। कार्य अवश्य ही सफल हो जायगा। इस प्रकार एक दो या तीनों उपायों से महामात्रों को देश छोड़ने के लिये या राजा पर चढ़ाई करने के लिये प्रेरित करे।

शत्रु के दुर्गों में रहने वाले शून्यपालों (उजाड़ जमीन के प्रबंधकर्ता) की ओर से सभी नागरिकों तथा ग्रामीणों को कहें कि शून्यपाल ने राजकर्मचारियों तथा फौजों को कहा है कि—राजा भयंकर तकलीफ में पड़ गया है। अब उसका जीत जो लौटना असंभव है। जबर्दस्ती के द्वारा धन इकट्ठे न करो। नहीं तो तुमको मरवा दिया जायगा। जब सब लोग इकट्ठा हो जाँवे तो तीक्ष्ण उनको तथा उनके मुखियों को जहर दे देवें मार डालें तथा कहें कि—जो लोग शून्यपाल की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद वही लोग शून्यपाल के स्थान पर खून से लथ पथ हथियार हथकड़ी संपत्ति आदि फेंक

आवें। इसपर सत्री लोग सब ओर शोर मचा दें कि “शून्यपाल लोगों को मरवाता है तथा लुटता है”। इसी प्रकार प्रजाको समाहर्ता के विरुद्ध कर दिया जाय। गांवों के बीचमें रात के अन्तर तीक्ष्ण लोग कहें कि “जो लोग जनपद में पाप करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है”। इस पर यदि जनपद के लोग भड़क जावें तो उनके द्वारा समाहर्ता को मरवा देंगे। उसके स्थान पर किसी कुलीन या कैदी को नियुक्त करें।

शत्रु राजा के विषय में झूठी मूठी खबरें उड़ाकर तथा उस के तकलीफ में पड़ जाने को प्रगट कर गुप्तचर लोग अन्तःपुर, पुरद्वार [शहर का मुख्य दरवाजा], द्रव्य तथा धान्यभंडार आदि में आग लगा दें और लोगों को मारें।

१६४-१६५ प्रकरण ।

सेनापतियों का घात तथा राष्ट्रमंडल का प्रोत्साहन ।

राजा [शत्रु राजा] तथा राजवज्रमों (दरबारियों) के पास रहने वाले सत्रि [गुप्तचर] पदाति अश्वारोही रथी तथा हस्त्यारोही सेना के मुखियों को दोस्ती में बात करते करते कहें कि आप लोगों से राजा नाराज है। जब वह लोग किसी एक स्थान पर इकट्ठे हों तो तीक्ष्ण लोग रात के पहलियों से आगे आप को बचाकर उनके पास जावें और कहें कि “राजा ने आप को बुलाया है। चलिये”। ज्यों ही वह चलने के लिये बाहर निकले उनका मार डाला जाय। सत्रि लोग चारों ओर यह फैला दें “राजा की आज्ञा से ही यह किया गया है”। प्रवासित लोगों से सत्रि लोग कहें कि—हम आप को सलाह देते हैं कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहें तो यहां से भाग जायें। यदि किसी को राजा ने मांगने पर कोई चीज़ न दी हो तो सत्रि लोग उस से कहें कि—राजा ने शून्य पाल से यह बात कही है कि अमुक अमुक व्यक्ति हम से वह वस्तु मांगता है जोकि उस को न मांगना चाहिये था हमारी आज्ञा के अनुसार

शत्रुओं के शत्रु के सहारे उस से उस वस्तु को छीन लो। इस के बाद पूर्ववत् काम करे। यदि राजा ने किन्हीं को मांगते ही चीज़ दे दी हो तो सत्री लोग उनको कहें कि—राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अयाच्य वस्तु हम से मांग ली है। विश्वास दिलाने के उद्देश्य से ही हमने उनको वह वस्तु दी है। तुम शत्रुओं को साथ में लेकर उसके छीनने की कोशिश करो। इस के बाद पूर्ववत् काम करे। जो लोग राजा से याच्य वस्तु को न मांगे उनको सत्रि लोग कहें कि—राजा ने शून्यपाल से कहा है कि—“अमुक अमुक व्यक्ति हम से याच्य वस्तु भी नहीं मांगता है। इस से अधिक और क्या बात हो सकती है क्योंकि वह अपने दोषों से ही डरते रहते हैं। उन से हमारा पीछा छुड़ाओ”। इस के बाद पूर्ववत् काम करे। कृत्यपक्ष (शत्रु के पक्ष में ही जाने वाले लोग) के लोगों के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया जाय।

राजा के पास रहने वाला सत्री राजा को कहे कि—तुम्हारा अमुक महामात्र शत्रु के आदिमियों के साथ बातचीत करता है। यदि उसको इस बात पर विश्वास आजाय तो कुछ एक बागियों को शत्रु का प्रतिनिधि प्रगट कर पेश करदे और कहे कि देखो यह बात ऐसी है।

सेनापतियों, मुखियों तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान पुरुषों को भूमि हिरण्य आदि की लालच देकर अपने ही आदिमियों के साथ लड़ा दिया जाय या दूसरे देश में चले जाने के लिये कहा जाय। यदि सेनापति का कोई लड़का किसी समीप के दुर्ग में रहता हो तो उसको सत्रि लोग कहें कि—तू अब समर्थ होगया है। तुझको यहां पर योंही बन्द करके रख छोड़ा है। तू चुप बैठा है? आक्रमण कर राज्य को संभाल ले। नहीं तो तुझको युवराज मरवा डालेगा। इसी प्रकार किसी कैदी कुत्तीन को हिरण्य का लालच देकर कहा जाय कि—शत्रु के सेना की अन्तरीय शक्ति को या उसकी सीमा पर रहने वाली सेना के एक भाग को नष्ट करदे। इसी प्रकार जांगलियों को भड़काकर उसके राज्य का सत्यानाश करवादे। या पार्ष्णिग्राह को कहे कि—“मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। मेरे

नष्ट होते ही राजा सबको डुबा देगा" या यह कहे कि—"आओ आपस में मिलकर हम तुम चढ़ाई करें।" जब वह इकट्ठे होजाय तो उनको कहे कि "अमुक राजा मुझको नष्ट कर तुम सब लोगों को नष्ट करेगा। तुमको सावधान होजाना चाहिये। मैं तुम्हारा ही कल्याण चाहता हूँ।"

पड़ोसी शत्रु के खतरों तथा आक्रमणों से बचने के लिये राजा को चाहिये कि मध्यम उदासीन राजा को सर्वस्व तक देकर अपने साथ मिलाले ॥

१६६-१६७ प्रकरण ।

शस्त्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग । वीवध, आसार तथा प्रसार का वध ।

दुर्गों में वैदेहक (व्यापारी), गांवों में गृहपति (गृहस्थ), और जनपद-संधियों में गोरक्षक या तापस के भेष में गुप्तचर सामन्त आदिक या अवरुद्ध (कैदी) कुलीन के पास पर्यागार (व्यापारीय द्रव्य उपहारके रूपमें) भेजकर कहें कि—"आप इस देश को लें।" यदि वह लोग देश जीतने के लिये आजायें तो दुर्गमें रहने वाले गृह पुरुष उनका सत्कार करें और उनको प्रकृति के छिद्रों (प्रकृच्छिद्र) का ज्ञान करावें। और उनको साथ मिलाकर आक्रमण करें या स्कन्धाचार [छावनी] में शौडिक (कलवार), के भेष में रहने वाले गुप्तचर अभित्यक्त (परित्यक्त) पुत्र को अवस्कन्दनकाल (युद्धसमय) में नैषेचनिक (मंगलार्थ अभिवेक) के बहाने मदन-रसमिले हुए सैकड़ों शराब के घड़े दें। या पहिले दिन शुद्धमद्य या माद्य (नशा दिलाने वाला) मद दे और दूसरे दिन जहर मिला मद दें। या दंडमुख्यों (सेनापति) को शुद्ध मद दें और जब नशा आवे तो धिप मिला मद पिला दें। या दंडमुख्य भेषधारी खुफिया "अभित्यक्त पुत्र वाले तरीके को काममें लावे।

पक्वमांसिक [पहा हुआ मांस बेचने वाला], औदनिक [भात बेचने वाला], शौडिक या आपूपिक [हलवाई] भेषधारी गुप्त

चर आपस में मिलकर यह शोर मचावें कि फलत की अनुज चीज यहां पर बड़ी सस्ती मिल रही है। यदि शत्रु के आदमी उन चीजों को लेने आवें तो जहर मिलाकर उन चीजों को उनके हाथ बेच दें। या खी तथा लड़के जहरीले वर्तनों में व्यापारियों से शराब दही घी तेल आदि खरीदें और कहें कि इसी कीमत पर कुछ और अधिक दो। जब वह न दें तो उन चीजों में उल्टा दें। वेदेहक (गुप्तचर) या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास तथा चारे में जहर मिला दें। मजदूर लोग (कर्मकर के भेष में गुप्तचर) जहर से मिला घास बेचें या पुराने गोवाणिजिक [गाओं के व्यापारी] शत्रुओं की चढ़ाई समय मोहस्थानों (भूलभलश्यां) में गौ बकरी तथा भेड़ के झुंडों को—या (सींगों में छुंछूंदर का खून लगाकर) बदमाश घोड़े गदहे ऊंट भैंस आदियों को—या शिकारी तथा बहेलिये पिंजड़ों से शेरों तथा चीतों को—या संपेरे बिशैल सांपों को—या हस्थिजीवी हाथियों को छोड़ दें। या अग्निजीवी इधर उधर आग लगा दें। विद्रोही अमित्र तथा आटविक [गुप्तचर लोग] या तो पीछे से उनको कतल कर दें या चढ़ाई करने में रुकावट डालें या बन में छिपकर शत्रु सेना के अन्तिम भाग (प्रत्यंतस्कंध) को पकड़कर कतल कर दें या—विविध स्वदेशी सेना, आसार (मित्र की सेना तथा प्रसार जांगलिकों की सेना के पगडंडीपर पहुंचते ही पहिले से ही नियत क्रियेहुए संकेत के अनुसार रात में युद्ध करें और भयंकर रूप से तुरही बजाकर शोर मचावें कि—अब तो हम देश में घुस गये। हमने राज्य छीन लिया।—या जब गड़ बड़ मच जाय तो भीड़ में ही राजा के निवास स्थान में घुस जाय और राजा को कतल कर दें। या म्लेच्छ, आटविक तथा सेनापति दंड-चारी के भेष में गुप्तचर अकेले में पाकर या सत्र, (खतरनाक स्थान) स्तंभ बाट आदि स्थानों में छिपकर उसको चारों ओर से घेरकर या शिकारी लोग गुप्तचर गुप्त तरीकों से चढ़ाई की भीड़ में उसको मार डालें। या पगडंडी (एकायन), पहाड़ स्तंभवाट, खन्जन तथा जल के बीच में अपने देश के सैनिकों के द्वारा उसको कतल कर दें। या नदी, झील, तालाब के बांध तथा पुलकों तोड़कर पानी

की बाट में उसको बहादे। या धान्वन, वन तथा नदीके दुर्गमें रहते ही उसको योग अग्नि तथा धूम से उसको नष्ट करदे। अर्थात् जब वह संकट में पड़े तो उसको आगसे, धान्वन दुर्ग (पानी आदि से रहित रेगिस्तान का दुर्ग) में फेंके तो उसको धूम से, घरमें रहे तो योग (जहर) से और पानी में घुसे तो उसको खुनी मगर तथा पनडुब्बियों [उदकचरण] के द्वारा तीव्रण लोग मरवादे। यही बात तबकी जाय जबकि वह मकान में आग लगाने के कारण भागता हो।

योगवामन तथा योग आदियों में से किसी भी योग के द्वारा उपरिलिखित स्थानों में ज्यों ही शत्रु फेंके उसको नष्ट करदिया जाय।

१६८-१७० प्रकरण।

योगातिसंधान दंडातिसंधान तथा एकविजय।

चढ़ाई करने के समय जिन मन्दिरों यज्ञशालाओं में शत्रु विशेष रूप से आता जाता हो उनमें नाशक प्रयोगों [योग] को काम में लावे। ज्यों ही शत्रु मन्दिर में घुसे उस पर यंत्र के सहारे गुप्त दीवार या चट्टान गिरादे, या किवाड़े को या भीत में छिपाकर रखे या किसी एक स्थान पर बंधे परिघ को फेंक दे। या देवताओं के शरीर में छिपाकर हथियार रखे और उनके द्वारा उसको मारे। या जहां जहां पर वह विशेष रूप से आता हो उसको जहरीले गोबर तथा पानी से लेपे। या फूल की बुकनी के बहाने जहरीली बुकनी या उसका धुआं देदे। या कोलों से भरा हुआ या खतरनाक गद्दा नीचे बनाकर चारपाई तथा विस्तर बिछावे जिसका निचला भाग यंत्र से बंधा हो। उधों ही राजा उस पर लेटे उसको कीत के द्वारा कुंए या गोठ में फेंक दे। या जांगलिकों तथा अभिन्नों के आक्रमण होने के समय में जो सैनिक जनपद प्राप्त करने में समर्थ हों उनको इधर उधर कर दे। यदि दुर्ग हो तो उनको इधर उधर भगा दे या शत्रु के उस देश पर चढ़ाई करने के लिये भेज दे जोकि प्रत्यादेश्य हो। या शत्रु का जो देश जंगलों से घिरा हो या जिस में पहाड़ों जांगलिक या नदी सम्बन्धी दुर्ग हों उस को, उस

के लड़के भाई आदि के द्वारा छिनवा दे तथा उनही का राज्य उस पर स्थापित करे। दंडोपनत प्रकरण में किले के घेरा डालने [उपरोध] के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाचुका है।

योजन पर्यन्त लकड़ी घास भूस जला दे। संपूर्ण पानी दूषित कर दे या बहा दे। बाहर की ओर जगह जगह पर जाली गढ़े बनावे। कंटीली झाड़ियाँ लगावे। शत्रु के स्थानों में अनेक प्रकार की सुरंगें लगाकर उसके प्रधान २ निचय (खजाना, अन्नमंडार) को चुरा लेवे। जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जावे शत्रु की सुरंगों में इतने बड़े बड़े तालाब बना दे जोकि पानी से भरे हों। हवा आने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर खाली गगरे, कुँए मकान, मढ़िया आदि बनवावे। जिन जिन स्थानों पर संदेह होने की संभावना हो वहाँ पर भी यही करे। शत्रु की सुरंग में दूसरी सुरंग बनावे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसमें धुआँ पानी भर दे। या अपने किलों का प्रबन्ध करे उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करे और इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उस ओर प्रस्थान करे जिस ओर वह मित्रों शत्रुओं तथा जांगलिकों से सहायता प्राप्त करसके या शत्रु के ही मित्रों राज्यद्रोहियों तथा शक्ति शाली पुरुषों को अपने साथ मिला सके या शत्रु को उनके मित्रों से जुदा कर सके या पार्ष्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करसके या उसका राज्य छीन सके या वीवध आसार तथा प्रसार का नाश करसके या वह काम करे जिस से आँख हिलाने ही शत्रु का राज्य नष्ट करसके या अपना राज्य बचा सके या मूल को शक्ति शाली बनासके या अनुकूल तथा इष्टसंधि को प्राप्त करसके। या किसी सद्य जाने वाले व्यक्ति को शत्रु के पास यह कहकर भेजे कि "तुम्हारा अमुक शत्रु मेरे हाथ में है। व्यापारीय माल या नुकसान का बहाना बनाकर सोने के साथ शक्ति शाली सेना को भेज दो। मैं उसको बांधकर या देश निकाला देकर तुम्हारे पास भेज दूँगा"। यदि वह मंजूर करले तो हिरण्य तथा सारबल [शक्तिशाली सेना] को स्वयं ग्रहण करले। या अन्नपाल किला दे देने के बहाने सेना के एक भाग को अन्दर बुलाले और चुपे से उसको मरवावे। या अकेले पड़े हुए जनपद

को नष्ट करने की इच्छा से शत्रु की सेना को बुलावे तथा जब वह देश का घेरा डाले तथा उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करे तो उस को मरवा दे। या मित्र बनकर शत्रु लोगों को कहलावे कि—इस किले में धान्य घी नमक आदि कम पड़े गया है। अमुक अमुक समय में यह चीजें इस स्थान पर भेजी जायगी। तुम रास्ते में ही इन चीजों को लूँ लो। इस के बाद राज्यद्रोही जात बहिष्कृत अमित्र तथा जांगलिक लोग जहरीले अनाज तथा घी को लेकर आवें। अन्य सब प्रकार की सामिश्रियाँ तथा वीवध के सम्बन्ध में भी इन ही नियमों को काम में लावे।

संधि करने के बाद हिरण्य का एक भाग उसी समय और शेष भाग धीरे धीरे विलंब के बाद देवे। इसी बीच में उसके सैनिकों को जगा देवे या अग्नि विष शस्त्र के द्वारा प्रहार करे या घूस खोर तथा सोने के लोभी दर्वारियों को अपने बश में कर लेवे। यदि अपनी शक्ति बहुत ही कम समझे [परिचीण] तो शत्रु को अपना दुर्ग देकर दूसरे स्थान पर चला जावे। यदि निकलना कठिन हो तो सुरंग लगाकर, दीवार फाड़कर, [कुक्षिप्रद] या मकान तोड़कर भागजावे। या रात में आक्रमण कर अग्नि यज्ञ में सफल हो जाय। यदि यह न होवे तो पार्श्ववर्ती मार्ग से या पार्श्वडियों के भेष में दल बल के साथ धीरे धीरे या स्त्री का भेष बनाकर मुर्दे के पीछे पीछे चलकर बाहर निकल जावे। या देवता के चढ़ावे तथा आद्य संबंधी उत्सवों में विष मिला अन्न तथा पानी लोगों को देवे और राज्यद्रोहियों के भेष में आक्रमण कर गुप्तचरों की सेना के द्वारा उनको मार डाले। या दुर्ग ग्रहण करने के बाद भोजन कर, चैत्य में जावे और मूर्ति के पीछे पेट में या गूढ़भिचि में या मूर्ति युक्त तद्विमान में छिपकर बैठ जावे। जब किसी का भी खयाल न रहे तो रात में सुरंग से राज महल में घुसे और सोये हुए दुश्मन को मार डाले या पेंच डीलाकर यन्त्र को उसपर फेंके या जहर तथा जलाने वाली चीजों से लिपेटे हुए साधारण या लाख के घर को आग लगाकर सोते हुए दुश्मन को जीते जी जलावे। या प्रमदवन तथा विहार में से किसी भी स्थान पर तद्विमान सुरंग गूढ़भिचि के अन्दर

छिपकर तीव्र लोग आनन्द में प्रमत्त हुए हुए शत्रु को मार डालें। या गुप्तचर लोग जहर देकर, या गुप्तस्थान में छिपी हुई औरतें साँप जहरे आदि धुयाँ भादि फेंक कर उसकी जान ले लें। शत्रु के अन्तःपुर में आने, पर गुप्तचर लोग मौका मिलते ही उसको जिस ढंगका नुकसान पहुंचा सकें पहुंचावें और अपने आदिमियों को सब प्रकार के इशारे देकर तैयार रखें।

शत्रु को चाहिये कि दरबाजों पर रखे गये तथा दुश्मनों के द्वारा जगह जगह पर छिपाये हुए लोगों को तथा बुद्धों को तुर्फी बजा कर इकट्ठा करें और पूर्व वत् शेष बातों को दुहरावे।

१३. अधिकरण

दुर्ग लंभोपाय

१७१ प्रकरण ।

उपजाप ।

विजिगीषु यदि शत्रु के ग्राम [पर ग्राम] को अपने बश में करना चाहे तो १ सर्वज्ञ रूपापन तथा २ दैवत संयोग रूपापन के द्वारा अपने पक्ष के लोगों को उत्साहित करे और शत्रु के पक्ष के लोगों को उद्विग्न या परेशान करे।

(१) सर्वज्ञरूपापन (सर्वज्ञवताना)। अपने आपको सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने के लिये—घरों की गुप्त बातों का पता लगाकर मुख्यों को उनके इरादों के विषय में सूचित करे—कौन कौन राज्यद्रोही हैं इसबात का कंठक शोधन तथा गुप्तचरों के आगमन के द्वारा प्रगट करे—अदृष्ट-संसर्ग विद्या (छिपे हुए संबंधों को पता लगाने वाली विद्या) में बताये हुए इशारों के द्वारा भावी नीति को दिखावे और मुद्रा (चिन्ह) संयुक्त कवचों के द्वारा विदेश के समाचार को प्रकाशित करे।

(२) दैवतसंयोगख्यापन (देवताओं के साथ संबंधका होना प्रगट करना) देवताओं के साथ अपना संबंध प्रगट करने के लिये—कई आदमी सुरंग के द्वारा अग्निकुंड, चैत्य (मंदिर विशेष) तथा मूर्ति के नीचे पहुंचकर स्वयं अग्नि चैत्य तथा देवता के रूप में बोले और पूजा लेवे—या सांप तथा हिरण्य की मूर्ति के अन्दर बैठे लोग पानी में से निकले बोलें तथा पूजा कराने लगें—या रात में जल के भीतर समुद्र वालुका का कोश रखकर अग्नि माला दिखें—या लकड़ी या बांस बेड़े (पलवक) को शिला या जंजीर (शिक्य) से बांधकर देवता के रूप में उसपर दर्शन दें—या जल जन्तुओं की बास्तियां भिल्ली से मुंह ढांपकर, पृषत मृगकी अन्तड़ी तथा केकड़ा नाका सूँस उड़िलाव आदि की चरबी में तेल को सौवार पकाकर नाक में लगावें और यह प्रसिद्ध करें कि रात्रिगण पानी के बीच में आया जाया करते हैं [उदक चरण] इन्हीं लोगों के द्वारा बहण तथा नाग कन्याओं का सम्मान आदि दि जावें—भगई के समय में मुंह से आग तथा धुआं निकालें । पौराणिक कार्तान्तिक, नैमित्तिक, मौहूर्तिक, क्षणिक, [तमाशा दिखाने वाले], गूढ़ पुष्प, सचिव्य कर [विदूषक] तथा दर्शक आदि उपरिलिखित घटनाओं को अपने देश में फैलावें । शत्रु के देश में कहें कि विजिगीषु को देवता दर्शन देते हैं । उसको दिव्य कोश तथा दिव्य खेना प्राप्त हुई है । सांगविद्या [हाथ देखने वाले] लोग देवताओं के सामने प्रश्न, मृग पक्षियों की बोलियों की परीक्षा तथा स्वप्न विचार आदि के द्वारा उसके विजय को और शत्रु के पराजय को सूचित करें । शत्रु की राशी में दुन्दुभि के साथ उलका को दिखावें । इन भेष धारी गुप्तचर शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के पास जावें और कहें कि स्वामी ने आपका आदर सरकार किया है । अमात्यों तथा फौजों [आयुधीय] से कहें कि हमारा पक्ष इस प्रकार पुष्ट होता है, शत्रु का पक्ष इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है और ऐसा करने में दोनों ही पक्षों की एकदृश भलाई है । हमारा स्वामी अपने आदमियों का सुख तथा दुःख में पुत्र के सदृश पालन करता है । इसप्रकार शत्रु के पक्ष के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिये

उत्साहित करे । और—दक्ष लोगों को कहे कि राजाने तो तुमको एक गदहा समझ रखा है, दंडचारियों को बहकावे कि उसने तुमको लठैत तथा दुफैत बना रखा है, उद्विग्न लोगों को समझावे कि तुम तो नदी के किनारे के भेड़े बना दिये गये हो, विमानित लोगों को कहे कि तुमपर तो पहिले से ही वज्र पड़ चुका है, हतभ्रा लोगों को समझावे कि तुम तो गिरासपर पलने वाले कउए बना दिये गये हो, बदली के मेघकी तरह वह तुमको कुछभी न देगा, दुश्मन को कहे कि बदमाश औरत को गहना पहिनाने से क्या लाभ ? जिन लोगों का राजा ने आदर सत्कार किया हो उनको कहे कि शेर का चमड़ा लेने से क्या अर्थ सिद्ध होगा ? जो राजा के पास रहते हों उनको कहे कि तुम लोग माँतके मुँह (मृत्युकूट) में हो, जो लोग राजा का सदा ही अपकार करते हों उनको कहे कि तुम तो पीलु लिखाकर तथा ओला दिलाकर ऊँटनी तथा गदही का दूध मथ रहे हो । जो लोग इन बातों से अपने बशमें हो जाय उनको अर्थ तथा मान से संतुष्ट किया जाय । जो लोग द्रव्य तथा भत्तों से असंतुष्ट हों उनको द्रव्य तथा भत्ता देकर खुश रखा जाय । यदि वह इन चीजों के लेनेके लिये तैयार न हों तो उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास गहना पहुंचाया जाय ।

यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भिक्ष चोर तथा जांगलियों से पीडित हो चुके हों तो सभी लोग उनको कहे कि—तुम राजा से सहायता मांगो । और कहे कि यदि हमको सहायता न मिली तो हम अन्यत्र चले जायेंगे ।

जो लोग उपरिलिखित बातों में आजावे उनको द्रव्य धान्यक आदि देकर अपने साथ मिला लिया जाय । उपजाप का सबसे अधिक अद्भुत काम यही है ।

१७२ प्रकरण ।

योग वामन ।

मुँडे या जटाधारी के भेष में गुप्तचर पहाड़ की गुफा में रहे और अपनी उमर ४०० साल की प्रकट करें । बहुत से जटाधारी

शिष्यों को साथ में लेकर नगर के समीप में डेरा डालें। उसके शिष्य मूल फल आदि के लिये शहर में आवें और आम्रात्यों तथा राजा को महात्मा जी के दर्शन के लिये उत्साहित करें। जब राजा उसके पास आवे तो उसको पुराने राजा तथा उसके देश के विषय में नयी नयी बातें बतावे। साथ ही कहे कि—सौ सौ साल बाद मैं आगमें प्रवेश कर चोली बदलता हूँ तथा बालक के रूप में प्रकट होता हूँ। अब आपके सामने चौथी बार आग में प्रवेश करूँगा। आप अवश्य ही आवें। आप जो चाहें तीन वर मांगलें। यदि राजा को विश्वास आजावे तो कहे कि "आप सात रात तक तमाशा देखने के लिये सपरिवार यहांपर ही रहिये"। यदि वह वहांपर रह जाय तो आक्रमण कर उसका काम तमाम करदे। या—मुंडे या जटाधारी के भेष में गुप्तचर यह कहे कि जमीन में गड़ा हुआ धन बता सकता है, और साथ ही अपने बहुत से शिष्यों को लेकर पड़ोस के बल्मीक में बांसकी नली खून से लथपथ कपड़े से लोपट कर रख दें और उसपर सोने का बुरादा छिड़क दें। बांसकी नली के स्थान पर ऐसी सोनेकी नली भी रखी जा सकती है जिसमें से सांप आ जा सके। इसके बाद सत्री राजाको कहे कि—अमुक सिद्ध पुरुष जमीन में गड़े हुए खजाने को बता सकता है। राजा उससे जो जो बात पूछे उसका उत्तर देवे और साथ ही चिन्ह भी दिखावे। या जमीन में नये सिरे से सोना गाड़ कर कहे कि—खजाने की रक्षा नाग देवता कर रहे हैं। बिना पूजा पाठ के उनका प्राप्त करना सुगम नहीं है। यदि उसको विश्वास आलखे तो पुनः वही सात रात वाला तरीका काम में लाया जावे। या वही तपस्वी स्थानिक बातों का ज्ञाता अपने आपको प्रकट कर और अपने चारों ओर आग लगाकर बैठ जावे। सत्रि लोग क्रमशः राजाको कहें कि—अमुक आदमी सिद्ध है। उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगई हैं। राजा उससे जो बात करने के लिये कहे वह करने के लिये तैय्यार हो जाय और वही सात रात वाला किस्सा बुहरावे। सिद्ध बने हुए गुप्तचर राजा को जंभकविद्या से प्रलोभन देकर भी पूर्व वर्णित उपाय को काम में ला सकते हैं। या—प्रसिद्ध मन्दिर में अपना डेरा लगाकर भिन्न

भिन्न उत्सवों में मुख्य मुख्य राज्याधिकारियों (प्रकृति मुख्य) को वह कहकर राजा पर आक्रमण करसकते हैं।

इसी प्रकार जटाधारी के भेष में गुप्तचर अपने आपको जल के भीतर या सुरंग लगाकर मूर्ति या तहखाने के अन्दर छिपाये रखें सब लोग उसको वरुण राजा प्रगट करें और राजाको पूर्ववत् फंसावें। या सिद्ध के भेष में जनपद की सीमा पर रहें और शत्रु को दिखाने के बहाने राजाको फंसे वे। शत्रु को बुला कर उसकी छाया राजाको दिखावे और अस्वरक्षित स्थान में पाकर उसको कतल करदे। या घोड़ों के व्यापारी के भेष में आकर घोड़ा बेचना शुरू करें। और राजा को घोड़ा देखने के लिये बुलावें। जब राजा घोड़ों के देखने में निमग्न होजावे तो मौका पाकर उसको भीड़ के अन्दर ही स्वयं मार डालें या घोड़ों से मरवा दें। या तीक्ष्ण लोग नगर के समीप में चैत्य पर चढ़ें और गाजा बाजा बजाते हुए स्पष्ट रूपसे कहें कि—हम लोग राजा और मुख्य मुख्य लोगों के मांस को खाकर पूजा करेंगे। नैमित्तिक तथा मौहूर्ति के बने हुए गुप्तचर इस समाचार को सब ओर को फैलादेवें। या वह लोग नागका भेष बनावें, शरीर में जलने वाला तेल मलें और हाथ में लोहे के मूसल तथा शक्ति ले कर जोर जोर से दोनों को लड़ावें तथा पूर्ववत् कहें या—रीछ का चमड़ा पहिनें, मुख से आग तथा धुआं निकालते हुए राक्षस का रूप बनाकर नगर के चारों ओर तीन फेरी करें, और स्वारों तथा हरिनों के भयंकर शोर के बीच में पूर्ववत् कहें। या—जलने वाले तेल (तेजन तैल) से अन्नक को मिलावें और उसको मूर्ति पर मलकर जलावें तथा पूर्ववत् कहें और दूसरे लोग उसबात को, इधर उधर फैलादेवें। या—प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित देवताओं की प्रतिमाओं मेंसे खूनकी धारा बहावें और दूसरे लोग इधर उधर कहें कि देवता लोग खून बरसा रहे हैं। जो शूरवीर हो उसको देखने के लिये जावे। जो जो देखने के लिये जावे उनको लोहे के मूसल से मारडाला जावे और लोगों में फैला दिया जावे कि शायद उनको राक्षसों ने मारडाला है। सबी तथा इस अद्भुत बात को देखने वाले लोग राजाको सारी बात कहें। नैमित्तिक तथा

मौहूर्तिक लोग शान्ति पाठ पढ़े और प्रायश्चित्त करें और कहें कि इसके किये बिना राजा तथा देशका बहुत ही अधिक अकुशल हो जायगा। इसके बाद राजा को सात रात तक मंत्र तथा बलि होम करने के लिये कहें और इसके बाद उसको पूर्ववत् मार डालें।

विजिगीषु उन योगों को अपने देश में दिखावे और शत्रु को सिखाने तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिये उनका प्रतीकार करे। इस बाद उपरि लिखित योगों या तरीकों का प्रयोग करे। जो शत्रु हाथी चाहता हो उसको नाग वन पाल के खूब सूरत हाथी को छीनने के लिये भड़कावे। यदि वह विश्वास में आकर जंगल में घुसे तो उसको अकेला पाकर मरवा डोज या पकड़ कर कैद करले। शिकार के इच्छुक [मृगयाकाम] राजाओं के साथ भी यही व्यवहार किया जाय। जो लोग स्त्री या द्रव्य के लोलुप हों उनको दायद तथा निक्षेप को छुड़ाने के लिये आई हुई कुलीन विधवाओं या जगन तथा खूब सूरत औरतों से फंसावे और जब वह लोग उनके साथ समागम करने के लिये रात में निकलें तो छिपे हुए सत्री उनको जहद या हथियार से मार डालें। जो लोग—सिद्ध, प्रव्रजित [वैरागी], चैत्य, स्तूप, मूर्ति आदि के दर्शन के लिये प्रायः आया जाया करते हों, तहखाना, सुरंग, गूढ़भित्ति आदि में छिपे हुए तीक्ष्ण लोग उनको मार डालें।

शत्रु राजा—जिन देशों में तमाशा देखने के लिये जाता हो—या जिन विहारों में तथा यात्राओं में आनन्द मानता हो—या जिस जल में नहाता तथा कलोलें करता हो—या जहाँपर गाली गलौज बकता हो—या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति शोक, भय, शादी व्याह आदि में पंडुंचकर प्रमत्त हो जाता हो या अपने आपको भूल जाता हो—या जहाँ पर कि कोई भी पहरे दार न हो, दुर्दिन या भीड हो—या निर्जन प्रदेश में, या आग से जलते हुए ब्राह्मण के स्थान में मौजूद हो—तो वहाँ पर तीक्ष्ण लोग पूर्व से ही छिपे हुए गुप्तचरों के साथ मिल कर—वस्त्र, आभरण, माला, शयन, आसन, मध्यभोजन आदि की घंटी तूँही आदि के बजते ही उस पर प्रहार करें और जिस रास्ते से राज महल में घुसे हों उसी रास्ते से बाहर निकल जावे इसीका नाम योग वामन है।

१७३ प्रकरण । खुफिया पुलिस का प्रयोग ।

राजा किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने यहां से बाहर निकाल दे जोकि किसी कंपनी या श्रेणी का मुखिया हो। वह शत्रु की शरण ले ले। और उसके पक्ष को पुष्ट करने का वहाना करके अपने देश से सैनिकों तथा अन्य प्रकार की सहायताओं के लेने की कोशिश करे। इस ढंग पर खुफिया पुलिस का संग्रह कर और शत्रु राजा की अनुमति लेकर अपने स्वामी के बागी गांव या दोस्त पर आक्रमण करे और वहां से हाथी घोड़ा बागी अमात्य सैनिक तथा दोस्त को पकड़ कर शत्रु राजा के पाल उपहार के रूप में भेजे। सहायता प्राप्त करने के वहाने शत्रु के किसी एक जनपद में बस जाय, श्रेणी या जंगल में ही अपना अड्डा बनाले। जब शत्रु पक्ष के लोग उस पर विश्वास करते लगें तो उनको अपने स्वामी के हाथी या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे और साथ ही अपने स्वामी को गुप्त रूप से सूचित कर उनको पकड़वा दे। अमात्यों तथा आठविकों [जंगल के स्वामी] के कामों का अनुमान भी इसी से कर लेना चाहिये। दृष्टान्त स्वरूप शत्रु से मैत्री करने के बाद विजिगीषु अपने अमात्यों को बरखास्त कर दे। वह शत्रु के पास दूत भेजकर कहें कि आप कृपा कर हमारे स्वामी को प्रसन्न करवा दीजिये। यदि शत्रु इस बात के लिये दूत भेजे तो विजिगीषु कहें कि "आप के स्वामी अमात्यों को हम से फाड़ते हैं। आगे से यहां पर मत आना"। इसी प्रकार विजिगीषु किसी दूसरे अमात्य को निकाल बाहर करे। वह भी शत्रु की शरण ले और अपने स्वामी के खुफिया, बागी, चोर तथा जांगलिक आदियों को साथ ले जाय और शत्रु का विश्वास पात्र बनकर, इस के अन्तपाल, आठविक तथा दंडचारी [सिनापति] आदि मुख्य मुख्य पुरुषों को यह कहकर मरवादे कि "अनुक अमुक व्यक्ति शत्रु के साथ मिला हुआ है"।

विजिगीषु शत्रु से कहे कि "अमुक राजा दिन पर दिन शक्ति शाली हो रहा है और सेना बढ़ा रहा है। आओ आपस में मिल कर उसको नष्ट करें। इस से तुम्ह को भूमि या हिरण्य मिलेगा" यदि वह विश्वास में आजाय तो उसको प्रकाश युद्ध में शत्रु से मरवादे। या भूमि दान, पुत्राभिषेक या अन्य ऐसे ही उपयोगी महत्व पूर्ण काम पर उसको बुलाकर कैद करे। जो इस में न फँसे उस को चुपे से मरवादे। यदि वह स्वयं न आवे तो शत्रु से उसका घात करवादे। यदि वह शत्रु से अकेले ही लड़ने जावे तो उसको दोनों ओर से घेर कर नष्ट करदे। यदि वह किसी पर भी विश्वास न करे, शत्रु पर अकेला ही चढ़ाई करे या [यातव्य] शत्रु की भूमि को लेना चाहे तो शत्रु को सब प्रकार की सहायता पहुँचा कर उसका उच्छेद किया जावे। यदि वह शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर सेना इकट्ठी करना शुरू करे तो उसकी राजधानी को अपने हाथ में कर ले। या शत्रु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि पर शत्रु को उकसावे। जब मित्र शत्रु की भूमि को चाहे तो अपनी हानि का बहाना कर स्वयं भी लड़ाई में कूद पड़े। यह तथा ऐसे ही अन्य तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लावे।

विजिगीषु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रमण करने वाले शत्रु को सेना के द्वारा सहायता पहुँचावे। इस के बाद गुप्त रूप से मित्र के साथ मेल करे। और मित्र को कहे कि किसी तरह तुम हमारे शत्रु को हमारी भूमि पर आक्रमण करने के लिये उत्साहित करो। इस ढंग की मंत्रणा करने के बाद वह अपने आप को विपत्ति में पड़ा हुआ प्रगट करे और जब शत्रु उस पर आक्रमण करे तो उसको या तो मार डाले या जीवित पकड़कर उसके राज्य को आपस में बाँट ले। यदि कोई शत्रु अपने मित्र के सहारे किसी बड़ दुर्ग का सहारा ले तो उसकी भूमि को सामंतादियों के द्वारा नष्ट करदे। १७ पर यदि वह सैन्य द्वारा देश की रक्षा करे तो सैन्य को मरवा दे। यदि शत्रु तथा उसके मित्र आपस में मिले रहें तो खुले तौर पर भूमि तथा राज्य देने का प्रलोभन दे। दोनों ओर से तनखाह पाने वाले मध्यस्थ दूतों को भेजे और कहवा दे

कि "अमुक राजा शत्रु से मिलकर राज्य लेने की कोशिश कर रहा है"। इस प्रकार दोनों में फटाव तथा संदेह पैदा करने के बाद विजिगीषु अपने सेनापतियों, दुर्गमुख्यों तथा राष्ट्रमुख्यों को यह कहकर निकाल दे कि "यह शत्रु से मिले हुए हैं"। निकाले जाकर वह शत्रु की युद्ध किले का घेरा, या अन्य अवसर, पर पकड़वा दें। देश के मुख्य मुख्य वर्गों को आपस में फाड़ दें। साक्षियों के सहारे भेदभाव को बढ़ावें तथा पुष्ट करें।

शिकारियों तथा वहेरों के भेष में खुफिया शत्रु के किले के मुख्य दरवाजों पर मांस बेचें तथा पहिरेदारों से दोस्तो कर लें। दो तीन चार चोरों के आक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजा के विश्वासपात्र बन जाय और धीरे धीरे उसकी सेना को दां भागों में बंटवा दें। इसके बाद गांव पर आक्रमण होनेपर या घेरा डालने पर शत्रु को कहें कि "चोर लोग आपहुंचे। संख्या में बहुत अधिक हैं। बहुत बड़ी सेना की जरूरत है"। जब वह चोरों को दंड देने के लिये सेना भेजें तो रात में अपने स्वामी की सेना के साथ आकर जोर से पुकारें कि "चोर लोग मार डालेगये। सेना की यात्रा सफ न हुई। किले का दरवाजा खोलो"। दरवाजा खुलते ही शत्रु पर आक्रमण कर दें। अथवा कारीगर शिल्पी पाखंडी गवईये तथा व्यापारियों के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुर्ग में बसा दें। कृषक के रूप में काम करने वाले खुफिया लोग इनको लकड़ी भूसा आनाज तथा मालसे भरी बैलगाड़ियों में छिपाकर हथियार पहुंचावे। देवताओं की ध्वजा तथा प्रतिमा के द्वारा भी यही काम करें। इसके बाद पुरोहित बने हुए गुप्तचर लोग शंख तथा नगारे बजाकर कहें "की हथियारों से सुसज्जित सेना किले को घेरती हुई तथा कतले आम करती हुई आ रही है। मौका पाते ही यह लोग किले का दरवाजा खोलें, अटारी पर चढ़ाने का रास्ता दें या शत्रु की सेना को आपस में कटवा मरवा दें।

राजा के गुप्तचरों—व्यापारी, मजदूर, पालकीदार, बरात, घोड़ों तथा बाजारी चीजों के विक्रेता, हथियार उठाकर ले चलने वाले मेहनती, धान्यक्रेता तथा विक्रेता, बैरागी-आदियों के द्वारा संधि

पर विश्वास दिलाने के बहाने से किले के अन्दर सेना बुला ली जाय और इस प्रकार किले को अपने हाथ में कर लिया जाय । कंटक शोधन में वर्णित तथा उपरिलिखित गुप्तचर जंगल के पास फिरते हुए शत्रु के पशुओं को तथा व्यापारियों को चोरों से भगवादेवें । किसी स्थान पर रखे हुए भोजन तथा जल को मैनफल के रस से दूषित कर भाग जावें । शत्रु के ग्वाले तथा व्यापारी मैनफल के रस से ज्यों ही बेहोश हो जाय या तकलीफ में पड़ जाय त्यों ही ग्वाले व्यापारी तथा चोर के भेष में गुप्तचर उनके पशुओं को भगा ले जाय । या—मुंड तथा जटिल के भेष में खुफिया लोग संकर्षण देवता की पूजा के लिये इकट्ठा किये गये शत्रु के सामान में मैनफल का जहर मिलावे और पशुओं को लूटें । या—कलवार के भेष में खुफिया लोग पूजा पाठ, मृतक संस्कार, उत्सव सामाजिक काम आदियों के समय में जांगलियों को शराब देने के बहाने से जाय और ग्वालों को उपहार के रूप में मैनफल के रस से मिली शराब देवें और इस प्रकार शत्रु के पशुओं को लूटें ।

जो लोग गांवों को लूटने के बहाने शत्रु के जंगलों में और शत्रु का नाश करें उनको चोरों के भेष में फिनि वाला गुप्तचर कहा जाता है ।

१७४-१७५ प्रकरण ।

किले का घेरना तथा शत्रु का नाश ।

किले के घेरने के बाद ही शत्रु का नाश संभव है । जीते हुए देश में ऐसी शान्ति स्थापित करनी चाहिये कि लोग निर्भय हुए २ सोवें । जो लोग राज्यविद्रोह करें या उठ खड़े हों उनको इनाम देकर या राज्यकर से मुक्त कर शान्त करे वशतें कि राज्य छोड़ने का इरादा न हो । आवादी से दूर किसी एक स्थान पर शत्रु की भूमि में संग्राम करे । क्योंकि कौटिल्य के मत में आवादी से ही राज्य तथा जगपद होता है । यदि विजेता के यत्नों को निरर्थक करने के लिये जनपदनिवासी को शिश करें तो वह उनके खेत दुकान अन्नमंदार तथा मंडी को नष्ट करदे ।

खेत दुकान अन्नभंडार तथा मंडी आदिकों के नाश से, लोगों को भगाने तथा गुप्तरूप से मरवाने से प्रकृति शक्तिहीन होजाती है।

जब विजेता यह समझे कि ऋतु उत्तम है। धान्य कच्चा माल, यन्त्र, शस्त्र, आवरण, श्रमी तथा लगाम आदि की सेना में कुछ भी कमी नहीं है, शत्रु के लिये ऋतु बुरी है देश में बीमारी तथा दुर्भिक्ष है, उसका अन्नभंडार तथा सैन्य नष्ट होगया है, तनखाह पर रखे सिपाही तथा उसके भिन्न की सेना शक्तिहीन हैं तो वह शत्रु पर चढ़ाई करे। अपनी छावनी, अन्नभंडार, मंडी तथा सड़क की रक्षा करे, खाई तथा दीवार बनाकर दुर्ग बनाये, शत्रु की खाई का पानी खराब करे या बहावे या उसको मट्टी से भरदे और शत्रु के किले की दीवारों तथा बुजों पर सुरंग लगाकर या अन्य उपाय कर आक्रमण करे। यदि खाई बहुत गहरी हो तो बहुल नामक लकड़ी से और यदि कम गहरी हो तो मट्टी से भरदे। यदि बहुत सी सेना उसकी रक्षा करती हो तो यन्त्रों से उसको नष्ट करे। दरवाजे पर घुड़सवार आक्रमण करे। समय समय पर सामानादि उपायों को भिन्न भिन्न तरीकों से काम में लावे और सफल होने की कोशिश करे।

किले में रहने वाले बाज कौआ, नन्ट भास (ज़ील विशेष) तोता, मैना, कबूतर आदियों को पकड़े और उसकी पूंछ में आग लगाकर शत्रु के दुर्गपर छोड़दे। यदि छावनी किले से दूरपर हो और ऊंचे खम्भों तथा दीवारों पर से लड़ाई होती हो तो शत्रु के किले में आग लगादी जाय। किले के अन्दर रहने वाले दुर्गपाल न्युअला, बन्दर, बिल्ली तथा कुत्ते की पूंछमें आग लगाकर उनको लकड़ी से छूते मकानों में छोड़दे। सूखी मच्छियों के पेट में अग्नि रखकर भालू रेवा कडुओं के द्वारा छूतों पर पड़ुंवादे। सरल, देवदार, पूतितृण, गुग्गुलु, श्रीवेष्ट, (तारपीन), सर्जरस, लाख आदि को गद्दे ऊंट भेड़ बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोली बनाई जाय तो वह सुगमता से जल पड़ती है। प्रियाल का चूर्ण, अवलगुज का कोयला, मोम, घोड़ा गद्दा ऊंट तथा गौ

की लीद को मिलाकर बनाया गया पदार्थ फेंक कर आग लगाने के काम में आता है। संपूर्ण धातुओं का चूरा जिसका रंग आग को तरह हो, कुंभी, जस्ता तथा रांगे का चूरा, पलाश पुष्प, बाल तेल मोम तथा श्रीवेष्ट [तारपीन] के साथ मिलाया जाकर आग लगाने के लिये उपयोगी होता है। सन जस्ते रांगे आदि से युक्त वाण पर यदि इसका लैप किया जाय तो वाण बहुत ही विश्वास घाती हो जाता है।

आक्रमण करने के अन्य उपायों के होते हुए अग्नि लगाने का यत्न न किया जाय। अग्नि का कुछ भी विश्वास नहीं है। मन्दिों तक को इस से नुकसान पहुंच जाता है। असंख्य प्राणि, खेत, पशु, हिरण्य, जांगलिक द्रव्य आदि का इस से नुकसान हो जाता है। वरिद्रराज्य को प्राप्त करने से (लाभ के स्थान पर) नुकसान ही होता है। किले के घेर डालने में यही नियम है।

विजिगीषु जब यह समझे कि—मैं संपूर्ण सामिग्री उपकरण तथा भूमि से संपन्न हूँ, शत्रु बीमार है, उसकी प्रकृति घुँउखोर तथा राजद्रोही है, किला भी पूर्ण नहीं बना है, उसका कोई मित्र नहीं है और जो मित्र मालूम पड़ता है वह भी अन्दर से शत्रु है—तो शत्रु पर चढ़ाई करदे। जब शत्रु के किले या शहर में आग लग जाय, या किसी ने आग लगा दी हो, लोग नाव पर सैर करने के लिये या सेना को देखने के लिये या शराबियों के भगड़ों को निगटाने के लिये गये हों, सेना रोजाना लड़ाई से सर्वथा थक गई हो, भयंकर युद्धों के कारण सेना के बहुत से लोग मर गये हों, रात भर जागने या थकने से लोग सो गये हों, भयंकर बाढ़ या नदी की बढ़ आग हो या भयंकर बर्फ पड़ी हो तो शत्रु पर एकदम से घावा बोल दे। छावनी या शिविर न बनाकर जंगल में छिप जाय और जब शत्रु जंगल में से बाहर निकलने लगे तो उसको कतल कर दे।

विजिगीषु का अन्दर से मित्र बना हुआ एक दूसरा राजा शत्रु के पास दूत भिजवा कर कहे कि "तुम्हारी यह कमजोरी है। अमुक लोग तुम्हारे अन्दरूनी दुश्मन हैं। घराडालने वाले राजा के अमुक

दोष है । अमुक व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है” । जब शत्रु का दूत बाहर निकले तो विजिगीषु उसको पकड़ ले और दोनों को उद्धोषित कर उसको देश से बाहर निकाल दे और स्वयं भी घेरा छोड़कर दूर हट जाय । इसपर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कहवावे कि “हमको विजिगीषु से बचाओ । आओ हम तुम मिलकर उससे अपना पीछा छुड़ावें” । यदि वह किला छोड़कर बाहर निकल आवे तो उसको दोनों ओर से घेरकर मार डाला जाय या उसको पकड़ कर कैद कर दिया जाय तथा उसके राज्य को आपस में बांट लिया जाय । या उसकी राजधानी नष्ट कर दी जाय तथा सेना के अच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुनकर मरवा दिया जाय । सेना के द्वारा जीते गये शत्रुओं तथा जांगलिकों के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये । अथवा इस में से किसी एक के द्वारा किलेके अन्दर बन्द शत्रु को कहवाया जाय कि—“घेराडालने वाला राजा बीमार है । उसपर पार्ष्णिग्राह [पीठ-पर का दूसरा राजा] ने आक्रमण कर दिया है । उसकी सेना ने गदर कर दिया है । दूसरे राष्ट्रपर आक्रमण करना चाहता है । इत्यादि । यदि शत्रु को इन बातों पर विश्वास आजाय तो वह छावनी में आग लगा कर भाग जाय—और इसके बाद पूर्ववत् व्यवहार करे ।

विजिगीषु व्यापारीय द्रव्यों को विष से मिला कर किले के अन्दर किसी बहाने से पहुंचावे । शत्रु का मित्र बना हुआ राजा किले में दूत भेजे और कहवावे कि “मैं विजिगीषु को लग भग नष्ट कर चुका हूं । तुम भी उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने में मेरी सहायता करो” । यदि वह विश्वास में आजाय तो उसके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय । खुफिया लोग [योग पुरुष] राजकीय मुद्रा हाथ में लेकर मित्र तथा बंधु के देखने के बहाने से किले में घुसे तथा उस पर विजिगीषु का कब्जा करवावे । नई शक्ति प्राप्त करने के बहाने किले में घिरे राजा को कहवाया जाय कि “मैं विजिगीषु की सेना पर अमुक स्थान तथा समय में आक्रमण करूंगा । तुम भी लड़ाई के लिये आजाय” इत्यादि । यदि वह विश्वास में आजाय तो यथोक्त रूप से नकली लड़ाई छेड़े तथा

भयंकर कतले आम को दिखावे। रात में जब शत्रु राजा किले से बाहर निकले तो उसको मार डाले। यदि इन तरीकों से काम न निकले तो शत्रु के मित्र या जांगलिक राजा को यह कहकर कि "किले में बंद घिरा है। उसकी जमीन पर आक्रमण करो और अपने कब्जे में करलो" शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिये उभाड़े। यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिये तैयार होजाय तो उसको प्रथा प्रकृतियों से लड़ाई और उनके मुखियों से मरवादे या स्वयं ही उसको जहर देदे। यह मित्र का घातक है" ऐसा कहकर इसके बाद किसी दूसरे राजा से शत्रु की मित्रता पैदा करवा दे। वह भी शत्रु के पेट में घुस कर उसके योग्य योग्य वीर पुरुषों को आपस में लड़ादे। या संधि करके उसको नये जनपद में बसादे और चुपे से उसको मरवादे। या राज्यद्रोही जांगलिकों की सेना को तंग करके विद्रोह करदे और जब वह किले से बाहर निकले तो विजिगीषु के हाथ में किला दे दे। या शत्रु से विरुद्ध होकर भागे हुए दुश्मनों तथा जांगलिकों को रुपया पैसा तथा इज्जत देकर पुनः दुर्ग में भेजकर दुर्ग को अपने वश में करे।

शत्रु के किले को विजय कर तथा अपनी छावनी में पहुँच कर विजिगीषु उन सैनिकों को अभय दान दे जो कि युद्धक्षेत्र में पड़े हों, तथा इस के पक्ष में होंगये हों, जिन के बाल हाथियार इतर उधर बिखरे पड़े हों जो कि डार से विरूप होंगये हो। शत्रु के किले को प्राप्त कर शत्रु के पक्ष का संशोधन और उपांशुदंड से अन्दर बाहर अपना संरक्षण करने के बाद विजिगीषु उस में घुसे।

इस प्रकार शत्रु की भूमि को जीत कर विजिगीषु मध्यम की और उसके जीतने के बाद उदासीन की चिता करे। पृथ्वी को जीतने का यही पहिला मार्ग है। यदि मध्यम तथा उदासीन न हों तो अपने से अधिक शक्ति तथा सामर्थ्यवाले राजा की और उस के बाद उसकी प्रकृति की चिन्ता करे। पृथ्वी को जीतने का यह दूसरा मार्ग है। यदि चारों ओर राजाओं का मंडल न हो शत्रु को मित्र से मित्र को शत्रु से लड़ाकर काम निकाले। यही तीसरा मार्ग है। शुरु में दुर्बल सामन्त को गिरावे। उससे दुगुना शक्ति प्राप्त कर

दूसरे सामन्त को और उसको जीत कर और इस प्रकार तिगुनी शक्ति प्राप्त कर तीसरे सामन्त को परास्त करे। पृथ्वी के विजय करने का यही चौथा मार्ग है।

पह्यंत्र, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने वश में करना, घेरा डालना तथा एकदम धावा मारना—यह पांच तरीके हैं, जो कि किले के फतह करने में काम आते हैं।

१७६ प्रकरण ।

विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना ।

विजिगीपु एक गांव या जंगल को ही जीत सकता है। विजित प्रदेश तीन प्रकार का होसकता है।

- (१) नवीन ।
- (२) भूतपूर्व ।
- (३) पित्र्य ।

(१) नवीन नवीन प्रदेश को जीतते ही शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढांपदे। यदि शत्रु गुणी हो तो उससे दुगुने गुणों को दिखावे। प्रजा तथा प्रकृति का हित धर्म कर्म, अनुग्रह, परिहार, दान तथा मान संबंधी कामों से करे। कृत्यपक्ष [शत्रु से विरुद्ध होकर जिन्होंने साथ दिया हो] को जो बचन दिया हो उसको पूरा करे। बारं बार उनका ख्याल रखे। प्रकृति तथा प्रजा के विरुद्ध चलने से राजा अपने पराये लोगों में विश्वास खो बैठता है। इस लिये विजित देश के समान कपड़ा खत। पहिने व्यवहार करे तथा वैसाही अपना स्वभाव तथा रहन सहन बनावे। देश दैवत [मंदिर संबंधी] समाज संबंधी उत्सव तथा विहार (आमोद प्रमोद) संबंधी कामों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करे। ग्रामजाति तथा संघ की पंचायतों में गुप्तचर बारं बार शत्रु की निन्दा करे तथा दोष दिखावे। विजिगीपु के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार समृद्धि तथा भक्ति को प्रगट करे। राजा संतुष्ट लोगों को दान परिहार

(राज्यकर से मुक्ति) तथा संरक्षण से खुश रखे । धार्मिक लोगों की इज्जत करे । विद्वान् न्याय निष्णात (वाक्यकुशल) धार्मिक तथा शूरवीर लोगों को भूमि द्रव्य दान तथा परिहार आदि से प्रसन्न करे । पुराने राजा के कैदियों को कैद से छुड़ावे । बीमारों तथा दुखियों की खबर ले । चातुर्भास्यों (चौमासा) में आधे महीने तक पौर्णमासियों में चार दिन तक और राजकीय तथा जातीय दिनोंमें एक दिन तक पशुओं का घात बन्द कर दे । बालक तथा स्त्रीका घात और पशुओं का पुंस्तोपघात (बाधिया करना) रोक दे । कोश तथा दंड को नुक्सान पहुंचानेवाले पाप पूर्ण रीति रिवाज को हटाकर उनके स्थानपर धार्मिक रीति रिवाज तथा व्यवहार प्रचलित करे । चोरी करने की आदत वाले म्लेच्छ लोगों का स्थान बदलदे और उनको पृथक् रखे । शत्रु के साथ षड्यंत्र रचने वाले दुर्ग राष्ट्र तथा दंड (सेना) के मुखियों को तथा मन्त्रि पुरोहित आदियों को देश के अन्त में भिन्न भिन्न स्थानों पर बसादे । स्वामी के नाश क इच्छुक शक्तिशाली लोगों को चुपे चुपे (उपांशु दंड) मरवादे । शत्रु के साथ पकड़ेगये स्वदेशी लोगों को राष्ट्र के अन्त में रहने-केलिये कहे । यदि उनमें से कोई बदला लेने में समर्थ हो अच्छे घराने का हो राष्ट्र के अन्त में या जंगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हो तो उसको उपर जमनि में भेजदे और उपजाऊ जमीनका केवल चौथाई भाग ही दे । कोश तथा दंड के सहारे पौर तथा जानपद लोगों को गदर के लिये खड़ा करे तो उसको उन्हीं लोगों से मरवादे । जो प्रजा या प्रकृति को क्रुद्ध करे तो उसको दूर करदे या डराबने या खतरनाक स्थान में भेजदे ।

(२) भूतपूर्व । राजा भूतपूर्व जनपद को प्राप्त कर उस दोष को दूर करे या द्वांपदे जिसके कारण वह देश उसके हाथ से निकल गया था । जिन गुणों से उसने जनपद को प्राप्त किया उसको बढ़ावे ।

(३) पित्र्य पिता माता से जनपद को प्राप्त कर पिता के दोषों को द्वांपदे और गुणों को प्रकाशित करे ।

दूसरों के धर्म युक्त काम तथा नवीन रीति रिवाज (चरित्र) को अपने देश में प्रचलित करे। दूसरों के अधर्म युक्त काम को दूर करे और कोई भी ऐसा काम न करे जो कि धर्म से विरुद्ध हो।

१४. अधिकरण .

श्रौपनिषदिक ।

१७७ प्रकरण ।

पर घात प्रयोग ।

चानुवर्ण्य की रक्षा के लिये अधर्मिष्ठ लोगों पर घातक वस्तु [श्रौपनिषदिक] का प्रयोग किया जाय। भिन्न भिन्न देशों के वेप [फैशन] तथा शिल्प को जानने वाले तथा कुबड़े बौने जंगली गूंगे बहरे तथा बेवकुफ बंन फिरते म्लेच्छ जाति के पुरुष तथा स्त्रियां शत्रु के शरीर तथा कपड़े लत्ते में कालकूट आदि विषैली चीजों का प्रयोग करें। उसके खेलने पहिने तथा अन्य काम में आने वाले पदार्थों में गुप्तचर शस्त्र और याज्ञिक, रात्रिचारो [पहरेदार] तथा अग्निजीवी [आग से काम करने वाले] अग्नि छिपाकर रखें।

भलावा तथा बल्लुका के रसमें यदि—चित्र भेक [विषैला-मैंडक] कौंडिन्य, ककुंकर, पंचकुष्ठ तथा शतपक्षी [सौकुड़वा]—उच्छिदिङ्गक [बिन्दू], घलीशतक, इधम तथा कृकलास (गिरगिट्टांग), गृह गोलिका (विस्तुइया) अंधा सांप, कंकठ पूतिकीट तथा गोमारिका आदिका चूर्ण मिलाकर जलाया जावे तो उसका निकला धुंआं शीघ्र ही प्राणियों की जान लेले। यदि इसको काले सांप तथा ककुनी के साथ मिलाकर तपाया जावे तो यह शीघ्र ही प्राणीको कालका प्राप्त बनावे। धामार्गव (कडुई तरौई), यातुधान का मूल तथा भलावे के फूल का चूर्ण आधे माहिने में और व्याधिघातक मूल तथा जहरीले कीड़ों के सहित भलावे के फूल का चूर्ण एक

महिने में मनुष्य की जान लेलेता है। मनुष्यों को कलामात्र, गदहों तथा घोड़ों को दुगुना और हाथियों तथा ऊंटों को चौगुना देना चाहिये। शतकर्म, उच्चिर्दिगक (विच्छू) कनैर, कडुई तुंबी तथा मच्छी के धुएं को यदि मैनफल कोदों तथा काविस—या हाथीकान ढाक तथा काविस के पत्तों से इधर उधर हिलाया जाय तो वह जिधर जाता है उधर मारता है। पूतिकीट, मच्छी, कडुई तुंबी, शतकर्म, इधम तथा वीरबहूटी—या पूतिकीट भटकटैइया राल धनूरा तथा विदारी कंद—या भेड़ का सींग तथा खुर—इनके या कठकरंज हड़ताल मनोखल घुंची लाल कपास, आस्फाट, सीता तथा गोबर के चूर्ण का धुआं अंधा कर देता है। सांप की केंचुली गौ घोड़े की लीद तथा अंधे सांप के सिरका धुआं भी अंधा बना देता है कवूतर प्लवक (जल जंतु) मांसाहारी जंतु, हाथी, मनुष्य तथा सुअर का पाखाना पेशाब—कौसोस हांग भूसा चावल तथा कपास कुइया तथा कडुई तरोई के बीज—गोमूत्रिका तथा शिरीष की जड़—नींब सहजन, नागफनी, तुलसी, जीब (सहजन का दूसरा भेद) पीलुआ तथा भांग—सांप मछली चमड़ा हाथी का नख तथा सींग—इत्यादि में किसी को भी मैनफल तथा कोदों या हाथीकान ढाक के साथ जज्ञान पर जो धुआं निकालता है। वह जिधर जाता है उधर मारता है। अगर, कुष्ट, नड़ा तथा शतावरकी जड़—सांप मोर ककूहण तथा पंचकुष्ठ का चूर्ण—इनका धुआं प्राणियों की आंखों को नष्ट कर देता है अतः संग्राम तथा किले का घेरा डालते समय ऐसे धुएं को करने से पूर्व अंजन पानी से अपनी आंखों के बचाने का प्रबंध करले। मैना कवूतर बगुला तथा बलाका का पाखाना—सुहि (सिंहुड़) तथा पीलु के दूध में पीसा हुआ आंखों को अंधा करता है और पानी को खराब कर देता है। जई, साठी के चावल की जड़, मैनफल, जावित्री, मनुष्य का पेशाब, पाखर तथा विदारीमूल—कठगुल्लर, मैनफल तथा कोदों के काथ या हाथीकान ढाक के काथ से युक्त मैनफल—काकड़ासिंगी, गुम्मा, भटकटैइया तथा मयूरपदी—धुंची करियारी विष की जड़ तथा गेंदी—कनैर, अरि, पीलु का फल, मदार

तथा मृगमारिणी—मैनफल कोदों के काथ या हाथीकान तथा ढाक के साथ युक्त मैनफल—यह संपूर्ण योग घास लकड़ी तथा पानी को खराब कर देते हैं। कृतपण्डक, गिरगिटांग, विस्तुइया, तथा अन्ध साँप का धुआँ आँख नष्ट करने के साथ साथ उन्माद करता है। ककलास (गिरगिटांग) तथा विस्तुइया का योग कोढ़ करता है। यदि उसमें चित्रभेक की अंतर्दी तथा शहत् मिला दीजाय तो वह प्रमेह उत्पन्न करता है और यदि उसमें मनुष्य का खून मिलावे तो राजक्ष्मा करता है। दूर्वाविष (सूखी या पुरानी जहर) मैनफल तथा कोदों का चूर्ण जीभ पर फफोले डाल देता है या दूसरी जीभ पैदा करदेता है। मातृवहक, अंजलिकार, प्रचलाक, भेक, अघि तथा पलिक का योग हैजा फैलाता है। पंचकुष्ठ, कौडिन्य, अमलतास, महुआ तथा शहत् बुखार और चोल तथा न्युअला जीभ में फफोले डालता है। यही गदही के दूध में पीसा जाकर गुंगा तथा बहरा कर देता है। पशुओं तथा मनुष्यों पर इनका मात्रा का समय मास अर्धमास तथा कलामात्र (कुछ ही समय) है। उपरिलिखित योगों की शक्ति यदि बढ़ानी हो तो उनमें भांग संपूर्ण औषधों का चूर्ण या संपूर्ण प्राणियों के मांस का काथ मिला दिया जाय। सैभर, विलइयाकन्द तथा धनिया से युक्त तथा वच्छुनाग की जड़ तथा छड़ुंदर के खून से लिप्त वाण जिसको लगता है वह अन्य दस आदमियों को काटता है और वह भी अन्य दस दस आदमियों को काटते हैं। भलावा, यातुधान, कडुई-तुंबी पियावांला, पत्थरफूल, मैसिदा गुग्गुल तथा हाजाहल का काढ़ा भेड़ या या मनुष्य के खून से निलाने के बाद जिसको लगा दिया जाय उसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ होने लगती है। इसका आधा धरणसनु तथा खली के साथ मिलाकर पानी में डालते ही १०० धनुष तक पानी को खराब कर देता है। इसको खाते ही मच्छियाँ जहरीली होजाती हैं और वह सब प्राणी बिपैले होजाते हैं जोकि ऐसे पानी को पीते या छूते हैं। लाल सफेद सरसों गोह तथा कडुईतुंबी को जमीन में गाड़कर वध्य पुरुष से बाहर निकलवाया जायगा। इसको जो कोई देखता है वही मर-

जाता है। बिजली से मरा काला सांप और बिजली से जली लकड़ियों से ग्रहण की गई घरकी आग के द्वारा यदि कृत्तिका भरणों में भयंकर यज्ञ किया जाय तो यह आग जहां लगजाय वहां किसी भी तरीके से बुझाये नहीं बुझती ॥

यदि शहत् से लोहार की—शराब से कलवार की—घी से याज्ञिक की—माला से एकपत्नीक [जिसके एक स्त्री हो] की—सरसों से पुंश्रली (बदमाश औरत) की—दहीसे सूतिका की—चावलों से आहिताग्नि की—मांस से चंडाल की—मनुष्य मांस से चिता की और मनुष्य तथा भेड़ की चरबी से सब लोगों की अग्नि में अमलतास की लकड़ी लगाकर अग्नि मंत्र से हवन किया जाय तो इससे जो अग्नि पैदा हो वह शत्रुओं की आंखों में चका चौंध पैदाकरे और किसी से भी बुझाये न बुझे ।

(अग्नि मंत्र)

अदिते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वति नमस्ते, सवि-
र्तनमस्ते अग्नये स्वाहा, सोमायस्वाहा, भूःस्वाहा, भुवःस्वाहा ।*

१७८ प्रकरण ।

अद्भुतोत्पादन ।

शिरीष, गुल्मर तथा शमी का चूर्ण आधा महीना—कसेरु, नील-कमल, सूरण, ईख की जड़, भसीड़ा, दूध, दूध, दूध तथा घी की चटनी महीना भर—दूध घी के साथ उर्द, जौ, कुलथी तथा कुला की जड़ का चूर्ण—दूध के साथ दूधिया बूटी दूध तथा घी की समान मात्रा से बनी सारीबन, पिठबन के जड़ की चटनी या दूध पूर्ववत् बनाया हुआ दूध शहत् तथा घी महीना भर भूख नहीं लगाने देता । सफेद भेड़ के मूत में सात दिन तक रखी सफेद सरसों या महीना आधा महीना रखे कड़ुए तूँबे के बीजों या सात दिन तक मशु तथा जौ का आहार करने वाले सफेद गदहे की

* अदिति, अनुमति, सरस्वति, तथा सविता, को नमस्त । भूःस्वाहा । भुवःस्वाहा ।

लीद में पैदा हुए जौ तथा सफेद सरसों का तेल पशुओं, द्विपायों तथा चौपायों का रूप बदल देता है। इन ही पशुओं में से किसी के मूत तथा लीद में सिद्ध की गई सफेद सरसों मदार की रई तथा पतंग लकड़ी—सफेद मुर्गा तथा अजगर सांप की लीद—सफेद भेड़ के मूत में सात दिन तक पड़ी सफेद सरसों तथा पन्द्रह दिन तक पड़ा मट्टा मदार का दूध नमक तथा धान्य रांगा को और आधा महीना भेड़ के मूत में पड़ी सरसों तथा कडुई तुंबी के बेल के डंठलों का उबटन रोंमें या बाल को सफेद करता है। इसी प्रकार अलावु नामक कीड़े के साथ पीसी गई सफेद विस्तुइया के उबटन से बाल शंख की तरह सफेद होजाते हैं।

तिंदुआ लकड़ी तथा गोवर का अरिष्ट—भलावे का रस और काले सांप या विस्तुइया के मुंह में सात दिन तक रखी घुंची खाने से तथा तोते के पित्त तथा अंडे का रस मलने से कोढ़ हो जाता है। चिरौंजी का कलह तथा कषाय कोढ़ को दूर करता है। मुर्गा, कडुई तराई तथा शतावर की जड़ महीना भर खाने से काला मनुष्य गोरा और बड़ के कषाय से नहाकर पिया बांसा के कलह को मलने से गोरा मनुष्य काला हो जाता है। मालकंगुनी के तेल में मिला हड़ताल तथा मनसिल रंग को सांचला कर देता है। सरसों के तेल से मिला जुगुना का चूर्ण रात को जलता है। मालकंगुनी के तेल में पड़ा—जुगुनी तथा केंचुप का चूर्ण या समुद्र जन्तुओं के साथ मिला भृंग, कपाल, खैर, तथा कनैर के फूलों का चूर्ण तेजन (पाचक) होता है।

नीब की छाल तथा तिल का घटना लगाने से शरीर आग से जलने लगता है। यही बात मेंडक की चरवी के लगाने से होती है। पीलु के छाल की राख हाथ पर जलती है। मेंडक की चरवी लगा कर कुश तथा आम के तेल से सींचने पर या समुद्रमंड़की [मेंडकी] समुद्रफेन तथा राल का चूर्ण डालने पर आग लगाते ही शरीर जल पड़ता है। मेंडक केंकड़ा आदिकी चर्वी में समानमात्रा में मिलायागया तेल, मेंडक की चर्वी का लेप—वांसकी जड़ शैवाल तथा मेंडक की चर्वी के उबटन से भी यही बात होती है। नीब आतेबला

जलवैतस सूरण केल को जड़ तथा मँडक की चर्बी से बनाये गये तेल को पैरों पर मलने से जलते हुए अंगारों पर चल सकता है ।

पोयेका शाक, प्रतिबला, बेंत नींब, आदि की जड़ों के कल्क में मँडक की चर्बी से बना तेल यदि पैरों पर मला जाय तो मनुष्य फूलों के ढेर की तरह जलते अंगारों पर चल सकता है । हंस काँच मयूर आदिकों तथा जलम तैरने वाले बड़े बड़े पक्षियों के पूंछ में जलती हुई नई [नल दीपिका] बांधने पर ऐसा मालुम पड़ता है कि मानों आकाश में से आग गिर रही है । विजली से जली लकड़ी की राख आग को बुझा देती है । स्त्रियों के मासिक पुष्प (मासिक धर्म में बहा रक्त) में भीगे उर्द यदि ब्रजकुली की जड़ तथा मँडक की चर्बी के साथ मिलाकर चूल्हे में डाल दिये जाय तो उसपर कोई भी चीज़ नहीं पकती चूल्हे को सफा करना ही इसका उपाय है पल्लु युक्त जलते हुए गोले को यदि दूर दूर की जड़ पिपरामूल तथा रुई की गद्दी से लेपट कर मुँह में रखा जाय तो मुँह से धुआ निकलने लगता है । कोशाग्र के तेल से साँचने पर वृष्टि में भी आग जलती रहती है । समुद्र फेन तेल डाल कर जलाने पर पानी में तैरता हुआ जलता रहता है । पानी पर तैरने वाले जन्तुओं की पसली को कल्माष वेणु के साथ रगड़ने से पैदा हुई आग पानी से बुझाने के स्थान पर जलती है । शस्त्र से मारे या फांसी चढ़े आदमी की पसली तथा कल्माषवेणु के रगड़ने से—या स्त्री या पुरुष की हड्डी तथा मनुष्य की पसली के रगड़ने से पैदा हुई आग जिस मकान के चारों तरफ बाँई ओर तीन बार घुमाई जाय उस मकान में किसी भी प्रकार की आग नहीं लगती । छड़ुंदर खंजन चिड़िया तथा खार कीट के साथ घोड़े के मूत में पिसा हुआ लेप हथकड़ी या पैर की संकड़ी के तोड़ने के आम में आता है । कोई भी मनुष्य पच्चास योजन तक बिना थके ही जा सकता है वशत कि वह—कुलिन्द, मँडक, खार कीट की चर्बी से अयस्कान्त नामक पत्थर का लेप करे, सफेद चीख या गिद्ध की पसली, नील कमल तथा नारकगर्भ का लेप पशु के पैर पर मले और उल्लू गिद्ध की चर्बी से ऊँट के चमड़े के जूतों को मले तथा बड़ के पत्तों से ढांक कर पहिने । जो मनुष्य

बाज, सफेद चील, गिद्ध, हंस, कौच तथा बिचिरल्ल नामक जन्तुओं की चर्वी या वीर्य की पैरों पर मालिश करे वह १०० सौ योजन तक बिना थके चला जा सकता है। यही बात गर्भवती ऊंटनी की छितबन (जड़ी बूटी) मिली चर्वी तथा श्मशान में पड़े मृत बालक को चर्वी के मलने से भी होती है।

उपरिलिखित प्रकार के अनिष्ट तथा अद्भुत उत्पातों के द्वारा शत्रु के उद्देश्य को बढ़ावे। जनता में गदर होजाने की संभावना होते ही शत्रु के साथ संधि करने का यत्नकरे।

१७८ प्रकरण ।

दवाई तथा मंत्र का प्रयोग ।

रात में फिरने वाले—ऊंट बाघ सुअर सही बागुली उल्लू आदि जीवों में से एक दो या बड़ों की दहिनी बाई आंख से बनाया गया चूर्ण दहिनी आंख का बांये में और बाई आंख का दहिने में लगाने से—बराह की आंख, जुगुनू, काली सरिवां तथा एकाम्ल के योग से बने अंजन के आंख में लगाने से तथा—पुष्प नक्षत्र में तीन दिन तक व्रत रखे पुरुष के द्वारा, शस्त्रहत या शूल प्रोत [फांसी पर लटके] मनुष्य की खोपड़ी में बोये तथा भेड़ के मृत से सींचने से पैदा हुए जौ की माला गले में पहिने से मनुष्य रात में देखने लगता है।

पुष्प नक्षत्र में तीन दिन तक व्रत रखकर जो मनुष्य—कुत्ता बिल्ली उल्लू बागुली आदिकों की दहिणी बाई आंख का पृथक् पृथक् चूर्ण कर पूर्ववत् आंख में लगावे या—निशाचर जंतुओं की खोपड़ी में अंजन भरकर मृत स्त्री की योनि में जलावे तथा पुष्प नक्षत्र में निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुषघाती कांड [डंठल] के द्वारा आंख में लगावे या—अहिताग्नि याज्ञिक को जला हुआ या जलता हुआ देखकर उसकी चिता की मरुम को स्वयं मृत पुरुष के कपड़ों में बांध कर अपने शरीर में बांधे तो छाया तथा रूप रहित होकर वह इधर उधर फिर सकता है। सांपकी धौकनी-

ब्राह्मण के मृतक संस्कार में मारीगई गौ की हड्डी चरबी से भरने पर पशुओं को और सांप के काटने से मरे मनुष्य की हड्डी चरबी से भरने पर मृगों को तथा इसी प्रकार प्रचलाक जंतु की धौंकनी उल्लू बगुली की पूंछ बँट घुटने की हड्डी आदि से भरने पर पक्षियों को अन्तर्धान कर देती है। अन्तर्धान करने के यही आठ तरीके हैं ।

१. (प्रस्वापन मंत्र)

बलिं वैरोचनं वन्दे शतमायं च शंबरम् ।
 भंडीरपाकं नरकं निकुम्भं कुंभ मेव च ॥
 देवलं नारदं वन्दे वन्दे सार्वणिंगालवम् ।
 एतेषा मनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 यथा स्वपन्त्यजगरास्वपन्त्यपि चमूखलाः ।
 तथा स्वपन्तु पुरुषा येच ग्रामे कुतूहलाः ॥
 भंडकानां सहस्रेण रथनेमिशतेन च ।
 इमं गृहं प्रवेक्ष्यामि तूष्णीमासन्तु भंडकाः ॥
 नमस्कृत्वा च मनवे बभ्वा शुनकफेलकाः ।
 ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥
 अद्वययनपारगस्सिद्धाः येच कैलास तापसाः ।
 एतेभ्यस्सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 अतिगच्छति चमर्यपगच्छंतु संहताः ।
 अलिते पलिते मनवे स्वाहा । *

* विरोचनके पुत्र बलि, सैबड़ों प्रकार की माया जानने वाले शंबर, भंडीरपाक, नरक, निकुम्भ, कुंभ, देवल, नारद, सार्वणि गालव, आदिको मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी कृपासे तुम लोगों को सुलादिया गया है। जिस प्रकार अजगर सांप सोते हैं उसी प्रकार—गांव के पहरेदार लोग कुत्ते तथा रथ के घोड़े सो जायें। मैं इस घरमें घुसता हूँ कि कुत्ते न भीकें तथा चुप बैठ जायें। कुत्तों को बांधने तथा मनुके नमस्कार करने के बाद मैं—स्वर्ग के देवों, मनुष्यों में ब्राह्मणों, अध्वयन में चतुर सिद्धों, कैलास पर रहने वाले तपस्वियों तथा संपूर्ण सिद्धों की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम लोग गाड़ी नींद में सो जाओ। चमरी बाहर निकाल आवे, संपूर्ण संप्र भाग जायें अलित पलित तथा मनु को स्वाहा।—

प्रस्थापन मंत्र का प्रयोग इस प्रकार करे। पुण्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशी में तीन दिन तक मत रखकर चांडाली के हाथ से उंगुलियों के नख खरीदे जाय। उनको उर्द के साथ मिला कर पिटारी में बंदकर दिया जाय और इसके बाद पिटारी को श्मशान में गाड़ दिया जाय। अगली चतुर्दशी में किसी कुमारी से खुदवा कर उस की गोलियां बनाई जाय। उपरिलिखित मंत्र पढ़कर वह गोली जिधर फेंकी जाय उधर लोग बेहोश हो जाते हैं। इसी प्रकार सही के तीन सफेद तथा तीन ही काले कांटे श्मशान भूमि में गाड़े जाय। दूसरी चतुर्दशी में उखाड़ कर इनको मुर्दे की राख के साथ उपरिलिखित मंत्र के द्वारा फेंकने पर सब जीव जंतु सोने लगते हैं।

२. [प्रस्थापन मंत्र]

सुवर्णं पुण्यां ब्रह्मणीं ब्रह्माणं च कुशध्वजम् ।

सर्वांश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वांश्च तापसान् ॥

वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः ।

वंश वैश्याश्च शूद्राश्च वशतां यांतु मे सदा ॥

स्वाहा अमिले किमिले वयुजारे प्रयोगे फके कवयुग्मे विहाले
दन्त कटके स्वाहा ।

सुखं स्वपंतु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।

श्वेधाविधः शल्यकं चैतत्त्रिभूतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥

प्रसुप्तास्सर्वासिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम् ।

याव द्रामस्य सीमन्तः सूर्यस्थोद्रमनादिति ॥

स्वाहा । *—*

•• भण भाणी के फूलवाली ब्राह्मणी, कुशाकीर्णजाबाले ब्रह्मा, संपूर्ण देवता तथा तपस्वी आदियों को नमस्कार करके प्रार्थना करता है कि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय तथा वैश्य मेरे वश में आजायें। अमिल, किमित, वयुजार, प्रयोग, फक, कवयुग्म, बिहाल, दन्त कटक आदिको स्वाहा। गांवका पहरा देने वाले शुक्ल से जाय। से भी के तीन सफेद कांटे ब्रह्मा ने बनाये हैं। संपूर्ण सिद्ध संग्रह हैं और उन्होंने सूर्य के उदय होने से पूर्व पूर्ब तक गांव की सीमा में रहने वाले संपूर्ण लोगों को मुक्त किया है।

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । सात दिन तक व्रत रख कर कृष्ण चतुर्दशी में सही के तीन सफेद कांटों तथा (पर की १०८ समिधाओं) के साथ हवन करे । इन में से किसी एक मंत्र को पढ़ कर जिस किसी एक गांव या मकान के दरवाजे पर खोदा जाता है तो वहां के सब लोग सो जाते हैं ।

३. (प्रस्वादन मंत्र)

बलिं विरोचनं वन्दे शतमायं च शंवरम् ।

निकुंभं नरकं कुंभं तन्तु कच्छं महासुरम् ॥

अमालव्यं प्रमीलं च मंडोलूकं घटोद्वलम् ।

कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीचं यशस्विनीम् ।

अभिमन्त्रय्य गृह्णामि सिद्धार्थं शवशारिकाम् ॥

जयन्तु जयति च न मः शलकभूतेभ्यः स्वाहा ।

सुखं स्वपंतु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥

सुखं स्वपंतु सिद्धार्था यमर्थं मार्गयामहे ।

यावदस्तामयादुदयो यावदर्थं फलं मम ॥

इति स्वाहा । *

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । चार रात तक व्रत करने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पशु को मारकर चढ़ावे और मरी हुई मैना को पत्तल में बांधकर सही के कांटे से उपरिलिखित यंत्र पढ़कर जिस स्थान में इस में छेद करे उस स्थान के सब लोग सो जाते हैं ।

१. [द्वारावाह मंत्र]

उपैमि शरणं चाग्निं दैवतानि दिशोऽदश ।

अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यांतु मे सदा ॥ स्वाहा । †

* विरोचन के पुत्र वाले, सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शंवर, निकुंभ, नरक, कुंभ, तन्तु कच्छ, महासुर, अमालय, प्रमील, मंडोलूक, घटोद्वल, कृष्ण, यशस्विनीपौलोमी आदि का मन्त्र जपकर सिद्धि के लिये मरी हुई मैना को ग्रहण करता है । शलक भूतों को स्वाहा तथा नमस्कार ।

गांव के पहरा रखने वाले कुले सोजाय । सिद्ध लोग, गाड़ी नौद में लीन होजाय । सूर्य के उदय होने तक मेरा वह कार्य सिद्ध होजाय जिस कार्य के लिये मैं यत्न कर रहा हूँ ।

† अग्नि, दश दिशाओं के देवताओं के देवताओं की शरण में हूँ सब लोग भाग जाय तथा मेरे वश में आजाय । स्वाहा ।

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । तीन रात तक व्रत रखने के बाद शकर के बीस लहड्ड बनावे और शहत तथा घी के साथ हवन में डाले । इस के बाद लहड्डों की गन्ध तथा माला से पूजा करे । और उनको जमीन में गाड़ दे । पुष्य के द्वितीय दिन में लहड्ड निकाल कर उपरिलिखित मंत्र पढ़े और एक लहड्ड तो किवाड़े पर मारे और चार मकान के अन्दर फेंक दे । दरवाजा अपने आप खुल जायगा ।

चार रात तक व्रत रखने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पुरुष की हड्डी से बैल बनावे । उपरिलिखित मंत्र पढ़ें । इस से दो बैल लगी गाड़ी सामने आजायगी । चढ़ते ही वह आकाश में चली जायगी । इस प्रकार सूर्य मंडल के विषय में सब कुछ बता सकता है ।

(तालोद्घाटन प्रस्वापन मंत्र)

चांडाली कुंभ निकुम्भ कटुक साराधः सनीरभिगोऽसि स्वाहा ।
इस मंत्रको पढ़ने से ताले टूट जाते हैं । और घरके लोग सो जाते हैं ।

तीन रात दिन तक व्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में—शस्त्र से मारे या फांसी पर लटकाये मनुष्य के मिरके खप्पर में मट्टी भरकर, सोमलता लगाई जाय और उसको पानी से सींचा जाय । जो बैल लगे उसको पुष्य नक्षत्र में ही काटाजाय और उसकी रस्सी बंटी जाय । ज्यावाले धनुषों तथा यंत्रों के सामने इसको तोड़ते ही उनकी ज्या टूटजाती है । स्त्री या पुरुष की उष्णसमृत्तिका [फूँकी हुई मट्टी] से, पानी से भरी साँप की धौकनी को, भरते ही दूसरे की नाक सूजकर आगे बढ़जाती है । मुँह तथा मकान के संबंध में भी यही जन्म मन्त्र किया जाता है । यदि धौकनी सुअर तथा हाथी की हो और उसको मट्टी से भरकर बन्दर की आंतड़ी में बांधा जाय तो शरीर लंबाई चौड़ाई में कहीं का कहीं पहुँच जाता है अनाह ।

यदि कोई शस्त्र से मरी भूरी गौ के पिच्छ में कृष्णचतुर्दशी के अन्दर—अमलतास की बनी बुद्धमन की मूर्ति को डुबावे तो शत्रु अंधा होजाता है । यदि कोई चार रात व्रतरखकर बकरा भेड़ आदि देवता पर कृष्णचतुर्दशी में चढ़ावे और फांसी पर लटकाये आदमी की

हड्डियों की कीलें बनावे और इनमें से किसी एक को जिस किसी के पाखाने पेशाब के गढ़े में बन्द करदे तो उसका शरीर फूलजाता है। यदि यही बात पैर या आसन में कीजाय तो मनुष्य राज्यदमा से मृत्यु को प्राप्त होजाय। दुकान मकान या रेत में यही करने पर मनुष्य की आजीविका बन्द होजाती है। बिजली से जली लकड़ी की राख को लेपकर जो कीलें बनाई जाती हैं उनका अनुमान भी इसीसे करलेना चाहिये।

दक्षिणी गदा पूरना, † नींव मुलहटी, बन्दर का रोमा, मनुष्य की हड्डी इन चीजों को कफन के कपड़े में बांध कर जिस के घर में गाड़ा जाय या जो मनुष्य इन के ऊपर पैर रखकर निकल जाय वह स्त्री बालबच्चे धन धान्य सहित, तीन पक्ष के भीतर भीतर ही नाश को प्राप्त होजाय। इसी प्रकार दक्षिणी गदा पूरना, नींव, मुलहटी, किवा च ‡ तथा मनुष्य की हड्डी जिस के पैर में गड़ जाय या घर सेना गांव तथा शहर के बाहर गाड़ी जाय तो लोग स्त्री बाल बच्चे धन धान्य सहित तीन पक्ष के भीतर ही नाश को प्राप्त हो जाय। चंडाल ब्राह्मण, कउआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के बाल जिसके पाखाने में मिला दिये जाय वह शीघ्र ही कराल काल का प्रास हो जाय। मुँदेकी माला धोवन न्युवले के बाल बिच्छू बूटी तथा अहिकृत्ति जिसके पैर में गड़जाय उसकी तबतक सूरत बदली रहे जबतक कि उनको उसके पैर से बाहर न निकाल दिया जाय।

यदि तीन रात तक व्रत रखने के बाद पुण्य नक्षत्र में फांसी पर चढ़े या शस्त्र से मारे पुण्य की खोपड़ी में घुंची बोई जाय और उसको पानी से सींचा जाय और पुण्य योगिनी अमावास्या या पूर्णिमा में घुंची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाय तो उस पर रखे भोजन आदि से परिपूर्ण वर्त्तन नष्ट नहीं होते।

“पुनर्वमवा चीनम” इसका अर्थ दक्षिणी गदा पूरना है। यह एक औषध है जो कि पन्सारियों के मिलजाती है। डाक्टर शामशास्त्री ने इसका अर्थ “नख” कर दिया है जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने स्वयं ही प्रश्न के चिन्ह से सूचित किया है कि यह अर्थ हम से नहीं लगा है।

‡ इसमें स्वयंगुप्ता का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने छोड़ दिया है। स्वयंगुप्ता का हिंदी नाम किंवाच है। यह पन्सारियों के यहाँ मिल जाती है।

रातमें जब कभी कोई बड़ा तमाशा निकले तो मरी हुई गाय के धनों को काटकर जलती आग में भूना जाय, भुने हुए को भेड़ के पेशाब में पीसा जाय और पिसे हुए को नये घड़े के अन्दर लेपा जाय। ऐसे घड़े को गांव के बाई ओर से लेजाकर जहां कहीं रख दिया जाय तो गांव का सारा-का सारा मक्खन-चाहे वह कहीं पर क्यों न रखा हो--इसी के अन्दर आजाता है। पुष्य योगिनी कृष्ण चतुर्दशी में कुत्ते की योनि में लोहे की मुद्रिका [अंगूठी] डाली जाय और जब वह अपने आप बाहर निकल पड़े तो उसको उठाएं। इसके द्वारा वृद्धों के फल जहां चाहें वहां पुकारते ही अपने आप आजाते हैं।

मंत्र, भैषज्य योग तथा माया से संबंध रखने वाले उपायों से दुश्मनों को मारा जाय और अपनी रक्षा की जाय।

१७६ प्रकरण।

शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण।

अपने पक्ष के लोगों पर शत्रु जब जहरों का प्रयोग करे तो उनका प्रतीकार इस प्रकार किया जाय।

लसोड़ा, कैथा, जमालगोटे की जड़, जमीरानि बुआ शिरीष, पाढ़ई, बटियारा, बीजबंद, गदापूर्णा, सफेद अपराजिता, बरना, इनके काढ़े को लाल चन्दन तथा सालावृक्षी के खून से मिलाकर जो तेजाब बनाया जाय वह राजा के उपयोगी चीजों मकानों स्त्रियों तथा सेनाओं पर प्रयोग किये गये जहर को दूर करता है। मृग, न्युअला, नीलकंठ, गोह, स्याही, राई, संभालू, बरना, इन्द्रासन, चौराई, शतावर तथा पिंडीतक का योग (चूर्ण या दवाई बनी हुई) मैनफल के दोषों को दूर करता है। यही बात-स्यार की लेंड, मैनफल, संभालू, तगर, बरना तथा सोमलता की जड़—इसमें से कुछ एक के या सभी के काढ़े को दूध के साथ पीने से होती है। नाटे काटेक रंज (कैडर्य पूति) का तेल उन्माद को दूर करता है। फूल प्रियंगु तथा नक्रमाल की बनी नकलिकनी काढ़ को नष्ट करती

है । कूठ तथा लोध का चूर्ण पकने तथा सूजने [पाक शोष] को दूर करता है । कट फल, द्रवन्ति [जमालगोटे का एक भेद] तथा वाय-विडंग की बनी नकछिकनी सिर की संपूर्ण बिमारियों के लिये राम बाण है । फूलप्रियंगु, मंजीठ, तगर, लाख, मुलहठी, हल्दी तथा शहत् का योग [रसादन] रस्सी, पानी, जहर, चोट तथा गिरपड़ने से उत्पन्न हुई बेहोशी को दूर करता है । मनुष्यों को अक्षमात्र [कर्षमात्र, रुपयाभर] गउओं तथा घोड़ों को दुगुना और हाथियों तथा ऊंटों को चौगुना देना चाहिये । रुक्मगर्भ [जिसके अन्दर से रोशनी निकले] मणि संपूर्ण विषों को दूर करती है । जीवन्ती, अपराजिता, मोखा का फूल तथा बांदा के बीच में पैदा हुए पीपल की मणि संपूर्ण विषों का नाश करती है ।

यदि इनके लेप को तुर्ही पर लगाया जाय तो उससे निकला शब्द जहर को नष्ट करदेता है । यदि इसको भंडे पर लेपा जाय तो जो लोग उसको देखें वह निर्विष [जहर रहित] होजाय । राजा को चाहिये कि वह उपरिलिखित तरीकों से अपने सैनिकों की रक्षा करे और जहर धुआं तथा दूषित पानी का शत्रुओं पर प्रयोग करे ।

१५ अधिकरण ।

तन्त्र युक्ति ।

१८०- प्रकरण ।

शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति ।

मनुष्यों की वृत्ति तथा मनुष्य युक्त भूमि का नाम अर्थ है । भूमि के लाभ तथा पालन के उपाय को प्रगट करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं । उसके प्रतिपादन की—१ अधिकरण, विधान ३ योग ४ पदार्थ ५ हेत्वथ ६ उद्देश ७ निर्देश ८ उपदेश ९ अपदेश १० अतिदेश ११ प्रदेश १२ उपमान १३ अर्थापत्ति १४

संशय १५ प्रसंग १६ विपर्यय १७ वाक्यशेष १८ अनुमत १९ व्याख्यान, २० निर्वचन, २१ निदर्शन, २२ अपवर्ग, २३ स्वसंज्ञा, २४ पूर्वपक्ष, २५ उत्तरपक्ष, २६ एकान्त, २७ अनागतावेक्षण, २८ अतिक्रान्तावेक्षण, २९ नियोग, ३० विकल्प, ३१ समुच्चय तथा ऊह्य—निम्नलिखित बर्त्तास युक्तियाँ हैं।

१. अधिकरण । जिस विषयको लेकर प्रारंभ किया जाय उसको अधिकरण कहते हैं। दृष्टान्त स्वरूप—“पृथिवी के लाभ तथा पालन के संबंध जितने अर्थशास्त्र पूर्वाचार्यों ने बनाये उनको एकत्रित कर तथा संक्षिप्त कर यह एक अर्थशास्त्र बनाया गया है” इत्यादि।

२. विधान । प्रकरणानुसार शास्त्र का वर्णन करना विधान कहलाता है। दृष्टान्त स्वरूप “विद्याविषयक विचार, वृद्धसंयोग, इन्द्रिय जय, अमात्योत्पत्ति” इत्यादि।

३. योग । “यह ऐसा है या इस प्रकार का है” इत्यादि विशेषणों से वाक्य को जोड़ने को योग कहते हैं। दृष्टान्त स्वरूप “चारों बरों से युक्त लोग” इत्यादि।

४. पदार्थ । पद तथा उसके अर्थ का नाम पदार्थ है। दृष्टान्त स्वरूप “मूलहर” यह पद है। “जो बाप दादे की संपत्ति को अभ्याय से उड़ादे या जप्त करले उसको मूलहर कहते हैं” इस प्रकार व्याख्या करने का नाम अर्थ है।

५. हेत्वर्थ । प्रतिपादित विषय को पुष्ट करने वाले हेतु को हेत्वर्थ कहते हैं। जैसे “धर्म तथा काम अर्थपर ही निर्भर हैं” इत्यादि।

६. उद्देश । संक्षेप से एक बात कहने को उद्देश कहते हैं। जैसे “इन्द्रिय जयपर विद्या तथा विनय निर्भर है”।

७. निर्देश । समस्त शब्दों के द्वारा बात कहने को निर्देश कहते हैं। जैसे “कान त्वचा आंख जीभ तथा नाक शब्द स्पर्श रूप रस गन्नादियों को और न झुकने का नाम इन्द्रियजय है”। इत्यादि।

८. उपदेश । 'यह करना चाहिये' इस ढंग पर कहने का नाम उपदेश है । जैसे 'धर्म तथा अर्थ के अनुसार काम की सेवा करे । कष्ट न उठावे' । इत्यादि ।

९. अपदेश । दूसरे के विचारों के देने का नाम अपदेश है । "मनुसंप्रदाय के लोग कहते हैं कि मन्त्रि परिषद् १२ अमात्यों की होनी चाहिये । बार्हस्पत्य १६ और औशनस २० अमात्यों के पक्ष में हैं । कौटिल्य का मत है कि सामर्थ्य के अनुसार ही संख्या होनी चाहिये" इत्यादि ।

१०. अतिदेश । उक्त बात से किसी बात को सूचित करना अतिदेश कहाता है जैसे "दत्त वस्तु के न देने के सम्बन्ध में श्रृणादान विषयक नियम ही लगते हैं" इत्यादि ।

११. प्रदेश । वक्तव्य [आगे कही जाने वाली] बात से किसी बात को सूचित करना प्रदेश कहाता है । जैसे "साम दान भेद दंड के द्वारा वैसा करना चाहिये जैसाकि आपत्ति प्रकरण में कहा जायगा" ।

१२. उपमान । इष्ट से अदृष्ट का साधन उपमान कहाता है । जैसे "जिन के राज्यकर मुक्त होने का समय खतम होगया हो उन पर पिता के सदृश अनुग्रह करे" इत्यादि ।

१३. अर्थापत्ति । अर्थात् करके अनुक्त बात को जानना अर्थापत्ति कहाता है । जैसे "संसार के व्यवहार में कुशल लोग इष्ट-मित्रों के द्वारा शक्तिशाली राजा के पास पहुंचे । अर्थात् अनिष्ट लोगों के द्वारा उसके पास न पहुंचे वह तो इसी से निकल आया ।" इत्यादि ।

१४. संशय । एक ही बात जब दो ओर एक सदृश लगे तो उसको संशय कहते हैं । जैसे "श्रीण तथा लुब्ध प्रकृति वाले तथा अपचरित प्रकृति [जिस की प्रकृति अत्याचार से पिसी आरही हो] वाले राजा में से पहिले किस पर आक्रमण किया जाय" इत्यादि ।

१५. प्रसंग । प्रकारान्तर से किसी बात का किसी के समान

प्रगट करने का नाम प्रसंग है। जैसे 'कृषिकर्म के लिये दी गई भूमि में पूर्ववत् नियम समझना चाहिये'। इत्यादि।

१६. विपर्यय विपरीत बात से पुष्ट करने का नाम विपर्यय है। जैसे "जो राजा अप्रसन्न हो उसके इस से विपरीत चिन्ह है"। इत्यादि।

१७. वाक्यशेष। जिस बात से वाक्य समाप्त होता हो उसको वाक्य शेष कहते हैं। जैसे "पंख हीन की तरह राजा की गति नष्ट हो जाती है। इस में 'पक्षि' यह वाक्यशेष है।

१८. अनुमत। अप्रतिपिद्ध पर-वाक्य को अनुमत कहते हैं। जैसे "श्रीशान्त के अनुसार—पक्ष, अग्रभाग तथा संरक्षित भाग—व्यूह के यह तीन विभाग हैं"। इत्यादि।

१९. व्याख्यान। विशेष रूप से कहने का नाम व्याख्यान है। जैसे "राज्य संघों तथा राज्य संघों के सदृश शासन करने वाले राजकुलों का श्रुत निमित्तक भगड़ा तथा एक दूसरे का नाश बहुत ही बुरा है। जुआ सब व्यसनों में बुरा व्यसन है क्योंकि इस से राजा निःशक्त होजाता है" इत्यादि।

२०. निर्वचन। गुण दिखाकर शस्त्र की व्याख्या करने का नाम निर्वचन है। जैसे "राजा को कल्याण मार्ग से दूर फेंकने व्यस्यति इति व्यसन] के कारण ही व्यसन को व्यसन कहा जाता है"। इत्यादि।

२१. निदर्शन। दृष्टान्त युक्त दृष्टान्त को निदर्शन कहते हैं। "बड़े के साथ लड़ना ऐसा ही है जैसा कि नीचे खड़े होकर हाथी पर चढ़े आदमी से लड़ाई करना"। इत्यादि।

२२. अपवर्ग। अनिष्ट बात को पृथक् करने का नाम ही अपवर्ग है जैसे "दुश्मन की सेना को अपनी सरहद पर रहने दे बशर्तकि देश में गदर होने की संभावना न हो"। इत्यादि।

२३. स्वसंज्ञा। अन्य लोगों से भिन्न अर्थ में शब्द के प्रयोग करने को स्वसंज्ञा कहते हैं। जैसे "विजिगीषु के राष्ट्र के पास

जो राष्ट्र हो उसको प्रथमा प्रकृति उस राष्ट्र के बाद का जो राष्ट्र हो उसको द्वितीया प्रकृति और जो इस के भी बाद हो उस को तृतीया प्रकृति कहते हैं । इत्यादि ।

२४. पूर्वपक्ष । प्रतिपेक्ष्य वाक्य को पूर्वपक्ष कहते हैं । जैसे “स्वामी तथा अमात्य सम्बन्धी विपत्ति में अमात्य सम्बन्धी विपत्ति ही भयंकर है” । इत्यादि ।

२५. उत्तरपक्ष । निर्णय करने वाले वाक्य को उत्तरपक्ष कहते हैं । जैसे “राजा सम्बन्धी विपत्ति ही भयंकर है । क्योंकि राजा पर ही संपूर्ण बातें निर्भर हैं । राजा ही संपूर्ण बातों का केन्द्र है” । इत्यादि ।

२६. एकान्त । सब अवस्थाओं में एक सट्टा लगने वाले नियम को एकान्त कहते हैं । जैसे “राजा को सदा ही तैय्यार रहना चाहिये” इत्यादि ।

२७. अनागतावेक्षण । आगे कही गई बात की ओर ध्यान खींचने का नाम अनागतावेक्षण है । जैसे “तराजू तथा बट्टे के विषय में पौतवाध्यक्ष के प्रकरण में कहा जायगा” । इत्यादि ।

२८. अतिक्रान्तावेक्षण । पीछे कही गई बात की ओर ध्यान खींचने का नाम अतिक्रान्तावेक्षण है । जैसे अमात्यों का गुण पूर्व में ही कहे जा चुके हैं” । इत्यादि ।

२९. नियोग । ऐसा कहना चाहिये । ऐसा न कहना चाहिये इस ढंग की बात को नियोग कहते हैं । जैसे “धर्म तथा अर्थ की बात कहे । अधर्म तथा अनर्थ की बात न कहे” । इत्यादि ।

३०. विकल्प । विकल्प इससे या उससे इस ढंग की बात कहना विकल्प कहाता है । जैसे “या धार्मिक विवाह से उत्पन्न लड़कियां” ।

३१. समुच्चय । इसके लिये तथा उसके लिये इस ढंग पर कहने का नाम समुच्चय है । पिता तथा बन्धुओं के लिये वही दायदा है जो कि धर्म विवाह से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ हो ।

३२. उह्य। अनुक्त बात को सोच लेना उह्य कहते हैं । जैसे "कुशल लोग उसी ढंग पर निर्णय करें । जिससे दाता तथा प्रति गृहीता को नुकसान न पहुंचे । इत्यादि ।

इस प्रकार बत्तीस युक्तियों के द्वारा यह अर्थ शास्त्र लिखा गया है । यह इसलोक तथा परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा में समर्थ करता है । धर्म अर्थ तथा काम को प्रवृत्त करता है तथा वचाता है आर अधर्म अनर्थ तथा विद्वेष को नष्ट करता है । जिसने नन्दराज के हाथ में गई हुई भूमि के साथ शास्त्र तथा शस्त्र का उद्धार किया उसीने इस शास्त्र का भी निर्माण किया है ।



चाणक्य के सूत्र ।

१. सुख का मूल धर्म है ।
२. धर्म का मूल अर्थ है ।
३. अर्थ का मूल राज्य है ।
४. राज्य का मूल इन्द्रिय जय है ।
५. इन्द्रिय जय का मूल विनय या शिक्षण है ।
६. विनय का मूल वृद्धों की सेवा है ।
७. वृद्ध सेवा से ज्ञान बढ़ता है ।
८. ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है ।
९. आत्मा के ज्ञान से आत्म शक्ति प्राप्त होती है ।
१०. आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त होजाते हैं ।
११. अर्थशक्ति से प्रकृति प्राप्त होती है ।
१२. प्रकृति के प्राप्त होने पर विघ्नों से परिपूर्ण राज्य का भी संचालन होजाता है ।
१३. प्रकृति का विद्रोह तथा कोप सब कोपों से भयंकर है ।
१४. अशिक्षित तथा अविनीत राजा से न राजा का होना ही उत्तम है ।
१५. संपत्ति के दिनों में सहायता प्राप्त करते हुए आत्मशक्ति को बढ़ाव ।
१६. सहायता से हीन राजा का विचार कार्य में परिणत नहीं होता ।
१७. अकेला पहिया गाड़ी नहीं चलाता ।
१८. सहायक वही है जो कि सुख दुख का साथी हो ।
१९. मानी अपने ही समान दूसरे मानी से मन्त्र या सलाह मश्वरा करे ।
२०. अविनीत से प्रेम में आकर कभी भी सलाह न ले ।
२१. राज्यभक्त बुद्धिमान् व्यक्ति को मन्त्री बनावे ।
२२. सलाह मश्वरे के बाद ही संपूर्ण काम शुरू करने चाहिये ।

२३. मन्त्र की रक्षा में ही कार्यसिद्धि होती है ।
२४. जो मन्त्र प्रकाशित करता है वही सब काम बिगाड़ देता है ।
२५. प्रमाद से राजा शत्रुओं के वशमें आजाता है ।
२६. सब तरीके से मन्त्र की रक्षा करनी चाहिये ।
२७. मन्त्र की रक्षा से राज्य की वृद्धि होती है ।
२८. मन्त्र की रक्षा सबसे उत्तम काम है ।
२९. कार्य से अंधे मनुष्य को सलाह तथा मंत्र प्रकाश देता है ।
३०. मन्त्ररूपी आंख से दूसरे के दोषों को देख सकता है ।
३१. मन्त्र के समय में इर्ष्या द्वेष न करना चाहिये ।
३२. जिस बात में तीन की एक संमति हो वही ठीक है ।
३३. मन्त्री वही हैं जो कि कार्य तथा अकार्य को देखसकें ।
३४. छुः कानों के बीच में पड़ी बात फूट जाती है ।
३५. विपत्ति में जो प्यार करे वही मित्र है ।
३६. मित्र की प्राप्ति से बल बढ़ता है ।
३७. शक्ति संपन्न नई २ चीजों के प्राप्त करने का यत्न करे ।
३८. आलसी नई चीजों को नहीं प्राप्त करते ।
३९. आलसी प्राप्त वस्तु की भी रक्षा नहीं कर सकते ।
४०. आलसियों की सुरक्षित चीज़ बढ़ती नहीं है ।
४१. नौकरों को आलसी काम पर नहीं लगा सकते ।
४२. नई वस्तु का चौथाई राज्य का भाग है ।
४३. नीतिशास्त्र का आधार राजा पर है ।
४४. तन्त्र तथा आवाप राजा पर निर्भर है ।
४५. तन्त्र का संबंध अपने विषय के प्रतिपादन से है ।
४६. विषय का कार्यरूप में परिणत होना (आवाप) मंडल पर निर्भर है ।
४७. मंडल संधिविश्रह का निश्चय करता है ।
४८. राजा वही है जोकि नीति शास्त्र के अनुसार काम करे ।
४९. शत्रु वही है जिसका स्वभाव न मिलता हो ।
५०. मित्र वही है जिसका हृदय मिलता हो ।
५१. कारण से ही मनुष्य शत्रु तथा मित्र होजाते हैं ।

५२. कमजोर मनुष्य सन्धि करले ।
५३. तेज से ही अर्थ जुटते हैं ।
५४. ठंडा लाहा गर्म से नहीं जुड़ता है ।
५५. बलवान् हीनशक्ति से लड़ाई छेड़ ।
५६. बलवान् अपने से बलवान् या समान से लड़ाई न करे ।
५७. हाथी से लड़ने के सदृश हो बलवान् मनुष्य के साथ कमजोर मनुष्य को लड़ाई है ।
५८. कच्चा वर्तन भट से टूट जाता है ।
५९. दुश्मन के कामों की देख रेख रखें ।
६०. या एक ओर से संधि करले ।
६१. दुश्मन की दुश्मनी से अपने आपको बचावे ।
६२. यदि कमजोर हो तो ताकतवर का सहारा ले ।
६३. जो कमजोर का सहारा लेता है वह पीछे से तकलीफ उठाता है ।
६४. राजा को आग समझकर उसके पास रहे ।
६५. राजा के प्रतिकूल काम न करे ।
६६. बहुत सज्जधज के साथ न रहे । या चटकीला भड़कीला कपड़ा न पहिने ।
६७. देवताओं की लीला न करे ।
६८. एक दूसरे के साथ बढ़ाचढ़ी करनेवालों को आपस में फाड़दे ।
६९. तकलीफ में पड़े हुए मनुष्य की कार्यसिद्धि नहीं होती ।
७०. चतुरंग सेना होतेहुए भी भोग बिलास में मस्त राजा नष्ट होजाता है ।
७१. जुआरी राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता ।
७२. शिकार के शौकीन राजा का धर्म तथा अर्थ नष्ट होजाता है ।
७३. अर्थ की इच्छा व्यसनों में नहीं गिनीजाती ।
७४. कामी राजा का काम सिद्ध नहीं होता ।
७५. गाली देना आग के जलाने से बढ़कर है ।
७६. गालीदेने से मनुष्य सबका अप्रिय होजाता है ।
७७. संतुष्ट व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती ।

७८. अमित्र के साथ दंडनीति के काम में लावे ।
७९. दंडनीति के सहारे ही राजा प्रजा की रक्षा करता है ।
८०. दंडनीति समृद्धि को बढ़ाती है ।
८१. दंड के अभाव में मन्त्रि गड़ बड़ करने लगते हैं ।
८२. दंड के डरसे वह गड़ बड़ नहीं करते ।
८३. दंड पर ही आत्म रक्षा निर्भर है ।
८४. अपनी रक्षा में ही सब की रक्षा है ।
८५. अपने पर ही वृद्धि तथा नाश निर्भर है ।
८६. समझ बूझकर दंड का प्रयोग करना चाहिये ।
८७. दुर्बल राजा का भी अपमान न करना चाहिये ।
८८. आग भी कभी जलाने में अशक्त हुई है ।
८९. दंड द्वारा ही प्रवृत्ति का पता चलता है ।
९०. अर्थ की प्राप्ति प्रवृत्ति पर निर्भर है ।
९१. अर्थ पर धर्म तथा काम का आधार है ।
९२. अर्थपर ही संपूर्ण कार्य अवलंबित है ।
९३. अर्थ के कारण कम मेहनत से ही काम सिद्ध होजाता है ।
९४. उपाय करने पर कोईभी काम कठिन नहीं रहता ।
९५. उपाय न करने पर किया भी काम नष्ट होजाता है ।
९६. काम करने वालों का उपाय ही एकमात्र सहारा है ।
९७. पुरुषार्थ से सोचा हुआ काम सिद्ध होजाता है ।
९८. भाग्य पुरुषार्थ के पीछे ही चलता है ।
९९. भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता ।
१००. जो ध्यान नहीं देता उसकी कोई वृत्ति नहीं ।
१०१. सोचने के बाद काम करे ।
१०२. काम में देरी न करे ।
१०३. चंचल चित्त वालों का काम पूरा नहीं होता ।
१०४. हाथ में आई चीज को छोड़ने से कार्य का व्यतिक्रम हो जाता है ।
१०५. दोष रहित कामों को किया जाय ।
१०६. विघ्नयुक्त कामों को न करे ।

१०७. समय को पहिचानने वाला कार्य को पूरा करेलाता है ॥
 १०८. देरी करने से देरी हो काम को बिगाड़ देती है ॥
 १०९. सब कामों में क्षण भी वृथा नष्ट न करे ।
 ११०. देश तथा फल को समझ कर काम शुरू करे ।
 १११. भाग्य बिना आसान काम भी कठिन होजाता है ।
 ११२. नीतिज्ञ देश तथा काल को देखता रहे ।
 ११३. समझ वृद्धकर काम करने वालों के पास लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है ।
 ११४. सब उपायों से संपूर्ण संपत्तियों को एकत्रित करे ।
 ११५. बिना समझ वृद्धकर काम करने वाले भाग्यवादी का लक्ष्मी साथ नहीं देती ।
 ११६. ज्ञान तथा अनुमान से परीक्षा करनी चाहिये ।
 ११७. जो जिस काम में चतुर हो उसको उसी काम में लगाया जाय ।
 ११८. उपायज्ञ दुःसाध्य को भी सुसाध्य करेलाता है ।
 ११९. अज्ञानों के द्वारा किये गये अपराध को बहुत न माने ।
 १२०. याहचिह्नक होने से कौड़ा भी नये नये रूपों को धारण करता है ।
 १२१. काम के सिद्ध होने पर ही उसका प्रकाश कियाजाय ।
 १२२. दैव तथा मानुष्य दोषसे ज्ञानियों के कामभी बिगड़ जाते हैं ।
 १२३. शान्ति विषयक कामों से दैव का प्रतिषेध कियाजाय ।
 १२४. मानुषी कार्य विपत्ति को चतुराई से दूरकरे ।
 १२५. बेवकूफ लोग काम बिगड़नेपर दूसरे के दोषों को दिखाते हैं ।
 १२६. काम करवाने वाले को बहुत उदारता न करनी चाहिये ।
 १२७. भूखा बछला मा का थन काटता है ।
 १२८. सुंस्ती से काम बिगड़ जाता है ।
 १२९. भाग्यवादियों का काम सिद्ध नहीं होता ।
 १३०. मतलबी लोग आश्रित लोगों का पोषण नहीं करते ।
 १३१. जो काम न देखे वह अंधा है ।
 १३२. प्रत्यक्ष परोक्ष तथा अनुमान से कामों को देखें ।

१३३. वे विचारे काम करने वाले को लक्ष्मी छोड़देती है ।
१३४. सोच समझ कर विपत्ति को तरना चाहिये ।
१३५. अपनी शक्ति को देखकर काम शुरूकरे ।
१३६. घर के लोगों को खिलाकर जो खाय वही अमृतभोजी है ।
१३७. संपूर्ण अनुष्ठानों से अमदनी के रास्ते बढ़जाते हैं ।
१३८. भोर को कार्य की चिंता नहीं होती ।
१३९. कार्यार्थी लोग स्वामी के स्वभाव को जान कर कार्य को सिद्ध करते हैं ।
१४०. स्वभावज्ञ ही गौ के दूध का उपभोग करते हैं ।
१४१. समर्थ व्यक्ति क्षुद्रव्यक्ति पर गुप्त बात को न प्रगट करे ।
१४२. आश्रित लोग भी कोमल स्वभाव वाले की पराह नहीं करते हैं ।
१४३. तीक्ष्ण शासक से सभी घबड़ाते हैं ।
१४४. उचित शासक होना चाहिये ।
१४५. समर्थ हीन बुद्धिमान की भी लोग बात नहीं मानते ।
१४६. ज्यादा भार से पुरुष सदा के लिये बैठ जाता है ।
१४७. जो सभा में किसी के दोष को कहता है वह एक प्रकार से अपने दोष की प्रख्याति करता है ।
१४८. समर्थ लोगों का कोप समर्थों को ही नष्ट करता है ।
१४९. सबे लोगों के लिये कोई भी वस्तु अप्रप्य नहीं है ।
१५०. साहस करने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता ।
१५१. प्रवेश न होने से कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रायः भूल जाता है ।
१५२. समय खराब करने में कोई चीज बाधक नहीं है ।
१५३. अनिश्चित नाश वाला कार्य निश्चित नाश वाले कार्य से उत्तम होता है ।
१५४. दूसरे के धन को गिरो रखने में निक्षेपा का ही स्वार्थ है ।
१५५. दान ही सब से बड़ा धर्म है ।
१५६. भले मानुषों के पास पहुंच कर बुरी बात बुरी बात नहीं रहती ।
१५७. जो धर्म तथा अर्थ को न बढ़ावे वही काम है ।
१५८. अनर्थ का सेवन करने वाला उन से भिन्न होता है ।

१५६. लोगों में सीधे आदमी कम हैं ।
 १६०. बेइज्जती से मिले धन को सज्जन लोग नहीं लेते ।
 १६१. एक दोष अनक गुणों को नष्ट कर देता है ।
 १६२. महात्मा लोगों को दूसरे के साथ साहस न करना चाहिये ।
 १६३. रीति रिवाज को कभी भी न तोड़े ।
 १६४. शेर भूखा भी होकर घास नहीं खाता ।
 १६५. प्राण चाहे चले जाय परन्तु दूसरे के साथ विश्वास घात न किया जाय ।
 १६६. कमीने धोता को स्त्री तथा बालक भी छोड़ देते हैं ।
 १६७. बालक से भी मतलब बात ले लेवे ।
 १६८. ऐसा सत्य न बोले जिस पर लोगों की श्रद्धा न होवे ।
 १६९. धोड़े से दोष के होने से गुणियों का त्याग न करना चाहिये ।
 १७०. बुद्धिमानों में भी दोषों का पैदा होजाना आसान है ।
 १७१. कोई भी रत्न ऐसा नहीं है जो कि तोड़ा तथा काटा न गया हो ।
 १७२. मर्यादा तोड़ने वाले व्यक्तियों पर विश्वास न करे ।
 १७३. अप्रिय व्यक्ति प्रिय बात किये जाने पर भी द्वेष करते रहते हैं ॥
 १७४. मुर्की हुई भी तुला कोटि कुएं के पानी को सुखा देती है ॥
 १७५. बुद्धिमानों की बात का अनादर न करे ॥
 १७६. गुणवालों के आश्रय से निर्गुण भी गुणी हो जाते हैं ॥
 १७७. दूध में मिला पानी दूध ही होजाता है ॥
 १७८. मिट्टी के बर्तन में पाटलो की गंध आती है ॥
 १७९. चांदी सोने के साथ मिला कर सोना होजाती है ॥
 १८०. बेवकूफ लोग उपकार करने वाले का अपकार करते हैं ॥
 १८१. पापियों को बदनामी का कुछ भी भय नहीं होता ॥
 १८२. शत्रु लोग भी उत्साहियों के वश में होजाते हैं ॥
 १८३. विक्रम ही राजा का धन है ॥
 १८४. आलसियों के लिये यह लोक तथा परलोक कुछ भी नहीं है ॥

१८५. निरुत्साही लोगों से भाग्य भी भागता है ।
 १८६. मच्छियों की तरह पानी में से अपने मतलब की चीज निकाल ले ।
 १८७. अविश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास न करे ।
 १८८. जहर सदा ही जहर है ।
 १८९. धन ग्रहण करते समय वैरियों का साथ न करे ।
 १९०. धन के प्राप्त करने में वैरियों का विश्वास न करे ।
 १९१. धन पर ही संपूर्ण संबंध निर्भर हैं ।
 १९२. शत्रु का भी लड़का यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिये ।
 १९३. शत्रु का छिद्र जितना बड़ा दिखाई दे उसको हाथसे बढ़ादे ।
 १९४. शत्रु का जहां पर छेद देख वहां पर ही आक्रमण करे ।
 १९५. अपने दोष को प्रकाशित न करे ।
 १९६. छिद्र पर जो प्रहार करें वही शत्रु हैं ।
 १९७. हाथ में आये हुए भी शत्रु का विश्वास न करे ।
 १९८. आत्मीय के दोष को दूर करे ।
 १९९. आत्मीय लोगों की बेइज्जती सुन कर मनस्वि लोग दुःखी हो जाते हैं ।
 २००. एक अंग का दोष सारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है ।
 २०१. उत्तम व्यवहार से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ।
 २०२. नीच उपकार का बदला चाहते हैं ।
 २०३. नीच को सलाह न दे ।
 २०४. नीच पर विश्वास न करे ।
 २०५. दुर्जन का कितना ही आदर क्यों न कर वह कष्ट ही पहुंचाता है ।
 २०६. जंगली आग चंदन को भी जला ही देती है ।
 २०७. किसी भी पुरुष का कमी भी अपमान न करे ।
 २०८. क्षंतव्य पुरुष को भी कष्ट न दे ।
 २०९. बेवकूफ लोग स्वामी से अधिक अधिक रहस्य युक्त बात कहते हैं ।

२१०. फल से ही अनुराग मालूम पड़ता है ।
 २११. आज्ञा पालन करने से ऐश्वर्य्य प्राप्त होता है ।
 २१२. मूर्ख लोग दातव्य को भी क्लेश देकर देते हैं ।
 २१३. अधैर्य्यशालि महान् ऐश्वर्य्य को प्राप्त करके भी खो बैठते हैं ।
 २१४. अधैर्य्यशालि के लिये यह लोक तथा परलोक कोई चीज़ नहीं है ।
 २१५. दुर्जन लोगों का संसर्ग न करे ।
 २१६. कलवार के हाथ का दूध भी न छुए ।
 २१७. बुद्धि वही है जो कि कार्य्य संबंधी संकटों के पड़ने पर भी न घबड़ावे ।
 २१८. मित भोजन में ही स्वास्थ्य है ।
 २१९. अपथ्य से अजीर्ण होने पर पथ्य न ग्रहण करे ।
 २२०. कम खाने वाले बीमार नहीं पड़ते ।
 २२१. बुढ़ापे में बीमारी में रोग के बढ़ने की उपेक्षा न करे ।
 २२२. अजीर्ण में भोजन ही दुःख का मूल है ।
 २२३. शत्रु के भी रोग बढ़ जाता है ॥
 २२४. धन के समान ही दान होता है ॥
 २२५. तीव्र तृष्णा वाले व्यक्ति का दधाना सुगम है ॥
 २२६. तृष्णा से बुद्धि क्षीण होजाती है ॥
 २२७. कार्य्य के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिये छोड़ रखे जिसका अधिक फल हो ॥
 २२८. असमाप्त कार्य्य का निरर्क्षण स्वयं ही करे ॥
 २२९. मूर्ख साहसी होते हैं ॥
 २३०. मूर्खों के साथ विवाद न करे ॥
 २३१. मूर्खों के साथ मूर्ख बनकर रहे ॥
 २३२. लोहे से ही लोहे में छेद किया जाता है ॥
 २३३. बुद्धि रहित व्यक्तियों का कोई भी दोस्त नहीं होता ॥
 २३४. संसार धर्म पर स्थिर है ॥
 २३५. धर्माधर्म मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं ॥

२३६. धर्म की जन्म भूमि दया है ।
२३७. सत्य तथा दान धर्म का मूल है ।
२३८. धर्म से लोगों को जीतता है ।
२३९. मृत्यु भी धर्मात्मा की रक्षा करता है ।
२४०. धर्म से विपरीत पाप जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर धर्म से भिन्न बुद्धि हो जाती है ।
२४१. आकार से ही उपस्थित विनाशवालों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।
२४२. अधर्म में बुद्धि रखने वाले आत्म विनाशको सूचित करते हैं ।
२४३. चुगल खोरों की कोई भी छिपी बात नहीं ।
२४४. दूसरे की गुप्त बात न सुननी चाहिये ।
२४५. वल्लभों या राज दरबारियों के काम प्रायः अधर्म युक्त होते हैं ।
२४६. आत्मीय लोगों की बात न टालनी चाहिये ।
२४७. यदि माता भी दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिये ।
२४८. यदि अपने हाथ में भी विष चढ़ गया हो तो उसको काट देना चाहिये ।
२४९. यदि शत्रु भी हितैषी हो तो उसको अपना बंधु समझना चाहिये ।
२५०. औपधी कहीं पर क्यों न लगी हो ले लेना चाहिये ।
२५१. चोरों पर विश्वास न करना चाहिये ।
२५२. अप्रतीकार चीजों का अनादर न करना चाहिये ।
२५३. छोटीसी भी तकलीफ तकलीफही पहुंचाती है ।
२५४. अपने आपको अमर समझ कर धन कमावे ।
२५५. सभी लोग अमीरों की इज्जत करते हैं ।
२५६. इन्द्रभी यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदर नहीं करते ।
२५७. मनुष्य के लिये दारिद्र्य एक प्रकार से जीवन मरण है ।
२५८. अमीर कुरूपभी सुरूप है ।
२५९. अमीर यदि कंजूस हो तोभी लोग उसको नहीं छोड़ते ।
२६०. अकुलीन भी कुलीन से उत्तम हो जाता है ।
२६१. अनार्य को वे इज्जती क. क्या डर ?

२६२. समझदार लोगों को आजीविका या नौकरी की क्या चिंता ?
 २६३. जितेन्द्रिय लोगों को विषयों का क्या डर ?
 २६४. कृतार्थ लोगों को मृत्यु का भय नहीं होता ।
 २६५. सज्जन लोग दूसरे के स्वार्थ को अपना ही स्वार्थ समझते हैं ।
 २६६. दूसरे की उन्नति का आदर न चाहिये ॥
 २६७. दूसरे की उन्नति में अपना आदर का होना नाश का मूल है ।
 २६८. थोड़ीसी भी दूसरे की चीज न छूनी चाहिये ॥
 २६९. दूसरे की चीज लेना अपनी चीज खाना है ॥
 २७०. चोरी से बढ़कर मृत्यु का जाल और कोई चीज नहीं है ॥
 २७१. समय पर जो का सतुआ भी जान बचावेता है ॥
 २७२. मेरे हुए को दबाई से क्या लाभ ?
 २७३. समय पर दूसरे के प्रभुत्व से अपने आपको भी लाभ पहुंच जाता है ।
 २७४. नीच की विद्या पाप कर्म में ही लगती है ॥
 २७५. सांप को दूध पिलाना जहर को ही बढ़ाना है ॥
 २७६. धात के समान कोई दूसरी चीज नहीं है ॥
 २७७. भूख से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं ॥
 २७८. जो काम नहीं करता उसको भूख सताती है ॥
 २७९. भूख के लिये कौनसी चीज अमूल्य है ॥
 २८०. इन्द्रियें ही बुढ़ापे को उत्पन्न करती हैं ॥
 २८१. झिड़कने तथा डांटने वाले स्वामी को छोड़दे ॥
 २८२. लोभी की सेवा ऐसी ही है जैसे कि जुगुनू को आग के खातिर धौंकना ॥
 २८३. विद्वान् तथा विशेषज्ञ स्वामी का आश्रय लेवे ॥
 २८४. मैथुन ही पुरुष का बुढ़ापा है ।
 २८५. अमैथुन ही स्त्रियों के लिये बुढ़ापा है ।
 २८६. नीचे तथा ऊंचे लोगों के साथ विवाद सम्बन्ध न किया जाय ।
 २८७. अगम्य स्त्री के गमन से आयु यश तथा पुण्य नष्ट हो जाते हैं ।

२८८. अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है ।
२८९. सभा में बैठकर शत्रु की निन्दा न करे ।
२९०. शत्रु की तकलीफ सुनने में भलो मालूम पड़ती है ।
२९१. दरिद्र के बुद्धि नहीं रहती ।
२९२. दरिद्र का हित वाक्य भी कोई नहीं मानता ।
२९३. अपनी स्त्री भी दरिद्र का अपमान करती है ॥
२९४. फूलों से हीन आम पर भौरे नहीं जाते ।
२९५. दरिद्रों का विद्या ही धन है ।
२९६. चोर भी विद्या को नहीं चुरा सकते ।
२९७. विद्या से प्राप्त हुई हुई प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि है ।
२९८. पशु रूपी शरीर नष्ट नहीं होता ।
२९९. जो दूसरे का हित करे वही सज्जन है ।
३००. इन्द्रियों के संयम को शास्त्र कहते हैं ।
३०१. शास्त्र विद्वत् काम करने वालों को शास्त्राकुश बचाता रहता है ।
३०२. नाच की विद्या ग्रहण करने के अयोग्य है ।
३०३. म्लेच्छ भाषा न सीखे ।
३०४. म्लेच्छों की भी अच्छी बात ग्रहण कर ले ।
३०५. गुण में मत्सर न करना चाहिये ।
३०६. शत्रु की भी अच्छी बात ले लेनी चाहिये ।
३०७. विष से भी अमृत ग्रहण करना चाहिये ।
३०८. उमर से ही मनुष्य की इज्जत बढ़ती है ।
३०९. स्थान में ही मनुष्य की पूजा होती है ।
३१०. भले आदमियों के कामों का अनुकरण करे ॥
३११. मर्यादा का कभी भी उल्लंघन न करे ॥
३१२. पुरुष रूपी रत्न का कोई मूल्य नहीं है ॥
३१३. स्त्री के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है ॥
३१४. रत्न दुर्लभ होते हैं ।
३१५. भयों में सब से बड़ा भय अपयश है ।
३१६. आलसियों को शास्त्र का तत्त्व नहीं प्राप्त होता ॥

३१७. स्त्रियों के परार्थीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता और उनका कोई भी काम धर्म काम नहीं कहाता ।
३१८. स्त्रियां भी स्त्रैण की इज्जत नहीं करती ।
३१९. फूल का चाह से कोई सूखे बिखे को नहीं सींचता ।
३२०. अद्रव्य में कोशिश करना बालू को उबालना है ।
३२१. बड़े लोगों की हंसी न उड़ावे ॥
३२२. निमित्त देखकर कार्य का अनुमान होजाता है ॥
३२३. निमित्त नक्षत्रों में भी विशेषता कर देते हैं ॥
३२४. जल्दबाज लोग नक्षत्र परीक्षा नहीं करते ॥
३२५. परिचय होने पर दोष नहीं छिपते ॥
३२६. जो स्वयं अशुद्ध होता है वह दूसरे को भी ऐसा ही समझता है ॥
३२७. स्वभाव मिटाये नहीं मिटता ॥
३२८. अपराध के अनुसार ही दंड होना चाहिये ॥
३२९. बात के अनुसार ही उत्तर होना चाहिये ॥
३३०. आमदनी के अनुसार ही गहने होने चाहिये ॥
३३१. कुल के अनुसार ही रहन सहन होना चाहिये ॥
३३२. कार्य के अनुसार ही प्रसन्न होना चाहिये ॥
३३३. पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिये ॥
३३४. उमर के अनुसार ही वेष होना चाहिये ॥
३३५. भृत्य वही है जो कि स्वामी के अनुकूल हो ॥
३३६. स्त्री वही है जो कि मालिक के वशमें हो ॥
३३७. शिष्य वही है जो कि गुरु के वशमें रहे ॥
३३८. पुत्र वही है जो कि पिता के वशमें रहे ॥
३३९. अत्यंत अधिक आदर संदेहास्पद होता है ॥
३४०. स्वामी के कुपित होने पर भी स्वामी के ही पीछे चले ॥
३४१. लड़के को मां जब मारती है तो लड़का मां के पास ही जाकर रोता है ॥
३४२. प्रेम करने वालों का गुस्सा कुछ ही समय तक रहता है ॥
३४३. मूर्ख अपने दोष को नहीं देखता और दूसरे के दोष को ही देखता है ॥

३४४. धूर्तों के साथ आदर का व्यवहार रखना चाहिये ॥
 ३४५. आदर या उपचार से तात्पर्य मीठे व्यवहार से है ॥
 ३४६. चिर परिचित लोगों का अत्यादर करना देखकर समझना चाहिये कि कुछ दाल में काला है ॥
 ३४७. हजार कुत्तों से अकेली दुर्लभ गौ का होना ही भला है ॥
 ३४८. नौ नकद न तेरा उधार (कल के मोरसे आजका कवूतर ही भला है) ॥
 ३४९. अतिसंग खराबी पैदा करता है ॥
 ३५०. क्रोध रहित व्यक्ति सबको अपने वशमें करलेता है ॥
 ३५१. अपकारी पर यदि गुस्सा हो तो गुस्से पर गुस्सा करते ही जाना चाहिये ॥
 ३५२. मूर्ख मित्र गुरु वल्लभ तथा बुद्धिमानों के साथ विवाद न करना चाहिये ॥
 ३५३. ऐश्वर्य से कोई भी पिशाच नहीं रहता ॥
 ३५४. पुण्य कामों में धनाढ्यों को कुछ भी मेहनत नहीं होती ॥
 ३५५. गाड़ी पर चढ़े लोगों को थकावट नहीं होती ॥
 ३५६. घर बार बे लोहे की हथकड़ी है ॥
 ३५७. जो जिस काम में निपुण हो वह उसी काममें लगाया जाय ॥
 ३५८. मनस्वियों के शरीर को पीड़ा देना भले आदमियों का काम नहीं है ॥
 ३५९. विना प्रमाद के स्त्रियों की रक्षा करे ॥
 ३६०. स्त्रियों पर कुछ भी विश्वास न करे ॥
 ३६१. स्त्रियों में न तो शान्ति और न लोकशता ही होती है ॥
 ३६२. गुरुओं की माता पूजनीय होती है ॥
 ३६३. सभी हालतों में मां का पालन करना चाहिये ॥
 ३६४. बदसूरती गहनों में छिप जाती है ॥
 ३६५. लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है ॥
 ३६६. वेद ही ब्राह्मणों का भूषण है ॥
 ३६७. धर्म सभी का भूषण है ॥
 ३६८. विनययुक्त विद्या सब भूषणों का भूषण है ॥

३६६. उपद्रव शून्य देशमें बसे ॥
 ३७०. देश वही है जिस में बहुत से भली आदमी हों ॥
 ३७१. राजा से सदा ही डरता रहे ॥
 ३७२. राजा से बढ़कर और कोई देवता नहीं है ॥
 ३७३. राजा से निकली आग दूर दूर तक भस्म कर देती है ॥
 ३७४. खाली हाथ राजा के पास न जावे ॥
 ३७५. गुरु तथा देव के पास भी खाली हाथ न जावे ॥
 ३७६. कुटुंब से डरना चाहिये ॥
 ३७७. राज परिवार में सदा ही आते जाते रहना चाहिये ॥
 ३७८. राज पुरुषों के साथ संबंध बनाये रखे ॥
 ३७९. राज दासी की सेवा न करनी चाहिये ॥
 ३८०. आंखों से भी राजा की ओर न देखे ॥
 ३८१. घर का स्वर्ग यही है कि लड़का गुणवान् हो ॥
 ३८२. पुत्रों को विद्याओं का पारगामी बनाना चाहिये ॥
 ३८३. जनपद के लिये ग्राम को छोड़दे ।
 ३८४. ग्राम के लिये कुटुंब को छोड़दे ।
 ३८५. सबसे बड़ा लाभ पुत्र लाभ है ।
 ३८६. कष्टके समय में जो माता पिता को बचावे वही पुत्र है ।
 ३८७. जो कुल का प्रसिद्धि दे वही पुत्र है ।
 ३८८. अपत्यरोहित व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता ।
 ३८९. भार्या वही है जिसके बालक हो ।
 ३९०. बहुत सी स्त्रियों के ऋतुमती होने पर पुत्रवती का गमन करे ।
 ३९१. ऋतुकाल में गमन करने पर ब्रह्मचर्य्य नष्ट होता है ।
 ३९२. पर क्षेत्र में बीज न डाले ।
 ३९३. पुत्र के लिये ही स्त्रियां हैं ।
 ३९४. अपनी दासी का गमन करना अपने को दास बनाना है ।
 ३९५. जिसका विनाश समीप होता है वह हितकारी बात को नहीं सुनता ॥
 ३९६. शरीरधारियों को सुख दुःख नहीं रहता है ।

३६७. काम करने वाले के पास गौ के बछड़े की तरह सुख दुःख आया करते हैं ॥
३६८. सज्जन तिल मात्र उपकार को पर्वत करके मानता है ॥
३६९. अनाथों के साथ उपकार न करना चाहिये ॥
४००. अनार्य प्रत्युपकार के भय से शत्रु हो जाता है ।
४०१. आर्य स्वल्प भी उपकार होने पर प्रत्युपकार के लिये दिन रात चिन्ता करता है ।
४०२. देवता का कभी भी अपमान न करना चाहिये ।
४०३. चक्षु के समान कोई दूसरी ज्योति नहीं ।
४०४. चक्षु ही शरीरधारियों की नेता है ।
४०५. जिसके आंख नहीं उसको शरीर से क्या लाभ?
४०६. पानी में पेशाब न करे ।
४०७. नंगा होकर जल में न घुसे ।
४०८. जैसा शरीर वैसा ही ज्ञान होता है ।
४०९. जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है ।
४१०. आग में आग न फेंके ।
४११. तपस्वियों की पूजा करे ।
४१२. परायी स्त्री के साथ संगम न करे ।
४१३. अश्रदान भ्रण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट करता है ।
४१४. वेदवाह्य कोई धर्म नहीं ।
४१५. धर्माचरण हरसमय करना चाहिये ।
४१६. सत्य स्वर्ग को पहुंचाता है ।
४१७. सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है ।
४१८. सत्य स्वर्ग का साधन है ।
४१९. सत्य पर ही संसार स्थिर है ।
४२०. सत्य से ही देव बरसता है ।
४२१. असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं ।
४२२. गुरुओं की अलोचना न करनी चाहिये ।
४२३. दुष्टता न करे ।
४२४. दुष्टका कोई मित्र नहीं ॥
४२५. दरिद्र का जीवन काटना कठिन होता है ॥
४२६. दानशूर ही सब से बड़ा शूर है ॥
४२७. गुरुदेव तथा ब्राह्मणों में भक्ति रखना ही सबसे बड़ा भूषण है ।

४२२. विनय सबका भूषण है ॥
 ४२६. विनीत अकुलीन कुलीन से उत्तम होता है ॥
 ४३०. सदाचार से आयु तथा कीर्ति बढ़ती है ॥
 ४३१. अहितकारी प्रिय बात न कहना चाहिये ।
 ४३२. जिसकाम के बहुत से लोग विरुद्ध हों वह काम न करना चाहिये ।
 ४३३. दुर्जनों के साथ साभी न करे ।
 ४३४. स्वार्थी नीचों के साथ संबंध न करे ।
 ४३५. ऋण शत्रु और व्याधि को अधूरा न छोड़े ।
 ४३६. सामर्थ्य के अनुसार चलनाही पुरुष के लिये रसायन है ।
 ४३७. मांगनेवालों की अवज्ञा न करे ।
 ४३८. नीच लोग दुष्कर कर्म करवा कर करनेवालों को धुत्कार देते हैं ।
 ४३९. अकृतज्ञ नरक से नहीं लौटते ।
 ४४०. वृद्धि तथा नाश जवान पर निर्भर है ।
 ४४१. जिह्वा विष तथा अमृत की खान है ।
 ४४२. मधुर तथा प्रिय बोलनेवाले का कोई भी शत्रु नहीं होता ।
 ४४३. स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न होजाते हैं ।
 ४४४. झूठी भी कठोर बात देर तक रहती है ।
 ४४५. राजा के विरुद्ध बात न कहना चाहिये ।
 ४४६. कान को प्यारी कोयल की अवाज से लोग खुश रहते हैं ।
 ४४७. अपने धर्म के कारण ही मनुष्य सत्पुरुष कहाता है ।
 ४४८. मांगनेवालों की कोई इज्जत नहीं ।
 ४४९. सौभाग्य ही स्त्रियों का भूषण है ।
 ४५०. शत्रु से भी-दुर्व्यवहार न करे ।
 ४५१. खेत वही है जिसमें बिना मेहनत के पानी लगे ।
 ४५२. परंड का सहारा लेकर हाथी को न चिड़ावे ।
 ४५३. बहुत बढाहुई सेमलकभी हाथी के बांधने का खूंटा नहीं बनता ।
 ४५४. कार्णिकार कितना ही लंबा क्यों न हो मूलज के काम में नहीं आता ।

४५५. जुगुन् कितना ही चमकें आग नहीं कहा जासकता ।
 ४५६. बुढ़ा होना ही गुण का हेतु नहीं ।
 ४५७. पिचुमंद कितना ही पुराना क्यों न हो शंकुल के काम में नहीं आता ।
 ४५८. जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है ।
 ४५९. विद्या के अनुसार ही बुद्धि होती है ।
 ४६०. कुल के सदृश ही आचार होता है ।
 ४६१. पिचुमन्द कितना ही क्यों न सुधारा तथा बनाया जाय आम नहीं देता ।
 ४६२. आर्ये दुष्ट सुख का परित्याग न करे ।
 ४६३. मनुष्य [अपनी गलती से ही] दुःख में पड़ता है ।
 ४६४. रात में इधर उधर न घूमे ।
 ४६५. आध्री रात में न सोवे ।
 ४६६. उसीके विद्वानों से परीक्षा करवादे ।
 ४६७. अकारण ही दूसरे के घर में न घुसे ।
 ४६८. जानकार भी लोग बुराकाम करते हैं ।
 ४६९. लोग प्रायः शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं ।
 ४७०. यदि शास्त्र न होतो शिष्ट लोगों के अनुसार कामकरे ।
 ४७१. आचरण से अधिक प्रामाणिक शास्त्र नहीं हैं ।
 ४७२. दूर रहते हुएभी राजा चारों की आंखों से देखता है ।
 ४७३. लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं ।
 ४७४. जिसका नमक खावे उसकी बदनामी न करे ।
 ४७५. इन्द्रियनिग्रह सब तपस्याओं का सार है ।
 ४७६. स्त्रीके बंधन से छुटकारा पाना कठिन है ।
 ४७७. स्त्रियें ही सब बुराइयों की जड़ हैं ।
 ४७८. स्त्रियों को पुरुषों की परीक्षा न करनी चाहिये ।
 ४७९. स्त्रियों का मन चंचल होता है ।
 ४८०. अशुभ से बचने वाले लोग स्त्रियों में नहीं फँसते ।
 ४८१. तीनों वेदों को जानने वाले ही यज्ञ के फलों को जानते हैं ॥
 ४८२. पुण्य के फल के अनुसार ही स्वर्ग में रहना मिलता है ॥

४८३. स्वर्ग से गिरने से बढ़कर और कोई दुःख नहीं है ॥
 ४८४. मनुष्य मर कर इन्द्र नहीं बनना चाहता ॥
 ४८५. निर्वाण ही सब दुःखों की औषध है ॥
 ४८६. अनार्य की मैत्री से आर्य की शत्रुता उत्तम है ॥
 ४८७. कठोर बात कुल को नष्ट करती है ॥
 ४८८. पुत्र स्पर्श से बढ़कर और कोई सुख नहीं है ॥
 ४८९. विवाद में धर्म का अनुसरण करे ॥
 ४९०. संध्याकाल में कार्य की चिन्ता करे ॥
 ४९१. प्रदोष में संयोग न करे ॥
 ४९२. जिसका नाश नजदीक हो वह अन्याय करता है ॥
 ४९३. दूध चाहने वाले को हथिनी से क्या लाभ ?
 ४९४. दान के समान वश्य कोई दूसरा उपाय नहीं ॥
 ४९५. दूसरे की चीज को लेने के लिये उत्सुक न हो ॥
 ४९६. पाप की कमाई पापी ही खाते हैं ॥
 ४९७. कउष निमकौरी खाते हैं ॥
 ५००. समुद्र कभी प्यासा नहीं होता ॥
 ४९९. बालू भी अपने समान गुल वाले से मेल रखता है ॥
 ५००. सज्जन लोग दुर्जनों के साथ मेल नहीं करते ॥
 ५०१. हंस प्रेतवन में नहीं रहते ॥
 ५०२. लोग रुपये की खातिर ही काम करते हैं ॥
 ५०३. आशा से ही लोग बंधे हैं ॥
 ५०४. आशा रहित लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहती ॥
 ५०५. आशा रहित लोगों के पास धैर्य नहीं होता ।
 ५०६. दैन्य से उत्तम मरण है ।
 ५०७. आशा लज्जा को छिपा देती है ।
 ५०८. मा के साथ न रहना चाहिये ।
 ५०९. अपनी प्रशंसा न करना चाहिये ।
 ५१०. दिन में न सोवे ।
 ५११. पेशवर्षाध आसन्न लोगों को नहीं देखता । इष्ट बात नहीं सुनता ।

५१२. स्त्रियों का पति से बढ़कर और कोई परम देवत नहीं है ।
५१३. पति के अनुसार चलने में दोनों को ही सुख मिलता है ।
५१४. आये हुए अतिथि की यथा विधि पूजा करे ।
५१६. हन्य का कोई भी व्याघात नहीं है ।
५१६. शत्रु मित्र की तरह मालूम पड़ता है ॥
५१७. मृगतृष्णा जल की तरह होती है ।
५१८. दुर्बुद्धि बुरी बात को ही पसन्द करते हैं ।
५१९. सत्संग ही स्वर्ग बास है ।
५२०. आर्य पराये को अपने तुल्य समझता है ।
५२१. रूप के अनुसार ही गुण होता है ।
५२३. जहाँ सुख से रहें वही स्थान है ।
५२४. विश्वास घातियों का कोई भी निश्चय नहीं है ।
५२५. साधु शरण में आये दुःखी को अपना करके मानते हैं ।
५२६. अनाय्य दिल की बात छिपाकर दूसरी बात कहता है ।
५२७. बुद्धि हीन पिशाच के तुल्य है ।
५२८. मार्ग में अकेले न चले ।
५२९. पुत्र की प्रशंसा न करे ।
५३०. नौकरों को स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिये ।
५३१. धर्म कृत्यों में स्वामी का ही नाम ले ॥
५३२. राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करे ॥
५३३. आज्ञा के अनुसार काम करे ॥
५३४. बुद्धिमानों का कोई भी शत्रु नहीं है ॥
५३५. अपने दोष को न प्रकाशित करे ॥
५३६. क्षमावान् सब कुछ कर लेता है ॥
५३७. आपत्ति के लिये धन की रक्षा करे ॥
५३८. साहसी चोरों या अपराधियों की प्रिय बात न करे ॥
५३९. जो कल करना हो वह आज ही करे ॥
५४०. सांभ की बात सबेरे ही करे ॥
५४१. व्यवहार के अनुसार ही धर्म है ॥
५४२. लोकज्ञता ही सर्वज्ञता है ॥
५४३. जो शास्त्रज्ञ लोकज्ञ नहीं वह मूर्ख के तुल्य हैं ॥

४४४. तत्त्व का दिखाना ही शास्त्र का प्रयोजन है ॥
 ४४५. तत्त्व ज्ञान कर्तव्य को प्रगट करता है ॥
 ४४६. व्यवहार में पक्षपान न करना चाहिये ॥
 ४४७. व्यवहार धर्म से भी महत्त्वपूर्ण है ॥
 ४४८. आत्मा ही व्यवहार का साक्षी है ॥
 ४४९. आत्मा सबका साक्षी है ॥
 ४५०. कूटसाक्षी कभी भी न बने ॥
 ४५१. झूठे गवाह नरक में गिरते हैं ॥
 ४५२. महाभूत छिपे पापियों के गवाह हैं ॥
 ४५३. आत्मा का पाप आत्माही प्रगट करता है ।
 ४५४. आकार छिपी बात को प्रगट कर देता है ।
 ४५५. आकार का संवरण करना देवताओं के लिये भी अशक्य है ।
 ४५६. चोरों तथा सरकारी नौकरों से धन को बचावे ।
 ४५७. प्रजा दर्शन न देने वाले राजा को नष्ट कर देता है ॥
 ४५८. प्रजा दर्शन देने वाले राजा को चाहती है ॥
 ४५९. प्रजा न्यायी राजा को माता समझता है ॥
 ४६०. ऐसा राजा इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है ॥
 ४६१. अहिंसा ही धर्म है ॥
 ४६१. साधु दूसरे के शरीर को अपने शरीर से बढ़कर मानते हैं ॥
 ४६३. किसी को भी मांस भक्षण न करना चाहिये ॥
 ४६४. जानियों को संसार का भय नहीं होता ॥
 ४६५. विज्ञानरूपी दीप से संसार का भय नष्ट हो जाता है ॥
 ४६६. सब कुछ अनित्य है ॥
 ४६७. कीड़े पेशाब तथा पाखाने से भरा हुआ शरीर पुण्य पाप तथा जन्म का कारण है ॥
 ४६८. जन्म मरण में दुःख ही दुःख है ॥
 ४६९. तपस्या से स्वर्ग मिलता है ॥
 ४७०. क्षमा युक्त की तपस्या बढ़ती जाती है ॥
 ४७१. इसी से सब लोगों को कार्य सिद्धि होती है ॥

भारत के सुप्रसिद्ध प्राचीन ^{आदि}शास्त्र के आचार्य
बृहस्पति ^{के ही} का

बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र

का

सरल हिन्दी अनुवाद

अनुवादक—हिन्दी संसार के परिचित तथा सुप्रसिद्ध लेखक

ला० कन्नोमल जी एम. ए. जज

इसमें मूल सूत्र, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका, कई एक टिप्पणियाँ (जिसमें भारत के प्राचीन धर्मों प्राचीन नगरों, पर्वतों, नदियों आदि कई एक विषयों पर बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला गया है) तथा प्राचीन भूगोल सम्बन्धि २ चित्र भी दिये हैं—पुस्तक बहुत उत्तम है। बढ़िया कपड़े की जिल्द सहित संपूर्ण पुस्तक का मूल्य १॥) है। पुस्तक अवश्य संग्रह करने योग्य है—

बार्हस्पत्य-सूत्र छः अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में यह बताया गया है, कि मनुष्य को अपना चरित्र कैसे निर्माण करना चाहिये उसे क्या करना और क्या न करना चाहिये राजा में क्या गुण होना चाहिये; उसे कैसे मंत्री रखने चाहिये और उसका क्या कर्तव्य है संक्षिप्त रूप से इस अध्याय में राजा के चरित्र सम्बन्धी सभी बातें उल्लिखित हैं। बृहस्पति जी लिखते हैं कि राजा शिकार में बहुत अनुराग नहीं रखे और न स्त्रियों में ही रातदिन रहकर विलासोन्मत्त रहे, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है। उसे अपना समय वेश्याओं ज्योतिषियों, साधु उन्यासियों तथा निजी नौकरों के साथ न व्यतीत करना चाहिये। जो लोग स्त्री, जुआ, मदिरापान आदि में अनुरक्त हों, उन्हें अपनी सेवा में कभी नहीं रखना चाहिये। राजा को काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, पैशुन्य आदि दुर्गुणों से बचना, मदिरा कदापि न पान करना, आत्म-संयमी होना, अपने समान सचरित्र मनुष्य नौकर रखना, दान करना, हिंसा से बचना, तथा सचरित्र पुरुषों को मित्र बनाना चाहिये। उसे ऋणी कभी नहीं होना उचित है ऋण तीन प्रकार से होता है, काम-वश होने से, विलासरत होने से, क्रोध अथवा लोभ से। गृहनीति (Policy) के लिए लिखते हैं कि

वह तीरस्थ वृद्धके समान है। कीटोंकी स्थिति दृढ़ नहीं है। इस लिये राजा को उसे हितकारक मानना उचित नहीं। ऐसी ही अनेक बातें इस अध्याय में लिखी गई हैं। इन बातों पर हमारे राजा महाराजाओं को भलीभाँति ध्यान देना चाहिए।

दूसरे अध्याय में उन नियमों और सिद्धान्तों का विवरण है, जिन के अनुसार राजा को व्यवहार करना समुचित है। अर्थोपाजन के समय लोकायित शास्त्र के अनुकूल चलना चाहिए। कामविषय में कापालिक नियमों का पालन करना और धर्म विषय में आर्हत शास्त्र का अनुकरण करना कर्त्तव्य है। मांस-मदिरा आदि विषयों में कापालिक बंध लिप्त रहते हैं। आर्हत वह सिद्धान्त है, जिसके अनुसार सभी प्रकार की हिंसा त्याज्य है।

यदि राजा के मंत्री अच्छे हों, परंतु राजा स्वयम् परछिद्र-दर्शी और अधर्मी हो, तो वह राज्य नहीं चला सकता है। जो ऐश्वर्य मद में मत्त हो, लोभ और मान से भरा हुआ हो, वह कमाई हुई सम्पत्ति को भी खो बैठता है। नीति वही है, जिसका फल धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हो। काम और अर्थ को धर्म की कसौटी से जांचना चाहिए और धर्म को धर्मशास्त्र से। नीतिविरुद्ध पुत्र भी शत्रु है बालक, दुष्ट, उच्छृंखल, शास्त्र-अनभिज्ञ, मूढ़, दुराचारी, तीक्ष्ण, तेज स्वभाव वाला और जो अपने को ही सब कुछ समझता हो,—ऐसे मनुष्यों के साथ परामर्शादि नहीं करना चाहिए। स्वकार्य सिद्ध करने, स्वयंश और स्वप्राण-रक्षा करने में यदि अपना सर्वस्व भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। धर्म ही प्रधान है, पुरुषार्थ नहीं। जो सुख अधर्म से मिले, वह शत्रु-सा है। जो मनुष्य अपनी बात का सच्चा है और शास्त्रों के वाक्यों पर श्रद्धा रखता है, वह समुद्र को भी पी कर सुखा सकता है। उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। एक दुर्जन कई-एक का नाश कर देता है। पुरुषार्थ पर ही भाग्य निर्भर है। जो अपनी स्त्री में ही रत है और जो आत्मदमन में शक्ति रखता है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। सज्जन मय से अपना धर्म नहीं छोड़ देते। राजा को अधर्म तथा बध नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका अप-यश हो। इसी प्रकार की बातें इस अध्याय में हैं।

तीसरा अध्याय विद्या-सम्बन्धी है। इस में तत्कालीन धर्म, मत, दार्शनिक सम्प्रदाय, मंत्र, तंत्र, औपधियाँ, यज्ञ, युग, उत्सव आदि का वर्णन है। इतिहास, पुराण, दर्शन शास्त्रादि पढ़ने का आदेश है। सच से बड़ी बात यह है कि इस अध्याय में केवल पृथ्वी का ही वर्णन नहीं है, किन्तु तत्कालीन भारतवर्ष के देश, प्रदेश, नगर,

पर्वत, तीर्थ, नदियाँ, जातियाँ आदि का पूरा-पूरा विवरण है। एते हासिक दृष्टि से यह अध्याय बड़े ही महत्व का है।

चौथे अध्याय में शकुनादि का वर्णन है तथा अन्य और भी उपयोगी शिक्षाएँ हैं।

शुभ शकुन ये हैं—मुर्गी की आवाज, हाथी देखना, हाथी का शब्द, देव-स्तुति, पाठ-ध्वनि, देवताओं की कथा, नेवों में अञ्जन, दर्पण में मुख देखना, अलंकार पहनना, ताम्बूल खाना, कर्पूर, चन्दन, धूप, तुरही, शंख, वीणा, मृदङ्ग, ढोल आदिक के शब्द-घा तथा श्वेत पुष्पादि।

अशुभ शकुन ये हैं,—बलों तथा गिद्धों का दिखायी देना, संध्या की अग्नि ज्वाला, लड़ते हुए गीदड़ों का रोना, ग्राम या पुर के द्वार पर हिंसक पशुओं के शब्द, देवताओं की प्रतिमाओं से स्वेद आना इत्यदि।

पाँचवें अध्याय में उपायों का वर्णन है। ये उपाय साम, दाम, भेद, मायोपेक्षा और बध आदि हैं। तेजपुरुषों के साथ सामनीति का प्रयोग करना उचित है, अर्थात् उससे राजीनामा कर लेना चाहिए। ढरपोक और पौच मनुष्यों के साथ साम और भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए। लुब्ध मनुष्यों के साथ साम, दाम और भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मनुष्य जो निरन्तर कष्ट देते हैं, उनके साथ साम, भेद, दाम, मायोपेक्षा और बध—इन सब का प्रयोग करना उचित है। मायोपेक्षा का अर्थ है, कृत्रिम उपेक्षा सब से पहिले साम से काम ले, वह यदि निष्फल हो तो दूसरे उपाय सोचने चाहिए। गृहस्पति जो मनोविज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं। आप कुछ ऐसी बातें लिखते हैं, जिनसे मानुषीवृत्ति की विषमता का पता लगता है। जैसे सम्बन्धी अपने सम्बन्धियों की विपत्ति पर हर्ष करते हैं, हृदय में करता रखते हुए उनका बुरा करते हैं। सभी भयों में जाति अथवा सम्बन्धियों का भय बड़ा-घोर है। जैसे गौओं में दूध स्वाभाविक है, वैसे ही ब्रह्मणों में स्वाभाविक है क्रोध, स्त्रियों में चपलता, जातिवालों में अप्रेम। मित्रता पत्र-स्थित जलबिन्दु के समान अस्थिर होती है। जो गुरुजनों के हितकारक-शास्त्र-वाक्य नहीं सुनते, उनके सिरपर आपत्ति की घटा सदा रहती है। ऐसे मनुष्यों से सदा दूर रहना चाहिए। लोक-विरुद्ध कोई कार्य करना उचित नहीं। ऐसे कई-एक उपदेश भी इस अध्याय में दिये हैं। छठवें अध्याय का सम्बन्ध न्याय से है। मनुष्य को देश, काल, नय, अनय देख काम करना चाहिए। जो कार्य वेदविरुद्ध हो अपने पुरुषार्थ और मान के विपरीत हो, उसे कभी नहीं करे। जिसके

पास धन है, उसके पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण, बुद्धि, बलादि सभी-कुछ हैं। जिस प्रकार हस्ती हस्ती के बिना नहीं पकड़ा जा सकता है, उसी प्रकार धन धन के बिना नहीं कमाया जा सकता है। संसार में मूल धन ही है, वह मृत-पुरुष और चाण्डाल के समान है।

धर्म का मूल विद्या है। इसलिए उसे प्राप्त करना चाहिए। विद्या ही है। विद्या सभी-कुछ है। इसी प्रकार की बातें इस अध्याय में लिखी हैं।

छप गया !

छप गया !!

छप गया !!!

हिन्दी-संसार में एक नई बात

डाक्टर सर जगदीशचंद्र बोस

और उनके आविष्कार

लेखक-श्रीयुत सुखसम्पतिराय भंडारी।

अन्य देशों के आगे भारत का मुख उज्ज्वल, भारत का सिर ऊँचा करने वाले जो दस पाँच नर-रत्न हैं, उनमें विज्ञानाचार्य सर जगदीशचंद्र बसु भी एक हैं। आपके नवीन आविष्कारों को देख सुन कर योरोप और अमेरिका के नामी नामी विद्वान् वैज्ञानिक चकित हो चुके हैं। अन्य देशों में बसु बाबू का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारत में तो ऐसा कोई विरला ही पढ़ा लिखा होगा जिस ने आपका नाम न सुना हो। इस पुस्तक में बसु बाबू की जीवनी तथा उनके आविष्कारों का विस्तृत रूपसे दिग्दर्शन कराया गया है। हिंदी में ऐसी पुस्तक का अभी तक अभाव था हर्ष है कि यह बुटि भी दूर होगई। पुस्तक हर एक हिन्दी प्रेमी को अवश्य संग्रह करने योग्य है, पुस्तक बढ़िया कागज पर बहुत उत्तम छपी है मूल्य केवल ॥२॥

मिलने का ठिकाना:—

मोतीलाल बनारसीदास,

मालिक-पंजाब संस्कृत पुस्तकालय,

सैदमिठा बाजार, लाहौर।



"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.

